[र्देश माला, खंड 33, अंक 16

बुधवार, 19 मार्च, 2008
29 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

तेरहवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....75.....
Dated..16.APRIL.2009

(खंड 33 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

रविन्द्र कुमार चड्डा
संयुक्त सचिव

प्रतिमा श्रीवास्तव
निदेशक

कमला शर्मा
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

भूषण कुमार
सहायक सम्पादक

कैलाश वैसोया
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 33, तेरहवां सत्र, 2008/1929 (शक)]

अंक 16, बुधवार, 19 मार्च, 2008/29 फाल्गुन, 1929 (शक)

विषय	कॉलम
निधन संबंधी उल्लेख	1–4
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 281 से 284	5–28
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 285 से 300	28–76
अतारांकित प्रश्न संख्या 2732 से 2937	77–484
सभा पटल पर रखे गए पत्र	484–501, 576, 586–588
राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक	501–502, 536–537, 598
विभागों से संबंद्ध स्थायी समिति	
एक समीक्षा	503
अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 117वीं सभा में भारतीय संसदीय भागीदारी	
प्रतिवेदन	503
याचिका समिति	
37वें से 40वां प्रतिवेदन	503–504
महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति	
विवरण	504
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
29वां प्रतिवेदन	504
रक्षा संबंधी स्थायी समिति	
24वें से 28वां प्रतिवेदन	505
वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति	
84वां प्रतिवेदन	506

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	506–508, 547
(एक) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री चन्द्रशेखर साहू	506–507
(दो) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री मणि शंकर अय्यर	507–508
(तीन) पाकिस्तानी हिरासत में भारतीय नागरिक, श्री सरबजीत सिंह की फांसी की सजा का एक माह के लिए स्थगन	
श्री प्रणब मुखर्जी	547
सदस्यों द्वारा निवेदन	508–529
(एक) मणिपुर में हिन्दी भाषी लोगों की कथित हत्या के बारे में	508–526
(दो) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के बारे में	527–529
नियम 377 के अधीन मामले	533–536, 537–547
(एक) पर्यावरण और वनों से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और निर्णय लेने को सुकर बनाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को दो भागों में विभक्त किए जाने की आवश्यकता	
श्री के.सी. सिंह "बाबा"	534
(दो) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में "कापरा" रोग के फैलने के कारण जिन किसानों की केले की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है, उन्हें वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता	
श्री हरिभाऊ जावले	534–535
(तीन) राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए निधियां जारी करने की आवश्यकता	
श्री महावीर भगोरा	535
(चार) कर्नाटक के धारवाड़ उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वरूर गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या44 पर के.एम. 390 पर एक अंडर पास बनाए जाने की आवश्यकता	
श्री प्रहलाद जोशी	536
(पांच) उत्तराखंड के उन गन्ना उत्पादकों, जिनकी फसल पाले और शीतलहर के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है, को वित्तीय राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
श्री बची सिंह रावत "बचदा"	537

विषय		कॉलम
(छह)	केरल की एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्था "केरल कलामंडलम्" को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एस. अजय कुमार	537–538
(सात)	विश्व विरासत स्थल ताजमहल के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री रामलीजाल सुमन	538
(आठ)	बिहार में विशेष रूप से छपरा और सिवान जिलों में जल भराव को रोकने और नदियों से गाद निकालने के लिए एक केन्द्रीय परियोजना स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रभुनाथ सिंह	539
(नौ)	राष्ट्रीय बचत योजना को ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री चेंगरा सुरेन्द्रन	540
(दस)	नई दिल्ली के "एम्स" की तर्ज पर करनाल में एक मेडिकल कालेज-सह-अस्पताल की स्थापना में तेजी लाने की आवश्यकता	
	डा. अरविन्द कुमार शर्मा	540–541
(ग्यारह)	गुजरात में मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अहमदाबाद-खेड़ाब्रह्मा-अम्बाजी और हरजी-राधानपुर को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री जीवाभाई ए. पटेल	541
(बारह)	अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में "नाबार्ड" द्वारा किसानों को राजसहायता दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री वी.के. ठुम्मर	542
(तेरह)	कारखानों में कठोर सुरक्षा उपाय लागू किए जाने और औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता	
	श्री बागुन सुम्बरूई	542
(चौदह)	आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्री मधु गौड़ यास्खी	543
(पन्द्रह)	सरकारी विभागों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों को शासित करने वाले नियमों/विनियमों का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता	
	श्री श्रीपाद येसो नाईक	543
(सोलह)	केरल को केन्द्रीय पूल से बिजली के कोटे की बहाली किए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी. करूणाकरन	544

विषय		कॉलम
(सत्रह)	उत्तर प्रदेश में रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोसी और गागन नदियों पर पुलों के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए केन्द्रीय पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयाप्रदा	545
(अठारह)	रांची-भुवनेश्वर के बीच गरीब रथ शुरू किए जाने और खुर्दा रोड-बोलांगीर रेल लाइन परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुग्रीव सिंह	545
(उन्नीस)	महाराष्ट्र में अहमदनगर-बीड-पार्ली रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता	
	श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील	545-546
(बीस)	देश में बाघों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री सनत कुमार मंडल	546-547
प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008.		548-550, 551-575, 581-586, 588-597
विचार करने के लिए प्रस्ताव		548
	श्री ऑस्कर फर्नांडीस	548-550, 595-597
	श्रीमती सुमित्रा महाजन	551-555
	श्रीमती कृष्णा तीरथ	555-557
	श्रीमती पी. सतीदेवी	557-559
	श्री शैलेन्द्र कुमार	559-561
	श्री राम कृपाल यादव	561-564
	श्री ए. कृष्णास्वामी	565-566
	श्री सुग्रीव सिंह	567-568
	श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	568-572
	श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे	572-573
	श्री प्रबोध पाण्डा	573-575
	श्रीमती रूपाताई डी. पाटील	581-582
	श्री एम. शिवन्ना	582-583
	श्री वरकला राधाकृष्णन	583-586
	श्रीमती किरण माहेश्वरी	589-590
	श्रीमती प्रतिभा सिंह	592-593
	श्रीमती करूणा शुक्ला	593-595

विषय	कॉलम
खण्ड 2 और 1	597
पारित करने के लिए प्रस्ताव	597
अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा	
सभा की बैठक रद्द किए जाने के बारे में	550
संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2008.	598–608
विचार करने के लिए प्रस्ताव	598
श्री पी.आर. किन्डिया	598, 605–607
श्री कीरेन रिजीजू	599–600
श्री मधुसूदन मिस्त्री	601–602
श्री वसुदेव आचार्य	602
श्री बृज किशोर त्रिपाठी	602–603
श्री तापिर गाव	604
खण्ड 2 और 1	608
पारित करने के लिए प्रस्ताव	608
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	609
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	610–616
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	617–618
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	617–620

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

बुधवार, 19 मार्च, 2008/29 फाल्गुन, 1929 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, कृपया अपने-अपने स्थान पर बैठिये। मैं आपकी बात बाद में सुनूंगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.0$^{1}/_{2}$ बजे

निधन संबंधी उल्लेख

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को हमारे पांच पूर्व साथियों, श्रीमती टी. लक्ष्मी कांतम्मा, श्री वांगचा राजकुमार, श्रीमती माफिदा अहमद, डा. जयंतीलाल नरभेराम पारेख और श्री बलबीर सिंह के दुखद निधन की सूचना देनी है।

श्रीमती टी. लक्ष्मी कांतम्मा 1962 से लेकर 1977 तक तीसरी, चौथी और पांचवीं लोक सभा की सदस्य रहीं तथा उन्होंने आंध्र प्रदेश की खम्मान संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

श्रीमती टी. लक्ष्मी कांतम्मा 1957 से 1962 तथा 1978 से 1983 तक आंध्र प्रदेश विधान सभा की भी सदस्य रहीं।

एक योग्य संसदविद्, श्रीमती टी. लक्ष्मी कांतम्मा 1963 से 1964 तक कार्य मंत्रणा समिति की सदस्य रही। वह 1966 में आवास समिति की सदस्य थीं तथा 1967 से लेकर 1968 तक सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सदस्य रहीं। श्रीमती टी. लक्ष्मी कांतम्मा 1967 में आस्ट्रेलिया गए भारतीय संसदीय प्रतिनिधि मंडल की सदस्य थीं।

एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता श्रीमती टी. लक्ष्मी कांतम्मा कई समाज कल्याण संगठनों से सक्रिय रूप से जुड़ी थीं। वह राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद एवं केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड की सदस्य रहीं। उन्होंने तिरूमल्लई तिरूपति देवस्थानम बोर्ड आफ ट्रस्टीज के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

आध्यात्मिक प्रवृत्ति वाली विदुषी श्रीमती टी. लक्ष्मी कांतम्मा एक जानी मानी लेखिका भी थीं। उन्होंने अंग्रेजी व तेलुगु भाषाओं में कई किताबें लिखी हैं।

श्रीमती टी. लक्ष्मी कांतम्मा का निधन 83 वर्ष की आयु में 13 दिसम्बर, 2007 की विजयवाड़ा में हुआ।

श्री वांगचा राजकुमार 1996 से 2004 तक ग्यारहवीं से तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने अरुणाचल प्रदेश के अरुणाचल-पूर्व संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले वह 1995 से 1996 तक अरुणाचल प्रदेश विधान सभा के सदस्य रहे।

एक योग्य संसदविद् श्री राजकुमार ग्यारहवीं लोक सभा के दौरान खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं सार्वजनिक वितरण संबंधी समिति तथा विद्युत मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। बारहवीं लोक सभा के दौरान वह नियम समिति तथा गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे। तेरहवीं लोक सभा के दौरान वह गृह मंत्रालय संबंधी समिति तथा गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के भी सदस्य रहे।

उन्होंने अनेक देशों की यात्राएं कीं। श्री राजकुमार ने जन सेवार्थ अथक परिश्रम कर विभिन्न समुदायों के बीच परस्पर सौहार्द बढ़ाया।

श्री वांगचा राजकुमार का निधन दुखद परिस्थितियों में 42 वर्ष की आयु में 23 दिसम्बर, 2007 को देवमली जिला तिरप में हुआ।

श्रीमती माफिदा अहमद 1957 से लेकर 1962 तक दूसरी लोक सभा की सदस्य रहीं। उन्होंने असम के जोरहाट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

दूसरी लोक सभा के दौरान श्रीमती माफिदा अहमद 1961 से 1962 तक आवास समिति की सदस्य रहीं।

एक समर्पित सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्त्ता माफिदा अहमद 1946 से 1949 तक रेडक्राम सोसायटी, जोरहाट से सक्रिय रूप से जुड़ी रहीं।

उन्होंने समाज के कमजोर वर्गों खास तौर पर महिलाओं के उत्थान के लिए प्रयास किया। उन्होंने 1951 से लेकर 1953 तक तेजपुर जिला महिला समिति के सहायक सचिव के रूप में कार्य किया और वे महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य कर रहे अन्य संगठनों से जुड़ी रहीं।

श्रीमती माफिदा अहमद जन्मजात लेखिका थीं। उन्होंने असमी भाषा में कई पुस्तकें लिखीं।

श्रीमती माफिदा अहमद का निधन 87 वर्ष की आयु में 17 जनवरी, 2008 को जोरहाट में हुआ।

डा. जयंतीलाल नरभेराम पारेख 1952 से लेकर 1957 तक प्रथम लोक सभा के सदस्य रहे। उन्होंने पूर्व सौराष्ट्र प्रान्त (अब गुजरात में) के झालावाड़ संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले डा. पारेख सौराष्ट्र संविधान सभा तथा 1948 से 1951 तक विधान सभा के सदस्य रहे। सौराष्ट्र विधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने लोक लेखा समिति के सभापति तथा प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में भी कार्य किया।

पेशे से चिकित्सक और बैंकर डा. पारेख सेठ खुशालदास जे. मेहता टी.बी. हास्पिटल, अमरनगर के गवर्निंग व एक्जिक्यूटिव बाडी के सदस्य रहे। वे रेडक्रास सोसायटी, मौरवी के उपाध्यक्ष थे तथा आल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन, मौरवी ब्रांच एवं फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन आफ इंडिया, मुंबई के सदस्य थे।

एक जाने-माने सामाजिक कार्यकर्त्ता डा. पारेख सौराष्ट्र डिवीजन आफ आल इंडिया मैनुफैक्चरर्स आर्गेनाइजेशन, भावनगर की कार्यकारी समिति के सदस्य रहे। वह मौरवी काटन मर्चेन्ट एसोसिएशन के सलाहकार और सदस्य रहे और मौरवी चैम्बर आफ कामर्स एंड इंडस्ट्री की कार्यकारी समिति के सदस्य थे।

डा. जयंतीलाल नरभेराम पारेख का निधन 96 वर्ष की आयु में 10 फरवरी, 2008 को मुम्बई में हुआ।

श्री बलबीर सिंह 1999 से 2004 तक तेरहवीं लोक सभा के सदस्य रहे तथा उन्होंने पंजाब के जालंधर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया।

इससे पहले सरदार बलबीर सिंह 1992 से लेकर 1998 तक राज्य सभा के सदस्य रहे। वह 1972 से 1977 तक पंजाब विधान सभा के सदस्य भी रहे। श्री सिंह ने 1972 से 1977 तक पंजाब सरकार में राज्य मंत्री (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा, खेलकूद व डिफेंस वेलफेयर) के रूप में कार्य किया।

श्री बलबीर सिंह 1999 से 2001 तक परिवहन एवं पर्यटन संबंधी समिति के सदस्य थे। वह 2002 से 2004 तक वाणिज्य संबंधी समिति तथा 2000 से 2004 तक संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति के सदस्य रहे।

पेशे से वकील श्री सिंह ला ग्रेजुएट एसोसिएशन आफ पंजाब के अध्यक्ष थे। वह लायलपुर खालसा कालेज फार वूमेन की गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष थे। वह शहीद बाबू लाभ सिंह मेमोरियल ट्रस्ट, जालंधर के चेयरमैन थे तथा इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वरिष्ठ उपाध्यक्ष थे। वह गुरुनानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर के सिंडिकेट व सीनेट के सदस्य भी रहे।

खेलों के प्रति रुचि रखने वाले श्री बलबीर सिंह ने पंजाब स्टेट स्पोर्ट्स काउंसिल के सदस्य तथा पंजाब ओलम्पिक एसोसिएशन के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

श्री बलबीर सिंह का निधन 69 वर्ष की आयु में 13 फरवरी, 2008 को जालंधर में हुआ।

हम अपने इन मित्रों के निधन पर गहरा शोक व्यक्त करते हैं। मैं अपनी ओर से तथा इस सभा की ओर से शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट करता हूं।

अब सभा दिवंगत आत्माओं के सम्मान में थोड़ी देर मौन खड़ी होगी।

पूर्वाह्न 11.09 बजे

तत्पश्चात् सदस्यगण थोड़ी देर मौन खड़े रहे।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: उपाध्यक्ष महोदय ...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: उपाध्यक्ष महोदय, पहले भी हमने इस मामले को उठाया था। अब फिर मणिपुर में वही घटना घट गयी। लगातार हिंदी भाषा-भाषियों का नरसंहार हो रहा है। मैं केन्द्र सरकार और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि हमारे लोगों की जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महोदय, लगातार घटनाएं घट रही हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया पहले मेरी बात सुनिए। कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं क्वैश्चन आवर सस्पेंड नहीं करना चाहता हूं और न ही यह हमारे लिए अच्छा लगता है।.

[अनुवाद]

प्रश्नकाल के पश्चात, मैं इस मामले की जांच करने का प्रयास करूंगा, मैं आपको इसमें शामिल करने का प्रयास करूंगा।

...(व्यवधान)

पूर्वाह्न 11.11 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न संख्या 281—श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील

छह लेन वाली सड़कों के निर्माण हेतु भूमि का अर्जन

***281. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत छह लेन वाली सड़कों के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन की कार्यवाही आरंभ कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी भूमि की आवश्यकता है तथा कितनी भूमि का अर्जन किया जा चुका है; और

(घ) आवश्यक भूमि का अर्जन कब तक कर लिया जाएगा?

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) अब तक स्वर्णिम चतुर्भुज के छह खंडों के ठेके सौंपे जा चुके हैं। इन दो खंडों (रारा-8 पर वडोदरा-भरूच और भरूच-सूरत) के लिए भूमि की आवश्यकता 43.5893 हेक्टेयर आंकी गई है तथा 37.835 हेक्टेयर भूमि केंद्र सरकार को सौंपने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3घ के अंतर्गत अधिसूचना जारी कर दी गई है। शेष चार खंड (राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर सूरत-दहिसार और गुड़गांव-जयपुर तथा राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर चेन्नै-टाडा और चिल्कालूरीपेट-विजयवाड़ा) 21 फरवरी, 2008 को सौंप दिए गए हैं और भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई शुरू की जा रही है। शेष खंडों के लिए परियोजनाएं सौंपे जाने के बाद कार्रवाई शुरू की जाएगी।

(ग) रियायत सौंपने के लिए संविदात्मक अपेक्षाएं पूरी करने के लिए इन परियोजनाओं हेतु भूमि पहले से ही उपलब्ध है। इंटरचेंज, एक्सीलरेशन/डिक्लेरेशन लेन, प्रवेश/निकास रैम्प आदि जैसी सुविधाओं के लिए कुछ अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता होगी और यह आवश्यकता सार्वजनिक-निजी भागीदारी मोड में डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन पद्धति के अंतर्गत रियायतग्राही द्वारा परियोजना के डिजाइन को अंतिम रूप दिए जाने पर निर्भर करती है और इसका अधिग्रहण किया जाएगा।

(घ) चूंकि ये परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं, इस स्तर पर संपूर्ण भूमि के अधिग्रहण की समय-सीमा बता पाना संभव नहीं है।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या भूमि अधिग्रहण के कार्य को नियत समय में पूरा करने के लिए सरकार भूमि-अधिग्रहण के नियमों में ढील देगी।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, फिलहाल भूमि अधिग्रहण नियमों में ढील देने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्ग-5 का संबंध है, हम चार लाइनों वाले नए 825 किलोमीटर के अन्य सात मार्गों सहित चार लेन वाले समूचे स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग को छह लेन वाला बनाने जा रहे हैं। अत: मैं नहीं समझता कि नियमों में ढील देने की किसी आवश्यकता पर विचार किया जाए।

श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: महोदय, यह पाया गया है कि सामान्यत: भूमि अधिग्रहण में देरी होती है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार भूमि अधिग्रहण विभाग, विशेषरूप से राज्य सरकारों के राजस्व विभाग को भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष सुविधाएं यथा वाहन, मशीन और सरकारी खर्चों को पूरा करने के लिए धन भी मुहैया कराके समय पर भूमि अधिग्रहण कार्य पूरा कराने का प्रोत्साहन देगी ताकि भूमि अधिग्रहण में होने वाली देरी के कारण बढ़ने वाले खर्च से बचा जा सके, जो अन्यथा हो गया होता।

श्री टी.आर. बालू: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ये सभी चीजें पहले ही प्राप्त कर चुका है। यह पहले ही 90.96 प्रतिशत भूमि अधिग्रहीत कर चुका है। मैं नहीं समझता कि नियमों और विनियमों में ढील देने की कोई आवश्यकता है।

श्री निखिल कुमार: महोदय, राजमार्गों को छह लेन का बनाने का कार्य शुरू करने के लिए मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देता हूं। लेकिन, महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को अत्यंत विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 कुछ अत्यंत व्यस्त बसावटों से गुजरता है और इससे गंभीर दुर्घटना की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। क्या माननीय मंत्री जी मेरे निर्वाचन क्षेत्र औरंगाबाद, बिहार के 'मदनपुर' नामक स्थान पर किसी प्रकार का 'बाईपास' अथवा 'अंडरपास' बनवाने की कृपा करेंगे?

श्री टी.आर. बालू: यह प्रश्न छह-लेन के लिए भूमि अधिग्रहण से संबंधित है।

उपाध्यक्ष महोदय: उनका प्रश्न इससे संबंधित नहीं है।

श्री टी.आर. बालू: जहां तक इस मुद्दे विशेष का संबंध है, यदि माननीय सदस्य आकर मुझसे मिल सकें तो मैं देखूंगा कि क्या कुछ किया जा सकता है और इस समस्या को हल करने का प्रयत्न करूंगा।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: उपाध्यक्ष महोदय, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना एनडीए सरकार के समय में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों को साकार करने के लिए प्रारंभ की गयी थी, उस समय बालू साहब भी उस सरकार के अंदर सम्मिलित थे। यूपीए सरकार के आने के बाद स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की सड़कों के प्रति काम में कुछ ढीलापन आ गया है। उसके परिणामस्वरूप निर्धारित समय में जो कार्य पूरा होना चाहिए था, वह अब तक पूरा नहीं हो पा रहा है और धीरे-धीरे फेजेज में गति बहुत शिथिल हो गयी है।

मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस शिथिलता के प्रमुख कारण क्या रहे हैं? जयपुर से गुड़गांव तक के बीच का हिस्सा और किशनगढ़ बाई-पास से लेकर राजस्थान बार्डर तक के सिक्स लेन के हिस्से की जमीन एक्वायर करने के बारे में क्या प्रगति चल रही है? जमीन एक्वायर करने की कार्यवाही कब तक पूरी हो जाएगी?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: जहां तक स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का संबंध है, इसकी पहचान और शुरूआत राजग सरकार के कार्यकाल में हुई। कोई कुछ नहीं कह रहा है। हम आपको श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी अथवा राजग सरकार, जिसने स्वर्णिम चतुर्भुज की पहचान की संकल्पना की थी, के विरुद्ध कुछ नहीं कह रहे। इस बारे में कोई विवाद नहीं है। इसके साथ ही, माननीय सदस्य को यह ज्ञात होना चाहिए कि इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना विशेष की पहचान राजग सरकार के कार्यकाल के दौरान की गई थी और इसका लक्ष्य 2001-02 रखा गया था। वस्तुत: इसकी पहचान ही ठीक ढंग से नहीं हो पाई। भूमि अधिग्रहण और कार्यान्वयन का लक्ष्य 2001-02 रखा गया था। भूमि अधिग्रहण किए बिना ही आपने यह योजना आरंभ कर दी। यहां तक कि बिना उचित प्रस्ताव, सीसीईए के अनुमोदन के बगैर ही सरकार ने योजना आरंभ कर दी। मैं यही कहना चाहता हूं कि क्योंकि मुझे सत्य कहने में कोई झिझक नहीं होती, चाहे वे मेरे पूर्व मित्र हों अथवा वर्तमान मित्र हों।

लेकिन, उस समय वे तत्काल ही एक स्वर्णिम चतुर्भुज (जीक्यू) चाहते थे। दस दिन के भीतर ही, व्यवहार्यता, प्रारंभिक सर्वेक्षण अथवा अन्य किसी सर्वेक्षण और संबंधित चीजों के बिना ही इसे अनुमति दे दी गई। इसके ब्यौरे का अध्ययन किए बिना ही उन्होंने 2001-02 का लक्ष्य रख दिया। आप ही के कार्यकाल में अनेक परियोजनाओं का ठेका नहीं दिया गया था। इसलिए हमें अच्छी और बुरी, सभी चीजें विरासत में मिली हैं। लेकिन वर्तमान में हमने लगभग समूची स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना सिवाय 196 किलोमीटर के पूरी कर ली है। 196 किलोमीटर का यह कुछ ठेकेदारों के कारण लंबित है। जिन्होंने अपना कार्य पूरा नहीं किया। अत:, आरंभिक चरण में, पूर्व-योग्यता उचित नहीं थी। भारत में यह पहली बार था कि चार-लेन का कार्य शुरू किया गया। *...(व्यवधान)*

इसके साथ ही केवल 196 किलोमीटर का ही निर्माण बचा है। यह भी अगले छह अथवा सात महीने में यथाशीघ्र पूरा कर लिया जाएगा।

श्री बसुदेव आचार्य: राष्ट्रीय राजमार्गों को चार या छह लेन का बनाने में भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्या यह है कि कोई पुनर्वास पैकेज नहीं है। यही कारण है कि लोग विरोध कर रहे हैं और अपनी जमीन देने को तैयार नहीं हैं। इससे भूमि अधिग्रहण में विलंब होता है। क्या मैं मंत्री जी से यह जान सकता हूं कि क्या जैसा कि उस विधेयक में सुझाव दिया गया है, जिसकी संवीक्षा स्थायी समिति कर रही है, अपनी भूमि खोने वालों को उनके पुनर्वास के लिए समुचित पैकेज दिया जाएगा?

श्री टी.आर. बालू: वस्तुत: मेरे मित्र सामाजिक समस्या के बारे में बात कर रहे थे क्योंकि भूमि अधिग्रहण एनएचएआई द्वारा किया जा रहा है, लेकिन वे पुनर्वास पैकेज नहीं दे रहे हैं। माननीय सदस्य ने यही कहा है। मुझे यह कहते हुए अत्यंत खेद हो रहा है कि केवल उन्हीं के राज्य में मेरे सामने काफी कठिनाईयां आ रही हैं। मुझे यह बताते हुए अत्यंत खेद है। वे मेरे पुराने मित्र हैं। वे केवल मेरे मित्र ही नहीं, बल्कि वह राज्य भी मेरे एक करीबी मित्र द्वारा शासित है। मैं उनसे दो बार मिल चुका हूं। राज्य सरकार के साथ समुचित विचार-विमर्श और अधिकारियों के बीच बातचीत होने के बावजूद भी लोग उस क्षेत्र विशेष के सर्वेक्षण तक की अनुमति नहीं दे रहे हैं। लोग उनको अनुमति नहीं दे रहे हैं। मुझे अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे एक अत्यंत प्रतिष्ठित वरिष्ठ मंत्रिमंडलीय सहयोग ने भी हस्तक्षेप किया है। इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो सका।

मेरी यही समस्या है। मैं माननीय सदस्य श्री बसुदेव आचार्य जी से हस्तक्षेप करने का अनुरोध करता हूं। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, वे एक राज्य विशेष के बारे में बात कर रहे हैं। अन्य राज्यों में भी काफी अधिक समस्याएं हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

श्री बसुदेव आचार्य: अन्य राज्यों में भी अधिग्रहण में विलंब हुआ है। आप मेरे राज्य का क्यों उल्लेख कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आचार्य जी, कृपया बैठ जाइए। मैंने आपको पहले ही अनुमति दे दी है।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: यह एक सामान्य समस्या है। *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: महोदय, यह समस्या हर जगह है। लेकिन यहां यह अत्यधिक है। मैं यही स्पष्ट करना चाहता हूं। यह असहनीय है। हम पिछले छह महीने से प्रयास कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए खेद है। *...(व्यवधान)* हमारे सभी प्रयत्नों के बावजूद भी हम हासिल नहीं कर सके। *...(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: अन्य स्थानों पर भी संतोषजनक प्रगति नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: माननीय विदेश मंत्री भी हस्तक्षेप कर चुके हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री हस्तक्षेप कर चुके हैं। इस सबके बावजूद कुछ नहीं हुआ। मैं अपने सभी मित्रों से केवल इतना ही अनुरोध करता हूं। *...(व्यवधान)* मैं अपने सभी मित्रों से केवल एक साथ मिलकर विचार-विमर्श करने और यह सुनिश्चित करने का अनुरोध करता हूं कि कुछ हो जाए ताकि मैं कम से सर्वेक्षण तो करा सकूं। तत्पश्चात हम मिलकर इसका हल ढूंढ लेंगे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: उनका एकमात्र प्रश्न यही है कि मालिकों से उनकी भूमि ले ली गई है और आप कृपया उनको मुआवजा दें। यही उनका एकमात्र प्रश्न है।

...(व्यवधान)

श्री टी.आर. बालू: महोदय, पुनर्वास सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीज है। जब तक हम पुनर्वास उपलब्ध नहीं कराते तब तक भूमि अधिग्रहीत नहीं करते। मैं माननीय सदस्यों को यही बताना चाहता हूं।

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मेरा प्रश्न सामाजिक था, उन्होंने इसे राजनैतिक बना दिया। यह राजनैतिक नहीं बल्कि एक सामाजिक प्रश्न है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि राज्यों में भूमि अर्जन में कठिनाई आ रही है। क्या केन्द्र सरकार प्रदेश सरकारों से बात करके, इसके लिए कोई अन्य उपाय निकालेगी या कोई दूसरा एक्ट पारित करेगी जिससे भूमि अर्जन करने में जो कठिनाई हो रही है, वह दूर हो सके?

उपाध्यक्ष महोदय: इसका जवाब पहले दे दिया गया है।

[अनुवाद]

माननीय मंत्री, क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

श्री टी.आर. बालू: महोदय, किसी की भी भूमि अधिग्रहीत करने के लिए पहले से जांची-परखी कानूनी प्रक्रिया मौजूद है।

हम तीन या चार नोटिस देते हैं। राजपत्र में और क्षेत्रीय भाषाओं तथा राष्ट्रीय भाषा के भी समाचार-पत्रों में अधिसूचनाएं प्रकाशित की जाएंगी। यदि कोई समस्या हो तो उसे केवल संबंधित राज्य सरकार हल करेगी। हम राज्य विशेष के राजकोष में धन जमा कराते हैं। पुनर्वास के लिए जितने धन की आवश्यकता होती है, हम वह जमा करा देते हैं। बस यही बात है। पुनर्वास सामाजिक आवश्यकता के अनुरूप राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, पिछले दिनों इन्होंने बिहार में कई सड़कों के निर्माण के लिए स्वीकृति दी, एनाउंसमेंट भी किया, जिससे पूरे बिहार में खुशहाली की लहर आ गयी, लेकिन मैं समझता हूं कि अभी तक एक भी ऐसी सड़क नहीं है, जिस पर काम शुरू हुआ हो। इसका कारण यह है कि उनके लिए अभी तक कोई राशि आवंटित नहीं हुई है। ये सभी काम पेंडिंग पड़े हुए हैं। यह वित्तीय वर्ष भी समाप्त होने वाला है, पता नहीं ये काम शुरू होंगे या नहीं। इनमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण सड़क, जिसकी स्वीकृति दी गयी है, वह मेरे संसदीय क्षेत्र पटना से मोकामा होते हुए मुंगेर तक जाने वाली सड़क है। इसको स्वीकृति मिल गयी है, लेकिन अभी तक भूमि अधिग्रहण का काम कुछ इलाकों में हुआ है, कुछ इलाकों में नहीं हुआ है। मैं जानना चाहता हूं कि इस पटना-मोकामा-मुंगेर सड़क और अन्य सड़कों के निर्माण के लिए, जिनकी स्वीकृति दी गयी है, आप क्या प्रयास करेंगे और उनके लिए कितनी राशि आवंटित करेंगे ताकि वहां के लोगों का यह सपना पूरा हो सके?

[अनुवाद]

श्री टी.आर. बालू: महोदय, सामान्यत: एनएचएआई उद्यमी को, समनुदानग्राही को वित्त प्राप्त करने, अन्य चीजों तथा बातचीत के लिए छह माह का समय देता है। महोदय, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि केवल तीन माह ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव: महोदय, वहां अभी तक एक भी रोड पर काम शुरू नहीं हुआ है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, माननीय मंत्री महोदय, आपके प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। कृपया बैठ जाइए।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, निर्माण कार्य की स्वीकृति के पश्चात छह माह का समय दिया जाता है। छह माह की अवधि के भीतर कार्य प्रारम्भ होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि मेरे मित्र किस राज्य के संदर्भ में कह रहे हैं। उन्होंने मुंगेर, बिहार के बारे में कहा है। यदि कोई मामला छह माह से अधिक का है तो मैं निश्चित तौर पर समस्या को हल करने का प्रयास करूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका धन्यवाद।

अंतरराष्ट्रीय आकार के शिपयार्डों हेतु स्थान

+

***282. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:**
श्री हरिन पाठक:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय आकार और मानकों के दो शिपयार्डों की स्थापना करने हेतु स्थानों का पता लगाने के लिए तटवर्ती राज्यों से प्रस्ताव आमंत्रित किए हैं, जैसा कि 8 जनवरी, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर तटवर्ती राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है तथा उनके द्वारा किन-किन स्थानों का सुझाव दिया गया है;

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) इन स्थानों को कब तक अंतिम रूप दे दिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) विवरण सभा के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) जी, हां।

(ख) भारत के क्रमश: पूर्वी तट और पश्चिम तट पर एक-एक अंतरराष्ट्रीय आकार का शिपयार्ड स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थल चुनने हेतु इस मंत्रालय द्वारा समुद्रीय राज्यों से अनुरोध किया गया था। किसी अंतर्राष्ट्रीय आकार के शिपयार्ड को स्थापित करने के लिए निम्नलिखित मूल आवश्यकताएं बताई गई थीं।

(1) 1000-1500 एकड़ की न्यूनतम भूमि की आवश्यकता और 2.5 किलोमीटर लम्बा तटीय नगरभाग हो।

(2) 10 से 12 मीटर तक का जल दुबाव हो।

(3) प्रस्तावित शिपयार्डों के लिए स्थल-क्षेत्र का सड़क और रेल से बेहतर संपर्क हो।

(4) यह राज्य के भीतर ही अवस्थित एक महापत्तन के निकट हो।

इसके प्रत्युत्तर में, समुद्री राज्यों द्वारा निम्नलिखित क्षेत्र सुझाए गए हैं:

क्र.सं.	राज्य का नाम	प्रस्तावित स्थल
1.	कर्नाटक की सरकार	ट्राडी पत्तन (कुन्डले तट) और बेलेकेरी पत्तन के अंतर्गत होन्ने तट
2.	केरल की सरकार	केरल-तमिलनाडु सीमा पर तिरूवनन्तपुरम जिले में पूवर
3.	उड़ीसा की सरकार	(1) नौगढ़ (अष्टरंगा), पुरी जिला (2) पालूर, गंजम जिला (3) अर्जीपल्ली, चतरपुर में गोपालपुर पत्तन, गंजम जिला (4) बहुधा मुहाना (सोनपुर), गंजम जिला
4.	आंध्र प्रदेश की सरकार	प्रकाशम जिले में वोडारेवू
5.	पश्चिम बंगाल की सरकार	अभी तक कोई विशेष स्थल प्रस्तावित नहीं किया है।
6.	गुजरात की सरकार	गुजरात की सरकार ने सलाया, जोडिया, मुन्दरा, चंच तथा पीपावाव और टुना जैसे कुछ खण्डों को प्रस्तावित किया है।

(ग) राज्य सरकारों से मिले उपयुक्त प्रस्तावों पर, संबंधित राज्य सरकारों से मंत्रालय द्वारा आगे और सूचनाएं/स्पष्टीकरण मांगे गए हैं।

(घ) नोडल अभिकरणों अर्थात् एन्नौर पत्तन लिमिटेड और मुंबई पत्तन न्यास को स्पष्ट विचारार्थ विषयों सहित परामर्शदाताओं को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, जो अन्य बातों के साथ-साथ, भारत के क्रमशः पश्चिमी तट और पूर्वी तट पर एक-एक शिपयार्ड स्थापित करने के लिए 3 या 4 वैकल्पिक स्थलों को चुनेंगे और विस्तृत औचित्य के साथ उपयुक्त स्थलों को भी सुझाएंगे। नोडल अभिकरणों द्वारा परामर्शदाता नियुक्त किए जाने के लिए प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: उपाध्यक्ष महोदय, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पोत निर्माण के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की दौड़ से बाहर हो गया है। परिमाण की दृष्टि से भारत का 90 प्रतिशत तथा मूल्य की दृष्टि से 70 प्रतिशत व्यापार जलमार्ग से होता है। उद्योग और अवसंरचनात्मक विकास में प्राथमिकताएं स्थापित करने में पोत परिवहन के साथ सौतेला व्यवहार किया है। वित्त पोषण की उच्च लागत, उच्च स्तरीय आदान, निर्माण सामग्री की उच्च लागत कठोर श्रम कानून और प्रतिकूल विनियमन आदि में सरकार के सहयोग के अभाव के कारण भारत पोत निर्माण के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा की दौड़ से बाहर हो गया है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पोत उद्योग को विश्व स्तरीय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, कुछ समय पहले संप्रग सरकार ने दो अंतर्राष्ट्रीय आकार के शिपयार्ड-एक पूर्वी तट पर और दूसरा पश्चिमी तट पर स्थापित करने का निर्णय लिया था। इस उद्देश्य हेतु दो नोडल एजेंसियों को चिन्हित किया गया। मुम्बई पोर्ट ट्रस्ट को पश्चिमी तट में सम्भावित निविदाकर्ताओं का चयन करने के लिए चुना गया तथा ऐन्नोर पोर्ट लिमिटेड को पूर्वी तट पर अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्ड स्थापित करने में रुचि दिखाने वाले लोगों का चयन करने का कार्य सौंपा गया। इन दोनों संगठनों के अध्यक्षों को इस विषय में अपनी रुचि बताने हेतु बुलाया गया। बहुत से लोगों ने इसके लिए आवेदन किया और गहरी रुचि दिखायी।

जहां तक मुम्बई का संबंध है, तीन उपक्रमों ने इसमें गहरी रुचि दिखायी। ये है एसटीएक्स कारपोरेशन, मुम्बई, एक प्रतिष्ठित कोरियन शिपयार्ड; भारती शिपयार्ड लिमिटेड, मुम्बई; और लार्सन एंड ट्यूबरो लिमिटेड, मुम्बई। इन तीनों उपक्रमों ने इस संबंध में गहरी रुचि दिखायी।

जहां तक पूर्वी तट पोत का संबंध है, ऐन्नोर पोर्ट लिमिटेड को आई.एम.सी. लिमिटेड, चेन्नई, एस्सार कन्सट्रक्शन लिमिटेड; लार्सन एंड ट्यूबरो लिमिटेड, मुंबई; मैक्न्यूलटी आफशोर कंसट्रक्शन लिमिटेड, यू.के.; गुडर्थ मारीटाइम लिमिटेड, चेन्नई; ए.बी.जी. शिपयार्ड लिमिटेड, मुम्बई; एपीजे शिपिंग लिमिटेड, कोलकाता; एस.टी.एक्स. शिपबिल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, सियोल, कोरिया; तथा शेपूर्जी पालोन्जी एंड कंपनी लिमिटेड, मुम्बई से इसमें रुचि दिखाने संबंधी पत्र प्राप्त हुए। सभी नौ उपक्रमों के लोगों ने पूर्वी तट पर शिपयार्ड की स्थापना में गहन रुचि दिखायी। अभी इसकी प्रक्रिया चल रही है।

इसके साथ ही, इसमें उचित निष्कर्ष पर पहुंचने, विशिष्ट समुद्री क्षेत्र में उचित जल क्षेत्र चिन्हित करके निविदा के दस्तावेज तैयार करने तथा अन्य बातों के लिए परामर्शदात्री सेवाओं की आवश्यकता है। यह प्रक्रिया अभी चल रही है।

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: महोदय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पोतनिर्माण के उद्देश्य से मंत्री महोदय द्वारा 'ट्रस्ट' पोर्टफोलियो में बजटीय आबंटन किया गया है। यह कब तक पूरा हो जाएगा?

श्री टी.आर. बालू: महोदय, परामर्शदात्री सेवाओं के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। निविदाएं प्राप्त होने पर उन्हें अंतिम रूप दिया जाएगा, प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। हम निविदा आमंत्रित करके उचित उपक्रम का चयन करेंगे। इन्हें बी.एफ.ओ. डिजायन निर्माण, वित्तपोषण और संचालन-माडल आधार पर बनाया जाएगा।

श्री हरिन पाठक: महोदय, अंतर्राष्ट्रीय आकार के शिपयार्ड स्थापित करने के लिए श्री बी. बुद्धिराजा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। अध्यक्ष श्री बी. बुद्धिराजा द्वारा की गयी सिफारिशों के अनुरूप उन्होंने पश्चिमी तट पर गुजरात में पिपावाव और मुन्द्रा दो स्थानों का चयन किया है। इसके माननीय मंत्री महोदय के पत्रव्यवहार और गुजरात के मुख्यमंत्री के 7.1.08 को दिये गए उत्तर के पश्चात मुन्द्रा में अंतर्राष्ट्रीय आकार के शिपयार्ड की स्थापना का प्रस्ताव भेज दिया गया है।

मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा? यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा कब तक इस प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा?

श्री टी.आर. बालू: माननीय प्रधानमंत्री के परामर्श पर हमने पूर्वोपाय किये हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से सभी सातों तटवर्ती इलाकों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे और लगभग सभी के उत्तर प्राप्त किये। गुजरात के मुख्यमंत्री ने भी प्रत्युत्तर दिया है। गुजरात सरकार ने कुछेक खंडों जैसे सलाया, जोडिया, मुन्द्रा, जांच, पिपावाव और टूना का प्रस्ताव दिया है परन्तु उन्होंने नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव नहीं दिया है। बुद्धिराजा समिति के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्ड के लिए न्यूनतम 3 लाख डीडब्ल्यूटी क्षमता स्थापित की जानी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: आपने 14 नवम्बर, 2007 को पत्र लिखा था, हमारे मुख्यमंत्री ने अपेक्षानुसार 7 जनवरी, 2008 को इसका जवाब दिया। इसके लिए और क्या आवश्यक सूचना प्रदान की जानी चाहिए?

उपाध्यक्ष महोदय: अब भूमि का प्रश्न है।

श्री हरिन पाठक: महोदय, हम इसके लिए तैयार हैं।

श्री टी.आर. बालू: महोदय, मेरे मित्र के लिए मेरा जवाब यह है कि इसके लिए कौन सा विशिष्ट पत्तन विकसित किया जाए? उन्होंने बहुत से पत्तनों का उल्लेख किया है। कौन से पत्तनों का और किस सीमा तक विस्तार किया जाना है। हमें न्यूनतम 2.5 कि.मी. जल क्षेत्र की आवश्यकता है; जो कि 1000 एकड़ से 1500 एकड़ भूमि के बीच स्थित हो; इसमें 10 मीटर से 12 मीटर तक गहरा पानी हो; इस विशिष्ट पत्तन को रेल नेटवर्क और राजमार्ग से भी जुड़ा होना चाहिए और मुख्य पत्तनों से भी इसका सम्पर्क होना चाहिए। यह सभी मुद्दे इसमें शामिल हैं।

आपके मुख्यमंत्री ने निम्नलिखित मुद्दों के बारे में नहीं बताया है। सरकार को कितना भूमि क्षेत्र दिया जाएगा? इसके लिए चुने गए क्षेत्र विशेष का अक्षांश और देशान्तर क्या है? कौन सा पत्तन चिन्हित किया गया है? मैं इस मामले में बहुत विशिष्ट जानकारी चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उनकी बात ध्यान से सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: एक प्रस्ताव दिया गया है और हमारे मुख्यमंत्री और गुजरात इसके लिए तैयार हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: मैं आपका प्रस्ताव कैसे स्वीकार कर सकता हूं? इसके लिए कौन सा क्षेत्र चुना गया है। कौन सा पत्तन चिन्हित किया गया है? ...*(व्यवधान)*

श्री हरिन पाठक: हम अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री हरिन पाठक, कृपया पहले उनकी बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री हरिन पाठक, कृपया पहले माननीय मंत्री महोदय की बात सुनें।

...*(व्यवधान)*

श्री टी.आर. बालू: मुझे आपके मुख्यमंत्री का पत्र प्राप्त हुआ था। यदि कुछ किया जा सकेगा तो हम इसके लिए गुजरात पर विचार करेंगे। परन्तु जहां तक समयावधि का प्रश्न है, इससे संबंधित सभी मुद्दों को देखना होगा। हमें सभी पत्तनों से संबंधित सूचना प्राप्त करनी होगी।

हमने सभी सातों तटवर्तीय राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखे थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के सिवाय किसी अन्य मुख्यमंत्री ने नि:शुल्क भूमि का प्रस्ताव नहीं किया है। आंध्र प्रदेश ही एकमात्र ऐसा राज्य है जिसने स्थान का चुनाव लगभग कर लिया है और इस विशिष्ट भूमि क्षेत्र को नि:शुल्क उपलब्ध कराने का प्रस्ताव किया है।

श्री नवीन जिन्दल: मैं माननीय मंत्री महोदय को देश के सभी पत्तनों और शिपयार्डों के संबंध में की गयी अच्छी प्रगति पर बधाई देता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: बेहतर होगा कि आप माननीय मंत्री महोदय के समक्ष अपना प्रश्न रखें।

श्री नवीन जिन्दल: जी हां, महोदय। भारत एक विशाल देश है और माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। यदि अधिक राज्य पत्तनों के बिकास हेतु कदम उठायेंगे तो बेहतर होगा।

यह प्रश्न केवल दो पत्तनों से संबंधित है। क्या सरकार अधिकाधिक पत्तनों के संबंध में विचार करेगी। मैं यह प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बहुत सी कम्पनियों ने पत्तनों के विकास में रुचि दिखायी है। क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि जहां भी सम्भव हो वहीं पत्तनों का निर्माण किया जाए।

श्री टी.आर. बालू: प्रिय मित्र, यह विशिष्ट प्रश्न शिपयार्ड से संबंधित है परन्तु मेरे मित्र सभी पत्तनों के बारे में पूछ रहे हैं। सभी प्रमुख पत्तनों का विकास किया जा रहा है। हमने लगभग 276 पत्तन परियोजनाओं को चिन्हित किया है और लगभग सभी परियोजनाओं पर अंतिम निर्णय लिया जा रहा है। इनमें से कुछ परियोजनाएं प्रक्रियाधीन स्तर पर हैं; कुछ कार्य प्रारम्भ किये जाने के स्तर पर हैं; और कुछ परियोजनाएं कार्य सौंपे जाने के स्तर पर हैं।

जहां तक प्रमुख पत्तनों का संबंध है, भारत सरकार सभी पत्तनों का विकास कर रही है। इसके साथ ही, यदि कोई राज्य स्वयं किसी पत्तन विशेष को विकसित करना चाहता है तो हम निश्चित तौर पर परामर्श सेवाओं के संबंध में उन्हें सहायता देंगे।

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या वर्तमान समय में कोचीन शिपयार्ड के विस्तार और विकास की कोई योजना है क्योंकि वेल्लारपदम कंटेनर टर्मिनल के अस्तित्व में आने के पश्चात, कोचीन शिपयार्ड का महत्व काफी बढ़ जाएगा। कोचीन शिपयार्ड के विकास की क्या योजना है?

श्री टी.आर. बालू: महोदय, कोचीन शिपयार्ड वित्तीय संकट से उबर चुका है और पिछले दो वर्ष से भारत सरकार को लाभांश दे रहा है। इसके साथ ही, भूमि की कमी के कारण इस शिपयार्ड विशेष के विस्तार में समस्या आ रही है। यदि इस शिपयार्ड के आसपास भूमि का कोई भाग मिलेगा तो निश्चित रूप से इस पर विचार किया जाएगा क्योंकि इसकी स्थिति में सुधार करने और अंतर्राष्ट्रीय आकार और स्तर का शिपयार्ड बनाने के लिये यह सर्वोत्तम स्थल है। वेल्लारपदम के निर्माण पर काफी ध्यान दिया जा रहा है और यह निर्माण अवधि अर्थात् वर्ष 2009 तक पूरा हो जाएगा।

डा. पी.पी. कोया: अब पोत और शिपयार्ड का समय आ गया है। विश्व भर में पोत निर्माण की मांग बहुत अधिक है। यह एक अच्छी बात है कि मंत्री महोदय ने अंतर्राष्ट्रीय आकार और मानक वाले पोत निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह शिपयार्ड प्रस्तावित मैरीटाइम विश्वविद्यालय के समीप होगा।

श्री टी.आर. बालू: कौन सा शिपयार्ड?

डा. पी.पी. कोया: मैरीटाइम विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव पहले ही दिया जा चुका है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैरीटाइम विश्वविद्यालय के बारे में कहा जा रहा है।

डा. पी.पी. कोया: क्या मैरीटाइम विश्वविद्यालय प्रस्तावित राष्ट्रीय शिपयार्ड के निकट होगा?

श्री टी.आर. बालू: मैरीटाइम विश्वविद्यालय के लिए इस विशिष्ट सुविधा की आवश्यकता नहीं है।

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, केरल सरकार ने तमिलनाडु सीमा पर 'पूवार' में अंतर्राष्ट्रीय शिपयार्ड के संबंध में प्रस्ताव दिया है। तिरूवनंतपुरम जिले में 'पूवार' केरल-तमिलनाडु सीमा पर स्थित है और इस स्थान का सुझाव केरल सरकार द्वारा दिया गया था। यह विझिनजाम पत्तन के काफी निकट है। विझिनजाम अंतर्राष्ट्रीय पत्तन के संबंध में विश्व स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। केरल सरकार ने इसे स्वीकृति दे दी है और इस संबंध में विश्व स्तर पर निविदाएं आमंत्रित की गयी हैं। इसमें कुछ कठिनाईयां थी क्योंकि चीन की कतिपय फर्मों ने भी निविदाएं दी थी और सुरक्षा कारणों से इस प्रक्रिया को छोड़ना पड़ा। मुझे पता है कि श्री बालू ने भी इसे बहुत महत्व नहीं दिया, लेकिन यह एक अन्य मामला है आपकी रुचि अन्य विषयों में है। परन्तु मैं बताना चाहता हूं कि केरल सरकार ने इस संबंध में प्रयास किये और विश्व स्तर पर

निविदाएं आमंत्रित की और इन निविदाओं को स्वीकार भी किया गया। यह विझिनजाम पत्तन 'पूवार' के बहुत नजदीक है, मात्र एक या दो किलोमीटर की दूरी पर है। श्री बालू का राज्य भी इस स्थल से एक या दो किलोमीटर की दूरी पर है। उन्हें इसमें विशेष रुचि लेनी चाहिए क्योंकि यह तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब, आप अपना प्रश्न पूछें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: आपने दो (नोडल) शीर्ष एजेंसियां नियुक्त की हैं जो कि परामर्शदाता नियुक्त करेंगी। परन्तु ऐसा नहीं किया गया। आपके द्वारा सुझायी गयी सभी अपेक्षाएं जैसे 100 एकड़ भूमि, अंतर्राष्ट्रीय मानको के अनुसार विकसित पत्तन से निकटता और संचार सुविधाएं आदि पूवार में उपलब्ध हैं। पूवार शिपयार्ड में सभी अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं। अत: बिना किसी पूर्वाग्रह के तमिलनाडु-केरल सीमा पर स्थित पूवार में इस प्रस्तावित शिपयार्ड के निर्माण के मामले में निष्ठापूर्वक विचार किया जाए। हम दोनों इसी राज्य के बारे में सहमत हैं।

सभी प्राकृतिक सुविधाएं वहां उपलब्ध हैं। आप मेरी बात समझते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका धन्यवाद। आपका सुझाव आ गया है। कृपया अब बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: वहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यह नागरकोइल के बहुत निकट है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब आप बैठ जाइए।

श्री वरकला राधाकृष्णन: यह तिरूवनंतपुरम के बहुत नजदीक है और यहां सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां पास ही एक अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन भी है। आप कृपया इसे स्वीकृति दिलवाएं।

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने सुझाव दे दिये हैं और इसमें प्रत्युत्तर की कोई मांग नहीं की गयी है।

श्री टी.आर. बालू: मेरे मित्र द्वारा यह प्रश्न उठाने से मुझे एक तमिल सूक्ति याद आ रही है-यादूम ऊरे यावरूम कीलीर-जिसका मतलब है कि सभी स्थान मेरे अपने हैं और सभी मेरे बंधु-बान्धव हैं। अत: इसका अर्थ यह नहीं है कि केरल श्री राधाकृष्णन का है और तमिलनाडु मेरा। हम सभी भारतीय हैं। मैं भारत की संसद में भारतीय सांसदों के प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूं ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। नहीं, कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री बालू के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री टी.आर. बालू: हम सभी मित्र हैं। राजनीतिक सम्बद्धताओं के बावजूद, दलगत राजनीति से परे हम सब मित्र और बंधु-बान्धव हैं।

इसके साथ ही मैं अपने मित्र श्री राधाकृष्णन के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगा। उन्होंने पूवार के बारे में पूछा है। केरल के माननीय मुख्यमंत्री ने तिरूवनंतपुरम जिले के पूवार क्षेत्र के बारे में लिखा था। यह केरल-तमिलनाडु सीमा पर है। वह यहां शिपयार्ड बनाना चाहते हैं। यह ठीक है परन्तु उन्होंने किसी भूमि या जलक्षेत्र आदि का उल्लेख नहीं किया है। इसके बारे में कैसे विचार किया जाए? ...*(व्यवधान)* राज्य विशेष को यह भी लिखित में बताना होगा कि इसकी लागत क्या होगी—क्या नि:शुल्क आधार पर है या भुगतान आधार पर। समुद्र और उपलब्ध तटीय नगर भाग का प्रारूप क्या है? क्या यह निकटस्थ रेलवे स्टेशन, रेल लाईन या राष्ट्रीय राजमार्ग आदि से जुड़ा हुआ है। यह प्रारम्भिक चरण में है: मुझे इसका खेद है, मेरे मित्र, श्री राधाकृष्णन आप परेशान न हों। परन्तु तथ्य यही है।

वन्यजीव गलियारों की स्थापना

+

*283. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से मानव और वन्य जीवों के बीच निकटता को न्यूनतम करने के उद्देश्य से वन्यजीव गालियारों की स्थापना करने के प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो वन्यजीव गलियारों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में इन गलियारों की स्थापना के लिए निजी भूमि खरीदने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

विवरण

(क) और (ख) मंत्रालय में राज्य में हाथी गलियारों की स्थापना करने के लिए केरल सरकार से केवल एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस परियोजना की कुल लागत 789 लाख रुपए और अवधि 2008-09 से 2012-13 तक है।

राज्य सरकार द्वारा निम्नलिखित गलियारों की पहचान की गई है:-

(1) ब्रह्मागिरि-तिरूनेल्ली गलियारा (ब्रह्मगिरि अभयारण्य और उत्तर वायानाड प्रभाग के बीच)।

(2) पेरियार गलियारा

(3) पकरान्थलम गलियारा

(4) पल्लीवायाल-तत्तूर गलियारा

पहले चरण में पेरियार गलियारें में 131.5 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है।

(ग) मंत्रालय द्वारा ऐसे सभी प्रस्तावों पर मौजूदा दिशानिर्देशों और भूमि की उपलब्धता के अनुसार विचार किया जाता है।

(घ) केन्द्रीय सरकार के पास ऐसे गलियारों को स्थापित करने के लिए प्रत्यक्ष रूप से निजी भूमि खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री पी.सी. थामस: हम पोत से हाथी के विषय पर आ रहे हैं।

महोदय, पारिस्थिकीय कारणों और साथ पर्यावरण की खातिर हाथी सहित वन्यजीव का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां तक हाथियों का संबंध है तो पालतू हाथी मनुष्यों के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगा कि बड़े पैमाने पर हाथियों का संरक्षण करने और मनुष्यों तथा हाथियों सहित वन्यजीव और मनुष्यों के बीच टकराव की घटनाओं में कमी लाने अथवा उन्हें न्यूनतम करने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है।

श्री एस. रघुपति: गलियारे ऐसे क्षेत्र हैं जो वन्यजीव की एक पर्यावास से अन्य पर्यावास में आवाजाही को सुविधाजनक बनाते हैं। गलियारे वन्य जीव के लिए भी प्रासंगिक हैं परंतु इनका लंबी दूरी के क्षेत्र वाले वन्य जीव हाथियों के लिए विशेष महत्व है। हम कदम उठा रहे हैं। ऐसे में, हमें सिर्फ केरल सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसके लिए उन्होंने हाथी गलियारे बनाने हेतु सहायता करने के लिए चार स्थलों की पहचान की है।

श्री पी.सी. थामस: भारत सरकार के पास एक अच्छी योजना है और केरल सरकार ने प्रस्ताव दिया है। प्रतीत होता है कि प्रस्ताव केवल यही है।

परंतु मैंने इस प्रस्ताव पर सरकार की प्रतिक्रिया के संबंध में प्रश्न पूछा था। यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जैसा हम कुछ उत्तरों में देखते हैं, एक सामान्य विवरण बना दिया गया है दिशा-निर्देशों आदि के आधार पर प्रत्येक बात पर विचार किया जाएगा। यह मेरा प्रश्न नहीं था। मेरा प्रश्न विशिष्ट प्रस्ताव के संबंध में था। माननीय मंत्री ने कहा कि सिर्फ केरल सरकार ने प्रस्ताव दिया है। मुझे अति प्रसन्नता है कि केरल सरकार ने इस तरह प्रस्ताव दिया है क्योंकि केरल के वनों में हाथियों का पर्याप्त घनत्व बिल्कुल उतना ही है। जितना कि केरल में व्यक्तियों का पर्याप्त घनत्व है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री पी.सी. थामस: मैं 135 हैक्टेयर भूमि पर फैली इस विशेष परियोजना और विशेषकर केरल के वायनाडा जिले और कन्नूर जिले के वन्यजीव क्षेत्रों तमिलनाडु और कर्नाटक में हाथियों के आने-जाने हेतु गलियारे या परंपरागत पथ के संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया जानना चाहूंगा। यह हाथियों के परिरक्षण और संरक्षण के लिए अति महत्वपूर्ण है।

अत: मैं इस परियोजना के संबंध में नियमित दिशा-निर्देशों के बजाय सुस्पष्ट उत्तर चाहूंगा।

श्री एस. रघुपति: राज्य सरकार का प्रस्ताव उन प्रवासी मार्गों सहित निजी भूमि का अधिग्रहण करने के लिए है जो हाथियों के परंपरागत मार्ग हैं ताकि मनुष्य वन्य जीवों के टकराव की घटनाओं को कम करके न्यूनतम किया जा सके। राज्य ने निम्नलिखित गलियारों की संवर्धन शील गलियारों के रूप में पहचान की है:

1. ब्रह्मगिरि-तिरूनेल्ली गलियारा
2. पेरियार गलियारा
3. पकरान्थलम गलियारा
4. पल्लीवायाल-तत्तूर गलियारा।

प्रथम चरण में पेरिया गलियारे में निम्नलिखित बस्तियों को अधिग्रहण किए जाने का प्रस्ताव है। हमें कोट्टूर में 34 परिवारों और पेरिया में 171 परिवारों को बसाना है। हमें कोट्टूर क्षेत्र में 36.5 हेक्टेयर और पेरिया में 95 हैक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करना

होगा। सरकार ने प्रति हैक्टेयर 6 लाख रुपये के मुआवजे के लिए कहा है। परियोजना की कुल लागत 788 लाख रुपये है और परियोजना की अवधि वर्ष 2008-09, 2012-13 पांच वर्ष की है। गलियारों का संरक्षण और विकास हाथी परियोजना का एक मुख्य उद्देश्य है। तथापि, बजटीय बाध्यताओं के कारण सारे राज्यों की सभी अपेक्षाओं को पूरा करना संभव नहीं है। अतः प्रस्ताव को गलियारे के विकास हेतु अतिरिक्त वित्तपोषण के अनुरोध के साथ योजना आयोग को भेजा गया है।

[हिन्दी]

चौधरी लाल सिंह: महोदय, हम आपके पास कई स्टेट्स के प्रपोजल आए हैं, हमारी स्टेट जम्मू-कश्मीर में एक खूबसूरत एरिया है, जहां वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी है, जिसे जसोटा कहते हैं, वह कठुआ डिस्ट्रिक्ट में है। मैं जानना चाहता हूं क्या इसके लिए कोई प्रपोजल मंगाएंगे या हमें कुछ करना, वह बताएं? वहां वाइल्ड लाइफ सेंचूरी में जानवर हैं लेकिन वहां ग्रैबिंग हो गई है, कब्जा हो गया है जिससे बहुत अच्छा एरिया बर्बाद हो रहा है। क्या सरकार इसके लिए कुछ करना चाहती है?

[अनुवाद]

श्री एस. रघुपति: हम राज्य सरकार से अनुरोध करते हैं कि प्रस्ताव को हमारे पास भेजें। तत्पश्चात् हम उस पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मिलिन्द देवरा—अनुपस्थित।

श्री अरुण कुमार शर्मा: महोदय, पूर्वोत्तर क्षेत्र में वन्यजीव पर्यावास घटने के कारण बड़ी संख्या में वन्य हाथी मानव रिहायशी क्षेत्रों की ओर पलायन कर रहे हैं जिसके कारण मानव-वन्य जीवों के टकराव की घटनाएं हो रही हैं। गैंडे के शिकार की भी काफी घटनाएं हो चुकी हैं। एक सींग वाला गैंडा प्रसिद्ध वन्यजीव है और वह केवल काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। हाल ही में एक सींग वाले गैंडे के शिकार की कई घटनाएं हुई हैं। मैं माननीय मंत्री से विशिष्ट रूप से जानना चाहूंगा कि क्या भारत सरकार स्वयं अपने आप वन्यजीव गलियारा बनाएगी जिसकी एक सींग वाले गैंडे और हाथी की रक्षा करने हेतु असम के लिए विशेष रूप से आवश्यकता है। मैं मंत्री जी से यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार गैंडे के शिकार को बाघ के शिकार के साथ सम्मिलित करेगी जो कि भारत सरकार का नया मिशन है।

श्री एस. रघुपति: भारत में मंत्रालय ने 138 राज्य गलियारों, 28 अंतरराज्यीय गलियारों और 70 अंतर्राष्ट्रीय गलियारों की पहचान की है जिसका क्षेत्र लगभग 1600-2000 वर्ग कि.मी. है। यदि गैंडों और वन्य वन्यजीवों के लिए इसे गलियारों में परिवर्तित करने का कोई प्रस्ताव आता है तो हम इस पर विचार करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: सरकार इस पर विचार करेगी।

श्रीमती मेनका गांधी: मंत्री के उत्तर के अनुसार सिर्फ एक राज्य ने गलियारे हेतु भूमि की मांग की है और इस पर भी सरकार यह उपलब्ध नहीं करा पाई है क्योंकि इसने इसे योजना आयोग की अनुमति तथा और धनराशि के साथ मिला दिया। हाथी परियोजना में प्रतिवर्ष कई सौ करोड़ रुपये लगाए जाते हैं। बाघ परियोजना को भी और धनराशि मिली है। आप राज्यों द्वारा आवेदन करने की प्रतीक्षा क्यों कर रहे हैं?

निश्चित रूप से आपका एक दृष्टिकोण है जिसमें आप निर्णय ले सकते हैं कि गलियारे के लिए कौन सी भूमि की आवश्यकता है और वास्तव में आप स्वयं आगे बढ़ सकते हैं और इसे अपने आपसे कर सकते हैं।

दूसरे, इसके बारे में विशिष्ट रूप से मैं एक उदाहरण दूंगी। अबोहर काले हिरण का अंतिम स्थल है। काले हिरण इसलिए अस्तित्व में हैं क्योंकि बिश्नोई परिवारों के 13 गांव काले हिरणों की देखभाल करते हैं। गत वर्षों में अबोहर में प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी जोतों की संख्या घटा दी थी और उन्होंने दो से तीन एकड़ भूमि की बाड़ लगानी शुरू कर दी थी। इसके परिणामस्वरूप काले हिरणों के पास खाने के लिए कुछ नहीं रहा, कहीं जाने की जगह नहीं रही और वे शिकारियों के रहम पर जीने लगे हैं। वहां 2000 एकड़ भूमि खरीदना और वहां पर काले हिरण के लिए अभयारण्य बनाना संभव नहीं है? अब यह अति सरल प्रक्रिया है। अतः आप इस कार्य को अपने आप क्यों नहीं करते हैं?

श्री एस. रघुपति: महोदय, राष्ट्रीय उद्यान, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत हमने बाघ राज्यों अथवा हाथी गलियारों वाले सारे राज्यों को धनराशि आबंटित की है। परंतु यह नया प्रस्ताव है कि वे हाथी गलियारे के लिए निजी भूमि खरीदना चाहते हैं। यदि सभी राज्य ऐसा ही अनुरोध करेंगे तो हम योजना आयोग से प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध कर सकते हैं। अन्यथा, हाथी परियोजना, बाघ परियोजना और राष्ट्रीय उद्यानों के अंतर्गत सारे राज्यों को धनराशि आबंटित की गई है। परंतु यह भूमि को खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: वह जानना चाहती हैं कि क्या आप कुछ अपने आप कर सकते हैं।

श्री एस. रघुपति: महोदय, हम अपने आप कुछ नहीं कर सकते हैं। परन्तु हम धनराशि आबंटित कर रहे हैं और यदि राज्य सरकारें भूमि खरीदना चाहें तो वे ऐसा कर सकती हैं।

श्री सुनील खां: महोदय, एक बाघ परियोजना को झारखंड के सीमावर्ती क्षेत्रों में और पश्चिम बंगाल के बांकुरा और मिदनापुर

जिले में भी शुरू किया गया है। परंतु इन परियोजनाओं को पूरा न किए जाने के कारण हाथी धान के क्षेत्रों की ओर बढ़ रहे हैं। जिसके कारण हाथियों द्वारा किसानों को मारा जा रहा है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार इस परियोजना को पूरा करने के लिए तैयार है ताकि हाथियों का पुनर्वास किया जा सके।

श्री एस. रघुपति: महोदय, वन का विषय समवर्ती सूची में आता है। अत:, इसकी जिम्मेदारी केन्द्र और राज्य सरकार दोनों की है। इसी के साथ ही बाघ परियोजना के अंतर्गत लोगों के पुनर्वास हेतु मुआवजे की राशि को बढ़ाकर दस लाख रुपये कर दिया गया है। हम अन्य योजनाओं के संबंध में भी इसे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी: मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या असम की राज्य सरकार ने भारत-भूटान सीमा तथा असम-अरुणाचल प्रदेश सीमा पर जानवरों के लिए गलियारा बनाने का कोई प्रस्ताव भेजा है। वन क्षेत्रों के तेजी से सिकुड़ने के कारण इंसानों और हाथियों में टकराव हो रहा है। अधिकांश हाथी पहाड़ों और वनों के सीमावर्ती क्षेत्रों से उतर कर मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। अच्छी-खासी संख्या में लोग मारे जा चुके हैं परन्तु सरकार ने कुछ नहीं किया है। मेरे बोडोलैंड क्षेत्र में विश्व-प्रसिद्ध विरासत स्थल-मानस अभयारण्य और दूसरा राजीव गांधी वन अभ्यारण्य उपस्थित हैं। इन दो अभ्यारण्यों के विकास के लिए सरकार ने कुछ नहीं किया है। अत:, मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि आप कौन सा नीतिगत निर्णय लेने जा रहे हैं।

श्री एस. रघुपति: महोदय, मैंने आरम्भ में ही बताया था कि यहां 138 राज्य गलिआरे, 28 अंतर-राज्यीय गलियारे तथा 17 अंतर्राष्ट्रीय गलियारे हैं। भारत-भूटान क्षेत्र में 4 गलियारे हैं; भारत-बंगलादेश क्षेत्र में 6 गलियारे हैं, भारत-म्यांमार क्षेत्र में 4 गलियारे हैं और भारत-तिब्बत क्षेत्र में 3 गलियारे हैं।

जहां तक इंसानों और जानवरों के बीच संघर्ष का संबंध है, ऐसे टकरावों में मुख्य रूप से हाथी और तेंदुए शामिल होते हैं। अत: तेंदुए के अलावा इसमें हाथी व अन्य जानवर भी सम्मिलित होते हैं। इंसानों और जानवरों में बढ़ते टकराव के विभिन्न कारण हैं और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण कारण हैं जानवरों की संख्या में वृद्धि जानवरों के प्राकृतिक वास की कमी, विकासकारी गतिविधियों के कारण गलियारों में हस्तक्षेप, फसल के तरीकों में परिवर्तन, मानवीय जनसंख्या में वृद्धि आदि। ये कारण हैं और अभ्यारण्यों में बंध बनाए जा रहे हैं।

तंबाकू उत्पादों पर चेतावनी

+

*284. **श्री एम. अप्पादुरई:**
श्री एम. शिवन्ना:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तंबाकू उत्पादों के लिए पैंकिंग के बाहर स्वास्थ्य चेतावनी के साथ खतरे के निशान का लोगो लगाना अनिवार्य है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कुछ तंबाकू उत्पादों को इस कानूनी अपेक्षा से छूट दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी तम्बाकू उत्पादों को इस विनियमन के अंतर्गत लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

"सिगरेट एवं अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार एवं वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2003" की धारा 8 में सिगरेट अथवा अन्य तम्बाकू उत्पादों के प्रत्येक पैकेज पर विनिर्दिष्ट चेतावनियां देने का प्रावधान है। विधिक उपबंधों में अभिकल्पना की गई है कि विनिर्दिष्ट स्वास्थ्य चेतावनी

(क) सुपाठ्य एवं सुव्यक्त होगी।

(ख) आकार एवं रंग के संबंध में सुस्पष्ट होगी।

सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद (पैकेजिंग एवं लैबेलिंग) नियम, 2006 को 5 जुलाई, 2006 को अधिसूचित किया गया था और उपबंध 1 फरवरी, 2007 को प्रवृत्त होने थे। दिनांक 29.09.2007 की अधिसूचना सा.का.नि. 633(अ) के तहत उक्त अधिनियम एवं नियमों में एक संशोधन किया गया था जिसके द्वारा खोपड़ी तथा हड्डी के अनिवार्य चित्रण को वैकल्पिक बना दिया गया था और तदनुसार नियमों में संशोधन किए गए थे।

संशोधित नियम 16 मार्च, 2008 को अधिसूचित किए गए हैं। नियमों के कार्यान्वयन की तारीख से संबंधित निर्णय लंबित है

क्योंकि यह मामला शिमला उच्च न्यायालय में न्यायाधीन है और इस पर सुनवाई की अगली तारीख अर्थात् 24 मार्च, 2008 को निर्णय लिया जाएगा। किसी भी तम्बाकू उत्पाद को सचित्र चेतावनी से छूट नहीं है।

*श्री एम. अप्पादुरई: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे माननीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर में अपने प्रश्न से संबंधित ब्यौरा नहीं मिला है। यद्यपि, हम यह कह रहे हैं कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हम यह पाते हैं कि पूरे देश में प्रत्येक पान की दुकान पर सिगरेट और बीड़ी खुलेआम बेचे जा रहे हैं। केन्द्र सरकार वर्ष 2006 में एक विधान लाई थी और उन्होंने पहली बार वर्ष 2007 के पूर्वार्ध में इसमें संशोधन किया तथा दूसरी बार 2007 के उत्तरार्ध में इसमें संशोधन किया। केवल वीडियो को अलग किया गया और उनके पैकिटों पर खोपड़ी और हड्डी का निशान बनाया गया है। बाजार में सभी किस्म की बीड़ियां और सिगरेट उपलब्ध हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जबकि वह यह दावा करती है कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है तो वह धूमपान के खतरे को प्रभावी रूप से समाप्त करने के लिए क्या कदम उठा रही है। कई कंपनियां पान उत्पाद बेच रही हैं और यह दावा कर रही हैं कि उनमें तम्बाकू नहीं है जो कि सच्चाई के विपरीत है। अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में क्या कदम उठा रही है?

*डा. अंबुमणि रामदास: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार लोगों में स्वास्थ्य और अच्छी आदतों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठा रही है और धूम्रपान तथा तम्बाकू उत्पादों के उपयोग को हतोत्साहित करने हेतु कदम उठा रही है। हमने 2003 में सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान का निषेध करने के लिए कानून बनाया था। हमने लोगों को धूम्रपान करने हेतु प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आकर्षित करने वाले विज्ञापनों पर भी रोक लगाई है। हमने उपासना-स्थलों तथा शैक्षिक संस्थाओं के निकट तम्बाकू के विज्ञापनों को रोकने के लिए भी उपायों को कार्यान्वित किया है। ऐसे होर्डिंग इन स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर होने चाहिएं और यह कानूनी रूप से अनिवार्य है। इस संबंध में विभिन्न संकल्प और उपाय किए गए हैं। यह भी कहा गया है कि सभी तम्बाकू उत्पादों पर यह वैधानिक चेतावनी लिखी होनी चाहिए कि धूम्रपान और तम्बाकू का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस संबंध में इस महीने की 18 तारीख को एक ज्ञापन जारी किया गया है और हम यह आशा करते हैं कि इसे अगले दो-तीन महीनों में पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। हम यह आशा करते हैं कि इन परिस्थितियों में व्यापक बदलाव आएगा। इसके बाद सभी तम्बाकू उत्पादों पर वैधानिक चेतावनी छपी होगी।

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

*श्री एम. अप्पादुरई: उपाध्यक्ष महोदय, धूम्रपान के बारे में ये वैधानिक चेतावनियां कुछ टी.वी. चैनलों तथा कुछ समाचार-पत्रों में देखी जा सकती हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाए जाएंगे कि सभी टी.वी. चैनल और समाचार-पत्र इस चेतावनी को समान रूप से इन्हें प्रसारित और प्रकाशित करें। यह भी बताया जाता है कि मद्यपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है परन्तु सरकार स्वयं लोगों को शराब बेचती है। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि मद्यपान, जो कि धूम्रपान की भांति ही स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, के खतरे को समाप्त करने हेतु क्या कदम उठाए जाएंगे।

*डा. अंबुमणि रामदास: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, देश में प्रत्यक्ष और परोक्ष विज्ञापनों पर रोक लगाने हेतु कानून हैं। टी.वी. चैनलों और समाचार-पत्रों से इस कानून का पालन करने के लिए कहा गया है जिससे कि धूम्रपान और मद्यपान को हतोत्साहित किया जा सके और तम्बाकू उत्पादों तथा शराब को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों को रोका जा सके। इसके अतिरिक्त, हमारे मंत्रालय ने 24 फरवरी को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाया था जिसके फलस्वरूप सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भी मीडिया को निर्देशित करते हुए ऐसा ही परिपत्र जारी किया है जिसमें मीडिया से प्रत्यक्ष और परोक्ष विज्ञापनों पर रोक लगाने के लिए कहा गया है।

हम आश्वस्त हैं कि इन उत्पादों को बढ़ावा देने वाले विज्ञापनों तथा परोक्ष विज्ञापनों का प्रसारण नहीं होगा।

*श्री एम. शिवन्ना: महोदय, "कभी नहीं से देर भली"। यद्यपि, इसमें बहुत विलंब हो चुका है कम से कम अब तो सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या वे तत्काल प्रभाव से इस चिह्न को अनिवार्य बनाने जा रहे हैं। यदि हां, तो कृपया ब्यौरा दें।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

केंद्रीय सड़क निधि

*285. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राज्य की सड़कों के विकास हेतु केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि एकत्रित की गई;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य से पेट्रोल तथा डीजल से एकत्रित उपकर के अनुपात में राज्यों को इस निधि से उनका हिस्सा नहीं दिया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूर्वोक्त धनराशि का उपयोग करके देश में राज्य-वार निर्मित/विकसित सड़कों की कुल लंबाई कितनी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) पेट्रोल और डीजल पर एकत्रित उपकर का उपयोग राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण, ग्रामीण सड़कों के विकास, अंतर्राज्यीय संपर्क और आर्थिक महत्व की सड़कों सहित अन्य राज्यीय सड़कों के विकास और अनुरक्षण, पुल के रूप में रेल लाइन के नीचे अथवा ऊपर सड़कों के निर्माण तथा मानव रहित रेल-रोड क्रासिंग पर सुरक्षा कार्यों के निर्माण के लिए किया जाता है तथा ऐसी परियोजनाओं के संबंध में धनराशि का वितरण केंद्रीय सड़क निधि अधिनियम, 2000 के तहत यथा-निर्धारित विधि से किया जाता है। केंद्रीय सड़क निधि से कुल आबंटन में से पिछले प्रत्येक तीन वर्ष के लिए राज्यीय सड़कों के विकास हेतु धनराशि का आबंटन इस प्रकार है:-

(करोड़ रुपये)

वर्ष	राज्यीय सड़कों के विकास हेतु आबंटन
2004-05	868.00
2005-06	1535.36
2006-07	1535.46

(ख) और (ग) केंद्रीय सड़क निधि से प्रत्येक राज्य के लिए धनराशि का आबंटन पेट्रोल और डीजल की खपत के 60% और संबंधित राज्य के भौगोलिक क्षेत्र के 40% के आधार पर किया जाता है।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में, केंद्रीय सड़क निधि से विकास के लिए अनुमोदित सड़कों की राज्यवार कुल लंबाई दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	पिछले 3 वर्षों अर्थात् 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान कुल अनुमोदित लंबाई (कि.मी.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	1280.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	123.13
3.	असम	180.75
4.	बिहार	0.52*
5.	छत्तीसगढ़	272.55
6.	गोवा	29.95
7.	गुजरात	2036.42
8.	हरियाणा	292.43
9.	हिमाचल प्रदेश	130.98
10.	जम्मू-कश्मीर	190.50
11.	झारखंड	223.99
12.	कर्नाटक	4156.82
13.	केरल	308.39
14.	मध्य प्रदेश	1170.51
15.	महाराष्ट्र	1993.30
16.	मणिपुर	31.50
17.	मेघालय	21.60
18.	मिजोरम	24.56
19.	नागालैंड	57.00
20.	उड़ीसा	295.53
21.	पंजाब	448.12
22.	राजस्थान	3858.71
23.	सिक्किम	7.11

1	2	3
24.	तमिलनाडु	1660.33
25.	त्रिपुरा	0.00
26.	उत्तर प्रदेश	1343.00
27.	उत्तराखंड	**
28.	पश्चिम बंगाल	319.42
	उप जोड़	20457.12
	संघ राज्य क्षेत्र	
29.	अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	0.00
30.	चंडीगढ़	***
31.	दादरा और नगर हवेली	0.00
32.	दमन और दीव	0.00
33.	दिल्ली	82.91
34.	लक्षद्वीप	0.00
35.	पांडिचेरी	9.34
	उप जोड़	92.25
	कुल जोड़	20549.37

*पुल

**हिमालयन राजमार्ग की डी पी आर

***जंक्शन का सुधार

[अनुवाद]

अतिरिक्त पिछड़े जिलों का चयन

*286. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ और जिलों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) योजना में शामिल करने हेतु एक सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं; और

(ग) इन जिलों की कब तक पहचान किए जाने तथा इस योजना के अंतर्गत लाभान्वित होने की संभावना है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) कार्यक्रम 27 राज्यों में 250 जिलों को शामिल करता है। राज्य-वार जिलों की सूची संलग्न विवरण में है। 250 जिलों की सूची में निम्नलिखित शामिल हैं-

(1) 2006-07 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एन.आर.ई.जी.पी.) द्वारा आवृत्त सभी 200 जिले एवं

(2) बढ़ते क्षेत्रीय असमानताओं के निराकरण के लिए अगस्त 2004 में योजना आयोग द्वारा गठित अंतर-मंत्रालयी टास्क ग्रुप (आई.एम.टी.जी.) द्वारा पिछड़े रूप में अभिचिन्हित 170 जिले।

एन.आर.ई.जी.पी. में शामिल 200 जिलों की सूची में निम्नलिखित आते हैं:

(1) राष्ट्रीय सम विकास योजना में शामिल सभी 147 जिले, तथा

(2) काम के बदले अनाज के राष्ट्रीय कार्यक्रम में शामिल 150 जिले। इनमें से अधिकांश जिले समान महत्व वाले तीन मानदंडों, नामत: प्रति कृषि मजदूर द्वारा उत्पादन की मात्रा, कृषि मजदूरी दर एवं जिले की अ.जा./अ.ज.जा. की जनसंख्या के पिछड़ेपन की प्रतिशतता के एक सूचकांक के आधार पर अभिचिन्हित किए गए थे।

147 आर.एस.वी.वाई. जिलों की सूची में 115 पिछड़े जिले एवं लेफ्टविंग चरमपन्थ से प्रभावित 32 जिले शामिल थे। यह निर्णय लिया गया था कि गोवा, पांडिचेरी, दिल्ली एवं अन्य संघ शासित प्रदेशों को इस कार्यक्रम के तहत शामिल नहीं किया जाएगा। राज्य की राजधानियों, एक मिलियन से ऊपर के शहरी समूह वाले जिले एवं वैसे जिले, जिनमें राज्य के बड़े शहर थे, को भी इससे बाहर रखा गया। 115 में से 20 जिलों को विशेष श्रेणी के राज्यों के लिए आरक्षित रखा गया। शेष बचे 95 जिलों को गैर-विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच बांटा गया। गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों एवं असम के मामले में प्रति राज्य जिलों की संख्या को गरीबी की व्यापित के आधार पर निर्धारित किया गया। असम को छोड़कर विशेष श्रेणी के राज्यों के बीच जिलों का आबंटन 2001 की जनगणना की कुल जनसंख्या के आधार पर किया गया। गैर-विशेष श्रेणी राज्यों एवं असम के पिछड़े जिलों की सूची को, ऊपर बताए गए मानदण्डों के आधार पर पिछड़ेपन के सूचकांक पर जिलों की श्रेणीकरण को लेकर किए गए कार्य के आधार पर अंतिम रूप दिया गया। विशेष श्रेणी वाले राज्यों (असम को

छोड़कर) से अपने पिछड़े जिलों को कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किए जाने हेतु सूचित करने का अनुरोध किया गया था क्योंकि इस मापदंड के लिए आंकड़ा उपलब्ध नहीं था।

आई.एम.टी.जी. ने 17 सामाजिक-आर्थिक वैरियेबुलों के आधार पर 170 जिलों को पिछड़े जिले के रूप में अभिचिन्हित किया, जो कि इस प्रकार है:-

(1) आर्थिक स्थिति के मानदंड:

(क) जनसंख्या में कृषि मजदूरों की प्रधानता (ख) कृषि मजदूरी का स्तर (ग) प्रति कृषि मजदूर के हिसाब से कृषि उत्पादन का स्तर (घ) प्रति व्यक्ति क्रेडिट तथा (ङ) प्रति व्यक्ति जमा।

(2) स्वास्थ्य स्थिति के मानदंड:

(क) शिशु मृत्यु दर, (ख) क्रूड डेथ रेट, (ग) पूर्ण प्रतिरक्षण एवं (घ) सांस्थानिक प्रसव

(3) शैक्षणिक स्तर के मानदंड:

(क) महिला साक्षरता दर, (ख) सकगल नामांकन अनुपात एवं (ग) माध्यमिक विद्यालयी सुविधा की उपलब्धता।

(4) अवसंरचनात्मक अपर्याप्तता के मानदंड:

(क) घरों तक बिजली की अपहुंच, (ख) 500 मीटर के भीतर पेय जल की सुविधा का न होना एवं (ग) बैंकिंग सुविधा का लाभ न उठाने वाले परिवारों की प्रतिशतता।

(5) मानव विकास के निम्न स्तरों को पकड़ पाने के लिए क्षेत्रीय पिछड़ेपन को समग्र तौर पर अभिव्यंजित करने वाले मानदंड:

(क) अनुसूचित जनजाति की प्रतिशतता एवं (ख) अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या की प्रतिशतता

170 आई.एम.टी.जी. जिलों में से 120 जिले, 200 एन.आर.ई.जी.पी. जिलों की सूची में पहले से ही शामिल थे। शेष 50 जिले, जो 200 एम.आर.ई.जी.पी. जिलों की सूची में शामिल नहीं थे, उन्हें सूची में जोड़ा गया। जिसकी वजह से बी.आर.जी.एफ. के तहत कुल जिलों की संख्या दो सौ पचास (250) हो गई। कार्यक्रम में 2001 के बाद से इन 250 जिलों से अलग करके बनाए गए वैसे किसी नए जिले को भी इस प्रावधान के तहत शामिल किया जाता है कि मूल जिले के विद्यमान आबंटन को नए जिला/जिलों में बांट दिया जाएगा। चूंकि बी.आर.जी.एफ. कार्यक्रम के तहत पिछड़े जिलों का मूल चयन विभिन्न व्यापक अभ्यासों, जिसका कि ब्यौरा ऊपर दिया गया है, पर आधारित था तथा कार्यक्रम का कार्यान्वयन अगस्त, 2006 से हुआ, इसलिए सरकार के पास वर्तमान में कार्यक्रम के तहत कुछ और जिलों को शामिल करने के लिए एक सर्वेक्षण कराने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विवरण

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि—जिलों की सूची

आंध्र प्रदेश

1. आदिलाबाद
2. अनंतपुर
3. चित्तूर
4. कडप्पा
5. करीमनगर
6. खम्मम
7. महबूबनगर
8. मेडक
9. नलगोंडा
10. निजामाबाद
11. रंगारेड्डी
12. विजयनगरम
13. वारंगल

अरुणाचल प्रदेश

1. ऊपरी सुबनसिरी

असम

1. बरपेटा
2. बोंगाईगांव
3. कछार
4. धीमाजी
5. गोलपाड़ा
6. हैलाकांडी

7. कार्बी अंगलौंग
8. कोकराझार
9. मारीगांव
10. उत्तरी लखीमपुर (लक्ष)
11. उ. कछार हिल्स

बिहार

1. अररिया
2. औरंगाबाद
3. बांका
4. बेगूसराय
5. भागलपुर
6. भोजपुर
7. बक्सर
8. दरभंगा
9. गया
10. गोपालगंज
11. जमुई
12. जहानाबाद
13. कैमूर/भभुआ
14. कटिहार
15. किशनगंज
16. खगड़िया
17. लक्खीसराय
18. मधेपुरा
19. मधुबनी
20. मुंगेर
21. मुजफ्फरपुर
22. नालंदा
23. नवादा
24. पटना
25. प. चम्पारण
26. पूर्वी चंपारण
27. पूर्णिया
28. रोहतास
29. सहरसा
30. समस्तीपुर
31. सारण
32. शेखपुरा
33. शिवहर
34. सीतामढ़ी
35. सुपौल
36. वैशाली

छत्तीसगढ़

1. बस्तर
2. बिलासपुर
3. दांतेवाड़ा
4. धमतरी
5. जशपुर
6. कांकेर
7. कवर्धा
8. कोर्बा
9. कोरिया
10. महासमुंद
11. रायगढ़
12. राजनंदगांव
13. सरगुजा

गुजरात

1. बनासकंठा

2. डांग
3. दहोद
4. नर्मदा
5. पंचमहल
6. साबरकंठा

हरियाणा

1. महेन्द्रगढ़
2. सिरसा

हिमाचल प्रदेश

1. चंबा
2. सिरमौर

जम्मू-कश्मीर

1. डोडा
2. कुपवाड़ा
3. पुंछ

झारखंड

1. बोकारो
2. चतरा
3. देवघर
4. धनबाद
5. दुमका
6. गढ़वा
7. गिरिडीह
8. गोड्डा
9. गुमला
10. हजारीबाग
11. जामतारा
12. कोडरमा
13. लातेहार
14. लोहरदग्गा
15. पश्चिम सिंहभूम
16. पाकुड़
17. पलामू
18. रांची
19. साहिबगंज
20. सरायकेला
21. सिमडेगा

कर्नाटक

1. बीदर
2. चित्रदुर्ग
3. दावणगेरे
4. गुलबर्गा
5. रायचूर

केरल

1. पलक्काड
2. वायनाड

मध्य प्रदेश

1. बालाघाट
2. बरवानी
3. बेतूल
4. छतरपुर
5. दमोह
6. धार
7. डिंडोरी
8. गुना
9. झुबाआ
10. कटनी
11. खंडवा

12. मांडला
13. पन्ना
14. राजगढ़
15. रीवा
16. सतना
17. सिवनी
18. शहडोल
19. शयोपुर
20. शिवपुरी
21. सीधी
22. टीकमगढ़
23. उमरिया
24. प. निमर

महाराष्ट्र

1. अहमदनगर
2. अमरावती
3. औरंगाबाद
4. भंडारा
5. चंद्रपुर
6. धुले
7. गढ़चिरौली
8. गोंदिया
9. हिंगोली
10. नांदेड
11. नंदुरबार
12. यवतमाल

मणिपुर

1. चंदेल
2. चूड़चंद्रपुर
3. तामेनलौंग

मेघालय

1. री भोई
2. द. गारो हिल्स
3. प. गारो हिल्स

मिजोरम

1. लौंगतलाई
2. स्याहा

नागालैंड

1. मॉन
2. त्वेनसांग
3. वोरखा

उड़ीसा

1. बलांगीर
2. बौध
3. देबगढ़
4. ढेंकानाल
5. गजपती
6. गंजाम
7. झारसुगुडा
8. कलाहांडी
9. क्योंझर
10. कोरापुट
11. मालकानगिरि
12. मयूरभंज
13. नवरंगपुर
14. नुआपड़ा
15. फूलवानी
16. रायगोडा
17. संबलपुर

18. सोनपुर
19. सुंदरगढ़

पंजाब

1. होशियारपुर

राजस्थान

1. बांसवाड़ा
2. बाड़मेर
3. चित्तौड़गढ़
4. डूंगरपुर
5. जैसलमेर
6. जालौर
7. झालावाड़
8. करोली
9. समाई माधोपुर
10. सिरोही
11. टोंक
12. उदयपुर

सिक्किम

1. सिक्किम उत्तर

तमिलनाडु

1. कुड्डलोर
2. डिंडीगुल
3. नागपट्टिणम
4. शिवगंगई
5. तिरुवन्नमलै
6. विल्लुपुरम

त्रिपुरा

1. धलाई

उत्तर प्रदेश

1. अंबेडकर नगर
2. आजमगढ़
3. बहराइच
4. बलरामपुर
5. बांदा
6. बाराबंकी
7. बस्ती
8. बदायूं
9. चंदौली
10. चित्रकूट
11. एटा
12. फर्रूखाबाद
13. फतेहपुर
14. गोंडा
15. गोरखपुर
16. हमीरपुर
17. हरदोई
18. जालौन
19. जौनपुर
20. कौशाम्बी
21. कुशीनगर
22. लखीमपुर खीरी
23. ललितपुर
24. महाराजगंज
25. महोबा
26. मिरजापुर
27. प्रतापगढ़
28. रायबरेली
29. संत कबीरनगर
30. श्रावस्ती

31. सिद्धार्थनगर
32. सीतापुर
33. सोनभद्र
34. उन्नाव

उत्तरांचल

1. चमोली
2. चंपावत
3. टिहरी गढ़वाल

पश्चिम बंगाल

1. बांकुड़ा
2. बीरभूम
3. द. दिनाजपुर
4. जलपाईगुड़ी
5. माल्दा
6. मेदिनीपुर पूर्व
7. मेदिनीपुर पश्चिम
8. मुर्शिदाबाद
9. पुरूलिया
10. द. 24 परगना
11. उ. दिनाजपुर।

नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में सड़कों के विकास हेतु वित्तीय सहायता

*287. **श्रीमती मनोरमा माधवराज:**
श्री रमेश दूबे:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों से अपने-अपने राज्यों में सड़कों के विकास तथा उनकी मरम्मत हेतु वित्तीय सहायता के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार और सड़क खंड-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) केंद्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) इस संबंध में राज्य-वार कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई है; और

(ङ) केंद्र सरकार द्वारा नक्सलवाद से प्रभावित राज्यों में बेहतर सड़क संपर्क सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, यह मंत्रालय केंद्रीय सड़क निधि के अंतर्गत राज्यीय सड़कों के सुधार के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान करता है। फिलहाल, नक्सल प्रभावित राज्यों में सड़कों के विकास और मरम्मत के लिए मंत्रालय की कोई अलग स्कीम नहीं है।

तथापि, उड़ीसा सरकार ने सन् 2005 में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों से गुजरते हुए विजयवाड़ा से रांची तक राष्ट्रीय राजार्ग के निर्माण का प्रस्ताव किया था। विजयवाड़ा से रांची तक कुल लंबाई 1632 कि.मी. है और इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की 598 कि.मी. लंबाई और राज्यीय सड़कों की 1034 कि.मी. लंबाई शामिल है। विजयवाड़ा-रांची रूट की लंबाई का राज्यवार वितरण इस प्रकार है:-

राज्य का नाम	लंबाई कि.मी. में		कुल लंबाई (कि.मी.)
	राष्ट्रीय राजमार्ग	राज्यीय सड़कें	
आंध्र प्रदेश	236	–	236
उड़ीसा	239	980	1219
झारखंड	123	54	177

(ग) और (घ) उड़ीसा और झारखंड सरकारों से राज्य सड़कों के विकास हेतु विस्तृत परियोजना रिपोर्ट/लागत प्राक्कलन प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है ताकि सरकार द्वारा योजना तैयार की जा सके। तथापि, मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क निधि स्कीम के अंतर्गत 9.18 करोड़ रु. की लागत से विजयवाड़ा-रांची खंड पर झारखंड में 13 कि.मी. लंबे हाटा-तिरिंग राज्यीय सड़क के सुधार के लिए प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है। जहां तक आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और झारखंड राज्यों में विजयवाड़ा-रांची खंड के 598 कि.मी. लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग खंड के विकास का संबंध है, धनराशि की उपलब्धता के अनुसार चरणबद्ध रूप में सुधार कार्य शुरू किए गए हैं। धनराशि का आबंटन राज्यवार किया जाता है न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार।

(ङ) नक्सल प्रभावित राज्यों के लिए सड़क मांग योजना तैयार करने के उद्देश्य से मंत्रालय द्वारा कार्रवाई शुरू की गई है।

'एम्स' जैसे संस्थानों की स्थापना

*288. श्री विजय बहुगुणा:
श्री अर्जुन सेठी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर प्रस्तावित छह नए चिकित्सा संस्थानों की स्थापना में विलंब के कारणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक आरंभ की गई परियोजनाओं का संस्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संस्थान के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई तथा उसमें से कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(घ) इन संस्थानों की शीघ्र स्थापना हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी संस्थाओं की स्थापना करने का प्रस्ताव आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डल समिति द्वारा 16.3.2006 को अनुमोदित किया गया था। परियोजना परामर्शदाता के चयन के लिए प्रारंभिक बोली संबंधी प्रक्रिया अप्रतिक्रियाशील सिद्ध हुई। चयनित डिजाइनर द्वारा उद्धृत अत्यधिक ऊंची कीमत के कारण परिवर्द्धित संकल्पना डिजाइन तैयार करने के लिए शार्टलिस्ट किए गए वास्तुशिल्पीय डिजाइन परामर्शदाता का प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। इसलिए संपूर्ण प्रक्रिया को दिसम्बर, 2006 में नए सिरे से शुरू करना पड़ा। एक ही साथ ऐसी 6 संस्थाओं के निर्माण की जटिलता तथा संपूर्ण परियोजना को एक परियोजना के रूप में शुरू करने की क्षमता के अभाव को ध्यान में रखते हुए प्रगति सुनिश्चित करने के लिए कार्यप्रणाली संबंधी अनेक परिवर्तन किए गए। अत: यह निर्णय लिया गया कि सभी छह एम्स स्थलों को एक साथ मिलाने के बजाय प्रत्येक एम्स स्थल को एक पृथक एवं स्वतंत्र परियोजना के रूप में शुरू किया जाएगा। हाउसिंग काम्पलेक्स के निर्माण को भी अस्पताल एवं मेडिकल कालेज के निर्माण से अलग कर दिया गया।

प्रत्येक स्थल के लिए खुली प्रतियोगी बोली के जरिए डिजाइन-डीपीआर परामर्शदाताओं का चयन किया गया है। भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, रायपुर तथा ऋषिकेश में एम्स स्थलों के लिए ले आउट/मास्टर प्लान अनुमोदित किए जा चुके हैं। पटना स्थल के लिए ले आउट/मास्टर प्लान को इस माह अनुमोदित किए जाने की आशा है। परामर्शदाता वास्तुशिल्पीय डिजाइन तैयार कर रहे हैं जिसे मई, 2008 तक अन्तिम रूप दिए जाने की आशा है। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट मई-जून, 2008 तक तैयार हो जाएगी। तत्पश्चात सिविल निर्माण कार्य के लिए संविदाकार के चयन के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाएंगी।

जहां तक आवासीय काम्पलेक्स (हाउसिंग एवं हास्टल) के निर्माण का संबंध है, टर्न-की डेवलपर्स के चयन के लिए बोलियां आमंत्रित की गईं। यद्यपि, बोली प्रक्रिया केवल जोधपुर स्थल के लिए सफल थी और मैसर्स राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन, राजस्थान सरकार के सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम को कार्य सौंप दिया गया है। कार्य चल रहा है। ऋषिकेश और पटना में आवासीय काम्पलेक्स के निर्माण से संबंधित कार्य एचएलएल को तथा भुवनेश्वर एवं रायपुर के लिए एचएससीसी को सौंपा गया है। एचएससीसी द्वारा भुवनेश्वर एवं रायपुर स्थलों के संविदाकारों के चयन के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू की गई है। भोपाल स्थल के लिए अस्पताल मेडिकल कालेज काम्पलेक्स की बगल में हाउसिंग काम्पलेक्स का कार्य सौंपा जा रहा है।

आवासीय काम्पलेक्सों का कार्य 2009 तक तथा अस्पताल-मेडिकल कालेज काम्पलेक्सों का कार्य 2010 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

विगत तीन वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के लिए आवंटित निधियों एवं उस पर व्यय का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

(करोड़ रुपए में)

वर्ष	बजट अनुमान स्तर पर निधियों का आवंटन	संशोधित अनुमान स्तर पर निधियों का आवंटन	व्यय
2004-05	60.00	10.00	6.15
2005-06	250.00	6.00	2.52
2006-07	75.00	10.00	6.36
2007-08	150.00	90.00	52.00 (लगभग अब तक)*

*आवंटन का पूर्ण रूप से उपयोग किया जाएगा।

कार्य के शीघ्र संपादन के लिए प्रत्येक स्थल के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता का भी चयन किया जा रहा है। मंत्रालय ने प्रत्येक स्थल पर समर्पित परियोजना प्रकोष्ठ जिसमें मेडिकल विशेषज्ञ, इंजीनियर और प्रशासनिक सहायक स्टाफ शामिल होगा, की स्थापना करने के लिए उपाए शुरू किए हैं। प्रत्येक परियोजना की मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए गहन मानीटरिंग की जा रही है कि किसी भी स्थल पर कोई चूक या विलंब न हो।

समुदाय आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना

*289. **श्री नन्द कुमार साय:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में समुदाय आधारित स्वास्थ्य बीमा योजना आरम्भ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयपान करने वाले (बीपीएल) परिवारों के वार्षिक प्रीमियम के लिए अंशदान करती है;

(घ) यदि हां, तो वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान सरकार द्वारा राज्य-वार किए गए अंशदान का ब्यौरा क्या है तथा अब तक कितने परिवारों को उक्त योजना के अंतर्गत लाभान्वित किया जा चुका है; और

(ङ) यह योजना अब तक अपने लक्ष्यों एवं उद्देश्यों को प्राप्त करने में कितनी सफल रही है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (ङ) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करने के लिए एक कार्यढांचा तैयार किया है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे प्रायोगिक आधार पर कार्यान्वयन के लिए आवश्यकता आधारित, समुदायोन्मुख, नवीन एवं लचीली बीमा पालिसियां तैयार करे। आंध्र प्रदेश सरकार ने 8 जिलों में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है और राजस्थान ने 5 जिलों में प्रायोगिक परियोजना शुरू की है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के अंतर्गत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय वार्षिक प्रीमियम की लागत का 75 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता प्रदान करता है बशर्ते कि यह आर्थिक सहायता गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले प्रत्येक परिवार के लिए अधिकतम 300/- रुपए हो।

आंध्र प्रदेश राज्य में प्रायोगिक परियोजना वर्ष 2007-08 में शुरू की गई थी और वर्ष 2007-08 के दौरान संघ सरकार की हिस्सेदारी के रूप में 10 करोड़ रुपए की राशि पर सहमति हुई थीं क्योंकि यह योजना राज्य सरकार को प्रदान किए गए कार्यढांचा से विचलित हो रही थी तथा कवर किए गए गरीबी रेखा से नीचे परिवारों की संख्या योजना आयोग के मानदंडों के अनुसार नहीं थी। आंध्र प्रदेश राज्य में स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले कुल 73.50 लाख लोगों को कवर किया गया है।

वर्ष 2007-08 के दौरान संघ सरकार की हिस्सेदारी के रूप में 23.64 करोड़ रुपए की राशि पर सहमति हुई थी जिसमें राजस्थान के पांच जिलों जहां यह योजना दिनांक 8.12.2007 से शुरू की गई थी, में रह रहे गरीबी रेखा से नीचे के कुल 787886 परिवारों को कवर किया गया था।

अभी से योजना की उपलब्धियों का मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगी। तथापि, आंध्र प्रदेश राज्य में कुल 378066 रोगियों की जांच की गई और 37558 रोगियों को भर्ती के लिए रेफर किया गया। जबकि राजस्थान राज्य में 8 दिसम्बर, 2007 से 29 फरवरी, 2008 तक इस योजना के अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 5200 रोगियों का उपचार किया गया।

पंचायतों में महिला प्रतिनिधि

*290. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पंचायतों में महिला प्रतिनिधियों की भूमिका और साथ ही उनके लिए आरक्षित कोटे की उपयोगिता के बारे में कोई मूल्यांकन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उनकी भागीदारी को प्रभावी बनाने के लिए क्या उपाय करने का विचार है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) देश के पंचायती राज संस्थाओं में महिला प्रतिनिधित्व के संबंध में हुई प्रगति तथा इस संबंध में वैसी चुनौतियों, जिनसे अभी भी निपटा जाना है, की वैज्ञानिक समझ हासिल करने की दृष्टि

से पंचायती राज मंत्रालय ने इस विषय पर जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रोफेसर नीरज गोपाल जयाल तथा बुद्धिजीवियों, सचिव, पंचायती राज एवं राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद के एक प्रतिनिधि से युक्त अकादमिक सलाहकार समिति के मार्गदर्शन में ए.सी. नेल्सन ओ.आर.जी.-मार्ग से देशव्यापी सर्वेक्षण करवाया। सर्वेक्षण के नतीजों का संकलन एवं रिपोर्ट की तैयारी का कार्य प्रगति पर है। रिपोर्ट को अप्रैल में सदन के पटल पर रखे जाने की आशा है।

सन् 1993, जब संविधान (73वां संशोधन) अधिनियम, 1992 प्रभाव में आया, से संविधान के अनुच्छेद 243घ के खंड 2 व 3 के प्रावधानों, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, के अनुरूप पंचायतों के सभी तीन स्तरों की सीटों तथा नेतृत्व के पदों के एक तिहाई को महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है:

अनुच्छेद 243घ

(2) खंड (1) के अधीन आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान, यथास्थिति, अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे।

(3) प्रत्येक पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थानों की कुल संख्या के कम से कम एक-तिहाई स्थान (जिनके अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की स्त्रियों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या भी है) स्त्रियों के लिए आरक्षित रहेंगे और ऐसे स्थान किसी पंचायत में भिन्न-भिन्न निर्वाचन-क्षेत्रों को चक्रानुक्रम से आबंटित किए जा सकेंगे।

तथापि, यह पाया गया है कि संविधान के 73वें संशोधन अधिनियम के प्रभाव में आने के बाद से तीन दौरों के चुनावों में पंचायतों में महिलाओं का वास्तविक प्रतिनिधित्व उत्तरोत्तर बढ़ता गया है और बहुधा वह अधिदेशात्मक एक-तिहाई के अनुपात को पार कर गया है। राज्यों से प्राप्त अद्यतन उपलब्ध सूचना, जिसके ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं, के अनुसार निर्वाचित प्रतिनिधियों की कुल संख्या 28,20,707 है और इनमें 10,37,621 अर्थात् 36.79% महिलाएं हैं। महिलाओं ने अनारक्षित सीटों की बड़ी संख्या पर चुनाव लड़े हैं और विजय हासिल की है। कर्नाटक में, यह देखा गया है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों व यहां तक कि सामान्य श्रेणी में भी निर्वाचित महिलाओं की प्रतिशतता अधिदेशित हिस्से से ज्यादा है। ग्राम पंचायतों में निर्वाचित अनुसूचित जाति के प्रतिनिधियों में 46.2% तथा अनुसूचित जन जातियों में 65% महिलाएं हैं। इस राज्य में कुल मिलाकर निर्वाचित प्रतिनिधियों का 43% भाग महिलाएं हैं। कुछ राज्यों ने संविधान के अनुच्छेद 243घ में महिलाओं के लिए विहित 1/3 अनुपात से भी अधिक का आरक्षण अधिदेशित किया है। उदाहरणस्वरूप बिहार और मध्य प्रदेश ने पंचायतों के सभी तीन स्तरों में 50% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की हैं, जबकि सिक्किम ने 40% सीटें आरक्षित की हैं। हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एवं राजस्थान ने हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण को बढ़ाकर 50% करने के अपने निर्णयों की घोषणा की है।

महिला प्रतिनिधि, पंचायत के निर्वाचित सभी प्रतिनिधियों की लिंग निरपेक्ष समस्याओं (जेंडर न्यूट्रल प्राब्लम्स) तथा अपने जेंडर की विशिष्ट समस्याओं, दोनों से जूझती हैं। महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों की विशिष्ट समस्याओं में निम्नलिखित शामिल हैं: (क) राजनीतिक प्रशासन में अनुभव की कमी तथा पंचायती राज अधिनियम नियमों की जानकारी में कमी। निरक्षरता इस समस्या को और बढ़ा देती है। (ख) मुख्य रूप से पंचायती राज के पुरुष अधिकारियों व स्टाफ तथा निर्वाचित प्रतिनिधियों, जो बहुधा महिलाओं को प्रभावी तरीके से भाग लेने में बाधा पहुंचाते हैं, की ओर से जेंडर पूर्वाग्रह; (ग) समाज में महिलाओं के विरुद्ध लंबे समय से जारी पूर्वाग्रह की स्थिति में उन्हें वैसा प्रतिनिधि समझा जाना जो अपने पुरुष रिश्तेदारों की प्राक्सी हैं। (घ) पुरुषों की अपेक्षा गतिशीलता एवं वाग्मिता की सीमाएं। (ङ) अविद्यमान पंचायत घरों, टायलेट व अन्य सुविधाओं की कमी की वजह से महिलाओं के लिए कार्य के वातावरण का सहायक न होना।

मंत्रालय ग्राम सभा एवं पंचायतों में महिलाओं के सार्थक सशक्तिकरण को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ कार्य कर रहा है। इनमें यह शामिल है: (1) ग्राम सभाओं व वार्ड सभाओं की बैठकों में उठाई जाने वाली महिलाओं की चिंताओं व प्राथमिकताओं को सुसाध्य बनाने के लिए महिला सभाओं (अथवा समतुल्य) का गठन; (2) ग्राम सभाओं व उप-ग्राम सभाओं में महिलाओं की भागीदारी हेतु पृथक कोरम का होना; (3) पंचायतों व महिलाओं के स्व-सहायता समूहों के बीच संपर्क बनाना; (4) पंचायती राज संस्थाओं के बजट में महिला घटक योजनाओं का प्रावधान; (5) एक से अधिक कार्यकाल के लिए महिलाओं हेतु आरक्षण चक्र को बढ़ाना; (6) कुछ राज्यों में प्रचलित दो बच्चों के प्रतिमान की विभेदकारी शर्तों को हटाना।

मंत्रालय ने निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के प्रभावी कार्यनिष्पादन की क्षमता में सुधार लाने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान किया है। राज्यों से प्राप्त आंकड़े के मुताबिक वर्ष 2004-05 में पंचायती राज संस्थाओं की 89,570 महिला प्रतिनिधियों, वर्ष 2005-06 में 96,800 महिलाओं तथा वर्ष 2006-07 में 1,46,506 महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया है।

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के सशक्तिकरण को और समर्थन देने के लिए पंचायत महिला एवं युवा शक्ति अभियान नामक एक केंद्रीय सेक्टर योजना स्कीम की शुरूआत की गई है। पंचायत महिला शक्ति अभियान जो कि योजना के घटकों में से एक है, में निम्नलिखित शामिल हैं:

(1) निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के राज्य स्तरीय, डिवीजन व जिला स्तरीय सम्मेलन जो निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए अपनी चिंताओं को मुखर करने और अपनी समस्याओं पर प्रकाश डालने हेतु एक मंच उपलब्ध कराते हैं। सम्मेलन के दौरान विचार-विमर्श के उपरांत, निर्वाचित महिला प्रतिनिधि अपने-अपने राज्यों की नीति में व अपने पक्ष समर्थन को मुख्य धारा में लिये जाने के लिए मुद्दों का एक चार्ट प्रारूपित करती हैं जिससे कि राज्य में विकास की प्रक्रिया में उस पर कार्य हो सके;

(2) अपने प्रकार्यों के प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक ज्ञान व कौशल से युक्त किए जाने के लिए निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों हेतु प्रशिक्षण व संवेदना जागृति कार्यक्रम। ये प्रशिक्षण कार्यक्रम सहभागिता एवं नेतृत्व कौशल, अभिलेख-रक्षण व लेखा, सरकार की स्कीमों व क्रियाविधियों, विधिक अधिकारों इत्यादि पहलुओं को शामिल करेंगे;

(3) निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के निर्वाचित एसोशियेशनों को समर्थन देने के लिए राज्य समर्थन केंद्रों, जो ज्ञान समर्थन व संसाधन संस्थानों के रूप में सेवा देते हैं, का निधीयन।

राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, उत्तरांचल, मणिपुर, गोवा, सिक्किम, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र (विदर्भ क्षेत्र) एवं बिहार ने पहले ही पंचायत महिला शक्ति अभियान (पी.एम.एस.ए.) के राज्य सम्मेलन आयोजित किये हैं। अन्य राज्य, निकट भविष्य में ऐसा सम्मेलन आयोजित करने वाले हैं। छत्तीसगढ़ एवं हरियाणा ने भी जिला स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया है। वे राज्य, जहां पंचायत महिला शक्ति अभियान सम्मेलन आयोजित किये जा चुके हैं, शीघ्र ही निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आरंभ करने वाले हैं।

विवरण

अद्यतन उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के त्रिस्तरीय पंचायतों में पंचायतों एवं निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	पंचायतों की संख्या (जिला मध्यवर्ती एवं ग्राम)	सभी स्तरों पर पंचायतें: निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या							
			सामान्य (गैर अ.जा./ अ.ज.जा.) श्रेणी	अनुसूचित जाति		अनुसूचित जनजाति		योग	महिलाएं	
				संख्या	%	संख्या	%		संख्या	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
राज्य										
1.	आंध्र प्रदेश	22945	172136	34025	15.19	17842	7.97	224003	74019	33.04
2.	अरुणाचल प्रदेश	1789	0	0	0	8260	100.00	8260	3183	38.54
3.	असम	2431	23206	1344	5.284	886	3.48	25436	9903	38.93
4.	बिहार	9040	109767	19440	14.94	884	0.68	130091	70400	54.12
5.	छत्तीसगढ़	9982	76062	17553	10.92	66933	41.69	160548	54159	33.73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	गोवा	191	844	0	0	181	11.61	1559	534	34.25
7.	गुजरात	14068	83982	7970	6.98	22235	19.47	114187	38068	33.34
8.	हरियाणा	6325	36578	7724	11.07	0	0.00	69805	25503	36.53
9.	हिमाचल प्रदेश	3330	16793	8724	31.99	1753	6.43	27270	9128	33.47
10.	झारखण्ड	3979	0	0		0		0	0	
11.	कर्नाटक	5833	67920	17859	18.59	10311	10.731	96090	41210	42.89
12.	केरल	1165	10629	2005	10.85	226	1.22	18482	5614	30.38
13.	मध्य प्रदेश	23412	231246	59106	14.91	106350	26.82	396516	136196	34.35
14.	महाराष्ट्र	28277	176874	25269	11	27597	12.01	229740	76581	33.33
15.	मणिपुर	169	1556	39	2.247	41	2.36	1736	758	43.66
16.	उड़ीसा	6578	52333	16007	17.31	24114	26.08	92454	33630	36.37
17.	पंजाब	12604	62614	28349	31.17	0	0.00	90963	31809	34.97
18.	राजस्थान	9457	22858	25385	21.16	21415	17.85	119975	42434	35.37
19.	सिक्किम	258	483	57	5.781	446	45.23	986	394	39.96
20.	तमिलनाडु	13031	91958	23653	20.31	877	0.75	116488	39364	33.79
21.	त्रिपुरा	540	3914	1509	26.32	310	5.41	5733	1986	34.64
22.	उत्तर प्रदेश	52890	578984	191950	24.87	727	0.09	771661	299025	38.75
23.	उत्तराखंड	7335	44450	11077	19.26	1973	3.43	57500	21517	37.42
24.	पश्चिम बंगाल	3713	37434	17112	29.09	4282	7.28	58828	21351	36.29
संघ शासित प्रदेश										
25.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	75	856	0	0	0	0.00	856	296	34.58
26.	चंडीगढ़	19	153	34	18.18	0	0.00	187	62	33.16
27.	दादरा एवं नगर हवेली	12	7	3	2.4	115	92.00	125	49	39.2
28.	दमन एवं दीव	15	81	2	2.062	14	14.43	97	37	38.14
29.	लक्षद्वीप	11	4	0	0	106	96.36	110	41	37.27
30.	पुडुचेरी	108	784	237	23.21	0	0.00	1021	370	36.24
	योग	239582	1904506	516433	18.31	317878	11.27	2820707	1037621	36.79

स्रोत: राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराई गई डाटा से संकलित

नोट: सामान्य (गैर-अ.जा./अ.ज.जा.) श्रेणी, पुरुष एवं महिलाएं

अ.जा.: अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिलाएं

अ.ज.जा.: अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिलाएं

महिलाएं: कुल अ.जा., अ.ज.जा. एवं सामान्य श्रेणी

हिमालय क्षेत्र में सड़क अवसंरचना

***291. श्री छेवांग थुपस्तन:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हिमालय से सटे हुए राज्यों में सड़कों की हालत सुधारने और नई सड़कों का निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों में इस कार्य के लिए केंद्र सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) यह मंत्रालय मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सड़क निधि से राज्यीय सड़कों के विकास के लिए भी धनराशि प्रदान की जाती है। राष्ट्रीय राजमार्गों सहित सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए गत तीन वर्षों में हिमालय के निकटवर्ती राज्यों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश को आबंटित निधियों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, सीमा सड़क संगठन भी उपर्युक्त राज्यों में सड़कों के विकास के लिए धनराशि खर्च कर रहा है जैसा कि विवरण-II में दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने एक पृथक कार्यक्रम पूर्वोत्तर क्षेत्र में विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया है जिसमें अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम जो हिमालय के निकट हैं, में सड़कों की 3,351 किमी. लंबाई में सुधार कार्य शामिल है।

सरकार ने जम्मू और कश्मीर में सड़क विकास के लिए प्रधानमंत्री पैकेज के अंतर्गत एक स्कीम प्रारंभ की है जिसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लगभग 795 किमी. लंबाई और राज्यीय सड़कों की 297 किमी. लंबाई का उन्नयन/सुधार कार्य शामिल है।

इसके अलावा, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भारत चीन के साथ सीमा के साथ-साथ सीमावर्ती क्षेत्र लगभग 608 किमी. लंबाई की 27 सड़क संपर्कों का निर्माण करने के लिए प्रस्ताव भी सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं।

विवरण I

सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए गत तीन वर्षों में हिमालय के निकटवर्ती राज्यों में आबंटित निधियां

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	गत तीन वर्षों (2004-05, 2005-06 और 2006-07) के दौरान आबंटित निधियां
1.	जम्मू-कश्मीर	386.87
2.	हिमाचल प्रदेश	205.69
3.	उत्तराखंड	213.81
4.	सिक्किम	21.43
5.	पश्चिम बंगाल	1507.75
6.	अरुणाचल प्रदेश	76.27

विवरण II

सड़कों के सुधार और निर्माण कार्यों के लिए गत तीन वर्षों में हिमालय के निकटवर्ती राज्यों में सीमा सड़क संगठन द्वारा व्यय की गई धनराशि के राज्यवार ब्यौरे

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य	गत तीन वर्षों (2004-05, 2005-06 और 2006-07) के दौरान आबंटित निधियां
1.	जम्मू-कश्मीर	915.83
2.	हिमाचल प्रदेश	103.81
3.	उत्तराखंड	221.00
4.	सिक्किम	100.50
5.	अरुणाचल प्रदेश	413.61

अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास हेतु ग्यारहवीं योजना परिव्यय

***292. डा. अरूण कुमार शर्मा:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंतर्देशीय जलमार्ग परिवहन (आईडब्ल्यूटी) क्षेत्र के विकास के लिए ग्यारहवीं योजना परिव्यय को अंतिम रूप दिया जा चुका है और उसे अनुमोदित कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दसवीं योजना अवधि के दौरान प्राप्त उपलब्धियों का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान आरंभ की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) जी, हां। 11वीं योजना में अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र के लिए 615.00 करोड़ रु. (मौजूदा मूल्यों पर) का आवंटन किया गया है।

(ग) 10वीं योजना के दौरान अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गई कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:-

1. पटना और पांडु (गुवाहाटी) टर्मिनल पर एक-एक निचले स्तर की जेट्टी के निर्माण का कार्य पूरा कर लिया गया है। पटना और पांडु टर्मिनल पर एक-एक ऊंचे स्तर की जेट्टी के निर्माण का कार्य सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में सात स्थायी टर्मिनलों का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है।

2. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 के पटना-हल्दिया खंड, राष्ट्रीय जलमार्ग-2 के धुबरी-डिब्रुगढ़ खंड और राष्ट्रीय जलमार्ग-3 के कोच्चि-तकाजी जेटी खंड में एक वर्ष में लगभग 300 दिनों के लिए 2 मीटर की गहराई वाले फेयरवे के रखरखाव का कार्य।

3. राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में त्रिवेणी और फरक्का के बीच (364 कि.मी.), राष्ट्रीय जलमार्ग-2 में धुबरी से पांडु के बीच (255 कि.मी.) और राष्ट्रीय जलमार्ग-3 में कोच्चि से अल्लपुझा के बीच (100 कि.मी.) 24 घंटे नौचालन सुविधाओं की व्यवस्था।

4. अंतर्देशीय जल परिवहन क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की भागीदारी/के निवेश के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में 3 जेट्टियों के निर्माण/प्रचालन/प्रबंधन और राष्ट्रीय जलमार्ग-2 में बार्जों की खरीद/प्रचालन/प्रबंधन की 6 संयुक्त उद्यम परियोजनाओं के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

5. अंतर्देशीय जलयान निर्माण सहायकी योजना के अंतर्गत छः कार्गो और दो यात्री जलयानों के निर्माण का कार्य पूरा किया गया।

6. अंतर्देशीय जल परिवहन के माध्यम से कुल मिलाकर कार्गो की आवाजाही वर्ष 2003-04 में 1.63 बिलियन टन कि.मी. (32.48 मिलियन टन) से बढ़ कर वर्ष 2006-07 में 3.38 बिलियन टन कि.मी. (55.82 मिलियन टन) हो गई। पहली बार हल्दिया और पटना के बीच कार्गो की नियमित आवाजाही की व्यवस्था की गई। हल्दिया/कोलकाता से बांग्लादेश को फ्लाई एश, क्लिंकर और जिप्सम का संचलन पिछले 3 वर्षों में वर्ष 2002-03 में, 2,18,124 टन से बहुत अधिक बढ़ कर वर्ष 2006-07 में 7,99,347 टन हो गया।

7. केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत 107 करोड़ रु. की लागत की 15 राज्यों की 35 परियोजनाओं को संस्वीकृत किया गया।

8. तीन अन्य जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्गों के रूप में घोषित किए जाने के लिए संसद में विधेयक प्रस्तुत किए गए। यह हैं (1) गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ-साथ काकीनाडा-पुडुचेरी जलमार्ग (1095 कि.मी.), (2) ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा मध्य के साथ-साथ पूर्वी तट जलमार्ग (623 कि.मी.) और (3) बराक नदी (121 कि.मी.)।

(घ) 11वीं योजना के कार्यदल द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन के लिए निर्धारित की गई प्रमुख परियोजनाएं विवरण के रूप में संलग्न हैं। वह परियोजनाएं जो अंततः ग्यारहवीं योजना के दौरान प्रारंभ की जाएंगी, इस क्षेत्र के लिए अनुमोदित आयोजना परिव्यय पर निर्भर करेंगी।

विवरण

क्र.सं.	परियोजनाएं
1	2
	चालू परियोजनाएं
1.	भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को निम्नलिखित में (क) फेयर वे के विकास (ख) नौचालन सुविधाएं (ग) टर्मिनलों की परियोजना प्रारंभ करने के लिए अनुदान
	(1) राष्ट्रीय जलमार्ग-1
	(2) राष्ट्रीय जलमार्ग-2
	(3) राष्ट्रीय जलमार्ग-3
	(4) इंडो-बांग्लादेश प्रोटोकाल मार्ग

1	2
2.	सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित गतिविधियां
3.	एन आई एन आई और एस सी टी सी की स्थापना
4.	अंतर्देशीय जल परिवहन के प्रोत्साहन से संबंधित गतिविधियां
5.	संयुक्त उपक्रम (सरकारी-गैर सरकारी भागीदारी)
6.	तकनीकी अध्ययन और अनुसंधान एवं विकास
7.	अंतर्देशीय जलयान निर्माण सहायकी योजना
8.	केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना/उत्तर पूर्वी क्षेत्र/अन्य राज्यों के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना
	नई परियोजनाएं
1.	नए राष्ट्रीय जलमार्ग
	(1) राष्ट्रीय जलमार्ग-4 (गोदावरी और कृष्णा नदियों के साथ-साथ काकीनाडा-पुडुचेरी जलमार्ग)
	(2) राष्ट्रीय जलमार्ग-5 (ब्राह्मणी नदी और महानदी डेल्टा के साथ-साथ पूर्वी तट जलमार्ग)
	(3) राष्ट्रीय जलमार्ग-6 (बराक नदी-उत्तर पूर्वी क्षेत्र)
	(4) अन्य नए जलमार्ग
2.	अंतर्देशीय जल परिवहन प्रचालकों के लिए प्रोत्साहन
3.	देशी नावों (भुट-भुटीज) का यांत्रिकरण
4.	जलयान लीजिंग विशेष प्रयोजनीय वाहन
5.	समर्पित अंतर्देशीय जल परिवहन निधि (जलयान अधिग्रहण के लिए संयुक्त उद्यम)
6.	संयुक्त परिवहन परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था

टोल बैरियर के आबंटन हेतु मानदण्ड

***293. श्री ए. साई प्रताप:** क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या टोल बैरियर के आबंटन के लिए भिन्न-भिन्न मानदण्ड अपनाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में एक समान मानदण्ड न अपनाए जाने के क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-1 और 2 के अंतर्गत पूरी हो चुकी लोक वित्त पोषित परियोजनाओं के लिए प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण के लिए टोल प्लाजा का आबंटन पुनर्वास महानिदेशालय, रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रायोजित पूर्व-सैनिक एजेंसियों को किया जाता है। अभी हाल में, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से पथकर संग्रहण में सुधार के लिए प्रचालन, अनुरक्षण और हस्तांतरण (ओएमटी) व्यवस्था अपनाने के लिए कहा गया है।

इस समय सरकार की नीति राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 से 7 की परियोजनाओं के अंतर्गत सार्वजनिक-निजी भागीदारी से सड़क अवसंरचना के निर्माण की है। ऐसी परियोजनाओं के लिए पथकर संग्रहण की जिम्मेदारी रियायतग्राही की होती है और इसलिए टोल प्लाजा का संचालन रियायतग्राही द्वारा किया जाता है।

गैर-राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं में प्रयोक्ता शुल्क की वसूली संबंधित राज्य सरकारों द्वारा विभागीय तौर पर अथवा प्रतियोगी निविदा के आधार पर निजी ठेकेदारों के माध्यम से की जाएगी। टोल बैरियर का आबंटन प्रयोक्ता शुल्क संग्रहण की विधि के चयन पर निर्भर करता है।

[हिन्दी]

गैंडों के लिए अभयारण्य

***294. श्री मोहन सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में गैंडों के लिए बनाए गए राष्ट्रीय उद्यानों/आरक्षित क्षेत्रों/अभयारण्यों के नाम क्या हैं;

(ख) आज की तारीख के अनुसार देश के सभी राष्ट्रीय उद्यानों/आरक्षित क्षेत्रों/अभयारण्यों में राष्ट्रीय उद्यान/आरक्षित क्षेत्र/अभयारण्य-वार कुल कितने गैंडे हैं; और

(ग) सरकार द्वारा उनके रख-रखाव और संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) देश में सुरक्षित क्षेत्र, जहां गैंडें मौजूद हैं और उनका ब्यौरा और गैंडों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित है:

राज्य	सुरक्षित क्षेत्र	अनुमानित संख्या और अनुमान का वर्ष
असम	काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान	1855 (2006)
असम	मानस राष्ट्रीय उद्यान	4 (2008)
असम	ओरंग राष्ट्रीय उद्यान	68 (2006)
असम	पोबित्रा वन्यजीव अभयारण्य	81 (2006)
असम	लाओखोवा वन्यजीव अभयारण्य	1 (2006)
पश्चिम बंगाल	जलदापारा वन्यजीव अभयारण्य	108 (2006)
पश्चिम बंगाल	गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान	27 (2006)
उत्तर प्रदेश	दुधवा राष्ट्रीय उद्यान	27 (2008)

(ग) भारत सरकार द्वारा गैंडों सहित वन्य जीवों की सुरक्षा और उनके अवैध शिकार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

1. केन्द्रीय सरकार ने वन्यजीव अपराध के मामलों से निपटने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 अधिनियमित किया है। इस अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों को कठोर दंड दिया जाता है।

2. वन्यजीव सुरक्षा के लिए पूरे देश में राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य जीव अभयारण्यों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

3. वन्यजीव अपराधों को नियंत्रित करने के लिए पांच क्षेत्रीय और तीन उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो का गठन किया गया है।

4. गैंडों सहित वन्यजीवों और उनके वास स्थलों के संरक्षण और विकास के लिए राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को केन्द्रीय रूप से प्रायोजित स्कीमें-राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

5. भारत ने कन्वेशन आन इंटरनेशनल ट्रेड इन एन्डेजर्ड स्पीसिज आफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा (साइट्स) पर हस्ताक्षर किए है, जो वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिनियमित करता है।

6. भारत ने वन्यजीव संबंधी अपराधों को रोकने के लिए चीन और नेपाल के साथ द्विपक्षीय व्यवस्था की है।

इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों ने भी वन्य जीवों की सुरक्षा व गैंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. संवेदनशील क्षेत्रों में गहन रूप से गश्त लगाना और रिक्त पदों को भरना।

2. अन्य विधि प्रवर्तन अभिकरणों के साथ समन्वय स्थापित करना।

3. हथियार और गोला-बारूद और संचार सुविधाओं का प्रावधान करना।

4. जनता को प्रकृति के प्रति जागरूक बनाने के लिए अभियान चलाना।

5. स्थानीय समुदायों से सहयोग लेना।

[अनुवाद]

आस्ट्रेलिया द्वारा यूरेनियम की आपूर्ति

*295. **श्री प्रबोध पाण्डा:**
श्री किन्जरपु येरननायडु:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आस्ट्रेलिया सरकार भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने के लिए सहमत हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति करने के लिए आस्ट्रेलिया के साथ किसी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

बीजिंग ओलम्पिक खेल-2008 की तैयारी

*296. **प्रो. रासा सिंह रावत:**
श्री सी. कुप्पुसामी:

क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत ने बीजिंग ओलम्पिक खेल, 2008 में जिन खेलों में भाग लेने का निर्णय किया है उनके लिए खेल-वार प्रशिक्षण आदि सहित की गयी तैयारी का ब्यौरा क्या है;

(ख) पिछले ओलम्पिक खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के खराब प्रदर्शन के क्या कारण हैं;

(ग) सरकार द्वारा उसमें सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार द्वारा बीजिंग ओलम्पिक खेल, 2008 के लिए खिलाड़ियों की तैयारी/उनके प्रशिक्षण के लिए पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार कितनी धनराशि नियत की गयी और उसमें से कितनी धनराशि खर्च की गयी?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) बीजिंग ओलम्पिक, 2008 में भाग लेने के लिए 7 खेल-विधाओं अर्थात् निशानेबाजी, एथलेटिक्स, तीरंदाजी, मुक्केबाजी, कुश्ती, तैराकी टेबल टेनिस के 25 खिलाड़ियों ने क्वालीफाई किया है। खेल-विधावार विवरण निम्नलिखित है:-

निशानेबाजी	9
एथलेटिक्स	6
तीरंदाजी	4
मुक्केबाजी	2
तैराकी	1
कुश्ती	1
टेबल टेनिस	2

और अधिक खिलाड़ियों के क्वालीफाई करने की संभावना है। विभिन्न खेल विधाओं के खिलाड़ियों की अंतिम संख्या सभी क्वालीफाइंग राउंडों को पूरा होने के बाद ही पता चलेगी।

भारतीय खेल प्राधिकरण (भाखेप्रा) तथा राष्ट्रीय खेल परिसंघों ने 12 खेल-विधाओं में से 6 खेल विधाओं में, जिनमें बीजिंग ओलंपिक 2008 में भारत के भाग लेने की संभावना है, पदक जीतने की संभावना का पता लगाया है तथा कोचिंग, अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रदर्शनों, वैज्ञानिक व उपकरणों की सहायता और विदेशी कोचों को अनुबंधित करने के लिए अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं। खिलाड़ियों को दिए गए प्रशिक्षण व उनके वर्तमान खेल प्रदर्शन के आधार पर निशानेबाजी, तीरंदाजी, कुश्ती, मुक्केबाजी, एथलेटिक्स व टेनिस में भारत के पदक जीतने की संभावना जतायी जा रही है।

(ख) और (ग) 2004 में एथेंस में आयोजित पिछले ओलम्पिक खेलों सहित विगत में अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में हमारा समग्र खेल प्रदर्शन मुख्यत: प्रतिभाशाली एथलीटों का न्यून पूल होने के कारण असंतोषजनक रहा है जो कि हमारी युवा जनसंख्या की समग्र क्षमता की तुलना में बहुत कम है। बड़े पैमाने पर प्रतिभा को तलाशने, संपुष्ट करने और प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है ताकि हमारी पदक जीतने की संभावना को अंततगोत्वा पर्याप्त रूप से विस्तृत किया जा सके। इस मामले के समाधान के लिए सरकार ने हाल ही में पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान का अनुमोदन दिया है जिसका लक्ष्य बुनियादी स्तर पर मूलभूत खेल अवसंरचना उपलब्ध कराना और बुनियादी स्तर पर खेल स्पर्धाओं का संवर्धन करना है। दीर्घकाल में खेलों के आधार को विस्तृत करने के अलावा, प्रतिभाशाली एथलीटों की पहचान करने में कई गुना वृद्धि होगी जिन्हें उच्च खेल प्रदर्शन वाले एथलीटों में तब्दील किया जा सकेगा तथा इससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पदक जीतने की संभावना में वृद्धि होगी। मंत्रालय ने वृहत राष्ट्रीय खेल नीति, 2008 का भी मसौदा तैयार किया है जिसका लक्ष्य प्रणाली में कमियां ठीक करने के अलावा देश में खेलों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है जिससे अग्रणी खेल राष्ट्र के रूप में भारत सरलता से उभर कर सामने आ सके।

(घ) बीजिंग आलेम्पिक खेल, 2008 के लिए खिलाड़ियों को तैयार करने/प्रशिक्षण हेतु पृथक बजट आबंटित नहीं किया गया है। बीजिंग ओलम्पिक सहित सभी मुख्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अधिकाधिक पदक जीतने के लिए तैयारी एक सतत प्रक्रिया है और राष्ट्रीय खेल परिसंघों द्वारा तैयार की गई दीर्घकालिक विकास योजनाओं पर आधारित है। सरकार राष्ट्रीय खेल परिसंघों को विभिन्न गतिविधियों जैसे भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करने, विदेश में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों/टीमों में भाग लेने, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कोचों को अनुबंधित करने और उपस्करों और उपभोग की वस्तुओं की खरीद के लिए सहायता प्रदान करती है।

पहचाने गए पदक संभावितों की विशिष्ट कोचिंग/प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा करने के लिए अलग-अलग खिलाड़ियों को "प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित योजना" के अंतर्गत तथा "राष्ट्रीय खेल विकास निधि" के माध्यम से उपस्कर की खरीद, वैज्ञानिक सहायता और प्रशिक्षण का प्रावधान और देश तथा विदेश

में सहभागिता के लिए मंत्रालय सीधे सहायता भी प्रदान करता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन योजनाओं के अंतर्गत व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	योजना का नाम	जारी की गई धनराशि		
		2005-06	2006-07	2007-08 (जनवरी, 2008 तक)
1.	राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना	38.67	34.08	49.10
2.	प्रतिभा खोज और प्रशिक्षण से संबंधित योजना	0.50	2.8	3.0
3.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि	0.48	0.96	जारी की गई धनराशि 1.63 (कुल स्वीकृत धनराशि 2.20 करोड़ रु.)

औषधीय पौधों का संरक्षण

***297. श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
श्री गिरधारी लाल भार्गव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान देश में औषधीय पौधों के संरक्षण के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अवधि के दौरान औषधीय पौधों के संरक्षण हेतु राज्य सरकारों और गैर सरकारी संगठनों को राज्य-वार कितनी वित्तीय सहायता दी गई और इस कार्य पर कितना व्यय किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) और (ख) केंद्र सरकार ने अपनी राष्ट्रीय वन नीति, 1988, वन और वन्य जीव अधिनियमों के तहत पर्यावरण और वन मंत्रालय के माध्यम से वनों और वन्य जीवन के संरक्षण और सुरक्षा हेतु एक विनियामक क्रियाविधि बनाई है जिसमें औषधीय पादप भी शामिल है। राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम, 2002 औषधीय पादपों सहित वन्य संसाधनों तक पहुंच प्रक्रिया को विनियमित करता है। सीआईटीईएस और भारत सरकार द्वारा अधिसूचित नकारात्मक निर्यात सूची के अंतर्गत सूचीकृत विशिष्ट औषधीय पादपों के संरक्षण हेतु अधिसूचित दिशा-निदेश भी विद्यमान हैं। मूल रूप से वन्य क्षेत्रों में अवस्थित औषधीय पादप संरक्षण क्षेत्रों (एमपीसीए) की स्थापना करके कुछ विशिष्ट औषधीय पादपों के संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं को सहायता देने के लिए भी स्कीमें मौजूद हैं। राष्ट्रीय पार्कों और अभयारण्यों जैसे संरक्षित क्षेत्रों में मौजूद औषधीय पादपों को भी वन्य जीवन (संरक्षा अधिनियम), 1972 के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की गई है। भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण पुष्पोत्पादक सर्वेक्षण निष्पादित करने के साथ-साथ अपने उद्यानों में दुर्लभ और विलुप्तप्राय: औषधियों को भी संरक्षित करता है। मंत्रालय की विकास स्कीमें औषधीय पादपों सहित गैर-इमारती लकड़ी वन्य उत्पाद (एनटीएफपी) उत्पन्न करने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती हैं।

औषधीय पादप बोर्ड की स्थापना विभागों/संगठनों/राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करने के लिए की गई है। यह बोर्ड औषधीय पादप क्षेत्र के विकासार्थ स्कीमें बनाकर उनका कार्यान्वयन करता है। बोर्ड निम्नवत मुख्य क्रियाकलापों के साथ औषधीय पादपों के संरक्षण हेतु स्कीम को सहायता देता रहा है-

* उचित प्रबंधन मध्यस्थताओ क लिए औषधीय पादप संसाधनों का सर्वेक्षण, सूचीकरण, प्रलेखन और संरक्षण के प्रयोजनार्थ औषधीय पादपों को चिन्हित करना।
* औषधीय पादपों का स्वस्थाने संरक्षण।
* औषधीय उद्यानों और वनस्पति वनों का सृजन करके औषधीय पादपों का बाह्यस्थाने संरक्षण।
* औषधीय पादपों की कृषि हेतु गुणवत्ता रोपण सामग्री उत्पन्न करना।
* बहुत अधिक मांग वाले औषधीय पादपों, बारहमासी पादपों और जड़ी बूटियों की दुर्लभ, विलुप्तप्राय: एवं संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण और धारणीय संसाधनकृत विकास।
* वाणिज्यिक रूप से महत्वपूर्ण चिह्नित पादपों के किसानों, काश्तकारों को कृषि हेतु सहायता देना ताकि वनों पर पड़ने वाला दबाव कम हो सके और किसानों के लिए आजीविका के विकल्प भी उत्पन्न हो सकें।
* औषधीय पादपों की मांग और आपूर्ति का राष्ट्रीय स्तर पर मूल्यांकन।
* औषधीय पादपों के विपणन के संबंध में अद्यतन सूचना का संग्रहण एवं प्रसार।

* स्वास्थ्य परिचर्या के लिए औषधीय पादपों के उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने हेतु स्कूल जड़ी बूटीय उद्यानों और गृह जड़ी बूटीय उद्यानों जैसे संवर्धनात्मक क्रियाकलापों को सहायता।

* अच्छी कृषि और संग्रहण अभ्यासों के संबंध में संग्रहकर्ताओं, जनजातियों और किसानों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम।

* वनों से संसाधनकृत औषधीय पादपों के घरेलूकरण हेतु कृषि तकनीकों का विकास।

विवरण-I और II पर गत 3 वर्षों और वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान औषधीय पादपों के संरक्षण के संबंध में मुख्य क्रियाकलापों हेतु राज्य सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता और संस्वीकृत परियोजनाओं के ब्यौरे प्रस्तुत हैं।

विवरण I

राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड
आयुष विभाग

(रु. लाखों में)

संवर्धनात्मक स्कीम के अंतर्गत 2004-05 से 2007-08 के दौरान संरक्षण हेतु राज्य सरकार संगठनों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05			2005-06			2006-07			2007-08		
		परियोजनाओं की संख्या	राशि संस्वीकृत	राशि निर्गत	परियोजनाओं की संख्या	राशि संस्वीकृत	राशि निर्गत	परियोजनाओं की संख्या	राशि संस्वीकृत	राशि निर्गत	परियोजनाओं की संख्या	राशि संस्वीकृत	राशि निर्गत
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0.00	1	30.00	10.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	3	60.00	34.94	1	20.00	8.00	0	0.00	0.00
3.	असम	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	30.00	12.00	0	0.00	0.00
4.	दादरा और नगर हवेली	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	30.00	15.00
5.	गुजरात	1	20.00	15.00	0	0.00	0.00	3	78.00	38.00	4	1328.00	431.20
6.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	3	35.00	25.00	0	00.00	0.00	0	0.00	0.00
7.	जम्मू-कश्मीर	1	20.00	8.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
8.	झारखंड	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	25.00	12.00	0	0.00	0.00
9.	कर्नाटक	0	0.00	0.00	2	60.00	29.93	3	54.00	23.00	2	115.00	55.00
10.	मध्य प्रदेश	0	0.00	0.00	1	5.50	5.50	0	0.00	0.00	1	230.00	92.00
11.	मणिपुर	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	25.00	10.00	0	0.00	0.00
12.	मिजोरम	0	0.00	0.00	1	15.00	7.00	2	53.00	20.00	0	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13.	नागालैंड	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	60.00	27.00	0	0.00	0.00
14.	उड़ीसा	1	20.00	17.25	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
15.	राजस्थान	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	649.00	200.00
16.	तमिलनाडु	1	30.00	10.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	295.40	80.00
17.	त्रिपुरा	0	0.00	0.00	2	49.00	20.00	1	30.00	12.00	1	143.00	40.00
18.	उत्तर प्रदेश	1	10.00	7.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
	कुल	5	100.00	57.25	13	254.50	132.37	15	375.00	162.00	11	2790.40	913.20

विवरण II

राष्ट्रीय औषध पादप बोर्ड
आयुष विभाग

संवर्धनात्मक स्कीम के अंतर्गत 2007-08 के दौरान संरक्षण हेतु गैर-सरकारी संगठनों को प्रदत्त वित्तीय सहायता का विवरण

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05			2005-06			2006-07			2007-08		
		परियोजनाओं की संख्या	राशि संस्वीकृत	राशि निर्गत	परियोजनाओं की संख्या	राशि संस्वीकृत	राशि निर्गत	परियोजनाओं की संख्या	राशि संस्वीकृत	राशि निर्गत	परियोजनाओं की संख्या	राशि संस्वीकृत	राशि निर्गत
1.	दिल्ली	1	20.00	10.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
2.	तमिलनाडु	3	34.00	24.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00
3.	आंध्र प्रदेश	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	10.00	5.00
4.	छत्तीसगढ़	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	10.00	5.00
5.	हिमाचल प्रदेश	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	20.00	8.00
6.	झारखंड	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	16.90	8.00
7.	कर्नाटक	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	1	10.00	5.00
8.	तमिलनाडु	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	2	17.00	10.00
9.	उत्तराखण्ड	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	4	86.65	36.00
	कुल	4	54.00	34.00	0	0.00	0.00	0	0.00	0.00	11	170.55	77.00

[अनुवाद]

भारत में गरीबी

***298. श्री मधु गौड यास्खी:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक के प्राक्कलन के अनुसार भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या प्रतिदिन 2 अमरीकी डालर से भी कम में जीवन यापन करती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या अमरीका के इंटरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा हाल ही में किए गए अध्ययन के अनुसार भारत भुखमरी कम करने के लक्ष्य को आधे से भी कम प्राप्त कर पाया है;

(घ) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र ने मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स (एमडीजी) के एक भाग के रूप में गरीबी दूर करने हेतु भारत के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अब तक कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया; और

(च) एमडीजी के अंतर्गत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित विश्व विकास संकेतक 2007 के अनुसार वर्ष 2004-05 में भारत की 80 प्रतिशत जनसंख्या 2 डालर प्रतिदिन से नीचे जीवन-यापन कर रही थी। विश्वव्यापी गरीबी को कम करने में हुई प्रगति को मानीटर करने के उद्देश्य से 1993 के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर मापे गए और पीपीपी (क्रय शक्ति साम्यता) परिवर्तन घटक का प्रयोग करते हुए स्थानीय मुद्रा के अनुसार समायोजित दो यूएस डालर प्रतिदिन की अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के प्रतिशत के अनुमानों को विश्व बैंक द्वारा परिकलित किया जाता है। विश्व बैंक के गरीबी के इस पैमाने पर अनेक जानी पहचानी कमियां हैं। ये हैं: (1) यह देशों के भीतर जीवन-निर्वाह विभेदकों की अनुमति प्रदान नहीं करता, (2) यह लम्बे समय से चली आ रही और अस्थायी गरीबी के बीच अंतर नहीं करता, (3) यह केवल बाजार के माध्यम से डिलीवर की गई वस्तुओं और सेवाओं को महत्व देता है, (4) यह व्यय के अंत: परिवार आर्बटन पर विचार नहीं करता, और (5) यह परिवार के आकार और रचना में अंतर सहित केवल प्रारम्भिक तरीके से ही डील करता है। आकलन की इस पद्धति को देखते हुए इसकी कोई निश्चितता नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा सभी देशों में आवश्यकता अथवा वंचनाओं के उसी स्तर को मापने में समर्थ होगी। भारत सरकार इस अनुमान का प्रयोग नहीं करती क्योंकि यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों अथवा देश के विभिन्न राज्यों के बीच भेद नहीं करती।

(ग) से (ङ) इन्टरनेशनल फूड पालिसी रिसर्च इन्स्टीट्यूट (आईएफपीआरआई) द्वारा तैयार किए गए ग्लोबल हंगर इंडेक्स (जीएचआई) 2007 के अनुसार, भारत का जीएचआई स्कोल 1990 से 33.73 की तुलना में 2007 में 25.03 है। जीएचआई 2007 में भारत में गरीबी कम करने के लक्ष्य का विशिष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों (एमडीजी) के एक भाग के रूप में भारत के लिए गरीबी दूर करने का लक्ष्य निर्दिष्ट नहीं किया है। तथापि, एमडीजी में गरीबी कम करने का लक्ष्य है जिसके अनुसार उन लोगों का अनुपात जिनकी आय एक डालर प्रतिदिन से कम है, को 1990 से 2015 के बीच आधा किया जाना है। योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) के 50वें दौर (जुलाई 1993-जून, 1994) और 61वें दौर (जुलाई 2004-जून 2005) द्वारा कराए गए घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहत प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों पर आधारित दो नवीनतम तुलनीय अनुमानों का प्रयोग करते हुए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के अनुपात में 1993-94 में 36 प्रतिशत से 2004-05 में 27.5 प्रतिशत तक कमी देखी गई है।

(च) सरकार ने साहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पूरा करने के लिए अलग से कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। तथापि, सहस्त्राब्दी लक्ष्य पंचवर्षीय योजना में निर्धारित उद्देश्यों और लक्ष्यों के बिल्कुल समान है। वस्तुत:, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में यथा विनिर्दिष्ट गरीबी उपशमन संबंधी कुछ लक्ष्य सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में विनिर्दिष्ट किए गए कुछ लक्ष्यों की तुलना में अधिक महत्वाकांक्षी हैं। इन्हें प्राप्त करने के लिए, ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना ने अर्थव्यवस्था के लिए योजना अवधि (2007-12) के दौरान 9 प्रतिशत प्रतिवर्ष का विकास लक्ष्य रखा है और इसका उद्देश्य इस अवधि के अंत तक अर्थव्यवस्था को लगभग 10 प्रतिशत विकास के साथ एक संधारणीय विकास पथ पर लाने का है। ग्यारहवीं योजना में तीव्र और समावेशी विकास के लक्ष्यों को, आय व गरीबी, शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला व बच्चे, पर्यावरण, अवसंरचना इत्यादि के क्षेत्रों में मानीटरिंग योग्य समाजार्थिक लक्ष्यों के सेट के रूप में संग्रहीत किया गया है। सरकार अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित करती रही है जो अनिवार्य रूप से एमडीजी लक्ष्यों से

संबंधित हैं। गरीबी उपशमन से संबंधित मुख्य स्कीमों और कार्यक्रमों में शामिल हैं—सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना (आईएवाई), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम (एनआरईजीपी), स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एसजेएसआरवाई), लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई)। सरकार लोगों की पोषण स्थिति सुधारने के लिए भी अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। ये हैं- एकीकृत बाल विकास सेवा (आईसीडीएस), मिड डे मील स्कीम, इत्यादि। स्वास्थ्य के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है। शिक्षा के लिए, सर्वशिक्षा अभियान कार्यान्वित किया जा रहा है। जलापूर्ति और सफाई के लिए, क्रमशः त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) और सम्पूर्ण सफाई अभियान कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ग्रामीण और शहरी अवसंरचना के लिए, क्रमशः भारत निर्माण और जवाहर लाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन आरम्भ किए गए हैं। ये कार्यक्रम राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

खेल परिसंघों का प्रस्तावित पुनर्गठन

*299. **श्री काशीराम राणा:**
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का खेल परिसंघों के पुनर्गठन का कोई विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन परिसंघों के नाम क्या हैं जो खेलों में कारगर परिणाम नहीं दे पाए हैं और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन परिसंघों को प्रभावी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (घ) सरकार "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता हेतु दिशानिर्देश" के रूप में राष्ट्रीय खेल परिसंघों को मान्यता प्रदान करती है। मान्यता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खेल परिसंघ मंत्रालय को आवेदन देते हैं और मंत्रालय निम्नलिखित की जांच करने के बाद उनके प्रस्ताव पर विचार करता है:-

* संगठन की वर्तमान विधिक स्थिति।
* अंतर्राष्ट्रीय और एशियाड परिसंघों द्वारा मान्यता।
* भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा मान्यता।
* संबंधित खेल के लिए भारत में शीर्ष निकाय के रूप में इसकी निर्विवाद स्थिति।
* संपूर्ण भारत में पहुंच।
* भारत में खेलों के संवर्धन व विकास में संगठन की भूमिका व योगदान।
* आंतरिक वित्तीय व प्रबंधन प्रथा व मानक।
* निर्वाचन प्रक्रिया।
* खिलाड़ियों के हित व कल्याण की सुरक्षा व संवर्धन।

मंत्रालय, राष्ट्रीय खेल परिसंघों की मान्यता निलंबित व रद्द करने का अधिकार रखता है यदि उनकी आंतरिक कार्यप्रणाली में गंभीर अनियमितताओं का पता चलता है। यदि सरकार यह महसूस करती है कि परिसंघ, जिसे विशिष्ट खेल के लिए मान्यता प्रदान की गयी है, खेल के विकास के लिए कार्य नहीं कर रहा है तो सरकार उस परिसंघ को प्रदान की गयी मान्यता वापस ले सकती है।

विभिन्न खेल विधाओं के विकास और संवर्धन की मुख्यतः जिम्मेदारी संबंधित राष्ट्रीय खेल परिसंघों की है। सरकार उनके द्वारा सहमत दीर्घावधिक विकास योजनाओं के अनुसार भारत में राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं आयोजित करने, उपस्करों की खरीद, विदेश में अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में भारतीय खिलाड़ियों/टीमों की प्रतिभागिता व प्रशिक्षण, अपेक्षित तकनीकी और वैज्ञानिक समर्थन सहित भारतीय व विदेशी कोचों के अधीन भारत में प्रशिक्षण/कोचिंग के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को बढ़ावा देती है।

वित्तीय सहायता की मात्रा निर्धारित करने के लिए मंत्रालय ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को उनके ओलंपिक/एशियाई/राष्ट्रमंडल खेलों व विश्व चैम्पियनशिपों में प्रदर्शन के आधार पर निम्नलिखित तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा है:

* प्राथमिकता
* सामान्य
* अन्य

मंत्रालय द्वारा इन श्रेणियों की अप्रैल-मई, 2007 में समीक्षा की गयी थी और राष्ट्रमंडल/एशियाई खेल, 2006 और विश्व चैम्पियनशिप में प्रदर्शन के आधार पर निम्नलिखित खेल विधाओं की श्रेणियां बदली गयीं:-

खेल विधा	मौजूदा श्रेणी	संशोधित श्रेणी
हाकी (पुरुष)	प्राथमिकता	सामान्य
स्क्वैश	सामान्य	प्राथमिकता
वालीबाल	सामान्य	अन्य
ताइक्वांडो	प्राथमिकता	सामान्य
कराटे	सामान्य	अन्य
फुटबाल	प्राथमिकता	अन्य
साइक्लिंग	प्राथमिकता	अन्य
तैराकी	प्राथमिकता	सामान्य
कयाकिंग व केनोइंग	सामान्य	प्राथमिकता
फैंसिंग	सामान्य	अन्य
वुशु	अन्य	प्राथमिकता
शीतकालीन खेल	सामान्य	अन्य

राष्ट्रीय खेल परिसंघ स्वायत्तशासी निकाय हैं और उनके अपने संगम ज्ञापन व संगम अनुच्छेद होते हैं तथा सरकार उनकी आंतरिक कार्यप्रणाली में हस्तक्षेप नहीं करती है। तथापि, मंत्रालय एक व्यापक राष्ट्रीय खेल नीति को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ राष्ट्रीय खेल परिसंघों को आधुनिक खेलों की चुनौतियों का सामना करने के लिए स्वयं को सुधारने व आधुनिक बनने के लिए कहा गया है। नीति का उद्देश्य राष्ट्रीय खेल परिसंघों के बीच अथवा अलग-अलग राष्ट्रीय खेल परिसंघ और खिलाड़ी के बीच विवाद सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों पर आधारित एक स्वतंत्र खेल पंचाट और मध्यस्थता तंत्र का गठन भी है।

[अनुवाद]

मुख्य पत्तनों हेतु संदर्शी योजनाएं

***300. श्री अबू अयीश मंडल:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मुख्य पत्तनों के विकास हेतु संदर्शी योजना तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय परामर्शदाताओं की सेवाएं ली हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी पत्तन-वार ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए परामर्शदाताओं को 12 महापत्तनों द्वारा प्रत्येक पत्तन के लिए 20 वर्ष के परिप्रेक्ष्य के साथ व्यापार योजनाएं तैयार करने का काम सौंपा गया था। 12 महापत्तनों द्वारा काम पर लगाए गए परामर्शदाताओं के नाम निम्नानुसार हैं:

क्र.सं.	पत्तन का नाम	परामर्शदाता का नाम
1.	कोलकाता पत्तन न्यास	मैसर्स रायल हैन्सकोनिंग एंड क्रिसिल
2.	पारादीप पत्तन न्यास	मैसर्स ट्रांसकेयर लोजिस्टिक एंड फारास बी.वी.
3.	विशाखापट्टनम पत्तन न्यास	मैसर्स रोटेरडैम मेरिटाईम ग्रुप एंड टाटा कंसल्टैंसी सर्विसिज
4.	चेन्नई पत्तन न्यास	मैसर्स डेलाइट्ट टच
5.	इन्नौर पत्तन लिमिटेड	मैसर्स हैमबर्ग पोर्ट कंसल्टैंसी एंड कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसिज
6.	तूतीकोरिन पत्तन न्यास	मैसर्स ट्रांसकेयर लोजिस्टिक एंड फारास बी.वी.
7.	कोचीन पत्तन न्यास	मैसर्स ट्रांसकेयर लोजिस्टिक एंड फारास बी.वी.
8.	नव मंगलूर पत्तन न्यास	मैसर्स रोटेरडैम मेरिटाईम ग्रुप एंड टाटा कंसल्टैंसी सर्विसिज
9.	मुरगांव पत्तन न्यास	मैसर्स हैलक्रो कंसल्टिंग एंड अर्नेस्ट एंड यंग
10.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन न्यास	मैसर्स के पी एम जी, मेयरिक एसोसिएट्स एंड साई टैक्नो कंसल्टैंट्स
11.	मुंबई पत्तन न्यास	मैसर्स के पी एम जी, मेयरिक एसोसिएट्स एंड साई टैक्नो कंसल्टैंट्स
12.	कांडला पत्तन न्यास	मैसर्स के पी एम जी, मेयरिक एसोसिएट्स एंड साई टैक्नो कंसल्टैंट्स

[हिन्दी]

गोमूत्र की औषधीय उपयोगिता

2732. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोमूत्र की औषधीय उपयोगिता का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या भारतीय चिकित्सा पद्धति में गोमूत्र की इस औषधीय उपयोगिता का कोई उल्लेख है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या गोमूत्र की औषधीय उपयोगिता का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान कराया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। घटक के रूप में गोमूत्र का प्रयोग विभिन्न आयुर्वेदिक औषध योगों में शताब्दियों से हो रहा है। पंचगव्य 5 गऊ उत्पादनों यथा गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी का सम्मिश्रण है जिसका उपयोग आयुर्वेदिक औषधियों में होता है।

(घ) और (ङ) जैव उपलब्धता मूल्यांकन अध्ययन के माध्यम से सीआईएमएपी, लखनऊ में एक नए जैव क्रियाकलाप (जैव पूर्वेक्षण) पर कार्यरत वैज्ञानिकों के एक दल ने यह पाया है कि गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र, नागपुर (जिसे केंद्र द्वारा बंद बोतल में बेचा जाता है) से प्राप्त गो मूत्र डिस्टिलेट (कामधेनु अर्क) सामान्यत: प्रयुक्त एंटीबायोटिक्स और कैंसर रोधी औषधों के लिए जैव वृद्धिकर्ता के रूप में जैविक असर रखता है। इन प्रयोगों में यह भी पाया गया कि अति निम्न सकेंद्रण पर गो मूत्र आसवन से ग्राम नकारात्मक और ग्राम सकारात्मक बैक्टीरिया के मुकाबले रिफामपिसिन और एंपिसिलिन की सक्रियता में तेजी आई। इसके अतिरिक्त, कैंसर रोधी औषध टैक्सोल (पैक्लीटैक्सल) की सक्रियता में इस गो मूत्र आसवन के समावेशन से वृद्धि भी दृष्टिगोचर हुई।

बंद पड़ी कोयला खानों का प्रचालन

2733. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कंपनी-वार प्रचालित की जा रही खानों तथा बंद पड़ी खानों की संख्या सहित कोयला खानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार बंद पड़ी कोयला खानों का पुन: प्रचालन आरंभ करने का है; और

(ग) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) 1.10.2007 की स्थिति के अनुसार कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की विभिन्न सहायक कंपनियों में क्रियाशील कोयला खानों की संख्या 472 है। राष्ट्रीयकरण के बाद अनेक यूनिटों/खानों का समूहीकरण/आमेलन किया गया। क्रियाशील सीमों में भंडार के समाप्त होने के कारण सुरक्षा और तकनीकी-आर्थिक आधार पर कुछ राष्ट्रीयकृत यूनिटों/खानों को अब बंद कर दिया गया है। अत: अब बंद की गई खानों की निश्चित मात्रा को विनिर्दिष्ट करना कठिन है। तथापि, उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार राष्ट्रीयकरण के बाद से सीआईएल में कुल 191 खानें/यूनिटें बंद कर दी गई हैं।

नेयवेली लिग्नाइट कारपोरेशन लि. (एनएलसी) 4 लिग्नाइट खानें प्रचालित कर रहा है और अब तक कोई खान बंद नहीं की गई है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) में प्रचालनरत खानों की संख्या 55 है और बंद खानों की संख्या 41 है। तथापि एससीसीएल की कुछ बंद खानों को ओपनकास्ट खानों में परिवर्तित कर दिया गया है।

(ख) और (ग) खानों को खोलना और बंद करना एक ऐसा कार्यकलाप है जिसे सावधानीपूर्वक और सुव्यवस्थित तरीके से किया जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी कोयला खनन कंपनी में आयोजना एक सतत प्रक्रिया है।

कोयला खनन स्थल विशिष्ट है और यह प्रारंभिक, शीर्ष और अंतिम के रूप में परियोजना जीवनचक्र के विभिन्न चरणों से गुजरता है। खानें निम्नलिखित कारणों से बंद होती हैं:

1. भंडारों की समाप्ति
2. प्रतिकूल भूखनन स्थितियां
3. अलाभकारी प्रचालन

कभी-कभी बंद भूमिगत खानों जिनमें अवरोधों, विभाजक पतली सीमों आदि के रूप में कोयले की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होती है, को पुन: खोलना तथा ओपनकास्ट प्रणाली से खनन करना संभव होता है।

[अनुवाद]

केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाएं

2734. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से कर्नाटक में चालू केन्द्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इसके लिए प्रत्येक राज्य को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये योजनाएं/कार्यक्रम राज्यों में विभिन्न बीमारियों को नियंत्रित करने में सहायक सिद्ध हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) स्वास्थ्य संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों को पुरजोर ढंग से क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पामाबाका लक्ष्मी): (क) कर्नाटक सहित देश के विभिन्न राज्यों में अन्य के साथ-साथ राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीसीपी), राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, वेक्टर जनित, दृष्टिहीनता नियंत्रण, कुष्ठ रोग उन्मूलन, क्षय रोग नियंत्रण से संबंधित राष्ट्रीय कार्यक्रम एवं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत अन्य कार्यक्रमों सहित प्रमुख केंद्रीय प्रायोजित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) जी, हां।

(घ) उपर्युक्त मुख्य कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त हुई सफलता संलग्न विवरण में दी गई है।

(ङ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से संबंधित केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की गति को सुधारने के लिए उपाय शुरू करना एक अनवरत प्रक्रिया है। इस दिशा में किए गए उपायों में अन्य के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

* महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के जरिए घरेलू स्तर पर बेहतर स्वास्थ्य परिचर्या तक पहुंच को बढ़ावा देना;
* अपेक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराते हुए मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण;
* पेयजल, सफाई, स्वच्छता एवं पोषण सहित जिला स्वास्थ्य मिशन द्वारा तैयार की गई अंतर्क्षेत्रीय जिला स्वास्थ्य योजना बनाना एवं उसका कार्यान्वयन करना;
* राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं ब्लाक स्तरों पर शीर्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों को एकीकृत करना;
* सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय, राज्य एवं जिला स्वास्थ्य मिशन को तकनीकी सहायता;
* जन स्वास्थ्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी को बढ़ावा देना;
* आयुष को मुख्य धारा में लाना-स्थानीय स्वास्थ्य पद्धतियों का नवीनीकरण करना;
* प्रभावी एवं पारदर्शी रिस्क पूलिंग तथा निर्धनों को सुलभ, वहनीय, उत्तरदायी तथा अच्छी गुणवत्ता वाली अस्पताल परिचर्या इत्यादि को सुनिश्चित करते हुए स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने हेतु सामाजिक स्वास्थ्य बीमा;
* मेडिकल कालेजों, सामान्य अस्पतालों, गैर-सरकारी संगठनों और निजी चिकित्सकों को विभिन्न रोग नियंत्रण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में शामिल करना;
* क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम की संशोधित कार्यनीति के अंतर्गत अधिक जनसंख्या को कवर करना;
* एड्स नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत व्यापक जागरूकता अभियान, उच्च जोखिम व्यवहार वाले लोगों हेतु लक्षित कार्य-कलाप, माता-पिता से बच्चे को होने वाले संक्रमण की रोकथाम के लिए सुविधाओं का सृजन करना इत्यादि;
* राज्यों में विभिन्न स्वास्थ्य कार्यक्रमों की समीक्षा, अनुवीक्षण और पर्यवेक्षण करना।

विवरण

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के मुख्य कार्यक्रमों के संबंध में प्राप्त उपलब्धि को दर्शाने वाला ब्यौरा

क्र.सं.	कार्यान्वयन के अधीन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रम	उपलब्धियां
1	2	3
1.	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम)	* दिसम्बर 2007 तक 5.48 आशा के संपर्क कार्यकर्ताओं का चयन किया गया और 4.62 लाख से अधिक को प्रशिक्षण दिया गया। * 551 जिला अस्पतालों, 4066 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/उप-प्रभागीय अस्पताल और 12983 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में रोगी कल्याण समितियों की स्थापना की गई है। * 2007-08 में 188 मोबाइल चिकित्सा एककों को प्रचालनात्मक बनाया गया है। * खुली निधियों के उपयोग द्वारा 1.24 लाख उप-केंद्रों को और अधिक प्रभावी बनाया गया है। * 1161 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में उन्नयन कार्य आरंभ हो गया है। * 8756 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 24×7 आधार पर प्रचालनात्मक बनाया गया है। * इस स्तर पर मानव संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए 4279 डाक्टर, 2471 विशेषज्ञों और 13864 स्टाफ नर्सों को संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है।
2.	राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण संशोधित कार्यक्रम (आरएनटीसीपी)	24 मार्च, 2006 से देश के सभी जिलों को डाट्स के द्वारा कवर किया गया है। रोगमुक्ति की दर 85% के वैश्विक लक्ष्य से लगातार अधिक रही है।
3.	राष्ट्रीय कुष्ठ रोग उन्मूलन कार्यक्रम	सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग के उन्मूलन के मुख्य लक्ष्य को प्राप्त किया गया, दिसम्बर, 2005 के माह में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति 10,000 की जनसंख्या पर 1 से कम मामले के रूप में परिभाषित किया गया।
4.	राष्ट्रीय दृष्टिहीनता निंत्रण कार्यक्रम	दृष्टिहीनता की व्यापतता दर 2007 तक 10वीं योजना की 0.8% की लक्षित दर के मुकाबले 1% तक कम हुई है।
5.	राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी)	मलेरिया: विगत वर्षों से, मलेरिया की घटना को 2 मिलियन वार्षिक से नीचे लाया गया है। फाइलेरिया: वर्ष 2015 तक, लिम्फेटिक फाइलेरिया के उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 2004 में लक्ष्य जनसंख्या की कवरेज 72.6%, 2005 में 79.8%, 2006 में 84% और 2007 में 87% थी।

1	2	3
		काला-आजार: 2010 तक काला-आजार के उन्मूलन को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के लक्ष्य के रूप में परिकल्पित किया गया है। भारत सरकार ने काला-आजार उन्मूलन के प्रयासों को तेज कर दिया है।
6.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम	वार्षिक प्रहरी निगरानी के परिणामों के अनुसार, वयस्कों में एचआईवी संक्रमण की व्याप्तता दर स्थिर हुई है। 2004 में व्याप्तता दर 0.41%, 2005 में 0.39% और 2006 में 0.36% थी।
7.	राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम (एनसीसीपी)	कार्यक्रम का उद्देश्य कैंसर की रोकथाम, शीघ्र निदान और उपचार करना है। कार्यक्रम के अंतर्गत तीन क्षेत्रीय कैंसर केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता दी गई है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण

2735. श्री राजनरायण बुधौलिया: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री 28 नवंबर, 2007 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1651 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सूचना एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह सूचना कब तक एकत्रित किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान निर्मित/निर्मित किए जाने के लिए प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई विवरण-I में दी गई है। इसके लिए आबंटित/स्वीकृत धनराशि के राज्यवार ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं। गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई प्रमुख सड़क परियोजनाओं और चालू परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के राज्यवार ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं। चालू वर्ष 2007-08 के दौरान दो नए राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा की गई है। इनके ब्यौरे विवरण-IV में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

चालू वर्ष 2007-08 के दौरान स्कीमवार भौतिक लक्ष्य और उपलब्धियां

क्र.सं.	स्कीम	2007-08	
		लक्ष्य	उपलब्धि (31.01.2008 तक)
1	2	3	4
1.	मंत्रालय		
	(1) लो ग्रेड खंड का सुधार (किमी.)	00.00	8.08
	(2) चार लेन बनाना (किमी.)	33.00	19.00
	(3) विद्यमान कमजोर पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण (किमी.)	571.00	682.48

1	2	3	4
	(4) दो लेन बनाना (किमी.)	736.00	606.84
	(5) सड़क गुणता सुधार कार्यक्रम (किमी.)	1372.00	1084.33
	(6) बाइपासों का निर्माण (संख्या)	3	2
	(7) मिसिंग लिंक का निर्माण (किमी.)	15.00	22.85
2.	एनएचएआई		
	(1) 4 लेन बनाना (किमी.)	2885.00	989.73
	(2) बाइपासों का निर्माण (संख्या)	11	1
3.	बीआरडीबी		
	(1) लो ग्रेड खंड का सुधार (किमी.)	25.00	11.06
	(2) चार लेन बनाना (किमी.)	1.00	0.00
	(3) विद्यमान कमजोर पेवमेंट का सुदृढ़ीकरण (किमी.)	6.00	3.09
	(4) दो लेन बनाना (किमी.)	183.00	96.29
	(5) सड़क गुणता सुधार (कार्यक्रम (किमी.)	230.00	65.14
	(6) मिसिंग लिंक का निर्माण (किमी.)	7.00	4.89

विवरण II

चालू वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए निधियों का आबंटन

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	विकास (रारा (मूल)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	73.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	8.00
3.	असम	10.00
4.	बिहार	90.00
5.	चंडीगढ़	2.00
6.	छत्तीसगढ़	47.00
7.	दिल्ली	11.50
8.	गोवा	15.00
9.	गुजरात	62.00
10.	हरियाणा	80.00
11.	हिमाचल प्रदेश	57.00
12.	झारखंड	53.00
13.	कर्नाटक	92.00
14.	केरल	54.00
15.	मध्य प्रदेश	72.00
16.	महाराष्ट्र	125.00

1	2	3
17.	मणिपुर	25.00
18.	मेघालय	40.00
19.	मिजोरम	15.00
20.	नागालैंड	15.00
21.	उड़ीसा	130.00
22.	पुद्दुचेरी	8.50
23.	पंजाब	78.90
24.	राजस्थान	96.00
25.	तमिलनाडु	90.00
26.	उत्तर प्रदेश	130.00
27.	उत्तराखंड	47.00
28.	पश्चिम बंगाल	61.00
29.	एनएचएआई*	17880.00
30.	बीआरओ*	600.00

*भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और सीमा सड़क संगठन को निधियां राज्यवार आवंटित नहीं की जाती हैं।

विवरण III

गत तीन वर्षों (2004-07) के दौरान शुरू की गई प्रमुख परियोजनाएं (20 करोड़ रु. से अधिक लागत की) और चालू परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	गत तीन वर्षों के दौरान शुरू की गई परियोजनाएं		गत तीन वर्षों के दौरान पूर्ण हो चुकी परियोजनाएं		प्रगतिशील परियोजनाएं	
		संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	14	4223.80			14	4223.80
2.	अरुणाचल प्रदेश	3	78.45	1	24.90	2	53.55
3.	असम	27	5308.09			27	5308.09
4.	बिहार	13	3768.28			13	3768.28
5.	छत्तीसगढ़	2	654.00			2	654.00
6.	गुजरात	10	4572.88	1	276.07	9	4296.81
7.	हरियाणा	2	379.00			2	379.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1	20.76			1	20.76
9.	जम्मू-कश्मीर	5	605.39			5	605.39
10.	कर्नाटक	6	2081.31			6	2081.31
11.	केरल	2	336.66			2	336.66

1	2	3	4	5	6	7	8
12.	मध्य प्रदेश	14	3551.67	1	46.00	13	3505.67
13.	महाराष्ट्र	14	3020.53			14	3020.53
14.	मणिपुर	3	89.23			3	89.23
15.	मेघालय	1	29.12			1	29.12
16.	पंजाब	6	1402.70			6	1402.70
17.	राजस्थान	13	4946.00			13	4946.00
18.	सिक्किम	0	0.00			0	0.00
19.	तमिलनाडु	30	10828.72			30	10828.72
20.	त्रिपुरा	1	20.12			2	20.12
21.	उत्तर प्रदेश	24	7156.08			24	7155.08
22.	उत्तराखंड	1	25.32			1	25.32
23.	पश्चिम बंगाल	4	668.82			4	668.82

विवरण IV

2007-08 के दौरान घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग सं.	राष्ट्रीय राजमार्ग का विवरण
1.	पश्चिम बंगाल	31डी	सिलीगुडी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-31 से प्रारंभ होकर और बाया फुलबाड़ी, मैनागुड़ी, धुपगुड़ी, फालाकाता और सोनापुर सलसलाबाड़ी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग 31सी से जुड़ता है।
2.	केरल	47सी	काला मसाली के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग-31 से प्रारंभ होकर राष्ट्रीय राजमार्ग-17 को क्रास करते हुए वल्लारपदम पर समाप्त होता है।

[अनुवाद]

गोवा से अन्य देशों को यात्री कार्गो

2736. श्री सुनील खां: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गोवा से अन्य देशों के लिए यात्री कार्गो आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) क्या इस उद्देश्य के लिए पत्तन का विस्तार किया जाएगा; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (घ) मुरगांव पत्तन से सामान्यत: माल भेजने वालों (फ्रेट फारवर्डर्स) द्वारा औद्योगिक कार्गो भेजा जा रहा है और इस पत्तन के माध्यम से व्यक्ति/यात्री के साथ में रहे बिना बहुत कम कार्गो भेजा जा रहा है। इसके अलावा मुरगांव पत्तन से अन्य देशों को ऐसे कार्गो को भेजे जाने के लिए कोई मांग नहीं है।

संसाधनों का अव्यपगतनीय केन्द्रीय पूल

2737. श्री हितेन बर्मन: क्या **उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान प्रत्येक उत्तर-पूर्व राज्य द्वारा संसाधनों के अव्यपगतनीय केन्द्रीय पूल परियोजना के अंतर्गत कुल कितनी धनराशि की मांग की गई तथा इस अवधि के दौरान राज्य-वार कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई;

(ख) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्यों की सरकार द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाएं प्रस्तावित एवं अनुमोदित की गईं तथा इसके लिए कितनी धनराशि संस्वीकृत की गई तथा वे कौन-कौन सी परियोजनाएं हैं जिनको सरकार से अनुदान प्राप्त हुआ; और

(ग) इस संबंध में कतिपय स्वीकृत परियोजनाओं के लिए धनराशि जारी नहीं करने के क्या कारण हैं?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकारें अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) स्कीम के तहत निधियन हेतु परियोजनाओं की प्राथमिकता सूचियां प्रस्तुत करती है। प्रत्येक उत्तर पूर्वी राज्य द्वारा उनकी 2006-07 तथा 2007-08 की प्राथमिकता सूचियों के माध्यम से निधियन के लिए मांगी गई कुल राशि तथा 2006-07 और 2007-08 के दौरान सभी प्राथमिकता सूचियों के प्रति प्रत्येक राज्य की रख ली गई परियोजनाओं की राज्यवार अद्यतन स्थिति के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट www.mdoner.gov.in पर उपलब्ध है।

(ख) और (ग) सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्य सरकारों द्वारा 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान प्रस्तावित परियोजनाओं की राशि सहित नाम, तकनीकी आर्थिक जांच के लिए रखी गई/स्वीकृत की गई परियोजनाओं के नाम मंत्रालय की वेबसाइट www.mdoner.gov.in पर उपलब्ध हैं। एन एल सी पी आर के तहत परियोजनाओं की स्वीकृति के पश्चात ही निधियां जारी की जाती हैं। त्रिपुरा तथा सिक्किम की 2006-07 तथा 2007-08 की प्राथमिकता सूचियों में एन एल सी पी आर के तहत स्वीकृत कोई भी ऐसी परियोजना नहीं है, जिसके लिए निधियां न जारी की गई हों।

[हिन्दी]

कोयला मूल्य नीति

2738. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला मूल्य निर्धारित करने की विद्यमान नीति क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार विद्यमान कोयला मूल्य नीति में परिवर्तन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रक्षित कोयला खनन के आबंटन हेतु दस शीर्ष निजी तथा सरकारी कंपनियों का ब्यौरा क्या है तथा इनमें खनन की क्या स्थिति है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) कोयले का मूल्य निर्धारण 01.01.2000 से विनियंत्रित कर दिया गया है। कोयला कंपनियां स्वयं इनपुट लागत, राष्ट्रीय मुद्रास्फीति सूचकांक आदि के आधार पर कोयले का मूल्य निर्धारित करती हैं तथा इसे आवधिक रूप से अधिसूचित करती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न के भाग (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) केप्टिव कोयला खनन ब्लाकों के आवंटन के संबंध में ऐसा कोई श्रेणीकरण नहीं है।

स्पेन में भारतीयों की गिरफ्तारी

2739. श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्पेन सरकार ने कुछ भारतीयों को उनके आतंकवादियों से संबंध होने के शक पर गिरफ्तार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) आतंकवाद से संबंधित आरोपों पर संदिग्ध पाए जाने के कारण स्पेन के प्राधिकारियों द्वारा 19.01.2008 को भारतीय होने का दावा करने वाले दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। उनमें से एक श्री रोशन जमाल खान की भारतीय राष्ट्रीयता की पुष्टि हुई है। राजदूतावास के अधिकारियों ने उनसे भेंट की है और उनके विरुद्ध लगाए गए औपचारिक आरोपों के संबंध में स्पेन के प्राधिकारियों से जानकारी देने का अनुरोध किया है।

[अनुवाद]

किसानों की सहायता के लिए योजनाएं

2740. श्री नरहरि महतो: क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर-पूर्व विकास वित्त निगम लिमिटेड (एनईडीएफसी) ने उत्तर-पूर्व क्षेत्र में लघु ऋण के माध्यम से किसानों की सहायता कराने की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक कार्यान्वित कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान आज तक उत्तर-पूर्व विकास वित्त निगम लिमिटेड द्वारा किसानों को कितनी धनराशि आबंटित की गई?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) लघु ऋण के माध्यम से किसानों की प्रत्यक्ष रूप से सहायता करने की उत्तर-पूर्व विकास वित्त निगम लिमिटेड (नेडफी) की विशेष रूप से कोई भी स्कीम नहीं है। नेडफी लघु वित्त पोषण (एमएफ), उत्तर पूर्व उद्यमी विकास स्कीम (नीड्स) तथा महिला उद्यमी विकास स्कीम (वैड्स) जैसी स्कीमों के तहत उनके प्रस्तावों को शामिल करके किसानों की सहायता कर रही है।

(ग) नेडफी किसी भी स्कीम के तहत सेक्टोरल निधि आबंटित नहीं करती है। तथापि, उक्त सभी स्कीमों के तहत कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों के लिए गत दो वर्षों तथा चालू वर्ष के दौरान किया गया संवितरण इस प्रकार है:

वर्ष	राशि (करोड़ रुपये में)
2005-06	1.31
2006-07	1.08
2007-08 (13.03.2008 तक)	0.45

[हिन्दी]

निजी विद्युत वितरण कंपनियां तथा सूचना का अधिकार अधिनियम

2741. श्री वी.के. दुग्मर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या निजी विद्युत वितरण कंपनियों को सूचना के अधिकार अधिनियम में शामिल नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) यदि नहीं, तो गत तीन वर्षों के दौरान आज तक इन निजी कंपनियों द्वारा कितनी सूचना प्रस्तुत की गई; और

(घ) सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत केन्द्र तथा राज्य सरकारों को संयुक्त उद्यम से सूचना प्राप्त करने संबंधी मानदण्ड क्या हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) केवल वे गैर-सरकारी संगठन, जो सरकार द्वारा मुहैया कराई गई निधियों से पर्याप्त रूप से वित्तपोषित हैं, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में शामिल हैं।

(ग) सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

(घ) लोक प्राधिकरणों से सूचना प्राप्त करने के मानदण्ड अधिनियम में निर्धारित किए गए हैं।

उत्तर-पूर्व क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं

2742. श्री कीरेन रिजीजू:
श्री सुव्रत बोस:

क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के अवसंरचनात्मक विकास के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई तथा क्रियान्वित की जा रही व्यापक नीति तथा कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार, परियोजना-वार तथा राज्य-वार उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सरकार द्वारा क्रियान्वयन हेतु आरंभ की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) के अवस्थापना विकास सहित संपूर्ण विकास के लिए भारत सरकार ने सभी केंद्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों (छूट प्राप्त को छोड़कर) द्वारा अपने योजनागत बजट में कम से कम 10 प्रतिशत प्रावधान उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हेतु रखने की नीति की घोषणा की है तथा उसका अनुसरण कर रही है। इस अधिदेशित प्रावधान में से व्यय न हुई शेष राशि व्यपगत नहीं होती है तथा इसे अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) के नामे डाला दिया जाता है। एनएलसीपीआर स्कीम के तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (डोनर) के लिए 'पूल' से उत्तर पूर्वी राज्यों के अवस्थापना विकास के लिए बजटीयं प्रावधान किया जाता है। स्वीकृत परियोजनाओं में विद्युत क्षेत्र (उत्पादन, संचारण तथा वितरण), सड़कें तथा पुल, सिंचाई तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, खेल आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, पूर्वोत्तर परिषद (एनईसी) भी जो कि साविधिक निकाय है, क्षेत्र के अवस्थापना विकास की परियोजनाएं स्वीकृत करती हैं। इसके अतिरिक्त, उत्तर पूर्वी राज्यों को भारत सरकार द्वारा विशेष वर्ग के राज्यों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। विशेष नीति विधान के अनुसार डोनर की स्कीमों का निधियन 90:10 (अनुदान : ऋण) के आधार पर किया जाता है। भारत सरकार ने वाणिज्य मंत्रालय के माध्यम से 'उत्तर पूर्वी औद्योगिक तथा निवेश संवर्धन नीति' (एनईआईआईपीपी), 2007 में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए राजकोषीय प्रोत्साहनों तथा अन्य राहतों वाला एक पैकेज अनुमोदित किया है। यह पैकेज 1.4.2007 से 10 वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी हो चुका है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान एन एल सी पी आर स्कीम के तहत स्वीकृत परियोजनाओं की राज्यवार, वर्षवार सूचियां मंत्रालय की वेबसाइट www.mdoner.gov.in पर तथा एन ई सी योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र में आरंभ की गई परियोजनाओं के परियोजनावार तथा राज्यवार ब्यौरे एन ई सी की वेबसाइट पर www.necouncil.gov.in उपलब्ध हैं।

[अनुवाद]

जलवायु परिवर्तन

2743. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक जलवायु परिवर्तन तथा सततता से संबंधित समिति स्थापित करने वाले राज्यों में शामिल हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सभी राज्यों ने जलवायु परिवर्तन पर पैनल स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है;

(ग) क्या इन राज्यों को जलवायु परिवर्तन से होने वाली क्षति की भरपाई के लिए सहायता तथा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो उक्त पैनल सरकार के जलवायु परिवर्तन संबंधी प्रस्ताव को बनाने में कितनी सहायता प्रदान करेगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) कर्नाटक सरकार ने "कमेटी आन क्लाइमेटचेंज एण्ड सस्टेनेबिलिटी कर्नाटक इनीशिएटिव" नामक एक समिति स्थापित की है।

(ख) सरकार को राज्य के जलवायु परिवर्तन पैनल गठित करने के प्रस्ताव के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) ऊपर दिए गए उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

युवा दंपत्तियों में नपुंसकता

2744. श्री नवीन जिन्दल: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दंपत्तियों में नपुंसकता की घटनाएं बढ़ रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं तथा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में तुलनात्मक आंकड़े क्या हैं;

(ग) क्या नपुंसकता को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा के अंतर्गत लाने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या केन्द्र सरकार स्वास्थ्य योजना के लाभार्थियों को निर्दिष्ट अस्पतालों में नपुंसकता का मुफ्त उपचार कराने की अनुमति है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) वर्तमान में देश में नपुंसकता की घटना और व्याप्तता को दर्शाने वाले समुदाय आधारित अध्ययनों पर ऐसे कोई आंकड़े नहीं हैं। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुमान के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 8-15% दम्पत्ति ऐसे हैं जिन्होंने अपने प्रजनक जीवन में किसी रूप में नपुंसकता का अनुभव किया है। हाल ही में पूरे किए गए राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-III) के अनुसार, 15-49 वर्ष की 10.1% महिलाओं के को बच्चा नहीं हुआ।

(ग) और (घ) नपुंसकता का उपचार अत्यधिक तकनीकी क्षेत्र है। नपुंसकता के विषय पर ध्यान देने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या स्तर पर परामर्श स्क्रीनिंग और रैफरल एकमात्र घटक शामिल हैं।

(ङ) और (च) सीजीएचएस के अंतर्गत नपुंसकता के विशेष उपचार के लिए कोई निर्दिष्ट अस्पताल नहीं है। तथापि, नपुंसकता के लिए उपचार किसी भी सरकारी अस्पताल में लिया जा सकता है।

राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम

2745. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त कार्यक्रम कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या तम्बाकू नियंत्रण कानूनों की निगरानी तथा इसके कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय तम्बाकू विनियामक प्राधिकरण स्थापित करने का भी कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ङ) भारत सरकार ने वर्ष 2007-08 में राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण शुरू किया है। इस कार्यक्रम में राज्यों में क्षमता निर्माण एवं जन प्रचार माध्यमों/सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण अभियान इत्यादि के जरिए व्यापक जागरूकता की परिकल्पना की गई है। कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण 9 राज्यों के 18 जिलों में शुरू किया गया है। प्रस्तावित राष्ट्रीय कार्यक्रम में मोटे तौर पर निम्नलिखित शामिल हैं:-

1. तंबाकू नियंत्रण अधिनियम, 2003 के प्रभावी कार्यान्वयन में राज्य का क्षमता निर्माण। राज्य तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ एवं जिला स्तरीय अनुवीक्षण प्रकोष्ठ स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है।
2. तंबाकू के दुष्प्रभावों के बारे में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं, स्कूल के शिक्षकों इत्यादि को प्रशिक्षित करना;
3. सरकारी स्कूलों में स्कूल कार्यक्रम चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को काम में लगाना।
4. जन प्रचार माध्यमों/सूचना, शिक्षा एवं संप्रेषण अभियान को क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुकूल बनाना।
5. तंबाकू उत्पाद की जांच के लिए प्रयोगशालाओं का क्षमता निर्माण।

राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है। तंबाकू विनियामक प्राधिकरण की स्थापना करने के तौर-तरीकों का पता लगाया जा रहा है।

उत्तर-पूर्व राज्यों हेतु वार्षिक योजना आबंटन

2746. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वित्तीय वर्ष 2008-09 के लिए असम तथा उत्तर-पूर्व के अन्य राज्यों हेतु वार्षिक योजना के आबंटन को अनुमोदन दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या हैं;

(ग) पिछले वित्तीय वर्ष के परिव्यय की तुलना में क्षेत्र-वार कितना परिव्यय/आबंटन हुआ; और

(घ) उत्तर-पूर्व क्षेत्र के प्रत्येक राज्य के लिए नए परिव्यय के अंतर्गत कृषि तथा उद्योग की अनुमानित विकास दर क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) पूर्वोत्तर राज्यों—अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर,

मिजोरम और सिक्किम के लिए वार्षिक योजना आबंटन अनुमोदित कर दिया गया है। इन राज्यों के लिए वर्ष 2008-09 हेतु राज्य-वार अनुमोदित परिव्यय संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं। इन राज्य सरकारों से क्षेत्रकीय परिव्यय मिलने बाकी हैं। मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा के परिव्यय अभी अनुमोदित किए जाने हैं। सभी पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वर्ष 2008-09 संबंधी अनुमोदित परिव्यय और वर्ष 2008-09 के क्षेत्रकीय परिव्यय के ब्यौरे उपलब्ध न होने के कारण, वर्ष 2008-09 के क्षेत्रकीय आबंटन की पूर्व वित्तीय वर्ष से तुलना करना संभव नहीं है।

(घ) वर्ष 2008-09 के लिए वर्ष-वार विकास लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। तथापि, 11वीं योजना के विकास लक्ष्य संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में वर्ष 2008-09 के लिए अनुमोदित वार्षिक योजना आबंटनों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	राशि (करोड़ रु. में)
1.	अरुणाचल प्रदेश	2065.00
2.	असम	5011.51
3.	मणिपुर	1660.00
4.	मिजोरम	1000.00
5.	सिक्किम	852.00

नोट: मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा राज्यों के परिव्यय अभी निर्धारित नहीं किए गए है क्योंकि इन राज्यों के साथ अभी वार्षिक योजना चर्चाएं की जानी है।

विवरण II

पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के राज्य-वार विकास लक्ष्य

(% में)

		राज्य-वार और क्षेत्रक-वार विकास लक्ष्य—ग्यारहवीं पंचवर्षीय-योजना			
		कृषि	उद्योग	सेवाएं	कुल
3.	अरुणाचल प्रदेश	2.8	8.0	7.2	6.4
4.	असम	2.0	8.0	8.0	6.5
19.	मणिपुर	1.2	8.0	7.0	5.9
20.	मेघालय	4.7	8.0	7.9	7.3
21.	मिजोरम	1.6	8.0	8.0	7.1
22.	नागालैंड	8.4	8.0	10.0	9.3
27.	सिक्किम	3.3	8.0	7.2	6.7
29.	त्रिपुरा	1.4	8.0	8.0	6.9
	अखिल भारत	4.1	10.5	9.9	9.0

[हिन्दी]

वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा मशीनों की खरीद

2747. श्री हंसराज गं. अहीर: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. के बल्लारपुर क्षेत्र में मांग-पत्रों के माध्यम से मशीन तथा कलपुर्जे की खरीद के संबंध में भ्रष्टाचार के समाचार का संज्ञान लिया है जैसाकि दिनांक 19 जनवरी, 2008 के "दैनिक भास्कर" के नागपुर संस्करण में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में दिए गए जांच आदेश/कराई गई जांच की रिपोर्ट क्या है; और

(ग) उपर्युक्त रिपोर्ट के निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (ग) केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) द्वारा अग्रेषित ड्रैगलाइन कलपुर्जों की अत्यधिक/अनावश्यक खरीद, ऐसे कलपुर्जे की खरीद, जो भंडार में पहले से ही उपलब्ध थे, आदि जैसे समान आरोपों वाली एक शिकायत वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (डब्ल्यू.सी.एल. को प्राप्त हुई थी। मामले की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

हाथियों की जनगणना

2748. श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 2007 की हाथियों की जनगणना पूरी हो गई है;

(ख) यदि हां, तो देश में राज्य-वार नर और मादा हाथियों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में हाथियों की संख्या में कमी हो रही है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार ने विशेषरूप से हाथी दांत के लिए हाथियों के मारे जाने के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त की हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(छ) ग्यारहवीं योजना में 'प्रोजेक्ट एलिफेंट' हेतु कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ज) हाथियों के संरक्षण के लिए सरकार ने क्या कार्रवाई की है/किए जाने का प्रस्ताव है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) पूर्वोत्तर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में वर्ष 2007 के लिए हाथियों की गणना का कार्य पूरा हो चुका है। राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार 2002 में की गई पिछली गणना की तुलना में जंगली हाथियों की संख्या में वृद्धि हुई है। वर्ष 2002 और 2007 के लिए वयस्क हाथियों की गणना में नर-मादा लिंग अनुपात की राज्य-वार तुलनात्मक संख्या विवरण-I में दी गई है।

(ङ) और (च) राज्य सरकारों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, गत तीन वर्षों में हाथी दांत के लिए मारे गए हाथियों की राज्य-वार और वर्ष-वार संख्या विवरण-II में दी गई है।

(छ) ग्यारहवीं योजना के दौरान हाथी परियोजना का परिव्यय 81.99 करोड़ रुपए है।

(ज) केंद्रीय सरकार हाथियों की सुरक्षा के लिए ग्यारहवीं योजना में हाथी परियोजना स्कीम जारी रख रही है। हाथियों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु कार्यकलाप प्रारम्भ करने के लिए हाथी रेंज राज्यों को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है।

विवरण I

राज्य	अनुमानित संख्या		वयस्क हाथियों की संख्या में नर : मादा का लिंग अनुपात	
	2002	2007	2002	2007
1	2	3	4	5
झारखंड	772	624	1:1.45	1:1.013
पश्चिम बंगाल (उत्तर)	292	300-350	1:1.34	एनआर
पश्चिम बंगाल (दक्षिण)	36	25	1:0.93	एनआर
उड़ीसा	1841	1862	1:2.78	1:2.59

1	2	3	4	5
उत्तराखंड	1582	1346	1:1.87	1:1.63
उत्तर प्रदेश	85	380		1:1.59
तमिलनाडु	3052	3867	1:5.72	1:4.92
कर्नाटक	5838	4035	1:3.44	1:2.3
केरल	3850	6068	1:2.38	1:2.96
आंध्र प्रदेश	74	28	1:2.64	1:1.12
महाराष्ट्र	–	7		एनआर
छत्तीसगढ़	–	122		1:1.5
कुल	17422	18664		

एनआर—सूचित नहीं किया गया।

विवरण II

क्र.सं.	राज्य	मारे गए हाथियों की संख्या		
		2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	0	0	0
2.	अरुणाचल् प्रदेश	0	0	0
3.	असम	3	4	1
4.	बिहार	0	0	0
5.	झारखंड	0	0	0
6.	कर्नाटक	3	1	4
7.	केरल	2	3	3
8.	मेघालय	0	0	2
9.	मिजोरम	2	0	0
10.	नागालैंड	0	0	0
11.	उड़ीसा	4	7	11
12.	तमिलनाडु	0	0	1
13.	उत्तराखंड	2	1	1
14.	उत्तर प्रदेश	0	0	0
15.	पश्चिम बंगाल	2	0	0
	कुल	18	16	23

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए धन जुटाना

2749. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्रस्तावित राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं के लिए बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने की एक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) शुरू की गई राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा इन पर परियोजना-वार कितना अनुमानित व्यय होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के लिए वित्तपोषण योजना तैयार की है जिसमें वित्तपोषण के स्रोत हैं- उपकर से राजस्व, पथकर राजस्व से अधिशेष, अतिरिक्त बजट सहायता, मार्केट से ऋण और सार्वजनिक निजी भागीदारी से वित्तपोषण।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण परियोजना के विभिन्न चरणों के लिए अनुमोदित वित्तपोषण के ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के विभिन्न चरणों के लिए अनुमोदित वित्तपोषण के ब्यौरे

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना का चरण	लंबाई (किमी.)	अनुमानित लागत (करोड़ रु.)
चरण-1	7,498	30,300
चरण-2	6,647	34,339
चरण-3	12,109	80,626
चरण-5	6,500	41,210
चरण-6	1,000	16,668
चरण-7	700	16,680

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग

2750. डा. के.एस. मनोज: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ख) राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने अपनी सम्पूर्ण रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इन रिपोर्टों पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है;

(ङ) क्या योजना आयोग ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना बनाने से पहले राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की विभिन्न सिफारिशों पर विचार किया है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) एनकेसी के विचारार्थ विषय निम्नानुसार हैं:

* 21वीं सदी की ज्ञान चुनौतियों को पूरा करने और ज्ञान के क्षेत्र में भारत के प्रतियोगी लाभ को बढ़ाने के लिए शैक्षिक प्रणाली में उत्कृष्टता का सृजन।
* विज्ञान और प्रौद्योगिकी प्रयोगशालाओं में ज्ञान के सृजन को बढ़ावा देना।
* बौद्धिक सम्पदा अधिकारों में लगे हुए संस्थानों के प्रबंधन में सुधार करना।
* कृषि और उद्योग में ज्ञान अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना।
* सरकार को प्रभावी, पारदर्शी और नागरिकों के प्रति जवाबदेह सेवा प्रदाता बनाने में ज्ञान क्षमताओं को बढ़ावा देना और सार्वजनिक लाभ को अधिकतम करने के लिए ज्ञान की व्यापक भागीदारी को बढ़ना।

(ख) और (ग) वर्ष 2006 और 2007 के दौरान राष्ट्रीय ज्ञान आयोग ने निम्नलिखित सिफारिशें प्रस्तुत की: (1) लाइब्रेरी, (2) अनुवाद, (3) अंग्रेजी भाषा शिक्षण, (4) राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क, (5) शिक्षा का अधिकार, (6) व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण, (7) उच्च शिक्षा, (8) राष्ट्रीय विज्ञान और सामाजिक विज्ञान प्रतिष्ठान, (9) ई-गवर्नेंस, (10) स्वास्थ्य सूचना नेटवर्क, (11) पोर्टल (जल, ऊर्जा), (12) मुक्त शैक्षणिक पाठ्यक्रम, (13) विधिक शिक्षा, (14) चिकित्सा शिक्षा, (15) प्रबंधन शिक्षा, (16) मुक्त एवं दूरवर्ती शिक्षा, (17) बौद्धिक सम्पदा अधिकार, (18) नवीनता, (19) परम्परागत स्वास्थ्य प्रणाली, (20) सार्वजनिक निधिकृत अनुसंधान हेतु विधिक ढांचा।

चालू वर्ष 2008 के दौरान स्कूल शिक्षा संबंधी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी गई हैं।

वर्तमान में निम्नलिखित क्षेत्रों में कार्य प्रगति पर हैं-

(1) शिक्षकों एवं जैव विविधता पर पोर्टल, (2) इंजीनियरिंग शिक्षा, (3) विज्ञान व गणित में और अधिक छात्र, (4) और अधिक पीएचडीज, (5) उद्यमशीलता, और (6) कृषि

रिपोर्ट के ब्यौरे एनकेसी के वेबसाइट पर http:// www.knowledgecommission.gov.in उपलब्ध है।

(घ) से (च) सरकार को प्रस्तुत रिपोर्टें/सिफारिशों की वर्तमान में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की जा रही है।

अफगानिस्तान में सड़कों का निर्माण

2751. श्री मिलिन्द देवरा: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अफगानिस्तान में सड़कों के उन्नयन/निर्माण हेतु भारतीय सहायता के बदले भारत को मिलने वाले संभावित लाभों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस परियोजना की सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसकी संवेदनशीलता प्रकृति को देखते हुए किसी पक्ष द्वारा उसके विरुद्ध कोई आपत्ति व्यक्त की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) भारत सरकार अफगानिस्तान के निमरोज प्रांत में डेलारम से जरांज तक 215 किमी लंबी सड़क के उन्नयन/निर्माण का कार्य कर रही है। यह परियोजना इस भू-आबद्ध देश को ईरान के ज़रिए समुद्र के साथ संपर्क उपलब्ध कराएगी और यह सड़क अफगानिस्तान में अवसंरचना विकास और व्यापार को बढ़ावा देने तथा अफगानिस्तान एवं मध्य एशियाई बाजार में ईरान के जरिए जाने वाले भारतीय सामानों के लिए दूरी में पर्याप्त कमी लाने के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण है।

(ख) और (ग) किसी भी ओर से इस परियोजना के प्रति कोई आपत्ति नहीं हुई है, हालांकि, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्रयासों का विरोध कर रहे तालिबान के उग्रवादियों ने अनेक अवसरों पर परियोजना स्थलों और कार्मिकों पर हमला किया है।

उपग्रह के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण

2752. श्री मणि चारेनामै: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में भूमि क्षेत्र की विभिन्न श्रेणियों यथा वन क्षेत्रों, कैचमेंट एरिया, वन रहित क्षेत्रों, बंजरभूमि, जल निकासी, कृषि भूमि इत्यादि का पता लगाने के लिए उपग्रह के माध्यम से हवाई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधो ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ होने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) उपग्रह से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय प्राकृतिक संसाधन प्रबंध प्रणाली (एनएनआरएमएस) विभिन्न श्रेणियों की भूमि का पता लगाता है। ऐसी परियोजनाओं से प्राप्त विभिन्न श्रेणियों की भूमि का क्षेत्रफल/विस्तार निम्न प्रकार है:

* 6,77,088 स्क्वेयर किलोमीटर (देश के भौगोलिक भाग का 20.60%) वन क्षेत्रों से आवृत्त है।
* लगभग 55 मिलियन हेक्टेयर्स (कुल भौगोलिक क्षेत्र का 17.54%) बंजरभूमि से आवृत्त है। इसमें से लगभग 41 मिलियन हेक्टेयर्स का मूल्यांकन कृषि योग्य/सुधार योग्य क्षेत्र के रूप में तथा 14 मिलियन हेक्टेयर्स का मूल्यांकन गैर-कृषि/असुधार्य क्षेत्र के रूप में किया गया है।
* वर्ष 2005-06 के दौरान लगभग 141.42 मिलियन हेक्टेयर्स (देश के संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्र का 43%) भूमि का मूल्यांकन वास्तविक रूप से बोआई वाले क्षेत्र के रूप में किया गया। इसमें से 50.57 मिलियन हेक्टेयर्स दो फसल वाले क्षेत्र हैं।

(ग) वन आवरण के मानीटरन और उनके प्रबंधन; निम्न वन भूमि में वनरोपण; बंजर भूमि का उद्धार; कृषि वाले क्षेत्रों का सुधार और प्रबंधन इत्यादि जैसे विविध विकासात्मक क्रियाकलापों की योजना तैयार करने हेतु राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा नियमित रूप से इस सूचना का उपयोग किया जाता है।

[हिन्दी]

युवक कल्याण तथा खेलकूद प्रोत्साहन

2753. श्री मित्रसेन यादव: क्या **युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में, विशेषत: उत्तर प्रदेश में युवक कल्याण तथा खेलकूद प्रोत्साहन हेतु कार्यान्वयनाधीन विभिन्न योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक उक्त योजना के लिए वर्ष-वार और राज्य-वार कितनी राशि आबंटित तथा व्यय की गयी है;

(ग) क्या सरकार ने इस उद्देश्य हेतु कोई नयी योजना तैयार की है/करने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क)

इस मंत्रालय द्वारा उत्तर प्रदेश सहित देश भर में कार्यान्वित की जा रही युवा कल्याण और संवर्धन की प्रमुख योजनाओं का ब्यौरा विवरण में दिया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य विशेष के लिए अलग से कोई योजना नहीं है।

(ख) इस मंत्रालय की किसी भी योजना के अंतर्गत कोई राज्य-वार आबंटन नहीं है। पिछले वर्ष के दौरान इस मंत्रालय द्वारा किया गया कुल व्यय निम्नानुसार है:-

(रु. करोड़ों में)

वर्ष	वित्तीय आबंटन (संशोधित अनुमान)		व्यय	
	योजनागत	योजनेतर	योजनागत	योजनेतर
2005-06	410.00	68.01	386.10	64.49
2006-07	500.00	63.77	457.20	67.79
2007-08 (11.3.2008 तक)	700.00	157.47	485.70	91.16

(ग) और (घ) जी हां। सरकार ने पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए), नामक नयी योजना के कार्यान्वयन को अनुमोदित कर दिया है जिसका उद्देश्य अगले दस वर्षों में देश भर में आधारभूत स्तर पर खेल अवसंरचना के सृजन के द्वारा खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना और ग्राम, ब्लाक तथा जिला स्तरों पर ग्रामीण खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करना है।

विवरण

वर्ष 2008-09 में युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की प्रमुख युवा विकास और खेल संवर्धन की योजनाओं की सूची

क्र.सं.	स्कीम का नाम
1	2
युवा कल्याण योजना	
1.	नेहरू युवा केन्द्र संगठन
2.	राष्ट्रीय सेवा योजना
3.	राष्ट्रीय अनुशासन योजना
4.	राष्ट्रीय स्वयंसेवक योजना
	i. राष्ट्रीय सेवा स्वयंसेवक योजना
	ii. राष्ट्रीय सद्भावना योजना
1	2
5.	राष्ट्रीय युवा और किशोर विकास कार्यक्रम
	ii. युवा गतिविधियों और प्रशिक्षण का संवर्धन
	ii. राष्ट्रीय एकीकरण का संवर्धन
	iii. किशोरों के विकास और सशक्तिकरण के लिए सहायता
	iv. साहस का संवर्धन
6.	राष्ट्रीय फिटनेस कार्प्स
7.	युवा छात्रावास
8.	राजीव गांधी राष्ट्रीय युवा विकास संस्थान
9.	स्काउटिंग व गाइडिंग
10.	अंतर्राष्ट्रीय सहयोग
11.	संयुक्त राष्ट्रीय स्वयं-सेवकों को योगदान
खेल	
12.	भारतीय खेल प्राधिकरण
13.	लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान
14.	खिलाड़ियों को प्रोत्साहन
	i. छात्रवृत्ति
	ii. पुरस्कार
	iii. मेरिटोरियस पेंशन
	iv. ग्रामीण खेल कार्यक्रम
15.	खेल उत्कृष्टता संवर्धन को सहायता
	i. राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता
	ii. प्रतिभा खोज व प्रशिक्षण योजना
16.	स्कूलों/कालेजों/विश्वविद्यालयों में खेलकूदों का संवर्धन
17.	राष्ट्रमंडल खेल-2010
	i. भारतीय खेल प्राधिकरण-स्टेडियम पुन:निर्माण
	ii. अखिल भारतीय टेनिस संघ (एआईटीए)
	iii. टीमों को तैयार करना
	iv. आयोजन-स्थलों का उन्नयन/सृजन

1	2
	v. परिव्यय (भाखेप्रा, एआईटीएस व भारतीय ओलंपिक संघ) (आयोजन समिति)
18.	राष्ट्रीय खेल विकास निधि (प्रोत्साहन योजना का पहला भाग)
19.	एंटी डोपिंग गतिविधियां
	i. राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला
	ii. राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी
	iii. विश्व एंटी डोपिंग एजेंसी
20.	पंचायत युवा क्रीडा और खेल अभियान (पीवाईकेकेए)
21.	नगरपालिका युवा क्रीडा और खेल अभियान (एनआईकेकेए)
22.	अशक्तों के मध्य खेलों का संवर्धन
23.	खिलाड़ियों के लिए राष्ट्रीय कल्याण निधि
24.	अर्जुन पुरस्कार
25.	ध्यानचंद पुरस्कार
26.	द्रोणाचार्य पुरस्कार
27.	एनसीसी/पब्लिक आवासीय स्कूलों को शारीरिक शिक्षा अनुदान
28.	राष्ट्रीय महिला खेल चैम्पियनशिप

[अनुवाद]

खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय महिलाएं

2754. श्री एल. राजगोपाल: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय महिलाएं कार्यरत हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) जी हां। खाड़ी देशों में भारतीय मिशनों से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार खाड़ी देशों में कार्यरत भारतीय महिलाओं की अब तक की स्थिति निम्नलिखित है:

कुवैत	बहरीन	ओमान	सऊदी अरब	कतार
94661	17116	35500	38505	11000

संयुक्त अरब अमीरात स्थित मिशन ने सूचित किया है कि संयुक्त अरब अमीरात में कुछ हजार भारतीय महिला कामगार हैं, हालांकि, सरकारी माध्यमों से सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मिशनों के पास राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं हैं।

कैलाश मानसरोवर के लिए वैकल्पिक मार्ग

2755. श्री विजय कृष्ण:
श्री रघुवीर सिंह कौशल:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बरास्ता लद्दाख कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा वर्तमान मार्ग से अधिक अरामदेह तथा सुगम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और तीर्थयात्रियों को यह मार्ग उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) लद्दाख से कैलाश मानसरोवर तीर्थयात्रा मार्ग अभी खुला नहीं है। सरकार ने लद्दाख सहित अन्य क्षेत्रों से कैलाश मानसरोवर के यात्रियों के लिए अतिरिक्त मार्ग खोलने के मुद्दे पर चीन के साथ चर्चा की है।

परित्यक्त कोयला खानों में आग

2756. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री सुनील खां:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयला क्षेत्र में 1975 से परित्यक्त उन खानों में आग लग गयी जहां अवैध खनन जारी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस क्षेत्र में सभी परित्यक्त कोयला खानों की सूची क्या है;

(ग) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इन परित्यक्त कोयला खानों का निरीक्षण किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और निरीक्षित कोयला खानों के नाम क्या हैं; और

(ङ) अवैध खनन/खानों के धंसने तथा कोयला खानों में आग लगने की घटनाओं को रोकने और कामगारों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। अवैध खनन के कारण, पश्चिम बंगाल में सतग्राम क्षेत्र के अंतर्गत दो स्थलों अर्थात् निजी स्वामित्व वाली भूमि (ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. से संबंधित नहीं है) में बेनाली (राष्ट्रीयकरण के पहले से परित्यक्त पूर्वी सतग्राम) और जे.के. नगर आग परियोजना (निमचा ग्राम के पास) में आग लगी थी और उसे राज्य पुलिस तथा प्रशासनिक सहयोग से तत्काल ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. तथा राज्य सरकार द्वारा भलीभांति बुझा दिया गया था।

(ख) बेनाली में 31.12.2007 को आग लगी थी जिसे ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. (ईसीएल) तथा राज्य सरकार प्राधिकरण द्वारा तत्काल डोजिंग तथा सभी पिटों की भराई करके, जीवन की किसी क्षति अथवा हानि के बिना, सफलतापूर्वक बुझा दिया गया है। आग कुछ उन अवैध पिटों में लगी थी, जिन्हें खनित क्षेत्र में अवैज्ञानिक तरीके से खोदा गया था और वहां ईसीएल की कोई खदान नहीं थी। जो कोयला जोहड़ की ओर, कोयला खान विनियम, 1957 की अपेक्षानुसार बेरियर के रूप में छोड़ दिया गया था, बदमाशों द्वारा उसका अवैध रूप से खनन किया जा रहा था। ईसीएल के पास कोयला निष्कर्षण के भूमिगत अधिकार है किन्तु जिस सतही भूमि पर अवैध पिटों का खनन किया गया था, वह समस्त निजी भूमि है और इस प्रकार, भू-स्वामियों ने बदमाशों को पिट खोदने तथा कोयला निकालने की अनुमति दी थी।

खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) द्वारा दी गयी सलाह के अनुसार, निमचा गांव को बचाने के लिए, खदानों के नीचे की ओर आग वाले स्थान से गांव को अलग-थलग करने हेतु नीगा सीम के खनित क्षेत्र में खाग/गड्ढा बनाया जा रहा है। दिनांक 4.1.2008 को लगभग 10 मीटर का पोटहोल निमचा गांव के पास हो गया और पोटहोल से धुआं निकलता हुआ देखा गया। यह पोटहोल, गांव की ओर खदान के किनारे अनधिकृत/अवैध गैलरी के कारण उत्पन्न हुआ। बदमाशों ने ऐसी कई गैलरियां बना दी थीं जिन्हें डोजिंग करके भरा गया।

राष्ट्रीयकरण के बाद से ईसीएल के लीजहोल्ड के भीतर परित्यक्त खानों/उत्पादन के आस्थगित प्रचालनों की एक सूची विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) लीजहोल्ड क्षेत्र के भीतर परित्यक्त खानों के सतही क्षेत्रों का कोलियरी के संबंधित अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किया जाता है। जब भी किसी अवैध खनन क्रियाकलाप का पता चलता है तो स्थानीय थाने में एफआईआर दर्ज करायी जाती है। जिन अवैध पिट/खदानों को विगत में भरा/डोज किया गया था, उन्हें बदमाशों द्वारा पुनः खोज लिया गया है और आवश्यकतानुसार इनकी बार-बार भराई/डोजिंग की जानी अपेक्षित होती है।

(घ) लीजहोल्ड क्षेत्र के भीतर सभी अप्रयुक्त खदानों (जिन्हें सील नहीं किया गया है), का मासिक अंतरालों पर कोलियरी के अधिकारियों द्वारा नियमित और सांविधिक रूप से निरीक्षण किया जाता है। राष्ट्रीयकरण के बाद से ईसीएल के लीजहोल्ड के भीतर परित्यक्त खानों/उत्पादन के आस्थगित प्रचालनों की एक सूची अनुबंध-क के रूप में संलग्न है।

(ङ) कोयला खानों में अवैध खनन/धंसाव तथा आग को रोकने तथा कामगारों की सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है:

1. अवैध खनन पर केन्द्र, राज्य, जिला तथा क्षेत्र स्तर पर नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाती हैं।
2. अवैध खनन के प्रवण स्थलों का निरीक्षण करने के लिए ईसीएल प्राधिकारियों ने क्षेत्र स्तर तथा कंपनी स्तर पर समितियों का गठन किया है और क्षेत्रीय प्राधिकारियों तथा संबंधित पुलिस स्टेशनों द्वारा निरंतर चौकसी बरती जाती है।
3. इसके अलावा, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ईसीएल प्राधिकारियों के साथ नियमित आधार पर बैठकें करते हैं तथा औचक निरीक्षण करते हैं।
4. जब अवैध खनन स्थलों का पता चलता है तो राज्य पुलिस द्वारा प्रदत्त सुरक्षा कवर वाले पे-लोडर डोजरों द्वारा अवैध खनन स्थलों की डोजिंग/भराई/सीलिंग की जाती है। चूंकि भरे गए/सील किए गए/डोज किए गए निष्कर्षणों को बदमाशों द्वारा पुनः खोद दिया जाता है, इसलिए यह कार्यकलाप एक सतत प्रक्रिया बन गया है।
5. ईसीएल सुरक्षा, सीआईएसएफ तथा पुलिस नियमित रूप से छापे मारती हैं/जांच करती हैं और अवैध कोयला, कोयले से लदे हुए ट्रकों को जब्त किया है और बदमाशों को पकड़कर पुलिस को सौंपा है तथा एफआईआर भी दर्ज करायी गई है।
6. जब लीजहोल्ड क्षेत्र से बाहर अवैध खनन का पता चलता है तो राज्य प्रशासन को सूचित किया जाता है।

विवरण

राष्ट्रीयकरण के बाद से बंद परित्यक्त/उत्पादन आस्थगित प्रचालन यूनिटों/खानों/पिटों की सूची

क्र.सं.	खान का नाम	क्षेत्र	प्रकार	बंद होने का महीना/वर्ष	बंद करने के कारण
1	2	3	4	5	6
1.	संकतोड़िया	सोदपुर	यूजी	अप्रैल, 76	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
2.	ईस्ट जेमहारी	सतग्राम	यूजी	दिसम्बर, 76	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
3.	रतिबति 5 एंड 6	-वही-	यूजी	सितम्बर, 78	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
4.	के एल एस चलबलपुर	-वही-	यूजी	मई, 81	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
5.	चलबलपुर खास	-वही-	यूजी	जून, 80	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
6.	न्यू जेमहारी खास	-वही-	यूजी	फरवरी, 80	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
7.	पूरे शियरसोल	-वही-	यूजी	अप्रैल, 78	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
8.	दमोदा	कुनुस्तोरिया	यूजी	अगस्त, 83	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
9.	शीतलदासजी	सतग्राम	यूजी	मार्च, 79	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
10.	बैलरूई दिशेरगढ़	सोदपुर	यूजी	दिसम्बर, 77	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
11.	नार्थ ब्लाक	सतग्राम	यूजी	जून, 82	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
12.	गोगला/एडीजे बैंक	पांडवेश्वर	यूजी	फरवरी, 89	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
13.	मंदेबौनी 1, 2 एवं 4	-वही-	यूजी	6/75, 9/92	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
14.	देवली	सोदपुर	यूजी	अक्तूबर, 73	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
15.	बी, धेमो/रामजीवनपुर	-वही-	यूजी	6/73, 6/87	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
16.	बैंक सिमुलिया 7 एवं 8	श्रीपुर	यूजी	74-75	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
17.	ब्राइट राणा	-वही-	यूजी	जनवरी, 75	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
18.	मधुसुदनपुर 1 एवं 2	काजोरा	यूजी	अक्तूबर, 78	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
19.	सेन्ट्रल जमुरिया	श्रीपुर	यूजी	जून, 86	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
20.	जोट जानकी	कुनुस्तोरिया	यूजी	जुलाई, 78	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
21.	राणा	श्रीपुर	यूजी	अप्रैल, 89	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
22.	नई/सेन्ट्रल सतग्राम	सत्गारम	यूजी	अप्रैल, 88	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
23.	बेनाली	श्रीपुर	यूजी	जनवरी, 89	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
24.	दारूल	पांडवेश्वर	यूजी	1989	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना

1	2	3	4	5	6
25.	कृष्णानगर	केन्दा	यूजी	मई, 90	सुरक्षा आधार पर
26.	शीतलपुर	सोदपुर	यूजी	सितम्बर, 90	भू-खनन स्थिति
27.	शंकरपुर	बंकोला	यूजी	जनवरी, 79	आग/सुरक्षा आधार
28.	गिरिमिंट	श्रीपुर	यूजी	अगस्त, 89	आग/पिट का डुबना
29.	महावीर	कुनुस्तोरिया	यूजी	नवम्बर, 89	पिट का डुबना
30.	कंकरताला 1 एवं 2	पांडवेश्वर	यूजी	नवम्बर, 88	अन्य इन्कलाइन के माध्यम से काम करना
31.	तारा	सालनपुर	यूजी	सितम्बर, 92	जलभराव का खतरा, केप्टिव खनन के लिए पश्चिम बंगाल सरकार को पेशकश की गई
32.	बरमोंदिया	-वही-	यूजी	93-94	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
33.	रानीपुर	सोदपुर	यूजी	93-94	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
34.	लाल माटिया	राजमहल	यूजी	मई, 89	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
35.	जमुरिया	श्रीपुर	यूजी	96	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
36.	शामपुर ए	मुग्मा	यूजी	96-97	सुरक्षा आधार पर
37.	भनोरा	श्रीपुर	यूजी	96-97	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
38.	डमरा	-वही-	यूजी	अप्रैल, 97	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना, सुरक्षा आधार पर
39.	समला 3 पिट	पांडवेश्वर	यूजी	98-99	तकनीकी आर्थिक आधार पर
40.	नाथुडंगा	-वही-	यूजी	अप्रैल, 98	तकनीकी आर्थिक आधार पर
41.	कंकरताला 3 एवं 4	-वही-	यूजी	अप्रैल, 98	तकनीकी आर्थिक आधार पर
42.	श्रीपुर	श्रीपुर	यूजी	98-99	सुरक्षा और तकनीकी आर्थिक आधार
43.	तोपओसी	कुनुस्तोरिया	यूजी	98-99	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
44.	एडीजे 2	श्रीपुर	यूजी	2000-01	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
45.	सामला	पांडवेश्वर	यूजी	2002-03	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
46.	चिनाकुरी-2	सोदपुर	यूजी	2003-04	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
47.	बरबेलिया की बमुरिया यूनिट	सोदपुर	यूजी	2003-04	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
48.	दमागोर इन्कलाइन	एसपी खान	यूजी	2003-04	सुरक्षा आधार पर

1	2	3	4	5	6
49.	खेराबाद	सालनपुर	यूजी	मार्च, 05	सुरक्षा पर प्रचालन रद्द करना
50.	बीसी इन्क्लाइन	सोदपुर	यूजी	मई, 99	पटमोहना के साथ विलय
51.	कपासरा	मुग्मा	यूजी	सितम्बर, 2000	सुरक्षा और आर्थिक आधार पर
52.	कुआरडीह 11 एवं 12 पिट	सतग्राम	यूजी	सितम्बर, 99	पिट के डूबने के कारण
53.	चपापुर-1	मुग्मा	यूजी	अप्रैल, 87	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
54.	गोपीनाथपुर	मुग्मा	यूजी	मार्च, 07	सुरक्षा आधार पर
55.	संग्रामगढ़	सालनपुर	यूजी	जुलाई, 08	आर्थिक और सुरक्षा आधार पर
56.	नवाकाजोरा/घनश्याम ओसी	काजोरा	ओसी	84-85, 89	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
57.	रतिबती ओसी	सतग्राम	ओसी	81-82	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
58.	पुरुषोत्तम ओसी	पांडवेश्वर	ओसी	88-89	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
59.	नीमचा ओसी	सतग्राम	ओसी	87-88	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
60.	शिवपुर ओसी	श्रीपुर	ओसी	83-84	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
61.	महावीर ओसी	कुनुस्तोरिया	ओसी	79-80	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
62.	अलकुसा गोपालपुर ओसी	सालनपुर	ओसी	84-85	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
63.	केन्दा/दोबराना ओसी	केन्दा	ओसी	77-78	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
64.	धांदाडीह ओसी	काजोरा	ओसी	93-94	सुरक्षा आधार-ओसी द्वारा खनित किए जाने वाले प्रस्तावित विकसित खदानों से जल निकासी के कारण हरीशपुर गांव में और उसके आसपास धंसाव हो सकता था।
65.	डबार ओसी	सालनपुर	ओसी	93-94	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
66.	गंगारामचक ओसी	पांडवेश्वर	ओसी	93-94	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
67.	पोईडीह ओसी	सोदपुर	ओसी	91-92	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
68.	डलमई ओसी	सालनपुर	ओसी	95-96	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
69.	दालुरबंद ओसी	पांडवेश्वर	ओसी	96-97	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
70.	पलासथली ओसी	पांडवेश्वर	ओसी	93-94	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
71.	संग्रामगढ़ ओसी	सालनपुर	ओसी	97-98	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
72.	लालमटिया ओसी	राजमहल	ओसी	85-86	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
73.	चपापुर ओसी	मुग्मा	ओसी	87-88	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना

1	2	3	4	5	6
74.	बादजना/पुसाई ओसी	मुग्मा	ओसी	91-92	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
75.	कपासरा ओसी	मुग्मा	ओसी	92-93	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना
76.	खूदिया ओसी	मुग्मा	ओसी	2000-01	खननयोग्य भंडार का समाप्त होना

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त/उत्पीड़ित भारतीय महिलाएं

2757. **श्री संजय धोत्रे:**
श्री एल. राजगोपाल:
श्री प्रभुनाथ सिंह:
श्री बापू हरी चौरे:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:
श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार तथा देशवार अनिवासी भारतीय पतियों द्वारा उत्पीड़ित महिलाओं से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने इन मामलों की जांच के लिए कोई समिति गठित की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) गत तीन वर्षों में अपने प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त/पीड़ित/तलाक दे दी गई भारतीय महिलाओं से प्राप्त शिकायतों की संख्या नीचे दी गई है:

वर्ष 2005	19
वर्ष 2006	65
वर्ष 2007	138

देशवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं के सम्मुख आ रही समस्याओं का अध्ययन करने और समस्याओं के समाधान के लिए अपनी सिफारिशें देने के लिए प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक अन्त:मंत्रालय उपसमिति का गठन किया गया है जिसमें गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, महिला और बाल विकास मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय मानव आयोग के प्रतिनिधि और पंजाब तथा आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

(घ) मंत्रालय ने एक मार्गदर्शन पुस्तिका, अंग्रेजी, हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं में सूचना इश्तहारों तथा इलैक्ट्रानिक और प्रिंट मीडिया की मार्फत जागरूकता अभियान शुरू किया है ताकि भावी दुल्हनों और उनके परिवारों को प्रवासी भारतीयों के साथ वैवाहिक संबंध बनाने के प्रति शिक्षित और सुग्राही बनाया जा सके।

मंत्रालय ने विदेशों में भारतीय मिशनों/पोस्टों की मार्फत प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त भारतीय महिलाओं को कानूनी और वित्तीय सहायता देने की एक योजना भी शुरू की है। योजना के ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

क्र.सं.	देश का नाम	शिकायतों की कुल संख्या
1	2	3
1.	संयुक्त राज्य अमेरिका	87
2.	ब्रिटेन	29
3.	कनाडा	30
4.	आस्ट्रेलिया	15
5.	न्यूजीलैंड	8

1	2	3
6.	जर्मनी	7
7.	दुबई (संयुक्त अरब अमीरात)	9
8.	कुवैत	3
9.	कतार	3
10.	बहरीन	3
11.	ईरान	1
12.	हांग कांग	1
13.	जापान	1
14.	सिंगापुर	1
15.	नेपाल	2
16.	रोमानिया	1
17.	इटली	4
18.	कोस्टा रीका	1
19.	थाईलैंड (बैंकाक)	1
20.	नीदरलैंड	3
21.	सेन्ट्रल अफ्रीका	1
22.	केन्या	3
23.	नार्वे	1
24.	फीलिपींस	1
25.	आस्ट्रिया	1
26.	स्पेन	1
27.	उजबेकिस्तान	1
28.	फिजी	1
29.	फ्रांस	1
30.	रूस	1
	कुल	222

विवरण II

प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त महिलाओं को कानूनी/ वित्तीय सहायता देने की योजना

1. उद्देश्य

योजना का उद्देश्य बेसहारा महिलाओं, जिन्हें उनके प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्यक्त कर दिया गया है, को परामर्शी और कानूनी सेवाएं प्राप्त करने के लिए कुछ वित्तीय सहायता प्रदान करना है। "प्रवासी भारतीय" शब्दों में अप्रवासी भारतीय और भारतीय मूल के विदेशी नागरिक शामिल होंगे। योजना के अंतर्गत संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और खाड़ी में भारतीयों मिशनों में पंजीकृत भारतीय महिला संगठनों/ भारतीय सामुदायिक एसोसिएशनों और गैर-सरकारी संगठनों की मार्फत परामर्शी और कानूनी सेवाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। योजना स्थानीय भारतीय समुदाय एकजुट करके और सरकार से कुछ वित्तीय सहायता देकर भारतीय मूल की उन महिलाओं, जो परेशानी में हैं, की सहायता करने का एक कल्याणकारी उपाय है।

2. योजना का कार्यक्षेत्र और पात्रता

योजना उन भारतीय महिलाओं के लिए होगी जिनका उनके प्रवासी भारतीय पतियों द्वारा परित्याग कर दिया गया है अथवा जो विदेशों में तलाक प्रक्रियाओं का सामना कर रही हैं बशर्ते कि वे निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती हों:-

(1) महिला एक भारतीय पासपोर्ट धारक हो।

(2) महिला का विवाह भारत में हुआ हो।

(3) महिला का परित्याग भारत में अथवा विदेश पहुंचने पर विवाह के पांच वर्ष के भीतर किया गया हो।

(4) उसके प्रवासी भारतीय पति द्वारा तलाक की प्रक्रियाएं विवाह के पांच वर्ष के भीतर शुरू की गई हों।

(5) प्रवासी भारतीय पति द्वारा विवाह के दस वर्ष के भीतर एकतरफा तलाक प्राप्त कर लिया हो और पालन-पोषण और निर्वाह खर्च का मामला दायर किया गया हो।

(6) योजना उस महिला के लिए उपलब्ध नहीं होगी जिसके विरुद्ध आपराधिक मामला चल रहा हो अथवा किसी आपराधिक मामले का फैसला उसके विरुद्ध हो चुका हो।

(7) योजना के अंतर्गत सहायता चाहने वाली महिला का जन्म स्थान लाभ की अनुमति देने के लिए तर्कसंगत

नहीं है। महिला आवेदन करने के समय अपने प्रवासी पति के देश में अथवा भारत में अधिवासित हो सकती है।

(8) आवेदनों को वित्तीय आवश्यकताओं के आधार पर वरीयता दी जा सकती है।

(9) सहायता भारतीय महिला संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों द्वारा महिला की ओर से दस्तावेज तैयार करने और मामले को दायर करने के लिए प्रारम्भिक लागत और सामयिक प्रभारों तक सीमित होगी।

(10) सहायता प्रति मामला एक हजार अमेरिकी डालर तक सीमित होगी और यह संबंधित भारतीय समुदाय संगठनों/गैर-सरकारी संगठनों को रिलीज की जाएगी ताकि वे मामले को दायर करने के लिए दस्तावेज तैयार करने और दूसरे तैयारी के कार्य को पूरा करने में महिला की सहायता करने के लिए कदम उठा सकें।

(11) महिला संगठन/गैर-सरकारी संगठन बिना पारिश्रमिक की मांग के आधार पर कानूनी सहायता/न्यायालय में पेश होने आदि की सहायता के लिए समुदाय के वकीलों, जिसमें महिला वकीलों को प्राथमिकता दी गई हो, की सूची तैयार करने का प्रयास करेंगे।

सहायता का स्वरूप

योजना के अंतर्गत संबंधित देशों में भारतीय मिशन साख वाले महिला संगठनों/भारतीय समुदाय की एसोसिएशनों/गैर-सरकारी संगठनों और उनके सदस्य वकीलों, जिनमें प्राथमिकता महिलाओं को दी गई हो, का पेनल तैयार करेंगे ताकि परेशानी की शिकार और जिनके नाम प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुमोदित कर दिए हों को कानूनी सहायता प्रदान की जा सके मिशनों द्वारा कानूनी सहायता देने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच प्रत्येक मामले के आधार पर मिशन के प्रमुख द्वारा नामित एक अधिकारी द्वारा की जाएगी और उसे मिशन के प्रमुख/उपप्रमुख द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय में प्राप्त आवेदनों की जांच एक आन्तरिक समिति द्वारा की जाएगी जिसमें एक कानूनी सलाहकार और निदेशक/उपसचिव स्तर का एक अधिकारी होगा और इनका अनुमोदन सचिव द्वारा किया जाएगा। तत्पश्चात् मंत्रालय कानूनी सहायता देने के लिए संबंधित मिशन से सिफारिश करेगा। आवेदक को इस संबंध में संबंधित मिशन से संपर्क करने के लिए भी सूचित किया जाएगा।

[अनुवाद]

आईसी-814 विमान अपहरण मामला

2758. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आईसी-814 के अपहरण में लिप्त आतंकवादियों के प्रत्यर्पण में पाकिस्तान सहयोग नहीं कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी हां। तथापि, इस मामले को संयुक्त आतंकवाद-रोधी तंत्र और समग्र वार्ता के तहत आतंकवाद पर गृह सचिव स्तर की वार्ता के माध्यम से पाकिस्तान सरकार के समक्ष उठाया जा रहा है।

कोयला गैसीकरण द्रवीकरण

2759. श्री असादुद्दीन ओवेसी:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षित खनन के अंतर्गत कोयला ब्लाकों के आबंटन हेतु पात्र अंतिम प्रयोक्ता के तौर पर कोयला गैसीकरण तथा कोयला द्रवीकरण के लिए अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन कोयला ब्लाकों का आबंटन कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार भूमिगत "सिद्ध" तथा "संदर्शित" भंडार की अपार संभावनाओं के मद्देनजर कोयला गैसीकरण का उपयोग ईंधन के तौर पर करने की संभावनाएं तलाशने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) विकसित तथा विकासशील देशों की तुलना में भारत में ऊर्जा खपत का वर्तमान स्तर क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) सरकार ने दिनांक 12.07.2007 की अधिसूचना सं. का.आ. 1141(ई) के द्वारा केप्टिव कोयला खनन के प्रयोजन के लिए पात्र अन्त्य उपयोगों के रूप में कोयला गैसीकरण (भूमिगत

और सतह) और कोयला द्रवीकरण के माध्यम से प्राप्त सिंनगैस के उत्पादन को विनिर्दिष्ट किया है।

(ग) इन प्रयोजनों के लिए कोयला ब्लाकों के आबंटन के लिए समय-सीमा दर्शाना संभव नहीं है।

(घ) और (ङ) भूमिगत कोयला गैसीकरण (यूसीजी) का मुख्य उद्देश्य उन कोयला सीमों से ऊर्जा निष्कर्षित करना है जो अन्यथा पारंपरिक प्रणाली के माध्यम से खनन योग्य नहीं है। इसमें पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में उपयोग के लिए और उर्वरक उद्योग में फीडबैक के रूप में अथवा विद्युत उत्पादन के लिए सिंनगैस का उत्पादन करने की क्षमता है।

(च) जैसा कि विशेषज्ञ समिति की समेकित ऊर्जा नीति रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है, शेष विश्व की तुलना में भारत में वर्ष 2003 में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत निम्नवत है-

देश	कुल प्राइमरी ऊर्जा (टीपीईएस) प्रति व्यक्ति (केजीओई)	विद्युत खपत प्रति व्यक्ति (कि.वा. प्रति घंटे)
चीन	1090	1379
आस्ट्रेलिया	5630	10640
ब्राजील	1094	1934
डेनमार्क	3852	6599
जर्मनी	4210	6898
भारत	439	553
इंडोनेशिया	753	440
नीदरलैण्डस	4983	6748
सउदी अरब	5805	6481
स्वीडन	5751	15397
युनाइटेड किंगडम	3906	6231
युनाइटेड स्टेट्स	7835	10366
जापान	4052	7816
विश्व	1688	2429

पर्यावरणीय प्रभाव संबंधी भूरेलाल-सुनीता नारायण समिति

2760. श्री रघुनाथ झा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में सभी परियोजनाओं के पर्यावरणीय प्रभाव को समझने के लिए भूरेलाल-सुनीता नारायण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है;

(ख) यदि हां, तो इस समिति के विचारार्थ विषय क्या हैं;

(ग) क्या 50 करोड़ रु. और उससे अधिक की परियोजनाओं के निर्माण हेतु दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) से स्वीकृति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा क्या डीपीसीसी ने किसी भी परियोजना को अपनी स्वीकृति नहीं दी है;

(घ) यदि हां, तो बिना पर्यावरणीय स्वीकृति के बन रहे मालों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भगोनारायन मीना): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

जी.ई. बीजों के आयात पर विनियामक निगरानी हटाना

2761. श्री के. सुब्बारायण: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित (जीई) बीजों के आयात पर विनियामक निगरानी को हटाने वाली अधिसूचना जारी की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आनुवांशिक रूप से अभियंत्रित (जीई) बीजों के प्रवेश पर किसी प्रकार के विनियमन के अभाव में ऐसे बीजों के अनियंत्रित प्रवेश होने की संभावना है जिससे देश में स्वास्थ्य, पर्यावरण तथा अर्थव्यवस्था को गंभीर खतरा होगा;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऐसे बीजों को जेनेटिकली इंजीनियर्ड अप्रूवल कमिटी (जीईएसी) द्वारा दी गयी स्वीकृति में उल्लिखित मानदण्डों के कड़ाई से अनुपालन हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका कार्यान्वयन कब तक होने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, नहीं। पर्यावरण और वन मंत्रालय ने ऐसी कोई अधिसूचना जारी नहीं की है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भारत सरकार आनुवंशिक रूप से रूपांतरित उत्पादों, जिनका पर्यावरणीय और स्वास्थ्य सुरक्षा की दृष्टि से मूल्यांकन करने के लिए व्यापक नियम और दिशानिर्देश बनाए गए हैं, का केस-दर-केस अनुमोदन का अनुसरण कर रही है। केवल उन्हीं ट्रांसजैनिक फसलों को पर्यावरण में रिलीज करने के लिए अनुमोदित किया जाता है जिन्हें पर्यावरण और मानव खपत की दृष्टि से सुरक्षित पाया जाता है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत अधिसूचित परिसंकटमय माइक्रो आर्गेनिजम/ आनुवंशिकीय इंजीनियर्ड आर्गेनिज्म अथवा सैल्स विनिर्माण, उपयोग, आयात, निर्यात तथा भंडार नियम 1989 वर्ष 1990 से प्रभावी हुए हैं।

पत्तन और गोदी कर्मचारियों की मजदूरी में संशोधन

2762. श्री पी. मोहन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय पत्तन और गोदी उद्योग एक लाभार्जक संगठन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पूरे भारत में पत्तन और गोदी उद्योग में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं;

(घ) क्या पत्तन और गोदी कर्मचारी हर दस वर्ष पर मजदूरी संशोधन सूत्र के अंतर्गत शामिल हैं; और

(ङ) यदि हां, तो किस तिथि को मजदूरी में संशोधन किया गया था?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) वर्ष 2006-07 के दौरान महापत्तनों को कर अदा किए जाने से पूर्व निवल अधिशेष के आंकड़े (डाटा) निम्नानुसार हैं:

पत्तन का नाम	(करोड़ रु. में)
मुरगांव	40.46
जवाहर लाल नेहरू	569.14
कांडला	213.18
कोचीन	26.66
नवमंगलूर	109.16
मुंबई	176.47
विशाखापट्टनम	187.82
पारादीप	292.92
तूतीकोरिन	113.45
चेन्नई	262.78
कोलकाता	465.11
एन्नौर पत्तन लिमिटेड	34.62

(ग) भारत के महापत्तनों में लगभग 63499 तक पत्तन और गोदी कर्मचारी/कामगार कार्य कर रहे हैं।

(घ) और (ङ) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 12(3) के अंतर्गत पत्तन और गोदी कामगारों के मुख्य परिसंघों और पत्तन प्रबंधन के बीच मजदूरी के संबंध में समझौते के माध्यम से श्रेणी 3 तथा 4 के पत्तन और गोदी कामगारों की मजदूरी में संशोधन किया जाता है। पत्तन प्रबंधन और श्रम परिसंघों के बीच पिछले मजदूरी समझौते पर 2.8.2000 को हस्ताक्षर किए गए थे। यह 1.1.1997 से 31.12.2006 तक की अवधि के लिए प्रभावी था।

विदेशों में अवैध प्रवास

2763. श्री स्वदेश चक्रवर्ती:
श्री हन्नान मोल्लाह:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों में अवैध प्रवासन हो रहा है जहां ऐसे प्रवासी अत्यधिक कम मजदूरी पर काम कर रहे हैं तथा उनका विभिन्न प्रकार से शोषण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (ग) उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालय, उत्प्रवास जांच अपेक्षित श्रेणी के 17 देशों में उत्प्रवास जांच अपेक्षित श्रेणी में रोजगार के लिए जाने वाले उत्प्रवासी भारतीय कामगारों को उत्प्रवास स्वीकृति प्रदान करते हैं।

तथापि, यात्रा/स्थानान्तरण वीजा पर विदेश जाने वाल और उस देश में रोजगार करने वाले कामगारों के मामले समय-समय पर इस मंत्रालय और भारतीय मिशनों के ध्यान में आए हैं। जब कभी ऐसे मामलों की सूचना मिलती है, मिशन कामगारों की परेशानियों को हल करने के लिए वहां की स्थानीय सरकार के साथ मामले को उठाते हैं और ऐसे कामगारों को वापस भारत भेजने के लिए भी सहायता देते हैं।

खाड़ी देश समय-समय पर अवैध उत्प्रवासियों के लिए क्षमादान की घोषणा करते हैं जिसमें वे या तो वहां रहने को विनियमित करा सकते हैं अथवा बिना किसी दंड के देश छोड़ सकते हैं। ऐसे क्षमादान की घोषणा के बाद भारतीय मिशन ऐसे कामगारों के या तो वहां रहने को विनियमित कराने अथवा उनके वापस भारत लौटने के लिए आपात प्रमाण-पत्र जारी कराने के लिए मामले को स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाते हैं। यह मंत्रालय उनकी सुरक्षित भारत वापसी को सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के साथ समन्वय करता है।

भारतीय कामगारों के शोषण और उनके साथ दुर्व्यवहार के मामले भी समय-समय पर इस मंत्रालय और भारतीय मिशनों के ध्यान में आते हैं। प्रवासी भारतीय कामगारों के सामने आने वाली समस्याएं मुख्य रूप से नियोक्ताओं द्वारा संविदा के उल्लंघनों जैसे वेतन का भुगतान न करना/देरी से करना, चिकित्सा सुविधाएं, उचित भोजन उपलब्ध न कराना और रहन-सहन की खराब परिस्थितियों आदि, से संबंधित होती हैं।

ऐसे मामलों में यदि पंजीकृत भर्ती एजेंसी शामिल होती है तो उत्प्रवास अधिनियम 1983 के प्रावधान के अंतर्गत उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है जिसमें उसके पंजीकरण प्रमाण-पत्र को निलंबित और रद्द किया जाता है। 2007 के दौरान 27 पंजीकरण प्रमाण-पत्रों को निलंबित/रद्द किया गया है।

अपंजीकृत भर्ती एजेंटों के मामले में, शिकायतों को संबंधित राज्य पुलिस प्राधिकारियों/उत्प्रवास संरक्षी को कानून के प्रावधानों के अनुसार जांच और उचित कार्रवाई के लिए भेजा जाता है। 2007 के दौरान 7 अभियोजन स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

विदेशी नियोक्ताओं के विरुद्ध शिकायतों के संबंध में, ऐसे विदेशी नियोक्ता को पूर्व अनुमोदन श्रेणी (काली सूची) में रखा जाता है और परिणामस्वरूप उन्हें भारत से कामगारों की भर्ती की अनुमति नहीं होती है। 334 विदेशी नियोक्ताओं को ऐसी श्रेणी में रखा गया है।

मेजबान देशों द्वारा भारतीय कामगारों के कल्याण और संरक्षण को सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से भारत सरकार ने दिसम्बर, 2006 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ और अप्रैल, 2007 में कुवैत के साथ द्विपक्षीय श्रम समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। नवम्बर, 2007 में कतर के साथ एक अतिरिक्त प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये भारतीय कामगारों, जब वे विदेशों में नियोजित होते हैं, के बेहतर संरक्षण के लिए विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक सहमत व्यापक ढांचा प्रदान करते हैं।

उत्प्रवासियों के हितों को और सुदृढ़ बनाने के लिए उत्प्रवास अधिनियम, 1983 में संशोधन किया जा रहा है।

भ्रष्टाचार अवबोधन सूचकांक

2764. श्री अमिताभ नन्दी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न देशों के लिए भ्रष्टाचार अवबोधन सूचकांक (सीपीआई) में भारत का कौन सा स्थान है;

(ख) क्या सरकार का विचार भ्रष्टाचार को कम करने के लिए देश के सभी भागों में भ्रष्टाचार रोधी ब्यूरो को सुदृढ़ बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) ट्रांसपेरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित भ्रष्टाचार अवबोधन सूचकांक, 2007 'सीपीआई-2007' के अनुसार 180 देशों में भारत का 72वां रैंक है।

(ख) और (ग) सरकार भ्रष्टाचार पर "बिल्कुल बर्दाश्त नहीं" की अपनी नीति को कार्यान्वित करने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है और पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देकर जीवन के सभी क्षेत्रों से भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए प्रगितशील रूप से आगे बढ़ रही है। विभिन्न राज्यों में भ्रष्टाचार निरोधी ब्यूरो को मजबूत बनाने हेतु संबंधित राज्य सरकारों द्वारा उपाय किए जाते हैं। जहां तक केन्द्रीय सरकार का संबंध है, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो और

विभागीय सतर्कता संगठनों को मजबूत बनाने के लिए सरकार द्वारा पहले ही अनेक कदम उठाए गए हैं। इन कदमों में, अन्य बातों के साथ-साथ, केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का अधिनियमन, भण्डाफोड़ करने वालों (व्हिसल ब्लोअर्स) का संकल्प, 2004, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की अवसंरचना का आधुनिकीकरण तथा उन्नयन और केन्द्रीय सतर्कता आयोग की सिफारिशों पर केन्द्रीय सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की पूर्व सक्रिय (प्रो-एक्टिव) भागीदारी के माध्यम से सतर्कता गतिविधियों संबंधी वार्षिक कार्य योजनाओं का कार्यान्वयन, केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा प्रक्रियाओं की निविदा और संविदा देने में पारदर्शिता पर वृहत् अनुदेशों को जारी करना, शामिल है।

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण तथा उनकी ऊपरी सतह को दुबारा बनाना

2765. श्री रनेन बर्मन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण तथा उनकी ऊपरी सतह को दुबारा बनाने का कार्य करने वाले ठेकेदारों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) ऐसे ठेकेदारों को ठेका देने हेतु प्रक्रिया तथा मानदण्ड क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) यह मंत्रालय एजेंसियों अर्थात् राज्य लोक निर्माण विभागों, सीमा सड़क संगठन और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से राष्ट्रीय राजमार्गों पर निर्माण तथा रीसरफेसिंग कार्य कर रहा है। एजेंसियों द्वारा ठेकेदारों का चयन और नियुक्ति खुली निविदा आमंत्रित करके पारदर्शी प्रतिस्पर्धी निविदा प्रक्रिया से किया जाता है। दोनों घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय ठेका फर्मों को कार्य के आकार और स्वरूप के आधार पर लगाया जाता है जो संगठनात्मक, वित्तीय तथा तकनीकी अपेक्षाओं को पूरा करती हैं।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड द्वारा कोयले की मांग

2766. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत केन्द्रों के लिए छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड से कोयले की मांग हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड को कोयले की आपूर्ति पर्याप्त थी;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) उन्हें पर्याप्त मात्रा में कोयला आपूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) "विद्युत केन्द्रों" के लिए छत्तीसगढ़ विद्युत बोर्ड से कोयले की मांग हेतु कोई प्रस्ताव इस मंत्रालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, कोरबा साउथ में प्रस्तावित 1000 मे.वा. तापीय विद्युत संयंत्र तथा मारवा में 500 मे.वा. तापीय विद्युत संयंत्र के लिए दीर्घावधि कोयला आबंटन हेतु आवेदन प्राप्त हुए हैं।

(ग) से (ङ) पिछले तीन वर्षों के दौरान कोरबा ईस्ट और कोरबा वेस्ट में स्थित विद्युत संयंत्रों को प्रेषित कोयला नीचे दिए अनुसार है:

(आंकड़े हजार टन में)

तापीय विद्युत संयंत्र का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
कोरबा (ईस्ट)	4245	2716	2568
कोरबा (वेस्ट)	4245	4493	4628
कुल	6477	7209	7196

अप्रैल, 2005, 2006 और 2007 की स्थिति के अनुरूप पिछले तीन वर्षों के दौरान इन विद्युत संयंत्रों के अंतिम भंडार से केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यह पता चलता है कि इन संयंत्रों के पास 18 से 33 दिनों के लिए पर्याप्त कोयला भंडार था। कोरबा ईस्ट (विस्तार) के संबंध में भुगतान विनियमित करते हुए विद्युत गृह द्वारा कोयले का सीमित उठान था। इस संयंत्र में भी कोयले के भंडार में सुधार लाने के उद्देश्य से संबंधित कोयला कंपनियों को आपूर्ति में वृद्धि करने की सलाह दी गई है।

[अनुवाद]

कुवैत गए भारतीय प्रवासियों को वीसा जारी करना

2767. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुवैत गए भारतीय प्रवासियों को वीसा जारी करने के संबंध में भारत और कुवैत के बीच कोई मतांतर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुवैती सरकार के साथ इस मामले को उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) से (घ) कुवैत सरकार ने विदेशी कामगारों के संबंध में श्रम करार के लिए एक विशेष फोर्मेट निर्धारित किया है। यदि वीजा के लिए आवेदन के साथ उस फोर्मेट में श्रम करार संलग्न नहीं होता है तो कार्य वीजा नहीं दिया जाता है। भारत और कुवैत के बीच हस्ताक्षर किए गए श्रम, रोजगार और जन-शक्ति विकास संबंधी द्विपक्षीय समझौता ज्ञापन के अंतर्गत कामगार के हित में श्रम संविदा के कुवैत सरकार द्वारा सत्यापन को प्रक्रिया संबंधी आवश्यकता बनाया गया है।

चूंकि कुवैत सरकार श्रम संविदाओं को तब तक सत्यापित नहीं करती जब तक कि वे निर्धारित फार्मेट में नहीं होते हैं, कुछ भारतीय उत्प्रवासी कामगारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इस मामले पर 14-15 फरवरी, 2008 को समझौता ज्ञापन के अंतर्गत गठित संयुक्त कार्यकारी दल की नई दिल्ली में हुई पहली बैठक में चर्चा की गई थी और दोनों पक्षों की आम सहमति से श्रम संविदा के फोर्मेट को अंतिम रूप दिया गया था। कुवैत सरकार संयुक्त कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार संशोधित फोर्मेट को कार्यान्वित करने के लिए आवश्यक आंतरिक अनुमोदन ले रही है।

वन भूमि के अन्य उपयोग हेतु धनराशि

2768. श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री हरिन पाठक:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अंतर्गत गैर वन भूमि के रूप में वन भूमि के उपयोग हेतु प्राप्त धनराशि के प्रबंधन हेतु एक तदर्थ कंपनसेट्री एफोरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथारिटी (सीएएमपीए) का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गुजरात राज्य सरकार ने सीएएमपीए को कोई धनराशि अंतरित की है;

(घ) यदि हां, तो कितनी राशि भेजी गयी है;

(ङ) क्या गुजरात राज्य सरकार ने सीएएमपीए से धनराशि प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय में प्रतिपूरक वनीकरण, निवल वर्तमान मूल्य और गैर-वानिकी कार्यों के लिए वन भूमियों के वनेतर उपयोग से प्राप्त किसी अन्य धन के प्रबंधन हेतु 23 अप्रैल, 2004 की सरकारी अधिसूचना के तहत प्रतिपूरक वनीकरण निधि प्रबंधन और प्राधिकरण का गठन किया गया था। चूंकि काम्पा का संचालन नहीं हुआ, अत: मई 2006 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए तदर्थ काम्पा का गठन किया गया था।

(1) यह सुनिश्चित करना कि काम्पा की ओर से वसूल की गई सभी धनराशियां जो वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न अधिकारियों के पास पड़ी हैं उन्हें इस निकाय द्वारा संचालित बैंक खाता में अंतरित कर दिया जाए।

(2) काम्पा की ओर से प्रयोक्ता एजेंसियों से प्राप्त सभी धनराशियां और इस पर विभिन्न राज्य सरकारी अधिकारियों द्वारा अर्जित की गई आय का लेखा परीक्षा कराया जाना चाहिए। लेखा परीक्षकों की नियुक्ति नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की जा सकती है। लेखा परीक्षण में इस बात की भी जांच की जाएगी कि क्या निधियों के निवेश में उचित वित्तीय प्रक्रिया अपनाई जा रही है।

(ग) से (च) गुजरात राज्य सरकार ने 1 मार्च, 2008 को तदर्थ काम्पा को 120,57,84,403 रु. (एक सौ बीस करोड़, सतयान लाख चौरासी हजार चार सौ तीन रुपए मात्र) की धनराशि अंतरित की है।

गुजरात राज्य सरकार ने माह मई, 2007 में वनीकरण कार्यों आदि के लिए 12,33,57,000 (बारह करोड़ तैंतीस लाख सतावन हजार रु. मात्र) की राशि प्रयोग करने का प्रस्ताव था। चूंकि, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा तदर्थ काम्पा को निधियां जारी करने के लिए प्राधिकृत नहीं किए जाने के कारण गुजरात सहित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को धन जारी नहीं किया जा सका।

गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोग

2769. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री पी. मोहन:
श्री रामचन्द्र पासवान:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:
श्री पुष्प जैन:
श्री सुभाष महरिया:
श्री भर्तृहरि महताब:
श्री राकेश सिंह:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या कितनी है तथा इनमें से राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार कितने लोग अल्पसंख्यक, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के हैं;

(ख) उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस संबंध में सहस्राब्दी विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कुछ नए उपाय करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता तथा गरीबी रेखा का अनुमान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (एनएसएसओ) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद् प्रतिदर्श सर्वेक्षण आंकड़ों से प्राप्त व्यक्तियों के वर्गवितरण से लगता है। अनुमानित आबादी के आधार पर, गरीबी में रह रहे व्यक्तियों की संख्या का अनुमान व्यक्तियों के प्रतिशत से लगाया जाता है। वर्ष 2004-05 के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों के प्रतिशत और संख्या का नवीनतम अनुमान उपलब्ध है जोकि एनएसएस के 61वें दौर के उपभोक्ता व्यय आंकड़े संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण पर आधारित है। इन्हें विवरण-I में दिया गया है।

वर्ष 2004-05 में राष्ट्रीय और राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता का अनुमान क्रमश: एनएसएस के 61वें दौर के घरेलू उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राप्त व्यक्तियों से संबंधित वितरण और पूरी आबादी के लिए गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है। इन्हें विवरण-II में दिया गया है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में गरीबों की संख्या का अनुमान उपलब्ध नहीं है। अल्पसंख्यकों के लिए अलग से गरीबी का अनुमान भी उपलब्ध नहीं है।

(ख) से (घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय अवधि (2007-12) के लिए प्रतिवर्ष 9 प्रतिशत आर्थिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसका उद्देश्य इस योजना अवधि के अंत तक अर्थव्यवस्था को लगभग 10 प्रतिशत संधारणीय विकास पथ पर लाना है। ग्यारहवीं योजना का केन्द्रीय विजन एक ऐसी विकास प्रक्रिया शुरू करने की है जिससे लोगों, विशेषकर गरीबी, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों, अल्पसंख्यकों आदि के जीवनयापन की गुणवत्ता में व्यापक सुधार सुनिश्चित होता हो। सरकार सामान्य विकास प्रक्रिया से सृजित आय के अतिरिक्त गरीबों की आय बढ़ाने के लिए मजदूरी रोजगार एवं परिसम्पत्ति निर्माण कार्यक्रम जैसे कई गरीबी-रोधी कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। गरीबी उपशमन और गरीबों के जीवनयापन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यान्वित की जा रही मुख्य स्कीमें और कार्यक्रम हैं—संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इंदिरा आवास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अन्त्योदय अन्न योजना एकीकृत बाल विकास सेवाएं, दोपहर का भोजन स्कीम आदि। स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन तथा शिक्षा के लिए सर्वशिक्षा अभियान कार्यान्वित किए जा रहे हैं। जल आपूर्ति और स्वच्छता के लिए क्रमश: त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम तथा संपूर्ण स्वच्छता अभियान कार्यान्वित किए जा रहे हैं। मिलेनियम विकास लक्ष्यों के पूरा करने के लिए सरकार ने कोई अलग से कार्यक्रम तैयार नहीं किया है। तथापि, मिलेनियम विकास लक्ष्य पंचवर्षीय योजनाओं में दिए गए उद्देश्यों और लक्ष्यों के समान ही है।

विवरण I

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लोगों की संख्या एवं प्रतिशत 2004-05

क्रसं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	व्यक्तियों की प्रतिशतता	व्यक्तियों की संख्या (लाख)
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	15.8	126.10
2.	अरुणाचल प्रदेश	17.6	2.03

1	2	3	4
3.	असम	19.7	55.77
4.	बिहार	41.4	369.15
5.	छत्तीसगढ़	40.9	90.96
6.	दिल्ली	14.7	22.93
7.	गोवा	13.8	2.01
8.	गुजरात	16.8	90.69
9.	हरियाणा	14.0	32.10
10.	हिमाचल प्रदेश	10.0	6.63
11.	जम्मू-कश्मीर	5.4	5.85
12.	झारखंड	40.3	116.39
13.	कर्नाटक	25.0	138.89
14.	केरल	15.0	49.60
15.	मध्य प्रदेश	38.3	249.68
16.	महाराष्ट्र	30.7	317.38
17.	मणिपुर	17.3	3.95
18.	मेघालय	18.5	4.52
19.	मिजोरम	12.6	1.18
20.	नागालैंड	19.0	3.99
21.	उड़ीसा	46.4	178.49
22.	पंजाब	8.4	21.63
23.	राजस्थान	22.1	134.89
24.	सिक्किम	20.1	1.14
25.	तमिलनाडु	22.5	145.62
26.	त्रिपुरा	18.9	6.38
27.	उत्तर प्रदेश	32.8	590.03
28.	उत्तराखंड	39.6	35.96
29.	पश्चिम बंगाल	24.7	208.36
30.	अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह	22.6	0.92
31.	चंडीगढ़	7.1	0.74
32.	दादरा और नगर हवेली	33.2	0.84
33.	दमन और दीव	10.5	0.21
34.	लक्षद्वीप	16.0	0.11
35.	पांडिचेरी	22.4	2.37
	अखिल भारत	27.5	3017.20

टिप्पणी: गरीबी रेखा (गरीबी अनुपात) से नीचे रह रहे लोगों की प्रतिशतता का ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से अनुमान किया जाता है। ग्रामीण और शहरी गरीबी अनुपात के अनुमान हेतु निम्नलिखित पूर्वानुमान किए जाते हैं:

1. असम के गरीबी अनुपात को सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड और त्रिपुरा के लिए प्रयोग किया गया है।
2. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और गोवा के व्यय वितरण को गोवा के गरीबी अनुपात का अनुमान करने में प्रयोग किया गया है।
3. तमिलनाडु के गरीबी अनुपात का पांडिचेरी और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए प्रयोग किया गया है।
4. पंजाब के शहरी गरीबी अनुपात का चंडीगढ़ के दोनों ग्रामीण और शहरी गरीबी के लिए प्रयोग किया गया है।
5. महाराष्ट्र की गरीबी रेखा और दादरा और नगर हवेली के व्यय वितरण का दादरा एवं नगर हवेली के गरीबी अनुपात का अनुमान लगाने में प्रयोग किया गया है।
6. गोवा का गरीबी अनुमान दमन और दीव के लिए प्रयोग किया गया है।
7. केरल के गरीबी अनुपात का लक्षद्वीप के लिए प्रयोग किया गया है।

विवरण II

राज्यों में गरीबी रेखा से नीचे पाए जाने वाले सामाजिक समूहों की आबादी की प्रतिशतता 2004-05

क्र.सं.	राज्य	ग्रामीण		शहरी	
		अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	30.5	15.4	50.0	39.9
2.	असम	14.1	27.7	4.8	8.6

1	2	3	4	5	6
3.	बिहार	53.3	64.0	57.2	67.2
4.	छत्तीसगढ़	54.7	32.7	41.0	52.0
5.	दिल्ली	0.00	0.00	9.4	35.8
6.	गुजरात	34.7	21.8	21.4	16.0
7.	हरियाणा	0.0	26.8	4.6	33.4
8.	हिमाचल प्रदेश	14.9	19.6	2.4	5.6
9.	जम्मू-कश्मीर	8.8	5.2	0.0	13.7
10.	झारखंड	54.2	57.9	45.1	47.2
11.	कर्नाटक	23.5	31.8	58.3	50.6
12.	केरल	44.3	21.6	19.2	32.5
13.	मध्य प्रदेश	58.6	42.8	44.7	67.3
14.	महाराष्ट्र	56.6	44.8	40.4	43.2
15.	उड़ीसा	75.6	50.2	61.8	72.6
16.	पंजाब	30.7	14.6	2.1	16.1
17.	राजस्थान	32.6	28.7	24.1	52.1
18.	तमिलनाडु	32.1	31.2	32.5	40.2
19.	उत्तर प्रदेश	32.4	44.8	37.4	44.9
20.	उत्तराखंड	43.2	54.2	64.4	65.7
21.	पश्चिम बंगाल	42.4	29.5	25.7	28.5

टिप्पणी:

1. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के गरीबी अनुपात का अनुमान क्रमशः एनएसएस (61वें दौर, जुलाई, 2004 से जून, 2005) के उपभोक्ता व्यय संबंधी वृहद प्रतिदर्श सर्वेक्षण से प्राप्त व्यक्तियों के प्रतिशतता वितरण और पूरी आबादी की गरीबी रेखा के आधार पर किया जाता है।

2. गरीबों के अनुपात एवं संख्या का अनुमान संबंधी विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट में निहित कार्यविधि के आधार पर अनुमान लगाए गए हैं।

3. अखिल भारत गरीबी अनुपात व्यक्तियों के संबंधित एनएसएस वितरण और संपूर्ण आबादी के अखिल भारत गरीबी रेखा से तैयार किए जाते हैं।

4. कुछ राज्यों में अनुसूचित जनजातियों की आबादी में गरीबी का अनुपात प्रतिदर्श परिवारों के छोटे आकार के कारण चेतावनी के तौर पर लिया जाए जो व्यक्तियों के जाति वर्गीकरण के आधार पर है जिसे एनएसएस में प्राप्त किया गया है। ये राज्य हैं: ग्रामीण क्षेत्र में, हरियाणा और पंजाब, जहां अनुसूचित जनजातियों के बीच प्रतिदर्श परिवारों की संख्या दस या इससे कम है, तथा जम्मू और कश्मीर तथा तमिलनाडु जहां प्रतिदर्श परिवारों की संख्या 15 या इससे कम है। इसी प्रकार शहरी क्षेत्रों में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, केरल और पंजाब राज्य हैं जहां अनुसूचित जनजातियों में प्रतिदर्श परिवारों की संख्या 10 या इससे कम है। तथा दिल्ली, तमिलनाडु तथा उत्तराखंड राज्यों में जहां प्रतिदर्श परिवारों की संख्या 20 या इससे कम है।

[हिन्दी]

राज्यों/जिलों को धनराशि का आबंटन

2770. **श्री महावीर भगोरा:**
श्री धर्मेन्द्र प्रधान:

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष योजना के अंतर्गत राज्य-वार और जिला-वार जारी धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा उसे किस आधार पर जारी किया गया है;

(ख) क्या निर्धारित मानदण्डों के अनुसार इन राशियों का इस्तेमाल किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) धनराशियों के उपयोग की निगरानी हेतु तंत्र का ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि कार्यक्रम (बी.आर.जी.एफ.) वित्तीय वर्ष 2006-07 में अनुमोदित किया गया था। कार्यक्रम के तीन घटक हैं, नामत: बिहार के लिए विशेष योजना, उड़ीसा के के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना एवं 2006-07 से पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कार्यक्रम में समाहित किए गए राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.आई.) के पिछड़े जिलों के लिए पहलों वाला जिला घटक। बिहार एवं उड़ीसा के के.बी.के. जिलों के लिए विशेष योजना का संचालन योजना आयोग द्वारा किया जाता है। बी.आर.जी.एफ. के जिला घटकों के तहत आबंटन दो निधीयन विण्डो (क) पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण के लिए निधियां एवं (ख) एक अबद्ध विकासात्मक अनुदान से बना है। इन तीनों घटकों के तहत 2005-06 से आगे की अवधि के लिए राज्य-वार एवं जिला-वार जारी की गई निधियों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) बी.आर.जी.एफ. अबद्ध अनुदान उपलब्ध कराता है जिसका उपयोग मानव विकास के अंतरालों को पाटने, अवसंरचनात्मक विकास एवं उत्पादक क्षेत्र में विकास के लिए किया जा सकता है। इस कार्यक्रम में पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के माध्यम से सहभागितापूर्ण योजनाकरण पर जोर है ताकि लक्ष्य एवं परिणाम लोगों की अनुभूत आवश्यकताओं को प्रतिबिंबित करें। बी.आर.जी.एफ. के तहत कई तरह की स्कीमों ली जा सकती हैं इसलिए केंद्रीय स्तर पर किसी नार्म को विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है। राज्य सरकारों द्वारा कार्यक्रम में सम्पन्न किए गए विभिन्न कार्यों एवं स्कीमों के लिए निर्धारित किए गए नार्म्स का इस्तेमाल, आकलनों की तैयारी, काम की गुणवत्ता आदि कार्यक्रम के विभिन्न कार्यों एवं योजनाओं के लिए किया जाता है। आर.एस.वी.वाई. के तहत पूर्ण किए गए कार्यों की प्रगति रिपोर्टें संतोषजनक रही हैं।

(घ) बी.आर.जी.एफ. के दिशा-निर्देशों में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्रत्येक जिले में स्कीम के तहत कार्यों की नियमित भौतिक एवं वित्तीय लेखा-परीक्षा की जानी चाहिए। कार्यक्रम का दिशा-निर्देश जिला-स्तर पर जिला-योजना समिति द्वारा गठित समीक्षा समिति के सृजन का भी प्रबंध करता है। मध्यवर्ती पंचायत स्तर तक सहकर्मी समूह समीक्षा एवं तृणमूल स्तर पर सामाजिक लेखा परीक्षा को सुनिश्चित करने के लिए ग्राम सभा द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्र निर्गत करने का प्रावधान है।

विवरण

बी.आर.जी.एफ. के तहत निर्गत निधियां
क. पिछड़ा जिला पहल—आर.एस.वी.वाई. जिलों के लिए निधियों की निर्मुक्ति

(करोड़ रुपये में राशि)

क्र.सं.	राज्य/जिला	निर्मुक्त की जाने वाली कुल राशि	2005-06 में निर्मुक्त राशि	2006-07 में निर्मुक्त राशि	2007-08 में निर्मुक्त राशि	कुल निर्मुक्त निर्मुक्त राशि (2003-04 से 2007-08 तक)
1	2	3	4	5	6	7
1.	आंध्र प्रदेश (10)					
	अदिलाबाद	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50

1	2	3	4	5	6	7
	चित्तौर	45.00		15.00	7.50	22.50
	करीमनगर	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	खम्माम	45.00		7.50	7.50	15.00
	महबूबनगर	45.00		7.50	7.50	15.00
	मेडक	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	नालगोंडा	45.00		7.50	7.50	15.00
	निजामाबाद	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	विजयनगरम्	45.00		7.50	15.00	22.50
	वारंगल	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	योग	450.00	37.50	82.50	105.00	225.00
2.	अरुणाचल प्रदेश (1)					
	अपर सुवनसीरी	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
3.	असम (5)					
	धीमाजी	45.00		7.50	0.00	7.50
	करबी-आंगलौंग	45.00		7.50	22.50	30.00
	कोकराझार	45.00		15.00	15.00	30.00
	एन.सी. हिल्स	45.00		15.00	7.50	22.50
	उत्तरी लखीमपुर	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	योग	225.00	7.50	52.50	52.50	112.50
4.	बिहार (21)					
	अररिया	45.00	7.50	7.50	0.00	15.00
	औरंगाबाद	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	भोजपुर	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	दरभंगा	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	गया	45.00	7.50	7.50	7.50	30.00
	जमुई	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	जहानाबाद	45.00		7.50	15.00	22.50
	कैमूर	45.00	7.50	15.00		22.50

1	2	3	4	5	6	7
	कटिहार	45.00	7.50	15.00		22.50
	लखीसराय	45.00		15.00		15.00
	मधुबनी	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	मुजफ्फरपुर	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	नालंदा	45.00	7.50	7.50		15.00
	नवादा	45.00	7.50	15.00		22.50
	पटना	45.00	7.50	15.00	7.50	30.00
	पुर्णिया	45.00		15.00	7.50	22.50
	रोहतास	45.00	7.500	15.00		22.50
	समस्तीपुर	45.00	7.50	7.50		15.00
	शिवहर	45.00	7.50	7.50		15.00
	सुपौल	45.00	7.50	15.00		22.50
	वैशाली	45.00	7.50	15.00	7.50	30.00
	योग	945.00	135.00	232.50	97.50	472.50
5.	छत्तीसगढ़ (8)					
	बस्तर	45.00	7.50	15.00	0.00	22.50
	बिलासपुर	45.00	15.00	15.00	7.50	37.50
	दांतेवारा	45.00	7.50	15.00		22.50
	जसपुर	45.00	15.00	15.00	7.50	37.50
	कंकेर	45.00	15.00	15.00	7.50	37.50
	कर्वधा/कबीरधाम	45.00	15.00	15.00	7.50	37.50
	राजनंदगांव	45.00		22.50	7.50	30.00
	सरगुजा	45.00	15.00	15.00	7.50	37.50
	योग	360.00	90.00	127.50	45.00	262.50
6.	गुजरात (3)					
	दाहोद	45.00	7.50	15.00	0.00	22.50
	डंगस	45.00	7.50	15.00		22.50
	पंचमहल	45.00		7.50	7.50	15.00
	योग	135.00	15.00	37.50	7.50	60.00

1	2	3	4	5	6	7
7.	हरियाणा (1)					
	सिरसा	45.00	15.00	22.50	0.00	37.50
8.	हिमाचल प्रदेश (2)					
	चंबा	45.00	7.50	15.00	7.50	45.00
	सिरमौर	45.00	7.50	15.00	7.50	45.00
	योग	90.00	15.00	30.00	15.00	90.00
9.	जम्मू-कश्मीर (3)					
	डोडा	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	कुपवाड़ा	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	पुंछ	45.00	7.50	7.50		15.00
	योग	135.00	22.50	22.50	15.00	60.00
10.	झारखंड (16)					
	बोकारो	45.00	7.50	15.00	15.00	45.00
	चतरा	45.00	15.00	15.00	7.50	37.50
	धनबाद	45.00	7.50	22.50	7.50	37.50
	गढ़वा	45.00	7.50	22.50	7.50	37.50
	गिरिडिह	45.00	7.50	15.00	7.50	30.00
	गोड्डा	45.00	7.50	15.00	7.50	30.00
	गुमला	45.00	7.50	22.50		30.00
	हजारीबाग	45.00	7.50	22.50	7.50	30.00
	कोडरमा	45.00	7.50	15.00	7.50	30.00
	लातेहार	45.00	15.00	15.00		30.00
	लोहरदग्गा	45.00	15.00	15.00		30.00
	पलामू	45.00	15.00	22.50		37.50
	रांची	45.00	15.00	15.00	7.50	37.50
	सरायकेला	45.00	7.50	30.00		37.50
	सिमडेगा	45.00	7.50	30.00		37.50
	पश्चिम सिंहभूम	45.00		30.00	7.50	37.50
	योग	720.00	142.50	315.00	82.50	547.50

1	2	3	4	5	6	7
11.	कर्नाटक (4)					
	बिदर	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	चित्रदुर्ग	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	देवनगिरि	45.00		15.00	7.50	22.50
	गुलबर्गा	45.00		7.50	7.50	15.00
	योग	180.00	15.00	37.50	45.00	97.50
12.	केरल (2)					
	पालक्काड	45.00	15.00	7.50	0.00	45.00
	वैनाद	45.00		7.50	7.50	15.00
	योग	90.00	15.00	15.00	7.50	60.00
13.	मध्य प्रदेश (10)					
	बालाघाट	45.00	15.00	15.00	0.00	45.00
	बरवानी	45.00	15.00	7.50		45.00
	डिंडोरी	45.00	15.00	22.50		45.00
	खरगोन	45.00	15.00	7.50		45.00
	मांडला	45.00	15.00	15.00		45.00
	सतना	45.00	15.00	15.00		45.00
	सिनोई	45.00	15.00	15.00		45.00
	शहडौल	45.00	15.00	7.50		45.00
	सिधी	45.00	15.00	15.00		45.00
	उमरिया	45.00	15.00	15.00		45.00
	योग	450.00	150.00	135.00	0.00	285.00
14.	महाराष्ट्र (9)					
	अहमदनगर	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	बांद्रा	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	चंद्रपुर	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00

1	2	3	4	5	6	7
	धुले	45.00		15.00	15.00	30.00
	गडचिरौली	45.00		15.00	15.00	30.00
	गोंदिया	45.00	15.00	7.50	15.00	37.50
	हिंगोली	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	नांदेड़	45.00	7.50	15.00	7.50	30.00
	नंदुरबार	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	योग	405.00	60.00	90.00	105.00	255.00
15.	मणिपुर (1)					
	तमेंगलौंग	45.00	15.00	15.00	0.00	30.00
16.	मेघालय (1)					
	पश्चिम गारो हिल्स	45.00		15.00	7.50	22.50
17.	मिजोरम (1)					
	लौंगल्लाई	45.00	7.50	15.00	15.00	37.50
18.	नागालैंड (1)					
	मौन	45.00	7.50	22.50	0.00	30.00
19.	उड़ीसा (5)					
	गजपति	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	गंजम	45.00	15.00	7.50		22.50
	क्योंझर	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	मयूरभंज	45.00	7.50	15.00	7.50	30.00
	सुंदरगढ़	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	योग	225.00	45.00	45.00	52.50	142.50
20.	पंजाब (1)					
	होशियारपुर	45.00	7.50	15.00	7.50	30.00
21.	राजस्थान (3)					
	बंसवारा	45.00	15.00			45.00
	डुंगरपुर	45.00	15.00			45.00
	झालावार	45.00	7.50	15.00		45.00
	योग	135.00	37.50	15.00	0.00	135.00

1	2	3	4	5	6	7
22.	सिक्किम (1)	45.00	7.50	22.50	7.50	37.50
23.	तमिलनाडु (5)					
	तिरूवनमलई	45.00	15.00		0.00	15.00
	डिंडीगुल	45.00	15.00	7.50	0.00	22.50
	कड्डलूर	45.00	15.00	7.50	0.00	22.50
	नागपट्टनम	45.00	15.00	7.50	7.50	30.00
	शिवगंगा	45.00	15.00	7.50	7.50	30.00
	योग	225.00	75.00	30.00	15.00	120.00
24.	त्रिपुरा (1)					
	धलाई	45.00	7.50	15.00	7.50	30.00
25.	उत्तराखंड (3)					
	चमोली	45.00	7.50	15.00	7.50	37.50
	चंपावत	45.00	7.50	7.50	15.00	37.50
	टिहरी गढ़वाल	45.00	7.50	15.00	7.50	37.50
	योग	135.00	22.50	37.50	30.00	112.50
26.	उत्तर प्रदेश (21)					
	आजमगढ़	45.00	7.50	15.00	7.50	30.00
	बांदा	45.00	7.50	15.00	7.50	30.00
	चंदौली	45.00	7.50	22.50	7.50	37.50
	चित्रकूट	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	फतेहपुर	45.00	15.00	15.00		30.00
	गोरखपुर	45.00	7.50	15.00		22.50
	हमीरपुर	45.00	7.50	22.50		30.00
	हरदोई	45.00	7.50	22.50		30.00
	जलौन	45.00	15.00	7.50	7.50	30.00
	जौनपुर	45.00	7.50	15.00		22.50
	कौशांबी	45.00	15.00	15.00	7.50	37.50
	कुशीनगर	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50

1	2	3	4	5	6	7
	ललितपुर	45.00	15.00	7.50	15.00	37.50
	महोबा	45.00	7.50	22.50	7.50	37.50
	मिर्जापुर	45.00	7.50	15.00	7.50	30.00
	प्रतापगढ़	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	रायबरेली	45.00	7.50	22.50		30.00
	सीतापुर	45.00	15.00	15.00		30.00
	सोनभद्र	45.00	15.00	15.00		30.00
	उन्नाव	45.00	7.50	15.00	15.00	37.50
	योग	945.00	202.50	300.00	135.00	637.50
27.	पश्चिम बंगाल (8)					
	24 दक्षिण परगना	45.00		7.50	0.00	7.50
	बांकुरा	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	बीरभूम	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	जलपाईगुड़ी	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	मिदनापुर	45.00		7.50	7.50	15.00
	उत्तर दिनाजपुर	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	पुरूलिया	45.00	7.50	7.50	7.50	22.50
	दक्षिण दिनाजपुर	45.00	7.50	7.50	15.00	30.00
	योग	360.00	45.00	60.00	75.00	180.00
28.	नाबार्ड	9.30	3.24	3.30	0.00	6.54
	योग	6624.30	1210.74	1818.30	937.50	5610.12

ख.–बी.आर.जी.एफ. के तहत 2006-07 तथा 2007-08 में क्षमता निर्माण अनुदान की निर्मुक्ति
(17.03.2008 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	जिले	प्रति वर्ष कुल हकदारी	2006-07 में निर्मुक्त राशि	2007-08 में निर्मुक्त राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	13	13	13.00	13

1	2	3	4	5	6
2.	अरुणाचल प्रदेश	1	1	0.50	
3.	असम	11	11	9.12	
4.	बिहार	36	36	14.46	
5.	छत्तीसगढ़	13	13	9.10	
6.	हिमाचल प्रदेश	2	2		2.00
7.	कर्नाटक	5	5		10.00
8.	केरल	2	2		2.00
9.	मध्य प्रदेश	24	24	14.96	24.00
10.	महाराष्ट्र	12	12	6.19	
11.	उड़ीसा	19	19		19.00
12.	राजस्थान	12	12	7.87	
13.	सिक्किम	1	1	0.95	
14.	उत्तर प्रदेश	34	34		25.30
15.	पश्चिम बंगाल	11	11	10.50	
16.	झारखंड	21	21		21.00
	योग			86.65	116.30

ग.-बी.आर.जी.एफ. के तहत 2006-07 तथा 2007-08 में विकासात्मक अनुदानों की निर्मुक्ति (17.03.2008 की स्थिति के अनुसार)

(करोड़ रुपए में)

राज्य	क्र.सं.	जिले	2006-07 में निर्मुक्त राशि	2007-08 में निर्मुक्त राशि
	1	2	3	4
आंध्र प्रदेश				
	1.	अनंतपुर		28.32
	2.	कुड्डपा		23.85
	3.	रंगारेड्डी		20.87
	4.	वारंगल		23.59
	5.	करीमनगर		23.32
	6.	महबूबनगर		27.50
	7.	मेडक		20.37
	8.	विजयनगरम		17.01
	9.	खम्माम		24.08
	10.	चित्तूर		26.10
	11.	अदिलाबाद		23.89
	12.	निजामाबाद		18.63

1	2	3	4
	13. नलगोंड्डा		24.35
असम			
	1. हेलाकंडी		10
	2. मोरीगांव		7.5
	3. काचर		10
	4. बरपेटा		7.5
	5. कोकराझार		13.08
	6. बोंगाईगांव		11.9
छत्तीसगढ़			
	1. कोरबा		19.47
	2. धामतरी		12.95
	3. कोरिया		19.19
	4. महासमुंद		18.64
	5. रायगढ़		20.84
	6. कांकेर		12.28
	7. बिलासपुर		18.78
	8. राजनंदगांव		16.52
	9. बस्तर		20.57
	10. कबीरधाम		12.05
	11. सरगुजा		16.52
	12. दांतेवारा		21.29
	13. जशपुर		14.06
कर्नाटक			
	1. रायचुर		7.5
	2. बिदर		17.11
	3. चित्रदुर्ग		18.19
	4. दावनगीर		16.33
	5. गुलबर्गा		25.34

1	2	3	4
केरल			
	1. पलक्काड		9.25
मध्य प्रदेश			
	1. बालाघाट	1	16.54
	2. बरवानी	1	13.14
	3. बेतूल	1	17.93
	4. छत्तरपुर	1	13.91
	5. दामोह	1	15.63
	6. धार	1	17.47
	7. डिंडोरी		14.58
	8. गुणा/अशोकनगर	1	15.21
	9. झबुआ	1	16.91
	10. कटनी	2.0450997	13.56
	11. खंडवा/बुरहानपुर	1	17.01
	12. खरगोन	1	16.63
	13. मांडला	1	11.14
	14. पन्ना	1	15.05
	15. राजगढ़	1	15.28
	16. रीवा	1	17.03
	17. सतना	1	15.75
	18. शिवपुर	1	14.19
	19. शिवपुरी	1	18.18
	20. शहडोल/अन्नुपपुर		15.56
	21. सिधी		16.24
	22. सिनोई		17.11
	23. टिकमगढ़	1	14.01
	24. उमरिया		20.36

1	2	3	4
मणिपुर			
	1.	तमेंगलौंग	11.25
	2.	चुरचंदपुर	12.24
	3.	चंदेल	11.17
मिजोरम			
	1.	लवंगत्लाय	9.94
	2.	सैहा	9.03
नागालैंड			
	1.	मान	9.45
	2.	वोखा	4.51
	3.	त्वेनसांग/लौंगलेंग/किफरे	17.93
उड़ीसा			
	1.	बौध	12.51
	2.	कंधामल (फुलबनी)	5
	3.	नौपाड़ा	19.26
	4.	सोनेपुर	12.12
	5.	ढेंकनाल	5
	6.	झारसुगुड्डा	15.99
	7.	देवगढ़	16.28
	8.	संबलपुर	21.37
	9.	कोरापुट	14.36
	10.	कालाहांडी	13.90
	11.	मलकानगिरि	12.45
	12.	रायगढ़	13.83
	13.	नवरंगपुर	13.05
	14.	गंजम	20.56
	15.	गजपति	10.54
	16.	सुंदरगढ़	15.53
	17.	मयूरभंज	16.13
	18.	क्योंझर	13.72
	19.	बोलनगीर	11.12
राजस्थान			
	1.	करौली	22.50
	2.	उदयपुर	29.57
	3.	सवाई माधोपुर	21.63
	4.	जैसलमेर	40.90
	5.	टोंक	33.33
	6.	बंसवारा	22.51
	7.	चित्तौड़गढ़	24.21
	8.	बारमेर	35.23
	9.	जालौर	25.90
	10.	सिरोही	18.84
	11.	डुंगरपुर	21.03
	12.	झालावार	15.16
पश्चिम बंगाल			
	1.	पूर्वी मेदनीपुर	10
	2.	मालदा	10
	3.	मुर्शिदाबाद	10
	4.	बंकुरा	19.66
	5.	दक्षिणी 24 परगना	27.60
	6.	जलपाईगुड़ी	19.70
	7.	पुरूलिया	17.93
	8.	दक्षिण दिनाजपुर	13.40
	9.	बीरभूम	17.87
	10.	मेदनीपुर पश्चिम	25.71
	11.	उत्तर दिनाजपुर	15.88

1	2	3	4
बिहार			
1.	बांका		14.1
2.	बेगूसराय		14.93
3.	भागलपुर		15.47
4.	बक्सर		12.88
5.	खगड़िया		12.5
6.	किशनगंज		12.81
7.	मुंगेर		12.16
8.	पश्चिम चंपारण		18.36
9.	पूर्वी चंपारण		19.41
10.	सारण		17.2
11.	शेखपुरा		10.43
12.	सीतामढ़ी		15.87
13.	औरंगाबाद		15.08
14.	दरभंगा		17.07
15.	जमुई		13.72
16.	कैमूर		13.66
17.	कटिहार		15.7
18.	मधुबनी		18.4
19.	नालंदा		15.25
20.	नवादा		14.2
21.	पटना		20.51
22.	समस्तीपुर		17.65
23.	शिवहर		10.22
24.	सुपौल		13.95
25.	मुजफ्फरपुर		18.53
26.	पुर्णिया		16.13
27.	वैशाली		15.75
28.	मधेपुरा		13.19
29.	जहानाबाद		13.03
30.	लखीसराय		11.42
31.	गया		19.06
32.	गोपालगंज		14.6
33.	अररिया		15.08
34.	सहरसा		13.07
	योग	20.0451	2415.35
प्रत्येक जिले को 10 लाख रुपए का अग्रिम			25
कुल विकासात्मक अनुदान घटक			2440.35

पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि के तहत 2007-08 में निर्मुक्तियों का सार

17.03.2008 की स्थिति के अनुसार

	घटक	राशि (करोड़ रु. में)
क.	आर एस वी वाई	937.50
ख.	क्षमता निर्माण	116.30
ग.	विकासात्मक अनुदान	24403.5
घ.	डाटा बेस तथा कार्यक्रम प्रबंधन के लिए उद्दीष्ट निधियां	2.50
	योग	3496.65

किशोर मातृत्व

2771. **श्री सुभाष महरिया:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान 15 साल से कम आयु की कितनी किशोरिया मां बनीं; और

(ख) कच्ची आयु में मां बनने को हतोत्साहित करने हेतु क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) एन एफ एच एस-III सर्वेक्षण (2005-06) के अनुसार 15 वर्ष तक की उम्र में मां बनने वाली 15-19 वर्ष (सर्वेक्षण की अवधि के दौरान) की उम्र की महिलाओं का अनुपात 1.2 प्रतिशत है।

(ख) राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यनीति के अंतर्गत 10-19 वर्ष के आयु वर्ग की किशोरियों को कम उम्र में मां बनने से रोकने के लिए शिक्षित करने एवं परामर्श देने पर बल दिया गया है। ऐसा विवाह के समय उम्र तथा कम-से-कम विवाह की विधिक उम्र प्राप्त करने लेने तक विवाह में विलंब करने जैसे मुद्दों के संबंध में व्यवहार में परिवर्तन करने की हिमायत करके किया जाता है। जन स्वास्थ्य आउटपोस्ट पर सेवा पैकेज का लक्ष्य जन्म में अन्तराल रखने तथा गर्भनिरोधन के महत्व, प्रजनन संबंधी जागरूकता, प्रजनन मार्गीय संक्रमण/यौन संचालित संक्रमण तथा अनचाहे गर्भ की रोकथाम एवं प्रबंधन के संबंध में जानकारी देना है।

[अनुवाद]

ऊर्जा नीति

2772. प्रो. महादेवराव शिवणकर:
प्रो. एम. रामदास:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ऊर्जा के पर्यावरणानुकूल स्रोतों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक दीर्घकालीन ऊर्जा नीति की घोषणा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग ने एकीकृत ऊर्जा नीति (आईईपी) संबंधी विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट अगस्त 2006 में जारी की थी। आईईपी में ऊर्जा के पर्यावरण अनुकूल स्रोतों को बढ़ावा देने पर विशेष बल दिया गया है।

(ख) आईईपी रिपोर्ट संबंधी ब्यौरे योजना आयोग की वेबसाइट www.planningcommission.nic.in पर उपलब्ध है।

(ग) आईईपी रिपोर्ट की कई सिफारिशें पहले ही कार्यान्वयनाधीन हैं जबकि अन्य सिफारिशों पर संबंधित विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा विचार किया जा रहा है।

ई-चौपाल

2773. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायत स्तर पर सूचना प्रौद्योगिकी आधारित ज्ञान प्रणाली को शुरू करने से ई-चौपाल की अवधारणा में सहायता मिलने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न भागों में विशेषकर आंध्र प्रदेश में ई-चौपाल द्वारा किस हद तक सफलता प्राप्त की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। देश भर में पंचायतों के कम्प्यूटरीकरण का उद्देश्य सामान्य सेवा वितरण केंद्रों के जरिए आम आदमी को अपने इलाके में सरकारी सेवाओं को सुलभ बनाना एवं आम आदमी की मूलभूत जरूरतों को वहन योग्य खर्चों पर पूरा करने के लिए ऐसी सेवाओं की दक्षता, पारदर्शिता एवं विश्वसनीयता को सुनिश्चित करना है। इस विजन को पूरा करने के लिए सरकार का एक लक्ष्य केंद्र, राज्यों तथा स्थानीय शासन के विभिन्न विभागों की सूचनाओं को समाकलित करना है। राष्ट्रीय किसान नीति (पैरा 5.8.2) ने भी सूचना प्रौद्योगिकी की उन संभावनाओं को रेखांकित किया है जिसे गांवों में ज्ञान चौपालों की स्थापना द्वारा उपयोग में लाया जाएगा।

(ग) कुछ राज्यों ने पंचायती राज मंत्रालय की वित्तीय सहायता से अथवा उसके बिना ही ग्राम पंचायत स्तर पर ई-शासन में अग्रता प्राप्त की है। ऐसे ग्राम पंचायतों की संख्या तकरीबन 35000 है जिसमें आंध्र प्रदेश की पंचायतें भी शामिल हैं। पंचायती राज मंत्रालय देश के विभिन्न हिस्सों के ई-चौपालों की सूचना नहीं रखता है।

[हिन्दी]

नदियों में प्रदूषण

2774. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री गिरिधारी यादव:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वांचल और बिहार में कई प्रमुख नदियों में प्रदूषण बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा इन नदियों में प्रदूषण को रोकने हेतु किए गए कार्यों और उन पर खर्च की गई राशि का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कार्यों के फलस्वरूप प्रदूषण को कम करने में कितनी प्रगति हुई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड प्रमुख नदियों नामशः उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में गंगा और गोमती और बिहार राज्य में 15 स्थानों पर गंगा की जलगुणवत्ता की मानीटरी करता है। इलाहाबाद, वाराणसी और गाजीपुर के अलावा अधिकांश स्थानों पर गंगा की जल गुणवत्ता निर्धारित मानदंड जलगुणवत्ता के प्रमुख संकेतक बायोकेमिकल आक्सीजन मांग (बीओडी) के अनुरूप है। जहां तक गोमती नदी संबंध है जौनपुर और वाराणसी में बीओडी निर्धारित मानदंड के अनुरूप नहीं है। तेजी से हो रहे शहरीकरण और सीवेज के अपर्याप्त संग्रहण और शोधन के परिणामस्वरूप अशोधित सीवेज के बड़े भाग को प्रवाहित किया जाना इन नदियों में प्रदूषण उत्पन्न करने के प्रमुख कारणों में से एक है।

(ग) और (घ) उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग में गंगा नदी के तटों पर स्थित शहरों नामतः इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर, मुगलसराय, गाजीपुर और चुनार तथा गोमती नदी के तट पर स्थित जौनपुर और सुल्तानपुर में प्रदूषण उपशमन कार्य शुरू किए गए हैं। बिहार में गंगा, नदी के तटों के किनारे स्थित शहरों नामशः आरा, बरहिया, भागलपुर, बक्सर, छपरा, फतवाह, मुंगेर, पटना, सुलतानगंज, हाजीपुर, काहेलगांव और मोकामा में प्रदूषण उपशमन कार्य शुरू किए गए हैं। इन कार्यों में सीवेज का अवरोधन और दिशा परिवर्तन, सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, अल्प लागत शौचालय, उन्नतकाष्ठ/विद्युत शवदाह गृह, नदी मुहना विकास आदि शामिल हैं। अब तक उत्तर प्रदेश के पूर्वी भाग और बिहार राज्य के इन शहरों में प्रतिदिन 297.8 मिलियन लीटर सीवेज शोधन क्षमता तैयार करने सहित 142 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और गत तीन वर्षों के दौरान कुल 22.10 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। देश में ख्याति प्राप्त संस्थानों द्वारा कराई गई जल गुणवत्ता मानीटरिंग के अनुसार शहरी केन्द्रों में नदी के तटों के किनारे असाधारण वृद्धि के बावजूद गंगा कार्य योजना के कार्यान्वयन के पूर्व की जल गुणवत्ता में सुधार में अधिकांश स्थानों पर गंगा नदी की जलगुणवत्ता में सुधार दिखाई दिया है।

[अनुवाद]

उपग्रह के माध्यम से स्वास्थ्य परिचर्या सुविधा

2775. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उपग्रह संपर्क के माध्यम से देश के सुदूर क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में ग्रामीण टेलीमेडिसिन नेटवर्क की स्थापना करने के लिए दिशा-निर्देशों को अंतिम रूप दिया है। दिशा-निर्देशों में प्रस्तावित रूपरेखा, संभावित विषयक क्षेत्र तथा मुख्य अवयवों की जेनेरिक लागत निर्धारण शामिल है। शुरूआती कार्यकलापों के लिए पूर्वोत्तर राज्यों समेत 17 राज्यों को निधियां भी निर्मुक्त की गई हैं।

जनसंख्या स्थिरीकरण

2776. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जनसंख्या के स्थिरीकरण हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इन लक्ष्यों को अभी तक किए सीमा तक प्राप्त कर लिया गया है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(घ) जनसंख्या नियंत्रण को बढ़ावा देने के लिए 8वीं, 9वीं और 10वीं पंचवर्षीय योजनाओं में क्या मुख्य कदम उठाए गए और कार्यक्रम कार्यान्वित किए गए; और

(ङ) 8वीं, 9वीं और 10वीं योजनाओं के दौरान कितनी राशि आवंटित की गई और व्यय की गई तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत इसके लिए कितना बजटीय प्रावधान किया गया?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना में

नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और कुल प्रजनता दर के संबंध में समयबद्ध लक्ष्य दिए गए हैं जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति, 2000 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप हैं।

बेहतर निष्पादन वाले 15 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों जिनकी जनसंख्या 2001 में कुल जनसंख्या की लगभग 44% बैठती है, ने 2.1 की कुल प्रजननता दर (टीएफआर) का प्रतिस्थापन स्तर प्राप्त कर लिया है। 10 राज्य जिनकी जनसंख्या लगभग 14% बैठती है, को निकट भविष्य में 2010 तक प्रतिस्थापन प्राप्त करने की आशा है क्योंकि उन्होंने 2.4 और 2.9 के बीच टीएफआर प्राप्त कर ली है। शेष राज्य/संघ राज्य क्षेत्र नामतः बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा और दादरा व नगर हवेली जिनकी जनसंख्या कुल जनसंख्या की लगभग 42% बैठती है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने में ज्यादा समय ले सकते हैं।

भारत विश्व में 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू करने वाला पहला देश था जिसमें राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के अनुकूल स्तर पर जनसंख्या को स्थिर करने के लिए जन्म दर को कम करने के लिए प्रजननता विनियमन पर जोर दिया गया था। सत्तर के दशक के दौरान परिवार नियोजन कार्यक्रम को मुख्यतया टर्मिनल तरीकों पर केन्द्रित किया गया और लक्ष्य आधारित नीति के सख्त कार्यान्वयन की वजह से कार्यक्रम को झटका लगा। 2 अप्रैल, 1996 से पूरे देश में "लक्ष्य रहित नीति" अपनाई गई है जिसमें विकेन्द्रीकृत सहभागिता नियोजन पर ध्यान दिया गया है। इस नई नीति के अंतर्गत परिवार कल्याण सेवाओं को बढ़ाने और निचले स्तर पर समुदाय सहभागिता सुनिश्चित करने पर जोर दिया जा रहा है। परिवार कल्याण कार्यक्रम अब पूरी तरह से स्वैच्छिक है और सरकार का प्रमुख प्रयास प्रदान करने और नागरिकों का ऐसी सेवाओं का उपयोग करने के लिए सूचना, शिक्षा और संप्रेषण द्वारा बढ़ावा देने का रहा है। यह दम्पतियों को उनके लिए बेहतर तरीके से उपयुक्त परिवार कल्याण विधियों को अपना कर परिवार के आकार को अपनाने का विकल्प देती है।

सरकार देश में जनसंख्या स्थिरिकरण को प्राप्त करने के लिए विभिन्न परिवार कल्याण कार्यकलापों को कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन और प्रजनक एवं बाल स्वास्थ्य (आरसीएच) के द्वितीय चरण के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) के संवर्ग का सृजन करके, अस्पताल परिचर्या को बेहतर बनाकर, इन्टरा और सेक्टरल कन्वर्जेन्स को सुधारने के लिए जिला स्तर तक कार्यक्रम का विकेन्द्रीकरण करके और संसाधनों का प्रभावी उपयोग करके पहुंचनीय, वहनीय उत्तरदायी, प्रभावी, विश्वसनीय और गुणवत्तायुक्त प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान करने पर जोर दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के एक भाग के रूप में सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सभी उन्नयन किए गए प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों और उप-जिला अस्पतालों में परिवार नियोजन के टर्मिनल और जन्म में अन्तराल रखने के तरीकों दोनों के लिए निश्चित दिवस सेवाएं शुरू की गई हैं। ऐसे व्यक्तियों जो बंध्यीकरण करवाते हैं, के लिए मजदूरी की हानि के मुआवजे के बढ़े हुए पैकेज को सितम्बर, 2007 से शुरू किया गया है।

सरकार ने पात्र दंपत्तियों द्वारा बंध्यीकरण अपनाने और सेवा प्रदायकों को बचाव प्रदान करने को बढ़ावा देने के एक प्रयास के रूप में पूरे देश में बंध्यीकरण को अपनाने वालों को बीमा कवर प्रदान करने और निजी मान्यताप्राप्त सुविधाओं सहित डाक्टरों/स्वास्थ्य सुविधाओं को भी क्षतिपूर्ति बीमा कवर प्रदान करने के लिए नवम्बर, 2006 से परिवार नियोजन (क्षतिपूर्ति) बीमा स्कीम शुरू की है।

(ङ) योजना अवधि के दौरान परिवार कल्याण योजनाओं के लिए आबंटन और व्यय नीचे दिया गया है:-

(रुपए लाख में)

योजना अवधि	बजटीय प्रावधान	व्यय
VIII	681600.00	703070.83
IX	1496870.00	1396869.55
X	3024100.00	2537378.57*
XI	8141192.00	

*आंकड़े अनंतिम हैं।

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के मुद्दों को सुलझाने हेतु समिति का गठन

2777. **श्रीमती प्रिया दत्त:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मुंबई शहर के विकास की तुलना में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के विभिन्न मुद्दों को सुलझाने के लिए कोई स्थायी समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ङ) जी, हां। इस पूरे मामले की जांच-पड़ताल करने के लिए मुंबई पत्तन न्यास के अध्यक्ष और महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव के साथ उनके संबंधित अधिकारियों को शामिल करते हुए एक स्थायी समिति का गठन किया जा रहा है। इस मंत्रालय का इस समिति की विचारार्थ मदों को अंतिम रूप दिए जाने के बाद आवश्यक अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव है।

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत अधूरी पड़ी सड़कें

2778. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी:
श्री बाडिगा रामकृष्णा:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत 230 कि.मी. लंबी सड़क का केवल एक भाग अधूरा पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना के अंतर्गत अधूरी सड़कों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) परियोजना के अंतर्गत सड़कों के लिए अभी अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) केंद्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण के काम में तेजी लाने हेतु क्या ठोस कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) परियोजनाओं के अंतर्गत लंबित पड़े शेष कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना में सड़क की लगभग 195 किमी. लंबाई में कार्य पूरा किया जाना शेष है। स्वर्णिम चतुर्भुज के कार्य पूरा करने के लिए लंबित खंडों के राज्यवार ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। ये परियोजनाएं भूमि अधिग्रहण संबंधी समस्याओं, सुविधाओं के स्थानांतरण, पेड़ों की कटाई के लिए स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब और कुछ ठेकेदारों द्वारा खराब कार्य-निष्पादन के कारण अधूरी पड़ी हैं।

(ग) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं के अंतर्गत खंडों के लिए अभी अधिगृहीत की जाने वाली भूमि के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण कार्य को तीव्रता से करने के लिए किए गए उपाय विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजनाओं को दिसंबर, 2008 तक काफी हद तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है।

विवरण I

स्वर्णिम चतुर्भुज के लंबित खंडों के ब्यौरे

क्र.सं.	ठेका	रारा सं.	(लंबाई किमी.)		
			कुल लंबाई	4-लेन की लंबाई	4-लेन के लिए शेष लंबाई
1	2	3	4	5	6
कर्नाटक					
1.	हुबली-हावेरी	4	64.5	63.45	1.05
2.	हावेरी-हरिहर	4	56	46.85	9.15
3.	हरिहर-चित्रदुर्ग	4	77	62.92	14.08

1	2	3	4	5	6
4.	चित्रदुर्ग बाइपास	4	18	6.61	11.39
5.	चित्रदुर्ग सीरा	4	66.7	66.7	0
6.	तुमकुर बाइपास	4	13	9.7	3.3
पश्चिम बंगाल					
7.	पुल खंड (WB-III)	6	1.732	0.48	1.252
उड़ीसा					
8.	बालासोर-भद्रक (OR-III)	5	62.64	35.56	27.08
9.	पुल खंड (OR-V)	5	11.587	10.75	0.837
10.	भुवनेश्वर-खुर्दा (OR-I)	5	26.3	26.3	0
11.	सुनाखला-गंजम (OR-VII)	5	55.713	21.202	34.511
12.	गंजम-इच्छापुरम (OR-VIII) (शेष कार्य)	5	50.8	4.15	46.65
उत्तर प्रदेश					
13.	आगरा-शिकोहाबाद (GTRIP/I-A)	2	50.83	49.29	1.54
14.	शिकोहाबाद-इटावा (GTRIP/I-B)	2	59.02	56	3.02
15.	इटावा बाइपास (शेष कार्य)	2	13.6	13.6	0
16.	इटावा-राजपुर (GTRIP-I-C)	2	72.825	72.83	-0.005
17.	कानपुर-फतेहपुर (GTRIP/II-B)	2	51.5	51.2	0.3
18.	फतेहपुर-खागा (TNHP/II-C)	2	77	65.3	11.7
19.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-I (पुल)	2	1.02	0	1.02
20.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-II	2	38.987	34.7	4.287
21.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-III	2	44.708	32.96	11.748
22.	हंडिया-वाराणसी (TNHP/III-C)	2	72	72	0
उत्तर प्रदेश (55 किमी.)/बिहार (21 किमी.)					
23.	वाराणसी-मोहनिया (GTRIP/IV-A)	2	76	73.97	2.03
बिहार					
24.	सासाराम-डेहरी ओन सोन (GTRIP/IV-C)	2	30	27.06	2.94
झारखंड					
25.	गोरहर-बरवाअड्डा (TNHP/V-C)	2	78.75	71.69	7.06
	जोड़		1170.212	975.272	194.940

विवरण II

स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत खंडों के ब्यौरे जिनके लिए भूमि अधिगृहीत की जानी है

(29.02.2008 के अनुसार)

राज्य	अधिग्रहण के लिए शेष क्षेत्र (हेक्टेयर)
तमिलनाडु	82.00
गुजरात	2.32
महाराष्ट्र	3.01
पश्चिम बंगाल	27.00
कर्नाटक	7.71
झारखंड	1.00
आंध्र प्रदेश	14.10
उत्तर प्रदेश	1.00
जोड़	138.14

विवरण III

भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए किए गए उपाय

(1) *भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया को आसान बनाना:* राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण के लिए अधिसूचनाओं की पहले कानूनी दृष्टि से विधि मंत्रालय द्वारा जांच की जाती थी। इससे अधिसूचनाओं को जारी करने/प्रकाशन में विलंब होता था। ऐसे अधिसूचना जारी करने की प्रक्रिया आसान बना दी गई है और अब भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आंतरिक रूप से कानूनी जांच के पश्चात् वे जारी/प्रकाशित की जाती हैं।

(2) *परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों को सुविधाएं प्रदान किया जना:* भूमि अधिग्रहण से संबंधित कार्यों के निष्पादन में परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों की सहायता के लिए प्रत्येक परियोजना कार्यान्वयन इकाई को राज्य सरकार का एक सेवानिवृत्त राजस्व अधिकारी नियुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है और प्रत्येक जिले के लिए अनुबंध पर एक सर्वेक्षक/प्रशासक द्वारा उसकी सहायता की जाती है। अधिग्रहण के लिए भूमि के विशाल क्षेत्रफल के कारण अथवा भूमि का अधिग्रहण कम समय में किए जाने के कारण अपेक्षित अतिरिक्त स्टाफ की नियुक्ति के प्रस्ताव पर मामला-दर-मामला आधार पर विचार किया जाता है।

(3) *भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी को दी गई सुविधाएं:* भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारियों के लिए पर्याप्त स्टाफ और अवसंरचना की व्यवस्था करना संबंधित राज्य सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। तथापि, अत्यधिक कार्य अथवा समय अभाव के कारण सक्षम प्राधिकारी कभी-कभी भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण से अतिरिक्त सहायता के लिए अनुरोध करते हैं। विनिर्दिष्ट अवधि के लिए मामला-दर-मामला आधार पर सक्षम प्राधिकारियों को अतिरिक्त स्टाफ/अवसंरचना उपलब्ध कराई जाती है जिसके अंदर भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जाना अपेक्षित होता है।

(4) *भूमि अधिग्रहण/निर्माण पूर्व कार्यों के लिए राज्यस्तरीय कार्डिनेटर की नियुक्ति:* भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मुख्यालय ने भूमि अधिग्रहण/निर्माण पूर्व कार्यों के लिए राज्यस्तरीय कार्डिनेटर के रूप में कार्य करने के लिए राज्य में परियोजना निदेशक को नामित किया है जिसके कार्य इस प्रकार हैं:-

* राज्य में सभी परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों से, विभिन्न परियोजनाओं के लिए लंबित भूमि अधिग्रहण मामलों के बारे में सूचना एकत्र करना और उसे विनिर्दिष्ट प्रपत्रों के अनुसार मुख्यालय को भेजना।
* भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी मामलों के लिए राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ नियमित आधार पर समन्वय स्थापित करना।
* लंबित मुद्दों को हल करने के लिए राज्यीय स्तर पर समय पर समन्वय बैठकें सुनिश्चित करना।

(5) *राज्यों में एएचडीपी परियोजनाओं के प्रबंधन/कार्यान्वयन के लिए मुख्य महाप्रबंधकों की नियुक्ति:* भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राज्यों में एनएचडीपी परियोजना के प्रबंधन/कार्यान्वयन के लिए हाल ही में मुख्य महाप्रबंधकों की नियुक्ति की है। ये अधिकारी भूमि अधिग्रहण मुद्दों के संबंध में तकनीकी प्रभाग/भूमि अधिग्रहण प्रभाग/राज्यस्तरीय कार्डिनेटर/राज्य सरकार के

प्राधिकारियों के बीच (उन्हें सौंप गए राज्य के अंदर खंडों से संबंधित) समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेदार हैं।

(6) *जिला समन्वय समितियों का गठन: राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण का कार्य मुख्यत:* जिला स्तर पर किया जाता है। तदनुसार, भूमि अधिग्रहण/निर्माण पूर्व कार्यों के लिए जिला स्तरीय तंत्रों को सुदृढ़ बनाने के लिए एक उपाय के तौर पर अध्ययन ने राज्य सरकारों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है जिसमें भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दों को हल करने के लिए जिला समन्वय समितियों के गठन के लिए अनुरोध किया है जहां एनएचडीपी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। डीसीसी के अध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट होते हैं और इनमें एनएचएआई के परियोजना निदेशक, भूमि अधिग्रहण हेतु सक्षम प्राधिकारी, पीडब्ल्यूडी, टेलीफोन, बिजली, जल निगम तथा नगर निगम जैसे विभागों के जिला विभागीय अध्यक्ष और जिला वन अधिकारी शामिल हैं। भूमि अधिग्रहण कार्य (और बिजली के खंभों, टेलीफोन लाइनों, जल/सीवेज पाइपों को स्थानांतरित करने, वृक्षों की कटाई जैसे निर्माण पूर्व कार्यों को पूरा करने सहित) को समय पर पूरा करने में आने वाली बधाओं को दूर करने के लिए डीसीसी की बैठकें (मासिक आधार पर होने वाली बैठकें और जब कभी एनएचएआई के परियोजना निदेशक को आवश्यकता महसूस हो) की जाएंगी।

(7) परियोजनाओं को निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर निष्पादित करने के लिए एनएचएआई और ठेकेदार/रियायतग्राही के बीच किए गए आदर्श रियायत करार के अनुसार राजमार्गों के निर्माण के लिए आवश्यक 80% भूमि (केलेंडर वर्ष 2007 के लिए 50% तक छूट) एनएचएआई द्वारा ठेकेदार/रियायतग्राही को रियायत करार पर हस्ताक्षर करने के बाद 4 से 6 माह के बाद सौंपी जानी है।

ब्लड बैंक हेतु गुणवत्ता नियंत्रण और मानक

2779. **श्रीमती जयाप्रदा:**
श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के ब्लड बैंकों ने विनिर्दिष्ट गुणवत्ता मानकों और व्यवस्थित भंडारण प्रणाली को नहीं अपनाया है जिसके फलस्वरूप खून चढ़ाने के दौरान एचआईवी और 'हेपेटाइटिस बी' जैसे घातक विषाणुओं का प्रसार हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अस्पताल और स्वास्थ्य परिचर्या प्रदाताओं संबंधी राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएच) ने खून के लिए गुणवत्ता नियंत्रण मानक सुनिश्चित करने हेतु एक कार्यक्रम बनाया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, नहीं। राष्ट्रीय रक्ताधान परिषद ने देश में रक्त बैंकों द्वारा पालन किए जाने वाले मानक विहित किए हैं। औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के तहत सभी रक्त इकाइयों के पांच रक्ताधान संचारणीय संक्रमणों नामत: एचआईवी, यकृतशोथ बी और सी, सिफिलिस तथा मलेरिया के लिए अनिवार्य जांच करने के बाद भंडारण स्थितियों में रखना होता है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायक प्रत्यायन मंडल ने रक्त बैंक/रक्त केन्द्रों और आधान सेवाओं का प्रत्यायन कार्यक्रम 25 जनवरी, 2008 को प्रारंभ किया है। प्रत्यायन कार्यक्रम रक्त उत्पादों के एकत्रण, संसाधन, परीक्षण और आधान में गुणवत्ता और सुरक्षा सुनिश्चित करने का प्रयत्न करता है। रक्त बैंक के मूल्यांकन के आधार में प्रत्यायन मानकों और राष्ट्रीय आवश्यकताओं का अनुपालन करना शामिल होगा।

एक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन और उन्हें चौड़ा करना

2780. **श्री चंद्रकांत खैरे:**
श्री के.एस. राव:
श्री एन.एस.वी. चित्तन:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) एनएचडीपी के विभिन्न चरणों के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन और रख-रखाव संबंधी कार्यों की स्थिति क्या है;

(ख) आज की तारीख तक इस पर परियोजनावार कितनी राशि आबंटित और व्यय की गई;

(ग) ये परियोजनाएं किन-किन एजेंसियों द्वारा निष्पादित की जा रही हैं;

(घ) प्रत्येक राज्य में एक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई कितनी है;

(ङ) क्या सरकार का विचार सरकारी-निजी भागीदारी के माध्यम से एक लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन करने और उन्हें चौड़ा करने हेतु एक विशेष और पृथक उपक्रम बनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित पूरी हो चुकी परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-I में दिए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं के ब्यौरे विवरण-II में दिए गए हैं।

(घ) प्रत्येक राज्य में एकल लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे विवरण-III में दिए गए हैं।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण I

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत पूरी हो चुकी परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	खंड	रास सं.	कुल लंबाई (किमी.)	द्वारा कार्यान्वित	व्यय (करोड़ रु.)	ठेकेदार
1	2	3	4	5	6	7
एनएचडीपी चरण 1						
1.	सिकंदरा-भांटी (TNHP/II-A) किमी. 393-किमी. 470, एमडीआर रूट से 16 किमी. कम	2	62	एनएचएआई	311.09	आईट थाई एंड सोमदत्त बिल्डर्स इंडिया (सं.उ.)
2.	खागा-कोखरांज (TNHP/III-A) किमी. 115-किमी. 158	2	43	एनएचएआई	193.46	इरकान इंटरनेशनल लि.
3.	मोहनिया-सासाराम (TNHP/IV-B) किमी. 65-किमी. 110	2	45	एनएचएआई	256.01	एलजी इंजी. एंड कंस्ट्र. लि.
4.	डेहरी ओन सोन-औरंगाबाद (TNHP/IV-D) किमी. 140-किमी. 180	2	40	एनएचएआई	263.12	सांगयोंग कोरिया-ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजी. प्रा.लि.
5.	औरंगाबाद-बाराचट्टी (TNHP/V-A) किमी. 180-किमी. 240	2	60	एनएचएआई	316.33	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजी. प्रा.लि.-गेमन इंडिया लि.
6.	बाराचट्टी-गोरहर (GTRIP/V-B) किमी. 240-किमी. 320	2	80	एनएचएआई	504.38	लार्सन एंड टुब्रो लि.-हिंदुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि. (सं.उ.)
7.	बरवा अड्डा-बाराकर किमी. 398.75-किमी. 442	2	43	एनएचएआई	208.54	बीएससी-आरबीएम-पाती (सं.उ.)
8.	रानीगंज-पानागढ़ किमी. 475-किमी. 517	2	42	एनएचएआई	228.58	बीएससी-आरबीएम-पाती (सं.उ.)

1	2	3	4	5	6	7
9.	पानागढ़-पालसिल किमी. 517-किमी. 581	2	64.457	एनएचएआई	612.01	गुमडा मलेशिया-डब्ल्यूसीटी मलेशिया
10.	पालसित-दनकुनी किमी. 581-किमी. 646	2	65	एनएचएआई	442.1	गुमडा (मलेशिया) एवं डब्ल्यूसीटी इंजी. (मलेशिया का संघ)
11.	विवेकानंद पुल और पहुंच मार्ग	2	6	एनएचएआई	533.86	एसबीबीटीसी Alliance Inc-PBIDC-STRADEC Inc-CES एवं एल एंड टी
12.	गुड़गांव-कोटपूतली किमी. 36-किमी. 162	8	126	एनएचएआई	370.48	बीएससी-आरबीएम-पाली (सं.उ.)
13.	जयपुर बाइपास चरण-II रारा 8 के किमी. 221-रारा 11 का किमी. 246	8	34.7	एनएचएआई	199.58	पुंज लॉयड लि.,-प्रोग्रेसिव कंस्ट्र. लि. (सं.उ.)
14.	जयपुर बाइपास चरण-I किमी. 283-किमी. 297	8	14	एनएचएआई	102.58	इरकान इंटरनेशनल लि.
15.	महापुरा (जयपुर के समीप) किशनगढ़ (6 लेन) किमी. 273.5-किमी. 363.885	8	90.38	एनएचएआई	671.73	जीवीके इंटरनेशनल-बीएससीपीएल का संघ
16.	किशनगढ़ में आर ओ बी	8	1	एनएचएआई	18.86	एमएसके प्रोजेक्ट (आई) लि.
17.	किशनगढ़-नसीराबाद (KU-I) किमी. 363.9 (NH-8) किमी. 15 (NH-79)	79	36.23	एनएचएआई	134.4	सदभाव इंजी. लि.
18.	नसीराबाद-गुलाबपुरा (KU-II) किमी. 15-किमी. 70	79	55.87	एनएचएआई	165.68	पुंज लायड लि., प्रोग्रेसिव कंस्ट्र. लि. (सं.उ.)
19.	गुलाबपुरा-भीलवाड़ा बाइपास (KU-III) किमी. 70-किमी. 120	79	50	एनएचएआई	165.19	ईसीएसबी-जेएसआरसी (सं.उ.)
20.	भीलवाड़ा बाइपास-चित्तौड़गढ़ (KU-IV) किमी. 120-किमी. 183	79	66	एनएचएआई	195.5	बी. सिनैया एंड कंप. (प्रोजेक्ट) लि.
21.	चित्तौड़गढ़-मंगवाड़ (KU-V) किमी. 220-किमी. 172	76	48	एनएचएआई	139.05	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि.,-बीनापुरी (सं.उ.)
22.	मंगलवाड़-उदयपुर (KU-VI) किमी. 172-किमी. 113.825	76	58.175	एनएचएआई	211.1	सधभाव इंजी. लि.-प्रकाश (सं.उ.)
23.	उदयपुर-केसरियाजी (UG-I) किमी. 278-किमी. 340	8	62	एनएचएआई	262.73	केएमसी कंस्ट्र लि.

1	2	3	4	5	6	7
24.	केसरियाजी-रतनपुर (UG-II) किमी. 340-किमी. 388.4	8	48.4	एनएचएआई	147.04	गायत्री-रंजीत (सं.उ.)
25.	रतनपुर-हिम्मनगर (UG-III) किमी. 388-किमी. 443	8	54.6	एनएचएआई	175.4	मुदजया-आईआरबी
26.	हिम्मनगर-चिलोडा (अहमदाबाद) (UG-IV) किमी. 43.3-किमी. 495	8	52	एनएचएआई	146.03	बैकबोन-टरमेट-एनजी (सं.उ.)
27.	अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे चरण-I किमी. 0.0-किमी. 43.4	8	43.4	एनएचएआई	226.19	पीटी संबर मित्र जया
28.	अहमदाबाद-वड़ोदरा एक्सप्रेसवे चरण-III किमी. 43.3 (नादियाड-डकोर SH) किमी. 93.302	एनई-1	50	एनएचएआई	342.33	एलजी इंजी. एंड कंस्ट्र. लि. नागार्जुन कंस्ट्र. कंपनी लि.
29.	सूरत (चल्थन)-अतुल किमी. 263.4-किमी. 343	8	79.6	एनएचएआई	410.4	एसकेईसी-दोदसाल
30.	अतुल-कजली किमी. 343-किमी. 381.6	8	38.6	एनएचएआई	274.8	एलजी इंजी. एंड कंस्ट्र. लि.
31.	कजली-मनोर किमी. 381.6-किमी. 439	8	57.4	एनएचएआई	290.66	लार्सन एंड टुब्रो लि.
32.	धनकुनी-कोलाघाट (WB-I) किमी. 17.6-किमी. 72	6	54.4	एनएचएआई	530.17	आरबीएम-पाती (सं.उ.)
33.	कोलाघाट-खड़गपुर (WB-II) किमी. 72-किमी. 132.45	6	60.45	एनएचएआई	443.09	हिंदुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि.
34.	खड़गपुर-लक्ष्मणनाथ (WB-IV) किमी. 53.41-किमी. 119.275	60	65.86	एनएचएआई	419.98	बी सिनैया एंड कंप. (प्रोजेक्ट) लि.
35.	लक्ष्मणनाथ-बालेश्वर (OR-4) किमी. 0-किमी. 53.41	60	53.41	एनएचएआई	301.8	लार्सन एंड टुब्रो लि.
36.	पुल खंड (OR/WB-I) किमी. 0-किमी. 119.275	60	0	एनएचएआई	74.74	गेमन इंडिया लि.
37.	भद्रक-चंडीखोल (OR-II) किमी. 61-किमी. 136	5	75.5	एनएचएआई	325.91	लार्सन एंड टुब्रो लि.
38.	चंडीखोल-जगतपुर किमी. 28-किमी. 61	5	27.8	एनएचएआई	141.47	केएमसी कंस्ट्र. लि.
39.	खुर्दा-सुनखला (OR-VI) किमी. 388-किमी. 338	5	52.058	एनएचएआई	158.97	पी.टी. सुम्बर मित्र जय रोहित कुमार

1	2	3	4	5	6	7
40.	इच्छापुरम-कोरलम (AP-4B) किमी. 233-किमी. 200	5	33	एनएचएआई	95.53	स्कांस्का सीमेंटेशन इंडिया लि.
41.	कोरलम-पलासा (AP-4A) किमी. 200-किमी. 171	5	29	एनएचएआई	96.56	स्कांस्का सीमेंटेशन इंडिया लि.
42.	पलासा-श्रीकाकुलम (AP-2) किमी. 171-किमी. 97	5	74	एनएचएआई	266.75	एसपीसीएल-आईबीआरसीएल
43.	पुल खंड (AP-6) किमी. 233-किमी. 98	5	0	एनएचएआई	67.47	नवयुग इंजी. कं. लि.
44.	श्रीकाकुलम-चंपावती (AP-1) (शेष कार्य) किमी. 97-किमी. 49	5	48	एनएचएआई	154.54	एसईडब्ल्यू कंस्ट्रक्शन कं. लि.
45.	चंपावती-विशाखापट्टनम (AP-3) किमी. 49-किमी. 2.8	5	46.2	एनएचएआई	181.97	यूनिटेक-नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कं. लि. (सं.उ.)
46.	पुल खंड (AP-5) किमी. 49-किमी. 97	5	0	एनएचएआई	55.1	प्रसाद एवं एसईडब्ल्यू (सं.उ.)
47.	अनाकपल्ली-तुनी किमी. 359.2-किमी. 30	5	58.947	एनएचएआई	249.87	जीएमआर-तुनी-अनाकपल्ली एक्स प्रेस लि.
48.	तुनी-धरमावरम (AP-16) किमी. 300-किमी. 253	5	47	एनएचएआई	268.2	आंध्रा एक्सप्रेस लि.
49.	धरमावरम-राजमुंदरी (AP-15) किमी. 253-किमी. 200	5	53	एनएचएआई	300.33	राजमुंदरी एक्सप्रेस लि. गेमन (सं.उ.)
50.	दीवानचेरू (near राजमुंदरी)-गोथामी (AP-17) किमी. 200-किमी. 164.5	5	34.95	एनएचएआई	95.57	पुंज लायड लि.
51.	पुल खंड (AP-19) किमी. 162-किमी. 200	5	2.45	एनएचएआई	100.56	लार्सन एंड टुब्रो लि.
52.	गोथामी-गुडुगोलानू (AP-18) किमी. 165.4-किमी. 80	5	81.08	एनएचएआई	340.8	लिमक-सोमा (सं.उ.)
53.	पुल खंड (AP-20) किमी. 80-किमी. 162	5	0	एनएचएआई	96.28	लार्सन एंड टुब्रो लि.
54.	विजयवाड़ा-राजमंदरी खंड (near इलुरू) किमी. 75-किमी. 80	5	5	एनएचएआई	15.37	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि.

1	2	3	4	5	6	7
55.	इलुरू-विजयवाड़ा पैकेज V किमी. 75-किमी. 3.4	5	72	एनएचएआई	347.19	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि. बीनापुरी (सं.उ.)
56.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज I किमी. 355-किमी. 380	5	25	एनएचएआई	77.65	आईजेएम-गायत्री
57.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज II किमी. 380-किमी. 396.8	5	32	एनएचएआई	70.61	आईजेएम-गायत्री
58.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज III किमी. 408-किमी. 420.5	5	23.78	एनएचएआई	67.37	आईजेएम-गायत्री
59.	विजयवाड़ा-चिलकालूरीपेट पैकेज IV किमी. 10.8-किमी. 13.68	5	2.88	एनएचएआई	69.45	उ.प्र. राज्य सेतु निगम लि.
60.	चिलकालूरीपेट-अंगोल (AP-13) किमी. 357.9-किमी. 291	5	66	एनएचएआई	255.38	आईजेएम-गायत्री
61.	अंगोल-कवली (AP-12) किमी. 291-किमी. 222	5	72	एनएचएआई	304.9	एचओ-एचयूपी-सिं ग्लैक्स (सं.उ.)
62.	कवली-नेल्लोर (AP-11) किमी. 222-किमी. 178	5	43.8	एनएचएआई	186.74	पटेल-केएनआर (सं.उ.)
63.	नेल्लोर बाइपास किमी. 178.3-किमी. 161	5	17.166	एनएचएआई	147.6	सोमा इंटरप्राइज एवं नवयुग इंजी. कं.लि.
64.	नेल्लोर-टाडा (AP-7) किमी. 163.6-किमी. 52.8	5	110.517	एनएचएआई	628.83	सिडबी मलेशिया
65.	टाडा-चेन्नै (TN-1) किमी. 52.8-किमी. 11	5	41.8	एनएचएआई	280.55	लार्सन एंड टुब्रो लि.
66.	पश्चिमी डायवर्जन किमी. 0-किमी. 34.25	4	34.25	एनएचएआई	153.99	अशोक बिल्डकोन एवं बिरला जीटीएम
67.	कटराज-सरोल (PS-3) किमी. 825.5-किमी. 797	4	28.5	एनएचएआई	85.9	सतय कंस. प्रा.लि. और देना रहसाज
68.	कटराज पुनर्संरेखण (PS-4) किमी. 825-किमी. 30 बाइसपास	4	9	एनएचएआई	177.56	शक्ति कुमार एं. संचेली लि.
69.	सरोल-वाथर (PS-2) किमी. 797-किमी. 760 excluding किमी. 773-किमी. 781	4	29	एनएचएआई	91.18	बिरला जीटीएम इंटरप्रोज लि.- बी.जी. स्ट्राइक कंस टेक लि.
70.	वाथर-सतारा (PS-1) किमी. 760-किमी. 725	4	35	एनएचएआई	136.53	स्कांस्का सीमेंटेशन इंडिया लि.

1	2	3	4	5	6	7
71.	सतारा-कागल किमी. 725-किमी. 529.24	4	133	एनएचएआई	603.45	एमएसआरडीसी लि. मुंबई
72.	महाराष्ट्र सीमा-बेलगाम किमी. 725-किमी. 515	4	77	एनएचएआई	592.21	नार्थ कर्नाटक एक्सप्रेसवे प्रा.लि. (आईएल एवं एफएस-पुंजलायड-सीटीएलएल का संघ)
73.	बेलगाम बाइपास किमी. 515-किमी. 495	4	18	एनएचएआई	154.88	सनवे कंस्ट्र. लि.,-बरहद एवं आर.एन. शेट्टी एंड कं.
74.	बेलगाम-धारवाड़ किमी. 495-किमी. 433	4	62	एनएचएआई	322.03	सनवे कंस्ट्र. लि.,-बरहद एवं आर.एन. शेट्टी एंड कं.
75.	सीरा बाइपास किमी. 122-किमी. 116	4	5.8	एनएचएआई	21.08	मैतस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
76.	सीरा-तुमकुर किमी. 116.4-किमी. 75	4	41.4	एनएचएआई	225.3	लार्सन एंड टुब्रो लि.
77.	तुमकुर-नीलमंगला किमी. 62-किमी. 29.5	4	32.5	एनएचएआई	255.41	जास टाल रोड कं. लि. (जयसवाल-अशोक बिल्डकोन-एसईआरआई इंट का संघ.)
78.	हाथीपल्ली-होसूर किमी. 33-किमी. 48.6	7	16	एनएचएआई	39.13	पटेल इंजी.
79.	होसूर-कृष्णागिरि किमी. 48.6-किमी. 94.0	7	45.4	एनएचएआई	174.09	शक्ति कुमार एम. संचेति लि. एवं भोला सिंह जय प्रकाश (सं.उ.)
80.	कृष्णागिरि-बनियामबाडी (KR-1) किमी. 0.0-किमी. 49.0	46	49	एनएचएआई	233.01	पटेल-केएनआर ( )
81.	बनियामबाड़ी-पल्लीकोंडा (KR-2) किमी. 49.0-किमी. 100.00	46	51	एनएचएआई	247.59	स्कांस्का सीमेंटेशन इंडिया लि.
82.	पल्लीकोंडा-रानीपेट और वालेजापेट बाइपास (KR-3) किमी. 100.0-किमी. 145.0	46	45	एनएचएआई	233.93	स्कांस्का सीमेंटेशन इंडिया लि.
83.	वालेजापेट-कांचीपुरम किमी. 106.4-किमी. 70.2	4	36.2	एनएचएआई	135.03	लार्सन एंड टुब्रो लि.
84.	कांचीपुरम-पूनामाली किमी. 70.2-किमी. 13.8	4	56.4	एनएचएआई	244.1	एफकान इंफ्रास्ट्र. लि.
85.	भोगपुर से जालंधर (NS-16/PB) किमी. 26-किमी. 4.23	1A	21.77	एनएचएआई	56.5	भूमि हाइवे

1	2	3	4	5	6	7
86.	जालंधर बाइपास NS/1 किमी. 387.1 of NH-1-किमी. 4.23 of NH-1A-किमी. 372.7 of NH 1)	1	14.4	एनएचएआई	90.02	बिरला जीटीएम इंटरप्रोज लि.
87.	कमसपुर से हरियाणा/दिल्ली सीमा तक 6 लेन बनाना (NS/2) किमी. 44.3-किमी. 29.3	1	15	एनएचएआई	42.39	नागार्जुन कंस्ट्र. कंपनी लि.
88.	मुकरबा चौक से मालरोड (दिल्ली) तक 8 लेन बनाना (NS-3/DL) किमी. 16.2-किमी. 8.2	1	8.5	एनएचएआई	44.69	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि.
89.	आगरा-राज/उ.प्र. सीमा (NS-4) किमी. 8-किमी. 24	3	16	एनएचएआई	50.01	पीएनसी कंस्ट्र. कंपनी
90.	राज/उ.प्र. सीमा से मनिया (NS-19/UP/RJ) किमी. 24-किमी. 41	3	17	एनएचएआई	90.5	पीएनसी कंस्ट्र. कंपनी
91.	मनिया-धौलपुर (NS-5) किमी. 41-किमी. 51	3	10	एनएचएआई	23.8	माहेश्वरी ब्रदर्स लि.
92.	म.प्र./राज सीमा से सरायचौला (NS-6) किमी. 61-किमी. 70	3	9	एनएचएआई	28.75	दिनेश चन्द्र आर अग्रवाल
93.	सरायचौला से मुरैना (NS-20/MP) किमी. 70.00 से किमी. 85.00	3	15	एनएचएआई	50.7	प्रकाश महावीर (सं.उ.)
94.	मुरैना-रैरू (ग्वालियर बाइपास से शुरू) (NS-21/MP) किमी. 85.00 से किमी. 103.00	3	18	एनएचएआई	54.58	बैकबोन प्रोजेक्ट
95.	चिंचभुवन-बूटीबोरी-बोरखेडी (NS/7) किमी. 9.2-किमी. 22.85 एवं किमी. 24.65-किमी. 36.6	7	25.6	एनएचएआई	86.47	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजी. प्रा.लि.
96.	कलकल्लू गांव से गुंडला पोचमपल्ली (NS/8) किमी. 447-किमी. 464	7	17	एनएचएआई	38.53	एएल सुदर्शन एंड कं.
97.	टांडापल्ली से फारूखनगर (NS/9) किमी. 22.3-किमी. 34.8	7	12.5	एनएचएआई	25.49	महरिया रिसरफेसिंग
98.	अवथी गांव से नंदीहिल्क्रास एवं देवनहल्ली से मीनकुंटे तक 6 लेन बनाना (NS-किमी. 524-किमी. 527 एवं किमी. 535-किमी. 539)	7	7	एनएचएआई	35.2	भगीरथ इंजी. लि.

1	2	3	4	5	6	7
99.	थोरपुरघाट खंड (NS/14) किमी. 156-किमी. 163.4	7	7.4	एनएचएआई	23.08	पीटी संबर मित्र जया
100.	सेलम बाइपास (NS/12) किमी. 199.2-किमी. 207.6	7	8.4	एनएचएआई	30.15	श्रीरंगनाथन एंड कंपनी
101.	बंगलौर-सलेम-मदुरै (NS-27/TN) किमी. 248.0-किमी. 259.6	7	8.4	एनएचएआई	23.27	विजय इंजी. इंटप्राइज
102.	अमरावती पर अतिरिक्त पुल व करूर बाइपास को 4 लेन बनाना	7	9.36	एनएचएआई	41.82	भगरीथ इंजी. लि.-टेकनी भारती (सं.उ.)
103.	करूर आरओबी का निर्माण	7	0.84	एनएचएआई	12.56	पीटी संबर मित्र एंड जया और पूंज लायड
104.	अंगमाली से अलूवा (NS-28/KL) किमी. 332.6 से किमी. 316.70	47	16.6	एनएचएआई	75.13	तंतिया-टेकनी भारती (सं.उ.)
105.	गुवाहाटी बाइपास (EW/7) किमी. 163.895-किमी. 156	37	8	एनएचएआई	65.34	वलेचा इंजी. लि.
106.	गुवाहाटी बाइपास (EW-14/AS) किमी. 156.00 से किमी. 146.00	37	10.5	एनएचएआई	71.07	बनवारी लाल अग्रवाल-सीआईएससी-सी एंड सी कंस्ट्र. (सं.उ.)
107.	डलखोला इस्लामपुर उप खंड 2 (EW/6) किमी. 500 से किमी. 476.15	31	23.85	एनएचएआई	80.81	लैको कंस्ट्र. लि.
108.	डलखोला-इस्लामपुर (EW/5) किमी. 470-किमी. 447	31	23	एनएचएआई	68.87	प्रोग्रेसिव कंस्ट्र. लि.
109.	लखनऊ कानपुर खंड (EW/2) किमी. 11.38-किमी. 21.8	25	10.42	एनएचएआई	36.8	विलायती राम मित्तल
110.	लखनऊ-कानपुर खंड (EW-8/UP) किमी. 21.80 से किमी. 44.00	25	22.2	एनएचएआई	86.29	विलायती राम मित्तल
111.	लखनऊ-कानपुर खंड (EW-9/UP) किमी. 44-किमी. 59.5	25	15.5	एनएचएआई	45.47	बीआर अरोडा एंड एसोसिएट-टीआर गुप्ता-भारत (सं.उ.)
112.	पालनपुर के समीप आबू रोड (EW/1) डीसा खंड किमी. 340-किमी. 350	14	10	एनएचएआई	22.93	निदेश चंद्र आर अग्रवाल
113.	पालनपुर-डीसा (EW-11/GJ) किमी. 350.00 से किमी. 372.70	14	22.7	एनएचएआई	57.79	दिनेश चंद्र आर अग्रवाल

1	2	3	4	5	6	7
114.	रिवड़ा से गोंडला खंड (EW-10/GJ) किमी. 160-किमी. 143	8	17	एनएचएआई	42.43	टरमेट-बैकबोन प्रोजेक्ट (सं.उ.)
115.	गोरखपुर में राप्ती नदी पर अतिरिक्त दो लेन का पुल	28	0.4	एनएचएआई	16.62	उ.प्र. राज्य सेतु निगम लि.
116.	नैनी के समीप यमुना पर केबल आधारित पुल	27	6	एनएचएआई	299.04	हुंडई-हिन्दुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि.
117.	गाजियाबाद-हापुड़ एवं हापुड़ बाइपास	24	33	एनएचएआई	134.38	नागार्जुन कंस्ट्र. कंपनी लि. केएनआर (सं.उ.)
118.	नंदीग्राम-विजयवाड़ा	9	35	एनएचएआई	80.87	सिडबी मलेशिया 119
119.	नंदीग्राम-विजयवाड़ा 13 किमी. 4 लेन और 35 किमी. 2 लेन	9	48	एनएचएआई	80.87	बीएससी-आरबीएम-पाती (सं.उ.)
120.	दिल्ली-गुड़गांव खंड (पहुंच नियंत्रित 8/6 लेन) किमी. 14.3-किमी. 42	8	27.7	एनएचएआई	658.43	जयप्रकाश इंडस्ट्री लि.-डीएस कंस्ट्र. लि.
121.	ताम्बरम-टिंडीवनम किमी. 28-किमी. 121	45	93	एनएचएआई	385.38	ताम्बरम-टिंडीवनम एक्सप्रेसवे प्रा.लि. (जीएमआर कंसोर्टियम और यूई का संघ)
122.	अमरावती बाइपास (2 लेन की नई सुविधा)	6	17.4	एनएचएआई	46.68	नगार्जुन कंस्ट्र. कंपनी लि.
123.	चेन्नै बाइपास चरण I (2 लेन की नई सुविधा)	4.45	19	एनएचएआई	77.38	आईजेएम-सत्यम कंस्ट्र.लि.
124.	दुर्ग बाइपास (2 लेन की नई सुविधा)	6	18	एनएचएआई	70	शक्ति कुमार एम. संचेती लि.
125.	मुरादाबाद बाइपास (2 लेन की नई सुविधा)	24	18	एनएचएआई	92.26	उ.प्र. राज्य सेतु निगम लि.
126.	पत्तन संपर्क से मुरगांव रारा-17बी (पत्तन से रारा-17 पर वरणा जंक्शन)	17बी	13	एनएचएआई	25.54	बीआरओ (बीआरओ और मुरगांव पत्तन रोड कंपनी लि. के बीच समझौता ज्ञापन के माध्यम से)
127.	जवाहरलाल नेहरू पत्तन चरण-1	4बी, 4	30	एनएचएआई	168.13	ठाकुर म्हात्रे-यूनिटी (सं.उ.)
128.	विशाखापट्टनम पत्तन 3.6 किमी. 4 लेन, 8.57 किमी. 2 लेन	एसआर	12	एनएचएआई	100.76	एम वेंकट राव इंजीनि.

1	2	3	4	5	6	7
129.	गांधीधाम-समखयाली पैकेज 1 किमी. 306-किमी. 346	8ए	18	एनएचएआई	42.39	सद्भाव इंजी. लि.
130.	गांधीधाम-समखयाली पैकेज 2 किमी. 324-किमी. 346	8ए	22	एनएचएआई	97.16	पीबीए-पीसी-ईसी (सं.उ.)
131.	गांधीधाम-समखयाली पैकेज 3 किमी. 346-किमी. 362.16	8ए	16.16	एनएचएआई	61.58	अग्रवाल-सद्भाव-बैकबोन (सं.उ.)
एनएचडीपी चरण-2						
132.	रारा 1 पर फगवाड़ा जंक्शन (4-लेन की विद्यमान सड़क पर फ्लाईओवर)	1	1	एनएचएआई	16.58	वलेचा इंजी. लि.
133.	भिलाड़ी से पोरबंदर (पैकेज-1) किमी. 52.50 से किमी. 2.00	8बी	50.5	एनएचएआई	206.08	लिमक-सोमा (सं.उ.)
एनएचडीपी चरण 3						
134.	गुना बाइपास किमी. 319/700 से किमी. 332/100	3	14	एनएचएआई	67	गुना इन्फ्रा. लि.

विवरण II

राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही परियोजनाओं के ब्यौरे

क्र.सं.	खंड	रारा सं.	कुल लंबाई (किमी.)	द्वारा कार्यान्वित	व्यय (करोड़ रु.)	ठेकेदार
1	2	3	4	5	6	7
विविध परियोजनाएं						
1.	चित्तौड़गढ़ बाइपास किमी. 159 से किमी. 213	79, 76	30	एनएचएआई	161.9	अशोका वालेचा (सं.उ.)
2.	आईसीसीटी वल्लापरदम से रारा संपर्क	47सी	17.2	एनएचएआई	16.47	सनकोन-सोमा (सं.उ.)
3.	चेन्नै-इन्नौर एक्सप्रेसवे इनर रिंग रोड एवं मनाली तेल रिफाइनरी	एसआर	15	एनएचएआई	हाल में प्रारंभ	इंजी. प्रोजेक्ट्स लि.
रारा-34						
4.	डलखोला बाइपास	34	5.5	एनएचएआई	10.02	मै. एसपीएमएल-सीआईएससी

1	2	3	4	5	6	7
एनएचडीपी चरण 1						
5.	आगरा-शिकोहाबाद (GTRIP/I-A) किमी. 199.66-किमी. 250.50	2	50.83	एनएचएआई	399.05	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजी. प्रा.लि. गेमन इंडिया लि.
6.	शिकोहाबाद-इटावा (GTRIP/I-B) किमी. 250.5-किमी. 307.5	2	59.02	एनएचएआई	293.98	प्रोग्रेसिव कंस्ट्र. लि.
7.	इटावा बाइपास (शेषकार्य) किमी. 307.5-किमी. 321.1	2	13.6	एनएचएआई	160.97	पीएनसी कंस्ट्र. लि.
8.	इटावा-राजपुर (GTRIP/I-C) किमी. 321.1-किमी. 393	2	72.825	एनएचएआई	395.65	पाती-बीईएल (सं.उ.)
9.	कानपुर-फतेहपुर (GTRIP/II-B) किमी. 470-483 (0) किमी. 0-किमी. 38	2	51.5	एनएचएआई	618.07	सोमदत्त बिल्डर्स-नागार्जुन कंस्ट्र.कं. लि.-एनईसी (सं.उ.)
10.	फतेहपुरा-खागा (TNHP/II-C) किमी. 38-किमी. 115	2	77	एनएचएआई	324.43	सेंट्रोडोरस्टोरी रूस
11.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-1 (पुल) किमी. 158 किमी.-किमी. 159.02	2	1.02	एनएचएआई	127.23	लार्सन एंड टुब्रो लि.
12.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-2 किमी. 158 किमी.-किमी. 198	2	38.987	एनएचएआई	440.18	हिंदुस्तान कंस्ट्र कंपनी लि.
13.	इलाहाबाद बाइपास ठेका-3 किमी. 198 किमी.-किमी. 242.708	2	44.708	एनएचएआई	441.91	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजी. प्रा.लि.-केएमसी कंस्ट्र. लि.
14.	हंडिया-वाराणसी (TNHP/III-C) किमी. 245-किमी. 317	2	72	एनएचएआई	310.96	सेंट्रोडोरस्टोरी रूस
15.	वाराणसी-मोहनिया (GTRIP/IV-A) किमी. 317-329 (0) किमी. 0-किमी. 65	2	76	एनएचएआई	424.82	प्रोग्रेसिव कंस्ट्र.लि.- सनवे बरहद (सं.उ.)
16.	सासाराम-डेहरी ओन सोन (GTRIP/IV-C) किमी. 110-किमी. 140	2	30	एनएचएआई	226.68	सोमदत्त बिल्डर्स-नागार्जुन कंस्ट्र. कं.लि. (सं.उ.)
17.	गोरहर-बरवा अड्डा (TNHP/V-C) किमी. 320-किमी. 396.75	2	78.75	एनएचएआई	326.16	प्रोग्रेसिव कंस्ट्र.लि.- सनवे बरहद (सं.उ.)
18.	पुल खंड WB-3 किमी. 17.6-किमी. 136	6	1.732	एनएचएआई	80.2	भागीरथ इंजी. लि.
19.	बालासोर-भद्रक OR-3 किमी. 136.5-किमी. 199.141	5	62.64	एनएचएआई	192.38	एलसामैक्स-टीडब्ल्यूएस-शंकर नारायण शेट्टी (सं.उ.)
20.	पुल खंड OR-5 किमी. 199.141-किमी. 61	5	11.587	एनएचएआई	143.93	गेमन इंडिया लि.

1	2	3	4	5	6	7
21.	गुवनेश्वर-खुर्दा (OR-I) किमी. 387.7-किमी. 418	5	26.3	एनएचएआई	139.43	गेमन इंडिया लि.-अटलांटा
22.	सुनखला-गंजम (OR-III) किमी. 338-किमी. 284	5	55.713	एनएचएआई	145.45	प्रोग्रेसिव कंस्ट्र.लि.- सिटको प्रा.लि.
23.	गंजम-इच्छापुरम (OR-VIII) (शेष कार्य) किमी. 284-किमी. 233	5	50.8	एनएचएआई	136.06	केएमसी-आरके-एसडी (सं.उ.)
24.	हुबली-हावेरी किमी. 404-किमी. 340	4	64.5	एनएचएआई	283.64	एफकोन इन्फ्रास्ट्र. लि.,-एपिल (सं.उ.)
25.	हावेरी-हरिहर किमी. 340-किमी. 284	4	56	एनएचएआई	202.31	यूईएम-एस्सार (सं.उ.)
26.	हरिहर-चित्रदुर्ग किमी. 284-किमी. 207	4	77	एनएचएआई	265.7	यूईएम-एस्सार (सं.उ.)
27.	चित्रदुर्ग बाइपास किमी. 207-किमी. 189	4	18	एनएचएआई	86.33	सुप्रीम-एमबीएल (सं.उ.)
28.	चित्रदुर्ग-सीरा किमी. 189-किमी. 122.3	4	66.7	एनएचएआई	371.4	यूईएम-एस्सार (सं.उ.)
29.	तुमकुर बाइपास किमी. 75-किमी. 62	4	13	एनएचएआई	83.16	एएल सुदर्शन एंड कं.
30.	कुजवानी से विजयपुर (एनएस-15/जे एंड के) किमी. 97-किमी. 80	1ए	17.2	एनएचएआई	110.55	सीमा सड़क संगठन
31.	पंछी गुजरान से कमसपुर (सोनीपत) 6 लेन बनाना (एनएस-17/एचआर) किमी. 66.00 से किमी. 44.30	1	21.7	एनएचएआई	68.86	वलेचा इंजी. लि.
32.	हरियाणा/दिल्ली सीमा से मुकरबा चौक तक 8 लेन बनाना (एनएस-18/डीएल) किमी. 29.3 से किमी. 16.5	1	12.9	एनएचएआई	73.81	बीजेसीएल ब्राइट (सं.उ.)
33.	गुडला पोचमपल्ली से बोवनपल्ली शिवरामपल्ली से टांडपल्ली (एनएस-23/एपी)-शेषकार्य किमी. 464.00-किमी. 474.00 एवं किमी. 9.40 किमी. 22.30	7	23.1	एनएचएआई	88.97	एमबी पाटील कंस्ट्र. लि.
34.	नंदी हिल क्रास से देवनहल्ली और मीनुकुंटे से हब्बल तक 6 लेन बनाना (एनएस-24/केएन) किमी. 539-556 एवं किमी. 527-किमी. 535	7	25	एनएचएआई	188.36	एफकान इन्फ्रास्ट्र.लि.
35.	थुम्पीपाड़ी से सलेम (एनएस-26/टीएन) किमी. 180.00 से किमी. 199.20	7	19.2	एनएचएआई	94.33	भगीरथ इंजी. लि.

1	2	3	4	5	6	7
36.	पूर्णिया से गयाकोटा (ईडब्ल्यू/4) किमी. 476.15-किमी. 470 एवं 419-किमी. 410	31	15.15	एनएचएआई	80.54	प्रोग्रेसिव कंस्ट्र.लि.
37.	पूर्णिया से गयाकोटा (ईडब्ल्यू-12/बीआर) किमी. 447-किमी. 419	31	28	एनएचएआई	170.86	लैको कंस्ट्र. लि.-रानी (सं.उ.)
38.	लखनऊ-कानपुर (ईडब्ल्यू-15/यूपी) वाया रारा 56 रारा 25 और रारा 28 को जोड़ना	56ए एवं बी	22.85	एनएचएआई	253.21	प्रकाश-अटलांटा (सं.उ.)
39.	लखनऊ-कानपुर (ईडब्ल्यू/3ए) किमी. 59.5-किमी. 75.5	25	16	एनएचएआई	37.17	विलायती राम मित्तल
40.	हल्दिया पत्तन रारा-41 (रारा 6 पर कोलाघाट से हल्दिया)	41	53	एनएचआई	139.73	सीडब्ल्यूएचईसी-एचसीआईएल (सं.उ.)
41.	जवाहर लाल नेहरू पत्तन चरण-2 एसएच-54+आमरा मार्ग+पनवेल क्रीक	एसएच 54	14.35	एनएचएआई	120.27	जोग-सिरके (सं.उ.)
42.	नव मंगलूर पत्तन रारा-17 (सूरतकल-ननतूर खंड), एनएच-48 (पाडिल बंतवाल खंड)	13, 17 एवं 48	37	एनएचएआई	40.08	इरकान इंटरनेशनल लि.
43.	तूतीकोरिन पत्तन रारा-7ए (तूतीकोरिन-तिरूनेलवेली खंड)	7ए	47.2	एनएचएआई	71.02	मेकान-जीईए एनर्जी सिस्टम लि. (सं.उ.)
44.	पारादीप पत्तन रारा-5ए (से किमी. 0 से किमी. 77)	5ए	77	एनएचएआई	355.71	हिंदुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि.
45.	चेन्नै-इन्नौर एक्सप्रेस वे टीपीपी रोड	एसआर	9	एनएचएआई	53.66	इस्ट कोस्ट कंस्ट्र. एवं इंडस्ट्री लि.
46.	कोचीन पत्तन किमी. 348/382-किमी. 358, 750 5 बड़े पुल सहित	47	10	एनएचएआई	43.8	मेकान-जीई एनर्जी सिस्टम लि. (सं.उ.)
	एनएचडीपी चरण 2					
47.	श्रीनगर बाइपास (सड़क खंड) (एनएस-30) किमी. 286 से किमी. 303.8	1ए	17.8	एनएचएआई	133.4	प्रकाश बिल्डर्स एसोसिएट्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.
48.	श्रीनगर बाइपास (पुल खंड) (एनएस-30ए) किमी. 286 से किमी. 303.8	1ए	1.23	एनएचएआई	व्यय क्रं. 47 में शामिल	वलेचा इंजी. लि.

1	2	3	4	5	6	7
49.	जम्मू से कुंजवानी (जम्मू बाइपास) एनएस-33/जे एंड के किमी. 0.00 से किमी. 15	1ए	15	एनएचएआई	40.11	एम वेंकट राव इंजी.
50.	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-34/जे एंड के) किमी. 16.35 से किमी. 50.00	1ए	33.65	एनएचएआई	68.14	आईटीडी सीमेंटेशन लि.
51.	विजयपुर से पठानकोट (एनएस-35/जे एंड के) किमी. 50 से किमी. 80	1ए	30	एनएचएआई	44.88	आईटीडी सीमेंटेशन लि.
52.	पठानकोट से जम्मू एवं कश्मीर सीमा (एनएस-36/जे एंड के) किमी. 110.45 से किमी. 117.6 एवं किमी. 4.0 से किमी. 16.5	1ए	19.65	एनएचएआई	57.95	एम वेंकट राव इंजी.
53.	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-37/पीवी) किमी. 26 से किमी 70	1ए	44	एनएचएआई	112.78	आईटीडी सीमेंटेशन लि.
54.	पठानकोट से भोगपुर (एनएस-38/पीबी) किमी. 70 से किमी. 110	1ए	40	एनएचएआई	58.49	पुल एवं छत
55.	पानीपत उत्थापित राजमार्ग किमी. 96.00 से 86.00	1	10	एनएचएआई	295.3	लार्सन एंड टुब्रो लि.
56.	पानीपत से पंछी गुजरान (6 लेन कार्य) (एनएस-89/एचआर) किमी. 86.00 किमी. 66.00	1	20	एनएचएआई	28.19	इरकोन इंटरनेशनल लि.
57.	4 लेन का नया आगरा बाइपास (एनएस-1/यूपी-1) किमी. 176.8 आफ एनएच-2 से किमी. 13.03 आफ एनएच-3	2, 3	32.8	एनएचएआई	7.11	जेएमसी प्रोजेक्ट-सद्भाव (सं.उ.)
58.	धौलपुर-मुरैना खंड (चंबल पुल सहित) एनएस-1/आरजे/एमपी/1 किमी. 51 से किमी. 61	3	10	एनएचएआई	हाल में प्रारंभ	पीएनसी-टीआरजी (सं.उ.)
59.	ग्वालियर बाइपास (एनएस-1/बीओटी/एमपी-1) किमी. 0 से किमी. 42.033	75, 3	42	एनएचएआई	34.49	रैम्की-एरा-श्रीराम संघ

1	2	3	4	5	6	7
60.	ग्वालियर-झांसी किमी. 16 से किमी. 96.127	75	80	एनएचएआई	84.59	डीएससी-अपोलो संघ
61.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-2) किमी. 0 से किमी. 49.79	25, 26	49.7	एनएचएआई	100.26	गायत्री-आईडीएफसी संघ
62.	झांसी से ललितपुर (एनएस-1/बीओटी/यूपी-3) किमी. 49.7 से किमी. 99	26	49.3	एनएचएआई	83.56	गायत्री-आईडीएफसी संघ
63.	ललितपुर सागर (एडीबी/-2/सी-3) किमी. 94 से किमी. 187	26	38	एनएचएआई	10.98	नागार्जुन कंस्ट्र. कंपनी लि.
64.	ललितपुर-सागर (एडीबी-2/सी-4) किमी. 132 से किमी. 187	26	55	एनएचएआई	50.21	आईजीएम कारपो.
65.	सागर बाइपास (एडीबी-2/सी-5) किमी. 187 से किमी. 211	26	26	एनएचएआई	26.86	सांगयांग इंजी. कंस्ट्र.कं.
66.	सागर राजमार्ग चौराहा (एडीबी-2/सी-6) किमी. 211 से किमी. 255	26	44	एनएचएआई	29.7	सांगयांग इंजी. कंस्ट्र.कं.
67.	सागर राजमार्ग चौराहा (एडीबी-2/सी-7) किमी. 255 से किमी. 297	26	42	एनएचएआई	51.79	बी सिनैया एंड कं.प्रा.लि.
68.	राजमार्ग चौराहा से लखंडन (एडीबी-2/सी-8) किमी. 297 से किमी. 351 (रारा 7 के किमी. 544 पर जंक्शन)	26	54	एनएचएआई	21.15	सांगयांग इंजी. कंस्ट्र.कं.
69.	राजमार्ग चौराहा से लखंडन (एडीबी-2/सी-9) किमी. 351 से किमी. 405.7	26	54.7	एनएचएआई	10.21	सांगयांग इंजी. कंस्ट्र.कं.
70.	लखंडन से एमपी/महा. सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-2) किमी. 575.4 से किमी. 596.75	7	49.35	एनएचएआई	83.32	नवभारत-फेरो एलाय लि. (महालक्ष्मी हाइवे प्रा.लि.)
71.	लखंडन से एमपी/महा. सीमा (एनएस-1/बीओटी/एमपी-3) किमी. 596.75 से किमी. 653.225	7	56.475	एनएचएआई	33.2	सद्भाव-सेरी (सं.उ.)

1	2	3	4	5	6	7
72.	बुटीबोरी आरओबी (एनएस-29/एमएच) किमी. 22.850 से किमी. 24.650	7	1.8	एनएचएआई	15.87	जेएसआर कंस्ट्र. प्रा.लि.
73.	बारखेडी-जाम (एनएस-22/एमएच) किमी. 36.6-किमी. 64.0	7	27.4	एनएचएआई	48.11	जेएसआर कंस्ट्र. प्रा.लि. केतन कंस्ट्र. लि.
74.	जाम-वाडनेर (एनएस-59/एमएच) किमी. 64-किमी. 94	7	30	एनएचएआई	35.74	आयडियल रोड बिल्डर्स प्रा.लि.
75.	वाडनेर-देवधारी (एनएस-60/एमएच) किमी. 94-किमी. 123	7	29	एनएचएआई	20.31	एचसीएल-एसआईपीएल (सं.उ.)
76.	देवधारी-केलापुर (एनएस-61/एमएच) किमी. 123-किमी. 153	7	30	एनएचएआई	42.56	आयडियल रोड बिल्डर्स प्रा.लि.
77.	केलापुर-पिंपलखाटी (एनएस-62) किमी. 153 से किमी. 175	7	22	एनएचएआई	16.74	देवी इंटप्राइज लि.
78.	इस्लाम नगर से कदताल (एनएस-2/बीओटी/एपी-7) किमी. 230 से किमी. 278	7	48	एनएचएआई	10.33	पटेल-केएमआर (सं.उ.)
79.	महा/आं.प्र. सीमा से इस्ला मनगर (एनएस-2/बीओटी/एपी-6) किमी. 175 से किमी. 230	7	55	एनएचएआई	33.86	सोमा-अविनाश संघ
80.	कडलूर येलारेड्डी से गुंडला पोचमपल्ली (एनएस-2/बीओटी/एपी-2) किमी. 367 से किमी. 447	7	85.74	एनएचएआई	382.97	जीएमआर इन्फ्रा. लि.-जीएमआर एनर्जी लि. कंसोर्टियम
81.	कदल से अरमूर (एनएस-2/बीओटी/एपी-8) किमी. 278 से किमी. 308	7	31	एनएचएआई	63.1	एचसीसी लि.
82.	फारूखनगर से कोटाकाटा (एनएस-2/एपी-3) किमी. 34.140 से किमी. 80.050	7	46.162	एनएचएआई	222.94	जीएमआर एनर्जी लि. एवं जीएमआर इन्फ्रा. लि. कंसोर्टियम (जीएमआर जडचेरला एक्सप्रेस मार्ग) प्रा.लि.
83.	फारूखनगर से कोटाकाटा (एनएस-2/एपी-4) किमी. 80.050 से किमी. 135.469	7	55.74	एनएचएआई	199.19	लार्सन एंड टुब्रो लि. (एल. एवं टी वेस्टर्न आंध्र टोलवेज प्रा.लि.)

1	2	3	4	5	6	7
84.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एनएस-2/बीओटी/एपी-5) किमी. 135.469 से किमी. 211	7	74.65	एनएचएआई	395.24	आईएल एवं एफएस सीटीएनएल कंसोर्टियम (आंध्र प्रदेश एक्सप्रेस मार्ग लि.)
85.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-10) किमी. 211 से किमी. 251	7	40	एनएचएआई	38.87	सीजीजीसी-सोमा (सं.उ.)
86.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-11) किमी. 251 से किमी. 293.4	7	42.4	एनएचएआई	46.18	सीजीजीसी-सोमा (सं.उ.)
87.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-11) किमी. 293.4 से किमी. 336	7	42.6	एनएचएआई	19.17	कॉंटिनेंटल इंजी. कार्पो.
88.	आ.प्र./कर्नाटक सीमा-नंदी हिल क्रासिंग एवं देवनहल्ली से मीनूकंटे गांव किमी. 463.6 से किमी. 527 एवं किमी. 535-किमी. 539	7	61.38	एनएचएआई	108.5	पटेल-केएनआर इन्फ्रा. प्रा.लि. (सं.उ.)
89.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-13) किमी. 336 से किमी. 376	7	40	एनएचएआई	15.72	कॉंटिनेंटल इंजी. कार्पो.
90.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-14) किमी. 376 से किमी. 418	7	42	एनएचएआई	43.52	सीजीजीसी-सोमा (सं.उ.)
91.	हैदराबाद बंगलौर खंड (एडीबी-11/सी-15) किमी. 418 से किमी. 363.6	7	45.6	एनएचएआई	50.6	सीजीजीसी-सोमा (सं.उ.)
92.	कृष्णागिरि से थोपुरघाट (एनएस-2/टीएन-1) किमी. 94.000 से 156	7	4.56	एनएचएआई	284.49	लार्सन एंड टुब्रो लि. (मे. एल एंड टी कृष्णागिरि थोपुरघाट टोल रोड प्रा.लि.)
93.	थोपुरघाट से थुंपीपाड़ी (एनएस-25/टीएन) किमी. 163.40 से किमी. 180.00	7	16.6	एनएचएआई	24.66	जेएसआर कंस्ट्र. प्रा.लि.
94.	सलेम से करूर (एनएस-2/टीएन-2) किमी. 207.050 से किमी. 248.625	7	41.55	एनएचएआई	146.37	मै. एमवीआर-एमआरके-जेटीईसी (सं.उ.) [एमवीआर इन्फ्रा. एवं टोलवे प्रा.लि.]
95.	सलेम से करूर (एनएस-2/टीएन-3) किमी. 258.645 से किमी. 292.6	7	33.48	एनएचएआई	86.51	रिलायंस एनजी लि. [एनके से 2 रोड लि.)

1	2	3	4	5	6	7
96.	करूर से मदुरै (टीएन-4) किमी. 305.6 से किमी. 373.275	7	68.125	एनएचएआई	89.5	मधुकान प्रोजेक्ट्स लि.-एसआरईआई [टीएन (डीके) एक्सप्रेस मार्ग लि.]
97.	करूर से मदुरा (टीएन-5) किमी. 373.275 से किमी. 426.6	7	53.025	एनएचएआई	98.13	मै. रिलायंस एनर्जी लि. (डीएल टोल रोड लि.)
98.	सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन-6) किमी. 203.96 आन एनएच-7 से किमी. 53.00 आन एनएच-	47	53.525	एनएचएआई	81.23	आईवीआरसीएल इन्फ्रा. प्रोजेक्ट्स लि. (सलेम टोलवेज लि.)
99.	सलेम से केरल सीमा खंड (टीएन-7) किमी. 53.000 से किमी. 100	47	48.51	एनएचएआई	111.79	आईवीआरसीएल इन्फ्रा. प्रोजेक्ट्स (कुमार पल्लायम टोलवे लि.)
100.	मदुरै से किमी. 120 मदुरै-तिरूनेलवेली खंड एवं मदुरै किमी. 0.000 से किमी. 42.000	7	42	एनएचएआई	182.02	पटेल-केएनआर (सं.उ.)
101.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (एनएस- किमी. 42.000 से किमी. 80.000	7	38.86	एनएचएआई	125.54	आईवीआरसीएल इन्फ्रा. प्रोजेक्ट्स
102.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (एनएस-41/टीएन) किमी. 80.00 से किमी. 120.00	7	39.51	एनएचएआई	89.52	आईवीआरसीएल इन्फ्रा. प्रोजेक्ट्स
103.	मदुरै-कन्याकुमारी खंड (एनएस- किमी. 120 से किमी. 160	7	42.7	एनएचएआई	173	शक्ति कुमार एम. संचेती लि.
104.	किमी. 120 मदुरै-तिरूनेलवेली खंड से पानागुडी (किमी. 203) (एनएस-43) किमी. 160 से किमी. 203	7	43	एनएचएआई	107.39	पटेल-केएनआर (सं.उ.)
105.	कन्याकुमारी-पानागुडी (एनएस-32) किमी. 203 से किमी. 233.6	7	30.6	एनएचएआई	32.28	पटेल-केएनआर (सं.उ.)
106.	त्रिसूर में अंगमाली (केएल-1) किमी. 270.000 से किमी. 316.70	47	40	एनएचएआई	162.58	केएमसी-एसआरईआई (सं.उ.) [गुरुवायुर इन्फ्रा. प्रा.लि.]
107.	सिलचर-उदरबंद (एएस-1) किमी. 309 से किमी. 275.00	54	32	एनएचएआई	58.39	पुंज लायड लि.
108.	हरनगाजो से मैबंग (एएस-21) किमी. 165.4.00 से किमी. 190.587	54	26	एनएचएआई	22.88	कॉंटिनेंटल इंजी. कार्पो.
109.	हरनगाजो से मैबंग (एएस-22) किमी. 140.70 से किमी. 164.08	54	24	एनएचएआई	20.45	कॉंटिनेंटल इंजी. कार्पो.

1	2	3	4	5	6	7
110.	हरनगाजो से मैबंग (एएस-23) किमी. 126.450 से किमी. 140.700, किमी. 164.080 से किमी. 165.400	54	16	एनएचएआई	51.03	एचसीसी लि.
111.	मैबंग से लूमडिंग (एएस-27) किमी. 40.000 से किमी. 60.500	54	21	एनएचएआई	14.1	गायत्री-ईसीआई (सं.उ.)
112.	मैबंग से लूमडिंग (एएस-26) किमी. 60.500 से किमी. 83.400	54	23	एनएचएआई	13.13	गेमन इंडिया लि.
113.	मैबंग से लूमडिंग (एएस-25) किमी. 83.400 से किमी. 111.000	54	23	एनएचएआई	4.18	बलेचा - टीबीएल
114.	मैबंग से लूमडिंग (एएस-24) किमी. 111.000 से किमी. 126.450	54	15	एनएचएआई	12.76	गेमन इंडिया लि.
115.	लूमडिंग से दबोका (एएस-15) किमी. 40.00 से किमी. 22.00	54	18.5	एनएचएआई	3.88	पटेल-केएनआर (सं.उ.)
116.	लंका से दबोका (एएस-16) किमी. 22.00 से किमी. 2.4	54	24	एनएचएआई	20.4	पुंज लायड लि.
117.	दबोका से नागांव (एएस-17) किमी. 36 से किमी. 55.5	36	30.5	एनएचएआई	21.47	मैतस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
118.	नागांव बाइपास (एएस-18) किमी. 5.5 (एनएच-36) से किमी. 262.7 (एनएच-37) और किमी. 262.70 से किमी. 255	37	23	एनएचएआई	75.02	पटेल-केएनआर (सं.उ.)
119.	नागांव से धरमातूल (एएस-2) किमी. 255 से किमी. 230	37	25	एनएचएआई	9.83	मधुकान प्रोजेक्ट्स लि.
120.	धर्मातुल से सोनापुर (एएस-19) किमी. 230.5 से किमी. 205	37	25	एनएचएआई	31.88	मैतस इंफ्रास्ट्रक्चर लि.
121.	धर्मातुल से सोनापुर (एएस-20) किमी. 205.00 से किमी. 183	37	22	एनएचएआई	26.81	केएमसी कंस्ट्र.लि.
122.	सोनापुर से गुवाहाटी (एएस-3) किमी. 183 से किमी. 163.895	37	19	एनएचएआई	84.74	माहेश्वरी ब्रदर्स लि.- टेलीकम्यूनिकेशन कंसलटैंट इंडिया लि.
123.	ब्रह्मपुत्र पुल (एएस-28) किमी. 1126.00 से किमी. 1121.00	31	5	एनएचएआई	15.91	गेमन इंडिया लि.
124.	गुवाहाटी से नलबाड़ी (एएस-4) किमी. 1121.00 से किमी. 1093.00	31	28	एनएचएआई	26.57	पुंज लोयड लि.

1	2	3	4	5	6	7
125.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-5) किमी. 1093.00 से किमी. 1065.00	31	28	एनएचएआई	38.35	पुंज लायड लि.
126.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-6) किमी. 1065.00 से किमी. 1040.3	31	25	एनएचएआई	47.77	दिनेश चन्द्र आर अग्रवाल-इन्फ्राकान प्रा.लि.-बनवारी लाल अग्रवाल प्रा.लि.-ब्रह्मपुत्र कंसोर्टियम लि.
127.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-7) किमी. 1040.3 से किमी. 1013.00	31	27.3	एनएचएआई	18.07	केएमसी कंस्ट्र.लि.
128.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-8) किमी. 1013.00 से किमी. 983.00	31	30	एनएचएआई	44.52	पुंज लायड लि.
129.	नलबाड़ी से बिजनी (एएस-9) किमी. 983.00 से किमी. 961.5	31	21.5	एनएचएआई	22.85	पुंज लायड लि.
130.	बिजनी से असम/प.बं.सीमा (एएस-10) किमी. 93.00 से किमी. 60.00	31सी	33	एनएचएआई	38.84	जीपीएल-ईसीआई (सं.उ.)
131.	बिजनी से असम/प.बं.सीमा (एएस-11) किमी. 60.00 से किमी. 30.00	31सी	30	एनएचएआई	32.08	जीपीएल-ईसीआई (सं.उ.)
132.	बिजनी से असम/प.बं.सीमा (एएस-12) किमी. 30.00 से किमी. 0.00	31सी	30	एनएचएआई	45	प्रोग्रेसिव कंस्ट्र. लि.
133.	असम/प.बं. सीमा से गैरकाटा (डब्ल्यूबी-1) किमी. 255.00 से किमी. 223.00	31सी	32	एनएचएआई	55.19	इटेलियन थाई डय. प्रोजेक्ट्स
134.	सिलीगुड़ी से इस्लामपुर (डब्ल्यूबी-6) किमी. 551.00 से किमी. 526.00	31	25	एनएचएआई	129.31	बी सिनैया एंड कंप. (प्रोजेक्ट) लि.
135.	सिलीगुड़ी से इस्लामपुर (डब्ल्यूबी-7) किमी. 526.00 से किमी. 500	31	26	एनएचएआई	42.66	इरकोन इंटरनेशनल लि.
136.	पूर्णिया-फोरबिसगंज (बीआर-1) किमी. 309.0 से किमी. 268	57	41	एनएचएआई	123.48	प्रोग्रेसिव कंस्ट्र. लि.
137.	पूर्णिया-फोरबिसगंज (बीआर-2) किमी. 268.0 से किमी. 230	57	38	एनएचएआई	120.2	प्रोग्रेसिव कंस्ट्र. लि.
138.	फोरबिसगंज-सिमराही (बीआर-3) किमी. 230 से किमी. 190	57	40	एनएचएआई	68.19	गेमन इंडिया लि.

1	2	3	4	5	6	7
139.	सिमराही से रिंग बंद (मिसिंग लिंक) (बीआर-4) किमी. 190 से किमी. 165	57	15	एनएचएआई	37.37	सिम्पलेक्स इम्फ्रा. लि.
140.	कोसी पुल व पहुंच मार्ग और गाइड बंद एवं एप्लक्स बंड (बीआर-5) किमी. 155 से किमी. 165	57	10	एनएचएआई	83.71	गेमन इंडिया लि.-जीआईपीएल कंसोर्टियम
141.	रिंग बंद से झंझारपुर (बीआर-6) किमी. 155 से किमी. 110	57	45	एनएचएआई	135.18	बीएससीपीएल-सी एवं सी (सं.उ.)
142.	झंझारपुर से दरभंगा (बीआर-7) किमी. 110 से किमी. 70	57	40	एनएचएआई	77.62	मधुकान प्रोजेक्ट्स लि.
143.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बीआर-8) किमी. 70 से किमी. 30	57	40	एनएचएआई	122.4	बी सिनैया एंड कंप. (प्रोजेक्ट) लि. सी एंड सी (सं.उ.)
144.	दरभंगा से मुजफ्फरपुर (बीआर-9) किमी. 30 से किमी. 0	57	30	एनएचएआई	116.03	बी सिनैया एंड कंप. (प्रोजेक्ट) लि. सी एंड सी (सं.उ.)
145.	मुजफ्फरपुर से मेहसी (एलएमएनएचपी-12) किमी. 520 से किमी. 480	28	40	एनएचएआई	60	प्रोग्रेसिव कंस्ट्र. लि.-एमवीआर (सं.उ.)
146.	मेहसे से कोटवा (एलएमएनएचपी-11) किमी. 480 से किमी. 440	28	40	एनएचएआई	57.18	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि.
147.	कोटवा से देवापुर (एलएमएनएचपी-10) किमी. 440 से किमी. 402	28	38	एनएचएआई	52.7	प्रोग्रेसिव कंस्ट्र. लि. एमवीआर (सं.उ.)
148.	देवापुर से यूपी/बिहार सीमा (एलएमएनएचपी-9) किमी. 402 से किमी. 360.915	28	41.085	एनएचएआई	100.89	प्रोग्रेसिव कंस्ट्र. लि.
149.	यूपी/बिहार सीमा से कसिया (एलएमएनएचपी-8) किमी. 360.915 से किमी. 319.8	28	41.115	एनएचएआई	102.82	सिम्पलेक्स
150.	कसिया से गोरखपुर (एलएमएनएचपी-7) किमी. 319.8 से किमी. 279.8	28	40	एनएचएआई	149.16	एनसीसी-वीईई (सं.उ.)
151.	गोरखपुर बाइपास किमी. 251.7 से किमी. 279.8	28	32.6	एनएचएआई	181.41	गेमन इंडिया लि.-जीआईपीएल-एटीएसएल कंसोर्टियम
152.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-6) किमी. 251.70 से किमी. 208.00	28	43.7	एनएचएआई	131.51	बी सिनैया एंड कंप. (प्रोजेक्ट) लि.

1	2	3	4	5	6	7
153.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-5) किमी. 208.00 से किमी. 164.00	28	44	एनएचएआई	72.34	नागार्जुन कंस्ट्र. कंपनी लि.
154.	गोरखपुर-अयोध्या (एलएमएनएचपी-4) किमी. 164.00 से किमी. 135.00	28	29	एनएचएआई	128.88	हिंदुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि.
155.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-3) किमी. 135.00 से किमी. 93.075	28	41.925	एनएचएआई	143.72	हिंदुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि.
156.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-2) किमी. 93.075 से किमी. 45	28	47	एनएचएआई	141.68	हिंदुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि.
157.	अयोध्या-लखनऊ (एलएमएनएचपी-1) किमी. 45.00 से किमी. 8.250	28	47	एनएचएआई	122.77	हिंदुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि.
158.	गंगा पुल से रामा देवी क्रासिंग (यूपी-6) किमी. 75.0-किमी. 80.06	25	5.6	एनएचएआई	25.51	गेमन इंडिया लि.
159.	बारा से उरई रारा 2 पर 449 से 255 से 220 किमी.	2.25	62.8	एनएचएआई	17.2	एनसीसी-केएमसी कंसोर्टियम
160.	उरई से झांसी (यूपी-5) किमी. 220.0-किमी. 170.0	25	50	एनएचएआई	55.39	इरकोन इंटरनेशनल लि.
161.	उरई से झांसी (यूपी-4) किमी. 170.0-किमी. 104.0	25	66	एनएचएआई	194.88	सनवे कंस्ट्र. लि.
162.	झांसी बाइपास (यूपी-3) किमी. 104.0-किमी. 91.0	25	15	एनएचएआई	59.98	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजी. प्रा.लि.
163.	झांसी-शिवपुरी (यूपी/एमपी-1) (यूपी-11 किमी. एवं एमपी-30 किमी.) किमी. 91 से किमी. 50 (यूपी-11 किमी. एवं एमपी-30 किमी.)	25	41	एनएचएआई	93.7	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजी. प्रा.लि.
164.	पदलूर-त्रिची (पैकेज-6-सी) किमी. 285.00-किमी. 325.00	45	40	एनएचएआई	217.01	नवयुग-इंद-अभिषेक कंसोर्टियम (इंदु नवयुग इन्फ्रा. प्रा.लि.)
165.	त्रिची बाइपास से तोवारमकुरची (पैकेज-7ए) किमी. 0 से किमी. 60.95	45बी	60.95	एनएचएआई	137.19	अग्रवाल-जेएमसी (सं.उ.)

1	2	3	4	5	6	7
166.	तोवारमकुरची से मदुरै (पैकेज-7बी) किमी. 60.95 से किमी. 124.84	45बी	63.89	एनएचएआई	141.92	अग्रवाल-जेएमसी (सं.उ.)
167.	झांसी-शिवपुरी (इडब्ल्यू-2-एमपी-2) किमी. 50 से किमी. 15	25	35	एनएचएआई	119.86	आईडीडी-सीम इंडिया (सं.उ.)
168.	शिवपुरी बाइपास एवं यूपी से एमपी/ राज. सीमा (इडब्ल्यू-2-एमपी-1) रारा 25 के 15 से किमी. - एवं रारा 76 का 610 से किमी. 579	25, 76	53	एनएचएआई	263.62	सीएससीएचके-सोमा (सं.उ.)
169.	राज/एमपी सीमा से कोटा (आरजे-11) किमी. 579 से किमी. 509	76	70	एनएचएआई	247.94	लार्सन एंड टुब्रो लि. ईसीसी डिविजन
170.	राज/एमपी सीमा से कोटा (आरजे-10) किमी. 509 से किमी. 449.15	76	59.85	एनएचएआई	235.21	केएमसी कंस्ट्र. लि.
171.	राज/एमपी सीमा से कोटा (आरजे-9) किमी. 449.15 से किमी. 406	76	43.15	एनएचएआई	146.72	सनवे कंस्ट्र. लि.
172.	कोटा बाइपास (आरजे-4) किमी. 406 से किमी. 381	76	25	एनएचएआई	39.52	आईडीडी-सीम इंडिया (सं.उ.)
173.	चंबल पुल (आरजे-5)	76	14	एनएचएआई	33.74	हुंदई इंजी. कंस्ट्र. कं. लि.-मै. गेमन इंडिया लि.
174.	कोटा से चित्तौड़गढ़ (आरजे-8) किमी. 381 से किमी. 316	76	65	एनएचएआई	237.44	पुंज लोयड लि.
175.	कोटा से चित्तौड़गढ़ (आरजे-7) किमी. 316 से किमी. 253	76	63	एनएचएआई	274.96	सीईसी-हिंदुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि. (सं.उ.)
176.	चित्तौड़गढ़ बाइपास (आरजे-6) किमी. 253 से किमी. 213	76	40	एनएचएआई	227.65	चायना गेजूबा ग्रुप एवं पावर (ग्रुप) कं. लि.
177.	गोगुंडा से उदयपुर (आरजे-3) किमी. 104 किमी. से किमी. 73	76	31	एनएचएआई	213.6	रंजीत-टरमट (सं.उ.)
178.	बाकरिया से गोगुंडा (आरजे-2) किमी. 73 किमी. से किमी. 29	76	44	एनएचएआई	305.04	सोमा-बीएससी पीएल (सं.उ.)
179.	स्वरूपगंज से बाकरिया (आरजे-1) किमी. 29 किमी. 0 (एनएच 76) एवं किमी. 264 से किमी. 249.7 (एनएच 14)	76, 14	43	एनएचएआई	139.85	अग्रवाल जेवी

1	2	3	4	5	6	7
180.	पालनपुर से स्वरूपगंज (राजस्थान-42 किमी. एवं गुजरात-34 किमी.) किमी. 264 से किमी. 340	14	76	एनएचएआई	78.99	लार्सन एंड टुब्रो लि. ईसीसी डिविजन
181.	डीसा से राधनपुर (पैकेज-6) किमी. 372.60 से किमी. 458.0	14	85.4	एनएचएआई	364.24	डेलिम इंडस्ट्रियल कार्पो. लि.-नागार्जुन कंस्ट्र. कंपनी लि. (सं.उ.)
182.	राधनपुर से गागोधर (पैकेज-5) किमी. 138.80 से किमी. 245.00	15	106.2	एनएचएआई	343.22	जिलिन-सदभाव (सं.उ.)
183.	गागोधर से गरमोरे (पैकेज-4) किमी. 245.0 से किमी. 281.3 और किमी. 308.00 से किमी. 254.00	15, 8ए	90.3	एनएचएआई	281.24	डेलिम इंडस्ट्रियल कार्पो. लि.-नागार्जुन कंस्ट्र. कंपनी लि. (सं.उ.)
184.	गरमोरे से बामनबोरे (पैकेज-3) किमी. 254.00 से किमी. 82.60	8ए	71.4	एनएचएआई	244.27	डेलिम इंडस्ट्रियल कार्पो. लि.-नागार्जुन कंस्ट्र. कंपनी लि. (सं.उ.)
185.	राजकोट बाइपास एवं गोंडला जैतपुर (पैकेज-7) किमी. 117.00 से किमी. 143.00 एवं किमी. 175.00 से किमी. 185.00	8बी	36	एनएचएआई	325.28	वेस्ट गुजरात एक्सप्रेस लि.
186.	जैतपुर से भिलाड़ी (पैकेज-2) किमी. 117 से किमी. 52.50	8बी	64.5	एनएचएआई	289.03	लांगजियान रोड एवं पुल लि.
187.	चेन्नै बाइपास चरण-2	45, 4 एवं 5	32	एनएचएआई	498.53	हिंदुस्तान कंस्ट्र. कंपनी लि.
188.	4 ग्रेड सेपरेटरों का निर्माण सहित चेन्नै शहर में जीक्यू के लिए पहुंच में सुधार	205, 4 एवं 5	4	डोर्थ	391.71	सोमदत्त बिल्डर्स-सिम्प्लेक्स (सं.उ.)
189.	किमी. सर्विस रोड और गुवाहाटी बाइपास पर 2 लेन के फ्लाईओवर का निर्माण (एएस-14ए) किमी. 146 से किमी. 156	37	10	एनएचएआई	11.29	माहेश्वरी ब्रदर्स लि.
190.	हापुड़-गढ़मुक्तेश्वर किमी. 58-93	24	35	एनएचएआई	61.52	उ.प्र. राज्य सेतुत निगम लि.
191.	गढ़मुक्तेश्वर-मुरादाबाद किमी. 93-149.25	24	56.25	एनएचएआई	152.9	पीएनसी कंस्ट्र. कंपनी बीईएल (सं.उ.)

1	2	3	4	5	6	7
192.	टिंडीवनम-उलुंदूपेट (पैकेज-6-ए) किमी. 121-किमी. 192.25	45	71.25	एनएचएआई	460.3	जीएमआर इन्फ्रा. लि.-जीएमआर एनर्जी लि. (जीएमआर उलून्डरूपेट एक्सप्रे. प्रा.लि.)
एनएचडीपी चरण 3						
193.	खलघाट-एमपी/महाराष्ट्र सीमा	3	82.8	एनएचएआई	हाल में प्रारंभ	नवयुग इंजी कं.लि.
194.	आगरा-भरतपुर किमी. 17.756-किमी. 63	11	45	एनएचएआई	168.64	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजी. प्रा.लि.-दिल्ली ब्रास कंसोर्टियम
195.	सीतापुर-लखनऊ किमी. 488.27 से किमी. 413.20	24	75	एनएचएआई	66	अपोलो (यूके)-जेएलआई (यूके)-डीएससी (इंडियन)-एलओआर (यूके) कंसोर्टियम
196.	नागपुर-कौंधाली किमी. 9.2 से किमी. 50	6	40	एनएचएआई	156.3	अटलांटा-एसआरईआई कंसोर्टियम (सं.उ.)
197.	अमृतसर-वाघा सीमा	1	36.22	एनएचएआई	हाल में प्रारंभ	रोहन बिल्डर्स प्रा.लि.-राजदीप बिल्डकोन प्रा.लि.-आईडीएफसी लि. कंसोर्टियम
198.	बंगलौर-नीलमंगला	4	19.5	एनएचएआई	37.36	नवयुग इंजी कं.लि.
199.	छत्तीसगढ़/महाराष्ट्र सीमा-वानगंगा पुल	6	80.055	एनएचएआई	33.03	अशोका-आईडीएफसी कंसोर्टियम
200.	दिल्ली/हरियाणा सीमा से रोहतक	10	63.49	एनएचएआई	3.73	केसीटी-ईआरए कंसोर्टियम
201.	सिल्कबोर्ड जंक्शन से इलेक्ट्रानिक सिटी जंक्शन तक उत्थापित राजमार्ग	7	9.98	एनएचएआई	495.02	सोमा-एनसीसी-मेयतलास कंसोर्टियम
202.	दुर्ग बाइपास-छत्तीसगढ़/ महाराष्ट्र सीमा	6	82.685	एनएचएआई	हाल में प्रारंभ	अशोका-आईडीएफसी कंसोर्टियम
203.	कुराली-कीरतपुर	21	42.9	एनएचएआई	36.05	बीएससीपीएल-सी एंड सी कंसोर्टियम
204.	रारा 48 के साथ रारा 4 पर नीलमंगला जंक्शन से देवीहल्ली	48	81	एनएचएआई	हाल में पररंभ	लैंको देवीहल्ली हाइवेज प्रा.लि.
205.	पांडिचेरी-टिंडीवनम	66	38.61	एनएचएआई	0.54	मेयतास-एनसीसी कंसोर्टियम
206.	त्रिची-डिंडीगुल	45	88.273	एनएचएआई	0.56	रिलायंस एनर्जी लि.
207.	त्रिची-करूर	67	79.7	एनएचएआई	हाल में प्रारंभ	रिलायंस एनर्जी लि.
208.	जीरकपुर-परवानू	22	28.69	एनएचएआई	6	जय प्रकाश एसोसिएट्स

1	2	3	4	5	6	7
209.	मदुरै-अरूपकोट्टई-तूतीकोरिन किमी. 138.8 से किमी. 264.5	45बी	128.157	एनएचएआई	123.3	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि.-एसआरईआई-मधुकोन ग्रेनाइट्स लि. (सं.उ.)
210.	रारा-7 के बंगलौर-होसूर खंड को 6 लेन का बनाना किमी. 18.750 से किमी. 33.130	7	14.38	एनएचएआई	24.7	जीवीआर कंसोर्टियम प्रा.लि. चेन्नै
211.	बंगलौर-होसकोटे-मुदबागल खंड किमी. 237.700 से किमी. 318.000	4	79.724	एनएचएआई	34.2	लैंको होसकोटे हाइवे प्रा.लि.
212.	तंजावुर-त्रिची किमी. 80-किमी. 135.750	67	56	एनएचएआई	116.85	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि.
213.	सलेम-उलूंदूपेट (बीओटी-1/टीएन-06) किमी. 0.313 से किमी. 136.670	68	136.357	एनएचएआई	हाल में प्रारंभ	रिलायंस एनर्जी लि.
214.	मेरठ-मुजफ्फरनगर किमी. 52.250 से किमी. 131.00	58	79	एनएचएआई	201.97	नागार्जुन कंस्ट्र. कंपनी लि. मेयतास कंसोर्टियम
215.	धुले-पिंपलगांव किमी. 380.0 से किमी. 265.0	3	118	एनएचएआई	395	इरकान-सोमा कंसोर्टियम
216.	महुआ-जयपुर किमी. 120 से किमी. 228	11	108	एनएचएआई	449.63	आईजेएम कारपो. बरहद
217.	भरतपुर-महुआ किमी. 63 से किमी. 120	11	57	एनएचएआई	233.92	मधुकोन प्रोजेक्ट्स लि.-
218.	गोंडे-वदापे (थाने) किमी. 440/000 से किमी. 539/500	3	100	एनएचएआई	340	गेमन इंडिया लि.-सद्भाव-बिलिमोरिया कंसोर्टियम
219.	औरंग-रायपुर किमी. 232 से किमी. 281	6	45	एनएचएआई	96.37	अपोलो (यूके)-जेएलआई (यूके)-डीएससी (इंडियन)-एलओआर (यूके) कंसोर्टियम
220.	जालंधर-अमृतसर किमी. 407/100 से किमी. 456/100	1	49	एनएचएआई	134	आईवीआरसीएल इन्फ्रा. प्रोजेक्ट्स लि.
221.	अंबाला-जीरकपुर रारा 22 के किमी. 5/735 से किमी. 39/961 और रारा 21 के किमी. 0/0 से किमी.0/871	21, 22	36	एनएचएआई	363.46	जीएमआर एनर्जी लि. एवं जीएमआर इन्फ्रा. लि. कंसोर्टियम
222.	कोंधाली-तेलीगांव किमी. 50 से किमी. 100	6	50	एनएचएआई	268.77	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजी. प्रा.लि.-दिल्ली ब्रास कंसोर्टियम

1	2	3	4	5	6	7
223.	इंदौर-खलघाट	3	80	एनएचएआई	263.27	ओरियंटल स्ट्रक्चरल इंजी. प्रा.लि.-दिल्ली ब्रास कंसोर्टियम
एनएचडीपी चरण 5						
224.	वड़ोदरा से भरूच पैकेज बीओटी-1 (छः लेन) 6 लेन (किमी. 108.7 से किमी. 192)	8	83.3	एनएचएआई	219.17	लारसन एंड टुब्रो वड़ोदरा भरूच टोलवे लि.
225.	भरूच से सूरत पैकेज बीओटी-2 (6 लेन)	8	65	एनएचएआई	241.39	आईडीएए इन्फ्रा. प्रा.लि.
226.	चेन्नै-टाडा (6 लेन) किमी. 11 से किमी. 54.4	5	43.4	एनएचएआई	हाल में प्रारंभ	लार्सन एंड टुब्रो लि.
227.	गुड़गांव-कोटपूतली-जयपुर (6 लेन) किमी. 42.70 से किमी. 54.4	8	225.6	एनएचएआई	हाल में प्रारंभ	अमीरात ट्रेडिंग एजेंसी एलएससी-केएमसी कंस्ट्र. लि.
228.	सूरत-दहीसर (6 लेन) किमी. 263 से किमी. 502	8	239	एनएचएआई	हाल में प्रारंभ	आईआरबी इन्फ्रा. डेवलपर्स लि.- डच बैंक एजी
229.	चिलकालूरीपेट-विजयवाड़ा (6 लेन) किमी. 355 से किमी. 434.15	5	82.5	एनएचएआई	हाल में प्रारंभ	आईजेएम कारपो. बरहद-आईडीएफसी लि.
230.	पानीपत-जालंधर (6 लेन) किमी. 96 से किमी. 387.1	1	291	एनएचएआई	हाल में प्रारंभ	आईसोलक्स कोर्सन कनसेसनायरसा-कोर्सन कोर्थियन कंस्ट्र. एसएस-सोमा इंटप्राइज लि.

विवरण III

एक लेन के राष्ट्रीय राजमार्गों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य का नाम	एकल/मध्यम लेन (किमी.)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	338
2.	अरुणाचल प्रदेश	340
3.	असम	787
4.	बिहार	1967
5.	छत्तीसगढ़	668
6.	गोवा	118
7.	गुजरात	232
8.	हरियाणा	189
9.	हिमाचल प्रदेश	847
10.	जम्मू-कश्मीर	634
11.	झारखंड	710
12.	कर्नाटक	618
13.	केरल	268
14.	मध्य प्रदेश	1426
15.	महाराष्ट्र	147

1	2	3
16.	मणिपुर	493
17.	मेघालय	456
18.	मिजोरम	828
19.	नागालैंड	369
20.	उड़ीसा	1475
21.	पंजाब	55
22.	राजस्थान	1492
23.	सिक्किम	62
24.	तमिलनाडु	130
25.	त्रिपुरा	343
26.	उत्तर प्रदेश	622
27.	उत्तराखंड	1621
28.	पश्चिम बंगाल	815
29.	अंडमान और निकोबार	300
	जोड़	18350

कोसोवो द्वारा आजादी की घोषणा करना

2781. श्री गुरुदास दासगुप्त: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोसोवो ने सर्बिया की दासता से अपनी आजादी की घोषणा कर दी है और वह संसार का 193वां देश बन गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस नए राष्ट्र को किन-किन देशों ने मान्यता दी है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): (क) और (ख) कोसोवो ने 17 फरवरी, 2008 को अपनी स्वतंत्रता की एकतरफा घोषणा की है।

सरकार की प्रतिक्रिया 18 फरवरी, 2008 को पूछे गए एक प्रश्न के आधिकारिक प्रवक्ता के उत्तर में निहित थी। उन्होंने कहा:

"मान्यता के मुद्दे पर भारत की लंबे समय से चली आ रही एक स्थायी एवं सुसंगत नीति है। यह मान्यता सामान्यतया किसी देश के विनिर्दिष्ट क्षेत्र, नियंत्रण करने वाली ऐसी विधिवत गठित सरकार के आधार पर प्रदान की जाती है जिसे जनता ने स्वीकार कर लिया हो और जिसका शासन-क्षेत्र पर प्रभावी नियंत्रण हो।

भारत का यह सुसंगत दृष्टिकोण रहा है कि सभी देशों की प्रभुसत्ता और क्षेत्रीय अखंडता का सभी राज्यों द्वारा पूर्ण रूप से समादर किया जाना चाहिए। हमारा मानना है कि कोसोवो मुद्दे का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से और संबंधित पक्षकारों के बीच परामर्श और वार्ता के माध्यम से किया जाना चाहिए।

कोसोवो द्वारा की गयी स्वतंत्रता की एकतरफा घोषणा हमारे ध्यान में है। इस घोषणा से अनेक विधिक मुद्दे जुड़े हुए हैं। हम उभरती हुई स्थिति का अध्ययन कर रहे हैं।"

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 13 मार्च, 2008 को कोसोवो को मान्यता देने वाले देश निम्नानुसार हैं:-

संयुक्त राज्य अमरीका, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, अफगानिस्तान, कोस्टारीका, तुर्की, अल बानिया, आस्ट्रेलिया, सेनेगल, मलेशिया, जर्मनी, लातविया, डेनमार्क, लक्जमबर्ग, इस्टोनिया, इटली, पेरू, बेल्जियम, पोलैंड, स्विटजरलैंड, आस्ट्रिया, आयरलैंड, आइसलैंड, स्वीडन, द नीडरलैंड्स, स्लोवोनिया एवं फिनलैंड।

डाक्टरों, नर्सों और परा-चिकित्सकों की कमी

2782. श्री के.एस. राव:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में पर्याप्त स्वास्थ्य परिचर्या उपलब्ध कराने हेतु कितने डाक्टर, नर्सें और परा-चिकित्साकर्मी उपलब्ध हैं और कितनों की आवश्यकता है;

(ख) आधुनिक तकनीक और चिकित्सा विज्ञान की नई संकल्पनाओं को शामिल करके वर्तमान पाठ्यक्रम को अद्यतन बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार जिला मुख्यालयों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमों को विनियमित करने, नर्सों और पराचिकित्साकर्मियों के लिए शिक्षण संस्थाओं का उन्नयन करने और चिकित्सा कालेजों में सरकारी-निजी भागीदारी को प्रोत्साहन देने के लिए एक नया एकीकृत प्राधिकरण बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्राधिकरण के कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) देश में डाक्टरों और नर्सों की कुल संख्या में कोई कमी नहीं है।

(ख) से (घ) स्नातक चिकित्सा शिक्षा संबंधी भारतीय चिकित्सा परिषद के विनियमों, मेडिकल कालेजों के लिए न्यूनतम मानक अपेक्षाओं, चिकित्सा संस्थाओं एवं स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा में अध्यापकों के लिए न्यूनतम अर्हताओं में संशोधन करने के प्रस्ताव विचाराधीन हैं जो पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के कार्य को निपटाएंगे एवं जिला स्तर पर मेडिकल कालेजों में सार्वजनिक-निजी सहभागिता को बढ़ावा देंगे।

ग्यारहवीं योजना के दौरान, केन्द्र सरकार ने नर्सों और परिचिकित्सा कार्मिकों के लिए शिक्षण संस्थाओं का उन्नयन करने के लिए विशेष उपायों की परिकल्पना की है।

प्रो. रणजीत राय चौधरी की अध्यक्षता में गठित समिति ने स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रम के विनियमन हेतु एक पृथक प्राधिकरण की सिफारिश की है जिस पर भी विचार किया जा रहा है।

[हिन्दी]

हर्बल उपचार को बढ़ावा देना

2783. **श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':**
श्री सूरज सिंह:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में चिकित्सा उपचार में जड़ी-बूटियों का उपयोग किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त चिकित्सा उपचार प्रभावी और किफायती सिद्ध हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। भारतीय चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्साभ्यासी रोगियों के उपचार के लिए जड़ी-बूटीय औषधियों का उपयोग करते हैं। लोक रोगहर भी स्थानीय स्वास्थ्य पद्धतियों का उपयोग करके रोगियों के उपचार में जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हैं।

(ख) और (ग) पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों की स्वीकार्यता मुख्यत: जड़ी बूटियों पर आधारित होती है और भारत तथा विदेश में उनकी बढ़ी हुई मांग से रोगों के उपचार में उनकी प्रभावकारिता सिद्ध होती है। पारिवारिक स्तर पर जड़ी-बूटीय उपचार की लागत प्रभावकारिता अथवा चिकित्साभ्यासियों द्वारा स्वयं निर्मित औषधियों का उपयोग कुल मिलाकर औषधियों को तैयार करने हेतु अपेक्षित निम्न प्रौद्योगिक आवश्यकताओं और वनों में अधिकांश औषधीय पादपों की उपलब्धता पर निर्भर है। तथापि, सभी प्रकार से गुणवत्ता नियंत्रित अपेक्षाओं के साथ पैकेजों में मौजूद जड़ी-बूटीय औषधियों के व्यापारिक उत्पादन और बढ़ती हुई मांग के कारण औषधीय पादपों की कृषि से जड़ी-बूटीय औषधियों की लागत में वृद्धि हो रही है।

[अनुवाद]

एन एच-9 के विस्तार हेतु धनराशि

2784. **श्री आडिगा रामकृष्णा:**
श्री ए. साई प्रताप:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 के विस्तार हेतु धनराशि स्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) विस्तार कार्य के कब से शुरू होने तथा पूरा होने की संभावना है;

(घ) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को संगरेड्डी से जहीराबाद तक चार लेन का बनाने संबंधी कोई प्रस्ताव भेजा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-9 को चार लेन का बनाने का कार्य चरणबद्ध रूप में किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय राजमार्ग के हैदराबाद-

मछलीपट्टनम खंड को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर चार लेन का बनाया जा रहा है। हैदराबाद से संगरेड्डी तक 31 कि.मी. लंबाई में चार लेन बनाने का कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण आधार पर चल रहा है। इन कार्यों को दिसंबर, 2011 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

(घ) और (ङ) इस राष्ट्रीय राजमार्ग के संगरेड्डी-जहीराबाद खंड को डिजाइन, निर्माण, वित्त और प्रचालन पद्धति पर 4/6 लेन का बनाने की व्यावहारिकता की जांच के लिए परामर्शी सेवाएं ली जा रही हैं। इस संबंध में आगे कार्रवाई उक्त अध्ययन के परिणाम पर निर्भर करेगी।

नौगांव तेलीसाही कोयला ब्लाक

2785. डा. बाबू राव मिडियम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से भू-वैज्ञानिक सर्वेक्षण की सिफारिश पर नौगांव तेलीसाही कोयला ब्लाक को दो भागों में विभाजित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) अगस्त, 2006 में मैसर्स उड़ीसा खनन निगम और मैसर्स आंध्र प्रदेश खनिज विकास निगम को संयुक्त रूप से आबंटित नौगांव तेलीशाही कोयला ब्लाक क्षेत्रीय रूप से अन्वेषित ब्लाक है। आबंटन के निबंधनों और शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी उल्लेख किया गया था कि संरक्षण हित, सुरक्षा, कोयले के इष्टतम निष्कर्षण के लिए इष्टतम प्रौद्योगिकी की तैनाती, खान क्षमता, उत्पादन के शीघ्रतम आरंभ होने जैसे कारकों को ध्यान में रखते हुए ब्लाक को एक खान के रूप में अथवा अन्यथा प्रचालित किया जा सकता है, यह विस्तृत अन्वेषण पूरा कर लिए जाने के बाद केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। चूंकि, इस ब्लाक में विस्तृत अन्वेषण अब तक नहीं किया गया है, इसलिए इस स्तर पर ब्लाक को दो भागों में विभाजित करने की संभावना का पता लगाना संभव नहीं है।

अन्य देशों के साथ रोजगार समझौता

2786. एडवोकेट सुरेश कुरूप:
श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अन्य देशों के साथ कोई द्विपक्षीय/बहुपक्षीय समझौता किया है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि उनके देशों में भारतीय कामगारों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान हो और रहने की बुनियादी स्थितियां उपलब्ध हों; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) और (ख) सरकार ने न्यूनतम मजदूरी के भुगतान को सुनिश्चित करने के लिए विदेशी सरकारों के साथ कोई करार नहीं किए हैं। तथापि, भारतीय उत्प्रवासी कामगारों के संरक्षण और कल्याण के प्रति उन देशों की वचनबद्धता प्राप्त करने के लिए प्रमुख श्रम आयातक देशों के साथ औपचारिक द्विपक्षीय समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के संबंध में सरकार सक्रिय कार्रवाई कर रही है। सरकार ने दिसम्बर, 2006 में संयुक्त अरब अमीरात के साथ और अप्रैल, 2007 में कुवैत के साथ समझौता ज्ञापन किए हैं। नवम्बर, 2007 में कतर के साथ 1985 के करार को अध्यतन बनाने के लिए एक अतिरिक्त प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर किए हैं। मलेशिया के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप दे दिया गया है जिस पर शीघ्र ही हस्ताक्षर किए जाएंगे। ओमान, बहरीन और यमन के साथ समझौता ज्ञापन करने के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। सरकार ने उत्प्रवास जांच अपेक्षित वाले देशों में उत्प्रवास कर रही महिला घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की है। न्यूनतम मजदूरी संबंधित भारतीय मिशनों द्वारा उस देश में चल रही बाजार मजदूरी को ध्यान में रखते हुए 300-350 अमरीकी डालर के दरम्यान तय की जाएगी।

गहरे समुद्र पत्तनों हेतु स्थान

2787. श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय समुद्र विकास नीति की समीक्षा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गहरे समुद्र पत्तन की स्थापना हेतु स्थान की पहचान कर ली गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर अनुमानतः कितनी राशि खर्च किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) समुद्रीय क्षेत्र के लिए नीति, जिसको अंतिम रूप दिया जा रहा है में पत्तनों, पोत-परिवहन, अंतर्देशीय जल परिवहन प्रणालियों और पोत निर्माण तथा पोत-मरम्मत उद्योगों सहित हमारी समुद्रीय परिसंपत्तियों के सुव्यवस्थित और समन्वित विकास के माध्यम से इस क्षेत्र के लिए कल्पना और कार्य योजना के संयोजन का प्रयास करना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एनएच-8ए (विस्तार) को चार लेन का बनाना

2788. **श्री पी.एस. गढ़वी:**
श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-8ए (विस्तार) के गांधीधाम-मुंदडा खंड को चार लेन का बनाने का काम शुरू कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और काम की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) एनएचडीपी के चरण-3ए के अंतर्गत किए जाने वाले प्रस्तावित काम का ब्यौरा क्या है और उसकी वर्तमान स्थिति क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3 के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 8ए (विस्तार) के गांधीधाम-मुंद्रा खंड को 4 लेन का बनाने के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इस समय साध्यता व प्रारंभिक डिजाइन रिपोर्ट तैयार करने का कार्य प्रारंभ किया गया है।

[हिन्दी]

लोकपाल की नियुक्ति

2789. **श्री श्यामा चरण गुप्त:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लोकपाल की नियुक्ति में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) लोकपाल के संबंध में मंत्रियों के समूह की क्या सिफारिशें हैं;

(ग) क्या मंत्रिमंडल ने लोकपाल हेतु नियुक्त मंत्रियों के समूह की सिफारिशों को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि नहीं, तो राष्ट्रीय लोक आयुक्त की स्थापना में क्या बाधाएं आ रही हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) से (ङ) सरकार के राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अंतर्गत लोकपाल विधान को अधिनियमित करने पर विचार किया गया है। इसी वचनबद्धता के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए गठित मंत्रियों के एक समूह ने अपनी सिफारिशें प्रस्तुत कर दी हैं। तथापि, इन सिफारिशों पर मंत्रिमंडल द्वारा विचार किए जाने से पूर्व, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की "एथिक्स इन गवर्नेंस" शीर्षक की चौथी रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। लोकपाल के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के संबंध में अभी राय बनाई जानी है। सरकार का यह प्रयास है कि इस विधान को, जितना जल्दी संभव हो सके, संसद में प्रस्तुत किया जाए।

[अनुवाद]

गुर्दा रोग संबंधी अध्ययन

2790. **श्री उदय सिंह:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एम्स द्वारा किए गए एक अध्ययन के मुताबिक गुर्दा संबंधी समस्याओं से ग्रसित 10 प्रतिशत मरीज ही बच पाते हैं तथा शेष 90 प्रतिशत की समुचित उपचार के अभाव में मृत्यु हो जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मरीजों के उपचार हेतु एम्स में समुचित अवसंरचना उपलब्ध नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में इस संस्थान के आधुनिकीकरण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया है।

(ग) और (घ) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में गुर्दा तथा रीनल रोगों, दोनों के लिए अवसंरचना उपलब्ध है।

(ङ) आवश्यकता एवं निधियों की उपलब्धता के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का समय-समय पर आधुनिकीकरण किया जाता है।

सड़क सुरक्षा निधियों का उपयोग

2791. **श्री सनत कुमार मंडल:**
श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सड़क सुरक्षा हेतु आबंटित एवं खर्च की गई निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या केंद्र सरकार और राज्य सरकारें सड़क सुरक्षा हेतु आबंटित धनराशि का उपयोग करने में असफल रही हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा सड़क सुरक्षा हेतु निधियों का पूर्ण एवं समुचित उपयोग सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) इस मंत्रालय द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान सड़क सुरक्षा के लिए आबंटित और खर्च की गई धनराशि के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

(करोड़ रु.)

वर्ष	आबंटित धनराशि	खर्च की गई धनराशि
2004-05	39.70	34.99
2005-06	43.05	29.70
2006-07	47.00	43.25

(ख) और (ग) सड़क सुरक्षा के लिए इस मंत्रालय को आबंटित धनराशि का उपयोग सड़क सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान, भारी मोटर वाहन चालकों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण, आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना और राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के कार्यान्वयन के लिए किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना राहत सेवा स्कीम के अंतर्गत क्रेनों और एंबुलेंसों की खरीद की जाती है और दुर्घटना के पश्चात् सहायता के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों और गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जाती हैं। आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के मामले को छोड़कर सड़क सुरक्षा के लिए धनराशि का उपयोग मंत्रालय द्वारा सीधे किया जाता है। आदर्श चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के मामले में पूरे देश के अब तक 13 राज्यों में चालक प्रशिक्षण स्कूलों की स्थापना के लिए धनराशि जारी की जा चुकी है। गत तीन वर्षों के दौरान एंबुलेंस और क्रेनों की निविदा प्रक्रिया और विनिर्देशों को अंतिम रूप दिए जाने में विलंब के कारण इस मंत्रालय को आबंटित धनराशि का आंशिक उपयोग नहीं किया जा सका।

(घ) सभी स्कीमों के अंतर्गत धनराशि के समय से उपयोग के विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों से अग्रिम रूप में प्रस्ताव मंगाए जाते हैं और खरीद आदि के लिए निविदा प्रक्रिया जैसी अन्य औपचारिकताएं समय पर शुरू की जा रही है।

वन भूमि का आबंटन

2792. **श्री मदन लाल शर्मा:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वन भूमि को विकसित करने हेतु इसे निजी पक्षों को आवंटित करने के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों द्वारा उक्त भूमि पर राजस्व वसूला जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विकसित करने हेतु निजी पक्षों को राज्यवार कितनी वन भूमि आवंटित की गयी है; और

(ङ) इससे कितना राजस्व वसूला गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) भारत सरकार वन भूमि व निजी पार्टियों को आवंटित नहीं करती है। तथापि, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अंतर्गत, वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनों हेतु अपवर्तन प्रतिपूरक वनीकरण, वन के निवल मूल्य तथा ऐसे मामलों में वसूल किए जा सकने वाले अन्य प्रभारों को प्राप्त करने के पश्चात किया जाता है।

अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह में पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लम्बित परियोजनाएं

2793. श्री मनोरंजन भक्त: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्य क्षेत्र में काफी संख्या में खनन परियोजनाएं पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) संबंधित स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

असम में भूमि अर्जन हेतु मुआवजा

2794. श्री सर्बानन्द सोनोवाल: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश की सीमा से लगे रूपई (तिनसुकिया जिला) से दिरक गेट तक राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के निर्माण के लिए अपनी भूमि गंवाने वाले ग्रामीणों को पर्याप्त मुआवजा देने हेतु कोई प्रक्रिया शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी, हां।

(ख) उपायुक्त, तिनसुकिया के पास 848 कि.मी. (दिरक से 3 किमी. आगे) से 875.76 कि.मी. (रूपई) के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग-52 के निर्माण के संबंध में प्रभावित ग्रामीणों को भूमि मुआवजे के वितरण के लिए 266.44 लाख रु. जमा किए गए हैं और उपायुक्त, तिनसुकिया द्वारा 845 से 848 कि.मी. खंड के लिए मुआवजे की राशि की सूचना अभी नहीं दी गई है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महिला स्वास्थ्य संबंधी स्थिति

2795. श्रीमती सुमित्रा महाजन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि (यूनाइटेड नेशन्स पापुलेशन फंड) की एक रिपोर्ट में इंगित किया गया है कि भारत में महिला स्वास्थ्य संबंधी स्थिति सर्वाधिक दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार महिला स्वास्थ्य हेतु कोई कार्य-योजना तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) जी, नहीं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या निधि ने भारत की महिलाओं की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति के बारे में कोई विशेष प्रतिवेदन जारी नहीं किया है। तथापि, भारत सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया है जिसके अंतर्गत महिलाओं और बच्चों सहित असुरक्षित समूहों पर विशेष ध्यान देते हुए आवश्यकता आधारित कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाएं तैयार करने के वास्ते राज्यों को नम्यता प्रदान की जाती है। मातृ मृत्युदर और रुग्णतादर घटाने के मकसद से अन्य बातों के साथ निम्नलिखित मुख्य कार्यनीतियां और कार्यकलाप कार्यान्वित किए जा रहे हैं:-

जननी सुरक्षा योजना सेवाओं के लिए महिलाओं को एकजुट करने के वास्ते प्रत्यापित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) की नियुक्ति करना; जिला अस्पतालों, समुदाय स्वास्थ्य केंद्रों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगी कल्याण समितियां गठित करना; समुदाय स्वास्थ्य केन्द्रों को प्रथम रेफरल एककों के रूप में प्रचालित करना, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का 24×7 आधार पर काम करना, कुशलताप्राप्त तथा प्रशिक्षित जनशक्ति की उपलब्धता बढ़ाना; समेकित

शिशु विकास योजना के तहत गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए संपूरण पोषण।

[अनुवाद]

पर्यावरणोन्मुख वन क्षेत्र पर विशेष ध्यान

2796. **श्री चन्द्र भूषण सिंह:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पर्यावरणोन्मुखी वन क्षेत्र तथा वन और भूमि प्रयोग योजनाओं संबंधी एक सुदृढ़ राष्ट्रीय नीति पर, जो पारिस्थितिकीय स्थायित्व प्राप्त करने के लिए अनिवार्य है, विशेष ध्यान देने का है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय समूहों ने सरकार से वन उपयोग से संबंधित विभिन्न अधिनियमों को क्रियान्वित करने के लिए कहा है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार के विचार क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्तमान वन नीति का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण स्थिरता को बनाए रखना और सुनिश्चित करना और वातावरणीय संतुलन सहित पारिस्थितिकीय संतुलन को बनाए रखना जो कि सभी जीवन स्वरूपों, मानव, पशु और पौधों की सततता के लिए आवश्यक है और साथ ही कुल भूमि क्षेत्र के कम से कम एक तिहाई पर वन और वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूरा करना है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

बड़े पत्तनों की स्थापना

2797. **श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रोट्टर्डम और शंघाई पत्तनों की तर्ज पर देश में अंतर्राष्ट्रीय मानक वाले अनेक बड़े पत्तनों की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रयोजनार्थ किस स्थान को चुना गया है;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना पर अनुमानित कितना व्यय होगा; और

(घ) इन बड़े पत्तनों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

कैंसर के उपचार हेतु अनुसंधान

2798. **श्री जुएल ओराम:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कैंसर का पता लगाने व इसके उपचार हेतु किए गए अनुसंधान कार्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) उक्त अनुसंधान से कैंसर मरीजों के कारगर एवं प्रभावी उपचार में कितनी मदद मिली है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) कैंसर निदान और उपचार, भारत और विदेश के चिकित्सा क्षेत्र में विभिन्न विशिष्टताओं द्वारा किया जाता है। बुनियादी अनुसंधान, नैदानिक अनुसंधान एवं अनुप्रयुक्त अनुसंधान से ऐसे आंकड़े प्राप्त हुए हैं जो कैंसर के उपचार की प्रभावकारिता के बारे में बता सकते हैं। यह एक निरंतर चलने वाला क्रियाकलाप है और किया जाने वाला ऐसा अनुसंधान है, जो नेमी आधार पर मरीज परिचर्या में प्रयुक्त किए जाने से पूर्व पत्रिकाओं में प्रकाशित किया जाता है और व्यावसायिक बैठकों में प्रस्तुत किया जाता है। देश में कैंसर की पहचान और उपचार के लिए पहले किए गए अनुसंधान कार्य का ब्यौरा कैंसर के क्षेत्र में अनुसंधान प्रकाशनों में उपलब्ध है। रोगी परिचर्या में ऐसे अनुसंधान से किस हद तक सामान्य रूप से लाभ मिला, इसका निर्णय नहीं किया जा सकता। तथापि, यह तथ्य बहुज्ञात है कि कैंसर के क्षेत्र में हुए अनुसंधान से कैंसर की शीघ्र पहचान करने और कैंसर के उपचार के बाद उत्तरजीविता दरों के बेहतर होने में मदद मिली है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर रेल उपरि पुल हेतु प्रस्ताव

2799. **श्री संतोष गंगवार:** क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर रेल उपरि पुलों के निर्माण हेतु रेलवे अधिकारियों और राज्य सरकार से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केंद्र सरकार को उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में मिरगंज/फतेहगंज के पश्चिमी क्षेत्रों में रेल उपरि पुलों के निर्माण हेतु भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा उक्त प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ङ) राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर सड़क उपरि पुल के निर्माण के लिए रेलवे प्राधिकरणों और राज्य सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग-24 के हापुड़-मुरादाबाद खंड के 181 किमी. में 4 लेन के आरओबी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। राष्ट्रीय राजमार्ग-24 पर विद्यमान सभी दो लेन के आरओबी को 4 लेन का बनाया जाना है और राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना चरण-3/अन्य परियोजनाओं के अंतर्गत 4 लेन के भाग के तौर पर बरेली जिले में मिरगंज-फतेहगंज में सभी विद्यमान लेवल क्रासिंग के स्थान पर 4 लेन के आरओबी का निर्माण किया जाना है।

[अनुवाद]

सड़क दुर्घटनाओं के शिकार लोगों/संबंधित परिजनों को मुआवजा

2800. **प्रो. एम. रामदास:**
प्रो. महादेव राव शिवनकर:
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़क दुर्घटनाओं के सभी मामलों में शिकार लोगों तथा सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए लोगों के परिजनों को मुआवजा दिया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सीधे रूप से दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों अथवा विभिन्न राज्य सरकारों को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) सड़क दुर्घटना में मृतक/घायल व्यक्ति को मुआवजा कोई-चूक नहीं सिद्धांत आधार पर मोटर यान अधिनियम, 1988 की अनुसूची-2 के तहत निर्धारित ढांचागत मुआवजा फार्मूला आधार पर दिया जाता है। मुआवजा राशि की गणना अनेक कारकों के आधार पर की जाती है जैसे पीड़ित की आयु, आय, उस पर आश्रितों की संख्या, आदि। यदि सड़क दुर्घटना पीड़ित/कानूनी वारिस मुआवजा राशि से संतुष्ट नहीं हो तो वह चूक सिद्धांत आधार पर अधिक मुआवजे के लिए मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/सिविल कोर्ट जा सकता है। दुर्घटना पीड़ित को दिए जाने वाले मुआवजे से संबंधित ब्यौरे इस मंत्रालय में नहीं रखे जाते हैं क्योंकि मुआवजे का भुगतान बीमा कंपनी द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

रूस द्वारा लगाए गए व्यापार प्रतिबंध

2801. **श्री राकेश सिंह:** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने व्यापार और विनिवेश के संबंध में रूस के साथ कोई वार्ता शुरू की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) जी, हां। भारत और रूस की सरकारों ने द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को सुदृढ़ करने पर चर्चा की हैं। वर्ष 2006 में एक संयुक्त अध्ययन दल का गठन किया गया जिसका उद्देश्य वर्ष 2010 तक द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा को बढ़ाकर 10 बिलियन अमरीकी डालर करना और व्यापक आर्थिक सहयोग करार की व्यवहार्यता का पता लगाना है। इस दल ने जुलाई, 2007 में अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया। फरवरी, 2008 में दोनों सरकारों ने इस संयुक्त अध्ययन दल की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन पर निगरानी रखने के लिए एक संयुक्त कार्यबल का भी गठन किया। इसके अतिरिक्त, जून, 2006 में दोनों सरकारों ने व्यापार और निवेश पर भारत-रूस मंच स्थापित करने का निर्णय लिया था और इस मंच के पहले दो सत्रों का आयोजन फरवरी, 2007 और फरवरी, 2008 में दोनों पक्षों के व्यावसायिक समुदाय की भागीदारी के साथ हुआ। इसके अतिरिक्त फरवरी, 2008 में दोनों पक्षों से व्यावसायिक मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की एक परिषद का भी गठन करने का निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य अनुसंधान में माइक्रोबायसाइड्स की प्रभाविता

2802. **श्री रायापति संबासिवा राव:**
श्री रघुराज सिंह शाक्य:
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 25 फरवरी, 2008 के 'दैनिक जागरण' में प्रकाशित 'यौन रोगों से मुक्ति दिलाएगा माइक्रोबायसाइड्स' समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में इन बीमारियों के नियंत्रण के लिए समन्वयन गतिविधियों सहित सरकार ने क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। माइक्रोबायसाइड्स माइक्रोबायल रोधी उत्पाद हैं जो एच आई वी और अन्य यौन संचारित रोगों के संचरण के जोखिम को कम कर सकते हैं जब उनका योनि में इस्तेमाल किया जाता है। माइक्रोबायसाइड्स पर अनुसंधान विश्व भर में किया जा रहा है। इस समय वे इस्तेमाल हेतु उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) सरकार द्वारा देश में ऐसे रोगों को नियंत्रित करने के लिए समन्वय सहित किए गए विभिन्न उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) असुरक्षित जनसंख्या का स्वैच्छिक परामर्शन और जांच।

(2) उच्च जोखिम वाले समूहों और असुरक्षित जनसंख्या के लिए लक्षित कार्यकलाप।

(3) स्वैच्छिक रक्तदान करके और रक्त बैंकों को नियमित करके रक्त निरापदता के लिए उपाए।

(4) यौन संचारित संक्रमणों का निवारण और प्रबंधन।

(5) मां से बच्चे को होने वाले संचरण की रोकथाम।

(6) एच आई वी/एड्स से ग्रस्त जीवन-यापन कर रहे पात्र व्यक्तियों की पहचान और उपचार।

(7) एच आई वी/एड्स निवारण के लिए सामान्य जागरूकता।

(8) एच आई वी/एड्स को मुख्य धारा में शामिल करने, उसका निवारण और नियंत्रण करने वाले अन्य मंत्रालयों, विभागों और क्षेत्रों के साथ समन्वयन।

[हिन्दी]

साईबेरियाई पक्षियों का प्रवास

2803. **श्री रघुराज सिंह शाक्य:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न राज्यों में साइबेरियाई पक्षियों के प्रवास की सूचना प्राप्त हुई है तथा अनेक राज्यों में पक्षियों की तस्करी के मामलों का भी पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) भारत के विभिन्न राज्यों में प्रतिवर्ष शरद ऋतु के दौरान बड़ी संख्या में साईबेरियाई पक्षियों का प्रवास होता है। यद्यपि, पक्षियों की तस्करी के संबंध में कोई विशिष्ट रिपोर्ट नहीं मिली है, तथापि, पक्षियों की तस्करी के एकाध मामलों की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में किए गए उपाय निम्नलिखित हैं:

(1) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के प्रावधानों के अंतर्गत अवैध शिकार और वाणिज्यिक दोहन के विरुद्ध प्रवासी पक्षियों सहित संकटापन्न प्रजातियों के पक्षियों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की गई है।

(2) वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम को संशोधित करके और अधिक कड़ा बनाया गया है। अपराधों के मामलों में दण्ड बढ़ाया गया है। अधिनियम में, वन्यजीव अपराधों में प्रयुक्त उपस्कर, वाहन और हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

(3) वन्यजीव और उनके उत्पादों के अवैध शिकार और अवैध व्यापार को नियंत्रित करने के लिए वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो गठित किया गया है।

(4) वन्यजीवों के अपराधियों को गिरफ्तार करने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के अंतर्गत शक्ति सम्पन्न बनाया गया है।

(5) पक्षियों की विभिन्न प्रजातियों के महत्वपूर्ण वास-स्थलों को राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के रूप में अधिसूचित किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण नमभूमियों को रामसर स्थलों और विश्व प्राकृतिक विरासत स्थलों के रूप में भी अधिसूचित किया गया है।

(6) वन्यपशुओं को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास और नमभूमियों का संरक्षण हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को वित्तीय और तकनीकी सहायता दी गई है।

विभिन्न मुद्दों पर मैसर्स आर्यन बेनेफिकेशन प्राइवेट लि. के साथ समझौता

2804. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एस.ई.सी.एल. ने मैसर्स आर्यन कोल बेनेफिकेशन प्राइवेट लि. के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस अनुबंध की निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) क्या मैसर्स आर्यन कोल बेनेफिकेशन प्राइवेट लि. ने अनुबंध की निबंधन एवं शर्तों का पालन नहीं किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या एस.ई.सी.एल. ने कोयला धोवनशाला (कोल वाशरी) हेतु मैसर्स आर्यन कोल बेनेफिकेशन प्राइवेट लि. को दीपिका में भूमि आवंटित की है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा अस्वीकृत कोयले का उत्पादन, बिक्री हेतु अस्वीकृत कोयले की दर और धुलाई प्रभार कितना है; और

(छ) उन कंपनियों के नाम क्या हैं जिनको अस्वीकृत कोयले की बिक्री की गई?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, नहीं। एसईसीएल ने मैसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्रा.लि. के साथ ऐसा कोई ठेका सम्पन्न नहीं किया है।

(ख) से (घ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) से (छ) साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. द्वारा मैसर्स आर्यन कोल बेनिफिकेशन प्रा.लि. को दीपका क्षेत्र में कोयला वाशरी स्थापित करने के लिए 5 हेक्टेयर भूमि पट्टे पर आबंटित की गई है। अवशिष्ट कोयले के उत्पाद, बिक्री हेतु अवशिष्ट कोयले की दर, परिवहन शुल्क तथा कंपनियों जिनको अवशिष्ट कोयला बेचा गया है, के संबंध में एसईसीएल को कोई जानकारी नहीं है क्योंकि यह लिंक्ड उपभोक्ता तथा वाशरी प्रचालक के बीच का मामला है।

[अनुवाद]

यात्री स्टीमर सेवा

2805. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिला स्थित गोएनखाली से उड़ीसा के पारादीप तक एक यात्री स्टीमर सेवा शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन दो स्थानों के बीच प्रस्तावित ठहराव स्थानवार कौन-से हैं;

(ग) इस परियोजना पर कितना अनुमानित व्यय होगा; और

(घ) उक्त सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना

2806. श्री पंकज चौधरी:
श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरिता विहार, दिल्ली में प्रस्तावित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (ए.आई.आई.ए.) की स्थापना पर कितनी अनुमानित लागत आएगी?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): 11वीं योजना के दौरान सरिता विहार, नई दिल्ली में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने हेतु अनुमानित लागत 155.00 करोड़ रु. है जिसमें से 134.00 करोड़ रु. पूंजीगत कार्यों और 21 करोड़ रु. आवर्ती लागतों के लिए है।

कुपोषण और शिशु मृत्यु संबंधी डा. अभय बंग समिति

2807. **श्री सैयद शाहनवाज हुसैन:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कुपोषण और शिशु मृत्यु रोकने हेतु गठित डा. अभय बंग समिति द्वारा की गयी सिफारिशों का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उक्त समिति द्वारा की गयी सिफारिशों को क्रियान्वित करने हेतु कोई कार्य-योजना तैयार की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में नवजात मृत्यु दर और कुपोषण की जांच करने के लिए डा. अभय बंग की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 12.12.2003 को किया था। समिति ने अपना प्रथम प्रतिवेदन 24.08.2004 और द्वितीय प्रतिवेदन 24.04.2005 को प्रस्तुत किया।

डा. अभय बंग समिति की सिफारिशों पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

डा. अभय बंग समिति की सिफारिशें (प्रथम प्रतिवेदन) में राज्य में शिशु मौतों की 100 सूचना देने तथा इसके दूसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों में राज्य में शिशु कुपोषण तथा उनकी मौतों को घटाने हेतु की जाने वाली कार्रवाईयों का वर्णन है।

कुछ प्रमुख सिफारिशें निम्नवत् हैं:-

1. अल्पसेवित, सेवाओं से वंचित समूहों को प्राथमिकता देना।
2. समेकित और बाल विकास योजना में सुधार करना।
3. 3 वर्षों के अंतराल पर कार्यकर्ताओं और अधिकारियों के स्थानांतरणों में पारदर्शिता बरतना।
4. गर्भधारणपूर्व और प्रसवपूर्व तकनीक अधिनियम और बाल-विवाह अधिनियम का सख्ती से कार्यान्वयन।
5. जनजातीय स्वास्थ्य शिक्षा।
6. कीड़े निकालने और विटामिन-ए का 6 महीने का अभियान।
7. शहरी स्वास्थ्य अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण।
8. स्वास्थ्य योजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों तथा महिला मंडलों की सहभागिता।
9. बाह्य अभिकरण द्वारा विभिन्न योजनाओं तथा आंकड़ों का मूल्यांकन।
10. महिला समुदाय स्वास्थ्य एवं सेवकों पर विचार करना।
11. गृह आधारित नवजात परिचर्या।

स्वास्थ्य और अन्य विभागों संबंधी सिफारिशों के बारे में संबंधित विभागों के साथ संयुक्त रूप से चर्चाएं की गई तथा इन सिफारिशों पर की-गई-कार्रवाई नीचे दिए अनुसार है:-

1. राजमाता जीजाऊ मातृ और शिशु स्वास्थ्य तथा पोषण मिशन गठित किया गया है (कुपोषण और नवजात मृत्यु दर पर ध्यान देने के लिए)।
2. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि की संख्या और उनका प्रशिक्षण बढ़ाने पर अमल किया जा रहा है।
3. स्थानांतरण नीति संबंधी सरकारी आदेशों को जारी किया गया है और उन्हें कार्यान्वित किया जा रहा है।
4. गर्भाधान पूर्व और प्रसव पूर्व नैदानिक तकनीक अधिनियम राज्य समुचित प्राधिकरण के साथ 1500 से अधिक समुचित प्राधिकरणों के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम का अनुवीक्षण किया जा रहा है। इस अधिनियम के अंतर्गत 6352 केन्द्र पंजीकृत किए गए हैं तथा 101 मामले अदालत में दायर किए गए हैं।
5. राज्य स्वास्थ्य शिक्षक ब्यूरो द्वारा तैयार स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री का उपयोग समुदायों में जागरूकता उत्पन्न करने में किया जा रहा है।
6. कीड़े निकालने और विटामिन-ए का अभियान राज्य में प्रत्येक 6 महीने पर चलाया जा रहा है।
7. शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य संबंधी पदों की संख्या में इजाफा किया जा रहा है और संविदा पर एएनएम की नियुक्ति की जा रही है।

8. राज्य के प्राय: सभी जिलों के लिए मदर गैर-सरकारी संगठनों का निर्धारण किया गया है और 7 जिलों के लिए सेवा गैर-सरकारी संगठनों को निर्धारित किया गया है जबकि शेष की नियुक्ति की जा रही है।

9. विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं का स्वतंत्र मूल्यांकन करने के लिए महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से परामर्श किया जा रहा है।

10. सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवक के स्थान पर 139 आरोग्य साखियां नियुक्त की गई है, महिला पद स्वयंसेविकाओं को जनजातीय क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया जा रहा है, 9000 आशाओं की नियुक्ति की जा रही है।

11. नवजात और शैशवकालीन बीमारी पहलों का समेकित प्रबंधन महाराष्ट्र राज्य में 15 जनजातीय और 8 गैर जनजातीय जिलों में नवजात रुग्णता दर तथा नवजात मृत्यु दर घटाने के मुख्य उपाय के रूप में कार्यान्वित किया जा रहा है।

[अनुवाद]

वन्यजीवों के परिरक्षण व संरक्षण हेतु पैकेज

2808. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वन और वन्यजीवों के परिरक्षण एवं संरक्षण हेतु विशेष सहायता प्राप्त करने हेतु राज्य सरकारों, विशेषकर केरल से प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्तावों की वर्तमान स्थिति क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी, हां। केरल सरकार द्वारा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा हेतु चालू वित्त वर्ष के दौरान विशेष सहायता प्राप्त करने के लिए भेजे गए प्रस्तावों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

क्र.सं.	प्रस्ताव	राशि (करोड़ रुपये)
1	2	3
1.	वायनाड वन्यजीव अभयारण्य में मानवीय बस्तियों के स्वैच्छिक अवस्थापना पर परियोजना	85.00
2.	पेरिया, कोट्टीयूर, पालाचुरम, नेलीयाड क्षेत्रों में हाथियों के लिए गलियारों हेतु भूमि अधिग्रहण परियोजना	7.89
3.	कैम्पा स्कीम के अंतर्गत पारि-स्थितिकीय रूप से फ्रेन्जाइल भू क्षेत्र और निजी क्षेत्रों के अधिग्रहण हेतु परियोजना	76.55
4.	समुद्री कछुओं और अन्य परि-संकटमय समुद्री जीवों के संरक्षण हेतु परियोजना	6.65
5.	मारायूर स्थित चंदन के पेड़ों की सुरक्षा और विकास हेतु परियोजना	35.52

ऐसे प्रस्तावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा तभी कार्रवाई की जाती है जब निधियां उपलब्ध हों और प्रस्ताव प्रचालित मार्गदर्शकों के अनुरूप हों तथा वे आवश्यक विधिक और प्रशासनिक अपेक्षाओं को पूरा करते हों।

[हिन्दी]

यौन संचारित रोगों (एस.टी.डी.) पर सेमिनार

2809. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में यौन संचारित रोगों से बचाव विषय पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय यौन संचारित रोग और एड्स अध्ययन एसोसिएशन, जो यौन संचारित रोग विशेषज्ञों का एक व्यावसायिक निकाय है, द्वारा अपनी एसोसिएशन के सदस्यों को अविच्छिन्न आयुर्विज्ञान शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से अक्तूबर, 2007 में एक सेमिनार आयोजित किया गया था।

[अनुवाद]

चीन के साथ समझौता

2810. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चीन के प्रधानमंत्री की भारत

यात्रा के दौरान भूकम्प अनुसंधान, आपदा प्रबंधन निवारण तथा ग्लोबल वार्मिंग आदि क्षेत्रों में भारत-चीन के बीच किए गए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी समझौते के अनुसरण में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): चीन के राष्ट्रपति हू जिनताओ की नवंबर, 2006 में भारत यात्रा के दौरान भारत और चीन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में भारत-चीन भगीदारी स्थापित करने और (1) भूकंप इंजीनियरी, (2) जलवायु परिवर्तन एवं मौसम पूर्वानुमान, (3) उन्नत सामग्रियों पर केंद्रित नैनो-टेक्नोलोजी, और (4) बायो-नैनो पर केंद्रित बायो-टेक्नोलोजी एवं मेडिसीन के क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाएं शुरू करने पर सहमत हुए। भारत और चीन के नोडल अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में संयुक्त परियोजनाओं का पता लगाने के लिए जनवरी, 2008 में बीजिंग में मुलाकात की। दोनों पक्ष विस्तृत परियोजना प्रस्ताव को तैयार करने और वर्ष के मध्य तक इस प्रक्रिया को पूरा करने के प्रस्ताव पर सहमत हुए जिससे कि इसका क्रियान्वयन शुरू किया जा सके।

दुर्घटना प्रवण राष्ट्रीय राजमार्ग

2811. डा. के. धनराजू: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वे राष्ट्रीय राजमार्ग दुर्घटना प्रवण हो गए हैं जहां सड़कों को चौड़ा कर इन्हें 4 लेन वाला तथा 6 लेन वाला बनाने का कार्य चल रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन खंडों पर दुर्घटना को रोकने के लिए समुचित निगरानी तंत्र है जहां चौड़ा करने का कार्य चल रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) यातायात की सुरक्षा को ध्यान में रखकर चौड़ीकरण कार्य के निष्पादन की योजना बनाई जाती है। निष्पादन एजेंसियों द्वारा सड़क चिह्नांकन की संस्थापना करना, डिलिनिएटरों का प्रावधान, यातायात बैरिकेड, सावधानी संकेतकों का प्रावधान आदि जैसे यातायात सुरक्षा उपाय किए जाते हैं। मंत्रालय का सड़क एवं पुल कार्य संबंधी विनिर्देश, 2001 (चौथा संशोधन), खंड 112 में निर्माण कार्य के दौरान यातायात प्रबंधन के लिए व्यापक व्यवस्था का प्रावधान है।

यमुना की सफाई के लिए अपरोधक एवं विपथन योजना

2812. श्री रेवती रमण सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के उद्देश्य से किसी अवरोधक एवं विपथन योजना के कार्यान्वयन का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप सफाई के किस स्तर को प्राप्त किए जाने की संभावना है;

(ग) प्रस्तावित योजना विगत में कार्यान्वित की गई योजनाओं से किस प्रकार भिन्न है;

(घ) उक्त योजना के कार्यान्वयन पर कितना व्यय होगा;

(ङ) क्या देश की शेष नदियों के लिए इसी प्रकार की कोई योजनाएं हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) जी, नहीं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार दिल्ली जल बोर्ड ने दिल्ली में तीन प्रमुख नालों नामशः नजफगढ़, सप्लीमेंटरी और शाहदरा से अशोधित सीवेज के प्रवाह को रोकने और यमुना में प्रवाहित करने से पहले इसके शोधन के लिए इंटरसेप्टर सीवर डालने की अवधारणा तैयार की है। दिल्ली जल बोर्ड के प्रमुख कार्यों में इंटर सेप्टर सीवर डालना, सीवेज शोधन संयंत्रों की मौजूदा क्षमता में वृद्धि और मौजूदा सीवेज शोधन संयंत्रों की उपयोगिता के पश्चात् अतिरिक्त सीवेज शोधन संयंत्रों का निर्माण शामिल है। प्रस्ताव में इस बात की सावधानी रखी गई है कि सीवर रहित क्षेत्रों से अशोधित सीवेज को शोधित करने के बाद ही यमुना नदी में प्रवाहित करने की अनुमति दी जाए। परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1300 करोड़ रु. है। यह विचार भारत सरकार के यमुना कार्य योजना के अंतर्गत चरणबद्ध रूप से कार्यान्वित कार्यों के समान है।

(ङ) और (च) केन्द्रीय प्रायोजित राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत देश की प्रमुख नदियों के पहचान किए गए प्रदूषित क्षेत्रों में जल गुणवत्ता में सुधार हेतु प्रदूषण उपशमन कार्य कार्यान्वित किए जाते है, इन कार्यों में अन्य बातों के साथ-साथ नदियों में प्रवाहित किए जा रहे अशोधित सीवेज का अवरोधन और दिशापरिवर्तन, दिशापरिवर्तन सीवेज के शोधन के लिए सीवेज शोधन संयंत्रों की स्थापना, अल्प लागत शौचालय सुविधाएं विकसित करना,

विद्युत/उन्नत काष्ठ शवदाहगृह की स्थापना और नदी तट विकास शामिल है। वर्तमान में, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना में 20 राज्यों में फैली 35 नदियों के प्रदूषित क्षेत्रों के किनारे के 164 शहरों में प्रदूषण उपशमन कार्य शामिल हैं। जिसकी अनुमोदित लागत 4863.75 करोड़ रुपए है।

[हिन्दी]

सी.जी.एच.एस. औषधालयों का कम्प्यूटरीकरण

2813. डा. शफीकुर्रहमान बर्क: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कम्प्यूटरीकृत किए गए सी.जी.एच.एस. औषधालयों की कुल संख्या कितनी है, और इनके नाम क्या हैं ये किन स्थानों पर अवस्थित हैं;

(ख) क्या इस प्रकार के कम्प्यूटरीकरण के परिणामस्वरूप रोगियों के उपचार में विलम्ब हो रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में मेडिकल एवं पैरामेडिकल कर्मचारियों को प्रदान किए गए प्रशिक्षण सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) अब तक दिल्ली में 83 औषधालयों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। तथापि, शुरू में मैनुअल से कम्प्यूटर प्रणाली में परिवर्तन करने के कारण कुछ थोड़े विलंब हो सकते हैं। केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के डाक्टरों को बुनियादी प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रत्येक औषधालय को औषधालय के स्टाफ को प्रशिक्षण देने तथा सहायता करने के लिए दो डाटा एंट्री आपरेटर भी उपलब्ध कराए गए हैं।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना, दिल्ली के अधीन कम्प्यूटरीकृत औषधालय

क्र.सं.	औषधालय का नाम	औषधालय का पता
1	2	3
1.	चाणक्यपुरी	डी-11/257, 259, विनय मार्ग, नई दिल्ली
2.	चित्रगुप्त रोड	सीजीएचएस बिल्डिंग, निकट आराम बाग, नई दिल्ली
3.		आईई-एसए, कस्तूरबा गांधी मार्ग, नई दिल्ली
4.	गोल मार्किट	सीजीएचएस बिल्डिंग, डीआईजेड एरिया, सेक्टर-2, गोल मार्किट, नई दिल्ली
5.	अलीगंज	सीजीएचएस बिल्डिंग, निकट लोधी रोड, नई दिल्ली
6.	लोधी रोड	ब्लाक 4-1, 3, 5, 7, लोधी रोड, नई दिल्ली
7.	मिन्टो रोड	न्यू मिन्टो रोड होस्टल, ब्लाक-I, मिन्टो रोड काम्प्लैक्स, नई दिल्ली-110002
8.	पंडारा रोड	डी-2/365-367, पंडारा रोड, नई दिल्ली
9.	पहाड़गंज	3 और 4, चित्रदुर्ग रोड, नई दिल्ली
10.	राष्ट्रपति सम्पदा	सीजीएचएस डिस्पेंसरी विंग
11.	टेलीग्राफ लेन	18-ई टेलीग्राफ लेन, नई दिल्ली
12.	डा. जाकिर हुसैन रोड	सीजीएचएस बिल्डिंग, डा. जाकिर हुसैन रोड, नई दिल्ली
13.	कालीबाड़ी	सीजीएचएस बिल्डिंग, कालीबाड़ी मार्ग, डीआईजेड एरिया, नई दिल्ली
14.	प्रगति विहार	सी.पी.डब्ल्यू.डी. काम्प्लैक्स, प्रगति विहार, नई दिल्ली
15.	नार्थ एवेन्यू	31, नार्थ एवेन्यू, नई दिल्ली-1
16.	साउथ एवेन्यू	153, साउथ एवेन्यू, नई दिल्ली-1
17.	चांदनी चौक	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 8, निकट मोती सिनेमा, चांदनी चौक, दिल्ली-6

1	2	3
18.	दरियागंज	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 28, गोलचा सिनेमा हाल के पीछे, दरियागंज, दिल्ली-02
19.	दिलशाद कालोनी	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, नं. 87, ई-13 और 14, एक्सप्रेस मार्किट, दिलशाद कालोनी, दिल्ली-51
20.	कृष्णा नगर	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, जी.के.जी. नं. 56, एच. नं. ए-1, कृष्णा नगर, दिल्ली-51
21.	किंग्सवे कैंप	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, केडब्ल्यूसी नं. 60, न्यू पुलिस लाइन, किंग्सवे कैंप, दिल्ली
22.	मयूर विहार	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 77, 264, ए, मयूर विहार, पाकेट-1, फेस-1, दिल्ली
23.	पुल बंगश	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 22, हाथीखाना, पुल बंगश, समीप आजाद मार्किट, दिल्ली-7
24.	राजपुर रोड	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 59, 5, राजपुर रोड, पुरानी पुलिस लेन, दिल्ली-54
25.	शाहदरा	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नं. 49, मानसरोवर पार्क, शाहदरा, दिल्ली-32
26.	शक्ति नगर	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, नं. 6, 23/1, शक्ति नगर, दिल्ली-7
27.	लैंसर रोड	सीजीएचएस जनरल हास्पिटल नं. 7, लैंसर रोड, दिल्ली
28.	भजन पुरा	सी-67, गली नं. 8, भजनपुरा, दिल्ली
29.	यमुना विहार	सी-4/73, यमुना विहार, नई दिल्ली
30.	लक्ष्मी विहार	सीजीएचएस बिल्डिंग, एच-ब्लाक, विकास मार्ग, लक्ष्मी नगर, नई दिल्ली
31.	अशोक विहार	1-97, अशोक विहार, फेस-1, दिल्ली-52
32.	दिल्ली कैंट	सीजीएचएस डिस्पेंसरी दिल्ली कैंट, निकट सदर बाजार
33.	देव नगर	ब्लाक नं. 12 मदर डेयरी बूथ, सीजीएचएस डिस्पेंसरी, देव नगर
34.	हरि नगर	सीजीएचएस हरि नगर, निकट डीटीसी डिपो, हरि नगर
35.	इन्द्रपुरी	फ्लैट नं. 647, 648, कृषि कुंज, इन्द्रपुरी
36.	जनकपुरी-1	सी-4, सीजीएचएस डिस्पेंसरी, जनकपुरी-1
37.	जनकपुरी-2	बी-1/20, जनकपुरी, नई दिल्ली-28
38.	करोल बाग	883, ईस्ट पार्क रोड, करोल बाग, नई दिल्ली
39.	नारायणा विहार	सी-ब्लाक निकट कम्यूनिटी सेंटर, नारायणा विहार
40.	न्यू राजिन्द्र नगर	सीजीएचएस डिस्पेंसरी बिल्डिंग, न्यू राजिन्द्र नगर
41.	नांगल राया	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नागल राया, डी ब्लाक, जनक पुरी
42.	ईस्ट पटेल नगर	11/14, ईस्ट पटेल नगर, नई दिल्ली
43.	वेस्ट पटेल नगर	11/26, वेस्ट पटेल नगर
44.	पूसा रोड	23, पूसा रोड, नई दिल्ली
45.	पालम कालोनी	सीजीएचएस डिस्पेंसरी पालम कालोनी, निकट सब्जी मंडी, मंगला पुरी
46.	पीतम पुरा	इंकम टेक्स कालोनी, पीतम पुरा
47.	पश्चिम विहार	क्वा. नं.-ए-1, ए-2, ए-8, पाकेट-3, पश्चिम विहार

1	2	3
48.	राजौरी गार्डन	सीजीएचएस डिस्पेंसरी हरि नगर, निकट डीटीसी डिपो, हरी नगर
49.	रोहिणी	सीजीएचएस डिस्पेंसरी नाहार पुर, सेक्टर-7, रोहिणी
50.	सुन्दर विहार	1/6, सुन्दर विहार, दिल्ली-57
51.	तिलक नगर	सीजीएचएस डिस्पेंसरी तिलक नगर, निकट सब्जी मंडी
52.	त्री नगर	बिल्डिंग नं. 564, गली नं. 37, ओंकार नगर, त्री नगर
53.	एन्ड्रयूज गंज	डी-2, 65 और 66, एन्ड्रयूज गंज, नई दिल्ली
54.	पुष्प विहार	ए-बी/125, 126, 126-सेक्टर-4, पुष्प विहार, नई दिल्ली
55.	हौज खास	सीजीएचएस डिस्पेंसरी बिल्डिंग, एसडीए, नई दिल्ली
56.	जंगपुरा	क्वा. नं. 46, 48, 50, 52, 56 ब्लाक नं. 8, जंगपुरा
57.	कालकाजी-1	सीजीएचएस मेटरनिटी सेंटर और डिस्पे., कालकाजी
58.	कालकाजी-2	क्वा. एलआईजी डीडीए, फ्लैट 38-बी, 42-43ए, 745ए, कालकाजी
59.	कस्तूरबा नगर-1	सीजीएचएस पालिक्लिनिक, कस्तूरबा नगर, नई दिल्ली
60.	कस्तूरबा नगर-2	आर. 525, 526, 529, 530, 533 कस्तूरबा नगर
61.	किदवई नगर	सीजीएचएस ओन बिल्डिंग, 61-63, किदवई नगर
62.	लक्ष्मीबाई नगर	सीजीएचएस डिस्पे. बिल्डिंग, निकट नवयुग स्कूल, लक्ष्मीबाई नगर, नई दिल्ली
63.	लाजपत नगर	सीजीएचएस डिस्पेंसरी बिल्डिंग, लाजपत नगर मार्किट, नई दिल्ली
64.	मोती बाग	सीजीएचएस ओन बिल्डिंग निकट बेगम जैदी मार्किट, मोती बाग, नई दिल्ली
65.	मुनिरका	डीडीए फ्लैट, जेएनयू केम्पस, मुनिरका
66.	एम.बी. रोड	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, सेक्टर-1, एम.बी. रोड
67.	मालवीय नगर	सीनियर सेकेन्डरी स्कूल, मालवीय नगर
68.	नेताजी नगर	सीजीएचएस डिस्पेंसरी बिल्डिंग, नेताजी नगर
69.	नौरोजी नगर	77, 79, 81, 83-ई, नौरोजी नगर
70.	नानकपुरा	सीजीएचएस डिस्पेंसरी बिल्डिंग, नानकपुरा
71.	आर.के. पुरम-1	क्वार्टर नं. 817-818, सेक्टर-4, आर.के. पुरम
72.	आर.के. पुरम-2	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, बिल्डिंग, आर.के. पुरम, सेक्टर-2, नई दिल्ली
73.	आर.के. पुरम-3	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, बिल्डिंग, आर.के. पुरम, सेक्टर-6, नई दिल्ली
74.	आर.के. पुरम-4	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, बिल्डिंग, सेक्टर-8, आर.के. पुरम
75.	आर.के. पुरम-5	क्वार्टर 810, 818-825, सेक्टर-12, आर.के. पुरम
76.	आर.के. पुरम-6	क्वार्टर नं. 833, 837, 839, सेक्टर-13, आर.के. पुरम, क्वार्टर नं. 817
77.	सरोजनी नगर-1	वाई-342-346, सरोजनी नगर
78.	सरोजनी नगर-2	आई-165, 67, 69, 171, सरोजनी नगर

1	2	3
79.	सरोजनी नगर मार्किट	जी-150, 152, 154, 156, सरोजनी नगर
80.	सादिक नगर	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, निकट जी.के.-1, नई दिल्ली
81.	श्रीनिवास पुरी	सीजीएचएस डिस्पेंसरी, बिल्डिंग, श्रीनिवास पुरी, नई दिल्ली
82.	फरीदाबाद	सेक्टर-4, एनआईटी, फरीदाबाद
83.	गुड़गांव	343/4, जैकबपुरा, न्यू रेलवे रोड, गुड़गांव

[अनुवाद]

आर.एन.टी.सी.पी. का कार्यान्वयन

2814. डा. आर. सेनथिल:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऐसे कई राज्य हैं जहां अन्य राज्यों की तुलना में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) का कार्यान्वयन अधिक कारगर ढंग से किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) देश के सभी राज्यों में संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन को सुचारू बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का देशभर के सभी राज्यों में समान रूप से कार्यान्वयन किया जा रहा है जैसा कि संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम के तकनीकी एवं प्रचालनात्मक दिशा निर्देशों में निर्धारित किया गया है। यह कार्यक्रम विगत वर्षों से 85% की रोग मुक्ति दर का वैश्विक लक्ष्य लगातार हासिल कर रहा है और 2007 में 70% की रोगी पहचान दर हासिल की गई है।

(ग) संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम का 100% केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है और समूचा देश इस कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत क्षयरोग रोधी औषधों की आपूर्ति सहित निदान एवं उपचार सुविधाएं सभी क्षयरोगियों को नि:शुल्क दी जाती है। गुणवत्तायुक्त निदान के लिए सामान्य क्षेत्रों में प्रति एक लाख जनसंख्या के लिए तथा जनजातीय, पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में प्रति 50,000 जनसंख्या के लिए नामोद्दिष्ट माइक्रोस्कोपी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। एक्स-रे के बजाय स्पूटम माइक्रोस्कोपी से अतिनिदान का परिहार होता है और संक्रमित रोगियों की पहचान हो जाती है। देश में 12000 से अधिक माइक्रोस्कोपी केन्द्रों की स्थापना की जा चुकी है। औषधें क्षयरोगियों को रोगीवार बक्सों में यह सुनिश्चित करने के लिए दी जाती हैं कि कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार के लिए रोगी के पंजीकृत होने के दिन ही उपचार का पूर्ण कोर्स निर्धारित हो जाए। उपचार केन्द्र (डाट केन्द्र) रोगियों के निवास स्थान के यथासंभव निकट स्थापित किए गए हैं। सभी सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र डाट केन्द्र हैं। इसके अलावा संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल गैर-सरकारी संगठन, निजी चिकित्सक, सामुदायिक स्वयंसेवक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, महिला स्व समूह इत्यादि भी डाट प्रदायक/डाट केन्द्रों के रूप में कार्य करते हैं। औषधें प्रत्यक्ष निगरानी में दी जाती हैं और रोगियों की मानीटरिंग की जाती है जिससे कि वे अपना उपचार पूरा करें।

कार्यक्रम को जनसंख्या के अपेक्षाकृत वृहत भागों तक अभिगम्य बनाने तथा इस दिशा में सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए इस कार्यक्रम में मेडिकल कालेजों, सभी जनरल अस्पतालों, निगमित अस्पतालों, निजी चिकित्सकों तथा गैर-सरकारी संगठनों को भी शामिल करने पर बल दिया जा रहा है।

सहायता प्राप्त विद्यालयों का प्रबंधन

2815. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों की नियुक्ति लोक सेवा आयोग को सौंपने तथा इन विद्यालयों के प्रबंधन में नागरिक संस्थाओं को केन्द्रीय भूमिका देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रशासनिक सुधार आयोग ने शिक्षकों के चयन को अधिक पारदर्शी बनाने और उन्हें स्थानीय समुदायों के प्रति जवाबदेह बनाने की भी सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (एआरसी) ने "स्थानीय अधिशासन-भविष्य में एक प्रेरक यात्रा" नामक अपनी छठी रिपोर्ट में यह सिफारिश की है कि शहरी स्थानीय निकायों में स्कूलों के लिये भर्ती गैर-जवाबदेह राज्य स्तरीय भर्ती से हटाकर किसी संस्था/समिति द्वारा की जानी चाहिए। यह रिपोर्ट सार्वजनिक सूचना के लिए http://www.arc.gov.in पर उपलब्ध है। इस रिपोर्ट की प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में भी रख दी गई हैं।

(घ) इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों पर सरकार द्वारा विचार करने एवं स्वीकृति देने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

सभी के लिए स्वास्थ्य

2816. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश को सभी के लिए स्वास्थ्य के अधिदेश को प्राप्त करने के लिए 13 लाख से अधिक स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकता है जैसा कि दिनांक 24 फरवरी, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सभी के लिए स्वास्थ्य को, कम से कम प्राथमिक एवं द्वितीयक स्तर पर, सुनिश्चित करने के लिए प्राइवेट एवं स्वयंसेवी एजेंसियों के पास यथेष्ट संसाधन एवं अवसंरचना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सभी के लिए स्वास्थ्य अधिदेश को प्राप्त करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की तृतीयक अवसंरचना के एक नेटवर्क के जरिए प्रदान की जाती है। मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 145272 उपकेन्द्र, 22370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 4045 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं।

मार्च, 2007 तक की स्थिति के अनुसार उपकेंद्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 21157 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (महिला)/सहायक नर्स धात्रियों, उप केन्द्रों में 77615 स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (पुरुष), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 7142 स्वास्थ्य सहायकों (महिला)/एलएचवी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 6261 स्वास्थ्य सहायकों (पुरुष), प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1410 डाक्टरों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 9455 विशेषज्ञों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 1398 रेडियोग्राफरों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 4910 फार्मासिस्टों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 9795 प्रयोगशाला तकनीशियनों तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में 17262 नर्सधात्रियों/स्टाफ नर्सों की कमी है।

(ङ) ये केन्द्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा चलाए जाते हैं और स्टाफ की भर्ती भी उनके द्वारा ही की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत स्टाफ की संविदात्मक नियुक्ति भवन के निर्माण एवं अवसंरचना सहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपनी आवश्यकता को अपनी वार्षिक एनआरएचएम कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में शामिल करें।

हाइड्रोजन चालित कारों पर अनुसंधान

2817. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर कारों के लिए हाइड्रोजन ईंधन सेल विकसित करने हेतु टाटा मोटर्स से कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके परिणामस्वरूप इसरो को क्या लाभ होगा; और

(घ) इस कार का उत्पादन कब तक किए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) गैसीय हाइड्रोजन का उपयोग करते हुए ईंधन सेल विकसित करने हेतु इसरो ने टाटा मोटर्स के साथ एक समझौता किया है।

(ख) हाइड्रोजन ईंधन के लिए उच्च-दाब भंडारण क्षमता और प्रवाह नियंत्रण एवं वितरण प्रणाली का डिजाइन एवं विकास इसरो की जिम्मेदारी है। इसरो राकेट नियंत्रण प्रणाली के विकास और सुरक्षा प्रणालियों के क्रियान्वयन में भी सहायता करेगी।

(ग) अंतरिक्ष के लिए विकसित उच्च प्रौद्योगिकी औद्योगिक/ वाणिज्यिक उपयोग हेतु उपलब्ध कराने के लिए इसरो के पास एक निर्धारित कार्यक्रम है। यह परियोजना एक ऐसा उदाहरण है जहां पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनुकूल मोटर कार तैयार करने हेतु स्वदेशी क्रायोजेनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है।

(घ) वर्ष 2009 के अंत तक ईंधन सेल बसों का सड़क पर प्रदर्शन निर्धारित है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय पार्कों आदि के लिए निधियों का पुन:वैधीकरण

2818. श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राष्ट्रीय पार्कों तथा अभयारण्यों के विकास के अंतर्गत उस राशि के पुन:वैधीकरण के लिए केन्द्र सरकार के पास एक प्रस्ताव भेजा है जिसका उपयोग निर्धारित समय-सीमा में नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उक्त राशि का पुन:वैधीकरण कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या कुछ निधियां अभी तक स्वीकृत एवं जारी नहीं की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इन निधियों को कब तक स्वीकृत एवं जारी किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी हां। चालू वित्तीय वर्ष 2007-08 के दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने "राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए सहायता" की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत वार्षिक योजनाओं सहित पूर्व वर्षों के अप्रयुक्त शेष धनराशि के पुन: वैधीकरण स्पिल ओवर निर्माण कार्यों के लिए प्रस्ताव भेजे गए थे। केन्द्रीय सरकार ने 2007-08 के दौरान स्कीम के अंतर्गत 1063.99 लाख रु. की राशि अनुमोदित की है (जिसमें राज्य पुन:वैधीकरण/ स्पिल ओवर निर्माण कार्यों के रूप में 213.518 लाख रु. की धनराशि शामिल है) जिसमें से राज्य सरकार को 787.254 लाख रु. जारी कर दिए गए हैं।

(घ) पुन:वैधीकरण के लिए कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

चिड़ियाघर में जानवरों की मृत्यु

2819. श्री शिशुपाल एन. पटले:
श्री देविदास पिंगले:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के मुख्य चिड़ियाघरों में जानवर मर रहे हैं जैसाकि दिनांक 4 मार्च, 2008 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष के दौरान आज की तिथि तक राष्ट्रीय चिड़ियाघरों में कुल कितने जानवरों की मृत्यु हुई और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान अभी तक आबंटित निधियों से जानवरों की नई प्रजातियों की खरीद सहित चिड़ियाघरों के विकास के लिए कितनी राशि खर्च की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली सहित चिड़ियाघरों में पशुओं की मौतें हुई हैं। राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली देश में एकमात्र राष्ट्रीय चिड़ियाघर है। चालू वर्ष (1.04.2007 से 12.03.2008 तक) राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में पशुओं की मौत का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) केन्द्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने चालू वर्ष के दौरान 13.3.2008 तक देश में चिड़ियाघरों के विकास के लिए 993.779 लाख रुपये की वित्तीय सहायता मुहैया की थी। केन्द्रीय चिड़ियाघर द्वारा नई प्रजातियों के पशुओं की खरीद के लिए कोई वित्तीय सहायता मुहैया नहीं कराई जाती है।

विवरण

राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली में पशुओं की मौत
(1 अप्रैल 2007 से 12 मार्च 2008 तक) मर्त्यता सूची

क्र.सं.	दिनांक	प्रजाति का नाम	लिंग	आयु	बीट सं.	मौत का कारण
1	2	3	4	5	6	7
रतनपोषी						
1.	15.04.2007	बियर स्लाथ	नर	ए	8	सिरोसिस लिवर
2.	18.04.2007	चम्पांजी (मोरिस)	नर	एसए	1	लू लगना
3.	25.04.2007	बक व्हाईट	नर	ए	14	मायोकारडिटिस
4.	30.04.2007	जंगली सुअर	नर	ए	17	अतिमाती सेप्टीसीमिया
5.	09.05.2007	संघाई हिरण	नर	ए	5	आपसी भिड़ंत, सदमा और मृत्यु
6.	19.05.2007	ब्लैक हिरण	मादा	ए	3	सिरोसिस लिवर
7.	20.06.2007	नीलगाय	मादा	ए	1	सिरोसिस लिवर
8.	29.07.2007	चौसिंघा	मादा	ए	18	सिरोसिस लिवर
9.	01.08.2007	जैकाल	नर	ए	12	सेप्टीसीमिया
10.	02.08.2007	ब्लैक बक	नर	ए	3	मल्टीऐपसेस आफ स्माल इनटैस्टाइन
11.	10.08.2007	एशियाई सिंह (मीरा)	मादा	एसए	अस्पताल	एक्यूट एनीमिया, पलमोनरी ओडेमा, लकवा और तनाव
12.	02.09.2007	भारतीय गैंडा	नर	ए	4	सांप के काटने से—टाक्सीमिया
13.	02.09.2007	जंगली सुअर	मादा	ए	17	टाक्सीमिया
14.	04.09.2007	बक व्हाईट	नर	ए	16	न्यूमोनाईटिस
15.	12.09.2007	चौसिंघा	नर	ए	18	डूबने से और एसपेक्सिया
16.	21.09.2007	बफेलो केप	नर	बछड़ा	17	तनाव और सदमा
17.	29.09.2007	भारतीय गैंडा	मादा	ए	4	ट्रोमेटिक पेरिकर्डिटिस
18.	07.10.2007	संघाई हिरण	नर	ए	5	पलमोनरी ओडेमा और सिरोसिस लिवर
19.	13.10.2007	बफेलो केप	मादा	ए	17	तनाव और सदमा
20.	06.11.2007	जैकाल	नर	ए	12	सिरोसिस लिवर और रोलीनिटी
21.	06.11.2007	संघाई हिरण	मादा	ए	5	तनाव और सदमा
22.	06.11.2007	संघाई हिरण	मादा	ए	5	तनाव और सदमा

1	2	3	4	5	6	7
23.	06.11.2007	संभाई हिरण	मादा	ए	5	तनाव और सदमा
24.	06.11.2007	संभाई हिरण	मादा	ए	5	तनाव और सदमा
25.	06.11.2007	संभाई हिरण	नर	ए	5	तनाव और सदमा
26.	06.11.2007	संभाई हिरण	नर	ए	5	तनाव और सदमा
27.	07.11.2007	संभाई हिरण	मादा	ए	5	तनाव और सदमा
28.	07.11.2007	संभाई हिरण	नर	ए	5	तनाव और सदमा
29.	07.11.2007	संभाई हिरण	नर	ए	5	तनाव और सदमा
30.	26.11.2007	बेलटेंग कैटेल	मादा	ए	2	हेपटोमेगेली और सेलीनिटी
31.	31.01.2008	लैग्यूर ग्रे.	मादा	ए	अस्पताल	स्पेलनोमेगेली
32.	11.03.2008	सांभर हिरण	मादा	ए	2	सिरोसिस लिवर-सेलेनिटी
33.	12.03.2008	सांभर हिरण	नर	ए	2	आपसी भिड़ंत, सदमा और मृत्यु
पक्षी						
34.	01.04.2007	फेजेन्ट सिल्वर	नर	ए	18	लिम्फोईड ल्यूकोसिस
35.	01.04.2007	फेजेन्ट सिल्वर	मादा	ए	18	एक्यूटड हेमरेज एन्टाईटिस
36.	04.04.2007	फेजेन्ट एडवार्डसी	मादा	ए	18	पल्मोनरी ओडेमा
37.	08.04.2007	स्टोर्क एडज्यूटेन्ट	नर	ए	5	मल्टीपल एक्सेस आफ लंग्स और लिवर (रोलेनिटी)
38.	15.04.2007	फेजेन्ट रिंग नेक्ड	मादा	ए	20	लिम्फोईड ल्यूकोसिस
39.	25.05.2007	पीफाऊल व्हाईट	नर	ए	अस्पताल	प्रिडेटर के काटने से
40.	28.05.2007	कोकाटेल	नर	ए	11	एक्यूट एन्टेरीटिस
41.	28.05.2007	कोकाटेल	मादा	ए	11	एक्यूट एन्टेरीटिस
42.	01.07.2007	फेजेन्ट सिल्वर	मादा	ए	18	लिम्फोईड ल्यूकोसिस
43.	01.07.2007	फेजेन्ट सिल्वर	मादा	ए	18	लिम्फोईड ल्यूकोसिस
44.	11.07.2007	पैटाकीट बी.एच.	नर	ए	19	एक्यूट एन्टेरीटिस
45.	18.07.2007	पैटाकीट आर.बी.	नर	ए	19	एक्यूट एन्टेरीटिस
46.	05.08.2007	ग्रश डब्ल्यू.टी. लाफटिंग	मादा	ए	19	मल्टीपल ऐबसिस आफ लिवर
47.	24.08.2007	फेजेन्ट चकोर	नर	ए	19	प्रिडेटर के काटने से
48.	24.11.2007	भारतीय लोरीकीट	मादा	ए	19	प्रिडेटर के काटने से

1	2	3	4	5	6	7
49.	26.12.2007	ग्रे हार्नबिल	मादा	ए	17	कोल्ड शाक और सेलेनिटी
50.	07.01.2008	पैराकीट एल आई	मादा	ए	19	कोल्ड शाक और सेलेनिटी
51.	21.02.2008	रिंग नेक्ड फेजेन्ट	मादा	ए	20	न्यूमोनीटिस
52.	06.03.2008	पैरट एकलेक्टस	मादा	ए	20	प्रिडेटर के काटने से
सरीसृप						
53.	29.01.2008	पायथन राक	मादा	ए	7	कोल्ड शाक और सेलेनिटी
54.	11.02.2008	पायथन राक	नर	बेबी	7	न्यूमोनाईटिस
55.	13.02.2008	स्टार कछुआ	नर	ए	7	ओडेमा लंग्स
56.	20.02.2008	क्रोकोडाईल	नर	ए	16	मल्टीपल ऐबसिस आफ लंग्स और लिवर (सेलीनिटी)
57.	21.02.2008	पायथान राक	नर	ए	7	सिरोसिस लिवर और न्यूमोईटिस
58.	23.02.2008	पायथान राक	नर	ए	7	न्यूमोनईटिस
59.	27.02.2008	पायथान राक	नर	ए	7	न्यूमोनईटिस
60.	23.02.2008	पायथान राक	मादा	ए	7	न्यूमोनईटिस
61.	03.03.2008	पायथान राक	मादा	ए	7	न्यूमोनईटिस

पुरानी मशीनों के रख-रखाव के लिए निविदा

2820. डॉ. मुनव्वर हसन: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एन.सी.एल.) में बेकार मशीनों के रखरखाव के लिए ठेका निविदाएं प्रदान किए जाने में किन्हीं अनियमितताओं का पता लगा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खान-वार, परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और ठेका निविदाओं की निबंधन एवं शर्तें क्या हैं;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान ऐसी मशीन पर कुल कितनी राशि व्यय की गई है;

(घ) चूककर्ता अधिकारियों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ङ) क्या नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. की कोयला खानों/परियोजनाओं में कोयला उत्पादन में कमी आई है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी खान-वार, परियोजना-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(छ) उत्पादन में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) से (घ) जी, नहीं। नार्दर्न कोलफील्ड्स लि. (एनसीएल) में बेकार मशीनों के रखरखाव के लिए ठेका निविदाएं अवार्ड करने में कोई अनियमितताएं नहीं पायी गई हैं।

(ङ) से (छ) जी, नहीं। वस्तुत: एनसीएल में प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्ष में कोयला उत्पादन में वृद्धि हुई है।

[अनुवाद]

अस्पतालों/औषधालयों द्वारा हड़ताल

2821. श्री एम. अप्पादुरई:
श्री मदन लाल शर्मा:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी तथा अन्यत्र सरकारी स्वामित्व वाले अस्पतालों/औषधालयों में चिकित्सकों तथा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा हड़तालों के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्राय: बाधित होती हैं और इसके कारण गरीब रोगियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष ऐसी हड़तालों का अस्पताल-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जहां तक राष्ट्रीय राजधानी में केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों/औषधालयों का संबंध है, डाक्टरों और स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा हड़ताल, यदि कोई हो, के कारण अस्पतालों/ औषधालयों की सेवाओं में कोई बाधा उत्पन्न नहीं हुई है क्योंकि इससे पैदा होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए केन्द्रीय सरकारी अस्पतालों में आकस्मिकता योजना है।

वन भूमि का अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग

2822. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर वन भूमि का उपयोग पवनचक्कियों की स्थापना के लिए किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है और प्रत्येक स्थान पर कितने भूमिक्षेत्र का उपयोग इतर प्रयोजनों के लिए किया गया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां। महाराष्ट्र में विभिन्न स्थानों पर पवन चक्कियां स्थापित करने के लिए अब तक 462.3196 हैक्टेयर वन भूमि क्षेत्र का दिशापरिवर्तन किया गया है। दिशापरिवर्तन किए गए वनभूमि के क्षेत्र सहित स्थलवार विवरण नीचे दिए अनुसार है:-

जिला का नाम	वनेतर वन भूमि (हैक्टेयर)
घुली	340.4600
अहमदनगर	77.1270
नासिक	18.2210
सांगली	21.6400
सतारा	4.8716
वनेतर की गई कुल वनभूमि	462.3196

[हिन्दी]

विदेशी मेडिकल डिग्रियों को मान्यता

2823. श्री कीरेन रिजीजू:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विदेशी मेडिकल डिग्रियों को मान्यता देने के संबंध में भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) से परामर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम, 1956 में विदेशी चिकित्सा डिग्रियों की मान्यता के संबंध में केन्द्र सरकार द्वारा कोई निर्णय लिए जाने से पूर्व पारस्परिकता की योजना के भीतर अथवा बाहर भारतीय चिकित्सा परिषद से सलाह-मशविरा करने की प्रक्रिया का प्रावधान है। तथापि, केन्द्र सरकार को भारतीय चिकित्सा परिषद की सिफारिशों पर विचार करते हुए अंतिम निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त है।

भारतीय चिकित्सा परिषद से विचार-विमर्श करने के उपरांत केन्द्र सरकार ने भारतीय नागरिकों को आस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैण्ड, यूनाइटिड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रदान की गई स्नातकोत्तर चिकित्सा अर्हताओं की मान्यता 10 मार्च, 2008 को अधिसूचित की है।

[अनुवाद]

कंटेनर प्रबंधन के लिए चेन्नई पत्तन पर मेगा टर्मिनल

2824. श्री एस.के. खारवेलथन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई पत्तन न्यास ने कंटेरन प्रबंध के लिए एक मेगा टर्मिनल की स्थापना का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी अनुमानित लागत एवं कंटेनर प्रबंध क्षमता कितनी होगी; और

(ग) इस टर्मिनल की स्थापना के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) से (ग) विकास की सतत प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में, चेन्नई पत्तन में बहुत बड़े कंटेनर पोतों को संभालने के लिए एक मेगा टर्मिनल निर्मित किए जाने की योजना है। यह परियोजना अवधारणा की अवस्था में है।

काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार

2825. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाघों की कम होती संख्या को ध्यान में रखते हुए एक विशेषज्ञ पैनल के कार्बी अंगलौंग हिल्स को बफर पर्यावास के रूप में शामिल कर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान के आकार में वृद्धि करने की सिफारिश की है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) इस संबंध में राज्य से सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

मेघालय में यूरेनियम भंडारों का खनन

2826. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मेघालय में किसी यूरेनियम खनन परियोजना पर कार्य कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसमें अभी तक कितनी प्रगति हुई है;

(ग) क्या यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया को उक्त खनन परियोजना को स्थापित करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) यूरेनियम कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड (यूसीआईएल), जोकि परमाणु ऊर्जा विभाग (डीएई) के अधीन एक सरकारी क्षेत्र का उपक्रम है, का 1047.32 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से, चरण-1 में, मेघालय में पश्चिमी खासी हिल्स जिले के किलेंग पेंडिंगसोहियांग मावथाबाह में एक खान और मिल स्थापित करने का विचार है। परियोजना-पूर्व के विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं और यह परियोजना, सभी सांविधिक अनुमतियों की प्राप्ति के बाद और सरकार द्वारा निवेश के मामले में निर्णय ले लिए जाने के बाद ही चालू होगी।

(ग) और (घ) जी, हां। कुछ गैर-सरकारी संस्थान और नाभिकीय-विरोधी सक्रियवादी, मेघालय में यूरेनियम के खनन का विरोध कर रहे हैं।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिशों के लिए प्राथमिकता

2827. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वैश्वीकरण के संदर्भ में शिक्षा प्रणाली के उन्नयन सहित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग (एन.के.सी.) की प्रमुख सिफारिशों को ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वित करने के लिए निर्धारित प्राथमिकता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में इसके कार्यान्वयन के विशेष संदर्भ सहित राष्ट्रीय ज्ञान आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की वर्ष-वार कार्यान्वयन स्थिति क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) सरकार को प्रस्तुत की गई एनकेसी की रिपोर्टों/ सिफारिशों की संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के परामर्श से जांच की जा रही है।

तितली उद्यान

2828. डा. के.एस. मनोज: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कोई तितली उद्यान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार विशेषकर अलप्पुझा, केरल में पाथिरमनल स्थित पक्षी अभयारण्य में तितली उद्यान स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, कर्नाटक में बंगलौर के निकट बन्नेरघाटा जैवीय उद्यान में तितली उद्यान है। इसी प्रकार केरल में थेनमाला स्थान पर थेनमाला पारिर्यटन संवर्धन समिति के अंतर्गत तितली सफारी है।

(ग) जी, नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भूटान में सीमेंट संयंत्र का निर्माण

2829. **श्री मिलिन्द देवरा:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत-भूटान सीमा पर भूटान में एक सीमेंट संयंत्र के निर्माण में सहायता का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(ग) उक्त परियोजना को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (घ) जी, हां। सरकार ने भारत-भूटान सीमा के नजदीक पूर्वी भूटान में नांग्लम में प्रतिवर्ष एक मिलियन टन (एमटी) की क्षमता वाले एक सीमेंट संयंत्र के निर्माण में सहायता देने और इससे संबंधित अवसंरचना का विकास करने का निर्णय लिया है। निर्माण आरंभ होने के बाद से इस परियोजना के पूरा होने की अनुमानित अवधि 27 माह की है और कुल अनुमानित लागत 400 करोड़ रु. है।

इस सीमेंट संयंत्र से आर्थिक अवसर उपलब्ध होंगे और सीमा के दोनों ओर रहने वाले लोगों को प्रत्यक्ष लाभ होगा। आंचली से गुजरने वाली नाग्लंम (भूटान) और पाठशाला (भारत) के बीच इस संपर्क सड़क से इस दूरवर्ती क्षेत्र तक संपर्क उन्नत होगा और इसे स्थानीय आर्थिक कार्यकलापों को बढ़ावा मिलने की आशा है।

सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम

2830. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में सार्वभौमिक प्रतिरक्षण कार्यक्रम के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो वे जिले कौन-कौन से हैं जहां उक्त कार्यक्रम का कार्य-निष्पादन असंतोषजनक पाया गया है;

(ग) वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है तथा इसमें राज्य-वार क्या उपलब्धियां रहीं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां।

(ख) जिला स्तरीय घरेलू सर्वेक्षण (डीएलएचएस)-II (2002-04) के अनुसार देश में सार्वभौमिक रोग प्रतिरक्षण का कवरेज 47.6 प्रतिशत है। डीएलएचएस-II के अनुसार राष्ट्रीय कवरेज से कम कवरेज वाले जिलों की सूची संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(घ) देश में व्यापक रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम को और सुदृढ़ करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

* राज्य तथा जिला स्तर पर मोबिलिटी सहायता प्रदान करते हुए पर्यवेक्षण और अनुवीक्षण को सुदृढ़ करना,
* पिछले स्टोरेज स्थल अर्थात् पीएचसी से सत्र-स्थल को वैक्सीन प्रदानगी सहायता,
* पिछले स्टोरेज स्थल अर्थात् पीएचसी से सत्र-स्थल को वैक्सीन प्रदानगी सहायता,
* आशा/संपर्क कार्यकर्ताओं द्वारा बच्चों को रोग प्रतिरक्षण सत्र स्थल पर जुटाना,
* मलिन बस्तियों और असेवित क्षेत्रों जहां सेवायें कम हैं, में रोग प्रतिरक्षण सेवाओं की आउटसोर्सिंग करके सेवायें प्रदान करना,
* राज्य स्तर पर जिला स्तर के अधिकारियों को समीक्षा बैठक हेतु सहायता प्रदान करना,
* राज्य एवं जिला स्तर पर कम्प्यूटर सहायता,
* कोल्ड चेन सुविधाओं को सुदृढ़ करना,
* पोषण एवं एएनसी इत्यादि जैसी अन्य सेवाओं के साथ रोग प्रतिरक्षण को एकीकृत करने के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य एवं पोषण दिवसों का आयोजन करना,
* निम्न निष्पादन वाले राज्यों में विशेष रोगप्रतिरक्षण सप्ताह/ कैच-अप राउंड का आयोजन करना।

विवरण I

जिला घरेलू सर्वेक्षण 2002-04 के अनुसार जिलों के नाम

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	जिला
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	महबूब नगर
2.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	अंडमान
3.	अरुणाचल प्रदेश	चांगलोंग
4.		डिबांग वैली
5.		ईस्ट कामेंग
6.		ईस्ट सियांग
7.		लोहित
8.		लोवर सुबानसिरी
9.		पापुम्परे
10.		तिराप
11.		अपर सियांग
12.		अपर सुबानसिरी
13.		वेस्ट कामेंग
14.		वेस्ट सियांग
15.	असम	बारपेटा
16.		बोंगईगांव
17.		कछार
18.		दरांग
19.		धेमाजी
20.		धुबरी
21.		डिब्रूगढ़
22.		गोलपारा
23.		गोलाघाट
24.		हैलाकांडी
25		जोरहाट
26.		कामरूप
27.		कारबी अंगलोंग
28.		करीमगंज
29.		कोकराझार
30.		लखीमपुर
31.		मरीगांव
32.		नौगांव
33.		नलबारी
34.		एन. कचार हिल्स
35.		सिबसागर
36.		सोनितपुर
37.		तिनसुकिया
38.	बिहार	अररिया
39.		औरंगाबाद
40.		बांका
41.		बेगुसराय
42.		भागलपुर
43.		भोजपुर
44.		बक्सर
45.		दरभंगा
46.		गया
47.		गोपालगंज
48.		जमुई
49.		जहानाबाद
50.		कमुर
51.		कटिहार
52.		खगरिया
53.		किशनगंज

1	2	3
54.		लखीसराय
55.		मधेपुरा
56.		मधुबनी
57.		मुंगेर
58.		मुजफ्फरपुर
59.		नालंदा
60.		नवादा
61.		चम्पारन वेस्ट
62.		पटना
63.		चम्पारन ईस्ट
64.		पूर्णिया
65.		रोहतास
66.		सहरसा
67.		समस्तीपुर
68.		सारन
69.		शेखपुरा
70.		सिहोर
71.		सीतामढ़ी
72.		सीवान
73.		सुपौल
74.		वैशाली
75.	छत्तीसगढ़	बस्तर
76.		राजनंदगांव
77.	नई दिल्ली	नई दिल्ली
78.		दक्षिण दिल्ली
79.	दमण व दीव	दमन
80.	गुजरात	बनासकांठा
81.		दाहोद (पंचमहल का भाग)
82.		पंचमहल
83.		साबरकांठा
84.		दि डांग्स
85.	हिमाचल प्रदेश	बिलासपुर
86.		लाहोल व स्पीति
87.	हरियाणा	गुड़गांव
88.		कैथल
89.	झारखंड	बोकारो
90.		चतरा
91.		देवघर
92.		दुमका
93.		गारवा
94.		गिरिडीह
95.		गोडा
96.		गुमला
97.		कोडरमा
98.		पाकुर
99.		पलामू
100.		सिंहभूम ईस्ट
101.		सिंहभूम वेस्ट
102.		साहिबगंज
103.	जम्मू-कश्मीर	अनन्तनाग
104.		बदगाम
105.		डोडा
106.		जम्मू
107.		कारगिल
108.		कठूआ
109.		कुपवाड़ा

1	2	3
110.		लेह
111.		पुलवामा
112.		पूंछ
113.		राजौरी
114.		श्रीनगर
115.		उधमपुर
116.	कर्नाटक	रायचूर
117.		चंदेल
118.		चुराचांदपुर
119.		सेनापति
120.		तामेंगलोंग
121.		थाऊबल
122.		उखरूल
123.		बरवानी
124.		बेतूल
125.		भिंड
126.		भोपाल
127.		छत्तरपुर
128.		छिन्दवाड़ा
129.		दमोह
130.		दतिया
131.		देवास
132.		धार
133.		दिन्दोरी
134.		ईस्ट निमार (खंडवा)
135.		गुना
136.		ग्वालियर

1	2	3
137.		हरदा
138.		झबुआ
139.		कटनी
140.		मन्दसौर
141.		मुरैना
142.		नीमच
143.		पन्ना
144.		रायसेन
145.		राजगढ़
146.		रतलाम
147.		रीवा
148.		सागर
149.		सतना
150.		सिहोर
151.		शहडोल
152.		शाजापुर
153.		सिहोर
154.		शिवपुरी
155.		सिधी
156.		टिकमगढ़
157.		उज्जैन
158.		उमरिया
159.		विदिशा
160.		वेस्ट निमार (खारगोन)
161.		गढ़चिरोली
162.	मेघालय	ईस्ट गारो हिल्स
163.		ईस्ट खासी हिल्स

1	2	3
164.		रिबोई
165.		साउथ गारो हिल्स
166.		वेस्ट गारो हिल्स
167.		वेस्ट खासी हिल्स
168.	मिजोरम	करमफाई
169.		कोलासिब
170.		लावनगटलई
171.		लुन्गलई
172.		मामिट
173.	नागालैंड	दिमापुर
174.		कोहिमा
175.		मोकोकचुंग
176.		मोन
177.		फेक
178.		तुएन्सेंग
179.		वोखा
180.		जुनबोटो
181.	उड़ीसा	गाजापटी
182.		जगतसिंहपुर
183.		जाजपुर
184.		क्योंझर
185.		कोरापुट
186.		मल्कानगिरी
187.		मयूरभंज
188.		नबरंगपुर
189.		नुउपाड़ा
190.	राजस्थान	अजमेर
191.		अलवर
192.		बनसवाडा
193.		बारन
194.		बारमेड़
195.		भरतपुर
196.		भिलवाड़ा
197.		बीकानेर
198.		बूंदी
199.		चित्तौड़गढ़
200.		चुरू
201.		दौसा
202.		धौलपुर
203.		डुंगरपुर
204.		गंगानगर
205.		हनुमानगढ़
206.		जयपुर
207.		जैसलमेर
208.		जालौर
209.		झालावार
210.		झुनझुनु
211.		जोधपुर
212.		करौली
213.		कोटा
214.		नागौर
215.		पाली
216.		राजसमंद
217.		सवाई माधोपुर
218.		सीकर
219.		सिरोही

1	2	3
220.		टोन्क
221.		उदयपुर
222.	सिक्किम	नार्थ सिक्किम
223.		साउथ सिक्किम
224.		वेस्ट सिक्किम
225.	त्रिपुरा	डलई
226.		त्रिपुरा नार्थ
227.		त्रिपुरा साउथ
228.		त्रिपुरा वेस्ट
229.	उत्तर प्रदेश	आगरा
230.		अलीगढ़
231.		इलाहाबाद
232.		अम्बेडकर नगर
233.		औरैया
234.		आजमगढ़
235.		बागपत
236.		बहराइच
237.		बलरामपुर
238.		बांदा
239.		बाराबंकी
240.		बरेली
241.		बस्ती
242.		बिजनौर
243.		बदाऊं
244.		बुलन्दशहर
245.		चन्दौली
246.		चित्रकूट
247.		इटा
248.		इटावा
249.		फैजाबाद
250.		फर्रुखाबाद
251.		फतेहपुर
252.		फिरोजाबाद
253.		गौतमबुद्ध नगर
254.		गाजियाबाद
255.		गाजीपुर
256.		गोन्डा
257.		गोरखपुर
258.		हमीरपुर
259.		हरदोई
260.		हाथरस
261.		जालौन
262.		जौनपुर
263.		झांसी
264.		ज्योतिबा फुले नगर
265.		कन्नौज (फर्रुखाबाद पार्ट)
266.		कानपुर (देहात)
267.		कौशाम्बी
268.		खेरी
269.		कुशीनगर
270.		ललितपुर
271.		महाराजगंज
272.		महोबा
273.		मैनपुरी
274.		मथुरा

1	2	3
275.		मऊ
276.		मेरठ
277.		मिर्जापुर
278.		मुरादाबाद
279.		मुजफ्फरनगर
280.		पीलीभीत
281.		प्रतापगढ़
282.		रायबरेली
283.		रामपुर
284.		सहारनपुर
285.		संत कबीर नगर
286.		संत रविदास नगर
287.		शाहजहांपुर
288.		श्रावस्ती
289.		सिद्धार्थ नगर
290.		सीतापुर
291.		सोनभद्र
292.		सुल्तानपुर
293.		उन्नाव
294.		वाराणसी
295.	उत्तरांचल	देहरादून
296.		हरिद्वार
297.		रूद्रप्रयाग (चमोली पार्ट)
298.		उधम सिंह नगर
299.		उत्तरकाशी
300.	पश्चिम बंगाल	बीरभूम
301.		मालदा
302.		मुर्शिदाबाद
303.		उत्तर दीनाजपुर

विवरण II

व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम लक्ष्य और कवरेज आंकड़ों में 2006-07

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टीटी (पीडब्ल्यू)			डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी और खसरे के लिए लक्ष्य (000 में)	डीपीटी		ओपीवी		बीसीजी		खसरा	
		लक्ष्य (000 में)	उपलब्धि	%		उपलब्धि	%	उपलब्धि	%	उपलब्धि	%	उपलब्धि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	1,816.1	1,716,644	94.5	1,553.6	1,494,431	96.2	1,493,526	96.1	1,518,969	97.8	1,452,752	93.5
2.	अंडमान व निकोबार	7.4	10,632	142.7	6.7	6,679	100.4	6,679	100.4	6,568	98.8	6,232	93.7
3.	अरुणाचल प्रदेश*	24.5	13,477	55.0	21.5	19,645	91.3	19,991	93.0	21,546	100.2	16,484	76.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	असम	846.4	653,037	77.2	717.9	621,530	86.6	638,247	88.9	701,002	97.6	612,855	85.4
5.	बिहार	3,102.1	1,007,516	32.5	2,650.9	1,889,836	71.3	1,844,224	69.6	2,158,430	81.4	1,711,708	64.6
6.	चण्डीगढ़	16.6	17,465	105.3	14.8	15,858	107.2	15,858	107.2	23,819	161.0	15,618	105.6
7.	छत्तीसगढ़*	638.9	667,678	104.5	540.2	605,886	112.2	607,775	112.5	619,464	114.7	601,794	111.4
8.	दादरा एवं नगर हवेली	8.4	8,352	99.8	7.2	7,778	108.1	7,778	108.1	8,640	120.1	7,099	98.7
9.	दमन एवं दीव	4.4	3,324	75.4	3.9	3,589	93.1	3,589	93.1	3,851	99.9	3,391	88.0
10.	दिल्ली	307.6	212,637	69.1	271.8	261,368	96.2	267,716	98.5	319,495	117.5	239,676	88.2
11.	गोवा	23.6	23,697	100.6	21.1	24,238	115.0	24,253	115.1	28,536	135.4	23,018	109.2
12.	गुजरात	1,495.8	1,303,309	87.1	1,282.3	1,211,932	94.5	1,207,836	94.2	1,258,339	98.1	1,171,354	91.3
13.	हरियाणा	672.9	580,326	86.2	575.7	570,643	99.1	570,092	99.0	597,600	103.8	543,969	94.5
14.	हिमाचल प्रदेश	146.6	135,639	92.5	126.7	129,173	101.9	129,140	101.9	133,212	105.1	126,284	99.7
15.	जम्मू-कश्मीर	238.9	262,763	110.0	207.7	292,888	141.0	292,888	141.0	314,245	151.3	265,826	128.0
16.	झारखण्ड	851.7	509,813	59.9	734.8	731,349	99.5	729,110	99.2	772,075	105.1	693,147	94.3
17.	कर्नाटक	1,355.9	1,152,213	85.0	1,168.6	1,091,237	93.4	1,094,307	93.6	1,120,134	95.9	1,042,765	89.2
18.	केरल	619.8	507,966	82.0	557.3	485,614	87.1	444,304	79.7	487,416	87.5	451,037	80.9
19.	लक्षद्वीप*	1.4	932	66.5	1.2	1,033	83.2	1,033	83.2	977	78.8	1,092	88.0
20.	मध्य प्रदेश	2,241.8	1,932,158	86.2	1,870.8	1,897,403	101.4	1,898,295	101.5	1,969,112	105.3	1,869,610	99.9
21.	महाराष्ट्र	2,293.2	1,723,124	75.1	1,997.1	1,586,315	79.4	1,595,884	79.9	1,664,981	83.4	1,516,299	75.9
22.	मणिपुर	43.9	13,867	31.6	39.3	16,106	41.0	16,416	41.8	21,378	54.4	21,184	53.9
23.	मेघालय*	67.7	43,214	63.8	58.1	65,886	113.5	65,185	112.3	77,715	133.8	58,883	101.4
24.	मिजोरम*	16.9	19,748	116.9	15.1	21,951	145.2	21,837	144.5	22,114	146.3	18,758	124.1
25.	नागालैंड*	58.7	28,614	48.8	50.1	22,973	45.8	24,610	49.1	25,513	50.9	30,466	60.8
26.	उड़ीसा	994.6	830,523	83.5	829.1	810,622	97.8	812,182	98.0	865,620	104.4	779,906	94.1
27.	पांडिचेरी	20.2	18,186	90.1	17.9	16,352	91.4	16,352	91.4	42,101	235.2	16,328	91.2
28.	पंजाब	592.6	524,858	88.6	512.3	530,326	103.5	537,564	104.9	536,302	104.7	503,062	98.2
29.	राजस्थान	2,104.3	1,838,974	87.4	1,769.5	1,690,237	95.5	1,692,103	95.6	1,750,064	98.9	1,654,771	93.5
30.	सिक्किम	14.1	9,618	68.4	12.4	11,056	89.4	11,036	89.2	11,421	92.3	10,636	86.0
31.	तमिलनाडु	1,320.7	1,229,479	93.1	1,149.0	1,130,245	98.4	1,130,483	98.4	1,130,783	98.4	1,120,967	97.6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.	त्रिपुरा	54.8	44,896	81.9	48.2	58,147	120.6	58,278	120.8	67,951	140.9	58,931	122.2
33.	उत्तर प्रदेश	6,398.5	5,174,507	80.9	5,374.7	5,457,184	101.5	5,457,890	101.5	5,646,385	105.1	5,103,901	95.0
34.	उत्तरांचल	175.3	226,848	129.4	152.8	222,690	145.7	222,690	145.7	229,762	150.3	211,311	138.3
35.	पश्चिम बंगाल	1,928.4	1,572,581	81.5	1,672.5	1,588,878	95.0	1,600,286	95.7	1,859,365	111.2	1,522,628	91.0
	रक्षा मंत्रालय	$$	53,107		$$	31,583		36,422		28,940		22,130	
	रेल मंत्रालय	$$	14,347		$$			24,341		18,966		16,895	
	कुल		24,086,068	79.0	26,032.8	24,645,555	94.7	24,620,200	94.6	26,062,792	100.1	23,522,768	90.4

$ अनंतिम

* अनुमानित

$$ अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

व्यापक प्रतिरक्षण कार्यक्रम लक्ष्य और कवरेज आंकड़ों में 2007-08 (अप्रैल से नवम्बर, 2007 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	टीटी (पीडब्ल्यू)			डीपीटी, ओपीवी, बीसीजी और खसरे के लिए लक्ष्य (000 में)	डीपीटी		ओपीवी		बीसीजी		खसरा	
		लक्ष्य (000 में)	उपलब्धि	%		उपलब्धि	%	उपलब्धि	%	उपलब्धि	%	उपलब्धि	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश	5.0	3,665	72.9	4.5	4,037	89.9	4,037	89.9	3,454	76.9	3,540	78.8
2.	अंडमान व निकोबार	1,139.8	1,117,742	98.1	975.0	1,000,571	102.6	1,000,861	102.7	1,020,564	104.7	973,574	99.9
3.	अरुणाचल प्रदेश*	18.6	6,024	32.4	16.3	7,639	47.0	7,701	47.4	8,950	55.1	7,854	48.3
4.	असम	546.9	383,880	70.2	464.3	375,847	80.9	352,188	75.8	419,769	90.4	349,853	75.3
5.	बिहार	2,067.5	533,236	25.8	1,764.9	753,882	42.7	626,409	35.5	798,138	45.2	735,949	41.7
6.	चण्डीगढ़	12.3	11,963	97.0	11.0	10,425	95.0	10,425	95.0	15,633	142.5	11,791	107.5
7.	छत्तीसगढ़*	471.9	407,615	86.4	403.2	368,454	91.4	368,542	91.4	389,298	96.5	394,772	97.9
8.	दादरा एवं नगर हवेली	5.5	5,139	94.3	4.7	4,726	100.1	4,726	100.1	5,197	110.1	4,394	93.1
9.	दमन एवं दीव	2.7	1,864	69.0	2.4	2,117	89.7	2,117	89.7	2,293	97.2	1,933	81.9
10.	दिल्ली	225.0	171,985	76.4	198.0	156,237	78.9	158,737	80.2	200,982	101.5	162,355	82.0
11.	गोवा	16.1	16,014	99.8	14.3	15,523	108.2	15,542	108.4	18,578	129.6	15,449	107.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12.	गुजरात	999.7	787,644	78.8	860.6	733,072	85.2	702,932	81.7	766,832	89.1	728,716	84.7
13.	हरियाणा	434.9	388,484	89.3	371.2	362,576	97.7	361,952	97.5	393,518	106.0	366,313	98.7
14.	हिमाचल प्रदेश	91.9	87,277	95.0	79.3	83,551	105.4	83,543	105.4	87,494	110.3	84,423	106.5
15.	जम्मू-कश्मीर	165.3	159,861	96.7	142.9	189,575	132.7	189,575	132.7	200,065	140.0	178,116	124.7
16.	झारखण्ड	572.4	322,099	56.3	494.8	432,200	87.3	428,501	86.6	488,023	98.6	430,407	87.0
17.	कर्नाटक	876.2	758,737	86.6	757.6	717,358	94.7	717,478	94.7	738,141	97.4	688,613	90.9
18.	केरल	379.6	279,072	73.5	341.0	308,983	90.6	308,479	90.5	322,992	94.7	280,532	82.3
19.	लक्षद्वीप*	0.9	621	66.1	0.8	689	83.0	689	83.0	652	78.5	728	87.7
20.	मध्य प्रदेश	1,502.3	1,287,952	85.7	1,257.8	1,154,914	91.8	1,58,773	92.1	1,290,515	102.6	1,185,350	94.2
21.	महाराष्ट्र	1,487.3	979,906	65.9	1,303.4	1,166,874	89.5	1,127,260	86.5	1,267,922	97.3	1,154,891	88.6
22.	मणिपुर	26.6	12,364	46.6	23.8	14,291	60.0	14,473	60.8	18,152	76.2	17,007	71.4
23.	मेघालय*	46.7	42,691	91.5	40.2	37,512	93.4	36,504	90.9	45,436	113.2	31,287	77.9
24.	मिजोरम*	13.7	13,671	100.1	12.2	13,381	109.9	12,832	105.4	13,952	114.5	13,451	110.4
25.	नागालैंड*	22.1	17,944	81.1	19.8	20,211	102.2	20,333	102.8	20,484	103.6	18,748	94.8
26.	उड़ीसा	661.6	517,036	78.2	555.1	517,856	93.3	516,061	93.0	549,458	99.0	502,572	90.5
27.	पांडिचेरी	13.3	13,485	101.8	11.8	10,805	91.9	10,805	91.9	32,185	273.7	11,042	93.9
28.	पंजाब	362.7	313,233	86.4	314.9	327,109	103.9	327,109	103.9	335,912	106.7	305,822	97.1
29.	राजस्थान	1,366.3	1,160,668	85.0	1,158.8	1,042,312	89.9	1,039,118	89.7	1,157,172	99.9	1,030,496	88.9
30.	सिक्किम	8.5	6,372	75.4	7.4	6,931	93.2	6,930	93.1	7,328	98.5	7,226	97.1
31.	तमिलनाडु	829.6	828,059	99.8	723.2	758,491	104.9	758,239	104.8	759,590	105.0	751,776	103.9
32.	त्रिपुरा	38.3	31,364	81.9	33.7	34,072	101.1	32,886	97.6	39,015	115.7	33,997	100.9
33.	उत्तर प्रदेश	4,278.6	3,145,562	73.5	3,609.6	3,143,609	87.1	2,940,157	81.5	3,618,551	100.2	3,084,897	85.5
34.	उत्तरांचल	141.6	144,664	102.2	123.3	134,411	109.0	134,411	109.0	148,195	120.2	124,066	100.6
35.	पश्चिम बंगाल	1,237.0	998,150	80.7	1,079.6	992,536	91.9	916,125	84.9	1,146,925	106.2	994,250	92.1
	रक्षा मंत्रालय	$$	29,126	80.7	$$	41,681		31,758		23,281		18,572	
	रेल मंत्रालय	$$	9,525	80.7	$$			26,165		11,848		10,891	
	कुल		14,994,685	74.7	17,181.4	14,967,159.0	87.1	14,454,372	84.1	16,366,593	95.3	14,715,653	85.6

$ अनंतिम

* अनुमानित

$$ अलग से कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विदेश जाने वाले भारतीय कामगार

2831. श्री किन्जरपु येरननायडु:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान विदेश जाने वाले भारतीय कामगारों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या बड़ी संख्या में ऐसे लोग वैध वीजा तथा सभी औपचारिकताएं पूरी किए बिना विदेश गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) ऐसे लोगों को क्या सहायता प्रदान की गई है/प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) उत्प्रवास जांच अपेक्षित श्रेणी का पासपोर्ट धारक कोई उत्प्रवासी कामगार जो रोजगार के लिए उत्प्रवास जांच अपेक्षित वाले किसी देश में जा रहा है, उसे उत्प्रवास अधिनियम, 1983 के अंतर्गत इस मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालयों से उत्प्रवास स्वीकृति लेनी होती है। वर्ष 2006 और 2007 के दौरान उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालयों द्वारा उत्प्रवासी कामगारों, जिन्हें उत्प्रवास स्वीकृति दी गई है, की संख्या को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

(ख) से (घ) यात्रा/स्थानान्तरण वीजा पर विदेश जाने वाले और उस देश में रोजगार करने वाले कामगारों के मामले समय-समय पर इस मंत्रालय और भारतीय मिशनों के ध्यान में आते हैं। जब कभी ऐसे मामलों की सूचना मिलती है, मिशन कामगारों की परेशानियों को हल करने के लिए वहां की स्थानीय सरकार के साथ मामले को उठाते हैं और ऐसे कामगारों को वापस भारत भेजने के लिए सभी सहायता देते हैं।

खाड़ी देश समय-समय पर अवैध उत्प्रवासियों के लिए क्षमादान की घोषणा करते हैं जिसमें वे या तो वहां रहने को विनियमित करा सकते हैं अथवा बिना किसी दंड के देश छोड़ सकते हैं। ऐसे क्षमादान की घोषणा के बाद भारतीय मिशन ऐसे कामगारों के या तो वहां रहने को विनियमित कराने अथवा उनके वापस भारत लौटने के लिए आपात प्रमाण-पत्र जारी कराने के लिए मामले को स्थानीय प्राधिकारियों के साथ उठाते हैं। यह मंत्रालय उनकी सुरक्षित भारत वापसी को सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय और नागर विमानन मंत्रालय के साथ समन्वय करता है।

विवरण

2006 और 2007 के दौरान उत्प्रवास संरक्षी के कार्यालयों द्वारा उत्प्रवास जांच अपेक्षित स्वीकृति दिए गए भारतीय उत्प्रवासी कामगारों की संख्या

क्र.सं.	देश का नाम	2006	2007
1.	संयुक्त अरब अमीरात	254774	312695
2.	सऊदी अरब	134059	195437
3.	मलेशिया	36500	30916
4.	कतार	76324	88483
5.	ओमान	67992	95462
6.	कुवैत	47449	48467
7.	बहरीन	37688	29966
8.	मालदीव	4671	शून्य
9.	मारिशस	1795	शून्य
10.	जोर्डन	1485	1254
11.	लीबिया	–	3223
12.	अन्य	14175	3550
	कुल	676912	809453

[हिन्दी]

ग्रामीण व्यक्तियों हेतु अपर्याप्त भोजन

2832. श्री रामजीलाल सुमन:
श्री सूरज सिंह:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन की रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम बंगाल और असम की लगभग 10.6% ग्रामीण जनसंख्या को पर्याप्त भोजन उपलब्ध नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार का इस संबंध में कौन-कौन सी विशेष योजनाएं आरंभ करने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) राष्ट्रीय प्रतिदर्श संगठन ने अपनी रिपोर्ट संख्या 512 (एनएसएस का 61वां दौर) में उल्लेख किया है कि बंगाल और असम के वर्ष के कुछ महीनों में प्रतिदिन पर्याप्त भोजन न प्राप्त करने वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 10.6% और 1.7% है। पश्चिम बंगाल और असम में वर्ष के किसी भी माह में प्रतिदिन पर्याप्त भोजन न प्राप्त करने वाले ग्रामीण परिवारों का प्रतिशत क्रमशः 1.3% और 3.6% है।

(ख) और (ग) सरकार पश्चिम बंगाल और असम राज्यों सहित देश में गरीब परिवारों को सब्सिडी प्राप्त कीमतों पर गेहूं और चावल के वितरण हेतु अनेक कल्याण स्कीमें जैसे लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) कार्यान्वित कर रही है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2008-09 में अन्य बातों के साथ-साथ घोषणा की है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के अंतर्गत अगले वर्ष खाद्य सब्सिडी हेतु 32,667 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध कराई जा रही है। टीपीडीएस के अंतर्गत चावल और गेहूं के केन्द्र द्वारा निर्धारित मूल्यों को जुलाई, 2000 से संशोधित नहीं किया गया है। अंत्योदय अन्न योजना गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में से लगभग 2.42 करोड़ निर्धनतम परिवारों को कवर करती है और उनके लिए केन्द्र द्वारा निर्धारित मूल्य चावल के लिए 3 रुपए प्रति किलो और गेहूं के लिए 2 रु. प्रति किलो है। सरकार भुखमरी और गरीबी उन्मूलन के लिए भी अनेक कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। इससे संबंधित प्रमुख कार्यक्रमों में शामिल हैं—संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (एसजीआरवाई), स्वर्णजयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीपी), इसके अतिरिक्त सरकार लोगों की पोषण संबंधी स्थिति को सुधारने के लिए लक्षित जनसंख्या के 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों व गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली माताओं की पोषण आवश्यकता को पूरा करने के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) और मिड-डे-मील स्कीम जैसे कार्यक्रम क्रियान्वित कर रही है। ये कार्यक्रम राज्य सरकारों के सहयोग से कार्यान्वित किए जा रहे हैं।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को प्राथमिकता के आधार पर कोयला खानों का आवंटन

2833. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोयला खानों के आवंटन हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को वरीयता तथा रियायत देने का कोई प्रावधान है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता के आधार पर अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को कितनी कोयला खानें आवंटित की गईं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार तथा विशेषकर छत्तीसगढ़ का ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) समय-समय पर यथासंशोधित कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 के अनुसार, कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 3 में यथापरिभाषित तथा विद्युत उत्पादन, इस्पात उत्पादन, सीमेंट उत्पादन, कोयला गैसीकरण और कोयला द्रवीकरण जैसे विनिर्दिष्ट अन्य उपयोगों में लगी कोई कंपनी ही कोयले का कैप्टिव खनन करने के लिए पात्र है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त भाग (क) और (ख) में दिए गए उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जातियों के लिए पद

2834. श्री रामदास आठवले: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी कार्यालयों में अनुसूचित जातियों हेतु वर्षों से रिक्त पड़े आरक्षित पदों को भरने का कोई प्रयास किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की बैकलाग आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए 2004 में एक विशेष भर्ती अभियान चलाया था। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार, मंत्रालयों/विभागों और उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों/स्वायत्त निकायों में अनुसूचित जातियों की बैकलाग आरक्षित रिक्तियां कुल 30,011 थीं जिनमें से 26,776 रिक्तियों को भर्ती अभियान चलाकर भर लिया गया है।

[अनुवाद]

चिकित्सा उपकरणों के बिक्री मूल्य में भिन्नता

2835. श्री रवेश दूबे: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में स्टेंट्स, केथेटर्स, हार्ट वाल्वस और आर्थोपेडिक इम्प्लान्ट्स जैसे चिकित्सा उपकरण मूल्यों में भारी भिन्नता के साथ बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन अति आवश्यक उपकरणों को तोल-मोल के दायरे में लाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा फरवरी, 2007 में दी गई सूचना के अनुसार, सरकार ने एक संदर्भ मूल्य निर्धारण/मूल्य परक्रामण/विभेदक मूल्य प्रणाली जिसे भारत में पेटेंट की गई औषधों और चिकित्सीय युक्तियों पर उनके विपणन को अनुमोदित करने से पूर्व लागू किया जा सकता है, की जांच करने और उसका प्रस्ताव करने हेतु पेटेंट की गई औषधों के मूल्य परक्रामण संबंधी एक समिति गठित की है। इस समिति ने सरकार को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत नहीं की हैं।

शिक्षा क्षेत्र हेतु आवंटन

2836. श्री इकबाल अहमद सरडगी:
डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने शिक्षा पर दसवीं योजना में खर्च की गई लगभग 9% राशि की तुलना में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के कुल बजट की लगभग 20 प्रतिशत राशि खर्च करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या विद्यमान शैक्षणिक संस्थाएं इतनी धनराशि को खर्च करने के लिए पर्याप्त रूप से तैयार हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) वर्ष 2008-09 के दौरान कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई; और

(ङ) शिक्षा प्रणाली की तत्काल बेहतरी हेतु इस धनराशि के उपयोग के लिए सरकार का क्या ठोस उपाय करने का प्रस्ताव है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल अनुमानित 14,21,711 करोड़ रुपये (वर्ष 2006-07 की कीमतों पर) के योजना परिव्यय में से शिक्षा क्षेत्र के लिए 2,74,228 करोड़ रुपये आवंटित किए जाने का अनुमान है जो कुल परिव्यय का 19.29 प्रतिशत है।

(ख), (ग) और (ङ) उपयुक्त कार्यक्रमों और स्कीमों को बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के परामर्श से आवश्यक कार्रवाई की गई है।

(घ) वर्ष 2008-09 के योजना के दौरान मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग और उच्च शिक्षा विभाग के लिए 34,400 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

चिकित्सा महाविद्यालयों की समीक्षा

2837. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर आंध्र प्रदेश में चिकित्सा महाविद्यालयों की संख्या की समीक्षा हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत और अमेरिका के बीच सहयोग

2838. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र के लाभ उठाने हेतु स्वास्थ्य परिचर्या के क्षेत्रों में सहयोग के लिए अमरीका से चर्चा की है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला;

(ग) क्या भारत बुनियादी तथा नैदानिक विज्ञानों में अनुसंधान के मामले में सुदृढ़ नहीं है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस क्षमता में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्वास्थ्य परिचर्या में सहयोग के क्षेत्रों पर चर्चा की है और तत्पश्चात् विभिन्न भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगी प्रयासों के लिए अनेक समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसे करारों तथा सहयोग क्षेत्रों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) भारत ने बुनियादी एवं नैदानिक अनुसंधान में अवसंरचना एवं सुविधा का विकास किया है। तथापि, स्वास्थ्य अनुसंधान में अनेक क्षेत्र हैं जिन्हें जटिल प्रौद्योगिकियां एवं बहुविषयक भागीदारी द्वारा चिन्हित किया जाता है। कुछ क्षेत्रों में जहां संयुक्त राज्य अमेरिका को भारत से अधिक अनुभव है, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय प्रयोगशालाओं में अनुसंधान स्टाफ के प्रशिक्षण के जरिए संयुक्त सहयोग संबंधी बल प्रौद्योगिकी के अंतरण पर दिया जाता है जो तत्पश्चात भारत में उपलब्ध अवसंरचना का प्रयोग करते हुए इस प्रशिक्षण का कार्यान्वयन करेंगे।

विभिन्न भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका सहयोगी अनुसंधान कार्यकलापों के अंतर्गत भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न कार्यनीतियां जैसे प्रकट होने तथा पुनः प्रकट होने वाले रोगों के क्षेत्र में क्षमता निर्माण, एचआईवी वैक्सीन का विकास, कालाजार को नियंत्रित करना, मानव इन्फ्लुएंजा की निगरानी के लिए नेटवर्क का विकास, रोटा-वाइरस तथा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी विकसित करने हेतु भारत सरकार की सहायता करने के लिए अध्ययन और प्रयास कर रही है। सेन्टर फार डिजीज कन्ट्रोल एण्ड प्रिवेंशन (सीडीसी), यूएसए जैसे अभिकरण तथा भारतीय अभिकरण अर्थात् राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान और भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद सहयोग से अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए रोग निगरानी कार्यकलापों के नेटवर्क में भागीदारी करेंगे।

विवरण

भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच स्वास्थ्य परिचर्या में सहयोग के क्षेत्रों का ब्यौरा

भारत सरकार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार के बीच निम्नलिखित क्षेत्रों में चार भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त विवरणों पर हस्ताक्षर किए गए:

(1) यौन संचारित रोग और एचआईवी/एड्स की रोकथाम के संबंध में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त विवरण।

(2) मातृ एवं बाल स्वास्थ्य तथा मानव विकास अनुसंधान के संबंध में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त विवरण।

(3) पर्यावरणिक तथा व्यावसायिक स्वास्थ्य के संबंध में भारत-संयुक्त राज्य संयुक्त विवरण।

(4) प्रकट होने तथा पुनः प्रकट होने वाले संक्रमण एवं रोग निगरानी के संबंध में भारत-संयुक्त राज्य अमेरिका संयुक्त घोषणा-पत्र।

उपर्युक्त के अलावा, दोनों देशों के अभिकरणों/संगठनों के बीच अनुसंधान कार्यकलापों के निम्नलिखित क्षेत्रों में निम्नलिखित समझौता ज्ञापनों/करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं:-

(1) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आईसीएमआर तथा आईएवीए के बीच एचआईवी/एड्स के लिए त्रिपक्षीय करार।

(2) माइक्रोबिसाइड अनुसंधान के लिए आईसीएमआर-सीओएनआरएडी समझौता ज्ञापन।

(3) नई दिल्ली में स्थापित जैव चिकित्सा अनुसंधान पर आईसीएमआर-एनआईएच नीतिगत फोरम।

(4) स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्रों जैसे क्षेत्र जानपादिक रोग विज्ञान, हृदवाहिका चिकित्सा, कैंसर, मोटापा, मधुमेह, इत्यादि में साथ-साथ कार्य करने के लिए आईसीएमआर, नई दिल्ली तथा यूनिवर्सिटी आफ मिनेसोटा, यूएसए के बीच समझौता ज्ञापन।

(5) नैदानिक, ट्रांसलेशन अनुसंधान, बुनियादी तथा मौलिक स्वास्थ्य संबंधी विज्ञानों के अभिज्ञात क्षेत्रों में साथ-साथ कार्य करने के लिए आईसीएमआर तथा कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी, लास एजेल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच समझौता ज्ञापन।

(6) पारस्परिक हित के क्षेत्रों में जैसे प्रकट होने वाले संक्रामक रोगों तथा जन स्वास्थ्य में समझौता ज्ञापन विकसित करने के लिए आईसीएमआर तथा बोस्टन यूनिवर्सिटी के बीच आशय-पत्र।

छोटे पत्तनों की रेल-सड़क कनैक्टिविटी

2839. श्री पी.सी. थामस: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न समुद्र तटीय राज्यों से एन.एच.डी.पी. के अंतर्गत छोटे पत्तनों की सड़क तथा रेल कनैक्टिविटी हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) इस प्रस्तावित परियोजना पर कितना व्यय किए जाने का अनुमान है; और

(ङ) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु धनराशि

2840. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) इस योजना के दौरान जारी तथा खर्च की गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है तथा इसके परिणामस्वरूप कितनी सफलता प्राप्त हुई है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में परिवार कल्याण कार्यक्रमों हेतु कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ग) दसवीं योजना में, 26126 करोड़ रुपये का आबंटन परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रमों के लिए 81411.92 करोड़ रुपये का आवंटन है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

ओक्यूलर बीमारी की रोकथाम

2841. श्रीमती मनोरमा माधवराज:
श्री एम. शिवन्ना:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ओक्यूलर बीमारी का इलाज अभी तक परंपरागत साधनों से किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) वर्ष 2010 तक देश में नेत्रहीन व्यक्तियों की संख्या में कितनी वृद्धि होने की संभावना है; और

(घ) अपनी दृष्टि/आंखों की निगरानी पुन: प्राप्त करने के लिए नेत्रहीन व्यक्तियों का उपचार करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए हैं और उसके परिणामस्वरूप कितनी प्रगति हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) मोतियाबिन्द सहित सभी नेत्र रोगों का उपचार नेत्रपरिचर्या के क्षेत्र में उपलब्ध आधुनिक तकनीक के जरिए किया जा रहा है। देश में मोतियाबिन्द की 90% से अधिक शल्य क्रियाएं आईओएल प्रतिरोपण तकनीक के जरिए की जा रही है।

(ग) देश में लगभग 12 मिलियन दृष्टिहीन व्यक्ति हैं। मोतियाबिन्द दृष्टिहीनता का प्रमुख कारण है जो देश की 50+ आबादी में लगभग 62.6% दृष्टिहीनता के लिए जिम्मेदार है। मोतियाबिन्द उम्र से जुड़ी व्याधि है और बढ़ी हुई जीवन-प्रत्याशा को देखते हुए देश में दृष्टिहीनों की संख्या के वर्ष 2010 तक बढ़ जाने की संभावना है।

(घ) राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत दृष्टिहीन व्यक्तियों का दृष्टिहीनता को नियंत्रित करने हेतु ज्योति/नजर को पुन: प्राप्त करने के लिए उपचार करने हेतु निम्नलिखित प्रयास/उपाय किए जा रहे हैं:-

1. जरूरतमन्द व्यक्तियों को प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक स्तरों पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों, मेडिकल कालेजों और क्षेत्रीय नेत्रविज्ञान संस्थानों के जरिए नेत्र परिचर्या सुविधाएं प्रदान करना।
2. सरकारी/स्वैच्छिक क्षेत्रक नेत्र बैंकों का सुदृढ़ीकरण।
3. गैर-सरकारी संगठनों को नेत्र परिचर्या की वर्तमान अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण हेतु वित्तीय सहायता देना।
4. अपवर्तक दोषों की पहचान के लिए स्कूली बच्चों की जांच करना तथा गरीबों को मुफ्त चश्मे देना।
5. बाल चिकित्सा नेत्र एककों/कम ज्योति एककों/रेटिना एककों और प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना के विकास के

वास्ते सहायता प्रदान करके क्षेत्रीय नेत्र विज्ञान संस्थानों और मेडिकल कालेजों का सुदृढ़ीकरण करना।

6. गुणवत्ता वाली नेत्र परिचर्या के लिए नेत्रविज्ञान की विभिन्न विशेषताओं में सरकारी अस्पतालों/मेडिकल कालेजों के नेत्रशल्यचिकित्सकों को प्रशिक्षण देना।

7. नेत्रपरिचर्या क्रियाकलापों की बाबत जागरूकता उत्पन्न करने संबंधी सूचना, शिक्षा, संचार क्रियाकलापों का तीव्रीकरण।

कार्यक्रम के अधीन किए गए प्रयत्नों के परिणामस्वरूप कार्यक्रम के अंतर्गत निम्नलिखित प्रमुख उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं:-

* परिहार्य दृष्टिहीनता के द्रुत मूल्यांकन विषयक सर्वेक्षण के अनुसार (2007), दृष्टिहीनता की व्याप्तता गिरकर 1% तक रह गई है।

* मोतियाबिन्द-2004-2005 में राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम में मोतियाबिन्द की लगभग 44,91,154 शल्य क्रियाएं की गई। 2005-2006 में 49,05,619 शल्य क्रियाओं तथा 2006-2007 में 50,40,002 शल्य क्रियाएं करने के साथ कार्यक्रम का निष्पादन में लगातार सुधार हो रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 में राज्यों द्वारा मोतियाबिन्द की लगभग 33.30 लाख शल्य क्रियाएं जनवरी, 2008 तक सूचित की गई हैं।

* अंत: नेत्र लेन्स प्रतिरोपण 2004-2005 में 88% से बढ़कर 2006-2007 में लगभग 93% हो गया है।

* मोतियाबिन्द के लिए विशेष अभियान एवं अन्य व्यापक नेत्र परिचर्या क्रियाकलापों को पूर्वोत्तर के राज्यों में मोतियाबिन्द के विशाल बैकलाग को देखते हुए वहां शुरू किया गया है। इसके परिणामस्वरूप 2005-2006 में मोतियाबिन्द की लगभग 57000 शल्य क्रियाएं और 2006-2007 में मोतियाबिन्द की लगभग 62,145 शल्य क्रियाएं इन राज्यों में की गईं। वर्तमान वर्ष 2007-2008 में यह क्रियाकलाप इन राज्यों में प्रगति पर है।

* नेत्रदान:- नेत्रदान का निष्पादन 2004-2005 में 23,553 से बढ़कर 2006-2007 में लगभग 30,000 हो गया है। वर्तमान, वित्तीय वर्ष 2007-2008 में दान किए गए लगभग 17,000 नेत्र एकत्र किए गए हैं।

* स्कूली बच्चों का नेत्र जांच कार्यक्रम-गरीब बच्चों को मुफ्त चश्मा देने की संख्या 2004-2005 में 283,070 से बढ़कर 2006-2007 में 4,56,634 हो गई है। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2007-2008 में लगभग 2.45 लाख निर्धन स्कूली बच्चों को जनवरी, 2008 तक की रिपोर्ट के अनुसार चश्मे दिए गए हैं।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा

2842. श्री मोहन सिंह: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा पेट्रोलियम के बढ़ते मूल्यों तथा ऊर्जा के पारम्परिक स्रोतों के भंडार में कमी के मद्देनजर आगामी वर्षों में देश में परमाणु ऊर्जा की आवश्यकता के संबंध में कोई आकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) सरकार की समेकित ऊर्जा नीति में नाभिकीय ऊर्जा की क्षमता को पहचाना गया है और इसके अंतर्गत वर्ष 2030 तक परमाणु विद्युत क्षमता के 48,000 मेगावाट-ई से बढ़कर 63,000 मेगावाट-ई हो जाने की परिकल्पना की गई है।

(ग) निर्माणाधीन परियोजनाओं के पूरा हो जाने पर 4120 मेगावाट-ई की मौजूदा स्थापित क्षमता क्रमिक रूप से बढ़ते हुए वर्ष 2011 तक 7280 मेगावाट-ई हो जाएगी। ग्यारहवीं योजना के प्रस्तावों के अंतर्गत, आठ स्वदेशी दाबित भारी पानी रिएक्टरों जिनमें से प्रत्येक की क्षमता 700 मेगावाट-ई होगी, पर काम शुरू करने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, आयातों पर आधारित लगभग 1,000 मेगावाट-ई और उससे अधिक क्षमता वाले दस साधारण जल रिएक्टरों का निर्माण कार्य भी ग्यारहवीं योजना में शुरू करने की योजना है, बशर्ते कि नाभिकीय ऊर्जा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग क्रियान्वित हो सके। दूसरे चरण के चार और फास्ट ब्रीडर रिएक्टरों को भी वर्ष 2020 तक स्थापित करने की योजना है। इसके बाद बारहवीं योजना के दौरान और उसके बाद भी अतिरिक्त परमाणु विद्युत रिएक्टर स्थापित किए जाएंगे।

[अनुवाद]

ब्रिटेन में भारतीय डाक्टरों के विरुद्ध हिंसा

2843. श्री मधु गौड़ यास्खी:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड़:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 25 फरवरी, 2008 के "नवभारत टाइम्स" में "यू.के. में हर तीसरे इंडियन डाक्टर के साथ हिंसा" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने ब्रिटिश सरकार के साथ यह मुद्दा उठाया है; और

(घ) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) "कार्यस्थल में हिंसा-ग्रेट ब्रिटेन में डाक्टरों का अनुभव" पर ब्रिटिश मेडिकल एसोसिएशन द्वारा जनवरी, 2008 में एक सर्वेक्षण किया गया था। इस सर्वेक्षण से पता चलता है कि पिछले वर्ष में यूके में हर तीसरे डाक्टर ने कार्यस्थल पर हिंसा या प्रताड़ना का अनुभव किया है। प्रशिक्षणरत डाक्टर ही संभवतया डाक्टरों का वह समूह है और जिन्होंने प्राय: कार्यस्थल पर हिंसा या प्रताड़ना का अनुभव किया जिसके बाद सामान्य डाक्टरों ने ऐसी ही शिकायत की। जिन्होंने कार्यस्थल पर हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करायी, उनमें से अधिकतर डाक्टरों को किसी न किसी प्रकार की गालियां दी गयीं। भारत सरकार को यूके में भारतीय डाक्टरों के विरुद्ध हिंसा की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) और (घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिन्दी]

केंद्रीय सड़क निधि से धनराशि आबंटित/जारी करने में विलंब

2844. श्री काशीराम राणा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्यों को सड़कों के विकास के लिए केंद्रीय सड़क निधि से समय पर धनराशि आबंटित/जारी नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप इन परियोजनाओं को पूरा करने में अनावश्यक विलंब होता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को केंद्रीय सड़क निधि का हिस्सा समय पर जारी करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के लिए केंद्रीय सड़क निधि से धनराशि के आबंटन को वित्त वर्ष के प्रारंभ में अंतिम रूप दिया जाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सड़क निधि जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रारक्षित राशि के रूप में रखी जाती है, से उनके आबंटन का एक तिहाई भाग दिया जाता है। पहले जारी की गई धनराशि के उपयोग प्रमाण-पत्र प्राप्त होने और कार्यों की प्रगति के आधार पर शेष धनराशि जारी की जाती है। इसलिए इस संबंध में कोई विलंब नहीं है।

[अनुवाद]

महिलाओं के लिए अस्पताल और स्वास्थ्य उप-केन्द्र

2845. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र में केवल महिला रोगियों के लिए अस्पतालों और स्वास्थ्य उप-केन्द्रों की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ये अस्पताल राज्यों में स्थान-वार कहां पर स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) देश में इन अस्पतालों की स्थापना कब तक होने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या निम्नलिखित जनसंख्या मानदण्डों के आधार पर त्रिस्तरीय अवसंरचना प्रणाली आधारित नेटवर्क के माध्यम से महिलाओं सहित सभी को प्रदान की जाती है:-

केन्द्र	जनसंख्या मानक	
	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्र
उप केन्द्र	3000	5000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	20,000	30,000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	80,000	120,000

मार्च, 2007 तक की स्थिति के अनुसार देश में कुल 145272 उपकेन्द्र, 22370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, और 4045 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्यरत हैं जो पुरुषों और महिलाओं दोनों को सेवा प्रदान करते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में केवल महिलाओं के लिए स्वास्थ्य केन्द्रों/अस्पतालों की स्थापना का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है। यदि राज्य महसूस करता है कि उनके राज्य में महिला अस्पताल खोलने की आवश्यकता है तो वे अपना प्रस्ताव अनुमोदन के लिए कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना में शामिल कर सकते हैं।

(ग) से (ङ) इन केन्द्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा चलाया जा रहा है और उनके स्थान का निर्णय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा अपनी आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को नए केन्द्रों के उन्नयन/सुदृढ़ीकरण/स्थापना के लिए निधियां जारी की जाती हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के लिए अपनी आवश्यकताओं को अपनी वार्षिक एनआरएचएम कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में शामिल करना अपेक्षित होता है। एक चरणबद्ध तरीके से जनसंख्या मानदण्डों के अनुसार उपकेन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करनी होती है। तद्नुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपने अनुरोध अपनी वार्षिक एनआरएचएमपीआईपी में देते हैं।

नई कोयला खानों हेतु प्रस्ताव

2846. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्ष 2008-09 के दौरान सरकारी/निजी क्षेत्र में नई कोयला खानें/परियोजनाएं शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी खान-वार और कंपनी-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी तीन वर्षों के दौरान इन कोयला खानों से कोयला उत्पादन हेतु निर्धारित लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन कोयला खानों/परियोजनाओं के कब तक कार्य शुरू करने की संभावना है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां। कोल इंडिया लि. (सीआईएल) की 14 नई कोयला परियोजनाओं और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) की 2 नई कोयला परियोजनाओं से वर्ष 2008-09 से योगदान आरंभ हो जाने की योजना है। 18 नए कोयला ब्लाकों द्वारा 2008-09 के दौरान केप्टिव ब्लाकों के उत्पादन में 36.22 मि.ट. का योगदान प्रदान किए जाने की संभावना है।

(ख) से (घ) सीआईएल और एससीसीएल की 16 परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित हैं-

क्र.सं.	कंपनी	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.ट. प्रति वर्ष)	पूंजी (रु. करोड़ में)	योजनाबद्ध उत्पादन			पूर्णता की संभावित तारीख
					2008-09	2009-10	2010-11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	सीसीएल	कोनार ओसी	3.50	74.53	0.50	2.00	3.00	मार्च-11
2.	डब्ल्यूसीएल	भानेगांव ओसी	0.60	30.44	0.05	0.15	0.30	मार्च-12
3.	डब्ल्यूसीएल	घोन्सा ओसी	0.30	6.99	0.05	0.10	0.15	मार्च-12
4.	डब्ल्यूसीएल	जूनाकुंडा ओसी	0.60	23.76	0.05	0.10	0.15	मार्च-12
5.	डब्ल्यूसीएल	उर्धन ओसी	0.50	43.50	0.05	0.10	0.20	मार्च-12
6.	डब्ल्यूसीएल	येकोना-1 ओसी	0.40	46.07	0.08	0.15	0.35	मार्च-11
7.	डब्ल्यूसीएल	येकोना-2 ओसी	0.60	48.06	0.08	0.20	0.40	मार्च-12
8.	डब्ल्यूसीएल	दुर्गापुर आरबाईटी 6/7/8 इन्कलाईसयूजी	0.32	13.64	0.10	0.26	0.32	मार्च-11

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9.	एसईसीएल	अमेरा ओसी	1.00	41.69	0.20	1.00	1.00	मार्च-10
10.	एसईसीएल	सरायपल्ली ओसी	1.40	22.82	0.20	1.00	1.33	मार्च-11
11.	एसईसीएल	अमादंड ओसी	1.15	83.39	0.30	1.04	1.15	मार्च-11
12.	एसईसीएल	दामिनी यूजी	0.48	39.32	0.17	0.35	0.40	मार्च-11
13.	एमसीएल	कनिहा ओसी	10.00	457.77	1.00	3.93	6.50	मार्च-12
14.	एनईसी	लेडो ओसी	2.50	41.37	0.70	1.50	1.50	मार्च-12
15.	एससीसीएल	अदुयाला शाफ्ट	2.144	212.34	0.41	1.08	1.43	सित.-13
16.	एससीसीएल	शांति खानी लांगवाल	1.167	249.03	0.46	0.73	1.32	अक्टू.-11

डाक्टरों का पलायन

2847. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अध्ययन करने वाले अधिकतर छात्र रोजगार के लिए विदेश चले जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में दी जा रही शिक्षा पर राजसहायता दी जाती है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाने का है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में अध्ययन करने वाले छात्र कम से कम कुछ समय तक देश में कार्य करें; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान विदेश जाने वाले छात्रों के आंकड़ों का रख-रखाव नहीं करता है। तथापि, एम्स के एक निकाय द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के 54% छात्र देश से बाहर रहते हैं।

(ग) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में शिक्षा आर्थिक सहायता प्राप्त (इमदादी) है।

(घ) भारतीय स्नातक पूर्व छात्रों के लिए शिक्षा-शुल्क प्रति वर्ष 300/- रुपये हैं। तथापि, विदेशी छात्रों से प्रभारित शुल्क 75,000/- अमरीकी डालर है।

(ङ) और (च) इस समय, एम्स के प्रशिक्षित चिकित्सा व्यवसायिकों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में अपेक्षित वर्षों तक सेवा करने के उपरांत ही देश को छोड़ने से संबंधित अपेक्षित कानून बनाने पर विचार करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

वन स्वीकृति के बिना परियोजनाओं पर निर्माण कार्य

2848. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने वन स्वीकृति प्राप्त किए बिना कुछ परियोजनाओं पर निर्माण एवं अन्य कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन कार्यों/परियोजनाओं में वन्यजीव अभयारण्य सहित वन भूमि शामिल है; और

(ग) यदि हां, तो उन जैव-विविधता को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को गुजरात राज्य में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत अनुमति प्राप्त किए बिना वन्यजीव अभयारण्य सहित वनभूमि पर किसी निर्माणात्मक कार्य

किए जाने की कोई सूचना अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी राज्य सरकार से वास्तविक सूचना एकत्र की जा रही है और जैसे ही यह प्राप्त होगी इसे सदन के पटल पर रख दिया जाएगा।

सार्वजनिक वितरण योजनाओं संबंधी रिपोर्ट

2849. श्री के.एस. राव: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग द्वारा सार्वजनिक वितरण योजनाओं के संबंध में तैयार की गई अध्ययन रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या हैं;

(ख) इस संबंध में कार्यान्वयन मूल्यांकन संगठन (पीईओ) की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सरकारी अधिकारियों को जवाबदेह बनाने और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत गरीबों के लिए निर्धारित खाद्यान्न की चोरी तथा उसके अन्यत्र उपयोग में संलिप्त पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध शास्ति कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार राजसहायता की व्यवस्था को समाप्त करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) द्वारा तैयार की गई लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के निष्पादन मूल्यांकन संबंधी रिपोर्ट में दिए गए मुख्य निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

(1) टीपीडीएस का कार्यान्वयन अशुद्धियों, जाली कार्डों के प्रचलन और पहचान न किए गए परिवारों को लक्ष्य बनाने से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुआ है।

(2) यद्यपि, टीपीडीएस के अंतर्गत कुल खरीद में प्रति परिवार कुछ सुधार देखने में आया है फिर भी बीपीएल परिवारों का केवल लगभग 57% ही इसके अंतर्गत कवर हुआ है।

(3) सामान्यतया उचित दर दुकानें कम वार्षिक टर्नओवर की वजह से व्यवहार्य नहीं होती हैं और ये सब्सिडी प्राप्त अनाज के लीकेज और उसके अन्यत्र उपयोग के जरिए व्यवसाय में बनी रहती हैं।

(4) सब्सिडी प्राप्त अनाज की लीकेज और उसका अन्यत्र उपयोग बहुत होता है और केन्द्रीय पूल से जारी किए जाने वाले अनाज का केवल लगभग 42% ही लक्षित वर्ग तक पहुंच पाता है; और

(5) पीडीएस के माध्यम से गरीबों को आय अन्तरण की लागत अन्य पद्धतियों के माध्यम से अंतरित की जाने वाली लागत से काफी उच्च है।

(ख) टीपीडीएस के बारे में पीईओ की रिपोर्ट की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:-

(1) यदि डिलीवरी लागत को घटाने, डिलीवरी मैकेनिज्म में पारदर्शिता लाने और खुदरा दुकानों के प्रचालन को वित्तीय रूप से व्यवहार्य बनाने के लिए कुछ सुधारात्मक उपाय किए जाएं तो टीपीडीएस के निष्पादन में सुधार किया जा सकता है।

(2) उचित दर दुकानों (एफपीएस) के स्तर पर लीकेज को न्यूनतम करने और उनके पारदर्शी प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए इन खुदरा दुकानों को वित्तीय रूप से अनिवार्यत: व्यवहार्य बनाया जाना चाहिए।

(3) पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआईज) को एफपीएस के लेखों/लेन-देन रिकार्डों के निरीक्षण और एफपीएस की पारदर्शी कार्यप्रणाली के संबंध में स्वयं को संतुष्ट करने की शक्तियां प्रदान की जाएं।

(4) सार्वजनिक एजेंसियों के माध्यम से खाद्यान्न हैंडलिंग लागत संरचना को युक्तिसंगत बनाकर टीपीडीएस के अंतर्गत वितरित खाद्यान्नों की आर्थिक लागत को कम करने की आवश्यकता है।

(ग) और (घ) खाद्यान्नों की चोरी व उसके अन्यत्र उपयोग की रोकथाम का मुख्य उत्तरदायित्व संबंधित राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों का है क्योंकि राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर खाद्यान्नों के आबंटन, राशनकार्ड जारी करने और उचित दर दुकानों की कार्यप्रणाली के पर्यवेक्षण से संबंधित मामले उनके क्षेत्राधिकार में आते हैं। खाद्यान्नों की चोरी और उसके अन्यत्र उपयोग में संलिप्त कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करने के मामले में उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के नोटिस में लाया गया ऐसा कोई भी मामला अनिवार्य वस्तु अधिनियम 1955 के अंतर्गत संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई हेतु उस मंत्रालय द्वारा संबंधित राज्य सरकारों को अग्रेषित किया

जाता है। टीपीडीएस के कार्यान्वयन को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा हाल ही में एक संशोधित नागरिक चार्टर राज्य/संघ राज्य सरकारों द्वारा अंगीकार किए जाने और कार्यान्वित किए जाने हेतु जारी किया गया है ताकि टीपीडीएस की कार्यप्रणाली के संबंध में सूचना के अधिकार के उपबन्धों का नागरिकों के उपयोग हेतु सुकर बनाया जा सके।

(ङ) और (च) वित्त मंत्री ने बजट भाषण 2008-09 में अन्य बातों के साथ-साथ उल्लेख किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के अंतर्गत खाद्य सब्सिडी और अन्य कल्याण कार्यक्रमों के लिए अगले वर्ष 32,667 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराई जा रही है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि पीडीएस को सुदृढ़ करने का अर्थ होगा पर्याप्त आपूर्ति, उचित सब्सिडी और सब्सिडी प्राप्त खाद्य की कुशल डिलीवरी।

स्वास्थ्य और रोगों से संबंधित केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा

2850. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में मलेरिया, क्षयरोग, दृष्टिहीनता और एड्स जैसे गंभीर रोगों को रोकने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा के राज्य-वार क्या परिणाम निकले; और

(ग) इस पर क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का विषय है। भारत सरकार विभिन्न राष्ट्रीय रोग नियंत्रण कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से देश में मलेरिया, क्षयरोग, दृष्टिहीनता और एड्स जैसे घातक रोगों पर नियंत्रण करने तथा उनको रोकने के लिए राज्य सरकारों के प्रयासों को पूरा करने में सहायता देती है। इन रोग नियंत्रण कार्यक्रमों की समय-समय पर समीक्षा और इनके लिए उपचारी उपाय किए जाते हैं। इस संबंध में एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1. राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम

मलेरिया और अन्य वेक्टर जनित रोगों जैसे कालाजार फाइलेरिसिस, डेंगू, जापानी इन्सेफलैटिस एवं चिकनगुनिया की वर्ष 2006 में आईसीएमआर संस्थान द्वारा गहन समीक्षा की गई थी। बाद में वर्ष 2007 में संयुक्त मानिटरिंग मिशन द्वारा अन्य समीक्षा की गई थी। सर्वेक्षणों के परिणाम इस प्रकार हैं:

1. ज्वर व्याप्तता 0.5 प्रतिशत-2.6 प्रतिशत के बीच थी। बुखार और मलेरिया की अत्यधिक व्याप्तता असम में थी जबकि सबसे कम व्याप्तता चैन्नई में थी।
2. प्रथम लाइन औषधि अर्थात् क्लोरोक्वीन की उपलब्धता ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी थी और यहां तक कि यह परिधीय केन्द्रों जैसे उप-केन्द्रों में उपलब्ध थी।
3. घरेलू सर्वेक्षण से पता चलता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निजी क्षेत्र से परामर्श करने में लोगों का अनुपात काफी है।
4. सर्वेक्षण किए गए सभी क्षेत्रों में सभी पद्धतियों (आईआरएस, आईटीएन और लार्वाभक्षी मछली) में वेक्टर नियंत्रण का कवरेज अभी कम था। सर्वेक्षण किए गए सभी क्षेत्रों में जैविक नियंत्रण पद्धतियां जैसे कि मछली का उपयोग भी कम था।
5. अधिकांश स्वास्थ्य केन्द्रों में स्वास्थ्य शिक्षा और सामुदायिक संघटन क्रियाकलाप कम मात्रा में देखे गए।
6. राष्ट्रीय स्तर पर फालसीपेरम मलेरिया के उपचार के लिए आरटेसुनेट समिश्रण चिकित्सा शुरू करने की आवश्यकता थी और मलेरिया जोखिमयुक्त क्षेत्रों में बिना माइक्रोस्कोपी के प्राथमिक परिचर्या केन्द्रों में त्वरित नैदानिक किट्स का उपयोग सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता थी।
7. निदान और उपचार के लिए गुणवत्ता आश्वासन प्रणाली को शुरू करने की आवश्यकता भी महसूस की गई।

समीक्षा के आधार पर निम्नलिखित उपचारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जा रहे हैं:

1. ग्राम्य स्तर पर मलेरिया संपर्क स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं और 1000 प्रति जनसंख्या पर मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करके देश में मलेरिया निगरानी को बढ़ाया गया है।
2. 11 राज्यों में पी-फाल्सीपेरूम (मलेरिया का एक गंभीर रूप जो अत्यधिक मृत्यु का कारण है) बहुलता सहित मलेरिया के अधिक प्रभाव वाले 61 स्थानिकमारी जिलों की पहचान की गई है। कार्यकलापों पर ध्यान देने के लिए अत्यधिक समस्याग्रस्त क्षेत्रों को वरीयता देने के

लिए ग्राम्य-वार सूचना सहित इन जिलों में जीआईएस मानचित्र बनाया गया है।

3. पी-फाल्सीसेरम मलेरिया के रोगियों के शुरू में ही निदान और शीघ्र उपचार के लिए इस कार्यक्रम में दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों में पी-फाल्सीसेरम रोगियों का तेजी से पता लगाने के लिए अपेक्षाकृत सरल और कारगर नैदानिक उपकरण अर्थात् नैदानिक किटों (आरडीके) को लाया गया है।

4. उन क्षेत्रों जहां क्लोरोक्विन के प्रति प्रतिरोधता दिखाई दे रही है, में पी-फाल्सीसेरम रोगियों के उपचार के लिए आर्टेसुनेट सम्मिश्रण चिकित्सा (सीसीटी) का प्रयोग किया जा रहा था और सभी उच्च पी-फाल्सीसेरम स्थानिकमारी वाले जिलों में पी-फाल्सीसेरम रोगियों के लिए प्रथम पंक्ति के उपचार के रूप में एल्फा पाइरेमेथामाइन को अब शुरू किया जा रहा है।

5. इस कार्यक्रम ने उच्च स्थानिकममारी वाले क्षेत्रों में असुरक्षित जनसंख्या में कीटनाशक उपचारित मच्छरदानियों के प्रयोग को बढ़ाया है। असुरक्षित परिवारों को नि:शुल्क मच्छरदानियां प्रदान करने के अतिरिक्त इस कार्यक्रम में मलेरिया वैक्टर आबादी को मारने के लिए उपयुक्त कीटनाशकों से समुदाय के स्वामित्व वाली मच्छरदानियों के संशोधन के लिए भी पहल की गई है।

2. संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम

कार्यक्रम की समीक्षा एक चालू गतिविधि है। विश्व बैंक अन्य दाता साझेदारों के साथ दो वर्ष में एक बार कार्यक्रम की समीक्षा करता है। पिछली विश्व बैंक समीक्षा मिशन दिसम्बर, 2007 में आया था। इसके अलावा अन्तर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों द्वारा प्रत्येक तीन वर्ष में कार्यक्रम की विदेशी/बाहरी समीक्षा की जाती है। इस तरह की समीक्षा वर्ष 2000, 2003 और 2006 में की गई थी। कार्यक्रम, थूक में रोग के लक्षण वाले रोगियों में से 85% रोगियों को रोग मुक्त करने का लक्ष्य लगातार प्राप्त कर रहा है तथा इस तरह के रोगियों का पता लगाने की दर 70% के लगभग है। अब तक, संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम ने 82 लाख रोगियों को उपचार पर रखा है जिसके फलस्वरूप 14 लाख से अधिक लोगों को मौत से बचाया जा सका है।

कार्यक्रम के तहत क्षयरोग रोधी औषधों की आपूर्ति समेत निदान और उपचार सुविधाएं सभी क्षयरोगियों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। गुणवत्तापरक निदान के लिए सामान्य क्षेत्रों में एक लाख तथा आदिवासी, पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में 50,000 की आबादी हेतु सूक्ष्यदर्शी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। क्षयरोगियों को औषधें रोगीवार डिब्बों में दी जाती हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि जिस दिन से रोगी को इस कार्यक्रम के अंतर्गत उपचार हेतु पंजीकृत किया गया है उसी दिन से उपचार के पूरे कोर्स की औषधें उसके लिए निर्धारित हैं। जहां तक सम्भव हो सका, उपचार केन्द्र रोगियों के आवास के नजदीक स्थापित किए गए हैं। सरकारी अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उपकेन्द्र, प्रत्यक्ष देख-रेख उपचार केन्द्र, गैर-सरकारी संगठन, प्राइवेट चिकित्सक आदि को संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम में शामिल किया गया है। औषधें प्रत्यक्ष देख-रेख में दी जाती हैं तथा रोगियों की निगरानी रखी जाती है ताकि वे अपना पूरा उपचार करवाएं।

3. राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम

राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम में अब तक दसवीं पंचवर्षीय योजना हेतु विद्यमान स्कीमों की समीक्षा और 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कार्यनीतिगत पेपर तैयार करने हेतु नेत्र परिचर्या क्षेत्र के विशेषज्ञों को लेकर एक कार्यबल गठित किया गया है। कार्यबल की समीक्षा और सुझाव के आधार पर 11वीं पंचवर्षीय योजना के लिए इएफसी प्रस्ताव तैयार किया गया है।

4. राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

भारतीय प्रबंधन संस्थान, कोलकाता, भारतीय स्वास्थ्य प्रबंधन अनुसंधान संस्थान, जयपुर, जान हापकिंस विश्वविद्यालय-बालटीमोर (अमरीका) वाले एक स्वतंत्र संघ द्वारा राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-2 का मूल्यांकन किया गया था। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चरण-3 (2007-12) के लिए परियोजना कार्यान्वयन योजना तैयार करते समय मूल्यांकन पर आधारित सिफारिशों को ध्यान में रखा गया था। एचआईवी/एड्स के निवारण एवं नियंत्रण के उपायों के लिए इस कार्यक्रम की विशेषताएं इस प्रकार हैं:-

(1) असुरक्षित लोगों के लिए स्वैच्छिक परामर्श तथा जांच।

(2) उच्च जोखिम समूहों तथा असुरक्षित लोगों के लिए लक्षित कार्यक्रम।

(3) स्वैच्छिक रक्तदान और रक्त बैंकों के नियंत्रण द्वारा रक्त निरापदता हेतु उपाय।

(4) यौन संचारित संक्रमणों का निवारण और प्रबन्धन।

(5) मां से बच्चे में संचार की रोकथाम।

(6) एचआईवी/एड्सग्रस्त पात्र व्यक्तियों का पता लगाना और उनका उपचार करना।

(7) एचआईवी/एड्स की रोकथाम हेतु जन-जागरूकता।

(8) एचआईवी/एड्स की रोकथाम के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों तथा मुख्यधारा के क्षेत्रों से समन्वय।

हजयात्रियों को राजसहायता

2851. श्री गिरधारी लाल भार्गव: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार द्वारा हज यात्रा पर राजसहायता अथवा अन्य किसी तीर्थ यात्रा पर दी जाने वाली राजसहायता पर अवरोध लगाने के इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर उच्चतम न्यायालय ने रोक लगा दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) जी हां।

(ख) चूंकि इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने वर्ष 1995 की रिट याचिका सं. 1533 के संबंध में इस मामले पर अभी तक निर्णय नहीं सुनाया है, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय ने 21 जनवरी, 2008 को हुई पिछली सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा दायर वर्ष 2006 की विशेष अनुमति याचिका सं. 15495 का निपटान करते हुए निदेश दिया है कि उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित रिट याचिका का अंतिम रूप से निपटान होने तक आगे के वर्षों के लिए स्थगन आदेश जारी रहेगा और उसने उच्च न्यायालय से यह याचिका शीघ्र निपटाने का अनुरोध किया।

सर्प और विष व्यापार

2852. श्रीमती मेनका गांधी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल पुलिस ने हाल ही में सर्पों और उनसे बने उत्पादों को जब्त करते हुए सर्पों और विष का व्यापार करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें कितने लोगों को पकड़ा गया तथा कितने लोगों पर मुकदमा चलाया गया;

(ग) क्या अंतर्राष्ट्रीय विष व्यापार नेटवर्क में सर्प विष हेतु केरल एक प्रमुख स्रोत बन गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे अवैध व्यापार करने वाले नेटवर्क का भंडाफोड़ करने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केरल के वन सतर्कता विंग द्वारा हाल ही में सर्प विष के अवैध व्यापार के तीन मामलों का पता लगाया गया है। ब्यौरा निम्नलिखित है:

दिनांक और स्थान	मात्रा	स्थिति
01.01.2008 कन्नूर	22 ग्राम	3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है व मामला पंजीकृत किया गया है।
02.02.2008 थिरूवनन्तपुरम	450 मिली लीटर	1 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया व मामला पंजीकृत किया गया।
25.02.2008 नेडुमबसेरी	2 लीटर	8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और मामला पंजीकृत किया गया।

(ग) मंत्रालय के पास ऐसी कोई रिपोर्टें उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) वन्यजीवन की सुरक्षा और वन्यजीवों में अवैध शिकार और अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु भारत सरकार द्वारा उठाए गए निम्नलिखित हैं:

1. भारत सरकार ने वन्यजीव अपराध के मामलों से निपटने के लिए वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 को अधिनियमित किया है, अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों पर कड़ी शास्तियां लागू की गई हैं।

2. देश भर में वन्यजीव की सुरक्षा हेतु राष्ट्रीय उद्यानों और वन्यजीव अभयारण्यों का नेटवर्क स्थापित किया गया है।

3. वन्यजीव अपराधों के नियंत्रण के लिए पांच क्षेत्रीय और तीन उप क्षेत्रीय कार्यालयों के नेटवर्क सहित वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो गठित किया गया है।

4. वन्यजीवों और उनके वास स्थलों के संरक्षण और विकास हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास, बाघ परियोजना और हाथी परियोजना के अंतर्गत राज्य/संघ शासित प्रदेशों की सरकारों को वित्तीय सहायता मुहैया कराई जा रही है।

5. भारत कन्वेंशन आन इंटरनेशनल ट्रेड इन इन्डेंडर्ड स्पीसीज आफ वाइल्ड फाउना और फ्लोरा (साईटस) जो वन्यजीवों और उनके व्युत्पन्नों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अधिनियमित करता है, में एक हस्ताक्षरकर्ता देश है।

6. भारत के वन्यजीव अपराध को कम करने के लिए चीन और नेपाल के साथ द्विपक्षीय समझौता है।

राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा की स्थापना

2853. डा. बाबूराव मिडियम: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हैदराबाद में जैव-चिकित्सा अनुसंधान हेतु राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप क्या लाभ मिलने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। 244.341 करोड़ रुपए की लागत वाले जैव चिकित्सा अनुसंधान के लिए राष्ट्रीय पशु संसाधन सुविधा की स्थापना हैदराबाद में करने के लिए संकल्पना प्रस्ताव की जांच की गई थी और उसे योजना आयोग में भेज दिया गया था, जिस पर योजना आयोग ने अपना सिद्धान्ततः अनुमोदन दिया है। तदनुसार, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) को सुविधा केन्द्र की स्थापना के लिए कार्रवाई शुरू करने के लिए कहा गया है।

(ग) प्रस्तावित सुविधा केन्द्र अनुसंधान/विकास/नए सुरक्षित अणुओं की खोज के लिए, जिसके लिए विभिन्न जातियों के जानवरों की मांग है, उच्च गुणवत्ता वाले पशुओं की उपलब्धता से संबंधित जैव चिकित्सा अनुसंधान की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करेगा। इस समय इसके लिए हमारे पास बहुत कम पशु गृह हैं और प्रस्तावित सुविधा केन्द्र में अत्यधिक सुधार होगा।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और अनुरक्षण मानदंड

2854. डा. सत्यनारायण जटिया: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और अनुरक्षण हेतु कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण और तत्पश्चात् उनके अनुरक्षण हेतु निर्धारित मानदंडों का पालन किए जाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में निर्धारित मानदंडों का पालन किया जाना सुनिश्चित करने के लिए कौन सा प्राधिकरण उत्तरदायी है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) निधियों की उपलब्धता, यातायात घनत्व, सड़क/पुलों की स्थिति, स्थान और विभिन्न कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य (विकास) अनुमोदित योजना और वार्षिक योजनाओं के आधार पर शुरू किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों का अनुरक्षण, अनुरक्षण मानदंडों, क्षति की मात्रा और विभिन्न कार्यों की पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध धनराशि के अंदर ही किया जाता है।

(ग) और (घ) मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण कार्य तीन एजेंसियों अर्थात् भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राज्य लोक निर्माण विभागों और सीमा सड़क संगठन को सौंपा गया है। इस मंत्रालय ने समय-समय पर मानक एवं विनिर्देश, निर्माण के मैनुअल और दिशानिर्देश (मंत्रालय के परिपत्र) जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि निर्धारित मानदंडों का निर्माण के समय और उसके बाद अनुरक्षण कार्य का अनुपालन हो। कार्य की लागत का एक निर्धारित प्रतिशत संबंधित निष्पादन एजेंसियों के माध्यम से कार्यों के निष्पादन के दौरान गुणता नियंत्रण के लिए अलग से रखा जाता है।

[अनुवाद]

यमुना नदी में सरीसृपों की मौतें

2855. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में यमुना नदी में बड़ी संख्या में सरीसृपों को मौतें हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यमुना नदी में बड़ी संख्या में हुई सरीसृपों की मौत के कारणों का पता लगाने के लिए कोई जांच कराई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) सरकार द्वारा यमुना नदी में सरीसृपों के संरक्षण हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, यमुना नदी में बड़ी संख्या में सरीसृपों की मौतों की कोई सूचना नहीं है।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

मुंह के कैंसर से ग्रस्त रोगी

2856. श्री मनोरंजन भक्त:
श्री एन. जनार्दन रेड्डी:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वर्षों से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सहित देश में मुंह के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सामने आए मुंह के कैंसर रोगियों की संख्या कितनी है तथा ऐसे रोगियों के उपचार पर राज्य-वार कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या कैंसर रोग के फैलने में तम्बाकू उत्पादों के उपभोग का मुख्य योगदान है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में कार्य कर रहे राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों से दिल्ली एवं मुंबई में मुंह के कैंसर की बढ़ती प्रवृत्ति और बंगलौर में घटती प्रवृत्ति का पता चलता है। अंडमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र में मुंह के कैंसर के संबंध में कोई आंकड़ा उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसे (राष्ट्रीय कैंसर पंजीकरण कार्यक्रम) के नेटवर्क में शामिल नहीं किया गया है।

(ग) केन्द्र स्तर पर ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखा जाता है। यह मंत्रालय, संबंधित राज्य सरकार की अनुशंसा पर राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहायता अनुदान जारी करता है जिसमें आधारभूत सुविधा का विकास, उपकरण की खरीद, जागरूकता कार्यकलाप, आदि भी शामिल हैं। ऐसी संस्थाओं की राज्य-वार एवं स्कीम-वार सूची विवरण में दी गई है जिनको राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान कैंसर का पता लगाने एवं उपचार करने के लिए सहायता अनुदान जारी किए गए हैं।

(घ) और (ङ) तम्बाकू, मुंह, गले, फेफड़े इसोफैगस, आदि जैसे कई कैंसरों का प्रमुख कारण हैं।

राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम की स्कीम के अंतर्गत जिला कैंसर नियंत्रण कार्यक्रम के तहत जांच, स्वास्थ्य शिक्षा के प्रोत्साहन, जागरूकता सृजन आदि के माध्यम से कैंसर का शुरू में ही पता लगाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार ने तंबाकू सेवन के नियंत्रण के लिए एक व्यापक विधान कार्यान्वित किया है।

विवरण

संशोधित राष्ट्रीय कैंसर रजिस्ट्री कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यवार व्यय

क्र.सं.	राज्य का नाम	संस्था का नाम	स्कीम का नाम	वर्ष	सहायता अनुदान की राशि (लाख रुपए)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	इंडियन रेड क्रास सोसाइटी, नैल्लोर	ऑन्कोलौजी	2007-08	50.00
		वेंकटेश्वर, तिरूपति	ऑन्कोलौजी	2006-07	300.00

1	2	3	4	5	6
		जी एम सी, अनन्तपुरा	ऑन्कोलौजी	2005-06	200.00
		जी जी एच, काकीनाडा	ऑन्कोलौजी	2005-06	100.00
		आई आर सी एस, नैल्लोर	ऑन्कोलौजी	2004-05	250.00
2.	असम	आर आर सी, गुवाहाटी	आर सी सी	2007-08	500.00
		बारपेटा, नलबाड़ी और दरांग	डी सी सी पी	2007-08	22.00
		ए एम सी, डिब्रूगढ़	ऑन्कोलौजी	2006-07	218.00
		मेडिकल कालेज, सिल्चर	ऑन्कोलौजी	2005-06	200.00
		बी बी सी आई, गुवाहाटी	ऑन्कोलौजी	2005-06	16.00
		बी बी सी आई, गुवाहाटी	आर सी सी	2004-05	284.00
		बी बी सी आई, गुवाहाटी	ऑन्कोलौजी	2004-05	300.00
3.	चंडीगढ़	पी जी आई एम ई आर, चंडीगढ़	ऑन्कोलौजी	2005-06	264.00
		पी जी आई एम ई आर, चंडीगढ़	आर सी सी	2005-06	500.00
4.	छत्तीसगढ़	आर सी सी, रायपुर	आर सी सी	2007-08	300.00
5.	गुजरात	आर सी सी, अहमदाबाद	एक्सीलेंस	2006-07	500.00
		आर सी सी, अहमदाबाद	डी सी सी पी	2006-07	6.99
		एम जी आई सी, वर्धा	ऑन्कोलौजी	2006-07	200.00
		आर सी सी, अहमदाबाद	डी सी सी पी	2005-06	15.00
		आर सी सी, अहमदाबाद	आर सी सी	2004-05	300.00
6.	हिमाचल प्रदेश	आर सी सी, शिमला	आर सी सी	2007-08	300.00
7.	जम्मू-कश्मीर	जी एम सी, श्रीनगर	ऑन्कोलौजी	2006-07	114.00
		जी एम सी, जम्मू	ऑन्कोलौजी	2005-06	200.00
		एस के आई एम एस, श्रीनगर	आर सी सी	2005-06	499.00
8.	कर्नाटक	आर सी सी, बंगलौर	एक्सीलेंस	2006-07	500.00
		वी आई एम एस, बेल्लारी	ऑन्कोलौजी	2005-06	100.00
		आर सी सी, बंगलौर	आर सी सी	2004-05	300.00
		आर सी सी, बंगलौर	ऑन्कोलौजी	2004-05	200.00
9.	केरल	आर सी सी, त्रिवेन्द्रम	आर सी सी	2007-08	400.00
		आर सी सी, त्रिवेन्द्रम	डी सी सी पी	2007-08	17.00

1	2	3	4	5	6
		कोट्टायम	ऑन्कोलौजी	2007-08	100.00
		आर सी सी, तिरूवनंतपुरम	एक्सीलेंस	2006-07	100.00
		जी एम सी, कालीकट	ऑन्कोलौजी	2005-06	150.00
		जी एच, एर्नाकुलम	ऑन्कोलौजी	2005-06	270.00
		आर सी सी, त्रिवेन्द्रम	डी सी सी पी	2005-06	22.00
		आर सी सी, त्रिवेन्द्रम	आर सी सी	2004-05	300.00
		एम सी सी, कन्नूर	ऑन्कोलौजी	2004-05	150.00
		जी एम सी एच, त्रिवेन्द्रम	ऑन्कोलौजी	2004-05	300.00
		आर सी सी, त्रिवेन्द्रम	ऑन्कोलौजी	2004-05	300.00
10.	मध्य प्रदेश	शिवपुरी, गुना और अशोक नगर	डी सी सी पी	2007-08	22.00
		दतिया, छतरपुर और टीकमगढ़	डी सी सी पी	2007-08	22.00
		बीकानेर	डी सी सी पी	2007-08	22.00
		सिओनी और बालाघाट	डी सी सी पी	2007-08	22.00
		भिंड और मोरैना	डी सी सी पी	2007-08	22.00
		भोपाल और रायसेन	डी सी सी पी	2007-08	22.00
		आर सी सी, ग्वालियर	डी सी सी पी	2007-08	44.00
		जी आर एम सी, ग्वालियर	ऑन्कोलौजी	2005-06	300.00
		आर सी सी, ग्वालियर	आर सी सी	2004-05	300.00
11.	महाराष्ट्र	जी एम सी एच, नागपुर	ऑन्कोलौजी	2004-05	288.00
12.	मणिपुर	आर आई एम एस, इम्फाल	ऑन्कोलौजी	2005-06	300.00
		आर आई एम एस, इम्पाल	आर सी सी	2005-06	500.00
13.	मेघालय	सी एच, शिलांग	ऑन्कोलौजी	2004-05	300.00
14.	मिजोरम	सिविल अस्पताल, आईजोल	आर सी सी	2007-08	200.00
		सिविल अस्पताल, आईजोल	ऑन्कोलौजी	2007-08	100.00
		सिविल अस्पताल, आईजोल	आर सी सी	2005-06	80.00
		आर सी सी, मिजोरम	डी सी सी पी	2005-06	22.00
15.	नागालैंड	सी एच, मोकोकचुंग	ऑन्कोलौजी	2004-05	221.00
16.	उड़ीसा	आर सी सी, कटक	आर सी सी	2006-07	300.00

1	2	3	4	5	6
17.	पांडिचेरी	आर सी सी, पांडिचेरी	आर सी सी	2004-05	300.00
18.	पंजाब	एस जी टी बी एच, अमृतसर	ऑन्कोलौजी	2005-06	200.00
19.	राजस्थान	आर एन टी, उदयपुर	ऑन्कोलौजी	2007-08	196.00
20.	तमिलनाडु	जी ए ए एम सी आर आई एंड एच, कांचीपुरम	आर सी सी	2005-06	500.00
		आर सी सी, चेन्नई	आर सी सी	2004-05	300.00
		जी ए ए एम सी आर आई एंड एच, कांचीपुरम	ऑन्कोलौजी	2004-05	288.00
		जी एम सी एच, त्रिचुर	ऑन्कोलौजी	2004-05	120.00
21.	त्रिपुरा	सिविल अस्पताल, अगरतल्ला	ऑन्कोलौजी	2004-05	160.00
22.	उत्तराखंड	दून अस्पताल, देहरादून	डी सी सी पी	2006-07	66.00
		दून अस्पताल, देहरादून	ऑन्कोलौजी	2005-06	62.00
23.	उत्तर प्रदेश	के एन एच एम, इलाहाबाद	एक्सीलेंस	2006-07	500.00
		एस जी पी जी आई एम एस, लखनऊ	आर सी सी	2005-06	500.00
		जे.के. कैंसर इंस्टीट्यूट, कानपुर	ऑन्कोलौजी	2006-07	250.00
		के जी एम सी, लखनऊ	ऑन्कोलौजी	2006-07	278.00
		एस जी पी जी आई, लखनऊ	ऑन्कोलौजी	2005-06	100.00
		जी एम सी एच, इलाहाबाद	ऑन्कोलौजी	2004-05	300.00
		के एन एच एम, इलाहाबाद	आर सी सी	2004-05	300.00
24.	पश्चिम बंगाल	आर जी का अस्पताल, कोलकाता	ऑन्कोलौजी	2007-08	98.00
		एम सी एच, कोलकाता	ऑन्कोलौजी	2006-07	100.00
		जी एम सी एच, मेदिनीपुर	ऑन्कोलौजी	2004-05	300.00

बांकुरा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-60 पर पुल

2857. श्री सुनील खां: क्या **पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में गोविंदाद्वम से मेजिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-60 पर तीन कमजोर पुलों के संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) गोविंदाद्वम से मेजिया तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-60 के तीन कमजोर पुलों का पुनर्निर्माण कार्य वार्षिक योजना में शामिल किया गया है और

विस्तृत प्राक्कलन राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किए जाने हैं। निर्माण कार्य प्रारंभ होने की संभावित तारीख के बारे में बता पाना अभी संभव नहीं है।

[हिन्दी]

कोयला आधारित कारखानों हेतु पर्यावरणीय विनियामक

2858. श्री वी.के. दुग्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोयला आधारित कारखानों को किन-किन पर्यावरणीय विनियमों का अनुपालन करना पड़ता है;

(ख) क्या कोयला आधारित कारखाने प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों का उपयोग नहीं कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा राज्य-वार ऐसे कितने कारखानों की पहचान की गई है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे कितने कारखानों के विरुद्ध कार्रवाई की गई है और तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में की गई कार्रवाई के क्या परिणाम निकले?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) कोयला आधारित बायलरों/कारखानों को जिन पर्यावरणीय उत्सर्जन मानकों का अनुपालन करना है, वे निम्नलिखित हैं:

भाप उत्पन्न की क्षमता (टन/घंटा)	विविक्त पदार्थ उत्सर्जन (एमजी/एनएम^3)
2 से कम	1200
2 तथा 10 से कम	800
10 तथा 15 से कम	600
15 और उससे अधिक	150

कोयला आधारित बायलर, जिनकी उत्पादन क्षमता 2 टन प्रति घंटा से कम और 15 टन प्रति घंटा और अधिक है को विविक्त पदार्थ उत्सर्जन मानदंडों को पूरा करना अपेक्षित है। संबंधित मानकों को पूरा करने के लिए इन बायलरों के साथ साईक्लोन/मल्टीसाईक्लोन, बैग फिल्टर्स और इलेक्ट्रो स्टेटिक प्रेसीपिटेटर्स को प्रदूषण नियंत्रण उपकरण के प्रयोग करने की सिफारिश की गई है।

यहां 88 ताप विद्युत संयंत्र हैं जो कोयले का प्रमुखता से उपभोग करते हैं। इन 88 विद्युत संयंत्रों में से, 22 विद्युत संयंत्र 31 दिसम्बर, 2007 तक के अनुसार उत्सर्जन मानकों का अनुपालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे विद्युत संयंत्रों की राज्य-वार सूची विवरण-I में दी गई है। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) ने पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत 28 ताप विद्युत संयंत्रों को जनवरी 1997 में दिशानिर्देश जारी किए थे जो विवरण-II में दिए गए हैं। इनमें से 20 संयंत्रों द्वारा जारी किए दिशानिर्देशों के अनुपालन की सूचना मिली है और शेष अनुपालन की विभिन्न अवस्थाओं पर हैं।

विवरण I

क्र.सं.	ताप विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य
1	2	3
1.	कोठागुदेम ताप विद्युत संयंत्र	आंध्र प्रदेश
2.	रामागुंडम-बी-ताप विद्युत संयंत्र	-वही-
3.	पत्रतु ताप विद्युत संयंत्र	झारखंड
4.	बरौनी ताप विद्युत संयंत्र	बिहार
5.	बोकारो-बी, ताप विद्युत संयंत्र (दामोदर घाटी निगम)	झारखंड
6.	सिक्का ताप विद्युत संयंत्र	गुजरात
7.	कोरबा (पूर्व) ताप विद्युत संयंत्र	छत्तीसगढ़
8.	अमरकंटक ताप विद्युत संयंत्र	मध्य प्रदेश
9.	सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र	-वही-
10.	नासिक ताप विद्युत संयंत्र	महाराष्ट्र
11.	कोराडी ताप विद्युत संयंत्र	-वही-
12.	भुसावल ताप विद्युत संयंत्र	-वही-
13.	चंद्रपुर ताप विद्युत संयंत्र	-वही-
14.	पारली ताप विद्युत संयंत्र	-वही-
15.	ओबरा ताप विद्युत संयंत्र	उत्तर प्रदेश
16.	हरदुआगंज ताप विद्युत संयंत्र	-वही-
17.	टंडा ताप विद्युत संयंत्र, एनटीपीसी	-वही-
18.	परीचा ताप विद्युत संयंत्र	-वही-

1	2	3
19.	न्यू कोसीपोर ताप विद्युत संयंत्र, (कोलकाता विद्युत आपूर्ति निगम)	पश्चिम बंगाल
20.	दुर्गापुर प्रोजेक्टस लिमिटेड ताप विद्युत संयंत्र	-वही-
21.	फरक्का ताप विद्युत संयंत्र, एनटीपीसी	-वही-
22.	बंडेल ताप विद्युत संयंत्र	-वही-
23.	मेट्टुर (तमिलनाडु विद्युत बोर्ड) ताप विद्युत संयंत्र	तमिलनाडु

विवरण II

क्र.सं.	विद्युत संयंत्र का नाम	राज्य
1	2	3
(1)*	कोठागुदेम ताप विद्युत संयंत्र, ए.पी.	आंध्र प्रदेश
(2)*	बोंगाईगांव ताप विद्युत संयंत्र	असम
(3)*	बोकारो ताप विद्युत संयंत्र	झारखंड
(4)*	बोकारो ताप विद्युत संयंत्र-बीडीवीसी, बोकारो	झारखंड
(5)*	पत्रतु ताप विद्युत संयंत्र	झारखंड
(6)*	पानीपत ताप विद्युत संयंत्र	हरियाणा
(7)*	फरीदाबाद ताप विद्युत संयंत्र	हरियाणा
(8)*	सतपुड़ा ताप विद्युत संयंत्र	मध्य प्रदेश
(9)*	पारस ताप विद्युत संयंत्र	महाराष्ट्र
(10)*	कोराडी ताप विद्युत संयंत्र	-वही-
(11)*	नासिक ताप विद्युत संयंत्र	-वही-
(12)*	चंद्रपुर ताप विद्युत संयंत्र	-वही-
(13)*	भुसावल ताप विद्युत संयंत्र	-वही-
(14)*	तलचेर ताप विद्युत संयंत्र	उड़ीसा
(15)*	इन्नौर ताप विद्युत स्टेशन	तमिलनाडु
(16)*	इंद्रप्रस्थ ताप विद्युत स्टेशन	दिल्ली
(17)*	राजघाट विद्युत स्टेशन	-वही-
(18)*	ओबरा (ए और बी) ताप विद्युत स्टेशन	उत्तर प्रदेश
(19)*	हरदुआगंज ताप विद्युत स्टेशन	-वही-
(20)*	दुर्गापुर ताप विद्युत स्टेशन	पश्चिम बंगाल
(21)*	दुर्गापुर ताप विद्युत स्टेशन	-वही-
(22)*	संतालदीह ताप विद्युत स्टेशन	-वही-
(23)*	पंकी ताप विद्युत स्टेशन	उत्तर प्रदेश
(24)*	बंडेल ताप विद्युत संयंत्र	पश्चिम बंगाल
(25)*	कोरबा (पूर्व) ताप विद्युत संयंत्र	छत्तीसगढ़
(26)*	बदरपुर (एनटीपीसी) ताप विद्युत संयंत्र	दिल्ली
(27)*	अहमदाबाद विद्युत कम्पनी (साबरमती ताप विद्युत संयंत्र)	गुजरात
(28)*	चंद्रपुर ताप विद्युत स्टेशन (डीवीसी)	झारखंड

*विद्युत संयंत्रों ने निदेशों का अनुपालन किया है।

[अनुवाद]

बहुमूल्य पेड़ों को पुनः उगाना

2859. श्री सी. कुप्पुसामी:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सड़कों, फ्लाई ओवरों और बड़े भवनों, खनन, सिंचाई इत्यादि जैसी विकास परियोजनाओं के लिए बड़ी संख्या में पेड़ों को गिराए जाने के कारण शहरी क्षेत्रों में पर्यावरण को हुई क्षति के संबंध में कोई आकलन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं के कारण नष्ट हुए वन क्षेत्र का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश के शहरी क्षेत्रों में विकास की परियोजनाओं के कारण गिराए गए बहुमूल्य पेड़ों को पुन: उगाने के लिए कोई निश्चित नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या विशेष कदम उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) देश के शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या 27.8 प्रतिशत है। इन क्षेत्रों में किए जा रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों के कारण निश्चित रूप से हो रही पर्यावरणीय क्षति/परिवर्तन का आकलन करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है।

(ख) भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा हाल ही में जारी की गई 'वन स्थिति रिपोर्ट 2005' के अनुसार वर्तमान और पहले के आकलन (2003) में देश में वन आवरण की तुलना में पता चलता है कि वर्ष 2002-2004 की अवधि के दौरान 728 वर्ग किलोमीटर की मामूली हानि हुई है। अत: देश में वन आवरण में कोई मुख्य परिवर्तन नहीं हुआ है।

(ग) और (घ) पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना, 2006 की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी मुख्य विकासात्मक परियोजनाओं में उक्त अधिसूचना के उपबंध आते हैं। यदि किसी विकासात्मक परियोजना के कार्यान्वयन के लिए वृक्षों का काटना अनिवार्य हो तो अधिसूचना के अंतर्गत पर्यावरणीय मंजूरी प्रदान करने पर विचार करते हुए सामान्यतया गैर-वन क्षेत्र में पर्यावरणीय मंजूरी में निर्धारित 1:2 के न्यूनतम अनुपात पर वृक्ष रोपण किया जाएगा। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में गैर-वानिकी उद्देश्यों के लिए वनभूमि की हानि को कम करने के लिए गैर-वनभूमि के बराबर अथवा अवक्रमित वनभूमि पर प्रतिपूरक वनीकरण का भी प्रावधान है।

महानदी और ब्राह्मणी नदी में प्रदूषण

2860. श्री जुएल ओराम: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महानदी और ब्राह्मणी नदी में प्रदूषण के स्तर पर कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले;

(ग) इन नदियों में प्रदूषण के स्तर को बढ़ने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या प्रदूषण का मुख्य कारण इन नदियों के किनारे पर लगे भारी उद्योगों से होने वाला बहिस्राव है;

(ङ) यदि हां, तो इस प्रकार के उद्योगों का ब्यौरा क्या है; और

(च) उन्हें रोकने के लिए क्या कार्रवाई की गयी है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) ब्राह्मणी और महानदी नदियों के पहचाने गए प्रदूषित क्षेत्रों की जल गुणता की मानीटरी केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) और उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है। सीपीसीबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, बायोलाजिकल आक्सीजन डिमांड, जो जल गुणता का एक प्रमुख संकेतक है, महानदी नदी के सभी स्थानों पर और ब्राह्मणी नदी में पानपोश, उड़ीसा को छोड़कर अधिकतर स्थानों पर निर्दिष्ट मानकों के भीतर है।

कटक, तालचेर और धर्मशाला शहरों में महानदी और ब्राह्मणी नदी के प्रदूषण उपशमन हेतु राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत घरेलू मलजल के अवरोधन और दिशापरिवर्तन और मलजल शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए कार्य शुरू कर दिए गए हैं। इन उपायों के अलावा निर्धारित मानकों की अनुपालना की जांच के लिए उड़ीसा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड उद्योगों द्वारा उत्सर्जित बहिस्राव की नियमित रूप से मानीटरी करना है। दोषी इकाइयों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) से (च) सीपीसी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, चार अत्यधिक प्रदूषित उद्योग अपना बहिस्राव महानदी नदी में छोड़ रहे थे। इनमें से एक इकाई को बंद कर दिया गया है और शेष तीन इकाइयों ने अपेक्षित बहिस्राव शोधन सुविधाएं स्थापित कर ली हैं। ब्राह्मणी नदी के संबंध में नौ अत्यधिक प्रदूषित उद्योग अपना अपशिष्ट नदी में निस्तारित कर रहे थे। इनमें से एक इकाई को बंद कर दिया गया है और सात इकाइयों ने अपेक्षित बहिस्राव शोधन सुविधाएं स्थापित कर ली हैं। एक दोषी इकाई के विरुद्ध पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

हृदय रोगियों की बढ़ोत्तरी

2861. श्री अधीर चौधरी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हार्ट केयर फाउण्डेशन के अनुसार विगत कुछेक वर्षों के दौरान देश में हृदय संबंधी बीमारियां बढ़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उसके कारणों सहित तत्संबंधी राज्य-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान इस प्रकार की बीमारियों के लिए मुहैया कराई गई निधियों के आबंटन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने "असंचारी रोगों के बोझ का मूल्यांकन" नामक एक अध्ययन किया है जिसमें वर्ष 1998 एवं वर्ष 2004 के लिए भारत में इस्वेमिक हृदय रोगों (आईएचडी) के कारण रोग के बोझ का अनुमान लगाया गया है। इस्वेमिक हृदय रोगियों की संख्या वर्ष 1998 में 18.6 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2004 में 22.37 मिलियन हो गई है। हाल ही में ए. इन्द्रायण द्वारा "भारत में हृदवाहिका रोगियों और इससे होने वाली मृत्यु का पूर्वानुमान" नामक एन सी एम एच पृष्ठभूमि दस्तावेज में भारत में वर्ष 2000 से वर्ष 2015 तक हृदवाहिका रोग एवं इससे होने वाली मृत्यु की संख्या का अनुमान लगाया गया है। इस अध्ययन में भारत में 20-29 वर्ष के आयु वर्ग में कोरोनरी हृदय रोगियों की संख्या वर्ष 2000 में 28.7 मिलियन से बढ़कर वर्ष 2010 में 50.7 मिलियन होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। हृदय रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की राज्य-वार/वर्ष-वार संख्या उपलब्ध नहीं है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के कई अध्ययनों में हृदयवाहिका रोगों के लिए मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हायपरलिपिडेमिया, मोटापा एवं धूम्रपान को जोखिम-कारक बताया गया है।

(ग) और (घ) मधुमेह, हृदवाहिका रोग एवं आघात निवारण एवं नियंत्रण कार्यक्रम का प्रायोगिक चरण वर्ष 2008 में 9 राज्यों के 9 जिलों में शुरू किया गया है। ये राज्य हैं, (1) असम (2) आंध्र प्रदेश (3) कर्नाटक (4) केरल (5) मध्य प्रदेश (6) पंजाब (7) राजस्थान (8) सिक्किम (9) तमिलनाडु। चालू वित्तीय वर्ष में इनमें से प्रत्येक राज्य को 49.16 लाख रुपए की निधियां जारी की गई हैं।

बकाया धनराशि

2862. श्री अमिताभ नन्दी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देशभर में सीजीएचएस के अंतर्गत पैनल में शामिल विभिन्न अस्पतालों पर 31 मार्च, 2008 तक बकाया धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) ये देयराशि कब से बकाया है और इनके बकाया रहने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस बकाया धनराशि का कब तक भुगतान किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) 7.3.2008 को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत विभिन्न अस्पतालों की बकाया देय राशियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। सबसे पहले का लंबित बिल अगस्त, 2007 में प्राप्त हुआ था। यह बकाया धनराशि मुख्यतया धन की अनुपलब्धता के कारण है और उसे तत्काल धन उपलब्ध हो जाने के पश्चात् क्लीयर किया जा सकता है।

विवरण

क्र.सं.	अस्पताल/नैदानिक केन्द्र का नाम	धनराशि (रुपयों में)
1	2	3
	इलाहाबाद	
1.	जीवन ज्योति अस्पताल, इलाहाबाद	9076690
2.	गुरु कृपा जागृति अस्पताल, इलाहाबाद	555771
3.	वात्सल्य मेटरनिटी और सर्जिकल अस्पताल, इलाहाबाद	690434
4.	हार्डलाइन कार्डिएक केयर सेंटर, इलाहाबाद	390644
	कुल	10713539
	अहमदाबाद	
1.	योगेश्वर हेल्थ केयर कृष्णा अस्पताल	1692941
2.	राजस्थान अस्पताल	1611989
3.	पारेख अस्पताल	724250
4.	स्टिरिंग अस्पताल	362919
5.	उस्मानपुर सी.टी. स्केन	73836
	कुल	4429935
	बंगलौर	
1.	बंगलौर बेपटिस्ट अस्पताल	39552
2.	बंगलौर इंस्टीट्यूट आफ ओनकोलोजी	222716

1	2	3
3.	क्यूर सेंटर आफ ओनकोलोजी	781436
4.	होसमत	76025
5.	संतोष अस्पताल	12437
6.	गायत्री अस्पताल	43951
7.	ट्रिनिटी अस्पताल	192212
8.	नेत्राधाम	66345
9.	नारायण हरूदेलया	176789
10.	के.आर. अस्पताल	20400
11.	शेकर अस्पताल	21893
12.	वियूस	403000
	कुल	2056756
चंडीगढ़		
1.	सिल्वर ओक अस्पताल	629783
	कुल	10713539
चेन्नई		
1.	आर.एस.आर. ट्रिनिटी अस्पताल	1559646
2.	सुगम अस्पताल	106663
3.	सी.एस.आई. कल्याणी अस्पताल	433053
4.	प्रेम नेत्र क्लीनिक	403481
5.	विजय हृदय प्रतिष्ठान	1046899
6.	एम.आई.ओ.टी. अस्पताल	1209966
7.	भारत स्कैन्स	226940
8.	सी.एस.आई. रेनी अस्पताल	320896
9.	के.एच.एम. अस्पताल	39889
10.	एम.एम.एम. अस्पताल	1114081
11.	श्री देवी अस्पताल	344238
12.	राष्ट्रीय अस्पताल	417001
13.	एस.आर.एम.सी. व एच.	1680229
14.	आंध्र महिला सभा	156690
15.	अपोलो अस्पतालें	3187542
16.	बिल्लरोथ अस्पतालें	88962
17.	चेन्नई कलियप्पा	17250
18.	अग्रवाल नेत्र अस्पताल	9098
19.	एम.एन.आर.आई. स्कैन्स	21280
20.	रिजीड अस्पताल	173649
	कुल	12558393
देहरादून		
1.	कैलाश अस्पताल, नोयडा	402835
2.	मेट्रो अस्पताल, नोयडा	1122474
	कुल	1525309
हैदराबाद		
1.	अपोलो अस्पताल डी.आर.डी.ओ.	3240033
2.	अपोलो अस्पताल	40627911
3.	अरविन्द नेत्र अस्पताल	218791
4.	बी.बी.आर. अस्पताल	237464
5.	बीबी सामान्य व कैंसर अस्पताल	61232
6.	परिचर्या अस्पताल	28730431
7.	दुर्गा भाई देशमुख अस्पताल	1389774
8.	गंगामहल परिचर्या गृह	55092
9.	गीता प्रसूति परिचर्या गृह	557893
10.	ग्लोबल अस्पताल	3745958
11.	हैदराबाद गुर्दा व लैप्रोस्कोपिक केन्द्र	687224
12.	हैदराबाद परिचर्या गृह	289015
13.	हरि प्रसाद स्मारक अस्पताल	152965

1	2	3
14.	इमेज अस्पताल	4650591
15.	भारत अमेरिकन कैंसर संस्थान	3722833
16.	कमिनेनी अस्पताल	15024679
17.	एल.वी. प्रसाद नेत्र संस्थान	1907311
18.	माधव परिचर्या केन्द्र	87037
19.	मेडिसिटी अस्पताल	7130076
20.	मैक्सिविजन लेजर केन्द्र	1111285
21.	मेडविन अस्पताल	15394466
22.	मैत्री बहु-विशेषज्ञता अस्पताल	377274
23.	एन.आई.एम.एस.	15276105
24.	ओवासीस अस्पताल	1672763
25.	पोलुमि अस्पताल	648337
26.	प्रीमियर अस्पताल	70232
27.	प्रिन्सेस धुर्र शेवर अस्पताल	193901
28.	राम अस्पताल	101723
29.	रिमेडी अस्पताल	126093
30.	सागरमल स्मारक अस्पताल	351405
31.	श्री साईं गुर्दा केन्द्र	24162
32.	साईं वाणी अस्पताल	472874
33.	स्वप्न अस्पताल	2720
34.	स्माइलाइन डेन्टल क्लीनिक	4505
35.	ऊषा मोहन अस्पताल	65145
36.	ऊषा मुल्लापुदी हृदय केन्द्र	947290
37.	वसावि अस्पताल	418863
38.	विजय स्वास्थ्य परिचर्या	324336
39.	विजय अस्पताल	23124
40.	यशोदा मालकपेट	14928776
41.	यशोदा सोमाजिगुदा	25797095
42.	स्वरूप नेत्र केन्द्र	794387
43.	एस.वी.आर. अस्पतालें	1403099
44.	सत्य गुर्दा केन्द्र	1169620
	नैदानिक केन्द्र	
45.	डेक्कन नैदानिक व अनुसंधान केन्द्र	43089
46.	डा. वी. नन्दन सिंह प्रयोगशाला	26310
47.	मेडिनोवा नैदानिक केन्द्र	41545
48.	पार्कलेन चिकित्सा व नैदानिक केन्द्र	650
49.	निकिल बहु-विशेषज्ञता	152791
50.	सिकंदराबाद नैदानिक व अनुसंधान केन्द्र	6015
51.	विजय नैदानिक केन्द्र	1325057
52.	ग्रैस्ट्रो इन्टेरोलाजी की एशियाई संस्था	9315
53.	3एम नैदानिक केन्द्र	31167
54.	एस.एल. नैदानिक केन्द्र	143486
	कुल	145051062

जबलपुर

1.	जबलपुर अस्पताल व अनुसंधान केन्द्र	2500000
2.	मार्बल सिटी अस्पताल व अनुसंधान केन्द्र	1500000
3.	बाम्बे अस्पताल व अनुसंधान केन्द्र	200000
4.	सेठ एम.जे.टी. अस्पताल व अनुसंधान केन्द्र	200000
5.	जमादार अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड	500000
6.	राष्ट्रीय अस्पताल	1900000
7.	केन्द्रीय भारत गुर्दा अस्पताल	600000
8.	महाकौशल अस्पताल प्राइवेट लिमिटेड	500000
9.	एस्कार्ट हृदय संस्थान व आर.सी., नई दिल्ली	260000
10.	केन्द्रीय परिचर्या गृह व आई.सी.यू., नागपुर	160000
	कुल	8300000

1	2	3
कोलकाता		
1.	मैसर्स बी.एम. बिरला हृदय अनुसंधान केन्द्र	1030331
2.	मैसर्स रबीन्द्र नाथ टैगोर हृदय विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय संस्थान	397912
3.	मैसर्स बेहाला बालानन्दा ब्रह्मचारी अस्पताल	761240
4.	मैसर्स डैफोडिल परिचर्या गृह (प्राइवेट) लिमिटेड	1868604
5.	मैसर्स कैंसर केन्द्र कल्याण गृह व अनुसंधान संस्थान	365542
	कुल	5223629
कानपुर		
1.	रिजेन्सी अस्पताल, कानपुर	99699926
2.	भार्गव अस्पताल, कानपुर	531311
3.	राजाराम अस्पताल, कानपुर	1963343
4.	चांदनी अस्पताल, कानपुर	952323
5.	मधुलोक नैदानिक केन्द्र, कानपुर	136449
	कुल	13553352
लखनऊ		
1.	वी.पी.सी., लखनऊ	2963644
2.	मैसर्स अवध अस्पताल व हृदय केन्द्र	4668626
3.	मैसर्स निदान नैदानिक केन्द्र	169810
4.	मैसर्स चरकाधार	122470
5.	मैसर्स मेयो अस्पताल	2327216
6.	सरकार नैदानिक केन्द्र	795114
7.	मैसर्स लाइफ लाइन अस्पताल	400
8.	लखनऊ पैथोलाजी	21205
9.	मैसर्स राज स्कैनिंग	525600
10.	मैसर्स जगरानी अस्पताल	984288
11.	सिटी अस्पताल	103552
12.	के.के. अस्पताल	63808
13.	मैसर्स नैदानिक चिकित्सा केन्द्र	378033
14.	मैसर्स शेखर अस्पताल	1182171
15.	सेवा अस्पताल	511998
16.	सरोज अस्पताल	2325
17.	मैसर्स इन्दिरा नैदानिक	41840
	कुल	14950300
मेरठ		
1.	भारत अस्पताल, मेरठ	125379
2.	पार्वती देवी	235104
3.	दृष्टि आई	26100
4.	जसवंत राय अस्पताल	693689
5.	धनवन्तरि जीवन रेखा लिमिटेड	1335356
6.	के.एम.सी.	466927
7.	लोकप्रिय अस्पताल	137222
8.	मेट्रो अस्पताल	10003919
9.	डा. चौरसिया परिचर्या गृह	454350
10.	नरीन्द्र मोहन अस्पताल	755099
11.	धर्मशिला अस्पताल	47407
12.	कैलाश अस्पताल	1280475
13.	यशोदा अस्पताल	93526
14.	ओथोनोया अस्पताल	328000
15.	एम. प्रकाश अस्पताल	82043
16.	धनवन्तरि नैदानिक	29853
17.	स्वास्थ्य परिचर्या	17920
18.	डा. सेठ	27001
19.	कैन्ट अस्पताल	39820

1	2	3
20.	डा. प्रदीप त्यागी	12664
21.	यूनाइटेड स्कैन	15180
22.	एन.एम.सी.	59265
	कुल	17111020
मुम्बई		
1.	प्रिंस अली खान	1041981
2.	के.जे. सोमैया	338864
3.	एस.आर. मेहता	1221871
4.	बाम्बे अस्पताल	1423644
5.	टाटा अस्पताल	329370
6.	राधी भाई अस्पताल	34091
7.	वी.टी. शाह	22233
	कुल	4412054
नागपुर		
1.	खेमसा एक्स-रे व यू.सी.जी. क्लीनिक	247469
2.	रेनबो मेडिनोवा व नैदानिक सेवाएं	265432
3.	अवन्ति इंस्टीट्यूट आफ कार्डियक प्राइवेट लिमिटेड	1032458
4.	महात्मा नेत्र अस्पताल	451815
5.	अंजनि नेत्र अस्पताल	657130
6.	कर्णदिकार नेत्र अस्पताल	169850
7.	लाइफ लाइन ब्लड बैंक	70750
8.	बिसने अस्पताल	295773
9.	एन.एस.आर.एम.	162283
10.	आर्थो रीलिफ अस्पताल	769108
11.	डा. के.जी. देशपांडे एम. केन्द्र	1478557
12.	आरेन्ज सिटी अस्पताल	2466935
13.	आश्विनी किडनी व डायलिसिस अस्पताल	136398
14.	गिल्लुरकर अस्पताल	813799
15.	स्योरटेक अस्पताल	2747319
16.	क्रिसेन्ट एन. गृह	1102673
17.	एम.आर.आई. केन्द्र	28500
18.	सर्जिकेयर क्लीनिक	133868
19.	जनता एम. अस्पताल	518876
20.	सुश्रीत अस्पताल	288740
21.	चन्दक प्रयोगशाला	13900
22.	पवन पैथोलाजी	6403
23.	एन.आर.पी.एल.	5594
24.	नरकाऊद	33385
25.	राधाकृष्णा अस्पताल	866339
26.	गुप्ता एन. गृह	38475
27.	अमित सर्जिकल हास्पिटल	47993
28.	गैस्ट्रो केन्द्र	5700
29.	जे.जे. नैदानिक केन्द्र	8433
30.	लता एम. अस्पताल	2648527
31.	के.के. सोनाग्राफी	12325
32.	सूरज नेत्र अस्पताल	178767
33.	प्रकाश एक्स-रे क्लिनिक	7900
34.	खरे डेन्टल	8975
35.	गृह कल्याण केन्द्र	122360
36.	मयूर स्मारक अस्पताल	395052
	कुल	18288028
पुणे		
1.	रूबी हाल क्लीनिक	10707336
2.	संचेति इंस्टीट्यूट आफ आर्थो. एंड रिहैबिलिटेशन	6948

1	2	3
3.	जहांगीर अस्पताल	793592
4.	के.ई.एम. अस्पताल	2796846
5.	शारदा क्लीनिक	772741
6.	भीदे अस्पताल	271744
7.	दीनानाथ मंगेश्कर अस्पताल	264999
8.	कोटबागी अस्पताल	395525
9.	दीनदयाल स्मारक अस्पताल	5387858
10.	पूना अस्पताल व अनुसंधान केन्द्र	413040
11.	इनलैक्स बुधरानी अस्पताल	255953
12.	संजीवनी अस्पताल	21551
13.	जोशी अस्पताल	44460
14.	संजीवन अस्पताल	38667
15.	सूर्या अस्पताल	94400
16.	सुपरटेक अस्पताल	46909
17.	नेत्र विज्ञान की राष्ट्रीय संस्थान	209725
18.	हरदिकर अस्पताल	506523
19.	एन.एम. वाडिया इंस्टीट्यूट आफ कार्डियोलाजी	3838699
20.	कालोनी नर्सिंग होम	141436
21.	संत दीनेश्वर अस्पताल	365180
22.	मेडिविजन डायग्नोस्टिक केन्द्र	220658
23.	यूनी स्कैन केन्द्र	12000
24.	पी.एच. चिकित्सा केन्द्र	4440
25.	मेडिनोवा नैदानिक केन्द्र	119921
26.	स्पेक्ट लैब. न्यूक्लियर-मेडिकल सर्विसेज	27200
27.	ए.बी. नैदानिक केन्द्र व पाली. प्राइवेट लिमिटेड	4180
28.	पाई क्लीनिक एण्ड डायग्नोस्टिक सेंटर	6360
	कुल	27768895

1	2	3
रांची		
1.	राज अस्पताल व अनुसंधान केन्द्र, रांची	213289
2.	अब्दुर रज्जाक अंसारी मेमोरियल विवर्स अस्पताल, रांची	1339902
3.	नागरमल मोदी सेवा सदन, रांची	322570
4.	संत बरनाबस अस्पताल, रांची	13000
	कुल	3808366
त्रिवेन्द्रम		
1.	एस.सी.टी.आई.एम.एस.टी.	969843
2.	आर.सी.सी.	2420237
3.	जुबली अस्पताल	148890
4.	देवी स्कैन्स	184974
5.	डी.डी.आर.सी.	61426
6.	चैतन्य अस्पताल	435274
7.	मेट्रो स्कैन्स	25000
8.	गोपीनाथ स्कैन्स	82722
	कुल	4328366
दिल्ली		
1.	एस्कार्ट्स अस्पताल, फरीदाबाद	1.1 करोड़
2.	जीवन अनमोल	16.00 लाख
3.	जीवन माला अस्पताल	40 लाख
4.	जीवन नर्सिंग होम, पूसा	74.60 लाख
5.	बत्रा अस्पताल	12.25 लाख
6.	कल्याणी अस्पताल, गुड़गांव	7.07 लाख
7.	मेट्रो अस्पताल, नोयडा	1.60 करोड़
8.	मेट्रो अस्पताल, लाजपत नगर	56.70 लाख
9.	अपोलो अस्पताल	2.00 करोड़

1	2	3
10.	यशोदा अस्पताल	89.70 लाख
11.	नरेन्द्र मोहन अस्पताल	1.80 करोड़
12.	प्रकाश अस्पताल	40.11 लाख
13.	राजीव गांधी अस्पताल	47.78 लाख
14.	राकलैन्ड अस्पताल	2.2 करोड़
15.	शीतला अस्पताल	8.05 लाख
16.	कुकरेजा अस्पताल	43.70 लाख
17.	कालरा अस्पताल	50.20 लाख
18.	पार्क अस्पताल	90.70 लाख
19.	जी.एम. मोदी अस्पताल	35.07 लाख
20.	आर्थोनोवा अस्पताल	1.2 करोड़
21.	एम.जी.एस. अस्पताल	47.50 लाख
22.	महाराजा अग्रसेन अस्पताल	5.20 करोड़
23.	संत स्टीफैन्स अस्पताल	97 लाख
24.	धर्मशिला अस्पताल	3.03 लाख
25.	जयपुर गोल्डेन अस्पताल	15.00 लाख
26.	कैलाश अस्पताल	2.10 करोड़
27.	माता चनन देवी अस्पताल	87 लाख
28.	बापू नेचर क्योर	15.90 लाख
29.	एस्कार्ट्स हृदय संस्थान एवं अनुसंधान केन्द्र	11.90 करोड़
30.	तिरथ राम शाह अस्पताल	4.89 लाख
31.	सेंटर फार साइट	88.70 लाख
32.	आर.एल.के.सी. अस्पताल	32.06 लाख
33.	सत्या चिकित्सा केन्द्र	3.48 लाख
34.	संत परमानन्द अस्पताल	23.58 लाख
35.	वेनु नेत्र संस्थान	12.67 लाख
36.	सुन्दर लाल जैन अस्पताल	59.8 लाख
37.	मेट्रो हृदय संस्थान, फरीदाबाद	14.48 लाख
38.	ब्रह्म शक्ति अस्पताल	2.90 लाख
39.	एक्शन बालाजी चिकित्सा केन्द्र	2.19 करोड़
40.	मैक्स अस्पताल	3.40 करोड़

एवियान फ्लू का फैलना

2863. श्री के. सुब्बाराधण:
डा. के. धनराजू:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एवियान फ्लू रोग के फैलने के कारणों और इसके उपचार का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान/अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश से इस प्रकार के रोग के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) वर्ष 2006 में महाराष्ट्र में संक्रमण और वर्ष 2007 में मणिपुर में प्रकोप के सम्भावित स्रोत का पता लगाने के लिए पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन विभाग द्वारा गठित समिति ने पाया कि यद्यपि, सुनिश्चित निष्कर्ष तक नहीं पहुंचा जा सका है, प्रवासी/जंगली पक्षियों के माध्यम से रोग की शुरूआत की सम्भावना से पूर्णत: इंकार नहीं किया जा सकता है। कुक्कुट में रोग को नियंत्रण करने, रोकने और समाप्त करने के लिए कार्यनीति का अनुसरण किया गया है जिसमें संक्रमण के केन्द्र बिंदु के 5 कि.मी. के भीतर सभी कुक्कुट को खत्म करना और कुक्कुट की आवाजाही रोकना और कुक्कुट उत्पाद को दूसरे क्षेत्र में ले जाना शामिल हैं।

पक्षी इन्फ्लुएन्जा प्रभावित मानव रोगियों के उपचार के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ओसेल्टामिवीर से उपचार के लिए प्रोटोकाल की संस्तुति दी है जिसका अनुसरण किया जाता है।

मानव अरक्षितता को कम करने के लिए इस समय अपनाई जा रही कार्यनीति से कुक्कुट में रोग समाप्त हो रहा है तथा प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को सक्रिय निगरानी के तहत रखा जा रहा है ताकि रोगियों का शीघ्र पता लगाया जा सके और उनका उपचार व्यवस्था की जा सके।

[हिन्दी]

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं

2864. श्री राकेश सिंह: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के दूरदराज ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में आवासीय सुविधाओं की कमी के कारण परा-चिकित्सीय स्टाफ और डाक्टर ऐसे क्षेत्रों में कार्य करने में अनिच्छा जताते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार ऐसे केन्द्रों में चिकित्सीय स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए आवासों के निर्माण हेतु राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या सेवाएं त्रिस्तरीय आधारभूत सुविधा प्रणाली के नेटवर्क के माध्यम से प्रदान की जाती हैं जो निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होती हैं:

केन्द्र	जनसंख्या संबंधी मानदंड	
	मैदानी क्षेत्र	पहाड़ी/आदिवासी क्षेत्र
उपकेन्द्र	3000	5000
प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र	20000	30000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	80000	120000

मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार देश में कुल 145272 उपकेन्द्र, 22370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 4045 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चल रहे हैं।

(ख) और (ग) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र उपजिला पर स्थित हैं जो 80,000 से 1,20,000 लोगों को सेवा प्रदान कर रहे हैं। डाक्टरों एवं अन्य स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाएं कुछ अस्पताल परिसरों में उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत डाक्टरों एवं अन्य स्टाफ के लिए आवासीय भवन के निर्माण सहित उन्नयन/सुदृढ़ीकरण/नए केन्द्रों की स्थापना हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी की जाती हैं। तथापि, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों से अपेक्षा है कि वे अपनी वार्षिक एन आर एच एम कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में अपनी आवश्यकता को शामिल करें।

[अनुवाद]

हेलिपेड/हवाई एम्बुलैंस सुविधा

2865. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में एक हेलिपेड और हवाई एम्बुलैंस सुविधा उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश में ऐसी सुविधाओं वाले अन्य अस्पतालों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, हां। एम्स के जय प्रकाश नारायण अभिघात केन्द्र की छत पर एक हेलीपेड का निर्माण करने का एक प्रस्ताव है।

(ख) इस भवन के वार्ड ब्लाक की छत की संरचना हेलीकाप्टर के भार को देखते हुए की गई है। इसे हेलीपेड को बतौर प्रयोज्य बनाने के लिए स्थल के रूपान्तरण और विकास का कार्य चल रहा है। इस केन्द्र पर उक्त सुविधा को प्रभावशाली रूप से आरम्भ करने के लिए लगभग छः महीने लग सकते हैं।

(ग) केन्द्र सरकार के किसी अन्य अस्पताल में ऐसी कोई सुविधा नहीं है।

[हिन्दी]

कोयला कंपनियों द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार

2866. श्री फग्गन सिंह कुलस्ते: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या संसदीय समिति ने एस.ई.सी.एल. के संबंध में अपनी जांच रिपोर्ट में धोवनशालाओं की स्थापना, कोयले के परिवहन और लदाई के लिए मध्य प्रदेश/छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को रोजगार देने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन महीनों के दौरान गेवरा/दीपिका में धोवनशालाओं की स्थापना/कोयले के परिवहन और लदाई के लिए एसईसीएल द्वारा कितने स्थानीय लोगों को रोजगार दिया गया; और

(घ) यदि हां, तो श्रेणी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) यह सुझाव दिया गया है कि भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम) कंपनियों के लिए आरक्षित परिवहन कार्य में से कम से कम 50% स्थानीय ईएसएम कंपनियों के लिए आरक्षित होना चाहिए। यह भी सलाह दी गई कि पुनर्व्यवस्थापन महानिदेशालय (डीजीआर) से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए अनुरोध किया जाना चाहिए ताकि वे आगे आ सकें और अपने हित के लिए उपलब्ध योजना का लाभ प्राप्त कर सकें।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

कालाजार के लिए विदेशी सहायता

2867. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में कालाजार के उपचार के लिए प्राप्त और उपयोग में लाई गई विदेशी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप देश को कितना लाभ हुआ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान देश में कालाजार के उपचार के लिए कोई विदेशी सहायता प्राप्त नहीं की है।

[हिन्दी]

पन्ना बाघ अभ्यारण्य से बाघों का लुप्त होना

2868. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिनांक 20 फरवरी, 2008 में, "दैनिक जागरण" में पन्ना बाघ अभ्यारण्य से बाघों के लुप्त होने का समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं; और

(ग) पन्ना बाघ अभ्यारण्य से बाघों को लुप्त होने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) मध्य प्रदेश के पन्ना बाघ रिजर्व में बाघ संख्या कम होने की स्थिति के बारे में मिडिया रिपोर्टें ध्यान में आई हैं।

(ग) उक्त बाघ रिजर्व में बाघों की संख्या की स्थिति का आकलन करने के लिए एक समिति गठित की गई थी जिसमें साथ ही साथ कैमरा ट्रैप का प्रयोग करके जांच की सिफारिश की गई थी भारतीय वन्यजीव संस्थान को इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। बाघ संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए उपाय विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

बाघ और अन्य वन्य पशुओं की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और बाघ तथा अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो के गठन के लिए उपबंध बनाने हेतु वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 में संशोधन। बाघ रिजर्व के अंदर अपराध के मामलों में सजा बढ़ाई गई है। अधिनियम में वन्यजीव अपराध में प्रयुक्त किसी भी उपरकण गाड़ी या हथियार को जब्त करने का भी प्रावधान है।

2. बाघ रिजर्व राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करके वर्षा ऋतु के लिए विशेष कार्यनीति सहित चोरी छिपे शिकार को रोकने की गतिविधियों को सुदृढ़ करना, जैसा कि उनके द्वारा प्रस्तावित है, अर्थात् संप्रेषण/बेतार सुविधाओं की सुदृढ़ता के साथ-साथ स्थानीय लोगों सहित भूतपूर्व सैनिकों/होम गार्डों को शामिल करके एंटीपोचिंग दल को तैनात करना।

3. भूतपूर्व सैनिक कार्मिक और स्थानीय कार्यबल को शामिल करते हुए 17 बाघ रिजर्वों को अतिरिक्त रूप में 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता दी गई।

4. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण 4.9.2006 से गठित किया गया है जिससे बाघ संरक्षण इनके द्वारा बेहतर किया जा सकेगा, जैसे कि बाघ संरक्षण प्रबंधन में

मानकों की सुनिश्चितता, रिजर्व विशेष बाघ संरक्षण योजना को तैयार करना, संसद में वार्षिक/लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करना, मुख्यमंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समितियों का गठन करना और बाघ संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना।

5. वन्यजीवों के अवैध व्यापार पर प्रभावी नियंत्रण के लिए पुलिस अधिकारियों, वन, कस्टम और अन्य एनफोर्समेंट एजेंसियों को शामिल करते हुए 6.6.2007 से बहु आयामी बाघ और अन्य संकटापन्न प्रजाति अपराध नियंत्रण ब्यूरो (वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो) का गठन।

6. बाघ संरक्षण के सुदृढ़ीकरण के लिए राज्यों को संशोधित बाघ परियोजना दिशानिर्देश जारी किए गए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ जारी गतिविधियों के अलावा कोर अथवा संवेदनशील बाघ पर्यावासों में निवास कर रहे लोगों के लिए ग्राम पुनर्वास/पैकेज बढ़ाने के लिए राज्यों को निधिकरण सहायता (1 लाख रु. प्रति परिवार से 10 लाख रु. प्रति परिवार) परंपरागत शिकार में लगे समुदायों के पुनर्वास, वनों के बाहर बाघ रिजर्वों में मेनस्ट्रीमिंग जीविका और वन्यजीव सरोकार और पर्यावास अवक्रमण करने वालों को गिरफ्तार करने के लिए रेस्टोरेटिव रणनीति द्वारा फोस्टरिंग कारीडोर संरक्षण शामिल है।

7. बाघ रिजर्व राज्यों द्वारा संरक्षण निवेशों के बेहतर कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापन विकसित करना।

8. वन्यजीवों को प्रभावी सुरक्षा मुहैया कराने हेतु राज्यों की क्षमता और अवसंरचना में बढ़ोत्तरी के लिए राज्यों को विभिन्न केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों अर्थात् बाघ परियोजना तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास के तहत वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है।

9. बाघ (कोर/महत्वपूर्ण क्षेत्र) और लोग (बफर/फ्रिंज क्षेत्र) से संबंधित मामलों से निपटने के लिए बाघ रिजर्व विशिष्ट 'बाघ संरक्षण योजना' तैयार करने के लिए 2006 में किए गए संशोधनों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उपलब्ध समर्थकारी उपबंध।

10. स्थानीय स्टेकहोल्डर समुदायों के लिए रिजर्ववार बाघ संरक्षण फाउंडेशन तैयार करने के लिए 2006 में किए गए संशोधनों से वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में उपलब्ध समर्थकारी उपबंध।

11. बाघ परभक्षी और सहभक्षी पशुओं के बचाव और संरक्षण, समन्वय निगरानी सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री के अंतर्गत राज्यों द्वारा राज्य स्तर संचालन समितियों के सृजन के लिए 2006 में किए गए संशोधनों से वन्यजीव (संशोधन) अधिनियम, 1972 में उपलब्ध समर्थनकारी उपबंध।

[अनुवाद]

राज्यों के लिए योजना परिव्यय

2869. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ राज्यों के लिए ग्यारहवीं योजना के लिए योजना परिव्यय को अंतिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विकास के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत क्या लक्ष्य परिकल्पित किए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) हां जी। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए वर्ष 2006-07 के मूल्य स्तर पर ग्यारहवीं योजना (2007-12) अनुमानित परिव्यय निम्नानुसार हैं:-

राज्य	अनुमानित परिव्यय (रुपये करोड़ में)
मध्य प्रदेश	70329.00
राजस्थान	71732.00
छत्तीसगढ़	53720.43

(ग) ग्यारहवीं योजना में उपरोक्त राज्यों के लिए क्षेत्रकवार विकास लक्ष्य निम्नानुसार है:

(आंकड़े % प्रतिवर्ष)

मदें	मध्य प्रदेश	राजस्थान	छत्तीसगढ़
कृषि और संबद्ध कार्यकलाप	5.0	3.5	2.3
उद्योग	10.0	8.0	12.0
सेवाएं	8.0	8.9	7.6
कुल	7.7	7.4	9.0

क्षयरोग-रोधी दवाओं का अनुचित उपयोग

2870. श्री एस. अजय कुमार: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डाक्टरों को पहली और दूसरी लाइन की क्षयरोग-रोधी दवाओं के अनुचित उपयोग को हतोत्साहित करने का निदेश दिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की पहल पर देश भर के विशेषज्ञों से ली गई सर्वसम्मति अभ्युक्ति, जिसका उस समय मेडिकल कालेजों के राष्ट्रीय कार्य बल द्वारा समर्थन किया गया था, को क्षयरोग परिचर्या के अंतर्राष्ट्रीय मानदण्डों का अनुसरण करने हेतु सभी चिकित्सकों से अपील करने के लिए सभी स्वास्थ्य परिचर्या प्रदायकों के बीच प्रचारित करने के लिए समस्त मेडिकल कालेजों और राज्यों को परिचालित कर दिया गया था। इस सर्वसम्मति अभ्युक्ति में निदान, औषधि सेवन प्रक्रिया, इलाज की अवधि संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन और इलाज का प्रभाव सुनिश्चित करने हेतु किए जाने वाले उपायों द्वारा समुदाय में औषधि से प्रभावहीन क्षयरोग की घटनाओं की रोकथाम और एमडीआर-टीबी के प्रबंधन के लिए डाट्स कार्यक्रम की गुणवत्ता के महत्व का विशेषरूप से उल्लेख गिया है।

गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर यातायात जाम

2871. श्री रेवती रमन सिंह:
डी. मुनव्वर हसन:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुड़गांव एक्सप्रेस वे पर रंगपुटि स्थित टाल बैरियर और बैरिकेड के फलस्वरूप यातायात जाम हो रहा है और आम जनता को असुविधा हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस समस्या के समाधान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) से (ग) सरकार ने यातायात जाम की समस्या को हल करने के लिए उपाय किए हैं। इन उपायों के आधार पर रियायतग्राही द्वारा किए गए उपाय इस प्रकार हैं:-

(1) कांटेक्टलेस स्मार्ट कार्ड के स्थान पर इलेक्ट्रानिक टैग (आन बोर्ड यूनिट) वाले वाहनों के लिए अधिक लेन उपलब्ध कराई जाती हैं।

(2) इलेक्ट्रानिक टैग की खरीद और रिचार्ज सुविधा इंटरनेट, मोबाइल द्वारा एसएमएस और बैंकों के माध्यम से सरल बनाई जा रही है।

(3) कार्मिकों के लिए प्रयुक्त कंपनी के स्वामित्व वाले वाहनों पर 50% तक छूट।

(4) जारी करने की तारीख से कैलेंडर माह से 30 दिन की अवधि तक छूट की वैधता में परिवर्तन की सुविधा।

खेल संबंधी दवाइयों के लिए अस्पताल

2872. श्री रत्नेश वर्मन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खेल संबंधी दवाइयों के एक समेकित अस्पताल की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे अस्पतालों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और ये परियोजना कहां स्थित हैं; और

(ग) ऐसे अस्पतालों की कब तक स्थापना किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने आगामी राष्ट्रमण्डल खेल, वर्ष 2010 को ध्यान में रखते हुए सफदरजंग अस्पताल में पूर्णत: स्पोर्ट्स इन्जयूरी सेन्टर स्थापित करने/मौजूदा स्पोर्ट्स इन्ज्यूरी यूनिट को पूर्णत: स्पोर्ट्स इन्ज्यूरी सेन्टर का दर्जा देने के लिए एक प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्तावित स्पोर्ट्स इन्ज्यूरी सेन्टर, जो वर्ष 2010 तक शुरू किया जाना है, एक ही जगह अत्यंत विशेषीकृत सर्जिकल एवं पुनर्वास सेवाएं प्रदान करेगा जहां फिजियोथेरापी केन्द्र, आपरेशन थियेटर परिसर, वार्ड एवं ओपीडी, एमआरआई एवं सीटी स्कैन सहित आधुनिक नैदानिक सुविधाओं तथा विशेषीकृत डाक्टरों एवं परा मेडिकल स्टाफ की व्यवस्था होगी।

[हिन्दी]

परमाणु ऊर्जा के लिए आबंटन

2873. श्री राजनरायन बुधौलिया: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नए अनुसंधान की आवश्यकता पर जोर दिए जाने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ सरकार द्वारा कितनी धनराशि आबंटित किए जाने का प्रस्ताव है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) और (ख) जी, हां। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में नए अनुसंधान की जरूरत को ध्यान में रखते हुए, परमाणु ऊर्जा विभाग ग्यारहवीं योजना के दौरान अनुसंधान और विकास के निम्नलिखित रुझान वाले क्षेत्रों पर जोर दे रहा है:

* हवाई वैद्युत चुम्बकीय सर्वेक्षण क्षमता विकसित करने सहित यूरेनियम अन्वेषण को तेज करना
* 700 मेगावाट-ई क्षमता के दाबित भारी पानी रिएक्टरों के लिए अनुसंधान तथा विकास सहायता, मौजूदा परमाणु विद्युत परियोजनाओं/भारी पानी संयंत्रों के जीवन-काल को बढ़ाना, ईंधन चक्र तथा सुरक्षा से संबद्ध अनुसंधान आदि
* फास्ट रिएक्टरों और संबद्ध ईंधन चक्र के लिए धात्विक ईंधन
* प्रगत भारी पानी रिएक्टर (एएचडब्ल्यूआर), भारतीय ताप उच्च ताप रिएक्टर (आईएचटीआर) जैसे प्रगत रिएक्टर/नई ऊर्जा प्रणालियों का विकास, एक ऐसा बहु-उद्देशीय अनुसंधान रिएक्टर की स्थापना करना जिसमें भविष्य में एक प्रोटान किरणपुंज चालित न्यूट्रान स्रोत को समाहित करने की सुविधा हो, आदि
* त्वरक चालित प्रणालियों (एडीएस) के लिए क्रोड प्रौद्योगिकियों का विकास
* उच्च ताप प्रणालियों के लिए विशेष पदार्थों का विकास
* हाइड्रोजन के उत्पादन और भंडारण हेतु प्रणालियों का विकास
* ऊर्जा के रूपांतरण संबंधी प्रौद्योगिकियां
* थोरियम ईंधन चक्र का विकास
* सामरिक महत्व के क्षेत्रों में अधिक जोर देना
* विशेष सामग्रियों का विकास
* आईटीईआर में भारत की भागीदारी और संलयन ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का विकास
* देश के भीतर ही इंडस-2 बीम लाइनों, भारतीय न्यूट्रीनों वेधशाला (आईएनओ) और रेडियोसक्रिय आयन बीम (आरआईबी) जैसी प्रगत मूलभूत अनुसंधान सुविधाओं को सुदृढ़ करना, और एंटी प्रोटान और आयन अनुसंधान सुविधा (एफएआईआर), अंतर्राष्ट्रीय लीनियर कोलाइडर (आईएलसी) और एक्स-रे फ्री इलैक्ट्रान लेसर (एक्सएफईएल जैसी अंतर्राष्ट्रीय बृहत-वैज्ञानिक परियोजनाओं में भागीदारी
* विकिरण प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोगों, नाभिकीय कृषि, किरणन द्वारा खाद्य पदार्थों के संसाधन, स्वास्थ्य की देख-रेख, जल, औद्योगिक लेसरों आदि के क्षेत्र में सामाजिक अनुप्रयोगों की अपेक्षाकृत अधिक पहुंच।

(ग) ग्यारहवीं योजना के दौरान, अनुसंधान तथा विकास कार्यों हेतु परिव्यय में 11,000 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है।

पत्रकारों को सीजीएचएस सुविधा

2874. श्री मित्रसेन यादव: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रेस सूचना ब्यूरो से मान्यता प्राप्त पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए खर्च की गई धनराशि का वर्षवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्ष 2008-09 के दौरान सरकार ने ऐसे पत्रकारों को चिकित्सा सुविधा देने के लिए धनराशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) चिकित्सा सुविधाओं पर केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना द्वारा अलग से श्रेणीवार विस्तृत व्यय का ब्यौरा नहीं रखा जाता है।

(ख) से (घ) पीआईबी द्वारा मान्यताप्राप्त पत्रकारों, जो कि सरकारी कर्मचारी नहीं होते, को सीजीएचएस कार्ड प्रदान किया जाता था जैसा कि आम जनता को प्रदान किया जाता था। लागत एवं लेखा शाखा ने आम जनता के लिए कार्ड पर लागत दर लागत आधार पर शुल्क प्रभारित करने की सिफारिश की है।

[अनुवाद]

लिंग अनुपात में सुधार के लिए ग्रामों को प्रोत्साहन

2875. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए कदम उठाने वाले ग्रामों को नकद प्रोत्साहन उपलब्ध कराने हेतु एक योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने सूचित किया है कि धनलक्ष्मी योजना, जिसके तहत बीमा कवर के साथ कन्या शिशु हेतु शर्त के आधार पर नकद राशि अंतरित की जाती है, को 3.3.2008 से 7 राज्यों के शैक्षिक रूप से पिछड़े 11 ब्लाकों में प्रायोगिक रूप से आरम्भ किया गया है। इस योजना के तहत कन्या शिशु का जन्म एवं पंजीकरण, रोग-प्रतिरक्षण, विद्यालय में शिक्षा और 18 वर्ष की आयु के बाद देरी से विवाह जैसी चार महत्वपूर्ण शर्तों के पूरा होने के आधार पर कन्या के परिवार को नकद राशि का अंतरण किया जाना शामिल है।

म्यांमार में जल-मार्गों और सड़कों का विकास

2876. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बर्मा में जलमार्गों और सड़कों के विकास के लिए म्यांमार सरकार के साथ एक समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि का निवेश किए जाने की संभावना है; और

(ग) इसके परिणामस्वरूप देश को क्या लाभ होने की संभावना है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) सीमा सड़क संगठन ने 120 करोड़ रुपए की लागत से 1997-2001 के बीच मणिपुर के पार म्यांमार में तामू-कलेवा-कालेम्यो सड़क (160 किमी) का उन्नयन किया था। भारत सरकार इस समय म्यांमार में तामू-कलेवा-कालेम्यो सड़क के रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। इसके अतिरिक्त म्यांमार में कलादान बहुविध पारगमन परिवहन परियोजना से भारतीय बंदरगाहों और म्यांमार में सित्तवे बंदरगाह को तथा सित्तवे से भारत के बीच अंत:स्थलीय जलमार्गों को जोड़ने की परिकल्पना की गयी है।

अनुकम्पा आधार पर नियुक्ति की नीति

2877. श्री रघुनाथ झा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुकंपा आधार पर नियुक्ति की योजना के अंतर्गत पात्रता मानदंड को स्पष्टता प्रदान करने और मंत्रालयों/विभागों/संगठन की ओर से इसके कार्यान्वयन को अनिवार्य बनाने के लिए नीति को नियंत्रित करने वाला एक व्यापक विधान अधिनियमित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आज की स्थिति के अनुसार अनुकंपा आधार पर नियुक्ति के मंत्रालयवार/विभागवार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमवार कितने मामले लंबित हैं; और

(घ) लंबित मामलों को कब तक निपटा दिया जाएगा?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति संबंधी नीति निर्धारित करता है जो प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यान्वित की जाती है। विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु लम्बित मामलों के ब्यौरों की सूचना केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखी जाती है।

हर्बल औषधों में अपमिश्रण

2878. श्री विजय कृष्ण: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औषधों सहित देश में विनियमित हर्बल संपाकों में सीसा, सांखिया, निकल, कोबाल्ट, क्रोमियम और तांबा जैसे हानिकारक तत्व शामिल हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) भारत में पादपों/जड़ी बूटियों, जड़ी बूटीय-खनिजीय और जड़ी बूटीय-धातुमय संपाकों के साथ समाहित, आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों के विनिर्माण कार्य को औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 और नियमावली 1945 के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। अन्य जड़ी बूटीय घटकों को सक्रिय करने, औषधियों की प्रभावकारिता में वृद्धि करने और औषधियों की शैल्फ लाईफ को बढ़ाने के प्रयोजनार्थ जड़ी बूटीय खनिजीय और जड़ी बूटीय-धातुमय संपाकों के इस्तेमाल की इजाजत तभी दी जाती है जबकि कैलास्टिक के रूप में आयुर्वेदिक औषधियों को उनमें लघु मात्रा में विद्यमान इन सामग्रियों को शुद्ध कर लिया जाता है।

(ग) सरकार ने इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) 1.1.2006 से निर्यात की जाने वाली विशुद्धत: सभी जड़ी बूटीय आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधियों में भारी धातुओं के परीक्षण कार्य को अनिवार्य कर दिया गया है।

(2) राज्य औषध लाइसेंस प्राधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध विनिर्माताओं द्वारा उपभोक्ताओं के सूचनार्थ कंटेनर के लेबल अथवा उसमें रखी पर्ची में औषधि में शामिल घटकों और उनकी मात्रा को मुद्रित कराने से संबंधित उपबंध का अनुपालन सुनिश्चित कराएं।

(3) देश में 29 राज्य औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं को सुदृढ़ किया गया है और 26 निजी औषध परीक्षण प्रयोगशालाओं और अन्य एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं को आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषधों के परीक्षण हेतु अनुमोदित किया गया है।

(4) चूंकि जड़ी बूटीय-धातुमय औषधियों के बारे में कुछ चिंताएं उत्पन्न हो गई हैं इसलिए 8 सर्वाधिक प्रयुक्त भस्मों की भौतिक रासायनिक विशेषताओं और उनसे संबंधित विषाक्तता अध्ययन करने के लिए स्वर्णिम त्रिभुज भागीदारी परियोजना के अंतर्गत वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) के अंतर्गत विभिन्न प्रयोगशालाओं को एक अनुसंधान परियोजना संस्वीकृत की गई है।

(5) देश में अच्छी विनिर्माण पद्धतियों को सभी आयुर्वेद, सिद्ध और यूनानी औषध विनिर्माण एकांशों के लिए अनिवार्य कर दिया गया है।

राष्ट्रीय कोयला नीति

2879. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अधिकतर ताप विद्युत संयंत्र आयातित कोयले पर निर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या आस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका में कोयले की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और देश के विद्युत संयंत्रों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए कोयला नीति में संशोधन करने का है कि कोयले की कुल मांग को घरेलू स्तर पर पूरा किया जा सके; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) और (ख) जी, नहीं। वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान विद्युत उपयोगिताओं, जो कोल इंडिया लि. (सीआईएल) और सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लि. (एससीसीएल) से लिंक्ड हैं, को क्रमश: 281.11 मिलियन टन, 289.95 मिलियन टन और 298.18 मिलियन टन स्वदेशी कोयले की आपूर्ति की गई, जबकि उन्होंने उक्त अवधि के दौरान 4.43 मिलियन टन, 10.44 मिलियन टन और 9.66 टन कोयले का आयात किया।

(ग) और (घ) सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(ङ) और (च) अक्टूबर, 2007 में सरकार द्वारा अधिसूचित नई कोयला वितरण नीति में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह भी प्रावधान है कि कोयला कंपनियों द्वारा ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए)

के द्वारा आपूर्ति के लिए विद्युत उपयोगिताओं की शत-प्रतिशत "मानक आवश्यकता" पर विचार किया जाएगा। नीति में यह भी प्रावधान है कि ईंधन आपूर्ति करार के तहत कोयले की पूरी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयला कंपनियों को समय-समय पर यदि आवश्यक हो, आयात करना पड़ सकता है और तदनुसार वे अपने समग्र मूल्य को समायोजित कर सकते हैं।

कराची और दुबई के लिए पोत यात्री सेवा

2880. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार जामनगर में कराची और दुबई के लिए पोत यात्री सेवा शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्लास्टिक की सड़कें

2881. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय परिवहन आयोजना और अनुसंधान केंद्र (एनटीपीआरसी) देश के विभिन्न भागों में देश में प्लास्टिक सड़कों की क्षमता तथा मजबूती के स्तर का पता लगाने के लिए कई परीक्षण कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रौद्योगिकी को लोकप्रिय बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय परिवहन आयोजना और अनुसंधान केंद्र, केरल राज्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद के एक अनुसंधान केंद्र ने सूचना दी है कि वह तमिलनाडु में मदुरै क्षेत्र में और केरल में त्रिवेंद्रम, कोचीन और कोझिकोड क्षेत्रों में चुनिंदा सड़कों में बिटुमिनस कार्यों में प्लास्टिक अपशिष्ट का प्रयोग करके बनाई गई सड़कों के कार्य निष्पादन और टिकाऊपन का मूल्यांकन करने के लिए फील्ड परीक्षण कार्य कर रहा है।

(ग) इस मंत्रालय ने आईआईटी, मद्रास के प्लास्टिक अपशिष्ट सहित विभिन्न बिटुमन संशोधनों का प्रयोग करके बिटुमिनस मिश्रणों के फील्ड कार्य निष्पादन की जांच संबंधी एक अनुसंधान स्कीम को प्रायोजित किया है। संशोधित बाइंडर के सापेक्षिक कार्यनिष्पादन की प्रयोगशाला जांच चल रही है। इस अनुसंधान स्कीम के निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है।

[हिन्दी]

झीलों के संरक्षण हेतु धनराशि

2882. श्री रघुवीर सिंह कौशल:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री अनंत कुमार:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में झीलों के खराब होने के संबंध में कोई अध्ययन/मूल्यांकन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विभिन्न कारणों से सूख गई झीलों को पुनर्जीवित, संरक्षित तथा विकास करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रयोजनार्थ उपलब्ध कराई गई धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (घ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय देश के शहरी और अर्द्ध-शहरी क्षेत्रों में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों के पुनरुद्धार और संरक्षण के उद्देश्य से जून, 2001 से केन्द्रीय सरकार और संबंधित राज्य सरकारों के बीच 70:30 लागत हिस्सेदारी के आधार पर राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना की केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का कार्यान्वयन कर रहा है। योजना में झीलों में अपशिष्ट जल के प्रवेश से पूर्व उसका अवरोधन, दिशापरिवर्तन और शोधन के मुख्य घटक, कैचमेंट क्षेत्र सुधार, शोरलाइन बचाव, झील के भीतर शोधन कार्य (वायु संचारन, खरपतवार हटाना, गाद हटाना, जैव उपचार और बायो-मैनूपलेशन) आदि शामिल हैं। गैर कोर कार्यों में नदी पारि-विकास (सौन्दर्यकरण, अधिकतम जनभागीदारी, अल्प लागत शौचालय, आदि) और जनभागीदारी शामिल है।

देश भर में प्रदूषित और अवक्रमित झीलों का पता लगाने के लिए योजना आयोग की पहल पर एक अध्ययन करवाया गया था।

अध्ययन के अंतर्गत देश में संरक्षण की अपेक्षा वाली 62 झीलों की सूची तैयार की गई थी। राज्य सरकारों को इस सूची की पुनरीक्षा करने और राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए उनके राज्यों में झीलों की प्राथमिकता तैयार करने के लिए कहा गया है। योजना के अंतर्गत नई झीलों को उनकी प्राथमिकता, ग्राह्यता और राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधि के आधार पर शामिल किया जाता है।

अब तक प्राप्त प्रस्तावों में से मंत्रालय ने 687.52 करोड़ की कुल अनुमोदित लागत पर 52 झीलों के संरक्षण के लिए परियोजनाएं मंजूर की हैं। अनुमोदित झील संरक्षण परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत अब तक 239.08 करोड़ रुपये (भारत सरकार के हिस्से की) की राशि जारी की गई है। राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत राज्यवार स्वीकृत की गई विभिन्न झील संरक्षण परियोजनाओं का विवरण संलग्न है।

विवरण

राष्ट्रीय झील संरक्षण योजना के अंतर्गत अनुमोदित झील संरक्षण परियोजनाओं का विवरण

क्र.सं.	राज्य	झील	अनुमोदित लागत (करोड़ रुपये)
1	2	3	4
1.	कर्नाटक	बंगलौर में वेनगखेर, नागावरा और जरनगहाली नामक 3 झीलें	11.48
2.	-वही-	बेलन्दूर झील बंगलौर	5.54
3.	-वही-	कोटीकीरी झील बेलगाम	5.64
4.	-वही-	भीष्मा झील गडग	2.50
5.	-वही-	लाल बाग, बंगलौर	1.66
6.	-वही-	चन्नापाटन झील, हसन	4.97
7.	-वही-	शरणभास्वेश्वर झील, गुलबर्गा	4.89
8.	-वही-	अकमादेवी झील, हावीरी	2.64
9.	-वही-	कुन्डावाडा झील दावणगेट	3.41
10.	-वही-	कोटी तवरीकीट झील, चिकमगलूर	3.64
11.	-वही-	त्रिपुरनाथकेश्वर झील, बिदार	4.67
12.	-वही-	गोवरम्मा और होम्बालम्मा	4.77
		उपजोड़	55.81
1.	आंध्र प्रदेश	बंजारा झील, हैदराबाद	2.75
		उपजोड़	2.75
1.	महाराष्ट्र	पवई झील, मुम्बई	6.62
2.	महाराष्ट्र	थाणे की 9 झीलें	2.53
3.	महाराष्ट्र	महालक्ष्मी, वडागांव	1.85
4.	महाराष्ट्र	रणकाला, झील कोल्हापुर	8.65
5.	महाराष्ट्र	वरहाला देवी झील, भिवाडी	4.60
		उपजोड़	24.25

1	2	3	4
1.	राजस्थान	मानसागर झील, जयपुर	24.72
2.	राजस्थान	अन्नासागर झील, अजमेर	15.28
3.	राजस्थान	पुस्कर सरोवर, अजमेर	48.37
		उपजोड़	88.37
1.	तमिलनाडु	ऊटी झील	1.95
2.	तमिलनाडु	कोडाइकनाल झील, डिंडिगुल	10.42
		उपजोड़	12.37
1.	त्रिपुरा	अगरतला की तीन झीलें	2.02
		उपजोड़	2.02
1.	उत्तरांचल	नैनीताल की 4 झीलें	16.85
2.	उत्तरांचल	नैनीताल झील, नैनीताल	49.97
		उपजोड़	64.82
1.	पश्चिम बंगाल	रविन्द्र सरोवर	6.96
2.	पश्चिम बंगाल	मिरिक झील, दार्जलिंग	4.01
		उपजोड़	10.97
1.	जम्मू-कश्मीर	डल झील, श्रीनगर	298.76
		उपजोड़	298.76
1.	केरल	वेली अक्कुलम झील, तिरुवंतपुरम	24.56
		उपजोड़	24.56
1.	उड़ीसा	बिंदु सागर झील, भुवनेश्वर	3.50
		उपजोड़	3.50
1.	मध्य प्रदेश	रानी तालाब, रेवा	3.31
2.	मध्य प्रदेश	सागर झील, सागर	21.33
3.	मध्य प्रदेश	शिवपुरी झील, शिवपुरी	51.99
		उपजोड़	76.63
1.	उत्तर प्रदेश	मानसी गंगा झील, गोवर्धन	22.71
		उपजोड़	22.71
		कुल जोड़	687.52

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलापों के लिए आबंटन

2883. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग ने पिछड़े क्षेत्र में विकासात्मक कार्यकलापों में तेजी लाने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आबंटन को मंजूरी दी है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2008-09 तथा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना 2007-12 के लिए आयोग द्वारा अनुमोदित तथा सरकार द्वारा स्वीकृत आबंटन कितना है; और

(ग) इसमें दिए गए औद्योगिकी तथा कृषि विकास लक्ष्य और सामाजिक-आर्थिक विकास संबंधी लक्ष्य क्या हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए योजना आयोग द्वारा यथाअनुमोदित प्रक्षेपित परिव्यय तथा पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वार्षिक योजना 2008-09 के लिए अनुमोदित परिव्यय निम्नानुसार हैं:-

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) प्रक्षेपित परिव्यय

क्र.सं.	राज्य	करोड़ रुपये
1.	अरुणाचल प्रदेश	7901.00
2.	असम	23954.00
3.	मणिपुर	8154.00
4.	मेघालय	9185.00
5.	मिजोरम	5534.00
6.	नागालैंड	5978.00
7.	सिक्किम	4720.00
8.	त्रिपुरा	8852.00

वार्षिक योजना (2008-09) अनुमोदित परिव्यय

क्र.सं.	राज्य	करोड़ रुपये
1	2	3
1.	अरुणाचल प्रदेश	2065.00
2.	असम	5011.51
3.	मणिपुर	1660.00
4.	मेघालय*	–
5.	मिजोरम	1000.00
6.	नागालैंड*	–
7.	सिक्किम	852.00
8.	त्रिपुरा	–

*विधान सभा चुनाव प्रक्रिया अभी हाल ही में पूरी हुई है। राज्यों के लिए वार्षिक योजना (2008-09) को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए पूर्वोत्तर राज्यों हेतु विकास लक्ष्य निम्नलिखित हैं:

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पूर्वोत्तर राज्यों हेतु विकास लक्ष्य

क्र.सं.	राज्य	राज्यवार विकास लक्ष्य			जीएसडीपी
		कृषि	उद्योग	सेवाएं	
1.	अरुणाचल प्रदेश	2.8	8.0	7.2	6.4
2.	असम	2.0	8.0	8.0	6.5
3.	मणिपुर	1.2	8.0	7.0	5.9
4.	मेघालय	4.7	8.0	7.9	7.3
5.	मिजोरम	1.6	8.0	8.0	7.1
6.	नागालैंड	8.4	8.0	10.0	9.3
7.	सिक्किम	3.3	8.0	7.2	6.7
8.	त्रिपुरा	1.4	8.0	8.0	6.9

ग्यारहवीं योजना के व्यापक विजन में सामाजार्थिक विकास के कई अंतर घटक शामिल हैं। लक्षित समावेशी विकास का उद्देश्य गरीबी कम करना और रोजगार अवसरों का सृजन, स्वास्थ्य और शिक्षा में विशेषकर गरीबों के लिए आवश्यक सेवाओं तक पहुंच, अवसरों की समानता, शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्तिकरण, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी द्वारा निर्धारित रोजगार अवसर, पर्यावरणीय धारणीयता, महिला अभिकरण की पहचान करना तथा सु-शासन स्थापित करना है।

फ्लोरोसिस रोग का फैलना

2884. डा. के.एस. मनोज: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में फ्लोरोसिस रोग व्यापक है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अनुसंधान किया है;

(घ) यदि हां, तो इस अध्ययन/अनुसंधान का क्या परिणाम निकला; और

(ङ) देश से विशेष रूप से केरल से इस रोग के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) पीने के पानी के फ्लुयोराइड के आधार पर विभिन्न संगठनों द्वारा किए गए अध्ययनों के अनुसार 19 राज्यों/संघ क्षेत्रों के 196 जिलों में फ्लुयोरोसिस व्याप्त है। इन राज्यों संघ क्षेत्रों में आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, असम, दिल्ली, जम्मू व कश्मीर, झारखंड और छत्तीसगढ़ हैं। अनुमान है कि देश में वास्तविक रूप से फ्लुयोरोसिस से प्रभावित जनसंख्या 25 मिलियन है।

(ङ) पीने के साफ पानी की व्यवस्था करने से फ्लुयोरोसिस का सामना किया जाता है। पीने के साफ पानी की व्यवस्था राज्य का एक विषय है। तथापि, भारत सरकार राज्य सरकार के प्रयासों को त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) और प्रधानमंत्री की ग्रामोदय योजना (पीएमजीवाई)-गुणवत्ता से संबंधित समस्याओं का सामना करने के लिए ग्रामीण पीने के पानी और ग्रामीण पीने के पानी की आपूर्ति को बनाए रखने से संबंधित मुद्दों के अंतर्गत धन प्रदान करके पूरा करती है। यूनिसेफ ने पीने के पानी में फ्लुयोराइड के प्राक्कलन हेतु विभिन्न राज्यों को आइयोनमीटरों की आपूर्ति की है। राष्ट्रीय संचारी रोग संस्थान देश में फ्लुयोरोसिस के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और फ्लुयोरोसिस को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों से जन स्वास्थ्य अभियंताओं और चिकित्सा व्यवसायियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

सरकार राष्ट्रीय फ्लुयोरोसिस निवारण और नियंत्रण कार्यक्रम शुरू करने पर विचार कर रही है।

राष्ट्रीय पर्यावरण नीति

2885. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:
श्री नन्द कुमार साय:

क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकास और पर्यावरण की मांगों को सुसंगत बनाने तथा सुधार हेतु राष्ट्रीय पर्यावरण नीति तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस नीति के कार्यान्वयन की निगरानी हेतु तंत्र का ब्यौरा क्या है;

(घ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य तथा हासिल उपलब्धियां क्या हैं; और

(ङ) इस संबंध में अब तक सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) जी, हां। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति को केन्द्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 18.5.2006 को अनुमोदित किया गया था और वह पर्यावरण और वन मंत्रालय की वेबसाइट (http:www.envfor.nic.in) पर उपलब्ध है।

(ख) राष्ट्रीय पर्यावरण नीति, 2006 संविधान में अभिदेशित स्वच्छ पर्यावरण के प्रति हमारी राष्ट्रीय वचनबद्धता को दर्शाती है। नीति में यह स्वीकार किया गया है कि स्वस्थ पर्यावरण बनाए रखना सिर्फ राज्यों का ही उत्तरदायित्व नहीं अपितु यह प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति सभी विकास कार्यकलापों में पर्यावरणीय चिंताओं को शामिल करके सतत विकास को प्राप्त करने में सहायता के लिए भी अभिप्रेरित है। इसमें देश की वर्तमान और भावी मुख्य पर्यावरणीय चुनौतियों को पर्यावरण नीति के उद्देश्यों को नीति कार्रवाईयों को निर्धारित करने वाले नियामक सिद्धांतों, हस्तक्षेप के लिए नीतिगत विषयों को पूरा करने के लिए आवश्यक कानूनी और संस्थागत विकास के व्यापक निदेशों और क्रियान्वयन तथा पुनरीक्षा के लिए कार्यतंत्रों का उल्लेख किया गया है। इस नीति के व्यापक उद्देश्य इस प्रकार हैं: संकटपूर्ण पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण, इन्ट्रा जनरेशनल इक्विटी, निर्धनों के लिए जीवनयापन सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक विकास में पर्यावरणीय चिन्ताओं का एकीकरण, पर्यावरणीय संसाधन उपयोग में दक्षता, बेहतर पर्यावरणीय अभिशासन और पर्यावरणीय संरक्षण के लिए संसाधनों में बढ़ोत्तरी।

(ग) से (ङ) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था। तथापि, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्यों के अनुपालन में केन्द्र सरकार के प्रत्येक मंत्रालय/विभाग को नीति के क्रियान्वयन के लिए अपने संबंधित क्षेत्रों में विशिष्ट कानूनी, कार्यक्रमों और स्कीमों को शामिल करते हुए कार्य योजनाएं तैयार करना अपेक्षित है और राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन भी समान कार्रवाई करेंगे। सरकार के मंत्रालयों/विभागों द्वारा उनकी संबंधित वार्षिक योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय और वास्तविक लक्ष्यों के साथ तैयार की गई स्कीमों/कार्यक्रम योजना आयोग द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि ऐसी क्षेत्रीय विकास योजनाओं में राष्ट्रीय पर्यावरण नीति में संगत पर्यावरणीय विचारों को उचित रूप से एकीकृत किया गया है।

एम्स में इनविट्रो फर्टिलाईजेशन

2886. **श्री एम. अप्पादुरई: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में इनविट्रो फर्टिलाइजेशन के उपचार के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ख) एक कैलेन्डर वर्ष में कितने युगलों का उपचार किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त क्लिनिक के लिए बाहरी सहायता मांगने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने इंगित किया है कि इनविट्रोफर्टिलाइजेशन (आईवीएफ) सुविधा के लिए अलग से कोई धन आबंटित नहीं किया गया है। तथापि, आईवीएफ स्त्री रोग प्रसूति रोग विज्ञान विभाग का अंग है और स्त्री एवं प्रसूति रोग विज्ञान विभाग को आबंटित किए गए धन का कुछ भाग इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है।

(ख) किसी कैलेण्डर वर्ष में उपचार किए जाने वाले संभावित दम्पत्तियों की संख्या लगभग 150-200 तक है।

(ग) और (घ) जी, नहीं।

कोचीन समुद्र पत्तन के कोचीन विमान पत्तन तक जलमार्ग में सुधार

2887. **श्री पी.सी. थामस:**
श्रीमती सी.एस. सुजाता:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार को कोचीन समुद्र पत्तन तथा नेदुमबसेरी में कोचीन विमान पत्तन तक जलमार्ग में सुधार लाने के लिए कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर अनुमानित कितना व्यय किया जाएगा;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को मंजूरी दे दी है;

(घ) यदि हां, तो इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित तथा जारी की गई है; और

(ङ) उक्त परियोजनाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) जी हां, केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना के अंतर्गत मार्च, 2007 में केरल की राज्य-सरकार से पेरियार नदी और उद्योगमंडल नहर के माध्यम से कोचीन समुद्री पत्तन-विमान पत्तन जलमार्ग को बेहतर बनाने के लिए एक प्रस्ताव मिला था।

(ख) इस प्रस्ताव के महत्वपूर्ण घटक थे: (1) इल्लूर से कंजूर तक नदी के हिस्से को बेहतर बनाना, (2) कंजूर से नेदमबासरी तक चेंगल थोडू हिस्से को बेहतर बनाना, (3) टर्मिनल सुविधाएं और यात्री जेटियों को स्थापित करना, और (4) चेंगल थोडू के आर-पार नए पुलों का निर्माण। प्रस्ताव की अनुमानित लागत 17.00 करोड़ रु. थी।

(ग) उपर्युक्त प्रस्ताव, भारत-सरकार द्वारा संस्वीकृत नहीं किया जा सका क्योंकि केन्द्रीयकृत प्रायोजित योजना 01.04.07 से योजना आयोग द्वारा बंद कर दी गई थी।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

स्थानीय शासन पर ए.आर.सी. की रिपोर्ट

2888. **श्री रामजीलाल सुमन:**
श्री मधु गौड़ यास्खी:
श्री राजीव रंजन सिंह "ललन":
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या **पंचायती राज मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्थानीय शासन पर अपनी रिपोर्ट में द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) ने अधिकांश राज्यों में पंचायतों के पास अपना स्टाफ भर्ती करने तथा उनका वेतन और भत्ते तथा अन्य सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार न होने पर चिंता जताई है जैसाकि दिनांक 25 फरवरी, 2008 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (ए.आर.सी.) के छठे प्रतिवेदन का पैरा 4.1.5.4. 'पंचायती राज संस्थाओं में कार्मिक प्रबन्धन' को निरूपित करता है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि:

(1) पंचायतों को कार्मिकों को नियुक्त करने तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित विधियों व मानकों के तहत उनकी सेवा शर्तों को नियंत्रित करने का अधिकर होना चाहिए। इस प्रणाली के विकास में तीन सालों से ज्यादा समय नहीं लगने देना चाहिए। तब तक के लिए पंचायतें, राज्य सरकार के विभागों/एजेंसियों से निर्धारित अवधियों के लिए प्रतिनियुक्ति के आधार पर स्टाफ ले सकती हैं।

(2) सभी राज्यों द्वारा अगले एक साल तक स्टाफ रखने और तरीके व प्रणाली की एक विस्तृत समीक्षा पंचायती राज संस्थाओं को लेकर जीरो बेस्ड एप्रोच के साथ की जा सकती है जिससे कि स्टाफ पर पंचायती राज संस्थाओं के स्वामित्व की नीति को कार्यान्वित किया जा सके। जिला परिषदों को खास तौर पर इस अभ्यास से जोड़ा जाना चाहिए।

भारत सरकार सामान्य रूप से उपर्युक्त सिफारिशों से सहमत है। यह महसूस किया गया है कि किसी भी नई भर्ती से समग्र प्रशासनिक खर्चे में खासी बढ़ोत्तरी नहीं होनी चाहिए। पंचायती राज मंत्रालय इन मामलों पर राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों के संपर्क में है।

[अनुवाद]

पर्यावरणीय परियोजनाओं में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

2889. **श्री जी. करूणाकर रेड्डी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है जो गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) को पर्यावरणीय परियोजनाओं में भाग लेने के लिए बढ़ावा देती हैं;

(ख) गैर-सरकारी संगठनों के सरकार से वित्तीय सहायता लेने के लिए निर्धारित निबंधन एवं शर्तें तथा योग्यताएं क्या हैं; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में उक्त परियोजनाओं के लिए प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) पर्यावरणीय परियोजनाओं में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित स्कीमें हैं:-

1. राष्ट्रीय प्राकृतिक अनुसंधान प्रबंधन प्रणाली सहित पर्यावरणीय अनुसंधान प्रमोशन;
2. प्रदूषण नियंत्रण परियोजनाएं;
3. राष्ट्रीय वनीकरण एवं पारि-विकास बोर्ड के अंतर्गत हरित भारत स्कीम;
4. संरक्षण;
5. पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता और उत्कृष्टता केन्द्र स्कीम;
6. पर्यावरणीय सूचना प्रणाली;
7. पशु कल्याण;
8. राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) सूचना संलग्न विवरण-II में दी गई है।

विवरण I

पर्यावरणीय परियोजनाओं में वित्तीय व्यवस्था हेतु शर्तें और पात्रता संबंधी मापदंड

1. पर्यावरणीय अनुसंधान को बढ़ावा

अनुसंधान परियोजनाओं की मंजूरी के लिए शर्तें:

(क) परियोजना सामान्यत: अधिकतम 3 वर्ष के लिए मंजूर की जाएगी यह अनुदान उपयोग प्रमाण-पत्र, व्यय विवरण तथा प्रगति रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के पश्चात प्रत्येक वर्ष दो किश्तों में देय होगी। संस्थाओं के नेटवर्क द्वारा किए जाने वाले सहयोगात्मक अनुसंधान के मामले में समन्वय संस्थान द्वारा उपयोग प्रमाण-पत्र और व्यय संबंधी विवरण के साथ-साथ प्रगति रिपोर्टें भी प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायित्व ठहराया जाएगा और इसमें सभी सहभागियों को शामिल किया जाएगा। संस्थाओं के प्राधिकरण जहां पर यह अनुसंधान संबंधी कार्य किए जाने हैं ये अनुदान प्राप्त करेंगे और इस राशि को वितरित करने, प्रशासन तथा अकाउंट का रख-रखाव करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(ख) यदि कोई जांच कर्ता (लीड अथवा प्रधान जांचकर्ता) संस्थान को छोड़ता है तो ऐसी स्थिति में उस परियोजना को पूरा करने का उत्तरदायित्व संस्थान के प्रमुख द्वारा किसी दूसरे समान रूप से क्वालिफाइड जांचकर्ता को दिया जा सकता है। इसके लिए मंत्रालय का अनुमोदन लिया जाएगा और कोई अतिरिक्त लागत खर्च नहीं की जाएगी।

(ग) परियोजना से संबंधित सभी लेखों की संस्थान के लेखापरीक्षकों द्वारा परीक्षा की जाएगी। परियोजना समाप्त होने पर यथोचित रूप से लेखापरीक्षित लेखे प्रस्तुत किए जाएंगे और यदि कोई राशि बिना खर्च हुए बच जाती है तो इसे परियोजना के समाप्त होने के छठे क्लेंडर माह के भीतर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को वापिस कर दी जाएगी। पूरी और अंतिम अदायगी सभी वित्तीय प्रमाण-पत्र, लेखापरिक्षार्थी रिपोर्टें तथा परियोजना से संबंधी अंतिम तकनीकी रिपोर्टें प्राप्त होने के बाद की जाएगी। स्वीकृत की गई राशि का 10% हिस्सा केवल बंद करने की सभी तरह की औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद जारी की जाएगी।

(घ) परियोजना के कार्यान्वयन के दौरान पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा किसी अन्य संस्थान से स्टाफ अथवा वैज्ञानिक लेखकर मुक्त किया जा सकता है ताकि वे संबंधित अनुसंधान संस्थानों में कार्य की प्रगति की समीक्षा कर करें।

(ङ) परियोजना के लिए जे.आर.एस./एस.आर.एफ./एमरिटस वैज्ञानिकों का चयन और नियुक्ति प्रधान/लीड जांचकर्ता द्वारा संबंधित संस्थाओं की निर्धारित प्रक्रियानुसार किया जाना चाहिए और यह नियुक्ति परियोजना के लिए स्वीकृत अवधि से अधिक नहीं होनी चाहिए। उक्त पद हेतु क्वालिफिकेशन और अनुभव के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) के दिशानिर्देशों का अनुसरण किया जाना चाहिए।

(च) अनुसंधान परियोजना के लिए नियुक्त किए गए स्टाफ पर प्रशासनिक नियंत्रण और सेवा संबंधी नियम उस संस्थान के लागू होंगे जिस संस्थान में उनकी नियुक्ति की गई है।

(छ) स्वीकृति के समय विशेष अनुसंधान परियोजनाओं के संबंध में मंत्रालय द्वारा प्रकाशन अथवा कान्फ्रेन्स, पेपर्स अथवा परियोजना पर आर्टीकल्स प्रस्तुत करने से पहले मंत्रालय की पूर्व अनुमति संबंधी जरूरतें निर्धारित की जा सकती हैं।

(ज) विधिवत जांच के बाद मंत्रालय का यह निष्कर्ष है कि उक्त अनुसंधान परियोजना की कार्य प्रगति अत्यधिक असंतोषजनक है और इसमें कोई सुधार नहीं हो सकता, इससे परियोजना समाप्त हो सकती है। परियोजना के इस तरह समाप्त होने पर पूरी तरह लेखा परीक्षित किए गए लेखे और बाकी बची सारी राशियों की अदायगी तत्काल मंत्रालय को की जानी होगी।

(झ) अनुदान की मदद से खरीदे गए सभी उपकरण और सामान संबंधित संस्थान के पास रहेंगे जब तक कि स्वीकृति में कोई अन्यथा उल्लेख न किया गया हो। तथापि, अनुदान वाले संगठन द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार परियोजना के अंतर्गत प्राप्त की गई परिसम्पत्तियों की सूची प्रस्तुत की जाएगी। यहां पर परिसंपत्ति शब्द का आशय (क) अचल संपत्ति और (ख) पूंजी स्वरूप की चल संपत्ति से है। जिसकी कीमत 10,000 रु. से ज्यादा की है।

(ञ) अंतर्राष्ट्रीय यात्रा, चाहे इसके लिए परियोजना के बजट में व्यवस्था की गई हो, के लिए भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

(ट) रिसर्च फैलोज और जांचकर्ताओं द्वारा परियोजना पर काम करते हुए रिसर्च संबंधी डिग्री भी दी जा सकती

है। वे डिग्री संबंधी आवश्यकताओं के लिए परियोजना के लिए मिली अनुसंधान संबंधी जानकारी का भी उपयोग कर सकते हैं सिवाय उन मामलों के जहां पर स्वीकृति में यह उल्लेख किया गया हो कि रिसर्च संबंधी रिजल्ट्स वर्गीकृत हैं।

(ठ) परियोजना अनुदान लेने वाले संगठन द्वारा पहले डिमांड ड्राफ्ट की प्राप्ति की तारीख से प्रभावित हो जाएंगे। डिमांड ड्राफ्ट मिलने की तारीख के बारे में प्रिंसिपल जांचकर्ता द्वारा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को सूचित किया जाएगा।

(ड) परियोजनाओं की मंजूरी सामान्यत: एक विशिष्ट अवधि के लिए (अधिकतम 3 वर्ष) की जाएगी। अपदवादस्वरूप मामलों में परियोजनाओं को अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए बनाया जा सकता है। परियोजना की अवधि को बढ़ाने के लिए किसी तरह के अनुरोध को प्रिंसिपल जांचकर्ता द्वारा मंत्रालय को क्लोजिंग डेट से कम से कम तीन महीने पहले भेजा जाना चाहिए। मंत्रालय की विशिष्ट मंजूरी लिये बिना प्रिंसिपल जांच कर्ता द्वारा क्लोजिंग डेट के बाद किसी तरह का व्यय नहीं करना चाहिए अथवा जब तक परियोजना की अवधि बढ़ने के बारे में उसे कोई सूचना न मिली हो। यदि इस तरह के विस्तार में परियोजना के कार्यक्षेत्र में कोई परिवर्तन करना शामिल न हो तो कोई अतिरिक्त धनराशि मंजूर नहीं की जाएगी।

(ढ) भारत सरकार और संस्थाओं तथा परियोजनाओं में भाग लेने वाले रिसर्च स्टाफ के बीच बुद्धिजीवी संपदा अधिकारों को शेयर करने के बारे में सीएसआईआर के दिशानिर्देशों पर आधारित स्वीकृति आदेशों में विशेषरूप से उल्लेख किया जाएगा।

(ण) प्रधान जांचकर्ता द्वारा संपर्क सूत्र वाले व्यक्ति को प्रत्येक वर्ष के अंत में परियोजना की प्रगति से संबंधित तीन हार्ड कापी तथा एक साफ्ट कापी परियोजना की वार्षिक समीक्षा हेतु दी जाएगी।

(त) अनुदान लेने वाले संगठन द्वारा मंत्रालय को कार्यनिष्पादन समरी तथा एक साफ्ट कापी सहित अंतिम तकनीकी रिपोर्ट की पांच कापी प्रस्तुत की जाएंगी। फाईनल टक्नीकल रिपोर्ट की समीक्षा थीमैटिक पीयर ग्रुप द्वारा की जाएगी।

(थ) रिसर्च परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता चाहने वाले गैर-सरकारी सगंठनों द्वारा निर्धारित फारमैट में एक बोंड भरा जाएगा।

(द) सभी तरह का पत्राचार संबंधित रिसर्च प्रोग्राम के लिए निर्धारित किए गए संपर्क व्यक्ति के पते पर किया जाएगा।

(ध) पीयर समीक्षाकर्ताओं को परियोजना पर अपने विशेषज्ञता टिप्पणियां देने के लिए 600 रु. प्रति परियोजना की दर से मानदेय दिया जाएगा।

2. प्रदूषण नियंत्रण योजनाएं

2.1 सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी)

सहायता पर विचार करने के लिए मापदंड

(1) औद्योगिक एस्टेटों अथवा लघु औद्योगिक इकाईयों में सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों को बढ़ावा दिया जाता है।

(2) केन्द्रीय सहायता केवल लघु स्तर की औद्योगिक इकाईयों के लिए उपलब्ध होगी।

(3) सहायता संबंधी परियोजनाओं को निम्नलिखित आधार पर प्राथमिकता दी जाएगी:

- प्रदूषकों की विषाक्तता
- उत्सर्जित तथा उपचारित प्रदूषण का भार तथा
- कवर की गई इकाईयों की संख्या।

(4) सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना और उनका प्रबंधन राज्य के औद्योगिक ढांचा निगम (यह चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो) द्वारा अथवा किसी उपयुक्त संस्थान द्वारा जिसमें राज्य सरकारों/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों द्वारा यथा निर्णीत संबंधित इकाईयों के सहयोगी निकाय भी शामिल हैं, किया जाएगा।

(5) परियोजना ऋणों की वापसी करने और प्रचालन तथा रख-रखाव लागतों को पूरा करने के लिए स्वयं संपोषित होनी चाहिए।

(6) परियोजना में लागत को शेयर करने देय राशियों को वसूल करना तथा प्रबंधन करने के साथ-साथ निर्धारित मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संस्थागत प्रबंध होने चाहिए।

(7) योजना के संबंध में राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की तकनीकी सिफारिश होनी चाहिए।

(8) सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र परियोजना के पास सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र से संबंधित व्यक्तिक इकाईयों से प्राप्त कन्वैन्स प्रणाली होनी चाहिए।

(9) सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र से संबंधित प्राईमरी और सैकंड्री उपचार के परिणामस्वरूप उत्पन्न स्लज (परिसंकटमय बनाम गैर-परिसंकटमय) की विशेषताएं होनी चाहिए इस प्रकार सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र में सुलज प्रबंधन योजना होनी चाहिए जिसे स्लज संबंधी विशेषताओं के आधार पर तैयार किया जाना चाहिए और सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट में प्रलेखित किया जाना चाहिए।

(10) सदस्य इकाईयों द्वारा सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र से उत्पन्न बहिस्राव के पुन: चक्रण तथा उपचारित बहिस्राव के पुन: प्रयोग की संभाव्यता का पता लगाया जाना चाहिए और सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट में उसे प्रलेखित किया जाना चाहिए।

(11) एक पर्यावरणीय प्रबंधन और मानीटरिंग योजना/कार्यक्रम तैयार करके सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र परियोजना रिपोर्ट की व्यवहार्यता रिपोर्ट में प्रलेखित किया जाना चाहिए।

(12) सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र (सीईटीपी) तथा उसकी सदस्य इकाईयों के बीच एक कानूनी करार होना चाहिए और उसे सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

(13) सी ई टी पी परियोजना द्वारा विकसित लागत वसूली फार्मूले का सभी सदस्यों द्वारा समर्थन किया जाना चाहिए और इसे सी ई टी पी की व्यवहार्यता रिपोर्ट में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

(14) शोधित किए गए उत्सर्जन पदार्थों के संबंध में संबंधित राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक स्वीकृति ली जानी चाहिए और इसे सी ई टी पी परियोजना की व्यवहार्यता रिपोर्ट में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

(15) सी ई टी पी से संबंधित सभी तरह की अपशिष्ट सुविधाओं के बारे में संबंधित राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से मंजूरी ली जानी चाहिए और इसे सी ई टी पी परियोजना का व्यवहार्यता रिपोर्ट में परिलक्षित किया जाना चाहिए।

3. हरित भारत योजना (ग्रीनिंग इंडिया स्कीम)

स्वैच्छिक एजेंसियों को वृक्षारोपण के लिए सहायता दी जाती है इसके लिए उच्चस्तर की वृक्षारोपण सामग्री उत्पादन सुविधाओं से संबंधित अतिरिक्त घटकों को शामिल किया जाता है तथा उच्चस्तर की वृक्षारोपण सामग्री के बारे में व्यापक स्तर पर जागरूकता पैदा की जाती है।

वर्ष 2007-08 के दौरान वृक्षारोपण तथा उच्चस्तर की वृक्षारोपण सामग्री तथा जागरूकता कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को वित्तीय सहायता।

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों को ग्रीनिंग इंडिया स्कीम के लिए दिए जाने वाले सहायता अनुदान के अंतर्गत वित्तीय सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता वनीकरण, उच्चस्तर की तकनीक स्थापित करने, सरकारी, वन समुदाय और निजी भूमियों पर क्वालिटी आधारित वृक्षारोपण सामग्री हेतु सैटलाईट पौधशालाएं तैयार करने के लिए तथा जागरूकता कार्यक्रम तैयार करने के लिए दी जाती है। उक्त योजना से संबंधित दिशानिर्देश तथा इसके साथ आवेदन करने का एक फोरमैट सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को उपलब्ध कराया गया है। इसे मंत्रालय की वैबसाइट http://www.envfor.nic.in से प्राप्त किया जा सकता है।

पात्रता संबंधी मापदंड

मदें	वृक्षारोपण	सैटेलाईट पौधशालाओं की स्थापना	केन्द्रीय उच्च तकनीक पौधशाला और जागरूकता कार्यक्रम
कार्यान्वयन एजेंसियां	सरकारी विभाग, शहरी स्थानीय निकाय, पंचायतीराज संस्थाएं, राज्यों के वन विभाग, पंजीकृत सोसाइटियां, गैर-लाभ आधारित संगठन, सहकारी संस्थाएं,	(1) राज्यों के वन विभाग द्वारा स्वयं अथवा वानिकी/कृषि अनुसंधान संगठनों/एफडीए/गरीबी रेखा से नीचे के किसानों/वृक्षारोपण करने वाली सहकारिताएं/पंचायतें	राज्यों के वन विभाग द्वारा स्वयं अथवा वानिकी/कृषि अनुसंधान संगठनों/एफडीए/गरीबी रेखा से नीचे के किसानों/वृक्षारोपण करने वाली सहकारिताएं/पंचायतें।

	चेरिटेबल ट्रस्ट, स्वैच्छिक एजेंसियां, सरकारी क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत् निकाय, पंजीकृत स्कूल, कालेज और विश्वविद्यालय	(2) गरीबी रेखा से नीचे के किसानों तथा निजी स्तर के उद्यमियों सहित अन्य व्यक्ति	
न्यूनतम पंजीकरण अवधि	31 मार्च, 2007 तक पांच वर्ष की पंजीकरण अवधि पूरी ही चुकी हो	आवेदन के समय स्थानीय अधिनियमों तथा नियमों के उपबंधों के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।	लागू नहीं
अनुभव	पार्यवरण अथवा इससे संबंधित सामाजिक क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव होना चाहिए।	पौधशालाएं तैयार करने का कम से कम तीन वर्ष का अनुभव तथा उच्चस्तर की उत्पादन सामग्री से जुड़े संसाधन की जानकारी और इसे प्राप्त करने की जानकारी होनी चाहिए।	लागू नहीं

प्रधान मुख्य वन संरक्षक को वृक्षारोपण से संबंधित प्रस्तावों की जांच करने और राज्य सैटलाईट पौधशालाएं स्थापित करने के लिए फोकल प्वाईंट बनाया गया है। हर तरह से पूर्ण परियोजना से संबंधित प्रस्ताव डुप्लीकेट रूप में संबंधित राज्य सरकार/केन्द्र प्रशासित प्रदेश के प्रशासन के प्रधान मुख्य वन संरक्षक को सीधे तौर से प्रस्तुत किया जाएगा। योजना संबंधी दिशानिर्देश के अनुसार पूर्ण प्रस्तावों को 15 अगस्त, 2007 तक राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशों के वन विभागों को दिया जाएगा। प्रत्येक राज्य/केन्द्र प्रशासित राज्यों से प्राप्त प्रस्तावों को पी सी सी एफ द्वारा पूरी जांच करने और उसे प्राथमिकता देने के बाद प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रधान मुख्य संरक्षक से हर तरह से पूर्ण एवं अपेक्षित दस्तावेजों के साथ परियोजना प्रस्तावों को मंत्रालय में प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख 15 सितम्बर, 2007 है। सभी प्रस्तावों/लेखों/कागजातों को केवल पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना आवश्यक है।

निबंधन एवं शर्तें

(1) सरकारी विभागों के अलावा अन्य एजेंसियों के मामले में ग्रांट लेने वाले को सामान्य वित्तीय नियमावली के अंतर्गत निर्धारित फार्मेट में एक बॉंड भरा जाना तथा इस बोर्ड को प्रस्तुत करना चाहिए और स्कीम के अंतर्गत एन ए बी द्वारा वित्तीय सहायता हेतु मंजूरी दिए जाने के बाद ग्रांट रिलीज करने से पहले संबंधित पी सी सी एफ को बांड की एक कापी भी प्रस्तुत करनी चाहिए।

जी एफ आर के अंतर्गत यथा निर्धारित अन्य सभी शर्तें सरकारी विभागों सहित आदाताओं पर लागू होंगी।

(2) केवल उन्हीं एजेंसियों के प्रस्तावों पर वित्तीय सहायता के लिए विचार किया जाएगा जो पिछले कम से कम पांच सालों से पंजीकृत हैं और जिन्हें पर्यावरण के क्षेत्र में अथवा अन्य संगत सामाजिक क्षेत्रों के संबंध में लोगों के साथ काम करने का अनुभव (कम से कम तीन वर्ष) हो। सरकारी विभागों को छोड़कर अन्य एजेंसियों के मामले में यह अनिवार्य होगा की वे अगले तीन वर्षों से संबंधित लेखों के लेखा परीक्षा विवरण प्रस्तुत करें। इस योजना के अंतर्गत वित्त पोषित उच्च तकनीक/सैटेलाईट पौध शालाओं से उपलब्ध क्यू पी एम मिलने तक संबंधित एजेंसियों को एस एफ डी द्वारा अधिप्रमाणित किसी अन्य स्रोत से प्राप्त क्वालिटी वृक्षारोपण सामग्री का उपयोग करना चाहिए।

(3) सरकारी विभागों से इतर अन्य एजेंसियों के पास उपयुक्त रूप से गठित एक प्रबंध निकाय होना चाहिए जिसके पास लिखित संविधान/उप कानून में स्पष्ट रूप से उल्लिखित शक्तियां, ड्यूटीज और दायित्व होने चाहिए।

(4) एजेंसी की वित्तीय स्थिति उसके द्वारा ली जा रही परियोजना के मामले में काफी अच्छी होनी चाहिए यह एजेंसी किसी एक व्यक्ति अथवा कुछ व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाई जानी चाहिए। इस एजेंसी के पास प्रस्तावित परियोजना को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए सुविधाएं, संसाधन, अनुभव और पर्याप्त संख्या में कार्मिक होने चाहिए।

(4) परियोजना क्षेत्र और आकार

जिस भूमि पर क्रियाकलाप किए जाने प्रस्तावित हैं वह उचित रूप से और पूरी तरह से पहचानी हुई होनी चाहिए। भूमि का विवरण यथा सर्वे संख्या, क्षेत्र और स्वामियों के नाम परियोजना के टोटल्स सहित स्थान-वार दिए जाने चाहिए। इन विवरणों को संबंधित भू-स्वामियों अथवा भू-स्वामी निकायों/प्राधिकरणों द्वारा सत्यापित और अधिप्रमाणित किया जाना चाहिए।

पहचानी गई परियोजना भूमि सैटेलाइट नर्सरी के निर्माण/वृक्षारोपण के लिए उपयुक्त होनी चाहिए और ये अधिसूचित वन क्षेत्रों, जहां पर केवल एस एफ डी ही पात्र हैं, के अलावा कहीं पर भी स्थित हो सकती हैं। अन्यों के लिए परियोजना क्षेत्र का चयन करते समय, वन क्षेत्रों के साथ लगती भूमियों को वरीयता दी जा सकती है। सरकारी विभागों, पी एस यूज के अलावा अन्य अभिकरणों के संबंध में रोपण क्षेत्र सामान्यतया 50 है. से अधिक नहीं होना चाहिए।

4. संरक्षण

मानदंड और शर्तें

(1) सामान्यतया मौजूदा उद्यान सहायता के लिए पात्र हैं। नए उद्यानों के लिए प्रस्तावों पर भी विचार किया सकता है, यदि ये पात्रता मानदंड पूरे करते हैं। अनकवर्ड और अन्डर कवर्ड क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों से प्राप्त आवेदनों को वरीयता दी जा सकती है।

(2) उन प्रस्तावों को प्राथमिकता दी जा सकती है जहां पर आवेदक और संस्था का विशेषकर आर ई टी और 'ई' पौधों के देशज संरक्षण और उपजाने में अच्छा ट्रैक रिकार्ड रहा हो। सहायता प्रदान किए जाने वाले उद्यान का आकार 2 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए लेकिन यह अधिमानत: 5 एकड़ या अधिक होना चाहिए।

(3) इस स्कीम के तहत अनुदान प्राप्त करने वाला संगठन परियोजना के एकीकृत अंग के रूप में प्रजातियों की पुनर्स्थापना भी सुनिश्चित करेगा और उनकी उत्तरजीविता की आवधिक मानीटरिंग/उत्तरजीविता की क्षमता की मानीटरिंग भी करेगा। आर ई टी और ई प्रजातियों की उनके प्राकृतिक पर्यावासों में सफल पुनर्स्थापना सुनिश्चित करने के लिए संगठन राज्य सरकार के साथ समन्वय स्थापित करेगा।

(4) दिए गए क्षेत्र की विशेषकर आर ई टी और ई प्रजातियों के देशज संरक्षण और उपजाने के लिए अन्य प्रापक संगठनों और अन्य प्लेयर्स को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए केन्द्र सरकार प्रत्येक फायटों, भौगोलिक जोन में नोडल संस्थान/संगठन के रूप में संस्थान/संगठन की पहचान करेगा। जहां कहीं अपेक्षित हो, राज्य सरकारों से परामर्श किया जा सकता है।

(5) राज्य/जिले स्तर पर सहायता प्राप्त करने वालों को वैज्ञानिक और पेशेवर सहायता प्रदान करने के लिए दिए गए राज्य/क्षेत्र के लिए बी एस आई से परामर्श करके वर्गिकी (सेवा निवृत्त टैक्सोनोमिस्ट सहित) वानिकी और बागवानी के क्षेत्र के विशेषज्ञों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। बी एस आई तकनीकी सहायता के लिए सेवानिवृत्त टैक्सोनोमिस्ट को लगा सकती है बी एस आई को ऐसी सहायता के लिए इस स्कीम के अंतर्गत बजटीय प्रावधान मुहैया कराया जाएगा।

(6) सहायता के लिए आवेदन कर रहे संगठनों को एक प्रमाण-पत्र देना होगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि इस संगठन ने इस कार्य के लिए केन्द्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय और/या किसी अन्य स्रोत जैसे डी बी टी, डी एस टी, यू जी सी, सी एस आई या आई सी ए आर आदि से इस कार्य के लिए कोई अनुदान प्राप्त नहीं किया है।

(7) देश के विभिन्न फायटों भौगोलिक क्षेत्रों में आर ई टी और ई प्रजातियों की सूची तैयार करने का कार्य बी एस आई को सौंपा गया है, जिसे प्राथमिकता आधार पर संरक्षण और विस्तार की आवश्यकता है। दिए गए क्षेत्र की प्रजातियों का संरक्षण करने के लिए बी एस आई से यह सूची प्राप्त की जा सकती है।

(8) प्रस्ताव संबंधित क्षेत्र की कम से कम 10 से 15 आर ई टी और ई प्रजातियों पर केन्द्रित होना चाहिए। सूची बी एस आई द्वारा उपलब्ध/अधिप्रमाणित की जाएगी। आर ई टी और देशज प्रजातियों में से प्रत्येक वृक्ष प्रजाति के न्यूनतम 20 पौधे, प्रत्येक झाड़ीदार प्रजाति के 30 पौधे तथा लियाना सहित तथा प्रत्येक हरबेसियस प्रजातियां के 50 पौधे/क्लाइम्बर्स का गर्डन में रखरखाव किया जाएगा।

(9) स्कीम के अंतर्गत अनुदान लेने वाले संस्थानों द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वे दी गई राशियों और सुविधाओं का उपयोग करें जो उन्हें स्कीम के अंतर्गत निर्धारित गतिविधियों के लिए दी गई है।

(10) स्कीम के अंतर्गत वित्त पोषित किए गए संगठनों द्वारा विशिष्ट प्रयोजनों के लिए उनके द्वारा संरक्षित प्रजातियों

की सामग्री उनको सप्लाई करने के लिए उक्त वनस्पति के संबंध में उपयोगकर्ताओं के साथ संबद्ध भी किया जाएगा।

(11) संगठनों द्वारा संरक्षित आर ई टी और ई प्रजातियों की जीवित सामग्रियों के बीजों को रखरखाव और भण्डारण हेतु बी एस आई या एन बी पी जी आर के क्षेत्रीय स्टेशनों पर भेजा जाएगा।

(12) किसी विदेशी अभिकरण/व्यक्ति को ऐसी सामग्री हस्तान्तरित करने के लिए जैवविविधता अधिनियम, 2002 के उपबंध लागू होते हैं। अतः ऐसा कोई हस्तान्तरण केवल राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन से ही किया जा सकता है।

(13) अवसंरचना सुधार के लिए अनावृत्ति अनुदान और फील्ड सर्वेक्षणों और पौधों के एकत्रण के लिए आवृत्ति अनुदान का वहन इस स्कीम के तहत किया जा सकता है। सिविल निर्माण कार्य उद्यान के आकार के अनुरूप सीमित होना चाहिए और इसे न्यूनतम स्तर तक रखा जाना चाहिए और अनुमान राज्य पी डब्ल्यू डी के उपलब्ध नवीनतम अनुसूचित रेटों (एस ओ आर) पर आधारित होंगे और इन्हें प्रमाणित इंजीनियर द्वारा तैयार/सत्यापित किया जाना चाहिए।

(14) लैंडस्केपिंग, पाथवेज, लाइट, सिग्नेज, सूचना पट्ट और परिचायक मल्टी मीडिया उपकरणों के लिए सहायता बाह्य स्थाने एकत्रण और जागरूकता सृजन के लिए आवश्यक सीमा तक अनुमानित किया जा सकता है।

(15) नियमित कार्मिकों अथवा कर्मचारियों की नियुक्त को इस स्कीम के तहत सहायता नहीं दी जाएगी।

(16) संगठन यह स्पष्ट रूप से बताएगा/उल्लेख करेगा कि परियोजना अवधि की समाप्ति पर जब मंत्रालय द्वारा वित्त पोषण बंद कर दिया जाएगा तो उद्यान का रखरखाव और अन्य क्रिया-कलाप किस प्रकार किए जाएंगे।

(17) सहायता प्राप्त करने वाले वास्तविक और वित्तीय प्रबंध में त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट (क्यू पी आर) प्रस्तुत करेगा।

5. पर्यावरण शिक्षा

पात्रता:

(1) सेमिनार/गोष्ठी/कार्यशालाएं/सम्मेलन
कोई भी मान्यता प्राप्त शैक्षिक/अनुसंधान संस्थान अथवा सरकारी विभाग/सरकारी उद्यम जिसके पास पर्यावरण संबंधित विषयों में 3 वर्ष का कार्य अनुभव हो। कोई पंजीकृत स्वैच्छिक/व्यवसायिक संगठन/ट्रस्ट जिसके पास प्रमाणित प्रत्यय-पत्र और पर्यावरणीय क्षेत्र में अनुभव हो और कम से कम तीन वर्षों से सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत पंजीकृत हो और लेखा परीक्षित लेखे प्रस्तुत करता हो।

(2) पेशेवर सोसायटियां और संस्थान-क्षमता निर्माण
कोई पंजीकृत स्वैच्छिक/पेशेवर संगठन या शैक्षिक/अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय/विज्ञान केंद्र जिनके पास प्रमाणित प्रत्यय पत्र हो अथवा सरकारी विभाग जो पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्षों से सक्रिय रूप से शामिल हो।

(3) पर्यावरण से संबंधित संसाधन सामग्री का प्रकाशन
कोई स्वैच्छिक/पेशेवर संगठन या शैक्षिक/अनुसंधान संस्थान या संग्रहालय/विज्ञान केन्द्र जिनके पास प्रमाणित प्रत्यय पत्र हो अथवा सरकारी विभाग जो पर्यावरण शिक्षा और जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय रूप से शामिल हो।

संगठन/विभाग ने पर्यावरण शिक्षा/जागरूकता/विस्तार के क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष की अवधि तक कार्य किया हो और इस अवधि के दौरान संगठन ने सराहनीय विशेषज्ञता विकसित कर ली हो इन क्षेत्र में काम करने का उसका अच्छा ट्रैक रिकार्ड रहा हो।

इस स्कीम के तहत, न्यूज लेटर, पत्रिकाएं, जर्नल, पत्रिका आदि के प्रकाशन के लिए अथवा किसी प्रकाशक/व्यक्तिगत सहित बिजनेस घरानों को कोई अनुदान नहीं दिया जाता है।

सेमीनार/संगोष्ठी/कार्यशाला/कांफ्रेंस आदि स्कीम के अंतर्गत अनुदान पाने के लिए मंत्रालय में प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए कट-आफ तारीखें

- अप्रैल, मई और जून तिमाही के लिए 7 मार्च
- जुलाई, अगस्त और सितम्बर तिमाही के लिए 7 जून
- अक्तूबर, नवंबर और दिसम्बर तिमाही के लिए 7 सितम्बर
- जनवरी, फरवरी और मार्च तिमाही के लिए 7 दिसम्बर

निर्धारित अंतिम तिथि के बाद प्राप्त प्रस्तावों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

उत्कृष्टता केन्द्र
पात्रता

पर्यावरण संबंधी विषयों में 10 वर्ष से भी अधिक का अनुभव रखने वाले मान्यता प्राप्त अकादमी/अनुसंधान संस्थान अथवा सरकारी

विभाग अथवा सरकार/पर्यावरण के क्षेत्र में माने हुए और अनुभव प्राप्त तथा सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत कम से कम 40 वर्ष के लिए पंजीकृत और जिसके लेखा परीक्षित लेखे हों वाला पंजीकृत स्वयंसेवी/व्यावसायिक संगठन/ट्रस्ट।

6. पर्यावरणीय सूचना

एनविस केन्द्र के चयन के लिए मानदंड

एनविस केन्द्र की स्थापना केन्द्र और राज्य/संघ शासित सरकार दोनों के लिए क्षेत्र, संबंध और प्राथमिकता की शर्त पर की जाएगी।

एनविस केन्द्र देश के मुख्य संसाधनों/संगठनों के साथ ही साथ राज्य/संघ शासित सरकारों के संबंधित विभागों में विशिष्ट संबंधित क्षेत्र में स्थित हैं। जिन संस्थानों/संगठनों/विभागों में एनविस केंद्र है उनके पास आवश्यक सुविज्ञता और उसके पास विषयोन्मुखी केन्द्र को चलाने की क्षमता होनी चाहिए और एनविस समुदाय के प्रयोक्ताओं को जब और जहां पर्याप्त सूचना की आवश्यकता हो उसे पूरा करने में रुचि और इच्छा शक्ति हो।

शर्तें

(क) एनविस केन्द्रों को विशिष्ट उद्देश्य के लिए जारी किए जा रहे अनुदान अनुमोदन और अनुदान को केवल एनविस केन्द्रों पर खर्च किया जाना चाहिए जोकि निर्धारित समय सीमा में स्वीकृत किया गया है। मंत्रालय द्वारा दिए गए अनुदान की खर्च न की गई कोई भी राशि मंत्रालय को वापिस करनी अपेक्षित होगी और किसी एक वित्तीय वर्ष की खर्च न की गई राशि को एनविस केन्द्र के लिए अगले वित्तीय वर्ष में खर्च करने के लिए मंत्रालय का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा।

(ख) पुस्तकें, पत्रिकाएं और फर्नीचर आदि सहित स्थायी, अर्द्धस्थायी परिसम्पत्तियां जो पूरी तरह अथवा मुख्य रूप से अनुदान से ली गई हो उसके लिए अनुदान प्राप्त संगठन द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में रजिस्टर के रूप में लेखा परीक्षा रिकोर्ड रखा जाएगा। परिसम्पत्ति से यहां तात्पर्य (क) अचल संपत्ति, और (ख) पूंजी स्वरूप की चल सम्पत्ति जहां इसका मूल्य 1000/- रुपये से अधिक हो, है।

अनुदान को किसी भवन निर्माण के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और एनविस केन्द्रों के लिए अपेक्षित आवास और अवसंरचनात्मक सुविधाएं के रूप में पूरी सुविधाएं आदि अनुदान प्राप्तकर्ता संगठन द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी।

(ग) अनुदान से खरीदी गई उपस्कर और प्रोटोटाइप सहित सभी परिसम्पत्तियां भारत सरकार की सम्पत्ति होगी और इसका मंत्रालय की पूर्व मंजूरी के बिना निपटान अथवा अधिकार रखने अथवा जिस कार्य के लिए अनुदान मंजूर किया गया है, के अलावा किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

(घ) यदि एनविस केन्द्र बंद हो जाता है तो भारत सरकार उन परिसंपत्तियों जो भारत सरकार की संपत्ति है को बेचने अथवा अन्यथा निस्तारण के लिए स्वतंत्र होगी। अनुदान पाने वाले संगठन इन परिसंपत्तियों की बिक्री के लिए आवश्यक सुविधाएं और व्यवस्था करेंगे। यदि भारत सरकार इसे उचित समझती है तो यह भारत सरकार के विवेक पर निर्भर है वह अनुदान पाने वाले संगठन को परिसंपत्तियां दे दे।

(ङ) अनुदान पाने वाले संगठन एनविस केन्द्र पर किए गए कार्य की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेंगे। कार्य की प्रगति की समीक्षा करने और एनविस केन्द्र के उद्देश्यों की प्रारम्भिक वास्तविकता सुनिश्चित करने हेतु उपाय सुझाने हेतु अनुदान पाने वाले संगठनों का आवधिक निरीक्षण करने के लिए मंत्रालय वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को प्रतिनियुक्त कर सकता है। अनुदान पाने वाले संगठनों द्वारा निरीक्षण करने वाले वैज्ञानिकों/विशेषज्ञों को पूरी सुविधा दी जाएगी।

(च) अनुदान पाने वाले संगठनों से प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत और अनुदान की आगे की किश्तों की मांग करते समय उपरोक्त (2) में उल्लिखित परिसंपत्तियों की सूची भेजना अपेक्षित है।

(छ) अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन प्रत्येक वित्त वर्ष अर्थात 31 मई, की समाप्ति के साठ दिनों के भीतर पूर्व वित्तीय वर्षों के दौरान जारी किए गए अनुदान के लिए मंत्रालय को एक उपयोगिता प्रमाण-पत्र देंगे। अनुदान से संबंधित खातों और उपयोगिता प्रमाण-पत्र का एक लेखा परीक्षित विवरण भी निर्धारित समय में पूरा करना होगा। तथापि गैर-सरकारी संगठनों के मामले में व्यवसायिक निकायों/पंजीकृत सोसाइटियों, लेखापरीक्षित यूसी और पूर्व अनुदान का व्यय विवरण दिया जाना आवश्यक होगा।

(ज) भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को अपने विवेक से भारत सरकार से प्राप्त अनुदान के लिए अनुदान पाने वाले संगठन की किताबों और खातों तक पहुंच का अधिकार होगा।

(झ) अनुदान पाने वाले संगठन, केन्द्र के लिए अलग लेखा परीक्षित खाते रखेंगे। यदि ब्याज प्राप्त करने के लिए अनुदान का एक हिस्सा अथवा पूरा अनुदान बैंक खाते में रखना समीचीन पाया जाता है तो इस तरह से प्राप्त ब्याज मंत्रालय को दे दिया जाएगा। इस तरह प्राप्त ब्याज को अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन के क्रेडिट के रूप में माना जाएगा और इसे अनुदान की अगली किस्त में शामिल कर दिया जाएगा।

(ञ) केन्द्र की गतिविधियों के परिणामस्वरूप मंत्रालय द्वारा सीधे दिए गए अनुदान से होने वाली विक्रय कार्रवाई यदि कोई हो, भारत सरकार को प्रेषित की जानी चाहिए। भारत सरकतार अपने विवेक से ऐसी प्राप्तियों के किसी भाग को अनुदान पाने वाले संगठन के पास बनाए रखने की अनुमति दे सकती है।

(ट) अनुदान पाने वाले संगठन को एनविस केन्द्र को उस कार्य का कार्यान्वयन सौंपने की अनुमति नहीं होगी जिसके लिए किसी अन्य संगठन को सहायता मंजूर की गई है इसके अतिरिक्त सहायता अथवा उसके किसी भाग के किसी अन्य संगठन के लिए अनुमति नहीं होगी। यदि अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन कार्य को शुरू अथवा पूरा करने की स्थिति में नहीं है तो उसके द्वारा अनुदान की संपूर्ण धनराशि मंत्रालय को लौटाना आवश्यक होगा। अपवाद स्वरूप, भारत सरकार द्वारा इस शर्त से छूट दी जा सकती है।

(ठ) यदि यह विश्वास हो जाता है कि अनुदान का सही प्रयोग नहीं किया गया है अथवा उचित प्रगति नहीं हो रही है तो किसी भी चरण में अनुदान वापसी का अधिकार मंत्रालय के पास सुरक्षित है।

(ड) जिस तारीख को अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन द्वारा अनुदान प्राप्त किया जाता है उसी तारीख से एनविस केन्द्र संचालित हो जाएगा अनुदान प्राप्त होने की तारीख अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन द्वारा मंत्रालय को दी जाएगी।

(ढ) एनविस केन्द्र में कर्मचारियों की सेवा शर्तें उस संस्था/संस्था के नियमों और विनियमों द्वारा निर्धारित की जाएंगी जिसमें वह एनविस केन्द्र स्थित है। चूंकि कर्मचारी उस संस्था/संस्थान जिसमें एनविस केन्द्र स्थित है की स्ट्रेन्थ पर आधारित होंगे अत: एनविस सेंटर बंद होने पर स्टाफ की तैनाती सहित इस मामले में मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

7. पशु कल्याण

पशुओं की देखभाल हेतु आश्रय स्थलों के प्रावधान के लिए स्कीम

पात्रता:

(1) स्कीम के अंतर्गत स्वयंसेवी संगठनों/संस्थानों, विश्वविद्यालयों, अनुसंधान संस्थानों, विद्यालयों, स्वायत्तशासी निकायों जैसे कि पंचायती राज संस्थानों, नगरनिगमों, टाऊन एरिया कमेटियों रेडक्रास सोसाइटियों और इसकी शाखाओं को सहायता दी जा सकती है।

(2) संस्था कम से कम तीन वर्ष पुरानी होनी चाहिए अथवा संबंधित क्षेत्र में कम से कम तीन वर्ष का अनुभव अथवा प्रस्तावित स्कीम को शुरू करने में सक्षम होने का सबूत दिखाया जाना चाहिए।

(3) इसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह के लाभ के लिए नहीं चलाया जाना चाहिए।

(4) इसमें एक उचित ढंग से गठित मैनेजमेंट बाडी जिसकी शक्तियां, कर्त्तव्य और जिम्मेदारियां स्पष्ट रूप से परिभाषित हो और लिखित संविधान में दी गई हों।

स्वयंसेवी संगठन की परिभाषा: इस स्कीम के उद्देश्य के लिए एक स्वयंसेवी संगठन का अर्थ होगा:

(क) इंडियन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 का एक्ट 21) के अंतर्गत पंजीकृत सोसाइटी, अथवा

(ख) चेरिटेबल लाभ न कमाने वाली कंपनी,

(ग) समय पर लागू किसी कानून के अंतर्गत पंजीकृत सार्वजनिक ट्रस्ट, अथवा

(घ) समाज कल्याण के कंडक्ट और प्रमोशन में लगा कोई गैर-आफिसियल रजिस्टर्ड संगठन।

7.2 अवारा कुत्तों के वर्थ कंट्रोल और बंध्यकरण और मेडिकल स्क्रीनिंग तथा दिल्ली के शहरी बंदरों में टीबी उपचार के लिए स्कीम।

जिस एजेंसी द्वारा स्कीम शुरू की जानी है उसके सहित जिस ढंग से स्कीम कार्यान्वित की जानी है उसके लिए सहायता और डिस्क्रिप्शन हेतु पात्रता:

(1) निर्धारित प्रपत्र एवं इसके लिए निर्धारित निबंधन एवं शर्तों के अनुसार आवेदन-पत्र प्राप्त होने पर स्कीम के अतंर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा नगर पालिकाओं/

ग्रामीण क्षेत्रों के अंतर्गत कार्य कर रहे पशु कल्याण संगठनों/एसपीसीए को निधियां उपलब्ध कराई जाएंगी।

(2) नगर पालिकाओं/निगमों/समितियों/ग्राम पंचायतों के सहयोग से कार्य कर रहे और इंडियन सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 (1860 का 21) से पंजीकृत मात्र पशु कल्याण संगठन/एसपीसीए एजंसियों और नगर निगमों/समितियों तथा अन्य स्थानीय निकायों को सहायता दी जाएगी।

उचित मामलों में राज्य पशु चिकित्सा विभागों को भी सहायता दी जाएगी। पशु कल्याण संगठनों/एसपीसीए के लिए निम्नलिखित कार्य आवश्यक होंगे:

(क) संगठन को पशु कल्याण के मामले में कार्य करने का अनुभव हो अथवा प्रस्तावित स्कीम शुरू करने में सक्षम होने का सबूत।

(ख) इसका एक उचित प्रशासनिक ढांचा तथा भलीभांति गठित प्रबंधन/संचालन समिति हो।

(ग) संगठन इस बात का आश्वासन देंगे कि वे भारत सरकार (पर्यावरण एवं वन मंत्रालय) द्वारा समय-समय पर निर्धारित आवधिक एवं नियमित रिटर्न रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

(घ) संगठन के पास पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित करने और अन्य सुविधाओं जैसे कि आपरेशन थिएटर, पोस्ट सर्जरी केयर के लिए पर्याप्त स्थान तथा आश्रय स्थल, कुत्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए वाहन और प्रशिक्षित पशु चिकित्सक, जो भारतीय पशु चिकित्सा परिषद/राज्य/संघ क्षेत्र पशु चिकित्सा परिषद से पंजीकृत हो तथा कुत्तों से बंध्याकरण और प्रतिरक्षण हेतु अपेक्षित संस्था में पेरावेट होने चाहिए।

(ङ) यदि संगठन बंध्याकरण किए गए आवारा कुत्तों को पकड़ने और छोड़ने का कार्य शुरू करने का प्रस्ताव करता है तो संगठन के पास ऐसे वाहन की व्यवस्था होनी चाहिए जिससे कि कुत्तों को उन स्थानों तक पहुंचाया जा सके जहां से उन्हें पकड़ा गया था। गैर-सरकारी संगठन/एजेंसी के पास प्रशिक्षित कुत्ता पकड़ने वाले, प्रशिक्षित वाई वेट्स/विशेषज्ञ नियुक्त करने की क्षमता होनी चाहिए।

7.3 विपदाग्रस्त पशुओं के लिए एम्बूलेंस सेवाओं के प्रावधान के लिए स्कीम

सहायता के लिए पात्रता:

इस स्कीम के तहत इस मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्तों के अध्यधीन और इसके लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त होने पर ही अनुदान स्वीकृत किया जाएगा।

सहायता के लिए पात्र अभिकरण इस प्रकार होंगे:

(1) राज्य सरकारें/संघ शासित प्रशासन, स्थानीय निकाय।

(2) सरकार द्वारा किसी विधान या सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत पंजीकृत सोसायटी अथवा अन्यथा स्वायत्तशासी निकाय के रूप में गठित संस्थान या संगठन।

(3) स्थानीय निकाय और सहकारी सोसायटी जैसे शैक्षिक और अन्य संस्थान।

(4) निम्नलिखित अपेक्षाएं पूरी करने वाले गैर-सरकारी संगठन:

(क) उचित अधिनियम के तहत पंजीकृत निकाय ताकि इसे एक कारपोरेट स्तर प्राप्त हो और इसके कार्यों के लिए एक कानूनी पर्सनलटी और ग्रुप दायित्व स्थापित किया जा सके।

(ख) इसका एक उचित प्रशासनिक ढांचा हो और विधिवत रूप से गठित प्रबंधकीय/कार्यकारी समिति हो।

(ग) संगठन के उद्देश्य और लक्ष्य और इन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कार्यक्रमों को संक्षेप में दिया गया हो; और

(घ) संगठन को इसके सदस्यों द्वारा प्रजातांत्रिक सिद्धांतों पर शुरू किया जाए और चलाया जाए, बिना किसी बाह्य सहायता के।

(ङ) संगठन किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने के लिए नहीं चलाया जाएगा और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित अनुसार आवधिक और नियमित रिपोर्ट और रिटर्न प्रस्तुत करने की अंडरटेकिंग देनी होगी।

(च) संबंधित संगठन दो वर्षों से पंजीकृत होना चाहिए।

8. राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना (एन आर सी पी)

पात्रता:

गैर-सरकारी संगठनों को पंजीकृत सोसायटी होना चाहिए, जो अपने लेखापरीक्षित लेखों का रखरखाव करते हों और जिनके पास पर्यावरण जागरूकता के क्षेत्र में कम से कम दो वर्षों का अनुभव हो और अधिमानत: उस जिले में स्थित हो जहां पर एन आर सी पी के तहत प्रदूषण उपशमन कार्य किए जाने हैं।

विवरण II

विभिन्न गैर-सरकारी संगठनों को वर्षवार जारी की गई निधि औषधीय पौधों, कच्छवनस्पति और प्रवालभिति के लिए अनुसंधान कार्यक्रम

(रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 14.3.08 तक
1.	दिल्ली	–	2,46,000	12,38,000	2,13,000
2.	गुजरात	3,07,680	6,39,858	–	–
3.	कर्नाटक	1,44,000	2,31,000	3,98,000	–
4.	केरल	–	–	–	10,00,000
5.	तमिलनाडु	–	2,53,564	3,25,000	–
6.	उत्तर प्रदेश	–	10,11,000	–	–
7.	पश्चिम बंगाल	–	1,75,524	–	–
	राष्ट्रीय प्राकृतिक अनुसंधान प्रबंधन प्रणाली				
1.	दिल्ली	–	–	7,88,210	–
2.	गुजरात	–	8,40,650	6,58,028	–
	प्रदूषण नियंत्रण (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा गैर-सरकारी संगठनों का वित्तीय सहायता)				
	शून्य				

विभिन्न राज्यों में हरित भारत स्कीम के लिए अनुदान सहायता

(रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5236232	3730437	313820	1340000
2.	अरुणाचल प्रदेश	4053451	6729390	808572	1528000
3.	असम	2740576	2367510	1255280	1528000
4.	बिहार				
5.	छत्तीसगढ़	398640		313820	
6.	दिल्ली				

1	2	3	4	5	6
7.	गोवा				
8.	गुजरात	4186864	3306600	313820	3208000
9.	हरियाणा				
10.	हिमाचल प्रदेश	524302	313820		250000
11.	जम्मू-कश्मीर		1760000		1740000
12.	झारखंड	1264560		243870	
13.	कर्नाटक		966240		
14.	केरल	1353880			798000
15.	महाराष्ट्र	2412643	254310	251056	
16.	मणिपुर	11080253	5816740	2709123	5220000
17.	मेघालय	4113426	3377640	878696	2608000
18.	मिजोरम	6208600		341678	525000
19.	मध्य प्रदेश	2331830	2899627		2806000
20.	नागालैंड	11688132	7990298	3858910	4212000
21.	उड़ीसा	8712667	11901142	194800	6987000
22.	पंजाब		254310		
23.	राजस्थान	3677998	6186820	584470	3206000
24.	सिक्किम		513820		
25.	तमिलनाडु	4137982	32153	2229040	
26.	त्रिपुरा	115562	233870		
27.	उत्तर प्रदेश	6150617	9997214	568130	7365000
28.	उत्तराखंड	696873	5419900	663275	4862000
29.	पश्चिम बंगाल	2343112	1967820		852000
			राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम		
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	8.62	–
2.	गुजरात	6.42	–	3.94	–
3.	महाराष्ट्र	–	8.03	–	–
4.	केरल	–	6.08	–	–
5.	उत्तर प्रदेश	–	3.19	–	–
6.	पश्चिम बंगाल	–	5.32	–	–

औषधीय पौधों-कच्छ वनस्पति और प्रवालभिति का संरक्षण

(रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08 14.3.08 को
1.	दिल्ली	2,60,190	2,06,800	3,38,861	2,52,958
2.	कर्नाटक	75,00,000	56,20,000	92,44,733	90,00,000
3.	तमिलनाडु	–	6,08,000	3,22,000	3,22,000

पर्यावरण शिक्षा जागरूकता और प्रशिक्षण स्कीम

(राशि लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08**
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	37.14	42.23	39.24	15.23
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	असम	20.32	25.50	0.00	30.98
4.	बिहार	25.71	50.64	32.66	33.03
5.	छत्तीसगढ़	0.00	0.00	5.82	7.34
6.	दिल्ली*	98.46	122.17	163.45	142.26
7.	गोवा	0.00	0.00	0.15	0.00
8.	गुजरात	360.30	370.35	370.49	373.68
9.	हरियाणा	0.00	0.05	8.10	14.15
10.	हिमाचल प्रदेश	1.20	0.00	0.50	0.40
11.	जम्मू-कश्मीर	7.69	0.16	26.70	27.55
12.	झारखंड	24.57	17.68	19.45	19.22
13.	कर्नाटक	20.01	15.69	18.32	13.02
14.	केरल	2.45	1.80	0.20	0.00
15.	महाराष्ट्र	35.59	40.61	41.45	43.41
16.	मणिपुर	0.20	0.70	0.00	0.00
17.	मेघालय	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6
18.	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.00
19.	मध्य प्रदेश	0.12	0.50	0.00	0.00
20.	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.00
21.	उड़ीसा	2.24	0.95	17.98	18.45
22.	पंजाब	0.00	0.00	0.40	0.00
23.	राजस्थान*	13.22	147.59	228.93	240.05
24.	सिक्किम	0.00	0.00	0.00	0.00
25.	तमिलनाडु	135.28	152.25	161.85	155.13
26.	त्रिपुरा	0.00	0.00	0.00	0.00
27.	उत्तर प्रदेश	24.36	40.81	31.15	29.88
28.	उत्तराखंड	3.49	10.21	4.82	7.28
29.	पश्चिम बंगाल	14.03	21.65	19.46	22.92

*राष्ट्रीय हरित कोर कार्यक्रम के अंतर्गत जारी सहित

**2007-08 के आंकड़े अनुमानित हैं और 13.3.08 तक

पर्यावरणीय सूचना

(रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1.	आंध्र प्रदेश	6,58,000	7,74,000	8,05,450	8,05,450
2.	दिल्ली	34,31,000	61,13,882	55,72,857	41,90,500
3.	गुजरात	9,77,000	10,28,000	5,29,240	4,21,509
4.	कर्नाटक	5,27,000	7,63,000	7,84,000	3,56,500
5.	महाराष्ट्र	16,43,000	15,10,416	17,99,321	18,86,812
6.	तमिलनाडु	10,54,000	12,32,620	12,80,921	9,30,000

पशु कल्याण

गैर-सरकारी संगठनों को सीधी निधि देने के लिए निधि का आवंटन शून्य है।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण परियोजना

जनभागीदारी कार्यों के लिए राज्यवार आवंटित निधि

(लाख रुपये)

क्र.सं.	राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08
1.	दिल्ली	3.00	3.63	6.66	शून्य
2.	उत्तर प्रदेश	शून्य	शून्य	191.00	शून्य
3.	तमिलनाडु	2.75	शून्य	शून्य	शून्य
4.	हरियाणा	शून्य	शून्य	87.20	शून्य

सड़कों की खराब हालत के संबंध में शिकायतें

2890. **श्री जसुभाई धाभाभाई बारड़:**
श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री टेक लाल महतो:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार को राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) के अंतर्गत देश के विभिन्न भागों में सड़कों की खराब हालत के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो प्राप्त शिकायतों की कुल राज्य-वार संख्या कितनी है और ऐसी शिकायतों को निपटाने के लिए क्या तंत्र है तथा इस पर केंद्र सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखाव के लिए आबंटित तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है तथा इसके फलस्वरूप राज्य-वार तथा वर्ष-वार कितनी प्रगति हुई है।

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) और (ख) राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्गों का कोई खंड खराब हालत में नहीं है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना के अंतर्गत विभिन्न सड़कों की खराब स्थिति के बारे में समय-समय पर शिकायतें प्राप्त होती रही हैं। सड़कों की खराब स्थिति के संबंध में अधिकांश शिकायतें भारी बारिश के दौरान सड़कों के क्षतिग्रस्त होने तथा ठेकेदारों के निम्नस्तरीय कार्य निष्पादन के कारण घटिया रखरखाव के कारण थीं।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने तात्कालिक मरम्मत कार्य, रीसरफेसिंग, कार्य न करने वाले ठेकेदारों के ठेके समाप्त करने और कार्य पुन: सौंपने आदि सहित इस स्थिति के सुधार के लिए उपाय किए हैं। सड़क यातायात योग्य और प्रयोग लायक स्थिति में हो, यह सुनिश्चित करने के लिए प्रचालन और अनुरक्षण ठेकों में प्रावधान किए गए हैं। जब भी आवश्यकता होती है, बाढ़ से हुई क्षति की मरम्मत भी की जाती है।

(ग) चालू वर्ष सहित पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और अनुरक्षण के लिए आबंटित धनराशि और खर्च की गई धनराशि के राज्यवार और वर्षवार ब्यौरे विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 (29.02.2008) के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए राज्यवार आबंटन और व्यय

(करोड़ रु.)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004-05		2005-06		2006-07		2007-08	
		आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय (29.2.2008 तक)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	आंध्र प्रदेश	34.67	25.81	39.07	39.09	61.19	56.59	74.63	46.20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.41	0.26	0.21	0.10	0.30	0.09	1.37	0.04
3.	असम	22.42	18.30	30.84	27.52	25.98	21.18	46.88	21.50
4.	बिहार	36.96	36.61	47.66	44.46	34.34	24.58	41.51	7.40
5.	चंडीगढ़	0.80	0.72	0.52	0.12	0.66	0.64	0.98	0.60
6.	छत्तीसगढ़	26.99	19.75	20.55	20.12	24.15	23.52	33.51	17.76
7.	दिल्ली	0.75	0.00	0.44	0.04	0.03	0.03	0.00	0.00
8.	गोवा	3.80	1.76	4.66	3.87	3.51	3.30	4.92	2.34
9.	गुजरात	37.39	33.73	38.62	38.08	33.99	33.95	42.46	27.55
10.	हरियाणा	7.09	6.42	15.43	14.12	24.27	21.34	18.13	15.21
11.	हिमाचल प्रदेश	16.10	14.66	23.27	18.19	18.90	18.28	19.59	13.35
12.	जम्मू-कश्मीर	0.44	0.04	0.12	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	झारखंड	12.50	12.42	21.37	14.79	22.27	21.68	27.82	10.77
14.	कर्नाटक	37.40	36.62	42.44	41.87	39.88	39.88	59.44	27.07
15.	केरल	30.70	30.23	34.59	53.07	19.30	29.54	37.53	19.73
16.	मध्य प्रदेश	59.49	54.21	56.48	53.51	51.70	50.89	60.68	45.79
17.	महाराष्ट्र	48.48	47.34	52.60	52.36	59.34	59.16	63.18	32.39
18.	मणिपुर	7.02	5.09	10.87	8.98	3.04	2.91	14.30	1.89
19.	मेघालय	12.24	11.70	10.69	8.50	9.84	7.09	15.07	0.28
20.	मिजोरम	4.56	4.32	5.52	5.28	5.19	3.42	6.67	0.60
21.	नागालैंड	2.31	2.14	4.01	3.85	3.91	2.63	6.93	1.86
22.	उड़ीसा	33.83	32.82	40.92	41.22	43.70	43.78	50.51	34.33
23.	पांडिचेरी	1.06	0.83	0.77	0.76	0.94	0.30	2.01	0.52
24.	पंजाब	19.03	16.48	21.76	19.30	17.44	15.20	28.42	12.72
25.	राजस्थान	53.11	42.74	54.99	53.91	67.58	67.54	71.63	49.23
26.	तमिलनाडु	36.18	34.56	54.30	49.94	25.67	23.71	40.75	14.36
27.	उत्तर प्रदेश	54.92	52.10	51.18	50.01	45.63	48.54	64.24	46.37
28.	उत्तराखंड	10.60	10.20	16.10	15.87	15.80	15.39	15.27	8.85
29.	पश्चिम बंगाल	26.22	22.94	29.87	28.05	18.50	16.38	25.31	14.65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
30.	एनएचएआई	91.09	91.09	112.05	112.05	105.76	105.76	87.73	60.00
31.	ब्रह्मपुत्र पुल मरम्मत	0.00	0.00	0.20	0.07	0.13	0.13		
32.	बीआरडीबी	17.00	13.06	22.00	15.75	22.28	22.05	30.06	21.01

थाइरायड रोग की रोकथाम

2891. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में 4 करोड़ से अधिक लोग थाइरायड रोग से पीड़ित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस रोग की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पाणाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) यह अनुमान है कि 7.1 करोड़ लोग पोषक आयोडीन अल्पता विकारों से ग्रस्त हैं।

(ग) आयोडीन अल्पता विकारों की समस्या की रोकथाम एवं नियंत्रण के उद्देश्य से यह मंत्रालय 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजना के रूप में पूरे देश में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहा है। सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को सामान्य खाने वाले नमक के बजाए आयोडीन युक्त नमक की आपूर्ति की जा रही है। यह मंत्रालय इस कार्यक्रम के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण प्रकोष्ठ और एक आयोडीन अल्पता विकार निगरानी प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए सभी राज्यों/संघ क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रहा है। राज्य स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा हेतु राज्य सरकारों को निधियों के आबंटन के अतिरिक्त प्रसार भारती, आकाशवाणी, क्षेत्र प्रचार निदेशालय और दृश्य-श्रव्य प्रचार निदेशालय के माध्यम से सभी राज्यों और संघ क्षेत्रों में सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप तेज किए जा रहे हैं।

वायु प्रदूषण को रोकने के लिए मशीनों का आयात

2892. श्री किन्जरपु येरणनायडु: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वायु प्रदूषण रोकने के लिए कुछ मशीनों का आयात किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मशीनें किन देशों से आयात की जा रही हैं तथा प्रत्येक मशीन की लागत कितनी है; और

(ग) इन मशीनों को किन-किन स्थानों पर लगाए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सी पी सी बी) ने 80.00 लाख रुपये (लगभग) प्रत्येक की लागत पर चार शहरों में वायु प्रदूषण स्तरों की सतत मानीटरी और मूल्यांकन के लिए फ्रांस से 12 (बारह) सतत परिवेशी वायु गुणवत्ता मानीटरी स्टेशनों (सी.ए.ए.क्यू.एम.एस.) को प्राप्त किया है।

इसके अतिरिक्त आस्ट्रेलिया, फ्रांस और यू.एस.ए. के विभिन्न उत्पादकों से इसी प्रकार के 5 (पांच) सीएएक्यूएमएस प्राप्त किए गए हैं और 11 (ग्यारह) ऐसे सी ए ए क्यू एम एस प्राप्ति के विभिन्न चरणों पर हैं। प्रति सी ए ए क्यू एम एस की 40 लाख रुपये तक की पूंजी लागत सी पी सी बी द्वारा वहन की जानी है और शेष राशि संबंधित एस पी सी बी द्वारा पूरी की जानी है।

इन सी ए ए क्यू एम एस को सी पी सी बी और विभिन्न एस पी सी बी द्वारा पूरे देश के 17 शहरों नामश: हैदराबाद (आंध्र प्रदेश), पटना (बिहार), अहमदाबाद (गुजरात), फरीदाबाद (हरियाणा), झरिया (झारखंड), बैंगलोर (कर्नाटक), मुंबई (महाराष्ट्र), पुणे (तमिलनाडु), शोलापुर (महाराष्ट्र), जोधपुर (राजस्थान), चैन्नई (तमिलनाडु), कानपुर (उत्तर प्रदेश), वाराणसी (उत्तर प्रदेश), आगरा (उत्तर प्रदेश), लखनऊ (उत्तर प्रदेश), कोलकाता (पश्चिम बंगाल) और दिल्ली में स्थापित किया जाना है।

पशु प्रवास गलियारा

2893. श्रीमती मेनका गांधी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनन कार्य पशु प्रवास गलियारे को नष्ट कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे खनन को देखते हुए पशु प्रवास गलियारे के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) प्रवासी पशुओं के एक पर्यावास से दूसरे में आने जाने को सुविधाजनक बनाने के लिए राज्य कारीडोर, अन्तरराज्यीय कारीडोर और अन्तर्राष्ट्रीय कारीडोर हैं। इसमें से कुछ प्रवासी कारीडोर देश के खनिजिक क्षेत्रों में पड़ते हैं जिसमें झारखंड-उड़ीसा, झारखंड-पश्चिम बंगाल, झारखंड-मध्य प्रदेश, कर्नाटक-केरल, और केरल-तमिलनाडु शामिल हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत खनन के लिए अनुमोदन प्रदान करते समय न्यूनीकरण उपायों की शर्तें शामिल करते हुए वन्यजीव कारीडोर पर खनन प्रभावों का यथासंभव कम करने की शर्त लगाई जाती है।

इन्हांस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट

2894. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में मलेरिया की रोकथाम के लिए एक संशोधित योजना कार्यान्वित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उन राज्यों तथा शहरों का ब्यौरा क्या है जिनमें इन्हांस्ड मलेरिया कंट्रोल प्रोजेक्ट चल रहा है; और

(घ) उक्त योजना अब तक अपने उद्देश्यों को हासिल करने में किस सीमा तक सफल हुई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। संशोधित प्रचालन योजना वर्ष 1977 में शुरू की गई थी जिसका उद्देश्य निम्नवत् है:

(1) मलेरिया से होने वाली मृत्यु की रोकथाम,

(2) मलेरिया से होने वाली रुग्णता को कम करना,

(3) औद्योगिक और हरित क्रान्ति का अनुरक्षण और हासिल की गई उपलब्धियों को बनाए रखना।

कार्यक्रम को प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदानगी प्रणाली के साथ समेकित किया गया था।

(ग) विश्व बैंक से सहायता प्राप्त व्यापक मलेरिया नियंत्रण परियोजना का संचालन आठ राज्यों नामत: आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उड़ीसा में किया था जिनमें इन राज्यों के कुल 100 जिले शामिल किए गए थे। उपरोक्त राज्यों में वर्ष 2005 के बाद मलेरिया नियंत्रण कार्यकलापों को चालू रखने के लिए विश्व बैंक ने कार्यक्रम के दूसरे चरण के कार्यान्वयन तक पूर्व व्यापी वित्त प्रदान किया है।

(घ) वर्ष 1977 में संशोधित प्रचालन योजना के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप मलेरिया के रोगियों में कमी हुई है, वर्ष 1976 में 6.4 मिलियन मलेरिया रोगी थे जिनकी संख्या कम होकर वर्ष 2006 में 1.67 मिलियन रोगी और वर्ष 2007 में 1.36 मिलियन रोगी हो गई। देश में वर्ष में मलेरिया के कारण होने वाले मलेरिया रोगियों की मृत्यु की सूचित संख्या लगभग 1000 है। संशोधित प्राक्कलन योजना द्वारा हासिल की गई उपलब्धि को बरकरार रखने के लिए राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित उपाय शुरू किए गए हैं:-

- निदान और उपचार की पहुंच बढ़ाना,
- समेकित वेक्टर नियंत्रण उपायों के उपयोग को बढ़ाना,
- कीटनाशी उपचारित मच्छरदानियों का उपयोग,
- विकेन्द्रीकरण और प्रशिक्षण के माध्यम से संस्थागत सुदृढ़ीकरण,
- सूचना, शिक्षा, संप्रेषण क्रियाकलापों के माध्यम से जागरूकता सृजन और सामाजिक संगठन, तथा
- प्रबन्धन सूचना प्रणाली का सुदृढ़ीकरण।

कच्छ वनस्पति को पुन: उगाना

2895. श्री मनोरंजन भक्त: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह में वर्ष 2004 में सुनामी के दौरान नष्ट हुई कच्छ वनस्पति को पुन: उगाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) इस प्रयोजनार्थ अब तक कितनी धनराशि आवंटित की गई/उपयोग में लाई गई?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायन मीना): (क) अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह के वन विभाग ने वर्ष 2004 में सुनामी के दौरान नष्ट हुए क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति रोपण का कार्य शुरू किया है। प्रतिवर्ष अधिक से अधिक क्षेत्र को

शामिल किया जा रहा है। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में कच्छ वनस्पति के प्राकृतिक रूप से उगने पर भी नजर रखी जा रही है। पर्यावरण एवं वन विभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्राकृतिक विकासक्रम की निगरानी कर रहा है और योजना स्कीम के अंतर्गत भी अवक्रमित क्षेत्रों की नीचे दिए अनुसार पुनर्स्थापना कर रहा है:-

वर्ष	कच्छ वनस्पति का पुनरुत्पादन (हैक्टेयर)
2005-06	12.17
2006-07	25.70
2007-08	45.00

(ख) कच्छ वनस्पति रोपण के पुनरुत्पादन के लिए वन विभाग, अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह द्वारा वर्षवार प्रयोग की गई निधि नीचे दिए अनुसार हैं:-

वर्ष	व्यय (लाख रुपये)
2005-06	19.67
2006-07	29.34
2007-08	27.71

[हिन्दी]

पथ कर संग्रहण

2896. श्री बी.के. दुग्मर:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर पथ कर संग्रह करने के लिए प्राधिकृत (निजी एवं सरकारी) एजेंसियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को गत तीन वर्षों के दौरान इन एजेंसियों के विरुद्ध स्थानीय लोगों से कोई शिकायत मिली है;

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन एजेंसियों के कार्यकरण की किस प्रकार निगरानी की जाती है;

(घ) क्या इन एजेंसियों की पथ कर संग्रहण से आमदनी के अतिरिक्त आय का कोई अन्य स्रोत है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रयोक्ता शुल्क (पथकर) संग्रहीत करने के लिए अधिकृत की गई एजेंसियों (सार्वजनिक और निजी) के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) शुल्क संग्रहण में अनियमितताओं, शुल्क संग्रहण करने वाली एजेंसियों के कर्मचारियों के दुर्व्यवहार, मासिक पास जारी करने में विलंब और शुल्क से अधिक राशि वसूल करना आदि के संबंध में कुछ शिकायतें सुविधाओं के प्रयोक्ताओं से प्राप्त हुई थी।

(ग) एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर निगरानी इस प्रकार रखी जाती है:-

(1) औचक जांच व बारंबार निरीक्षण करके;

(2) स्थानीय शुल्क लेखा परीक्षक की नियुक्ति करके;

(3) पथकर पर्यवेक्षकों की चौबीस घंटों तैनाती करके;

(4) फर्जी ग्राहक भेजकर;

(5) किसी एजेंसी द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए पथकर प्लाजाओं पर सभी प्रकार के लेन-देनों का कार्यस्थल पर ही अवलोकन करके।

(घ) और (ङ) इस प्रकार की सूचना इस मंत्रालय में नहीं रखी जाती है।

विवरण

पथकर संग्रहणकर्ता एजेंसी का विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	पथकर संग्रहण कार्य में लगी सार्वजनिक एवं निजी एजेंसियों की कुल संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19
2.	असम	2
3.	बिहार	5
4.	छत्तीसगढ़	3
5.	दिल्ली	2
6.	गुजरात	15

1	2	3
7.	हरियाणा	2
8.	कर्नाटक	10
9.	केरल	7
10.	मध्य प्रदेश	8
11.	महाराष्ट्र	21
12.	मणिपुर	1
13.	उड़ीसा	4
14.	पंजाब	3
15.	राजस्थान	14
16.	तमिलनाडु	14
17.	उत्तराखंड	4
18.	उत्तर प्रदेश	20
19.	पश्चिम बंगाल	7

[अनुवाद]

दुर्घटना प्रवण कोयला खानें

2897. श्री अमिताभ नन्दी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में दुर्घटना प्रवण तथा असुरक्षित कोयला खानों की पहचान करने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसी असुरक्षित खानों की स्थान-वार पहचान करने तथा ऐसी कोयला खानों में दुर्घटनाएं रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): (क) जी, हां।

(ख) दुर्घटना आंकड़ों के माध्यम से वर्ष 2004, 2005 और 2006 में क्रमश: 64, 57 और 41 खानों को दुर्घटना प्रवण खानों के रूप में घोषित किया गया है।

(ग) सभी खानों का जोखिम मूल्यांकन किया जाता है और तदनुसार समयबद्ध कार्यान्वयन के लिए सुरक्षा प्रबंधन योजनाएं तैयार की जाती हैं। सुरक्षा समिति की बैठकों में खान सुरक्षा की स्थिति पर विचार-विमर्श किया जाता है और कोयला कंपनियों के प्रबंधन तथा कामगारों को तदनुसार की जाने वाली कार्रवाई के बारे में सूचित किया जाता है। कामगारों को नई प्रौद्योगिकी और खनन प्रणाली से अवगत कराने के लिए उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है।

खेलों को प्रोत्साहन

2898. श्री रायापति सांबासिवा राव: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान खेलों के विभिन्न क्षेत्रों में मंत्रालय द्वारा किए गए कार्य का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खेलों के लिए कितनी धनराशि आबंटित तथा खर्च की गई;

(ग) क्या मंत्रालय चालू वर्ष के दौरान देश में कुछ चयनित खेलों को प्रोत्साहन दे रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) गत तीन वर्षों के दौरान पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने भिन्न-भिन्न पत्तनों के बीच क्रिकेट, कैरम और टेबल टेनिस मैचों का आयोजन किया है तथा इसने क्रिकेट और शतरंज में अंतर-मंत्रालयी टूर्नामेंटों में भाग लिया है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान खेलों पर आबंटित तथा खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (ङ) केंद्रीय सचिवालय में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग नोडल एजेंसी है जो अंतर-मंत्रालयी खेल-कूद क्रियाकलापों का आयोजन करती है।

विवरण

क्र.सं.	वर्ष	आबंटित की गई धनराशि	खर्च की गई धनराशि
1.	2004-05	53,000 रुपए	कुछ नहीं
2.	2005-06	58,000 रुपए	2921 रुपए
3.	2006-07	58,000 रुपए	1415 रुपए

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन

2899. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राधिकरण के प्रकार्यों और संरचना में परिवर्तनों को अंतर्विष्ट करने के लिए सरकार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) जी हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल के अनुमोदन के पश्चात्, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 में निम्नलिखित निर्णयों को लागू करने के लिए संशोधन किए जाने की आवश्यकता है:-

(1) प्राधिकरण के पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या 5 से बढ़ाकर 6 करना; और

(2) प्राधिकरण के अंशकालिक सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 6 करना।

(ग) इस मंत्रालय ने संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 2007 को प्रस्तुत करनी और इसे संसद में लाने की मंशाई जताई थी। विधेयक को उस सत्र में पेश नहीं किया जा सका। चालू सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को पेश करने के लिए नया नोटिस जारी कर दिया गया है।

[हिन्दी]

एड्स के रोगियों का उपचार करने वाले अस्पताल

2900. श्री रामदास आठवले: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि एड्स के रोगियों का वरीयता के आधार पर उपचार करने वाले सरकारी अस्पतालों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): एड्स रोगियों के उपचार करने वाले इस समय 147 सरकारी अस्पताल हैं। इनका राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

29 फरवरी, 2008 की स्थिति के अनुसार एआरटी केंद्रों का राज्य-वार ब्यौरा

क्र.सं.	राज्य का नाम	केन्द्र का नाम
1	2	3
1.	तमिलनाडु (20)	जीएमटीएम, ताम्बरम, चेन्नई
2.		मद्रास मेडिकल कालेज, चेन्नई
3.		गवर्नमेंट मेडिल कालेज, मदुरई
4.		गवर्नमेंट हास्पिटल, नामक्कल
5.		किलपौक मेडिकल कालेज, चेन्नई
6.		मेडिकल कालेज, सलेम
7.		मेडिकल कालेज, तिरूनेलवेली
8.		मेडिकल कालेज, कोयम्बटूर
9.		मेडिकल कालेज, थेनी
10.		मेडिकल कालेज, तंजावूर
11.		मेडिकल कालेज, वेल्लोर
12.		मेडिकल कालेज, कन्याकुमारी
13.		मेडिकल कालेज, त्रिची
14.		आईओजी, चेन्नई
15.		गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, धर्मपुरी
16.		गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, विरूधनगर
17.		गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, वेल्लूपुरम
18.		गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, करूर
19.		गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, डिंडीगुल
20.		गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, पेरम्बलूर

1	2	3
21.	महाराष्ट्र (25)	जेजे हास्पिटल, मुम्बई
22.		केईएम हास्पिटल, मुंबई
23.		नायर हास्पिटल, मुंबई
24.		सीएन हास्पिटल, मुंबई
25.		गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, सांगली
26.		बी.जे. मेडिकल कालेज, पुणे
27.		गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नागपुर
28.		नारी, पुणे
29.		मेडिकल कालेज, औरंगाबाद
30.		मेडिकल कालेज, धुले
31.		मेडिकल कालेज, अकोला
32.		मेडिकल कालेज, यावतमल
33.		मेडिकल कालेज, अम्बेजोगई
34.		गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, कोल्हापुर
35.		गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, सोलापुर
36.		गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, नांदेड
37.		गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, लातूर
38.		बीआईएलटी, चन्द्रपुर
39.		थाणे जिला अस्पताल
40.		नासिक, जिला सिविल अस्पताल
41.		अहमद नगर, जिला अस्पताल
42.		जिला सिविल अस्पताल, रत्नागिरी
43.		सिविल हास्पिटल, वर्धा
44.		जिला सिविल अस्पताल, परभनी
45.		जिला सिविल अस्पताल, जलगांव
46.	आंध्र प्रदेश (21)	उस्मानिया मेडिकल कालेज, हैदराबाद
47.		गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, गुंटूर
48.		गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, विजाग
49.		एसवीआरआर जीजीएच, तिरूपति (चित्तौड़)
50.		जीजीएच, अनन्तपुर
51.		जीजीएच, विजयवाड़ा
52.		आरआईएमएस, कडापा
53.		गवर्नमेंट जिला हास्पिटल, प्रकाशम (अंगोले)
54.		जीजीएच, काकीनाडा
55.		गांधी मेडिकल कालेज, सिकन्दराबाद
56.		मेडिकल कालेज, वारंगल
57.		मेडिकल कालेज, करीमनगर
58.		गवर्नमेंट जन. चेस्ट हास्पिटल, हैदराबाद
59.		डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, निजामाबाद
60.		डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, इलूरू
61.		डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, श्रीकाकुलम
62.		डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, खम्माम
63.		डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, महबूबनगर
64.		डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, विजयानगरम
65.		डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, मेडक
66.		डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हास्पिटल, अदिलाबाद
67.	कर्नाटक (17)	लेडी कर्जन हास्पिटल, बंगलौर

1	2	3
68.		मैसूर मेडिकल कालेज, मैसूर
69.		वीआईएमएस, वेल्लारी
70.		केआईएमएस, हुबली
71.		जिला अस्पताल, रायचूर
72.		जिला अस्पताल, देवनगेरे
73.		वेनलोक जिला अस्पताल, मंगलौर
74.		जिला अस्पताल, बीजापुर
75.		जिला अस्पताल, गुलबर्गा
76.		जिला अस्पताल, बेलगांव
77.		जिला अस्पताल, कोलार
78.		जिला अस्पताल, बागलकोट
79.		आईजी इंस्टीट्यूट आफ चाइल्ड हेल्थ, बंगलौर
80.		डीएच, कोप्पल
81.		डीएच, चामराज नगर
82.		डीएच, हासन
83.		एसीसी, वाडी
84.	मणिपुर (5)	आरआईएमएस, इम्फाल
85.		जवाहर लाल नेहरू हास्पिटल, इम्फाल
86.		जिला अस्पताल, उखरूल
87.		जिला अस्पताल, चूराचांदपुर
88.		जिला अस्पताल, थोबल
89.	नागालैंड (4)	नागा जिला हास्पितल, कोहिमा
90.		जिला हास्पिटल, दीमापुर
91.		तेनसांग जिला हास्पिटल
92.		मोकाचुंग सिविल हास्पिटल
93.	दिल्ली (9)	आरएमएल हास्पिटल, नई दिल्ली
94.		एलएनजेपी हास्पिटल, नई दिल्ली
95.		एम्स, नई दिल्ली
96.		डीडीयू हास्पिटल, नई दिल्ली
97.		जीटीबी हास्पिटल, नई दिल्ली
98.		एलआरएस इंस्टीट्यूट आफ टीबी, नई दिल्ली
99.		सफदरजंग हास्पिटल
100.		कलावती सरन चिल्ड्रेन हास्पिटल
101.		बाबा साहेब अम्बेडकर हास्पिटल, दिल्ली
102.	चंडीगढ़ (1)	पिजमेर, चंडीगढ़
103.	राजस्थान (4)	एसएमएस हास्पिटल, जयपुर
104.		बीकानेर, एसपी मेडिकल कालेज
105.		एसएनएमसी, जोधपुर
106.		आरएनटी मेडिकल कालेज, उदयपुर
107.	गुजरात (4)	बी.जे. मेडिकल कालेज, अहमदाबाद
108.		बी.जे. मेडिकल कालेज, सूरत
109.		मोरा चोरासी, रिलायंस एचआईवी एंड टीबी कन्ट्रोल सेन्टर, सूरत
110.		पंडित दीनदयाल उपाध्याय हास्पिटल, राजकोट
111.	पश्चिम बंगाल (2)	स्कूल आफ ट्रापिकल मेडिसिन, कोलकाता
112.		नार्थ बंगाल मेडिकल कालेज, सिलीगुडी
113.	उत्तर प्रदेश (5)	बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, वाराणसी
114.		केजीएमसी, लखनऊ
115.		एमएलएन मेडिकल कालेज, इलाहाबाद

1	2	3
116.		एलएलआरएम मेडिकल कालेज, मेरठ
117.		बीआरडी मेडिकल कालेज, गोरखपुर
118.	गोवा (1)	गवर्नमेंट मेडिकल कालेज, बाम्बोलिम
119.	केरल (5)	मेडिकल कालेज, तिरूवनन्तपुरम
120.		मेडिकल कालेज, कोट्टायम
121.		मेडिकल कालेज, कोजीकोड (कालीकट)
122.		मेडिकल कालेज, त्रिसूर
123.		मेडिकल कालेज, अलेफी (अलप्पुझा)
124.	हिमाचल प्रदेश (1)	आरजीएमसी, शिमला
125.	पांडिचेरी (1)	जीजीएच, पांडिचेरी
126.	बिहार (2)	पीएमसीएच, पटना
127.		एसकेएमसीएच, मुजफ्फरपुर
128.	मध्य प्रदेश (2)	मेडिकल कालेज, इंदौर
129.		एमसी, जबलपुर
130.	असम (3)	मेडिकल कालेज, गोवाहाटी
131.		एएमसी, डिब्रूगढ़
132.		सिल्चर मेडिकल कालेज एंड हास्पिटल
133.	अरुणाचल प्रदेश (1)	जनरल हास्पिटल, नाहारलगुन
134.	मिजोरम (1)	सिविल हास्पिटल, आइजवाल
135.	पंजाब (2)	जीएमसी, अमृतसर
136.		सिविल हास्पिटल, जालंधर
137.	सिक्किम (1)	एसटीएनएम, गंगटोक
138.	झारखण्ड (2)	आरआईएमएस, रांची
139.		एमजीएम मेडिकल कालेज, जमशेदपुर
140.	हरियाणा	जीजीआईएमएस, रोहतक
141.	उत्तराखण्ड	दून हास्पिटल, देहरादून
142.	जम्मू-कश्मीर (2)	मेडिकल कालेज, जम्मू
143.		एसकेआईएमएस, श्रीनगर
144.	उड़ीसा	एमकेसीजी मेडिकल कालेज, बेहरामपुर
145.	छत्तीसगढ़	मेडिकल कालेज, रायपुर
146.	त्रिपुरा	सिविल हास्पिटल, अगरतला
147.	मेघालय	सिविल हास्पिटल, शिलांग

रिहायशी क्षेत्रों में जंगली जानवरों का प्रवेश

2901. **श्री हेमलाल मुर्मू:** क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के कई राज्यों के रिहायशी क्षेत्रों में जंगली जानवरों विशेषकर बाघ और हाथी के प्रवेश करने की घटनाएं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) लोगों की जंगली जानवरों से रक्षा करने और इस प्रकार के जंगली जानवरों के पुनर्वास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) बाघ और हाथियों सहित वन्यजीवों का आवासीय क्षेत्रों में भटकते हुए आने की बात बार-बार ध्यान में आई है। यद्यपि, इस संबंध में दैनिक आधार पर घटनाओं का विवरण भारत सरकार स्तर पर एकत्र नहीं किया जाता है।

(ग) चल रही केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों (हाथी परियोजना, बाघ परियोजना, राष्ट्रीय उद्यान विकास और अभयारण्य) के अंतर्गत मानव-वन्य पशु झड़पों को कम करने और आवारा वन्य पशुओं के पुनर्वास के लिए राज्यों को निधियन सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। इन उपायों में साथ ही साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) जंगली हाथियों के प्रवेश को रोकने के लिए सौर ऊर्जा बाड़ लगाना।

(2) हाथी प्रूफ खाईयां बनाना।

(3) समस्या पैदा करने वाले जानवरों को भगाने के लिए पशुओं को वापिस भगाने वाले स्क्वाड को तैनात करना।

(4) आवारा मांस भक्षियों को पकड़ कर उनको छोड़ने/पुन: स्थापित करने के लिए बचाव दल की तैनाती।

(5) निगरानी टीम की तैनाती।

[अनुवाद]

पन्द्रह-सूत्री कार्यक्रम

2902. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 19 दिसम्बर, 2007 को हुई राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में 15-सूत्री कार्यक्रम पर चर्चा की गई थी और ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यकों के लिए जहां संभव हो वहां लक्ष्यों और परिव्ययों का 15 प्रतिशत निर्धारण करने की बात समाप्त कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (ग) दिनांक 19 दिसम्बर, 2007 को राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के मसौदा दस्तावेज पर चर्चा करने के लिए तथा उसे औपचारिक रूप से स्वीकार करने के लिए हुई थी।

[हिन्दी]

छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं

2903. श्री अजीत जोगी: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों को चार लेनों और छ: लेनों का बनाने सहित छत्तीसगढ़ में चलाई गई/चलाई जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का परियोजना-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख तक इन परियोजनाओं के लिए आबंटित और इन पर खर्च की गई निधियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कई परियोजनाएं नियत समय से पीछे चल रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) छत्तीसगढ़ में वर्ष 2007-08 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों पर चालू कार्यों और शुरू किए जाने वाले संभावित कार्यों के ब्यौरे इस प्रकार हैं:-

क्र.सं.	परियोजना	संख्या	लंबाई (किमी.)	परियोजना की लागत (करोड़ रु.)
1.	दो लेन बनाना	21	304.24	130.41
2.	पुल कार्य	16	1.372	52.01
3.	सुदृढ़ीकरण और अन्य सुधार कार्य	30	102.06	43.84
4.	चार लेन बनाना	2	127.69	654.00

उपर्युक्त के अलावा, सीमा सड़क संगठन द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 16 के 132 किमी. में दो लेन बनाने का कार्य भी किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय राजमार्गों को 6 लेन का बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए धनराशि का आबंटन राज्यवार किया जाता है न कि परियोजनावार। वर्ष 2007-08 के दौरान राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 39.00 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। इसमें से 29 फरवरी, 2008 तक 31.01 करोड़ रु. खर्च किए जा चुके हैं। इसके अलावा, चालू वर्ष के दौरान सीमा सड़क संगठन द्वारा 25 फरवरी, 2008 तक 24.74 करोड़ रु. खर्च किए गए हैं। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा 4 लेन बनाने के कार्य निर्माण, प्रचालन और हस्तांतरण व्यवस्था से किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) इस समय कुल 17 परियोजनाएं समय से पीछे चल रही हैं जिनके मार्च, 2008 और सितंबर, 2008 के बीच पूरे कर लिए जाने की संभावना है। राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा ठेके की शर्तों के अनुसार कार्रवाई की गई है। कार्य में तेजी लाने के लिए इन कार्यों के संबंध में समुचित तकनीकी/प्रशासनिक निर्णय भी लिए गए हैं।

[अनुवाद]

स्वास्थ्य स्टाफ के लिए नई भर्ती प्रणाली

2904. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाने और स्थानीय समुदायों के प्रति जवाबदेही बनाने के लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य स्टाफ हेतु नई भर्ती प्रणाली की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पनाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है। तदनुसार, स्वास्थ्य सेवा प्रदानगी के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। केन्द्र सरकार अपने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से राज्यों के इन प्रयासों में सहयोग देती है।

स्थानीय शासन पर प्रशासनिक सुधार आयोग की छठी रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, यह सिफारिश की गई है कि "अस्पतालों और विद्यालयों के लिए भर्ती गैर-उत्तरदायी राज्य स्तरीय भर्ती से हटकर होनी चाहिए।

प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को समुचित कार्रवाई करने के लिए सभी राज्य/संघ क्षेत्र सरकारों एवं अन्य संबंधित प्राधिकारियों को प्रेषित कर दिया गया है।

पारादीप पत्तन के भीतर दुर्घटनाएं

2905. श्री जुएल ओराम: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप पत्तन में भारी वाहनों की उपस्थिति से लगातार दुर्घटनाएं होती हैं;

(ख) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान उसके परिणामस्वरूप हताहत हुए व्यक्तियों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार से दुर्घटनाओं के क्या कारण हैं और इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) और (ख) घटित दुर्घटनाओं और हताहतों की संख्या निम्नानुसार है:-

वर्ष	दुर्घटनाओं की संख्या	हताहतों की संख्या
2004-05	6	2
2005-06	5	5
2006-07	8	3

(ग) जांच के बाद, यह पाया गया कि दुर्घटनाओं का मुख्य कारण, ट्रक, डंपर, पे लोडर्स, ट्रेलर आदि जैसे भारी वाहनों के चालकों/सहायकों/प्रचालकों के साथ-साथ पत्तन क्षेत्र में यहां वहां घूमने वाले अस्थाई श्रमिकों के द्वारा हुई "मानवीय त्रुटि" था। पत्तन ने भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए निम्नानुसार कदम उठा कर कई उपाय किए हैं:-

(1) पत्तन क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश और निकासी और पत्तन क्षेत्र के भीतर उनकी गतिविधि का विनियमन।

(2) दुर्घटनाओं का कारण बनने वाले भारी वाहनों के स्वामियों के विरुद्ध दण्ड की कार्रवाई करना।

(3) भारी वाहनों के स्वामियों को सक्षम और भरोसेमंद चालकों/सहायकों/प्रचालकों आदि की नियुक्ति किए जाने के लिए उपयुक्त अनुदेश जारी करना।

(4) पत्तन क्षेत्र के भीतर उचित प्रकाश की व्यवस्था करना और ट्रकों, डम्परों आदि के लिए अलग से पार्किंग क्षेत्र आवंटित करना।

(5) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं से बचने के लिए इन दुर्घटनाओं के कारणों और इसके निदान के लिए किए जाने वाले उपायों पर पत्तन सुरक्षा समिति में नियमित रूप से विचार-विमर्श का आयोजन करना।

(6) सुरक्षा सैल के उपरोक्त अधिकारियों के अलावा, मोबाइल ट्रैफिक स्क्वाड, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और अन्य संबंधित प्राधिकारी पत्तन क्षेत्र में यातायात के संचालन में किसी प्रकार के उल्लंघन को रोकने के लिए अचानक निरीक्षण करते हैं। पत्तन, कामगारों को शिक्षित बनाए जाने की दृष्टि से सुरक्षा पक्षों से संबंधित कार्यशालाओं का नियतिम रूप से आयोजन भी कर रहा है।

शारीरिक रूप से नि:शक्त व्यक्तियों के लिए खेलकूद को बढ़ावा देना

2906. श्री रघुनाथ झा: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न प्रकार की शारीरिक निशक्त वाले व्यक्तियों को खेल-कूद करने के लिए बढ़ावा देने हेतु कोई कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान नि:शक्त व्यक्तियों के लिए आयोजित खेल प्रतिस्पर्धाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए सृजित खेल अवसंरचना का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) नि:शक्त व्यक्तियों के लिए खेलों को बढ़ावा देने के लिए राज्य-वार कितनी राशि आबंटित की गयी है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) से (ग) मंत्रालय 'विकलांगों के लिए खेलकूद की योजना' नामक एक नई योजना तैयार कर रहा है जिसके अंतर्गत विकलांग खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के लिए तथा विकलांगों के लिए जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय स्तर की चैम्पियनशिपों के आयोजन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। हालांकि, जब तक नई योजना को अंतिम रूप नहीं दे दिया जाता, तब तक भी मंत्रालय 'राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता' की योजना के अंतर्गत भारतीय पैरालम्पिक समिति, अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद तथा विशेष ओलंपिक भारत के माध्यम से विक्लांगों के बीच खेलों के संवर्धन के लिए मान्यता-प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को पहले से ही वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। इन राष्ट्रीय खेल परिसंघों को राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविरों, भारत में राष्ट्रीय चैम्पियनशिपों और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन तथा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में सहभागिता के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। इन परिसंघों को 'राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता' की विद्यमान योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रदान की गई धनराशि का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिसमें राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर, जो भारतीय खेल प्राधिकरण के जरिए आयोजित किए जाते हैं, के अंतर्गत व्यय शामिल नहीं है:-

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	जारी की गई केन्द्रीय सहायता (लाख रु. में)		
		2005-06	2006-07	2007-08 (29.02.2008 की तारीख के अनुसार)
1.	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद	13.43	19.15	16.40
2.	भारतीय पैरालम्पिक समिति	13.50	33.34	217.69
3.	विशेष ओलंपिक भारत	0.00	4.50	92.00

(घ) 'खेल' राज्य का विषय है, अत: विकलांग व्यक्तियों सहित सभी के लिए खेल सुविधाओं का सृजन करना मुख्यत: राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

(ङ) विकलांग व्यक्तियों के लिए खेलों के संवर्धन हेतु राज्य-वार धनराशि आबंटित नहीं की जाती है।

प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य गतिविधियां

2907. श्री विजय कृष्ण: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में इस समय चल रही प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य गतिविधियों (एएसएचए) का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन्हें दिए जा रहे पारिश्रमिक के ब्यौरे सहित आदेश में वर्णित उनके दायित्वों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश भर विशेषकर बिहार में एएसएचए की मौजूदा स्टाफ संख्या पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) आशा समुदाय में स्वास्थ्य और इसके सामाजिक निधारिकों के बारे में जागरूकता उत्पन्न करने और स्थानीय स्वास्थ्य नियोजन, मौजूदा स्वास्थ्य सेवाओं के बढ़े हुए उपयोग और उत्तरदायिता के लिए समुदाय को जुटाने हेतु एक स्वास्थ्य सक्रिय कार्यकर्ता है। उनकी भूमिकाएं और उत्तरदायित्व हैं (1) जागरूकता उत्पन्न करना; (2) परामर्श देना; (3) समुदाय को जुटाना तथा स्वास्थ्य से संबंधित सेवाओं की पहुंच में उनकी सहायता करना; (4) ग्राम पंचायत की ग्राम स्वास्थ्य एवं सफाई समिति के साथ काम करना; (5) उपचार की आवश्यकता वाली गर्भवती महिलाओं और बच्चों को ले जाने हेतु उनके साथ जाना; (6) छोटी-छोटी बीमारियों के लिए प्राथमिक चिकित्सा परिचर्या प्रदान करना; (7) अनिवार्य चिकित्सा सामग्री के लिए एक डिपो धारक के रूप में कार्य करना; (8) जन्म और मौतों के बारे में सूचित करना, और (9) समग्र सफाई अभियान के अंतर्गत घरों के प्रसाधन-गृहों के निर्माण को बढ़ावा देना।

आशा एक अवैतनिक स्वयंसेवक हैं और उसे कोई वेतन अथवा मानदेय नहीं दिया जाएगा। तथापि, आशा को निम्नलिखित स्थिति में उसके समय देने के लिए मुआवजा दिया जा रहा है:

* यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते के संदर्भ में प्रशिक्षण की अवधि हेतु;
* परिमेय आउटपुटों (आशा के मुआवजे का संवितरण अलग-अलग कार्यक्रमों में बनी विशिष्ट भुगतान तंत्र प्रणाली के अनुसार किया जाएगा) से विशिष्ट स्वास्थ्य अथवा अन्य सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम शुरू करने के लिए मासिक/द्वि-मासिक बैठकों में भाग लेने हेतु;
* औसत पारितोषिक उन कुल कार्य-निष्पादन आधारित भुगतानों पर निर्भर करता है जो आशा, उसके द्वारा किए गए कार्य के अनुसार हकदार है। यह भुगतान गांव से गांव और आशा से आशा तक भिन्न-भिन्न हो सकता है।

(ग) जी हां। देश भर में आशा और बिहार से संबंधित आशा की वर्तमान संख्या पर्याप्त है। अब तक लगभग 90% आशाओं का चयन किया जा चुका है। आशा के कुल लक्ष्य 74,384 के मुकाबले, 66,701 आशाओं का चयन कर लिया गया है। शेष के लिए प्रक्रिया प्रगति पर है।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

12.3.2008 को आशा की राज्य-वार स्थिति

उच्च ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले गैर-पूर्वोत्तर राज्य

क्र.सं.	राज्य/संघ क्षेत्र	आज तक प्रशिक्षित आशाओं की संख्या
1	2	3
1.	बिहार	56545
2.	छत्तीसगढ़	29437
3.	झारखण्ड	36000
4.	जम्मू-कश्मीर	9500
5.	मध्य प्रदेश	32042
6.	उड़ीसा	32612
7.	राजस्थान	39000
8.	उत्तर प्रदेश	114169
9.	उत्तरांचल	9268
10.	हिमाचल प्रदेश	16
	कुल गैर-पूर्वोत्तर	358589
	उच्च ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले पूर्वोत्तर राज्य	
1.	असम	26235
2.	अरुणाचल प्रदेश	1465
3.	मणिपुर	2981
4.	मेघालय	0
5.	मिजोरम	674
6.	नागालैंड	1278
7.	त्रिपुरा	1390
8.	सिक्किम	530
	कुल पूर्वोत्तर	34553
	गैर-उच्च ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले राज्य (आदिवासी क्षेत्र)	
1.	गुजरात	898

1	2	3
2.	कर्नाटक	
3.	केरल	442
4.	महाराष्ट्र	701
5.	दादरा एवं नगर हवेली	
6.	दमन व दीव	
7.	लक्षद्वीप	85
8.	आंध्र प्रदेश	8500
9.	अण्डमान एवं निकोबार	
	कुल आदिवासी क्षेत्र	13322
	कुल योग	406464

अस्पतालों में आहार विशेषज्ञों की नियुक्ति हेतु दिशानिर्देश

2908. श्री मधु गौड़ यास्की:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री अभिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महानिदेशक स्वास्थ्य सेवाएं (डी जी एच एस) ने अस्पतालों में आहार विशेषज्ञों की नियुक्ति/तैनाती के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये दिशानिर्देश देश के सभी सरकारी अस्पतालों में कार्यान्वित किए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने "गाइडलाइन्स फार स्टैन्डर्डाइज्ड हास्पीटल डाइट्स" नामक एक प्रकाशन विकसित किया है जो प्रस्तावित स्टाफ आवश्यकता; स्टाफ की योग्यता (मुख्य डाइटिशियन, वरिष्ठ डाइटिशियन, डाइटिशियन, सहायक डाइटिशियन, स्टेवर्ड/पर्यवेक्षक); कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों आदि के बारे में विस्तृत सूचना प्रदान करेगा।

(ग) से (ङ) चूंकि स्वास्थ्य राज्य का एक विषय है, यह सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है।

दृष्टि दोष का पता लगाने के लिए अध्यापकों को प्रशिक्षण

2909. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बच्चों में दृष्टि दोष का पता लगाने के लिए अध्यापकों को कोई प्रशिक्षण दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उसके परिणामस्वरूप कितने बच्चे लाभान्वित हुए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के स्कूल नेत्र जांच कार्यक्रम के अंतर्गत जिला दृष्टिहीनता नियंत्रण सोसाइटियों (जिन्हें जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सोसाइटियों के साथ मिला दिया गया है) का एक कार्य स्कूली बच्चों में दृष्टि-दोषों का पता लगाने के लिए स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षण देना है 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान जिला सोसाइटियों द्वारा कुल 5,50,278 शिक्षकों को प्रशिक्षित किया गया।

(ग) 10वीं पंचवर्षीय योजना (2002-07) के दौरान कुल 12,10,27,178 बच्चों में अपवर्तक दोषों की जांच की गई। इनमें से 33,67,386 बच्चों में अपवर्तक दोष पाए गए और स्कूल जाने वाले 14,08,109 निर्धन बच्चों को राष्ट्रीय दृष्टिविहीनता नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत नि:शुल्क चश्मे प्रदान किए गए।

राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय का कार्यकरण

2910. डा. के.एस. मनोज: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय (एनएमएल) के कार्यकरण में सुधार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान डी जी एच एस द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय के लिए मुहैया करवाई गयी निधियों का वर्षवार ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) सरकार ने राष्ट्रीय चिकित्सा

पुस्तकालय के कार्यकरण को बेहतर करने के लिए कई कार्यकलाप शुरू किए हैं:

(1) देश भर में 39 चिकित्सा कालेजों/संस्थाओं द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से 1500 से अधिक जर्नल तक पहुंच बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय ने हाल ही में इलेक्ट्रानिक जर्नल संघ शुरू किया है। यह संघ दूरस्थ क्षेत्रों में रह रहे चिकित्सा छात्रों को राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय में गए बिना ही मानक चिकित्सा साहित्यों का लाभ उठाने की सुविधाएं मुहैया कराएगा।

(2) राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय विभिन्न चिकित्सा कालेजों के छात्रों को चिकित्सा जर्नल की 8700 से अधिक प्रतियां वितरित कर रही है जिससे आयुर्विज्ञान में अनुसंधान कार्य सुगम हो जाएगा।

(3) राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय देश के विभिन्न चिकित्सा कालेजों की पुस्तकालयों की पुस्तकों को इलेक्ट्रानिक रूप से उपलब्ध कराने के लिए प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर रही है। इसमें 4000 से अधिक चिकित्सा अनुसंधान थेसिस का डाटा बैंक भी सृजित किया गया है। राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय की वेबसाइट पर इनके उपलब्ध होने की अपेक्षा है।

(4) राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय में बुनियादी सुविधाएं बेहतर करने के लिए कई इलेक्ट्रिकल एवं सिविल विकास कार्य शुरू किए गए हैं।

राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय को वर्ष 2004-05, 2005-06 एवं वर्ष 2006-07 के दौरान क्रमश: 10.53 करोड़ रुपए, 10.25 करोड़ रुपए वर्ष 15.60 करोड़ रुपए की निधियों का आबंटन किया गया।

भारतीय पोत और चालक दल का लापता होना

2911. श्री पी.सी. थामस: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस से तुर्की जा रहा एक भारतीय पोत उनके भारतीय चालक दल के साथ लापता हो गया;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा किन परिस्थितियों में उक्त पोत लापता हो गया;

(ग) किस कंपनी ने उक्त पोत को किराए पर लिया था/ प्रचालित कर रही थी;

(घ) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच कराई है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): (क) रूस से तुर्की के बीच समुद्री यात्रा करते हुए जिस जलयान के लापता होने की सूचना प्राप्त हुई थी वह एक पनामा में पंजीकृत जलयान एम वी रेज्जाक था न कि कोई भारतीय पोत।

(ख) काला सागर में अपनी समुद्री यात्रा के दौरान उपर्युक्त जलयान ने प्रत्यक्षत: अत्यधिक बलशाली हवाओं के चलते खराब मौसम का सामना किया। जलयान से आखरी स्थिति रिपोर्ट 18 फरवरी, 2008 को प्राप्त हुई थी। उस समय से इस जलयान की स्थिति के बारे में कोई और रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) जिस कंपनी ने इस पोत को किराए पर लिया था वह थी "कार्बोफर, जनरल ट्रेडिंग एस.ए." तुर्की और वह कंपनी जो इस पोत का प्रचालन कर रही थी उसका नाम था "सी एम आर डेनीज्सिलिक वे तिकारेत ए.एस.", तुर्की।

(घ) और (ङ) नौवहन महानिदेशालय, मुंबई का एक जांच अधिकारी तुर्की में है और इस घटना की जांच में हिस्सा ले रहा है जो कि पताका देश पनामा द्वारा तुर्की में की जा रही है।

स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त निधियां

2912. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सहित विभिन्न राज्यों से केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को पूरा करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/ किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) राज्यों को अतिरिक्त निधियां कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

आयुर्वेद की दवाओं को बढ़ावा

2913. **श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री पंकज चौधरी:
श्री सुरेश बाघमारे:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्राचीन काल से जीवनरक्षक दवा के तौर पर आयुर्वेद की दवाओं का प्रयोग होता रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा आयुष दवाओं की उपयोगिता के मद्देनजर उनको बढ़ावा देने के लिए क्या कार्रवाई की गई है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) जी, हां। आयुर्वेद की प्राचीन शास्त्रीय पाठ्य पुस्तकों में ऐसी औषधियों और मध्यस्थताओं का उल्लेख है जो तीव्र और जीवन समाप्त करने जैसी परिस्थितियों यथा मूर्छा, जहर का प्रभाव और शरीर के महत्वपूर्ण अंगों के आघात में भी उपयोगी होती हैं। शरीर की प्राकृतिक सुरक्षा क्षमताओं में वृद्धि करने वाली मध्यस्थताओं सहित औषधियों के विवेकपूर्ण उपयोग से अनेकों रोगों को नियंत्रित करने में सहायता मिलती है। रोगियों का उपचार करते समय उनके शारीरिक और मनो वैज्ञानिक गठन को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) आयुष विभाग ने भारत और विदेश में आयुष चिकित्सा पद्धतियों को संवर्धित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। सूचना, शिक्षा और संचार, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, आयुष औषधों का गुणवत्ता नियंत्रण, लोक स्वास्थ्य पहल में आयुष मध्यस्थता, स्थानीय स्वास्थ्य अभ्यासों का पुन: सशक्तिकरण, एलोपैथिक केन्द्रों में आयुष सुविधाओं की स्थापना और आयुष औषधालयों में आवश्यक औषधियों की आपूर्ति संबंधी कार्यों को सहायता देने के लिए स्कीमें कार्यान्वित की गई हैं ताकि स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में लोक जागरूकता बढ़ने के साथ-साथ आयुष का संवर्धन हो। आयुष की केंद्रीय अनुसंधान परिषदें अपनी व्यापक स्वीकार्यता के प्रयोजनार्थ आयुष चिकित्सा पद्धति के वैज्ञानिक विधिमान्यकरण पर कार्य कर रही हैं।

जम्मू और कश्मीर में वन आच्छादित क्षेत्र

2914. **श्रीमती मेनका गांधी:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जम्मू और कश्मीर में वन क्षेत्र के पुनर्सृजन और संरक्षण के संबंध में नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की सिफारिशों पर सरकार द्वारा किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में व्यय की गई धनराशि तथा इसकी निगरानी के लिए मौजूद तंत्र का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जम्मू और कश्मीर सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार, राज्य, राष्ट्रीय वन नीति, 1988 क्रियान्वित कर रहा है तथा प्रतिपूर्ति वनीकरण तेजी से करने, अतिक्रमण को हटाने और वन क्षेत्रों का आगे अतिक्रमण से बचाव के विभिन्न उपाय कर रहा है। राज्य सरकार के अनुसार, नियंत्रक महालेखापरीक्षक की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिए कोई विशिष्ट निधि आबंटित नहीं की गई है। तथापि, राज्य और केन्द्रीय सरकारों द्वारा वित्त पोषित विभिन्न चालू योजनाओं के अंतर्गत उपलब्ध संसाधनों से वनों का पुन: सृजन और संरक्षण किया जा रहा है। मुख्य योजनाएं हैं- अवक्रमित वनों की पुनर्स्थापना, इको टास्क फोर्स, स्लिप क्षेत्रों का स्थिरीकरण, शहरी वानिकी, मुख्यमंत्री सहभागिता वनीकरण कार्यक्रम, नदी घाटी परियोजना, अवक्रमित केचमेंटों का पारि-पुन:स्थापन, तथा राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम जिसके लिए 2007-08 के दौरान कुल 23.36 करोड़ रुपये आबंटित किए गए और 31.01.2008 तक 8.29 करोड़ रुपये खर्च हुए। राज्य ने निगरानी तंत्र के सुदृढ़ीकरण के लिए एक योजना भी तैयार की है, और एक बहुस्तरीय निगरानी और मूल्यांकन किया जा रहा है।

टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम के लिए विदेशी सहायता

2915. **श्री बृज किशोर त्रिपाठी:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को वर्ष 2007-08 के दौरान उड़ीसा में संशोधित राष्ट्रीय टी.बी. नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी) चरण-1 के लिए डेनमार्क से कोई सहायता प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त सहायता की निबंधन व शर्तें क्या हैं; और

(घ) इसके परिणामस्वरूप लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) जी, नहीं। संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम को उड़ीसा राज्य में 1 जनवरी, 2006 से वैश्विक निधि सहायता के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है और इसलिए

वर्ष 2007-08 के दौरान सरकार ने उड़ीसा के लिए डेनमार्क से कोई सहायता प्राप्त नहीं की है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

पासपोर्ट जारी किया जाना

2916. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री सी. कुप्पुसामी:

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में मौजूदा पासपोर्ट कार्यालयों और संग्रहण केंद्रों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पासपोर्ट हेतु कितने आवेदन प्राप्त हुए तथा कितने पासपोर्ट जारी किए गए एवं लंबित पड़े आवेदनों का ब्यौरा क्या है?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) देश के विभिन्न राज्यों में मौजूदा पासपोर्ट कार्यालयों और संग्रहण केंद्रों के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:

(1) पासपोर्ट कार्यालय:

1. अहमदाबाद
2. बंगलौर
3. बरेली
4. भोपाल
5. भुवनेश्वर
6. चंडीगढ़
7. चेन्नै
8. कोचीन
9. दिल्ली
10. गाजियाबाद
11. गुवाहाटी
12. हैदराबाद
13. जयपुर
14. जालंधर
15. जम्मू
16. कोलकाता
17. कोजीकोड
18. लखनऊ
19. मदुरै
20. मुंबई
21. मल्लापुरम
22. नागपुर
23. पणजी
24. पटना
25. पुणे
26. रायपुर
27. रांची
28. शिमला
29. श्रीनगर
30. सूरत
31. ठाणे
32. तिरुचिरापल्ली
33. तिरुवनंतपुरम
34. विशाखापट्टनम

(2) पासपोर्ट आवेदन संग्रहण केंद्र:

1. अगरतला
2. ऐजवाल
3. बरहमपुर
4. दरभंगा
5. गंगटोक
6. इंफाल
7. कोहिमा
8. लेह

9. मंगलौर
10. पांडिचेरी
11. शिलांग
12. सिलीगुडी
13. तिरूपति
14. विजयवाड़ा
15. कोलकाता।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान लंबित आवेदनों के ब्यौरों सहित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय-वार प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों और जारी किए गए पासपोर्टों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। पासपोर्ट कार्यालयों में आवेदन लंबित रहने के अनेक कारण हैं। इनमें पुलिस सत्यापन रिपोर्टों (पीवीआर) की प्राप्ति में विलंब; प्रतिकूल/अधूरी पीवीआर की प्राप्ति; और आवेदकों द्वारा अधूरी सूचना और/अथवा दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना शामिल हैं। पासपोर्ट कार्यालयों में तेजी से बढ़ता कार्यभार भी आवेदनों की लंबित स्थिति का कारक है।

विवरण

2005-07 के दौरान लंबित आवेदनों के ब्यौरों सहित प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों और जारी पासपोर्टों की संख्या

क्र.सं.	पासपोर्ट कार्यालय	प्राप्त पासपोर्ट आवेदनों की संख्या			जारी पासपोर्टों की संख्या			31 दिसंबर की स्थिति के अनुसार लंबित आवेदन		
		2005	2006	2007	2005	2006	2007	2005	2006	2007
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	अहमदाबाद	219068	237044	271278	208198	242363	276396	13050	8807	6264
2.	बंगलौर	190481	241202	270124	186602	271941	279812	30236	12024	12407
3.	बरेली	51903	60404	67906	48129	57327	64280	11682	11280	13935
4.	भोपाल	60667	78132	81127	58287	71097	83826	15661	20729	15335
5.	भुवनेश्वर	28861	38616	39642	27176	34813	44542	10976	16354	16296
6.	चंडीगढ़	223949	250131	283233	212086	244664	278411	31762	36408	49179
7.	चेन्नै	237561	291916	299488	212143	300503	305238	39087	20758	22867
8.	कोचीन	185852	203212	215411	178824	205028	241205	9690	10722	6973
9.	दिल्ली	207497	242415	247712	233118	249174	227330	11769	5223	14110
10.	गाजियाबाद	55157	70059	79784	51885	65957	83250	11130	15246	7057
11.	गुवाहाटी	22983	27056	29870	21287	23711	27254	1286	2902	14500
12.	हैदराबाद	307678	382121	392869	270703	403895	400266	34417	15838	शून्य
13.	जयपुर	117138	154353	159989	134747	132406	188573	16428	51576	46152
14.	जालंधर	174175	201527	223463	164219	204765	215750	18382	12941	6453
15.	जम्मू	12371	16795	17872	11928	13419	17113	2102	5591	4601
16.	कोलकाता	137081	156539	182224	122917	152210	170306	14871	21625	15147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17.	कोजीकोड	237367	236375	169180	244799	250350	170070	19837	9274	2724
18.	लखनऊ	171833	228262	268647	152671	169023	303118	36262	165287	87706
19.	मदुरै*	–	–	2965	–	–	346	–	2619	
20.	मल्लापुरम**	–	42348	138731	–	21056	153689	–	21292	995
21.	मुंबई	239863	261004	299028	223436	263770	294019	11211	179	8521
22.	नागपुर	31735	41912	50174	28517	38401	46701	1093	3623	6501
23.	पणजी	24381	25660	28825	23914	25630	28421	390	759	1419
24.	पटना	75850	96990	147395	77770	75949	119206	46937	43715	58437
25.	पुणे	76036	97609	109971	68044	168243	107955	6282	8633	17015
26.	रायपुर*	–	–	412	–	–	46	–	–	366
27.	रांची	22127	27359	31757	22815	24317	33409	10136	13178	10111
28.	शिमला***	–	–	17022	–	–	11947	–	–	70
29.	श्रीनगर	8921	13757	15616	5512	11906	13897	7711	10154	10905
30.	सूरत	71398	80000	90773	75449	78246	96980	6327	4853	5111
31.	ठाणे	98041	114812	142229	87635	115819	139669	5307	6894	14043
32.	तिरुचिरापल्ली	225403	279713	287862	220429	303684	285627	50456	32762	32873
33.	तिरुवनंतपुरम	122135	137150	151104	131833	141280	149135	1333	1448	2589
34.	विशाखापट्टनम	71936	88241	82172	65657	80821	83773	6995	8283	8993
	कुल	3709448	4422714	4895855	3570730	4441768	4941560	482806	598358	522274

*दिसंबर, 2007 में खोला गया
**अगस्त, 2006 में खोला गया
***मार्च, 2007 में खोला गया।

प्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश

2917. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रवासी भारतीय दिवस पर उपस्थित प्रवासी भारतीयों की संख्या तथा उनके द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान किए गए निवेश के तुलनात्मक आंकड़ों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) प्रवासी भारतीयों द्वारा निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): (क) प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय समुदाय की विशेषज्ञता और ज्ञान को प्राप्त करने और इसे भारत की विकास प्रक्रिया में समाहित करने के लिए एक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रति वर्ष एक मुख्य आयोजन के रूप में आयोजित किया जाता है। 2007 और 2008 में आयोजित प्रवासी भारतीय दिवस में प्रत्येक में लगभग 1100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। गत दो वर्षों के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा किये गये निवेशों के ब्यौरे मंत्रालय में उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि प्रत्यक्ष विदेशी

निवेश के उदारीकृत क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए अनुमोदन देने हेतु नोडल प्राधिकरण औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है और निवेश राज्यों में किये जा रहे हैं।

(ख) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय ने प्रवासी भारतीय समुदाय को निवेश संबंधी सभी सूचनाएं प्रदान करने के लिए भारतीय उद्योग परिसंघ की साझेदारी में एक गैर-लाभार्जक ट्रस्ट के रूप में अब एक प्रवासी भारतीय सुविधा केन्द्र की स्थापना की है। तथापि, विदेशी निवेशों के लिए अनुमोदन देने का प्राधिकार औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के पास ही है।

[हिन्दी]

वनरोपण में गैर-सरकारी संगठनों की भागीदारी

2918. श्री अजीत जोगी: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'ग्रीनिंग इंडिया स्कीम' के तहत वृक्षारोपण हेतु स्वैच्छिक संगठनों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी हां। एक स्वैच्छिक संगठन, नामश: "हरीतिमा संरक्षण एवं प्रशिक्षण सोसाईटी", डोंगारगढ़, छत्तीसगढ़ से वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव प्रधान मुख्य वन संरक्षक, रायपुर, छत्तीसगढ़ द्वारा अग्रेषित इस मंत्रालय में प्राप्त हुआ था। इस प्रस्ताव की 2007-08 के दौरान मंत्रालय की ग्रीनिंग इंडिया के लिए सहायता अनुदान समिति द्वारा सिफारिश नहीं की गई थी क्योंकि स्वैच्छिक संगठन का पंजीकरण 5.8.2004 से प्रभावी हुआ था अर्थात् 31.3.2007 के संदर्भ में पांच वर्षों से कम समय था। स्कीम के दिशा-निर्देश निर्धारित करते हैं कि स्वैच्छिक अभिकरणों को ऐसी परियोजना प्रारम्भ करने के लिए पांच वर्षों तक पंजीकृत होने की पात्रता होनी चाहिए।

[अनुवाद]

अनुसूचित जनजाति और अन्य वन निवासी अधिनियम का कार्यान्वयन

2919. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उनके मंत्रालय ने राज्य सरकारों से अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम तथा नियमों को शीघ्र लागू करने का अनुरोध किया है जैसा कि दिनांक 24 फरवरी, 2008 के 'द हिन्दू' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) और (ख) जी, हां। अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत ग्राम सभा, मान्य व प्रदान किए जाने वाले उन वन अधिकारों की प्रकृति व व्याप्ति को निर्धारित किए जाने की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए सक्षम प्राधिकारी है, जिसकी सब डिवीजनल स्तर की समिति द्वारा संवीक्षा की जानी होती है तथा जिसके बाद जिला स्तर की समिति वन अधिकारों के दावों व दस्तावेजों को अनुमोदित करती है। अधिनियम 2006 एवं नियम 2007 की अधिसूचना की परिचालनात्मक के बाद, जनजातीय कार्य मंत्रालय, जो वन अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है, ने 11.01.2008 को सभी राज्यों/संघ शासित सरकारों के अधिनियम के तहत तत्काल विभिन्न समितियां गठित करने एवं अधिनियम के तहत वन निवासी अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारों को मान्यता देने एवं उन्हें प्रदान करने के लिए आवश्यक कार्रवाई को प्रारंभ करने के लिए भी लिखा है।

पंचायती राज मंत्रालय ने 15.02.2008 को राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को सुझाव देते हुए भी लिखा है कि राज्य 28.02.2008 को ग्राम सभाओं का आयोजन कर सकते हैं जिसके दौरान पंचायती राज संस्थाओं, ग्राम सभाओं तथा वन अधिकार समितियों के अधिनियम व नियम तथा भूमिकाओं व उत्तरदायित्वों की व्याख्या की जा सकती है। इस मंत्रालय ने यह भी सुझाव दिया है कि इस उद्देश्य के लिए अनुमंडलीय समिति के सदस्यों एवं प्रधानों तथा पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का आयोजन किया जाना चाहिए ताकि वे समूची प्रक्रिया को एवं विशेष रूप से उन्हें सौंपी गई भूमिकाओं एवं उत्तरदायित्वों को समझ सकें। इस मंत्रालय ने, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासियों के वन अधिकारी को मान्यता प्रदान किए जाने की प्रक्रिया पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए राज्यों से अनुरोध किया है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना के तहत उद्घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग

2920. श्री जुएल ओराम: क्या पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में घोषित राज्य सड़कों का वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परिवर्तित राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन, इन्हें चौड़ा करने व उनके विकास में कितनी प्रगति हुई है;

(ग) विलंब, यदि कोई हो तो, उसके क्या कारण हैं; और

(घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-वार आज की तिथिनुसार कितनी प्रगति हुई है?

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): (क) दसवीं योजना के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के रूप में घोषित राज्यीय सड़कों के वर्ष-वार और राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) दोनों विद्यमान और नए राष्ट्रीय राजमार्गों का उन्नयन, चौड़ीकरण और विकास कार्य एक सतत प्रक्रिया है। ये कार्य सड़क की स्थिति, पारस्परिक प्राथमिकता और धनराशि की उपलब्धता के आधार पर किए जाते हैं।

विवरण

वर्ष 2004 में घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	अनुमानित लंबाई (किमी.)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	214ए	डीमामारू-ओनगोले	255
		221	विजयवाड़ा-जगदलपुर	155
		222	महाराष्ट्र सीमा-निर्मल	60
			उप जोड़	470
2.	बिहार	57ए	फोरबिसगंज-जोगबानी	15
		28बी	छपवा-उत्तर प्रदेश सीमा	121
		110	अरवल-बिहारशरीफ	89
			उप जोड़	225
3.	छत्तीसगढ़	111	बिलासपुर-अंबिकापुर	200
		221	आंध्र प्रदेश सीमा-जगदलपुर	174
			उप जोड़	374
4.	गुजरात	8ए विस्तार	नारायण सरोवर-मांडवी	145
		8इ विस्तार	द्वारका-सोमनाथ	225
		113	राजस्थान सीमा-दाहोद	40
			उप जोड़	410
5.	हरियाणा	73ए	यमुना नगर-हिमाचल प्रदेश सीमा	42
		71बी	रेवाड़ी-राजस्थान सीमा-पलवल	69
			उप जोड़	111

1	2	3	4	5
6.	हिमाचल प्रदेश	73ए	हरियाणा सीमा-पोंटासाहिब	20
			उप जोड़	20
7.	झारखंड	75 विस्तार	रांची-उड़ीसा सीमा	202
			उप जोड़	202
8.	कर्नाटक	218 विस्तार	बीजापुर-होमनाबाद	223
		67 विस्तार	तमिलनाडु सीमा-गुंडलूपेट	50
			उप जोड़	273
9.	मध्य प्रदेश	86ए	राहतगढ़-रायजन	131
		12ए विस्तार	जबलपुर-उत्तर प्रदेश सीमा	330
		26ए	सागर-बीना	75
			उप जोड़	536
10.	महाराष्ट्र	222	कल्याण-आंध्र प्रदेश सीमा	550
			उप जोड़	550
11.	मणिपुर	155	नागालैंड सीमा-जेसामी	5
			उप जोड़	5
12.	मेघालय	44 विस्तार	शिलांग-नोंगस्टोइन	93
			उप जोड़	93
13.	नागालैंड	155	मोकुकचुंग-मणिपुर सीमा	125
			उप जोड़	125
14.	उड़ीसा	224	खुर्दा-बोलनगीर	298
		203ए	पुरी-सतपुड़ा	49
		203 विस्तार	पुरी-कोणार्क	38
		75 विस्तार	झारखंड-पारसोरा	18
			उप जोड़	403
15.	राजस्थान	113	निमाहेरा-गुजरात सीमा	200
		112	बाड़-बाड़मेर	343
		114	जोधपुर-पोखरण	180
		116	टोंक-सवाईमाधोपुर	80

1	2	3	4	5
		11बी	लालसोट-धोलपुर	180
		71बी	धारूहेड़ा (हरियाणा) के निकट हरियाणा सीमा से तावु (हरियाणा)	5
			उप जोड़	988
16.	तमिलनाडु	45सी	थंजावर-विक्रावंडी	159
		47बी	नागरकोईल-कवलकिनारू	45
		47 विस्तार	कायम्बूतू-कर्नाटक सीमा	148
		45 विस्तार	डिंडीगुल-तेनी	73
			उप जोड़	425
17.	उत्तराखंड	123	विकासनगर-बारकोट बैंड	95
		119	उत्तर प्रदेश सीमा-श्रीनगर	135
		121	काशीपुर-बुबाखाल	252
		87 विस्तार	नैनीताल-कर्णप्रयाग	233
		125	सितारगंज-पिथोरागढ़	201
			उप जोड़	916
18.	उत्तर प्रदेश	119	मेरठ-उत्तराखंड सीमा	125
		91ए	इटावा-कन्नौज	126
		76 विस्तार	इलाहाबाद-मिर्जापुर	120
		28सी	बाराबंकी-नेपालगंज	140
		29 विस्तार	बिहार सीमा-उत्तर प्रदेश में कुशीनगर	29
		12ए विस्तार	मध्य प्रदेश सीमा-झांसी	7
			उप जोड़	657
19.	पश्चिम बंगाल	60 विस्तार	रानीगंज-मोरग्राम	141
		60ए	बंकुरा-पुरूलिया	100
		117	कोना बाइपास को जोड़ते हुए रारा-6 के साथ इसके जंक्शन से बक्खाली तक	133
			उप जोड़	374
20.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	223	अंडमान ट्रंक रोड	300
			उप जोड़	300
			कुल जोड़	7457

वर्ष 2006 में घोषित राष्ट्रीय राजमार्ग

क्र.सं.	राज्य	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या	खंड	अनुमानित लंबाई (किमी.)
1.	जम्मू-कश्मीर	1डी	श्रीनगर-करगिल-लेह	422
2.	उत्तर प्रदेश	एनई 2	पूर्वी बाह्य एक्सप्रेस मार्ग	90
		24बी	लखनऊ-रायबरेली-इलाहाबाद	185
			उप जोड़	275
3.	तमिलनाडु	226	थंजावुर-गंदकोट्टई-शिवगंगा-मानामदुरै	144
		227	तिरूचिरापल्ली-लालगुडी-कुमारत्वी-चिदंबरम	135
			उप जोड़	279
4.	गुजरात	228	अहमदाबाद-डांडी (डांडी हैरीटेज रूट)	374
5.	पश्चिम बंगाल	2बी	बर्दवान-बोलपुर	52
6.	बिहार	2सी	टेहरी-अकबरपुर-बिहार/उ.प्र. सीमा	105
7.	हरियाणा	एनई 2	पूर्वी बाह्य एक्सप्रेस मार्ग	44
			कुल जोड़	1551

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों के लिए नई पहल

2921. श्री मनोरंजन भक्त: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार संघ राज्य क्षेत्र अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में सुनामी के कारण आई तबाही के पश्चात् शुरू की गई नई पहलों के मद्देनजर विकास को एक नया रूप देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) विगत योजना अवधि के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन द्वारा प्राप्त की गई विकास दर तथा चालू योजना अवधि के दौरान प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित विकास दर का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूहों में चालू योजना अवधि के दौरान उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु उठाए गए कदमों अथवा उठाए जाने हेतु प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) और (ख) सरकार 26 दिसम्बर, 2004 को आए सुनामी से क्षतिग्रस्त अवसंरचना की पुनर्स्थापना और उन्नयन करने तथा अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह के प्रभावित लोगों के पुनर्वास के लिए एक कार्ययोजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना में सड़कों, पत्तनों, घाटों, मछली घाटों का पुन:निर्माण और सामाजिक अवसंरचना जैसे स्कूल, स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक भवनों के साथ-साथ नियोजित अस्थायी व स्थायी आश्रयों का निर्माण शामिल है। इस योजना की निगरानी माननीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त मंत्री समूह द्वारा की जाती है।

(ग) अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में दसवीं योजना में अनुमानित विकास दर 5.90% थी और ग्यारहवीं योजना में लक्ष्य विकास दर 6.72% है।

(घ) ग्यारहवीं योजना में अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में ध्यान केन्द्रित किए जाने वाले क्षेत्रों में कनैक्टीविटी में सुधार, मछली-उद्योग और कृषि का विकास, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, जलापूर्ति स्कीमों का कार्यान्वयन और पर्यटन, लघु और मझौले उद्यमों को बढ़ावा देना शामिल हैं।

खेल निधियों का उपयोग

2922. श्री रघुनाथ झा: क्या युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएसएफ) को एन एस एफ-वार कितना अनुदान जारी किया गया तथा कितनी राशि खर्च की गई;

(ख) क्या राष्ट्रीय खेल परिसंघ (एनएमएफ) को जारी अनुदानों का उचित रूप से उपयोग किया जा रहा है तथा एनएसएफ द्वारा तत्संबंधी उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) उन एनएसएफ के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है जो निधियों का उचित रूप से उपयोग नहीं करती है?

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): (क) मंत्रालय "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता की योजना" के अंतर्गत मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों को वित्तीय सहायता देता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय खेल परिसंघों को जारी की गई परिसंघ-वार सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता, पिछली प्रतियोगिता के लिए दी गई सहायता, यदि कोई है, के लेखों तथा उपभोग प्रमाण-पत्र के निपटान के बाद ही जारी की जाती है। सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार मंत्रालय उन राष्ट्रीय खेल परिसंघों की लेखा परीक्षा के लिए सीएजी को आवश्यक अनुमति भी प्रदान करता है जो वित्तीय वर्ष में एक करोड़ से अधिक वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं। "राष्ट्रीय खेल परिसंघों को सहायता" की योजना के अंतर्गत मार्ग निर्देशों में अनियमितताओं की स्थिति में, जैसे निष्पक्ष रहित चुनाव, धनराशि का दुरूपयोग, खेलों के हित के विरुद्ध कार्य आदि, निलंबन/मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई किए जाने का भी प्रावधान है।

विवरण

क्र.सं.	परिसंघ का नाम	2005-2006	2006-2007	2007-2008 (29.2.2008 की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5
1.	अखिल भारतीय कैरम परिसंघ, नई दिल्ली	13.98	12.69	13.92
2.	अखिल भारतीय शतरंज परिसंघ, चेन्नई	78.94	112.46	158.22
3.	अखिल भारतीय कराटे-डो परिसंघ	0.00	3.46	0
4.	अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद, नई दिल्ली	13.43	19.15	16.40
5.	भारतीय एमेच्योर बेसबाल परिसंघ, केशवपुरम, दिल्ली	07.00	15.49	6.00
6.	भारतीय एमेच्योर हैंडबाल परिसंघ, जम्मू व कश्मीर	34.57	38.64	16.42
7.	भारतीय आत्यापात्या परिसंघ, नागपुर	12.00	15.50	7.00
8.	भारतीय बाल बैडमिंटन परिसंघ	00.00	0.00	शून्य
9.	भारतीय बास्केटबाल परिसंघ, नई दिल्ली	41.21	36.31	77.80
10.	भारतीय साईकल पोलो परिसंघ, नई दिल्ली	0	30.01	12.83
11.	भारतीय फेंसिंग संघ, पटियाला	43.78	45.70	4.50
12.	भारतीय जिम्नास्टिक परिसंघ, जोधपुर (राज.)	14.88	66.47	24.45

1	2	3	4	5
13.	भारतीय शरीर सौष्ठव परिसंघ	0	0.00	0
14.	भारतीय कयाकिंग और केनोइंग संघ, नई दिल्ली	36.50	21.23	39.60
15.	भारतीय पोलो संघ, नई दिल्ली	01.10	1.55	2.11
16.	भारतीय पावर लिफ्टिंग परिसंघ, नई दिल्ली	15.00	8.50	11.50
17.	भारतीय जूडो परिसंघ, नई दिल्ली	64.66	48.62	54.05
18.	भारतीय खो-खो परिसंघ, कोलकाता	12.00	2.00	00
19.	भारतीय कोर्फ बाल परिसंघ, नई दिल्ली	09.00	12.50	14.00
20.	अखिल भारतीय टेनिस संघ, नई दिल्ली	77.45	90.07	87.44
21.	भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ, नई दिल्ली	433.43	373.19	595.46
22.	भारतीय नेटबाल परिसंघ, दिल्ली	11.50	9.50	10.00
23.	भारतीय रोलर स्केटिंग परिसंघ, कोलकाता	09.00	0.00	0
24.	भारतीय रोइंग परिसंघ, सिकन्दराबाद	51.65	9.75	65.20
25.	भारतीय सेपक टकारो परिसंघ, नागपुर, महाराष्ट्र	10.50	13.00	9.95
26.	भारतीय शूटिंग बाल परिसंघ	00.00	0.00	0
27.	भारतीय साफ्ट बाल परिसंघ, जोधपुर	9.80	12.00	13.00
28.	भारतीय स्क्वैश राकेट परिसंघ, चेन्नई	15.42	21.94	11.37
29.	भारतीय तैराकी परिसंघ, अहमदाबाद	53.33	13.59	54.79
30.	भारतीय टेबल टेनिस परिसंघ, नई दिल्ली	165.10	178.75	311.99
31.	भारतीय ताइक्वांडों परिसंघ, बंगलौर	00.00	0.00	0
32.	भारतीय टेनी-कोइट परिसंघ, नई दिल्ली	11.00	13.00	9.00
33.	भारतीय टेनिस बाल क्रिकेट परिसंघ, गोरखपुर, यू.पी.	17.00	11.50	7.50
34.	भारतीय रस्साकशी परिसंघ, नई दिल्ली	11.50	20.75	2.25
35.	भारतीय वालीबाल परिसंघ, चेन्नई	94.97	58.17	108.24
36.	भारतीय याटिंग संघ, नई दिल्ली	141.30	78.40	107.37
37.	भारतीय वुशू संघ, नई दिल्ली	07.10	13.50	6.91
38.	भारतीय थ्रो बाल परिसंघ, बंगलौर	09.00	0.00	19.82
39.	पैरालंपिक, बंगलौर	13.50	33.34	217.69

1	2	3	4	5
40.	भारतीय तीरंदाजी संघ, नई दिल्ली	51.75	96.48	64.97
41.	भारतीय बिलियर्डस और स्नूकर परिसंघ, कोलकाता	28.57	16.13	18.99
42.	भारतीय एमेच्योर मुक्केबाजी परिसंघ, नई दिल्ली	142.74	81.79	106.22
43.	भारतीय हाकी परिसंघ, पटेल नगर, दिल्ली	96.46	92.09	7.66 4.00
44.	भारतीय महिला हाकी परिसंघ, नई दिल्ली	78.81	111.64	153.46
45.	भारतीय एमेच्योर कबड्डी परिसंघ, जयपुर	24.69	13.95	20.00
46.	भारतीय भारोत्तोलन परिसंघ, नई दिल्ली	51.41	3.28	0
47.	भारतीय एथलेटिक परिसंघ, नई दिल्ली	227.95	86.83	204.10
48.	भारतीय बैडमिंटन संघ, राजस्थान	271.94	117.65	149.18
49.	भारतीय घुड़सवारी परिसंघ, नई दिल्ली	31.20	29.06	55.73
50.	फुटबाल, दिल्ली	70.37	30.55	66.90
51.	भारतीय गोल्फ यूनियन, नई दिल्ली	37.84	23.65	18.02
52.	भारतीय कुश्ती परिसंघ, आई.जी. स्टेडियम, दिल्ली	209.82	32.58	6.15
53.	भारतीय शीतकालीन खेल परिसंघ, दरियागंज	12.51	1.65	0
54.	भारतीय महिला क्रिकेट परिसंघ, दिल्ली	00	1.00	1.87
55.	भारतीय साईक्लिंग परिसंघ, दिल्ली	11.73	1.00	22.59
56.	स्पेशल ओलंपिक, भारत, नई दिल्ली	0.00	4.50	92.00
57.	भारतीय ओलंपिक संघ, नई दिल्ली	28.53	538.10	118.07
58.	भारतीय खेल प्राधिकरण, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली	950.00	500.00	1700.00
59.	मलखंब			3.75
	कुल			4910.44

आर्द्र भूमि का संरक्षण

2923. डा. के.एस. मनोज: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'ग्लोबल वार्मिंग' के मद्देनजर सरकार देश में आर्द्र भूमि के संरक्षण हेतु कोई नया कार्यक्रम तैयार करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केरल सरकार ने केरल स्थित वेमबनाड आर्द्रभूमि प्रणाली के संरक्षण हेतु कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) और (ख) जी नहीं। ग्लोबल वार्मिंग को ध्यान में रखते हुए देश में नमभूमियों के संरक्षण के लिए कोई नया कार्यक्रम विचाराधीन नहीं है। यद्यपि, पहले से ही एक राष्ट्रीय नमभूमि संरक्षण कार्यक्रम चल रहा है जिसके अंतर्गत देश में 103 नमभूमियों को संरक्षण के लिए अभिनिर्धारित किया गया है। इन नमभूमियों को सर्वेक्षण और सीमांकन, कैचमेंट क्षेत्र शोधन, जल प्रबंधन, संरक्षण उपाय, मत्स्यपालन विकास, खरपतवार, नियंत्रण, वन्यजीव संरक्षण, प्रदूषण निवारक, पारि-विकास कार्यों आदि जैसे कार्यों के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाती है।

(ग) से (ङ) राज्य सरकार से हाल ही में 2.5 करोड़ रुपये की प्रस्तावित अनुमानित लागत के साथ वेमबनाड झील संरक्षण का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस उद्देश्य के लिए गठित राज्य नमभूमि संचालन समिति का अनुमोदन इस प्रस्ताव में नहीं है जोकि एक आवश्यक आवश्यकता है। राज्य सरकार को संचालन समिति का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद प्रस्ताव को पुनः प्रस्तुत करने का सुझाव दिया गया है।

राष्ट्रीय रक्त आधान प्राधिकरण की स्थापना

2924. श्री किन्जरपु येरननायडु: क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में रक्त संग्रहण तथा वितरण प्रणाली को विनियमित करने के लिए राष्ट्रीय रक्त आधान प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्राधिकरण को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) से (ग) जी, हां। भारत सरकार देश में रक्ताधान सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए विभिन्न विकल्पों की जांच कर रही है। इनमें से एक विकल्प, जहां कार्य-विधियां तैयार की जा रही हैं, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय रक्ताधान प्राधिकरण की स्थापना करना है। तथापि, इस संबंध में कोई निश्चित तारीख सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

आईएईए के साथ भारत से संबंधित सुरक्षोपाय वार्ता

2925. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:
डा. टोकचोम मैन्या:

क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में भारत से संबंधित सुरक्षोपाय वार्ता के दौरान अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेन्सी (आईएईए) भारत के परमाणु रिएक्टरों के लिए परमाणु ईंधन की लगातार आपूर्ति करने हेतु भारत की चिंताओं पर सहमत हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर आईएईए की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) अब तक अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के साथ उक्त सुरक्षोपाय समझौते को अंतिम रूप देने के संबंध में क्या प्रगति हुई है; और

(घ) उक्त प्रस्तावित समझौते को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) से (ग) भारत विशिष्ट सुरक्षोपाय करार के संबंध में अब तक हुए बातचीत के पांच दौरों के अंतर्गत, काफी प्रगति की गई है, और भारत तथा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) ने, परामर्श किए जाने रखने का निर्णय लिया है। यह करार, उन असैन्य नाभिकीय सुविधाओं पर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के सुरक्षोपायों को लागू करने के संबंध में होगा, जिन्हें भारत द्वारा, उनके संपूर्ण जीवनकाल के परिचालन के लिए नाभिकीय ईंधन की निरंतर आपूर्ति प्राप्त करने के आधार पर अधिसूचित किया जाएगा।

(घ) इस चरण पर समय-सीमा का पूर्वानुमान लगाना संभव नहीं है।

रोजगार सृजन

2926. श्री रवि प्रकाश वर्मा: क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने यह आरोप लगाया है कि केन्द्र सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों में बेरोजगारी के मुख्य मुद्दे से निपटने के लिए कोई पहल नहीं की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेजों में इस दिशा में विशेष बल देने तथा नीतिगत हस्तक्षेप के कार्य नहीं किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो रोजगार सृजन के लिए मौद्रिक नीति के उपयोग की संभावना का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.वी. राजशेखरन): (क) से (घ) एनडीसी द्वारा अनुमोदित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में इस बात विचार किया गया है कि रोजगार अवसर में तेजी से वृद्धि होगी। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भविष्य में अतिरिक्त रोजगार के अवसर मुख्य रूप से सेवा और विनिर्माण क्षेत्र में, विशेषकर खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा उत्पाद, जूते-चप्पल एवं वस्त्र जैसे श्रम गहन विनिर्माण क्षेत्र तथा पर्यटन एवं निर्माण जैसे सेवा क्षेत्र में सृजित किए जाएंगे।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर उद्योग, व्यापार एवं सेवा जैसे क्षेत्र के प्रमुख उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं के अनुरूप उचित संख्या में दक्ष कार्मिकों का एक पूल बनाने पर है। इस योजना में कुल रोजगार में नियमित कर्मचारियों में बढ़ोत्तरी करने की आवश्यकता को महत्व दिया गया है।

वन अधिकार अधिनियम

2927. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वन्य जीव से संबंधित गैर-सरकारी संगठनों तथा संरक्षणविदों ने सरकार को वन अधिकार अधिनियम पर नए सिरे से समीक्षा किए बिना इसे कार्यान्वित न किए जाने के लिए लिखा है जैसाकि दिनांक 6 मार्च, 2008 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने अधिनियम की समीक्षा करने के लिए एक समिति का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की चौथी बैठक में वन्यजीव संरक्षण पर अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण वास-स्थलों में आई क्षति के संबंध में चिन्ता व्यक्त की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हज यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था

2928. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा हज यात्रियों के लिए की गई व्यवस्था के संबंध में विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सरकार के पास विरोध दर्ज कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं उठाए जा रहे हैं?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): (क) और (ख) हज 2007 के दौरान कुछ हजयात्रियों द्वारा कठिनाइयों का सामना किए जाने के संबंध में बिहार के मुख्यमंत्री का एक पत्र सरकार को प्राप्त हुआ है। इस मंत्रालय को इस संबंध में किसी अन्य मुख्यमंत्री से अन्य कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ग) भारत सरकार ने हज 2007 के दौरान हजयात्रियों के लिए पूर्व की भांति पर्याप्त व्यवस्थाएं की थीं। वर्ष 2007 में मक्का और मीना में हजयात्रियों के रहने के लिए की गयी व्यवस्था काफी संतोषजनक थी। फिर भी कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थीं जो ठहरने के स्थान पर अपर्याप्त सुविधाएं होने, अपने-अपने प्रवास के स्थल पर जाने के दौरान रास्ता भूल जाने, स्थानीय परिवहन से जुड़ी समस्याओं इत्यादि से संबंधित थीं। कुछ हजयात्रियों को हवाई उड़ानों के आगमन/प्रस्थान में विलंब होने तथा उड़ानों के समय में परिवर्तन होने के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। कुछ हजयात्रियों को लौटने पर अपना सामान और/अथवा जम-जम (पवित्र जल) नहीं मिला।

परिवहन से संबंधित मसलों, उनके ठहरने के स्थान पर अपर्याप्त सेवाएं, सामान का नुकसान होने इत्यादि जैसी हजयात्रियों द्वारा सामना की जा रही कठिनाइयों के निवारण के लिए व्यवस्था की गयी है। भारत सरकार मक्का और मदीना के पवित्र शहरों और जद्दा हवाई अड्डे पर पर्याप्त संख्या में प्रशासनिक कार्यालयों की स्थापना करती है। इन कार्यालयों में सऊदी अरब में स्थानीय तौर पर भर्ती किए गए अस्थायी कर्मचारियों के अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा 210 से अधिक प्रशासनिक कर्मचारियों की तैनाती की जाती है। इसके अतिरिक्त सरकार हज यात्रियों के लिए उपयुक्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु भी व्यवस्था करती है। ड्यूटी पर तैनात कर्मचारी उपयुक्त कार्यवाही करने के लिए अन्य शामिल एजेंसियों के साथ समन्वय करते हैं। हज 2007 के दौरान इन समस्याओं के संबंध में हजयात्रियों से मिली शिकायतों और सुझावों का ड्यूटी पर तैनात भारत सरकार के कर्मचारियों ने स्वागत किया और उनका समाधान करने के लिए कार्रवाई की। उड़ानों में विलंब

तथा पुनर्निर्धारण, सामान विलंब से प्राप्त होने/न होने इत्यादि से संबंधित मामलों को एयर-लाइनों के साथ उठाया गया ताकि अगले हज मौसम के दौरान ऐसी समस्याओं को कम से कम किया जा सके। स्थानीय तौर पर जम-जम की सामान्य रूप से कमी होने के कारण जम-जम प्राप्त होने में विलंब हुआ अथवा प्राप्त नहीं हो पाया। भारत के प्रधान कौंसलावास जद्दा ने जम-जम के शेष कैनों को भारत लाए जाने के लिए एयर इंडिया को अनुमति देने का अनुमोदन सऊदी प्राधिकारियों से प्राप्त कर लिया है जिससे कि उन हज यात्रियों को जम-जम वितरित किया जा सके जिन्हें अभी तक यह प्राप्त नहीं हुआ है और एयर इंडिया अपनी उड़ानों के संबंध में इसे अनुमोदन प्राप्त करके भारत ले आएगी।

एकीकृत एअरो स्पेस प्रौद्योगिकी का विकास

2929. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने हाल ही में कोई एकीकृत एअरो स्पेस प्रौद्योगिकी विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह प्रौद्योगिकी स्वदेशी विमान विनिर्माण के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, हां।

(ख) भारत प्रमोचक राकेट एवं उपग्रहों के क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास कर रहा है। इसकी प्राप्ति के लिए, हिन्दुस्तान एअरोनोटिक्स लिमिटेड (एचएएल) जैसे एअरोस्पेस उद्योग का उपयोग किया जाता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

[हिन्दी]

प्रसूति केन्द्रों की स्थापना

2930. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पांच किलोमीटर पर ग्रामीण महिलाओं के लिए प्रसूति केन्द्र की स्थापना करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): (क) और (ख) ग्रामीण क्षेत्रों में मातृ सुविधाओं/सेवाओं समेत प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या को निम्नलिखित जनसंख्या मानदण्डों पर आधारित एक त्रि-स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रणाली के एक नेटवर्क के माध्यम से प्रदान किया जाता है:-

केन्द्र	जनसंख्या मानदण्ड	
	सामान्य क्षेत्र	पर्वतीय/जनजातीय क्षेत्र
उप-केन्द्र	3000	5000
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	20000	30000
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	80000	120000

मार्च, 2007 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल 145272 उप-केन्द्र, 22370 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 4045 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

(ग) ये केन्द्र राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा संचालित किए जाते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत उन्नयन/सुदृढ़ीकरण/नए केन्द्रों की स्थापना के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को निधियां जारी की जाती हैं। तथापि, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को अपने वार्षिक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं में अपनी आवश्यकताओं को शामिल करना अपेक्षित होता है।

सिंधी परिवारों के पासपोर्टों का नवीकरण

2931. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पाकिस्तान से 15 या 16 वर्ष पूर्व देश में आकर बसे सिंधी समुदाय के लोगों के पासपोर्टों की समयावधि समाप्त हो चुकी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध क्या कार्रवाई की गई है?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) और (ख) सरकार को यह ध्यान है कि इन लोगों द्वारा नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग से संपर्क करने पर अपने पासपोर्टों को नवीकृत करने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इन व्यक्तियों से वैध पाकिस्तानी पासपोर्ट पर जोर दिए बिना दीर्घकालिक भारतीय वीजा जारी किए जाने के अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

(ग) इस मामले की गृह मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

2932. **श्रीमती निवेदिता माने:**
श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्री मधु गौड़ यास्की:

क्या **सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के प्रकाशन में एक वर्ष का और विलम्ब होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के कब तक प्रकाशित होने की संभावना है; और

(घ) सरकार द्वारा भविष्य में इस सूचकांक के समय पर प्रकाशित होने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है?

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी.के. वासन): (क) इस वर्ष औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के प्रकाशन में कोई विलम्ब नहीं है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) एक मासिक सूचकांक होता है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रसार मानकों (एसडीडीएस) के अनुसार, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक संदर्भ माह से छ: सप्ताह के भीतर जारी किया जाता है। जनवरी, 2008 के संबंध में सूचकांक निर्धारित समय पर 12 मार्च, 2008 को जारी किया गया।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पर्यावरणीय स्वीकृति के बिना मॉलों का निर्माण

2933. **श्री प्रभुनाथ सिंह:** क्या **प्रधानमंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के विभिन्न भागों विशेषकर साकेत में पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त किए बिना मॉलों और शापिंग सेन्टरों का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन पेट पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

कुपोषण के लिए ग्यारहवीं योजना में प्रावधान

2934. **श्री कीरेन रिजीजू:** क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में बच्चों में कुपोषण की समस्या से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों को सुलझाने के लिए ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में किए जाने वाले प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): पोषण से संबंधित ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में विभिन्न प्रयासों जिनमें एकीकृत बाल विकास योजना के पुनर्गठन, स्वास्थ्य, पोषण एवं सफाई क्षेत्रों में अधिकाधिक समाभिरूपता, बृहत् सूचना, शिक्षा एवं सम्प्रेषण कार्यकलाप, देश में विशेष रूप से महिलाओं, बच्चों जैसे संवेदनशील समूहों में कुपोषण से निपटने हेतु आहार विविधीकरण, खाद्य शुद्धिकरण एवं सम्पूरकता के माध्यम से रक्ताल्पता सहित माइक्रोन्यूट्रिएन्ट्स विकारों से निपटना शामिल हैं, की परिकल्पना की गई है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय नेताओं और तिरंगे का अपमान

2935. **श्री बाडिगा रामकृष्णा:** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमरीकी वेबसाइट पर परिधानों पर महात्मा गांधी, राष्ट्रीय ध्वज और जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें चित्रित करने की बात सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): (क) से (ग) सरकार एक अमरीकी आनलाइन आपूर्तिकर्ता द्वारा अधोवस्त्रों पर महात्मा गांधी, राष्ट्रीय ध्वज और जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरों के आपत्तिजनक प्रयोग से अवगत है। वाशिंगटन स्थित हमारे राजदूतावास ने तत्काल इस पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए तथा इस पर रोक लगाने की मांग करते हुए कंपनी के अध्यक्ष के समक्ष इस मसले को उठाया है। अमरीकी सरकार को भी कथित अमरीकी कंपनी के आपत्तिजनक कृत्य की जानकारी दे दी गयी है।

सी.एस.एस. में कैडर पुनर्गठन

2936. श्री रघुनाथ झा: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के कैडर-पुनर्गठन हेतु फरवरी, 2001 में वरिष्ठ अधिकारियों की एक समिति गठित की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है; और

(ग) यदि हां, तो समिति द्वारा की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुरेश पचौरी): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) समिति द्वारा की गई सिफारिशों तथा सरकार द्वारा उन पर की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण-I तथा विवरण-II में दिया गया है।

विवरण I

वरिष्ठ अधिकारियों की समिति द्वारा की गई सिफारिशें

रिपोर्ट में की गई सिफारिशों का सारांश निम्नलिखित है:

क्र.सं.	सिफारिशों का सारांश
1	2
1.	समिति सिफारिश करती है कि रुपये 14,300-18300 (निदेशक) वेतनमान में वरिष्ठ चयन ग्रेड पदनामित किए जाने वाले निर्धारित पदों की संख्या को केन्द्रीय सचिवालय सेवा की संवर्ग संरचना में शामिल किया जाना चाहिए। केन्द्रीय सचिवालय सेवा के चयन ग्रेड में 5 वर्षों की सेवा कर चुके केन्द्रीय सचिवालय सेवा से संबंधित, मेरिट द्वारा चयन के लिए निर्धारित प्रक्रिया को विहित ढंग से पूरा करने वाले अधिकारी, केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में शामिल इन पदों के लिए पदोन्नति के पात्र होंगे। वर्तमान समय में, केन्द्रीय सचिवालय के लगभग 100 अधिकारी निदेशक पद पर कार्यरत हैं। समिति की सिफारिश है कि 110 निदेशक स्तर के पदों को केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम से लिया जा सकता है तथा इन्हें वरिष्ठ चयन ग्रेड के रूप में केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में शामिल किया जा सकता है। यह केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम को विनियमित करने वाले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के संबंधित कार्यालय ज्ञापन के पहले से मौजूदा मूलाधार जिसके अनुसार केन्द्रीय सचिवालय सेवा अधिकारियों द्वारा धारण किए हुए अवर सचिव तथा उप सचिव के पदों को इस स्कीम से अलग रखा गया है तथा केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग में शामिल किया गया है, की तर्ज पर होगा। केन्द्रीय सचिवालय सेवा में वरिष्ठ चयन ग्रेड पदों के संवर्ग में शामिल करने पर केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के प्रावधानों तथा एस.ए.जी./एच.ए.जी. में उन्हें पैनल में शामिल करने के लिए निर्धारित अर्हता शर्तों को उपयुक्त ढंग से संशोधित किया जाना चाहिए।
2.	चयन ग्रेड तथा ग्रेड-1 में अतिरिक्त पदों के सृजन के साथ स्व-स्थाने पदोन्नतियों की बहाली की प्रक्रिया को बंद किया जाना चाहिए। समिति का यह स्पष्ट विचार है कि पदों के नए सृजन तथा स्व-स्थाने पदोन्नति की स्कीम एक साथ नहीं चल सकती।
3.	समिति सिफारिश करती है कि अनुभाग अधिकारियों की सीधी भर्ती को बंद किया जाए तथा अनुभाग अधिकारियों के रिक्त पदों

1	2
	को सहायकों की पदोन्नति के लिए वरिष्ठता तथा सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के बीच 75 प्रतिशत, 25 प्रतिशत अनुपात में बांट देना चाहिए।
4.	समिति सिफारिश करती है कि अवर श्रेणी लिपिकों की सीधी भर्ती तत्काल प्रभाव से रोक देनी चाहिए तथा सीधी भर्ती से अब तक भरे गए अवर श्रेणी लिपिक के पदों को, जब भी वे रिक्त हों, समाप्त कर देना चाहिए। इसके अलावा, उच्च श्रेणी लिपिक के ग्रेड में 10 प्रतिशत को अवर श्रेणी लिपिक संवर्ग की पदोन्नति के लिए बचाते हुए 90 प्रतिशत पदों को भी जब भी वे रिक्त हों, भविष्य में समाप्त कर दिया जाना चाहिए। इस बात की भी सिफारिश की गई है कि संवर्ग पुनर्गठन के परिणामस्वरूप उत्पन्न होने वाले सहायकों के सभी अतिरिक्त पदों को एक बार के अपवाद स्वरूप केवल अर्हता प्राप्त उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति से भरा जाएगा। सेवानिवृत्ति, पदोन्नति आदि के कारण नार्मल वेस्टेज से उत्पन्न होने वाले सहायक ग्रेड में रिक्त पदों को भविष्य में 75 प्रतिशत की सीमा तक कम्प्यूटर में दक्षता रखने वाले स्नातकों द्वारा सीधी भर्ती; 15 प्रतिशत उच्च श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति तथा 10 प्रतिशत उच्च श्रेणी लिपिकों की सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भरा जाएगा।
5.	अनुभाग अधिकारी के स्तर पर बेहतर सेवा अवसर के लिए रुपये 8000-13500 का एक गैर-कार्यात्मक स्केल शुरू किया जाए। सभी अनुभाग अधिकारी जिन्होंने नियमित अनुभाग अधिकारी के रूप में 4 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो, उनको उनकी फिटनेस की शर्त पर हम इस वेतनमान में रखा जाए।
6.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा के पुनर्गठित संवर्ग में 110 (1.1%) वरिष्ठ चयन ग्रेड, 330 पद (3.2%) चयन ग्रेड, 1400 पद (13.6%) ग्रेड-1, 3000 पद (2.9%) अनुभाग अधिकारियों तथा 5500 (53.2%) सहायकों के शामिल हैं। अवर श्रेणी लिपिकों के सभी पद वरिष्ठता/ सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा पदोन्नति के लिए 15% पदों को छोड़कर तथा सभी उच्च श्रेणी लिपिकों के सभी पदों (अवर श्रेणी लिपिकों की पदोन्नति के लिए 10% पदों को छोड़कर) जब भी पदोन्नति/सेवानिवृत्ति के कारण रिक्त हो समाप्त कर देना चाहिए।
7.	कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 28.3.1988 के का.ज्ञा. को केन्द्रीय सचिवालय सेवा में भूतलक्षी प्रभाव से लागू करने के मुद्दे पर जटिल प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए।
8.	समिति ने 1.1.1986 से भूतलक्षी प्रभाव से अनुभाग अधिकारियों के वेतनमान को संशोधित करने की संस्तुति नहीं की है।
9.	सहायक और अनुभाग अधिकारी के दो ग्रेड, अंतर-संवर्ग अंतरणीय होने चाहिए और ऐसे स्थानांतरण कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के साथ केन्द्रीकृत होने चाहिए। तथापि, इन दो ग्रेडों का दैनंदिन प्रशासनिक नियंत्रण, संबंधित 33 संवर्ग प्राधिकरणों द्वारा करना जारी रखा जाए।
10.	समिति की सिफारिश है कि सहायक और अनुभाग अधिकारी के ग्रेडों के संवर्ग प्रबंधन वरिष्ठता, पदोन्नति और अंतर-संवर्ग स्थानांतरण के प्रयोजनार्थ कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के साथ केन्द्रीकृत होने चाहिए। समिति ने पहले ही के.स.से. के ग्रेड-1 (अवर सचिव) सेलेक्शन/चयन ग्रेड (उप सचिव) और वरिष्ठ चयन ग्रेड (निदेशक) के पदों के लिए स्वीकृत संख्या की संस्तुति दे दी है। इन स्वीकृत पदों को, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 5.1.1996 के का.ज्ञा. सं. 36/77/94-ई.ओ. (एस.एम.-1) के पैरा 5(2) में निहित उपबंधों के अनुसार केन्द्रीय स्टाफिंग योजना के क्षेत्र से बाहर रखना चाहिए और उनकी पदोन्नति, अंतर-संवर्ग स्थानांतरण इत्यादि कार्मिक तथा प्रशिक्षण

1	2
	विभाग के केन्द्रीय सेवा प्रभाव को सौंप देनी चाहिए जिसे केन्द्रीय सचिवालय सेवा के संवर्ग प्रबंधन के लिए एकमात्र जिम्मेदार होना चाहिए।
11.	समिति ने किसी ग्रेड में स्वस्थाने पदोन्नति की संस्तुति नहीं की है। भविष्य में सभी पदोन्नतियां रिक्ति आधारित होनी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि संस्तुत संवर्ग पुनर्गठन कार्यान्वित किया जाएगा बशर्ते कि कोई नए स्वस्थाने पदोन्नति के आदेश न हो क्योंकि इस समिति ने जारी स्वस्थाने पदोन्नति योजना के साथ-साथ उक्त संवर्ग संरचना के कार्यान्वयन पर विचार नहीं किया है।
12.	यह सिफारिश की जाती है कि अनुभाग अधिकारी पद के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से आशुलिपिक ग्रेड 'ग' का प्रवेश बंद कर दिया जाए। उसी प्रकार निजी सचिव के अवर सचिव ग्रेड में प्रवेश को भी बंद कर दिया जाए।
13.	यह समिति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा को समूह 'क' का दर्जा देने की मांग को स्वीकार करने में असमर्थ है। पांचवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए समिति भी वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एस.ए.जी.) और ऊपर के ग्रेड में केन्द्रीय सचिवालय सेवा के लिए पदों के सृजन को औचित्यपूर्ण नहीं पाती है और सिफारिश करती है कि एस.ए.जी. और ऊपर के पदों को किसी विशेष सेवा के लिए पदों को चिन्हित किए बिना स्टाफिंग योजना के अंतर्गत भरना जारी रखा जाए।
14.	जीसीएस/संवर्ग-बाह्य पदों को संवर्ग में डालने की मांग संगत नहीं है क्योंकि सीएसएस के अवर सचिव, उप सचिव और निदेशक पदों के लिए स्वीकृत संख्या अनुशंसित की जा चुकी है। तथापि, जीसीएस/संवर्ग बाह्य पदों को संवर्ग में लाने के व्यक्तिगत प्रस्तावों पर सम्बद्ध कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के स्थापना प्रभाग द्वारा सम्बद्ध भर्ती नियमों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जा सकता है।

1	2
15.	समिति सिफारिश करती है कि पात्रता सेवा के संबंध में यथापूर्व स्थिति बनाई रखी जाए।
16.	समिति अनुभाग अधिकारी और सहायकों के पदनामों में कोई परिवर्तन की सिफारिश नहीं करती है।
17.	समिति अनुभाग अधिकारियों और सहायकों के वेतनमान में ऊर्ध्वगामी संशोधन की सिफारिश नहीं करती है, तथापि वे अनुभाग अधिकारियों जिन्होंने उस ग्रेड में चार वर्षों की नियमित सेवा की है, के लिए 8000-13500 रुपये के वेतनमान लागू करने के लिए अलग से सिफारिश की है।
18.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा द्वारा किए गए अनुपम कार्य को देखते हुए डीएएनआईसीएस/ डीएएनआईपीएस के साथ समानता करना संभव नहीं है।
19.	वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए, गृह मंत्रालय ने केन्द्रीय सचिवालय सेवा के सहायकों के लिए खुला प्रवेश-पत्र सुविधा उपलब्ध कराने की मांग को नहीं माना है। अत: समिति इस संबंध में कोई सिफारिश नहीं कर सकती है।
20.	समिति इस बात पर बल देना चाहेगी कि रिपोर्ट के अध्याय 3, 4 और 5 में सिफारिशें एकीकृत ढंग से की गई हैं और इसलिए इन्हें पूर्ण पैकेज के रूप में कार्यान्वित किया जाए। सिफारिशों के टुकड़ों में कार्यान्वयन करने से केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्गों में और विकृति पैदा होगी।

विवरण II

समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्रवाई

(1) निदेशक के रूप में पदनामित किए जाने वाले एक नए वरिष्ठ चयन ग्रेड (रुपए 14300-18300) का सृजन तथा सी.एस.एस. में निदेशकों की संवर्ग पद संख्या को 110 पर नियत करना।

(2) सी.एस.एस. में उप सचिवों तथा अवर सचिवों की संवर्ग पद संख्या को क्रमश: 330 और 1400 पर नियत करना।

(3) सी.एस.एस. में अनुभाग अधिकारियों की संवर्ग पद संख्या को 3000 पर नियत करना।

(4) अनुभाग अधिकारियों को रुपए 8000-13500/- के गैर कार्यात्मक वेतनमान को भावी प्रभाव से उपलब्ध करवाना।

(5) अनुभाग अधिकारियों के पद पर सीधी भर्ती को बंद करना।

(6) सी.एस.एस. में पदों की स्वस्थाने पदोन्नति की योजना को बंद करना।

(7) कम्प्यूटर की प्रवीणता धारित करने वाले स्नातकों की सीधी भर्ती के माध्यम से 75 प्रतिशत के, उ.श्रे. लिपिकों की पदोन्नति द्वारा 15 प्रतिशत के तथा उ.श्रे. लिपियों के लिए एल.डी.सी.ई. के माध्यम से 10 प्रतिशत के तरीके से सहायक के पद हेतु भर्ती की पद्धति में परिवर्तन करना। एक बारगी अपवाद के रूप में, सी.एस.एस. के संवर्ग पुनर्गठन से उत्पन्न होने वाली सहायकों की परिणामी रिक्तियों को एल.डी.सी.ई. के माध्यम के 50 प्रतिशत के तथा वरिष्ठता द्वारा 50 प्रतिशत के तरीके से उच्च श्रेणी लिपिकों में से भरा जाए।

(8) अनुभाग अधिकारी तथा सहायक के स्तर पर अंत: संवर्ग स्थानान्तरणीयता मुहैया कराना।

(9) डी.ओ.पी.टी. के सी.एस. डिवीजन में सी.एस.एस. कार्मिकों की तैनाती सहित संवर्ग प्रबंधन को केन्द्रीयकृत करना।

(10) अ.श्रे. लिपिक के पद पर सीधी भर्ती को बंद करना।

(11) अ.श्रे.लि. के उन पदों को समाप्त करना जो सीधी भर्ती के माध्यम से भरे जाते हैं।

(12) सी.एस.एस.एस. अधिकारियों के पार्श्विक प्रवेश से संबंधित किसी निर्णय को वर्तमान काल के लिए आस्थगित करना।

जामनगर में इसरो उप केन्द्र की स्थापना

2937. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या प्रधानमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास स्पेस अप्लिकेशन सेन्टर, अहमदाबाद का एक उपकेन्द्र जामनगर में स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मध्याह्न 12.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[हिन्दी]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कांतिलाल भूरिया): उपाध्यक्ष महोदय, श्री शरद पवार की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र पटल पर रख रखता हूं:-

(1) वर्ष 2008-2009 के लिए पशुपालन, डेरी और मत्स्यपालन विभाग, कृषि मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8434/08]

(2) वर्ष 2008-2009 के लिए कृषि और सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8435/08]

(3) वर्ष 2008-2009 के लिए उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखा गया। **देखिए** संख्या एलटी-8436/08]

(4) वर्ष 2008-2009 के लिए खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एलटी-8437/08]

[अनुवाद]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, श्री पी. चिदम्बरम की ओर से मैं निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) वर्ष 2008-2009 के लिए वित्त मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एलटी-8438/08]

(2) वर्ष 2008-2009 के लिए वित्त मंत्रालय, फ्लैगशिप कार्यक्रम।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8439/08]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री (श्री टी.आर. बालू): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) (एक) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रशासनिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कलकत्ता डॉक लेबर बोर्ड, कोलकाता के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8440/08]

(3) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8441/08]

(4) पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8442/08]

जल संसाधन मंत्री (प्रो. सैफुद्दीन सोज): महोदय, मैं जल संसाधन मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8443/08]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): महोदय, मैं डा. रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8444/08]

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए भू-संसाधन विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8445/08]

(तीन) वर्ष 2008-09 के लिए पेयजल आपूर्ति विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8446/08]

पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फिजिकल एजुकेशन, ग्वालियर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8447/08]

(3) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8448/08]

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए पंचायती राज मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8449/08]

(तीन) वर्ष 2008-2009 के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8450/08]

(4) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8451/08]

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए पंचायती राज मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8452/08]

(तीन) वर्ष 2008-2009 के लिए उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्रालय।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8453/08]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं श्रम और रोजगार मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8454/08]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): महोदय, मैं कुमारी सैलजा की ओर से आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8455/08]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई. अहमद): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन काउंसिल आफ वर्ल्ड अफेयर्स, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-8456/08]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): श्री सुरेश पचौरी की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) संविधान के अनुच्छेद 309 के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा (संशोधन) नियम, 2008 जो 1 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 64(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8457/08]

(2) केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियम, 1962 के नियम 12 और 23 के अंतर्गत जारी केन्द्रीय सचिवालय सेवा (ग्रेड 1 और चयन ग्रेड में पदोन्नति) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 1 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 65(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8458/08]

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती पानाबाका लक्ष्मी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 के अंतर्गत जारी अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 70(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें 21 अगस्त, 2006 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 491(अ) में शुद्धिपत्र दिया गया है, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8459/08]

(2) दंत-चिकित्सक अधिनियम, 1948 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत भारतीय दंत चिकित्सा परिषद संशोधित एमडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 जो 21 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या डीई-22-2007 में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8460/08]

(3) (एक) नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल बोर्ड आफ एक्जामिनेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8461/08]

(4) (एक) मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8462/08]

कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. दासरि नारायण राव): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कोयला मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8463/08]

(2) कोयला मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8464/08]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)-

(एक) कोल इंडिया लिमिटेड, के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कोल इंडिया लिमिटेड, का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन (खंड 1 और 2), लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8465/08]

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.एच. मुनियप्पा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 10 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 2016(अ) और का.आ. 2017(अ) जो 30 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के विभिन्न खंडों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(दो) का.आ. 2225(अ) जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (हैदराबाद-बंगलौर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीन) का.आ. 240(अ) जो 5 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-5 (विजयवाड़ा-विशाखपत्तनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चार) का.आ. 1944(अ) जो 15 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो

आंध्र प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (नागपुर-हैदराबाद खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पांच) का.आ. 350(अ) जो 18 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो पंजाब राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 (जालंधर-अमृतसर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने, आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छह) का.आ. 289(अ) जो 11 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो मध्य प्रदेश में बाइपासों (झांसी-लखनानडोन खण्ड) के निर्माण सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-26 के निर्माण (चौड़ा करने), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सात) का.आ. 383(अ) जो 20 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कटनी बाईपास के प्रयोक्ताओं से प्रति ट्रिप वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(आठ) का.आ. 2139(अ) जो 17 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो मध्य प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 के खण्ड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(नौ) का.आ. 56(अ) जो 9 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित हरियाणा तथा पंजाब राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-1 के चार लेन वाले खण्डों के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(दस) का.आ. 57(अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित झारखण्ड तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-2 के चार

लेन वाले खण्डों के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(ग्यारह) का.आ. 58(अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 (कोसी-आगरा खण्ड) के चार लेन वाले खण्ड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(बारह) का.आ. 59(अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उसमें उल्लिखित हरियाणा तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 2 के चार लेन वाले खण्डों के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(तेरह) का.आ. 80(अ) जो 9 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 24 (गाजियाबाद-हापुड़ खण्ड) के चार लेन वाले खण्ड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(चौदह) का.आ. 128(अ) जो 9 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो राजस्थान राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(पन्द्रह) का.आ. 319(अ) जो 8 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो कर्नाटक राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 (गब्बुर-देवगिरि खण्ड) के चार लेन वाले खण्ड के प्रयोक्ताओं से वसूल की जाने वाली शुल्क की दरों के बारे में है।

(सोलह) का.आ. 1599(अ) जो 26 सितम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के लिए जिला राजस्व अधिकारी, नागपट्टिनम को प्राधिकृत किए जाने का बारे में है।

(सत्रह) का.आ. 1741(अ) तथा का.आ. 1742(अ) जो 12 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 46 (कृष्णागिरि-रानीपेट खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अठारह) का.आ. 1767(अ) तथा का.आ. 1769(अ) जो 17 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45 और 45ख के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उन्नीस) का.आ. 1771(अ) से का.आ. 1773(अ) जो 17 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45ख (तिरूचिरापल्ली-विरालीमलई-मदुरै खड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बीस) का.आ. 1824(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 67 (करूर-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इक्कीस) का.आ. 1825(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (चरण-दो) के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बाईस) का.आ. 1826(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 45 पर काथीपाड़ा जंक्शन पर ग्रेड सेपेरेटर के निर्माण के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तेईस) का.आ. 1827(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 (करूर-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौबीस) का.आ. 1931(अ) जो 26 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै से मदुरै-कन्याकुमारी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पच्चीस) का.आ. 1902(अ) जो 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 (तंजावुर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छब्बीस) का.आ. 1930(अ) तथा का.आ. 1904(अ) जो 12 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-46 (कृष्णागिरी-रानीपेट खण्ड) के विभिन्न खण्डों के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सत्ताइस) का.आ. 1932(अ) जो 24 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45ख (चिरूचिरापल्ली-विरालीमलाई-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अट्ठाइस) का.आ. 1942(अ) जो 15 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-66 (पाण्डिचेरी-टिन्डीवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतीस) का.आ. 1943(अ) जो 15 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 (तंजावुर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तीस) का.आ. 1948(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 (करूर-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतीस) का.आ. 1949(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (सेलम-करूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बत्तीस) का.आ. 1953(अ) जो 16 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (बंगलौर-सेलम मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतीस) का.आ. 2079(अ) जो 4 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45ख (तिरूचिरापल्ली-विरालीमलाई-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चौंतीस) का.आ. 2080(अ) जो 4 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (टिण्डीवनम-विल्लुपुरम-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतीस) का.आ. 2083(अ) जो 4 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-205 के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छत्तीस) का.आ. 2084(अ) जो 4 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-66 (पाण्डीचेरी-टिण्डीवनम खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(सैंतीस) का.आ. 2085(अ) जो 4 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45 (त्रिची-डिंडीगुल खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(अड़तीस) का.आ. 2106(अ) जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 (करूर-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(उनतालीस) का.आ. 2107(अ) जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो

तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चालीस) का.आ. 2109(अ) तथा का.आ. 2110(अ) जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (कृष्णागिरि-थोप्पुर घाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(इकतालीस) का.आ. 2111(अ) जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (बंगलौर-सेलम-मदुरै खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(बयालीस) का.आ. 2136(अ) जो 17 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-67 (तंजावुर-तिरूचिरापल्ली खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(तैंतालीस) का.आ. 2155(अ) तथा का.आ. 2156(अ) जो 18 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-45ख (मदुरै-अरूप्पुकोट्टई-थूथुक्कुडी खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(चवालीस) का.आ. 2181(अ) जो 26 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 और 5 को जोड़ने वाले चेन्नई बाईपास (चरण-दो) के निर्माण, अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के सार्वजनिक प्रयोजन लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(पैंतालीस) का.आ. 2220(अ) जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 (कृष्णागिरि/थोप्पुर घाट खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(छियालीस) का.आ. 2221(अ) तथा का.आ. 2222(अ) जो 28 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जो तमिलनाडु राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-47 (सेलम-कोयम्बटूर खण्ड) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन वाला बनाने आदि) अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए भूमि के अर्जन के बारे में है।

(2) उपर्युक्त (1) की मद सं. (चार) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कार्य दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8466/08]

प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री (श्री पृथ्वीराज चव्हाण): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) निम्नलिखित अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8467/08]

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए अंतरिक्ष विभाग।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8468/08]

(2) निम्नलिखित परिणामी बजटों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वर्ष 2008-2009 के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8469/08]

(दो) वर्ष 2008-2009 के लिए अंतरिक्ष विभाग।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8470/08]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उप-धारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड फारेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) अंडमान एण्ड निकोबार आइलैंड फारेस्ट एण्ड प्लांटेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर का वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8471/08]

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नमोनारायण मीना): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 3 के अंतर्गत जारी निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) का.आ. 1960(अ) जो 19 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, पंजाब, जो अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव से मिलकर बनेगा, का गठन किया गया है।

(दो) का.आ. 2126(अ) जो 13 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, पुडुचेरी, जो अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव से मिलकर बनेगा, का गठन किया गया है।

(तीन) का.आ. 162(अ) जो 29 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, छत्तीसगढ़, जो अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव से मिलकर बनेगा, का गठन किया गया है।

(चार) का.आ. 48(अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, जम्मू और कश्मीर, जो अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव से मिलकर बनेगा, का गठन किया गया है।

(पांच) का.आ. 2019(अ) जो 30 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 19 दिसम्बर, 1996 के अधिसूचना संख्या का.आ. 884(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

(छः) का.आ. 49(अ) जो 8 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा उसमें उल्लिखित राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव निर्धारण प्राधिकरण, मध्य प्रदेश, जो अध्यक्ष, सदस्य और सदस्य-सचिव से मिलकर बनेगा, का गठन किया गया है।

(सात) का.आ. 2228(अ) जो 31 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 30 सितम्बर, 1996 के अधिसूचना संख्या का.आ. 671(अ) में कतिपय संशोधन किए गए हैं।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एलटी-8472/08]

(2) पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 की धारा 5 के अंतर्गत जारी अधिसूचना सं. का.आ. 2125(अ) जो 13 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा यह निदेश दिया गया है कि दून घाटी में विकास से संबंधित सभी प्रस्तावों की उसमें उल्लिखित प्रक्रिया द्वारा जांच की जाएगी, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8473/08]

(3) पर्यावरण और वन मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8474/08]

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आनन्द शर्मा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8475/08]

(2) विदेश मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एलटी-8476/08]

अपराह्न 12.04 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

(एक) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 14 मार्च, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी हैं।"

(दो) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग विधेयक, 2008 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 14 मार्च, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(तीन) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे कर्नाटक विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, 2008 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 14 मार्च, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(चार) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे कर्नाटक विनियोग विधेयक, 2008 को, जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 14 मार्च, 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

(पांच) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 18 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 11 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये परिसीमन (संशोधन) विधेयक 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(छह) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 18 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 11 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये जन प्रतिनिधि (संशोधन) विधेयक 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

(सात) "राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 18 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 17 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित किये गये प्रसार भारती (भारतीय प्रसारण निगम) संशोधन विधेयक 2008 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।"

अपराह्न 12.05 बजे

विभागों से संबद्ध स्थायी समिति

एक समीक्षा

[अनुवाद]

महासचिव: मैं 'विभागों से संबद्ध स्थायी समिति—एक समीक्षा' (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05$^{1}/_{4}$ बजे

अंतर-संसदीय संघ (आईपीयू) की 117वीं सभा में भारतीय संसदीय भागीदारी

प्रतिवेदन

[अनुवाद]

महासचिव: मैं जिनेवा (स्विट्जरलैण्ड) में 8 से 10 अक्तूबर, 2007 को हुई अंतर-संसदीय संघ की 117वीं सभा में भारतीय संसदीय भागीदारी के बारे में प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05$^{1}/_{2}$ बजे

याचिका समिति

37वें से 40वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): मैं याचिका समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

(1) श्री बसुदेव आचार्य, संसद सदस्यों की याचिका जिसमें उन्होंने आईडीपीएल के कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों के समक्ष केन्द्रीय महंगाई भत्ते (सीडीए) में अतिरिक्त अनुग्रह राशि का संदाय किए जाने का अनुरोध किया है, के बारे में रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) से संबंधित 37वां प्रतिवेदन।

(2) कृषि मंत्रालय (कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग) तथा रेल मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों के बारे में 38वां प्रतिवेदन।

(3) कोयला मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय (रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन) से संबंधित अभ्यावेदनों के बारे में 39वां प्रतिवेदन।

(4) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से संबंधित अभ्यावेदनों के बारे में 40वां प्रतिवेदन।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया दबी जुबान में बात न करें।

अपराह्न 12.06 बजे

महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति

विवरण

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोल बाग): मैं 'विदेश में उच्च अध्ययन हेतु अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए राष्ट्रीय समुद्रपारीय छात्रवृत्ति योजना' विषय के संबंध में महिलाओं को शक्तियां प्रदान करने संबंधी समिति के 14वें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-अंतिम-कार्यवाही को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल रखती हूं।

अपराह्न 12.06$^{1}/_{2}$ बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

29वां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): उपाध्यक्ष महोदय, मैं 'जाली जाति प्रमाण-पत्रों के आधार पर प्राप्त किए गए रोजगार से उत्पन्न स्थिति' के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का 29वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.07 बजे

रक्षा संबंधी स्थायी समिति

24वें से 28वां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): महोदय, मैं रक्षा संबंधी स्थायी समिति (2007-08) के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:

(1) 'विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की आलोचनात्मक समीक्षा' के बारे में समिति के तेरहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी चौबीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) 'रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन' के बारे में समिति के चौदहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी पच्चीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) 'रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगें (2007-08)' के बारे में समिति के सोलहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी छब्बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) 'हिन्दुस्तान एयरोनाटिक्स लिमिटेड (एचएएल) का गहन अध्ययन और आलोचनात्मक समीक्षा' के बारे में समिति के सत्रहवें प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी सत्ताइसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) 'भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बीईएल) का गहन अध्ययन और आलोचनात्मक समीक्षा' के बारे में समिति के अठारहवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की-गयी-कार्यवाही संबंधी अट्ठाईसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

अपराह्न 12.07½ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का प्रतिवेदन

84वां प्रतिवेदन

श्री काशीराम राणा (सूरत): महोदय, मैं व्यापार चिह्न (संशोधन) विधेयक, 2007 के बारे में वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति का 84वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 29वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

***ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर साहू)**: महोदय, श्री रघुवंश प्रसाद सिंह की ओर से मैं लोक सभा के माननीय अध्यक्ष के निदेश 73क के अनुसरण में ग्रामीण विकास (ग्रामीण विकास विभाग) से संबंधित स्थायी समिति (2007-08) (14वीं लोक सभा) की 29वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभापटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास से संबंधित स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की 29वीं रिपोर्ट, जो 14 मई, 2007 को लोक सभा में प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट ग्रामीण विकास की वर्ष 2007-08 की अनुदान-मांगों की जांच से संबंधित है। समिति की रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर की-गई-कार्रवाई की रिपोर्ट 30 अक्टूबर, 2007 को ग्रामीण विकास संबंधी समिति को भेज दी गई थी।

उक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 58 सिफारिशें की गई थीं जहां सरकार की ओर से कार्रवाई करने की मांग की गई थी। ये सिफारिशें मुख्य रूप से स्व-रोजगार और मजदूरी रोजगार के सृजन की योजनाओं, ग्रामीण निर्धनों के लिए आवास का प्रावधान, ग्रामीण सड़कों, ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और अन्य गुणवत्ता संबंधी जानकारी अर्थात् जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन को सुदृढ़ करने के लिए सहायता, प्रशिक्षण, मानव संसाधन विकास, कार्यक्रमों के उचित कार्यान्वयन के लिए स्वैच्छिक कार्य आदि के विकास से संबंधित मुद्दों के बारे में हैं।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया, देखिए संख्या एलटी-8506/08

[श्री चन्द्रशेखर साहू]

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुबंध में दर्शाई गई है, जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि इसे पठित समझा जाए।

अपराह्न 12.09 बजे

(दो) पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2007-2008) के बारे में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के 30वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***पंचायती राज मंत्री, युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर):** महोदय, मैं माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा लोक सभा बुलेटिन भाग-2, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के तहत दिये गये निदेश 73-क के अनुसरण में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति के तीसवें प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिपारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति का तीसवां प्रतिवेदन (14वीं लोक सभा) लोक सभा में 14.05.2007 को प्रस्तुत किया गया था। यह प्रतिवेदन वर्ष 2007-2008 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

इस समिति के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/अभ्युक्तियों पर की-गई-कार्रवाई संबंधी ब्यौरे नवम्बर, 2007 में ग्रामीण विकास संबंधी स्थायी समिति को भेज दिए गए थे।

इस समिति द्वारा उक्त प्रतिवेदन में 27 सिफारिशें की गयी हैं जिन पर सरकार की ओर से कार्रवाई की जानी अपेक्षित है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से 10वीं एवं 11वीं योजना के दौरान आबंटन एवं उपयोगिता, पंचायती राज एवं केन्द्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम (एन सी एम पी), पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों एवं कर्मियों का प्रशिक्षण, वित्तों, कार्यों एवं कार्यकर्त्ताओं का हस्तांतरण, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में मंत्रालय की भूमिका, डीपीसी का गठन, ग्यारहवीं योजना की कार्यनीति एवं बारहवें वित्त आयोग द्वारा पंचायतों को आबंटन से संबंधित है। इसके अतिरिक्त, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना, पंचायत सशक्तिकरण प्रोत्साहन योजना इत्यादि का स्कीम-वार विश्लेषण है।

इस समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दर्शायी गयी है जिसे सदन के पटल पर रख दिया गया है। मैं इस अनुबंध की सभी विषय वस्तुओं को पढ़ने के लिए सदन का कीमती समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

अपराह्न 12.10 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) मणिपुर में हिन्दी भाषी लोगों की कथित हत्या के बारे में

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): मणिपुर में 14 हिन्दी भाषा-भाषियों को कत्ल किया गया है। *...(व्यवधान)* वहां लगातार नरसंहार हो रहा है। *...(व्यवधान)* खासकर बिहार के मजदूरों का, असंगठित मजदूरों का कत्लेआम हो रहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। जो कोई भी मेरी अनुमति के बिना बोलेगा, उसका भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: यादव जी, आप बैठिए।

...(व्यवधान)

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी-8507/08

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। कृपया मेरी बात सुनिए। पहले मेरी बात सुनें उसके बाद मैं आपको बोलने की अनुमति दूंगा। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी भात ध्यान से सुनें। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: पहले मेरी बात सुनें। मेरे लिए प्रश्न काल को स्थगित करना सम्भव नहीं है। परन्तु मेरे पास मणिपुर में हिन्दी भाषियों की कथित हत्या के संबंध में सूचना है। अत: माननीय सदस्यो, मैं इस विशिष्ट विषय पर पार्टियों के नेताओं को बोलने की अनुमति दूंगा। अत: कृपया बारी-बारी से बोलिए परन्तु, कृपया इस बारे में शोर-शराबा न करें कि इन सबको एक साथ बोलने की अनुमति दी जाए।

सबसे पहले, मैं श्री रामजीलाल सुमन को बुलाना चाहता हूं। कृपया संक्षेप में बोलें।

[हिन्दी]

इनका नोटिस था।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: नोटिस तो हम लोगों का भी है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपको टाइम मिलेगा। नोटिस दिया है तो टाइम मिलेगा।

...(व्यवधान)

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर, हमने भी नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: जब आपने नोटिस दिया है तो आपको टाइम मिलेगा। आप फिर क्यों कह रहे हैं? जब मैंने कहा कि जिसका नोटिस आया है, उन सभी को 2-2 मिनट का टाइम मिलेगा।

...(व्यवधान)

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): उपाध्यक्ष महोदय, सोमवार की रात से कल शाम तक विभिन्न स्थानों पर मणिपुर में 14 हिन्दी भाषियों की हत्या हुई। हत्या के बाद, जो आतंकवादी थे, मारने वाले थे, उन्होंने बिहारियों के शवों पर चिपकाया कि अपने राज्य वापस जाओ। मारे गये लोग तम्बाकू उत्पाद, खैनी और जर्दे का व्यापार करते थे। इन उत्पादों पर इन आतंकवादियों ने बैन लगा रखा है। इसका सीधा मतलब है कि मणिपुर में एक समानान्तर सरकार भी चलती है। कल इस सदन में जो असम में हिन्दी भाषी लोग मारे गये थे, उनकी चर्चा हुई। पिछले दिनों में लगभग 150 हिन्दी भाषी लोग असम में मारे गये हैं। मणिपुर में हिन्दी भाषियों की हत्या, इससे पहले महाराष्ट्र में जो कुछ हुआ, उससे यह सदन पूरी तरह वाकिफ है। यह बहुत गम्भीर सवाल है। दुनिया के तमाम हिस्सों में हमारे लोग रहते हैं, लेकिन उनको यातनाएं देने के, उनको मारने के, इस आशय के समाचार नहीं आते। इससे ज्यादा दुखद और क्या हो सकता है कि हमारे ही देश में हमारे लोग ही एक दूसरे को मारने का काम कर रहे हैं। भाषा, प्रान्त, जाति, धर्म और क्षेत्रवाद के नाम पर हिन्दुस्तान में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से नफरत करे, यह चिंता का विषय है। मैं नहीं समझ सकता कि इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्या हो सकती है? मैं विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा कि खाली राज्य से इसका संबंध नहीं है, यह हमारी मनोवृत्ति का विषय है। यह कहकर इसे टालना कि यदि किसी स्थान पर कोई हादसा हो जाए, यह राज्य का सवाल है। *...(व्यवधान)*

महोदय, हम आरोप लगाना चाहेंगे कि पूरे देश में जो इस प्रकार की घटनाएं हुयीं, उसके लिए मूल रूप से भारत का जो केंद्रीय गृह मंत्रालय है, यह उसका जिम्मा है कि वह देश की एकता को अक्षुण्ण बनाये रखे। यह बहुत गंभीर मामला है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब आपकी बात पूरी हो गयी है।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि भारत की सरकार को इस मामले में जिस प्रकार से अपने दायित्व का निर्वाह करना चाहिए, भारत की सरकार अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रही है। महोदय, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। हिंदुस्तान के हर प्रांत का व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, व्यापार कर सकता है और काम कर सकता है। यह बहुत गंभीर मामला है। भारत सरकार को इस मामले में पहल करनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री विजय कुमार मल्होत्रा।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): महोदय, आपकी अनुमति से इस विषय पर मैं बोलना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप बोलिए।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: उपाध्यक्ष महोदय, कल भी यह विषय हम लोगों ने उठाया था कि किस तरह से असम के अंदर लोगों की हत्या हुयी, उसके बाद फिर आज 14 लोगों की हत्या मणिपुर में हुयी। हम लोग रोज विषय उठाते हैं, लेकिन सरकार सोयी हुयी, वह जागती नहीं है। आज जो उत्तर भारतीय हैं, उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग हैं, जो हिंदीभाषी हैं, उनके ऊपर जितने हमले इन तीन महीनों के अंदर हुए, उसे देखकर लगता है कि जैसे ठान लिया गया है और इसीलिए पूरे देश के अंदर उत्तर भारतीयों और खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ इस तरह की जुल्म-ज्यादती हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, जब हम संसद में विषय उठाते हैं, तो सिर्फ इसलिए नहीं उठाते कि हमें इस विषय को उठाना था। यह गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है। इस फेडरल सिस्टम में उनकी जिम्मेदारी है कि जो भी देश के लोग हैं, उनको सुरक्षा दी जाए। मैं आपके माध्यम से यह इल्जाम लगाना चाहता हूं क्योंकि बिहार में कांग्रेस की कोई स्थिति नहीं है, बिहार के लोगों को कांग्रेस से कोई-लेना नहीं है, इसलिए बिहार के लोगों पर जुल्म होता है और कांग्रेस की सरकार सोयी रहती है। *...(व्यवधान)* यह कोई बहुत मामूली विषय नहीं है। इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि बिहार में कांग्रेस के 8 एमएलएज हैं, इसलिए इनको बिहारियों से नफरत हो गयी है। अगर एक व्यक्ति गुजरात या महाराष्ट्र में चला जाए, तो हंगामा होता है। बिहार के लोगों पर महाराष्ट्र में जुल्म हो रहा है, बिहार के लोगों पर दिल्ली में बयानबाजी हो रही है। बिहार के लोग *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: शाहनवाज जी, प्लीज कान्क्ल्यूड।

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मैं यह कहना चाहता हूं कि राष्ट्रीय जनता दल भी सहयोगी पार्टी है। इसको भी चाहिए कि सख्ती से काम लें, आप सरकार से समर्थन वापस लीजिए। अगर आप बिहार के मुद्दे पर गंभीर हैं, तो *...(व्यवधान)* जो स्थिति हुई है, हम दर्द के साथ कहना चाहते हैं कि मरने के बाद कोई भी लाश का अपमान नहीं करता है। *...(व्यवधान)* ये मंत्री जी बोल रहे हैं, सरकार में बैठे हैं। लोगों की हत्या हो रही है और खुद सरकार में बैठे हुये हैं। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री मिस्त्री कृपया आप बैठ जाएं।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: मेरी बात अभी पूरी नहीं हुयी है। *...(व्यवधान)* इनको यही होता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सैयद शाहनवाज हुसैन के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: महोदय, इनको गुजरात की बीमारी लग गयी है। बार-बार हारते हैं लेकिन गुजरात की बीमारी इनको लगी हुई है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपनी बात खत्म करें।

...(व्यवधान)

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन: गुजरात के रोग से ये पीड़ित हो गए हैं। महोदय, मैं अपनी बात को कांक्ल्यूड करता हूं। जब कि ! का देहांत हो जाता है, तो लाश का अपमान कभी नहीं हुआ। आज इतनी बुरी स्थिति हुई कि लोग मारे गए, वहां कोई सरकार का व्यक्ति नहीं गया और मारने के बाद लाश के ऊपर लिख दिया जाता है कि बिहारी वापस जाओ, हिंदीभाषी वापस जाओ। इस तरह का संदेश देना *...(व्यवधान)* मैं चाहता हूं कि संसद को इस विषय पर एकजुट होना चाहिए और कुंभकरण की नींद में सोयी हुयी कांग्रेस की सरकार को अगर थोड़ी भी चिंता*... है, तो मणिपुर की हिंसा *...(व्यवधान)* बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे, आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: अनपार्लियामेंट्री शब्द कार्यवाही से निकाल दें।

[अनुवाद]

कृपया एक-दूसरे की बात सुनें। यह मेरा निवेदन है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, आपको स्मरण होगा, कल आपने हम लोगों को बोलने की अनुमति दी थी। असम में हिंदी-भाषाभाषियों और खासकर असंगठित मजदूरों पर हिंसक हमले के बारे में कल हम लोगों ने सवाल उठाया था। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज फिर इस विषय पर चर्चा हो रही है। इस विषय को शाहनवाज जी को छोटा नहीं करना चाहिए। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है। क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, इस तरह से जैसे आज मणिपुर में 14 बिहारियों को अलगाववादी संगठनों के जरिए गोलियों से भूनकर मारा गया है, यह बहुत ही दु:खद प्रसंग है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय संविधान के तहत किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह बिहार का हो या हिन्दी भाषा-भाषी क्षेत्र का नागरिक हो, हिन्दुस्तान के किसी कोने में, किसी प्रान्त में रहने का, रोजी-रोटी कमाने का अधिकार है। लेकिन संविधान को भी चुनौती दी जा रही है। क्षेत्रीयता फैलाई जा रही है। हिन्दी भाषा-भाषी के नाम पर नरसंहार का सिलसिला थम क्यों नहीं रहा है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि लगातार हिंसक हमले हो रहे हैं, बिहारी और हिन्दी भाषा-भाषी लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। जो हिंसा और नरसंहार का सिलसिला नहीं थम रहा है, यह राष्ट्रीय चिन्ता का विषय है। शाहनवाज जी, यदि राष्ट्रीयता का सबक लेना है तो कोई बिहार से ले। आजादी के साठ सालों में बिहार में इस तरह का वातावरण कभी नहीं हुआ। *...(व्यवधान)* बिहार में क्षेत्रीयता फैलाने की बात, भाषा की बात नहीं की जाती। *...(व्यवधान)* बिहार में हर राज्य के लोग रहते हैं। *...(व्यवधान)* बिहार में इस तरह का जहर और नफरत का वातावरण नहीं फैलता। *...(व्यवधान)*

मेरा निवेदन है कि यदि संबंधित राज्य सरकार हिन्दी भाषा-भाषी लोगों की जान-माल की रक्षा करने में विफल साबित हो रही है, तो केंद्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और ज्वाइंट आपरेशन चलाकर, चाहे अलगाववादी हों चाहे इस तरह की मानसिक प्रवृत्ति के लोग हों, ऐसे लोगों पर कार्यवाही की जानी चाहिए। हिन्दी भाषा-भाषी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जानी चाहिए।

हम मांग करते हैं कि केन्द्र सरकार इसमें तुरंत हस्तक्षेप करे क्योंकि राष्ट्रीय एकता और अखंडता को आज चुनौती दी जा रही है। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष जी, जब से इस सदन का सत्र शुरू हुआ है, एक बार महाराष्ट्र के सवाल पर जहां भूजा बेचने वाले व्यक्ति का हाथ काटकर उसके घर भेजा गया। *...(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष जी, हमें भी बोलने का समय दीजिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपका नोटिस नहीं आया है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उपाध्यक्ष जी, यदि आप हमारी तरफ ध्यान देंगे तो हम बोलेंगे, नहीं तो हम चुप रहेंगे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा। मैं चाहता था कि आपके बोलने से पहले इन्हें चुप करवा दूं ताकि आपकी बात अच्छी तरह सुन सकूं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह: इसीलिए हम कहते हैं कि यह सवाल संवेदनशील भी है और गंभीर भी है। इस सवाल को गंभीरता से लेना चाहिए। जब से सदन का सत्र शुरू हुआ, आज तीसरी बार ऐसा हो रहा है। पहली बार महाराष्ट्र के सवाल पर ऐसा हुआ, जहां एक भूजा बेचने वाले व्यक्ति का हाथ काट दिया गया। वह आज भी पीड़ित अवस्था में किसी तरह जिन्दा है। दूसरी बार देवेन्द्र जी ने कल असम का सवाल उठाया और आज तीसरी बार मणिपुर में जो चौदह लोग मारे गए, उनका सवाल उठा है। आखिर हम जानना चाहते हैं कि क्या सदन में सदस्य सिर्फ इन बातों पर चर्चा करते रहेंगे, वह सदन की प्रोसीडिंग्स में दर्ज हो जाएगा, सरकार सुनती रहेगी, मौन रहेगी और हिन्दी भाषी, खासकर बिहार के लोग आए दिन मारे जाते रहेंगे? क्या इसीलिए सदन में चर्चा होती है? चर्चा का अर्थ होता है कि चर्चा हो तो सरकार संवेदनशील हो और आगे इस तरह की घटना देश के किसी हिस्से में नहीं घटे, उस पर कोई कार्यवाही हो। लेकिन घटना कहां तक रूकेगी, एक के बाद एक घटनाएं आए दिन घटती जा रही हैं। कौन से लोग मारे गए हैं? खैनी बेचने वाले लोग मारे गए हैं, चने का सत्तू बेचने वाले लोग मारे गए हैं, छोटे-छोटे रोजगार करने वाले लोग मारे गए हैं और मारकर एक चुनौती के रूप में कहा जा रहा है कि अपने प्रदेश जाइए, बिहार जाइए। इससे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ नहीं है।

महोदय, इससे अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। मुझे दूरभाष से यह जानकारी मिली है कि उत्तरी बिहार के लोगों ने एक बैठक

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

की है, उन्होंने एक प्रस्ताव तैयार किया है और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहे हैं कि यदि भारत सरकार या अन्य राज्यों की सरकारें उनकी सुरक्षा नहीं कर सकती हैं, तो उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार के हिस्से को मिलाकर एक अलग प्रदेश बनाया जाए, जहां हम रहकर अपनी स्वयं की सेना बना लेंगे, वहां अपने को सुरक्षित रखेंगे और अपने जीने का साधन पैदा करेंगे। इससे तनाव बढ़ेगा और इसका खामियाजा राज्य और देश दोनों को भुगतना पड़ेगा।

लालू प्रसाद जी, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप केन्द्र सरकार में मंत्री हैं, आप बिहार के और उत्तर प्रदेश के उस हिस्से के माननीय सदस्यों को बुलाइए। हम लोग आपके बुलाने पर आने के लिए तैयार हैं और इस संवेदनशील सवाल पर गंभीरता से चिंतन कीजिए कि हिन्दी भाषी लोग चाहे वे बिहार के हों या उत्तर प्रदेश के हों, इन लोगों पर देश के अनेक हिस्सों में जो हमले हो रहे हैं, उनकी जान ली जा रही है, उनकी सुरक्षा की व्यवस्था आप जिस सरकार में मंत्री हैं, वह सरकार कैसे करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि* मैं यह सच बोल रहा हूं, तो इसमें आप क्यों बेचैन हो जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, यह नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा। इसे डिलीट कर दिया जाए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अगर देश में लोगों को सुरक्षित रखना है तो* तभी लोगों को देश में सुरक्षा मिलेगी।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, मणिपुर में बिहार के हिन्दी भाषी 14 नागरिकों की हत्या किए जाने का जो सवाल यहां उठाया गया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। यह मामला आंतरिक सुरक्षा का है। उग्रवादी संगठन प्रान्तीयता के नाम पर अपने प्रभाव को बढ़ाना चाह रहे हैं और दूसरे प्रांतों के जो ऐसे लोग बसे हुए हैं, कारोबार कर रहे हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। जहां भी उग्रवाद पनपता है, वहां वे काबिज होने के लिए अपनी डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, वहां सरकार चाहे जिस पार्टी की हो, वह जो चाहे मनमानी कर सकते हैं, इसके लिए वे डर और दहशत का माहौल पैदा करते हैं। इसे भी सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए। जैसा कि प्रभुनाथ सिंह जी और देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने भी कहा है कि महाराष्ट्र, असम और अब मणिपुर, इस तरह एक के बाद एक प्रान्त में प्रांतीयता के सवाल को लाकर विघटनवादी संगठन बड़े पैमाने पर योजनाबद्ध तरीके से काम कर रहे हैं, अन्यथा एक ही दिन में इस तरह 14 लोग नहीं मारे जाते और वे पोस्टर्स नहीं लगाए जाते। मैंने राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद ज्ञापन

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रस्ताव पर बोलते हुए भी यह कहा था कि सरकार की यह जिम्मेदारी है कि सामाजिक एकता, राष्ट्रीय एकता, अखण्डता, नागरिकों के अधिकार, हर भाषा के लोग, हर प्रांत के लोगों, पूरे देश के नागरिकों की सुरक्षा के साथ देश में यात्रा करने और कारोबार करने का अधिकार है। अलगाववादी तत्वों को अगर हम राजनीतिक फायदे के हिसाब से देखते हैं, उनसे निपटते नहीं हैं, तो इस तरह के अलगाववादी तत्व मजबूत होते जाएंगे। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इसे गंभीरता से ले। मेरी एक आशंका भी है कि पूर्वोत्तर राज्यों के बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए उत्तर भारत में आते हैं, देश के दूसरे हिस्सों में जाते हैं। उनके ऊपर ऐसी शक्तियां या तत्व ऐसा कुछ न करें, ऐसा न हो कि उनके लिए कोई बदले की भावना आए, हम लोग यहां से सब कुछ चुपचाप देखते रहें और देश में सामाजिक तनाव बढ़ता रहे। इसलिए मणिपुर के इस अलगाववादी गिरोह के खिलाफ सरकार को कड़े कदम उठाने होंगे। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसके बाद अभी जीरो आवर भी लेना है, इसलिए अब आप बैठ जाएं।

[अनुवाद]

श्री गुरुदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मणिपुर और असम में बिहार के लोगों की, हमारे बिहारी भाइयों की हुई नृशंस हत्या की निंदा के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। हम इसकी घोर निंदा करते हैं।

[हिन्दी]

हम नहीं जानते हैं कि बिहार के आदमी का क्या कसूर है।

[अनुवाद]

बिहार के लोगों ने क्या गलत किया है कि देश के विभिन्न भागों में उनकी हत्याएं हो रही है? एकमात्र बात यह है कि

[हिन्दी]

वे अपनी रोटी के लिए, खाने के लिए, जीने के लिए, रहने के लिए वे मणिपुर और असम जाते हैं। उन पर जो जुल्म हो रहा है, उसकी पूरे हिंदुस्तान में निदा होनी चाहिए। यह सिर्फ बिहारी या बंगाली का ही सवाल नहीं है, यह इंडियन का सवाल है। हम हिन्दुस्तानी होने के नाते इसकी निंदा करते हं। हम चाहते हैं,

[अनुवाद]

मैं सरकार को एक बात स्पष्ट तौर पर बता रहा हूं,

[हिन्दी]

ऐसे ही चलेगा, बिहारी को असम में मारेंगे और बंगाली को महाराष्ट्र में मारेंगे तो फिर हिन्दुस्तान एक नहीं रहेगा।

[अनुवाद]

यदि क्षेत्रीय हत्याएं होती रहीं तो भारत की एकता संकट में पड़ जाएगी। भारत की एकता और सुरक्षा संकट में पड़ जाएगी। इसलिए, मैं दो सुझाव दे रहा हूं। शीघ्र ही एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। मुझे खेद है कि भारत सरकार कोई कदम नहीं उठा रहा है। कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। मैं लज्जित हूं। इस पर विचार-विमर्श करने के लिए एक सार्वजनिक बैठक दिल्ली में बुलाई जाए और दूसरी असम में।

दूसरी बात, मैं मणिपुर और असम में हमारे भाईयों की सुरक्षा के लिए तुरंत केंद्रीय बलों की तैनाती का सुझाव दे रहा हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री इलियास आजमी (शाहाबाद): हमारी पार्टी से किसी भी सदस्य को मौका नहीं दिया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने सभी लीडर्स को बुलाया है। आजमी जी, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर पार्टी के लीडर को इस विषय पर बोलने का मौका दिया जाए।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): लीडर्स को तो बुला रहे हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं बुला रहे हैं, जबकि हम नोटिस देते हैं। हमारा भी बोलने का हक बनता है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं मौका दूंगा।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पूर्व असम और महाराष्ट्र में और अब मणिपुर में जो कुछ हुआ वह घोर निंदनीय है। इस समय देश ऐसी जातीय समस्या से जूझ रहा है जो पिछले चार दशक में कभी नहीं देखी गयी। प्रवासी श्रमिकों, कामगारों को घोर कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनकी हत्याएं हुई हैं; उन पर हमले हुए हैं। केवल उत्तर भारतीय ही नहीं उड़ीसा के लोग, जो प्रवासी श्रमिकों के रूप में देश के विभिन्न भागों में गए हैं, वे भी इन्हीं सबका शिकार हो रहे हैं। वे भुगत रहे हैं। अब यह समस्या आग की भांति फैल रही है। यह अन्य राज्यों में भी फैल रही है। यह सबसे गंभीर बात है; सबसे गंभीर समस्या है। भारत सरकार को आगे आना चाहिए। उन्हें इस संकट का, लोगों की समस्या में आनन्द नहीं लेना चाहिए। अधिकतर, प्रवासी श्रमिक काम के लिए, जीविका के लिए, देश के विभिन्न भागों में जा रहे हैं और ऐसी कठिनाईयों से जूझ रहे हैं। इसलिए, भारत सरकार को चुप नहीं बैठे रहना चाहिए. उसे सभी मुख्यमंत्रियों से विचार-विमर्श करना चाहिए। कानून और व्यवस्था सख्त होनी चाहिए। उन्हें उचित कार्यवाही करनी चाहिए। भारत सरकार को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। हमें इन घटनाओं का मूक दर्शक नहीं बने रहना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री रमेश दूबे (मिर्जापुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह विषय बहुत गंभीर है। हमारे स्थायी प्रभुनाथ सिंह जी ने जो विचार व्यक्त किए हैं, मैं उससे सहमत हूं। हम हिन्दी भाषी रोजी-रोटी के लिए देश के कोने-कोने में जाकर मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं। हमारे ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, असम में हो या महाराष्ट्र में हो या अन्य किसी राज्य में हो, यह एक विचारणीय विषय है। इसे राजनैतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए, बल्कि सामाजिक दृष्टिकोण से जोड़कर इसे देखाना चाहिए। जहां भी इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वहां कांग्रेस पार्टी का राज है। मैं यह कहने में नहीं हिचकना चाहता कि कहीं यह कांग्रेस के इशारे पर तो नहीं कराया जा रहा है इसलिए इसकी जांच करनी चाहिए। *...(व्यवधान)* मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैंने सिर्फ जांच करने के लिए कहा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, यह क्या है? इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाला जाना चाहिए। वे सभा पटल पर सबूत रखें। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल श्री रमेश दूबे का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रमेश दूबे: मैंने किसी तरह का कोई आरोप नहीं लगाया है। मैंने साफ कहा है कि इसकी जांच करनी चाहिए और मेरे साथी यूं ही शोर कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें बोलने दें।

श्री रमेश दूबे: मैंने साफ कहा है कि इसकी जांच करनी चाहिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसकी जांच कराई जाए कि क्या कांग्रेस पार्टी का इसमें हाथ है। ...*(व्यवधान)* इसलिए केंद्र सरकार इसे मजबूती से हाथ में ले और हम जैसे हिन्दी भाषी लोगों की जो हत्याएं हो रही हैं, बेकसूर लोग मारे जा रहे हैं, उसे रोका जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं मांग करता हूं कि इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: यह असंसदीय नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, वे सबूत सभा पटल पर रखें। वे इस प्रकार आरोप नहीं लगा सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: केवल श्रीमती रंजीत रंजन का भाषण की कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनें। यदि यह असंसदीय होगा तो मैं इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यह मेरा काम है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन (सहरसा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूं कि आज मणिपुर में 16 आदमियों की हत्या की गयी है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर कोई शब्द अनपार्लियामेंटरी होगा तो मैं उसे निकाल दूंगा। मैंने कह दिया है, आप बैठ जाइये, यह मेरी हैडक है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): महोदय, 'कांग्रेस' शब्द असंसदीय नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, यह देखना मेरा काम है।

[हिन्दी]

श्रीमती रंजीत रंजन: उपाध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि जो हादसा मणिपुर में हुआ, वह बहुत शर्मनाक है। मणिपुर में ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र में, असम और कुछ महीने पहले दिल्ली में भी इस तरह की घटनाएं हुई, वे बहुत ही खतरनाक राजनीति की परिचायक हैं और यह बहुत ही शर्मनाक राजनीति उभरकर देश की जनता के सामने आ रही है। आज वक्त आ चुका है जब हमें सोचना पड़ेगा कि हमारी राजनीति किस ओर जा रही है? इस बात का भी पता लगाया जाए कि कुछ लोगों के कारण जो छोटी सोच की राजनीति से बहुत जल्दी राजनीति में ऊपर आना चाहते हैं, उन पर नियंत्रण कैसे किया जाए? कोर्ट भी दो राह का कानून लाती है कि कुछ को षडयंत्र रचने के नाम पर फांसी की सजा होती है और कुछ की स्टेटमेंट के कारण रोज लोग मारे जाते हैं, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं होता। महाराष्ट्र में एक महिला प्रेगनेंट थी और उसकी हत्या केवल इस कारण हुई कि उसे कहा गया कि तुम बिहारी हो या तुम उत्तर प्रदेश के हो, आप जाओ। ...*(व्यवधान)* सर, हम यहां 33 प्रतिशत भी नहीं हैं, प्लीज, एक महिला बोल रही है, आप मुझे दो मिनट तक बोलने दें। सर, हम यहां 33 प्रतिशत भी नहीं हैं, प्लीज, एक महिला बोल रही है, आप मुझे दो मिनट तक बोलने दें। यह बहुत ही शर्मनाक हादसा है। मैं इतना ही कहूंगी कि जो इस तरह की राजनीति हो रही है, आज की तारीख में इसकी समीक्षा होनी चाहिए। जो मणिपुर में हुआ, क्या वह राजनीतिक लोगों ने किया या उसकी आड़ में जो नक्सलवादी हैं या कुछ लोगों के गिरोह ने राजनीतिज्ञों को बदनाम करने के लिए हत्याएं की हैं और स्टीकर लगा दिया कि "बिहारियो वापस जाओ"। यह जो राजनीति शुरू हुई है, यह बहुत खतरनाक है। इसके लिए बड़े लीडरों के साथ इस बात की गंभीरता से समीक्षा होनी चाहिये। लोगों को जात-पांत में बांटने के साथ-साथ स्टेटवाइज बांट दिया गया है और यह एक गंभीर बात है।

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ मुम्बई और महाराष्ट्र में हुआ। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: देखिये, यदि आप इसी को एक बजे तक कान्टीन्यू रखना चाहते हैं तो मैं सहमत हूं।

श्री निखिल कुमार: उपाध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी मुम्बई और महाराष्ट्र में हुआ, उसकी जितनी निंदा की जाए, वह कम है।

उपाध्यक्ष महोदय: आप कृपया एक मिनट रुकिए। अगर आप इसी मुद्दे को एक बजे तक कंटिन्यू रखना चाहते हैं, तो फिर जीरो आवर नहीं ले सकते हैं।

...(व्यवधान)

चौधरी लाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जीरो आवर अभी लेना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आज ही जीरो आवर होगा, लेकिन वह छह बजे होगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं ब्लैकबेरी टेलीफोन के प्रयोग का मुद्दा उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: रूप चंद जी, आप इस विषय पर नहीं बोल रहे हैं। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सलीम जी, आपकी पार्टी के अन्य सदस्य इस संबंध में बोल चुके हैं। सिर्फ निखिल कुमार जी की बात रिकार्ड में जाएगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे उनकी बात सुनने दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि मुम्बई और महाराष्ट्र में जो घटनाएं घटी हैं, उनकी जितनी निंदा की जाए, वह कम है। मुल्क में संविधान है, कानून और व्यवस्था है और जब संविधान तथा कानून के खिलाफ कोई घटना घटती है, तब कुछ और नहीं, लेकिन राष्ट्र पर एक आघात जरूर होता है। इसी तरह से जो कुछ मुम्बई तथा महाराष्ट्र के शहरों में उत्तर भारतीयों के खिलाफ, विशेष कर बिहारियों के खिलाफ हुआ, वह राष्ट्र पर आघात है। *...(व्यवधान)* इसी तरह से जो कुछ असम तथा मणिपुर में हुआ। आप मेरी बात सुनिए। जो कुछ मुम्बई, महाराष्ट्र, मणिपुर, असम में हुआ, वह राष्ट्र के ऊपर आघात है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री निखिल कुमार की बात के अलावा कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

श्री निखिल कुमार: मुम्बई में जो घटनाएं हुई हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है, उसकी जिम्मेदारी किस पर लगाई जा सकती है, यह जिम्मेदारी उन लोगों की है, जिन्होंने मुंबई को अपने पास गिरवी रखा हुआ है। यह उन लोगों के कारनामें हैं, जिन्हें राष्ट्र का बिल्कुल ख्याल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री निखिल कुमार: उन्हें यह नहीं पता कि जो मुम्बई में काम करने वाली बिहारी हैं, वह अपने बूते पर काम करता है। वहां कोई रिजर्वेशन नहीं है कि यह काम सिर्फ बिहारियों को मिलेगा या उत्तर भारतीयों को मिलेगा या मुम्बई वालों को मिलेगा।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री निखिल कुमार, आप बैठ जाइए।

श्री निखिल कुमार: उन्हें वहां सुरक्षा मिलनी चाहिए। लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि बिहारियों या उत्तर भारतीयों का मुम्बई के लिए जो योगदान रहा है, वह किसी दूसरे व्यक्ति से कम नहीं रहा है। मैं इस बात का खंडन करता हूं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पी.सी. थामस।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: सिर्फ थामस जी का भाषण रिकार्ड में जाएगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रमेश दूबे: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने मेरा नाम लिया है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर निकालना होगा, तो दोनों को निकालेंगे। नहीं तो, किसी को भी नहीं निकालेंगे।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री निखिल कुमार, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

श्री पी.सी. थामस: महोदय, केरल कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं मणिपुर में हुई हत्याओं की भर्त्सना करता हूं। भाषा और धर्म के आधार पर आतंकवादी और गैर-आतंकवादी बार-बार निर्दोष लोगों की हत्याएं कर रहे हैं। चाहे ये हत्याएं मणिपुर में हों, महाराष्ट्र, उड़ीसा, असम में हों अथवा अन्य किसी स्थान पर हों, भारत में हम सभी एक हैं। हमें इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा।

महोदय, आपके माध्यम से, मैं सरकार से इस मामले की जांच के खिलाफ एक संयुक्त संसदीय समिति गठित करने का अनुरोध करता हूं क्योंकि ये घटनाएं बार-बार हो रही हैं और सरकार ने इन्हें गंभीरता से नहीं लिया है। इसलिए संसद को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। मैं अनुरोध करता हूं कि इन हत्याओं की जांच के लिए एक संयुक्त संसदीय समिति गठित की जाए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: क्या आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं?

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: पहले मेरी बात सुन लो।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: शायद ही कोई पार्टी ऐसी हो जिसको मैंने समय न दिया हो। मैंने सभी को बोलने का समय दिया है। मेरे पास जिनके नोटिस आए हैं, मैं उनके नाम लेना चाहता हूं और वे हैं—श्री शैलेन्द्र कुमार, प्रो. रासा सिंह रावत, योगी आदित्यनाथ, श्री संतोष कुमार गंगवार, श्री मोहन सिंह, श्री राम कृपाल यादव, श्री कीरेन रिजीजू और श्री अनिवाश राय खन्ना। इनके नाम इस विषय के साथ एसोसिएट किए जा रहे हैं। अब मैं जीरो आवर ले रहा हूं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: यदि मैं इनको समय दूंगा तो सात मैम्बर्स को बोलने का समय देना पड़ेगा।

[अनुवाद]

यह मेरी मुख्य समस्या है।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं चाहता कि *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रासा सिंह जी, आप मेरी बात सुनिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। केवल श्री प्रियरंजन दासमुंशी का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा और कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के लीडर बोल चुके हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कृपया मुझे बोलने दें। *...(व्यवधान)* आप बैठिए हम बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं महाराष्ट्र के मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि केन्द्रीय गृह मंत्री विभिन्न नेताओं से विचार-विमर्श के पश्चात् महाराष्ट्र के मुद्दे पर पहले ही विस्तृत वक्तव्य दे चुके हैं। इसलिए, मुझे इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहना है। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली): कांग्रेस के नेता ऐसे बोल रहे हैं, उनसे कहिए कि अखबार पढ़कर आया करें।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: गंगवार जी, कभी आपको भी जिम्मेदारी निभानी पड़ी थी और अब मुझे निभाने दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्री संतोष गंगवार: आप निखिल कुमार जी को समझाओ कि ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, आज, निधन संबंधी उल्लेख में सभा ने अन्य दिवंगत सदस्यों सहित पिछले बेंच पर बैठने वाले हमारे परम मित्र श्री वांगचा राजकुमार के लिए भी शोक व्यक्त किया। वे अरुणाचल प्रदेश से पिछली लोक सभा के सदस्य थे। वे संसद के एक होनहार युवा सदस्य थे उनकी मृत्यु से केवल 10 दिन पूर्व मैं उनके साथ था वे बैडमिंटन खेल रहे थे। वे बता रहे थे कि वे अब कोई खतरा महसूस नहीं करते और कहीं भी जा सकते हैं। दुर्भाग्यवश, अरुणाचल के मेरे मित्र ही जानते हैं कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। उन्होंने इस बात पर चिंता व्यक्त की थी कि पूर्वोत्तर के सीमावर्ती जिलों में हममें से अनेक अभी भी सुरक्षित नहीं हैं। यह बात सभी सरकारों को पहले से ही पता है आज से नहीं। इसलिए, इस सभा में आतंकवादियों के इस मुद्दे पर हम सब एक हैं कि किसी समुदाय, समूह, जातीय पक्ष, आदि पर दोषारोपण किए बिना, हम मिलकर मजबूती से कैसे निपट सकते हैं? वे हमारे भारतीय मित्र हैं।

हमने केवल मणिपुर में हुई घटना की ही निंदा नहीं की है बल्कि हम सब यह महसूस करते हैं कि मणिपुर में चुनिंदा लोगों को लक्ष्य बनाया जाना हम सभी के लिए अत्यंत चिंता का विषय है। इस सभा में अपने दायित्व का निर्वहन करने की जिम्मेदारी के साथ मैं सभी सदस्यों की भावनाओं और वेदना से प्रधानमंत्री को अवगत करा दूंगा। ऐसी गंभीर स्थिति को सरकार के ध्यान में लाना मेरा कर्त्तव्य है और मेरा विश्वास है कि हमारी सरकार इससे और भी कड़ाई से निपटेगी। *...(व्यवधान)*

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): ऐसा कब किया जाएगा? *...(व्यवधान)*

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं आपको यह नहीं बता सकता कि यह 10 मिनट बाद किया जाएगा अथवा 10 सैकेण्ड बाद। यह पहले ही *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): सभी राज्यों में क्या हो रहा है?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: रासा सिंह जी, आपको सवाल करने का अधिकार है क्योंकि आप विपक्ष में हैं। मुझे बात सुनने के बाद सरकार के पास इसका जायजा लेने के लिए पहुंचना है। मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार इस बात पर रात से निगरानी कर रही है और बहुत सख्ती से कर रही है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि किसी भी प्रांत के लोगों का जान या माल खत्म हो जाए और हम बेबस बैठे रहें, हमारी सरकार की ऐसी मंशा या इरादा नहीं है। लेकिन जो मणिपुर में हुआ, वह दुखद है। हर प्रांत के लोगों को दूसरे प्रांत में काम करने के लिए जाना पड़ता है, अगर टेरेरिस्ट्स ने उन्हें टार्गेट बनाया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

जब छत्तीसगढ़ में कोई वर्दी वाला मारा जाता है तब हम राजनीति नहीं करते, और जब देश के दूसरे हिस्से में कोई वर्दी वाला मारा जाता है तब भी हम राजनीति नहीं करते! हम समझते हैं कि यह एक गंभीर मुद्दा है और हमें अपने विचारों और चिंताओं को आपस में बांटना चाहिए और इससे लड़ना चाहिए। इसलिए मैं प्रधानमंत्री को यह सूचित कर दूंगा। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं 'शून्य काल' के मामले लूंगा। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.55 बजे

(दो) भोजपुरी भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा की बात सुनें।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, गत शुक्रवार के दिन अध्यक्ष महोदय ने अपने आसन से कहा था कि सरकार भोजपुरी के सवाल पर स्टेटमेंट देगी। आज हाउस बंद होने जा रहा है लेकिन सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप सरकार से कहें कि वह इस संबंध में स्टेटमेंट दे। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपसे किस ने कह दिया कि सैशन खत्म हो रहा है?

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, शुक्रवार के दिन माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष जी, उनका स्टेटमेंट दिलवा दीजिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, आज ही स्टेटमेंट दिया जाये।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उपाध्यक्ष जी, आज नहीं तो फिर दे दें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, अभी स्टेटमेंट दिलवाइये क्योंकि आज हाउस बंद होने जा रहा है। अध्यक्ष महोदय के निर्देश का क्या हुआ?

उपाध्यक्ष महोदय: अभी हाउस चलेगा, आप बेफिक्र रहिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, एक बजे बी.ए.सी. की मीटिंग करके हाउस बंद कराने जा रहे हैं। इसलिये आप सरकार से कहिये कि वह स्टेटमेंट दे। इतना तो बता दीजिये कि वह स्टेटमेंट कब आ रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय: अच्छा, कह देंगे।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: पहले मल्होत्रा जी को सुनिये।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): उपाध्यक्ष जी, भोजपुरी के सवाल पर सदन में चर्चा हुई। प्रभुनाथ जी के कालिंग अटैंशन के बाद। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, एक बजने जा रहा है, आप शुरू करिये।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा: उपाध्यक्ष जी, भोजपुरी के सवाल पर भोजपुरी भाषा के लोगों की बात को सरकार टालती जा रही है। उपाध्यक्ष जी, हम सरकार से स्पष्ट उत्तर जानना चाहते हैं कि इस संबंध में क्या हो रहा है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया विजय कुमार मल्होत्रा जी की बात सुनिए। मुद्दा अत्यंत महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री सैयद शाहनवाज हुसैन (भागलपुर): उपाध्यक्ष जी, भोजपुरी सवाल पर बी.जे.पी. की तरफ से हर बार यह कहा गया है कि सरकार इस पर क्यों देर कर रही है? हम चाहते हैं कि सरकार भोजपुरी विषय को सदन में लेकर आये। क्योंकि सरकार ने कहा था कि इसे संविधान की आठवीं अनुसूची में लेकर आयेगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया मंत्री महोदय की बात सुनिए। मंत्री महोदय बोल रहे हैं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): उपाध्यक्ष जी, मैं तो इतना आश्वासन दे सकता हूं कि संस्कृति में डायलैक्ट के मसले पर जो काम संस्कृति मंत्रालय में भाषा के मसले पर एन.डी.ए. रिजीम के समय से अधूरे रह गये हैं, उन्हें पूरा करने का हमारा प्रयास रहेगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह: यह कब तक होगा, उपाध्यक्ष जी, आप नियमन दीजिये। इसमें राजनीति मत लायें।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा जी, टाइम वेस्ट हो रहा है, आप शुरू कीजिए।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: प्रभुनाथ जी, मैं तो उस दिन से इसके साथ हूं कि सरकार के अंदर जो अभी विचार आ रहे हैं, उसके लिये इतना ही कह सकता हूं कि भोजपुरी को प्राथमिकता है, और रहेगी। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: झा जी, आप बैठ जाइये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: उपाध्यक्ष जी, मुझे बताये यह स्टेटमेंट कब आयेगा?

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: भोजपुरी के साथ आपके प्रेम और हमारे प्रेम में कोई कमी नहीं है। जब दोनों का प्रेम तगड़ा है तो काम हो जायेगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाए। मेरी अनुमति के बिना जो भी बोले, उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा बोल रहे हैं।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): उपाध्यक्ष जी, पिछले 2-3 महीने से बम्बई स्टाक एक्सचेंज में हलचल हो रही है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा की बात सुनें।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वहां पिछले तीन महीने में सूचकांक 6000 पाइंट्स गिर गया है जिसके कारण छोटे-छोटे निवेशकों का करोड़ों रुपया डूब गया। वे लोग ज्यादा कष्ट में हैं।

उपाध्यक्ष जी, छोटे निवेशकों का इतना पैसा डूबा है जितना हमारा टोटल जी.डी.पी. है। डा. मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि मैं इस उतार-चढ़ाव के लिये अपनी नींद नहीं गवां सकता हूं। यहां तक कि श्री चिदम्बरम ने इस बात का जिक्र किया और कहा कि हमारी अर्थव्यवस्था इतनी सुदृढ़ है कि इन बातों का असर नहीं पड़ता। यह कहा जा रहा है कि अमरीका में मंदी आई है, इसलिये हमारे यहां मंदी रही है। उपाध्यक्ष जी, अगर अमरीका में 3 प्रतिशत फर्क पड़ता है तो हमारे यहां 30 प्रतिशत फर्क पड़ता है। जब यह सूचकांक 21 हजार पार कर रहा था तो हमने इस बात की चेतावनी देते हुये कहा था कि फारेन इंस्टीट्युशनल इनवैस्टर्स का पैसा लग रहा है, आतंकवादियों का पैसा लग रहा है और वह पैसा जिस दिन विदड्रा होगा तो स्टाक एक्सचेंज धड़ाम से नीचे गिरेगा और इससे करोड़ों छोटे निवेशक बेबाक हो जायेंगे। सरकार को उसके लिये कदम उठाना चाहिये था लेकिन सरकार ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। इस गिरावट का बजट पर भी असर पड़ा है। अभी परसों ही 951 पाईंट्स गिरे हैं जबकि जनवरी में 1400 पाईंट्स गिरे थे।

अपराह्न 1.00 बजे

उपाध्यक्ष महोदय, बार-बार श्री पी. चिदम्बरम साहब लोगों को आश्वस्त करते रहे कि घबराने की जरूरत नहीं है और उनके आश्वासन पर ही लोग अपना धन शेयर मार्केट में इन्वैस्ट करते रहे। मैं छोटे निवेशकों के बारे में कह रहा हूं। सरकार ने बजट में एक्सपोर्टर्स के लिए कुछ राहत नहीं दी है। सरकार ने कहा था कि डालर की कीमत कम हुई है, इसलिए जो एक्सपोर्टर्स हैं, उनके लिए सरकार कुछ करेगी लेकिन सरकार ने बजट में उनके लिए कुछ नहीं किया। महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बजट में

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

एक्सपोर्टर्स के लिए राहत की कुछ भी व्यवस्था न करने और जो नीतियां सरकार ने अपनाई हैं, उनकी वजह से करोड़ों लोगों का पैसा डूब गया है और उन्हें इसकी वजह से बहुत कठिनाई पैदा हुई है। मैं सरकार से यही कहना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में तुरन्त कार्रवाई करे, अन्यथा आने वाले दिनों में शेयर मार्केट में और ज्यादा हलचल होगी और ज्यादा छोटे निवेशक डूबेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय: चौधरी लाल सिंह जी, प्लीज ब्रीफ में अपनी बात कहें।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, ब्रीफ में नहीं, सर मसला बड़ा संगीन है।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको सिर्फ यह पूछना है कि आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहिए।

चौधरी लाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, जब आप सुनेंगे, तभी तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं जरूर सुनूंगा।

चौधरी लाल सिंह: उपाध्यक्ष महोदय, पहले आप मेरी रिक्वैस्ट सुनें। आप गरीबों के मसीहा हैं। आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, तो मेरे बोलने का क्या फायदा है।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपकी बात जरूर सुनूंगा।

चौधरी लाल सिंह: सर, मैं आपके माध्यम से अपनी गवर्मेंट से बड़े दुखी मन से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां वैष्णो देवी की जो लेबर है, उसके बारे में मैंने कई बार यहां कहा है कि वहां 17 हजार लेबरर्स हैं। इनमें पहले नंबर पर आता है पिट्ठू वाला, दूसरे नंबर पर आता है पौनी वाला और तीसरे नंबर पर आता है पालकी वाला। जो एक्सप्लायटेशन लेबर की वहां होती है, वैसी दुनिया में कहीं नहीं है। वहां लेबर से टैक्स लिया जाता है। मैंने कई बार कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि किसी के कान पर जूं तक नहीं रेंगी। मैं बताना चाहता हूं कि पिट्ठू वाले का रेट 162 रुपए है। इतने रुपए में वह कटरा से भवन तक यात्री का सामान ले जाता है। उससे 33 रुपए टैक्स लिया जाता है। उसके बाद वहां के ठेकेदार उससे 9 रुपए टैक्स लेते हैं। आप कृपया मेरी बात को ध्यान से सुनिए, मैं इस बारे में बहुत सीरियस हूं। इस प्रकार पिट्ठू वाले को 162 में से केवल 120 रुपए ही मिलते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह बोलिए।

चौधरी लाल सिंह: सर, आगे सुनिए। दूसरा पौनी वाला है। पौनी वाला लेबर है जो उसमें एक घोड़ा है और दूसरा इंसान है। पौनी वाले को 243 रुपए मिलते हैं और 33 रुपए टैक्स लगता है। आप हैरान होंगे कि लेबर पर 33 रुपए टैक्स लगता है और 10 रुपए ठेकेदार लेता है। इस प्रकार देखें तो एक घोड़े और एक लेबर को मिलाकर 200 रुपए मिलते हैं। इसके बाद आता है पालकी वाला। ...*(व्यवधान)* सर, पालकी के साथ चार लोग चलते हैं। पालकी किसी और की होती है। यदि सर, आप मुझे नहीं सुनेंगे तो मैं प्रोटैस्ट करूंगा। ...*(व्यवधान)* मुझे खेद है सर कि इन लेबरर्स से टैक्स लिया जाता है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप केन्द्र सरकार से क्या चाहते हैं, वह बताइए।

चौधरी लाल सिंह: सर, मैं पूछना चाहता हूं कि दुनिया में और देश में कहीं लेबर पर टैक्स लगता है? ...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): कहीं नहीं है।

चौधरी लाल सिंह: फिर वैष्णो देवी के लेबरर्स से क्यों टैक्स लिया जा रहा है? मेरी बात क्यों अनसुनी की जा रही है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपकी बात हमने सुन ली।

चौधरी लाल सिंह: सर, और सुनें, उसे भोजनालय में जाने की इजाजत नहीं है। वह वहां जाकर खाना नहीं खा सकता। रात को सोने हेतु उसके लिए कोई शैल्टर नहीं है। उनके शैल्टर्स छीन लिए गए हैं। हर वर्ष टैंडर होता है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी वहां टैंडर देने का काम किया जा रहा है। लेबर के लिए किस बात का टेंडर, इसमें लेबर को मिलता क्या है? सर, मेरी सब्मीशन है कि वहां 17 हजार लेबर रो रही है। यहां से कमीशनें फ्राड हुईं, हैलीकाप्टर लगा दिए। 14 बैटरी कारें लग गईं लेकिन मसला हल नहीं हुआ। मुझे बताओ गरीब आदमी का कौन है? जब हम बात करते हैं, तो हमें कहा जाता है कि सेंटर और स्टेट का मामला है। यह जो लूट हो रहा है, उसके लिए कौन रेस्पोंसीबल है? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपका पाइंट आ गया। अब आप बैठ जाइए। श्री बसुदेव आचार्य।

...*(व्यवधान)*

चौधरी लाल सिंह: नो, नो सर। मेरी बात सुन लीजिए। ...*(व्यवधान)*

श्री अशोक प्रधान (खुर्जा): जे. एंड के. तथा केन्द्र की सरकार इसके लिए रेस्पोंसीबल है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यदि आप अपनी सीट पर जाकर नहीं बोलेंगे तो आपका कुछ भी रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अपराह्न 1.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.07 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.07 बजे पुनः समवेत हुई।

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब सभा मद संख्या 30 लेगी, नियम 377 के अधीन मामले।

डा. अरविंद शर्मा—उपस्थित नहीं।

श्री जीवाभाई ए. पटेल—उपस्थित नहीं।

श्री वी.के. दुम्मर—उपस्थित नहीं।

श्री बागुन सुम्बरूई—उपस्थित नहीं।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): सभापति महोदय, मैं 377 के बीच में बाधा नहीं डालना चाहता, मैं आपके माध्यम से सदन को सिर्फ यह सूचित करना चाहता हूं कि अभी-अभी उपाध्यक्ष जी को मैंने लिखित रूप से प्रस्ताव पेश किया है कि कुछ मंत्रियों की डिमांड्स फार ग्राण्ट्स हैं, उनको चार बजे यहां ले करने की अनुमति दे दें। यह मैं लिखित रूप से पेश करूंगा, सदन को मैं यह सूचित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय: ठीक है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(एक) पर्यावरण और वनों से संबंधित मामलों में त्वरित कार्रवाई करने और निर्णय लेने को सुकर बनाने के लिए पर्यावरण और वन मंत्रालय को दो भागों में विभक्त किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री के.सी. सिंह "बाबा" (नैनीताल): महोदय, मैं हमारी पारिस्थितिकीय प्रणाली, पर्यावरण, वन और वन्य जीव संरक्षण, सुरक्षा और सतत् विकास से संबंधित मुद्दों की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। वर्तमान में केवल एक पर्यावरण और वन मंत्रालय बहुविध विषयों जैसे विश्व के तापमान में वृद्धि, पर्यावरण की सुरक्षा, वन्य जीव संरक्षण और वनीकरण के प्रशासन और प्रबन्धन के लिए जिम्मेदार है। पिछले अनुभव से यही पता चलता है कि पर्यावरण और वन मंत्रालय अपने श्रेष्ठतम प्रयासों के बावजूद भी अपने क्षेत्राधिकार में आने वाले इतने अधिक विषयों को सम्भालने में असफल रहा है। इसलिए मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मंत्रालय को दो मंत्रालयों, वन और वन्य जीव मंत्रालय तथा पर्यावरण मंत्रालय, में विभक्त करके इसका कार्य भार कम करने पर विचार करे। इस बंटवारे से वन्य जीव, विशेषकर बाघों और अन्य जानवरों के अवैध शिकार, को रोकने, वन क्षेत्र में वृद्धि करने, सतत् पारिस्थितिकीय विकास तथा विश्व का तापमान बढ़ने और मानवीय स्वास्थ्य पर पर्यावरणीय परिवर्तन के कारण पड़ने वाले दुष्प्रभावों को रोकने हेतु समय पर सुधारात्मक उपाय करने और इनसे संबंधित मामलों में शीघ्रतापूर्वक निर्णय लेने तथा शीघ्र कार्यवाही करने में भी मदद मिलेगी।

सभापति महोदय: श्री मधु गौड यास्खी—उपस्थित नहीं।

श्री हरिभाऊ जावले।

(दो) महाराष्ट्र के जलगांव जिले में "कापरा" रोग के फैलने के कारण जिन किसानों की केले की फसल क्षतिग्रस्त हो गई है, उन्हें वित्तीय सहायता दिए जाने की आवश्यकता

श्री हरिभाऊ जावले (जलगांव): केला, महाराष्ट्र राज्य के जलगांव जिले की एक प्रमुख फसल है। अधिकांश परिवार वर्ष भर इस कृषि आधारित फसल पर निर्भर रहते हैं। इस वर्ष लगभग 60,000 हेक्टेयर भूमि पर केले की फसल उगाई गई थी जिसमें से 40,000 हेक्टेयर कारपा (काला धब्बा) बीमारी (वैज्ञानिक नाम सीगा-टोका) से बुरी तरह प्रभावित हुई है।

गत माह, कृषि मंत्रालय के एक दल ने महाराष्ट्र राज्य के थावल, रावेर, चोपाडा, भुसावल और जलगांव तहसीलों का सर्वेक्षण

[श्री हरिभाऊ जावले]

किया था। उन्होंने यह रिपोर्ट दी थी कि यह समस्या बहुत गंभीर है और संक्रमण से केले की फसल को लगभग 300 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।

अत:, मैं इस प्रतिष्ठित सभा के माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि वे शीघ्रातिशीघ्र कापरा रोग के कारण किसानों को हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करें।

इस सभा के माध्यम से, मैं यह भी अनुरोध करता हूं कि महाराष्ट्र राज्य में केले के लिए अल्लेगन में स्थित अनुसंधान केन्द्र को सुदृढ़ बनाने तथा महाराष्ट्र के जलगांव में केले के लिए राष्ट्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला केन्द्र स्वीकृत करने के लिए सहायता प्रदान करे क्योंकि यह जिला देश में केले का सबसे बड़ा उत्पादक और आपूर्तिकर्ता है।

(तीन) राजस्थान में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए निधियां जारी करने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री महावीर भगोरा (सलूम्बर): सभापति महोदय, भारत सरकार की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देने की योजना है। योजनान्तर्गत पंचवर्षीय योजना के अन्त में व्यय राशि आगामी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार द्वारा पूर्व दायित्व के रूप में वहन की जाती है। भारत सरकार द्वारा पूर्व दायित्वों के अतिरिक्त नवीन दायित्वों पर होने वाली समस्त व्यय राशि को वहन किया जाना है।

राजस्थान राज्य द्वारा दसवीं पंचवर्षीय योजनान्तर्गत नवीन दायित्वों की देय समस्त राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा अभी तक नहीं किया गया है, जो क्रमश: अनुसूचित जाति के लिए 11 करोड़ रुपये, जनजाति के लिए 10 करोड़ रुपये व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए एक करोड़ रुपये राज्य मद से किया गया है। प्रतिवर्ष निजी क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के खुलने से उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि से छात्रवृत्ति की राशि में भी बढ़ोत्तरी हो रही है। भारत सरकार द्वारा पूर्व दायित्व की छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति 17.47 करोड़, जनजाति की 30.27 करोड़, अन्य पिछड़ा वर्ग की 16.6 करोड़ रुपये, कुल 64.34 करोड़ रुपया बकाया है, जिसके शीघ्र भुगतान हेतु माननीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री से मैं आग्रह करता हूं।

(चार) कर्नाटक के धारवाड़ उत्तर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वरूर गांव में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर के.एम. 390 पर एक अंडर पास बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़ उत्तर): मेरे निर्वाचन क्षेत्र में वरूर नामक एक ग्राम है जिसकी जनसंख्या 10,000 है। इनमें से अधिकांश किसान और खेत मजदूर हैं। यह बंगलौर-हुबली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर 390 के.एम. पर स्थित है। यद्यपि, यह स्वर्ण चतुर्भुज सड़क का भाग है तथापि, के.एम. 390 पर कोई जंक्शन या अंडर-पास नहीं बनाया गया है। इस स्थान पर इस गांव को वस्तुत: दो भागों में बांट दिया गया है जहां दोनों ओर खेत, विद्यालय और बाजार हैं तथा लोग और बच्चे लगातार इस स्थान पर सड़क पार करते रहते हैं। अत: इस गांव के लोग एक किलोमीटर दूरी पर बने अंडर-पास के स्थान पर यही एक बड़ा अंडर-पास बनाए जाने की मांग कर रहे हैं। यह छोटा सा अंडर-पास बहुत खतरनाक है क्योंकि यह वस्तुत: एक रास्ते पर बना है जहां से होकर निकट की एक झील में पानी बहकर जाता है। इससे लोगों को असुविधा होती है। यह स्थिति कानून और व्यवस्था की गंभीर स्थिति में बदल सकती है। इसलिए, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में तत्काल कार्य आरंभ कराए और मेरे निर्वाचन क्षेत्र के विरूर गांव में, जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-4 पर 390 के.एम. पर स्थित है, एक अंडर-पास बनवाए।

अपराह्न 2.15 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव के प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे राज्य सभा द्वारा 19 मार्च, 2008 को हुई अपनी बैठक में पारित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

महोदय, मैं 19 मार्च, 2008 को राज्य सभा द्वारा यथापारित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 2.16 बजे

नियम 377 के अधीन मामले—*जारी*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री श्रीपाद येसो नाईक—उपस्थित नहीं।

(पांच) उत्तराखंड के उन गन्ना उत्पादकों, जिनकी फसल पाले और शीतलहर के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है, को वित्तीय राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री बची सिंह रावत "बचदा" (अल्मोड़ा): महोदय, उत्तराखंड राज्य के हरिद्वार, देहरादून और उधमसिंह नगर में इस वर्ष सर्दियों में भीषण ठण्ड और पाला गिरने के कारण गन्ने की पौध को भारी नुकसान पहुंचा है। अब गर्मी पड़ने के साथ ही गन्ने की पैदावार इससे बहुत अधिक प्रभावित हो रही है।

पूरे क्षेत्र में विशेषज्ञों का आकलन है कि किसानों के गन्ने की 50 से 60 प्रतिशत तक फसल बर्बाद हो चुकी है। यदि गन्ना उत्पादक किसानों को तत्काल राहत नहीं दी गयी तो उनके लिए बहुत बड़ा आर्थिक संकट खड़ा हो जाएगा।

अत: मेरी केन्द्र सरकार से मांग है कि वह इस विषय की गम्भीरता को देखते हुए एक केन्द्रीय दल को उत्तराखंड के प्रभावित क्षेत्र में भेजकर क्षति का आकलन करवाये और उसके आधार पर गन्ना उत्पादक किसानों को पर्याप्त राहत प्रदान करने की कार्यवाही करे।

(छह) केरल की एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्था "केरल कलामंडलम्" को विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस. अजय कुमार (ओट्टापलम): केरल कला मण्डल केरल राज्य का एक प्रमुख सांस्कृतिक संस्थान है। यह सांस्कृतिक महत्व का संस्थान कथ्थककली जैसे सभी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यों का प्रशिक्षण प्रदान करता है। इस संस्थान में सैकड़ों छात्र विभिन्न कलाओं को सीखने और उनमें प्रशिक्षण प्राप्त करने आते हैं। इसलिए, लंबे समय से यह मांग चली आ रही है कि इस संस्थान को सांस्कृतिक विश्वविद्यालय में बदल दिया जाए। ऐसा करने से यह संस्थान अपनी सांस्कृतिक गतिविधियों का विस्तार करने में सक्षम होगा और इससे जुड़े हुए लोगों की आजीविका में भी वृद्धि होगी।

इसलिए, मैं सरकार से केरल कलामण्डल को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिए जाने का अनुरोध करता हूं।

सभापति महोदय: श्री पी. करूणाकरन—उपस्थित नहीं।

(सात) विश्व विरासत स्थल ताजमहल के अनुरक्षण और संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रामलीजाल सुमन (फिरोजाबाद): महोदय, दुनिया का अजूबा ताजमहल, ख्वाब की तामीर, इश्क की इबादत एवं दुनिया में हिन्दुस्तान का आईना है। देश को ताजमहल से करोड़ों डालर प्रतिवर्ष आय होती है, लेकिन पीलेपन की बीमारी का शिकार इस संगमरमरी ताज के पत्थर दरकने लगे हैं।

ताज के मुख्य गुंबद से लेकर मेहमानखाने, जल महल, मस्जिद एवं प्रवेश द्वार के पत्थर चटककर गिर रहे हैं, मुख्य गुंबद की तो सबसे खस्ता हालत है। संगमरमर पत्थर के साथ ही पच्चीकारी में लगे रंगीन पत्थर, कोरल एवं ग्रीन जैड भी गिर रहे हैं। यमुना किनारे की ओर सबसे ज्यादा पत्थर निकले हैं। पत्थरों को संभालने के लिए लगाई गयी लोहे की क्लिपें भी गल चुकी हैं। ताजमहल के पत्थरों के उखड़ने की प्रक्रिया दरअसल कई साल पुरानी है। यदि पुरातत्व विभाग ने पहले ध्यान दिया होता तो ये पत्थर टूटकर नहीं गिरते। 358 साल पुराने ताज पर कई जगह पत्थरों के उखड़ने पर उनकी जगह नहीं भरी गयी है।

यह अत्यधिक गम्भीर मामला है। सरकार को अविलम्ब ताजमहल के संरक्षण पर ध्यान देना चाहिए, जिससे इस विश्व धरोहर को सुरक्षित रखा जा सके।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्रीमती जयाप्रदा—उपस्थित नहीं।

श्री सुप्रीव सिंह—उपस्थित नहीं।

श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील—उपस्थित नहीं।

श्री चेंगरा सुरेंद्रन—उपस्थित नहीं।

श्री प्रभुनाथ सिंह

(आठ) बिहार में विशेष रूप से छपरा और सिवान जिलों में जल भराव को रोकने और नदियों से गाद निकालने के लिए एक केन्द्रीय परियोजना स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): महोदय, भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की लगभग 80 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिए कहा जाता है कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, परन्तु लगातार होने वाले बाढ़ और सूखे की विभीषिका ने देश के किसानों की कमर तोड़ दी है। एक सौ करोड़ से ज्यादा की आबादी के लिए भोजन जुटाने वाले किसान की हालत सरकार की उपेक्षा के कारण खुद ही भूखा और फटेहाल है।

प्रतिवर्ष आने वाले बाढ़ से देश के अन्य भागों की तुलना में उत्तर बिहार सबसे अधिक प्रभावित होता है। इसका मुख्य कारण है जल-जमाव की समस्या। उत्तर बिहार का छपरा-सिवान जिला सरयू एवं नारायणी नदी से घिरा हुआ है साथ ही छोटी-छोटी नदियां भी सिवान-छपरा से होकर गुजरती हैं। छपरा सिवान जिला का महत्वपूर्ण हिस्सा जितना बाढ़ से प्रभावित होता है, उससे कहीं ज्यादा जल-जमाव से प्रभावित होता है। किसानों की हजारों एकड़ भूमि की फसल प्रतिवर्ष जल निकासी नहीं होने के कारण बर्बाद हो जाती है। अगर जल निकासी की व्यवस्था कर दी जाए, तो प्रतिवर्ष बर्बाद हो रहे किसानों की फसल को बचाया जा सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि जिन-जिन भू-भाग में जल-जमाव की समस्या है, उन भू-भागों से पक्का पईन बनाकर उस पईन को नदी से जोड़ दिया जाए ताकि अत्यधिक पानी पईन के माध्यम से नदी में गिरता रहे और जल-जमाव न हो। छपरा जिला के माझी प्रखंड में धुरदेह चवर एवं बनियापुर प्रखंड में बहियरा चवर की जल निकासी, जलालपुर प्रखंड में तेल नदी की निकासी के साथ ही छोटी-छोटी नदियों में मिट्टी भर जाने के कारण पानी नदी से बाहर हो जाता है एवं बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है जिसके चलते किसानों की फसल बर्बाद हो जाती है।

मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उत्तर बिहार के छपरा एवं सिवान जिले में जल-जमाव की समस्या एवं छोटी-छोटी नदियों में मिट्टी जमाव से निजात दिलाने हेतु बिहार सरकार से प्रोजेक्ट मंगवाकर उसकी स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री सनत कुमार मंडल—उपस्थित नहीं।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन

(नौ) राष्ट्रीय बचत योजना को ग्राहकों के लिए आकर्षक बनाए जाने की आवश्यकता

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर): केरल में 16,000 से अधिक व्यक्ति, जिनमें से अधिकांश महिलाएं हैं, महिला प्रधान, एस.ए.एस. और पी.पी.एस. अधिकर्ताओं के रूप में कार्य कर रहे हैं। वे इस कार्य से अपनी जीविका अर्जित कर रहे हैं लेकिन अब ये सभी अभिकर्ता कार्य से प्राप्त होने वाले अपने लाभ के खोने के कारण भुखमरी के कगार पर हैं।

केन्द्र सरकार ने देश में बचत को बढ़ाने और आम लोगों में बचत की प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय लघु बचत योजनाएं आरंभ की थी। सरकार ने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बहुत सी आकर्षक योजनाएं शुरू की थी। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार ने किसान विकास पत्र, एम.आर.ई.एस. लोक भविष्य निधि, एन.एस.सी., डाक पर आवर्ती जमा खाते आदि योजनाएं आरंभ की थी। लोग इनकी ओर उच्च ब्याज दर और करों में छूट जैसे लाभों के कारण आकर्षित हुए। इन योजनाओं पर दी जाने वाली ब्याज दरें बैंकों में तत्कालीन ब्याज दरों से अधिक थीं। अब स्थिति बदल चुकी है। बैंकों की ब्याज दर राष्ट्रीय बचत योजनाओं की ब्याज दरों से अधिक है। इसलिए लोग आजकल राष्ट्रीय बचत योजनाओं में धन जमा करने से कतराते हैं। अब ये योजनाएं उनती आकर्षक नहीं रह गई हैं। इन योजनाओं से धन निकासी भी बहुत अधिक है। इससे केरल सरकार की वित्तीय स्थिति भी प्रभावित हुई है। एन.एस.एस.एफ. से ऋण लेने के अवसर भी घट गए हैं।

इन परिस्थितियों में, मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह तत्काल राष्ट्रीय बचत योजनाओं की ब्याज दर में वृद्धि करे ताकि 16000 से अधिक कर्मियों को भुखमरी से बचाया जा सके।

सभापति महोदय: सभा से अनुपस्थित रहे माननीय सदस्यों के नियम 377 के अंतर्गत मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाए।

(दस) नई दिल्ली के "एम्स" की तर्ज पर करनाल में एक मेडिकल कालेज-सह-अस्पताल की स्थापना में तेजी लाने की आवश्यकता*

डा. अरविन्द कुमार शर्मा (करनाल): नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की तर्ज पर कल्पना चावला चिकित्सा महाविद्यालय स्थापित करने में अधिक विलंब हो रहा है।

महोदय, मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र की जनता इस परियोजना पर कार्य शुरू होने की प्रतीक्षा कर रही है।

---

*सभा पटल पर रखा माना गया।

इस महाविद्यालय की स्थापना से कल्पना चावला का सम्मान करने के अतिरिक्त क्षेत्र के लाखों लोगों को स्वास्थ्य परिचर्या की सुविधा उपलब्ध होगी। मेरे क्षेत्र के लोगों को बड़े रोगों के उपचार के लिए दिल्ली, रोहतक या चंडीगढ़ जाना पड़ता है और इस सुविधा की शुरूआत होने से क्षेत्र के लोगों को बहु-प्रतीक्षित राहत मिलेगी।

महोदय, यद्यपि एक वर्ष से अधिक का समय व्यतीत हो गया है परंतु इस मुद्दे पर बहुत कम अथवा न के बराबर प्रगति हुई है।

मैं केंद्र सरकार के संबद्ध विभाग और राज्य सरकार से आग्रह करता हूं कि यथाशीघ्र भूमि का अधिग्रहण किया जाए ताकि परियोजना पर जल्द से जल्द कार्य आरंभ किया जा सके।

(ग्यारह) गुजरात में मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अहमदाबाद-खेड़ाब्रह्मा-अम्बाजी और हरजी-राधानपुर को जोड़ने वाली रेल लाइन का निर्माण कराए जाने की आवश्यकता*

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): महोदय, पूरे देश से मेरे संसदीय क्षेत्र के खेड़ाब्रह्मा तीर्थ स्थल का काफी नाम है और लाखों की संख्या में यहां पर दूसरे राज्यों से लोग इस तीर्थ स्थल का दर्शन करने आते हैं और अम्बा जी के प्रति काफी लोगों की श्रद्धा है, परन्तु अहमदाबाद खेड़ाब्रह्मा और अम्बा जी के बीच कोई भी रेल मार्ग नहीं है और इसकी मांग कई दशकों से की जा रही है। अत: सदन के माध्यम से रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि अहमदाबाद, खेड़ाब्रह्मा और अम्बा जी के बीच नई रेलवे लाइन का कार्य इस बजट में जोड़ा जाये। इसी तरह से मेरे संसदीय क्षेत्र से हरजी एवं राधानपुर के बीच कोई रेल मार्ग नहीं है जिसके कारण इस क्षेत्र में रहने वालों को आने-जाने में कई असुविधाएं होती हैं और यहां पर गरीब लोग वास करते हैं इस नई रेलवे लाइन से इस क्षेत्र में व्यापक पिछड़ेपन को दूर किया जा सकता है।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि उपरोक्त कार्यों के लिए रेलवे विभाग जनहित में कार्यवाही करे जिससे इस क्षेत्र के लोगों को भी रेलवे सुविधा मिल सके जो अभी तक वंचित हैं।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(बारह) अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में "नाबार्ड" द्वारा किसानों को राजसहायता दिया जाना सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता*

श्री वी.के. ठुम्मर (अमरेली): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली एवं गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में नबार्ड द्वारा किसानों को वेयरहाऊसिंग सुविधा के लिए सब्सिडी प्रदान की जा रही है, जिससे किसान अपने खाद्यान्न को बरसात से बचा सकते हैं। यह अच्छी योजना है परन्तु इसको सही ढंग से लागू नहीं किया जा रहा है क्योंकि किसानों को सब्सिडी का भुगतान नहीं हो रहा है। इस संबंध में पता करने पर हमें बताया गया है कि केन्द्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है जिसके कारण किसानों को नाबार्ड की वेयरहाऊसिंग सब्सिडी का भुगतान नहीं हो पा रहा है जिससे किसानों को अपने खाद्यान्न को स्टोर करने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बैंकों से इन गोदामों को बनाने के लिए जो ऋण लिया है उस पर उनको ब्याज देना पड़ रहा है।

मैं सदन के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस संबंध में आवश्यक जांच करवाये और केन्द्र सरकार इस संबंध में लम्बित धनराशि जो नाबार्ड को देनी है उसका भुगतान करे जिससे किसानों को सब्सिडी का भुगतान किया जा सके।

(तेरह) कारखानों में कठोर सुरक्षा उपाय लागू किए जाने और औद्योगिक इकाइयों द्वारा प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता*

श्री बागुन सुम्बरूई (सिंहभूम): महोदय, औद्योगिक इकाइयों में कामगारों की सुरक्षा के लिए कड़े नियम बनाए जाने चाहिएं। झारखण्ड के सिंहभूम कोल्हान प्रमंडल स्थित आधुनिक एलाय एंड पावर लि.-कान्द्रा में 28 फरवरी, 2008 को पांच कामगार झुलस गए, दो की मौत इलाज के दौरान हो गई। 6 मार्च, 2008 को एसीसी झीकंपानी स्थित प्लांट में दो कामगार झुलस गए, जिनमें एक की मौत 10 मार्च को को हो गई। कामगारों के आश्रितों को पर्याप्त मुआवजा एवं स्थायी नौकरी दिया जाना चाहिए।

औद्योगिक इकाइयों द्वारा फैलाए जा रहे प्रदूषण एवं भूजल के अनवरत दोहन पर रोक लगाया जाना चाहिए। कोल्हान प्रमण्डल (झारखंड) अंतर्गत अवस्थित औद्योगिक इकाइयों तथा नोवामुण्डी, बड़ाजामदा (झारखण्ड) एवं बड़बिल, जोड़ा (उड़ीसा) क्षेत्र स्थित आयरन और क्रशरों द्वारा अंधाधुंध फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोकने हेतु तत्काल बड़े कदम उठाए जाने चाहिए। उपरोक्त क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण करने वाली संबंधित सरकारी एजेंसियां निष्क्रिय हैं, इन्हें तत्काल सक्रिय किया जाना चाहिए।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(चौदह) आंध्र प्रदेश में ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों पर पर्याप्त चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता*

[अनुवाद]

श्री मधु गौड़ यास्खी (निजामाबाद): महोदय, देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत खराब हैं। यहां पर डाक्टरों, नर्सों और दवाइयों की कमी है।

डाक्टरों और पराचिकित्सा कर्मचारियों की कमी को पूरा करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा एक समग्र नीति बनाए जाने की आवश्यकता है। इस प्रयोजनार्थ हाल में एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले डाक्टरों के लिए क्रमश: 2 से 3 वर्षों की निश्चित अवधि हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में सेवा प्रदान करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए। सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले डाक्टरों का भी देश में विशेषकर आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 3 वर्षों की निश्चित अवधि तक सेवा प्रदान करने की आवश्यकता है।

इसलिए, मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई करे और इन ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों तथा पराचिकित्सा कर्मचारियों की पर्याप्त संख्या तथा पर्याप्त मात्रा में दवाइयों की आपूर्ति हेतु प्रावधान करे।

(पन्द्रह) सरकारी विभागों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्तियों को शासित करने वाले नियमों/विनियमों का नवीकरण किए जाने की आवश्यकता*

[हिन्दी]

श्री श्रीपाद येसो नाईक (पणजी): महोदय, केन्द्र के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभिन्न प्रदेशों की राज्य सरकारों के विभिन्न विभागों में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति पाने वाले लोगों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। कई-कई वर्षों बाद भी मृतक व्यक्ति के परिवार के सदस्य को अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति नहीं मिल पाती है जिस कारण से उनके परिवारों को पालन-पोषण में भारी कठिनाई होती है। आज की तारीख में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति दिये जाने हेतु जिस प्रकार के नियम सरकार ने बनाये हैं और जिस प्रकार से अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के मामले लंबित पड़े हुए हैं, उससे लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती है और कुछ लोगों की तो आयु भी अधिक हो जाती है।

अत: मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति मामलों में बने नियमों पर फिर से विचार करे ताकि लंबित पड़े मामले शीघ्र निपट सकें और लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिल सके।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

(सोलह) केरल को केन्द्रीय पूल से बिजली के कोटे की बहाली किए जाने की आवश्यकता*

[अनुवाद]

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): मैं आपका ध्यान अनावंटित केंद्रीय पूल से बिजली के कोटे में कमी के कारण केरल के लोगों के सामने आने वाली समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा। राज्य के लिए आवंटित कोटे में से अप्रैल 2007 से 133 मेगावाट बिजली की कटौती की गई थी और दिसंबर 2007 से 50 मेगावाट कटौती की गई थी। इस दौरान, बिजली की खपत बढ़कर 150 मेगावाट हो गई है। अत्यधिक गर्मी के मौसम में बिजली की मांग 2800 मेगावाट हो जाने की संभावना है। परंतु केंद्रीय पूल के कोटे सहित बिजली की उपलब्धता लगभग 2400 मेगावाट होगी जो कि आवश्यकता से 400 मेगावाट कम है। इसके कारण बड़े पैमाने पर बिजली कटौती होगी। बिजली बोर्ड विद्युत उत्पादन संयंत्रों से 8.75-9.00 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदने की स्थिति में नहीं है। इस स्थिति में सुधार करने का एकमात्र तरीका केंद्रीय पूल से कम किए गए कोटे को बहाल करना है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वह तत्काल हस्तक्षेप करें ताकि केंद्रीय पूल से कम किए गए बिजली कोटे को तत्काल बहाल किया जा सके।

(सत्रह) उत्तर प्रदेश के रामपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में कोसी और गागन नदियों पर पुलों के निर्माण कार्य पूरा करने के लिए केन्द्रीय पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता*

[हिन्दी]

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र रामपुर में कोसी नदी पर प्रानपुर सेतु एवं सैफनी चन्दपुरा कलां मार्ग के बीच गागन नदी पर सेतु बनाने का कार्य नहीं हो रहा है। इसमें प्रानपुर पुल का लागत बनकर तैयार हो गया है। इस मार्ग पर एप्रोच मार्ग न बनने से लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है और यह कोसी नदी पुल मार्ग के नीचे से न बहकर दूसरे मार्ग से बह रही है और आने वाले बरसात के समय इन नदियों के पास स्थित गांव के लोगों को बाढ़ का सामना करना पड़ सकता है। दूसरे पुल के लिए सैफनी के पास गागन नदी पर स्वीकृत राशि 818.67 लाख में से 231.27 लाख खर्च हो चुकी और अब कार्य रोक दिया गया है जिसके कारण 231.27 लाख रुपये बेकार हो रहे हैं और पुल का जो भाग बना है, वह आने वाले बरसात के समय बह जायेगा और बाढ़ का खतरा भी काफी गंभीर हो सकता है।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि केन्द्र सरकार द्वारा इस कार्य के पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता हेतु केन्द्र स्तर पर एक पैकेज उपलब्ध कराया जाये।

(अठारह) रांची-भुवनेश्वर के बीच गरीब रथ शुरू किए जाने और खुर्दा रोड-बोलांगीर रेल लाइन परियोजना के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता*

[अनुवाद]

श्री सुग्रीव सिंह (फूलबनी): महोदय, माननीय रेल मंत्री ने पिछले बजट में रांची-भुवनेश्वर के बीच गरीब रथ चालने की घोषणा की थी परंतु यह रेल अब तक नहीं चलाई गई है।

उड़ीसा की जनता द्वारा काफी समय से जनजाति बहुल क्षेत्रों को रेलमार्ग से जोड़ने की मांग भी की जाती रही है। खुर्जा रोड-बोलनगीर नई रेल लाइन परियोजना के लिए अंतिम स्थल सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है परंतु रेलवे भूमि का अधिग्रहण करने के लिए बहुत उत्साहित नहीं है। इसने परियोजना के लिए आवश्यक 5500 एकड़ में से अब तक 1000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है। इस नई लाइन रेल परियोजना को वर्ष 1994-95 में रेल बजट में सम्मिलित किया गया था यद्यपि परियोजना की मूल लागत लगभग 355 करोड़ रुपये थी परंतु इसमें विलंब के कारण लागत में वृद्धि हो गई है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र के भाग खांडामल को खुर्दा-बोलनगीर रेल लाइन से लाभ नहीं होगा। क्षेत्र का प्रतिनिधि होने के नाते मैंने खांडामल को भारमपुर से रेलमार्ग से जोड़ने के लिए रेल मंत्रालय से अनेक बार अनुरोध किया था।

महोदय, इसलिए मैं माननीय रेल मंत्री से अनुरोध करता हूं कि भूमि अधिग्रहण और खुर्दा रोड-बोलनगीर रेल लाइन से संबंधित कार्य में तेजी लाने के अतिरिक्त रांची-भुवनेश्वर गरीब रथ चलाने के कार्य में भी तेजी लाई जाए। माननीय रेल मंत्री खांडामल को भारमपुर से जोड़ने के मामले पर भी सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

(उन्नीस) महाराष्ट्र में अहमदनगर-बीड-पार्ली रेल लाइन के निर्माण में तेजी लाए जाने की आवश्यकता*

[हिन्दी]

श्री जयसिंगराव गायकवाड पाटील (बीड): महोदय, अहमदनगर-बीड-परली (वैद्यनाथ) यह नई रेल लाइन मेरे चुनाव क्षेत्र, बीड-महाराष्ट्र में आती है, जिस पर अब तक समूचा 103.75 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन खर्च केवल 16 करोड़ का ही किया गया है, बाकी पैसा खर्च नहीं हो रहा है। सारा काम ठप्प पड़ा है।

12 वर्ष पुरानी इस रेल लाइन की कीमत अब दुगुनी हो गयी है। उसका पुनर्मूल्यांकन पत्र मंत्रालय में स्वीकृति हेतु पड़ा है। 2008-2009 के बजट में इस पर फिर से केवल 10 करोड़ का ही प्रावधान किया गया है। इसका प्रावधान नहीं बढ़ाया जा रहा है तथा किया हुआ प्रावधान खर्च नहीं हो रहा है।

अहमदनगर-बीड-परली (वैद्यनाथ) नई रेल लाइन के लिये पर्याप्त प्रावधान हो व कार्य को गति मिले इस हेतु अक्तूबर, 2007 में महीना भर के लिए धरना आंदोलन किया गया, 28 अक्तूबर, 2007 को जिले में रेल रोको आंदोलन किया या जिसमें 850 नागरिकों ने गिरफ्तारी दी। स्वयं मुझे घाटनांदुर स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया व सायंकाल छोड़ दिया गया।

अत: मेरा माननीय रेल मंत्री जी से अनुरोध है कि वे तत्काल भुसंपादन के प्रस्ताव को मंजूरी दें। इतना ही नहीं किसानों की एक तिहाई रकम 14 करोड़ रुपये का भुगतान तुरंत करे। अब तक का किया हुआ प्रावधान रुपये 103.75 करोड़ मार्च 2009 तक खर्च करे व घाटनांदुर-अंबाजोगाई इस नई रेल लाइन के सभी प्रकार का सर्वे करे व उसके लिए अगले बजट में पर्याप्त प्रावधान करे।

(बीस) देश में बाघों के संरक्षण के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता*

[अनुवाद]

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर): मैं देश में अपने राष्ट्रीय पशु—बाघों की घटती संख्या सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं।

मीडिया में ऐसी खबरें हैं कि बाघों की संख्या इनके शिकार के कारण घट रही हैं। तथापि, ऐसा प्रतीत होता है कि बाघों के समुचित आकलन अथवा गणना के अभाव में शिकार की घटनाओं को रोकना संभव नहीं होगा।

यह बताया गया है कि बाघों की गणना समय-समय पर की जाती है। परंतु इन गणनाओं के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया के अपेक्षित परिणाम नहीं आए हैं। बाघ रिजर्वों का राष्ट्रीय महत्व है क्योंकि यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों से विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। सुंदरवन भी ऐसी ही एक बाघ रिजर्व है जहां हाल ही में गणना हुई थी। सरकार द्वारा अब तक यह नहीं बताया गया है कि सुंदरवन के बाघों की सुरक्षा हेतु इसका क्या कदम उठाने का विचार है।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

*सभा पटल पर रखा माना गया।

[श्री सनत कुमार मंडल]

इसलिए, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह सुंदरवन के बाघों की सही स्थिति और सुंदरवन में बाघों की सुरक्षा हेतु उठाए गए अथवा उठाए जाने वाले कदमों के बारे में बताए।

अपराह्न 2.22 बजे

मंत्री द्वारा वक्तव्य—*जारी*

(तीन) पाकिस्तानी हिरासत में भारतीय नागरिक, श्री सरबजीत सिंह की फांसी की सजा का एक माह के लिए स्थगन

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, कुछ समय पहले पाकिस्तान सरकार से, फारेन अफेयर्स के द्वारा कुछ सूचना हमारे विदेश मंत्रालय को प्राप्त हुई है। मैं चाहता हूं कि विदेश मंत्री को तुरंत उसे पेश करके सूचित करने की अनुमति दी जाए। इसके लिए बाकायदा नियम के अनुसार कागज हम स्पीकर के सचिवालय को दे चुके हैं।

[अनुवाद]

विदेश मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी): महोदय, मुझे सभा को सूचित करते हुए प्रसन्नता है कि इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग को पाकिस्तान के विदेश कार्यालय द्वारा अभी कुछ ही समय पूर्व यह सूचित किया गया है कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति ने 30 अप्रैल तक सरबजीत सिंह को फांसी दिए जाने पर रोक लगा दी है, अर्थात् इसे एक माह तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने कल अपनी चिंता व्यक्त की थी तथा मैंने उन्हें आश्वासन दिया था कि भारत सरकार सरबजीत सिंह का जीवन बचाने के लिए निरन्तर प्रयास कर रही है। हमने इसमें आंशिक सफलता तो हासिल की है परंतु हम अपना प्रयास जारी रखेंगे ताकि उसका जीवन बच सके।

मुझे सम्माननीय सभा को यह सूचना देने की अनुमति प्रदान करने के लिए आपका धन्यवाद महोदय।

अपराह्न 02.24 बजे

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008

[अनुवाद]

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित पर, विचार किया जाए।"

माननीय सभापति जी और सभा के सदस्यगण, सरकार का प्रस्ताव प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में संशोधन करके मेडिकल बोनस को 250 रु. से बढ़ाकर 1000 रुपये करने—यदि नियोक्ता द्वारा प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसव पश्चात परिचर्या नि:शुल्क दी जाती है—और इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तथा महंगाई के अनुरूप बनाने एवं प्रत्येक तीन वर्षों के बाद इस 1000 रु. की अधिकतम सीमा में संशोधन करने हेतु प्रावधान करने के लिए शीघ्र कदम उठाने का है। बोनस की अधिकतम राशि 20,000 रु. निर्धारित की गई है।

मैं सभा को यह सूचित करता हूं कि 27 फरवरी, 2008 को हुई अपनी बैठक में राज्य सभा यह प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन विधेयक), 2008 पहले ही पारित कर चुकी है।

ये संशोधन दूसरे राष्ट्रीय श्रम आयोग द्वारा जून, 2002 में सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के परिणामस्वरूप किए जा रहे हैं। ये सिफारिशें संगठित और असंगठित क्षेत्र में प्रसूति प्रसुविधा और अन्य बातों से संबंधित थीं।

प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 खानों, कारखानों, सर्कस उद्योग, वृक्षारोपण और दुकानों अथवा 10 या इससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को विनियमित करने के साथ उन प्रतिष्ठानों को भी विनियमित करता है जो शिशु जन्म के पूर्व और पश्चात् की अवधि के दौरान सरकारी थे। यह प्रसूति प्रसुविधा और कतिपय अन्य लाभ प्रदान करता है। अधिनियम का उद्देश्य ऐसे प्रतिष्ठानों में कार्यरत उन महिला कामगारों को लाभ प्रदान करना है जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत अभी तक शामिल नहीं किया गया है। इसका उद्देश्य उन महिला कामगारों को भी लाभ प्रदान करना है जिन्हें कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अंतर्गत प्रदत्त 10000 रुपए की अधिनियम वेतन सीमा के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है।

अधिनियम राज्य सरकारों को अधिनियम के अधिकार क्षेत्र को अन्य प्रकार के प्रतिष्ठानों में केन्द्र सरकार की सहमति से लागू करने की अनुमति प्रदान करता है और ऐसा करने के लिए उन्हें कम से कम दो महीने का नोटिस देना होगा। अधिकाधिक तौर पर इस अधिसूचना की घोषणा की जा सकती है कि ऐसे सभी प्रावधानों या इनमें से किसी एक प्रावधान को किसी भी अन्य प्रतिष्ठान या प्रतिष्ठानों की एक श्रेणी वाणिज्यिक, कृषि या अन्य पर भी लागू किया जाएगा।

केन्द्र सरकार ने राज्य सभा में 14 मई 2007 को प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2007 पुर:स्थापित किया जिससे मौजूदा अधिनियम में दो संशोधन शामिल किये गये। पहला प्रस्तावित संशोधन चिकित्सा बोनस 250 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए करने का है जिसे पिछली बार 1989 में संशोधित किया गया था। दूसरा संशोधन 20000 रुपए की अधिकतम धनराशि तक समय-समय पर चिकित्सा बोनस को बढ़ाने की अनुमति प्राप्त करने से संबंधित था।

विधेयक को श्रम संबंधी स्थायी समिति के पास तत्संबंधी रिपोर्ट देने हेतु भेजा गया। स्थायी समिति ने इस मंत्रालय के साथ 15 जून, 2007 और 3 अगस्त, 2007 को चर्चा की। समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में 16 अगस्त, 2007 को प्रस्तुत कर दी। स्थायी समिति की सिफारिशों की जांच श्रम संबंधी स्थायी समिति और परामर्शदात्री समिति के साथ हुई चर्चा तथा विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त जानकारी के आधार पर की गई।

स्थायी समिति ने कई सिफारिशें की जैसे चिकित्सा बोनस को बढ़ाकर 5000 रुपए करना, समय-समय पर चिकित्सा बोनस को संशोधित करना था किन्तु जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी; समय-समय पर चिकित्सा बोनस में वृद्धि करने हेतु 20000 रुपए धनराशि की अधिकतम सीमा को समाप्त करना, इसे सर्वत्र लागू करने की संभावना को व्यापक बनाने हेतु एक विस्तृत विधेयक लाना, केन्द्र सरकार के कर्मचारियों की तरह मातृत्व अवकाश की संख्या बढ़ाना और पितृत्व अवकाश का प्रावधान करना।

श्रम संबंधी स्थायी समिति ने सिफारिश की थी कि चिकित्सीय बोनस के रूप में संदेय 20,000 रुपये की प्रस्तावित राशि की अधिकतम सीमा को समाप्त कर दिया जाए और केन्द्रीय सरकार तीन वर्ष अवधि के पश्चात चिकित्सीय बोनस की समीक्षा करे, जिसकी जांच मंत्रालय में की गई है। समिति की अधिकतम सीमा को समाप्त करने की सिफारिश एक स्वागतयोग्य सुझाव है। तथापि, सभी स्टेक धारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए अधिकतम सीमा का प्रस्ताव किया गया है। चिकित्सीय बोनस की समीक्षा के लिए तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है और इसे इस सदन में प्रस्तुत संशोधन अधिनियम में शामिल कर लिया गया है।

समिति द्वारा की गई बहुत सारी सिफारिशों को असंगठित सेक्टर कर्मकार सामाजिक सुरक्षा विधेयक, 2007 को संसद में पुर: स्थापित करते हुए ध्यान में रखा गया है। प्रस्तावित विधेयक की धारा 3(1) के तहत केन्द्रीय सरकार को स्वास्थ्य और प्रसूति प्रसुविधा के संबंध में असंगठित सेक्टर कर्मकारों के विभिन्न वर्गों के लिए समय-समय पर उपयुक्त कल्याणकारी स्कीमों को बनाने की शक्ति प्रदान की गई है, विधेयक में केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई जाने वाली स्कीमों के वित्तपोषण और कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त प्रावधान किए गए हैं। जहां तक मातृत्व अवकाश को बढ़ाकर केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के बराबर करने और पितृत्व अवकाश के उपबंध का संबंध है, इस मामले की नियोक्ताओं, राज्य सरकारों, मजदूर संघों और महिला संगठनों के साथ परामर्श से जांच की जानी है। मातृत्व प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के तहत प्रसुविधाओं पर आने वाला खर्च नियोक्ताओं द्वारा वहन किया जाता है। यह महसूस किया गया है कि मातृत्व अवकाश को बढ़ाना और पितृत्व अवकाश का उपबंध आम सहमति से किया जाना है, ताकि इस प्रस्ताव का महिलाओं के नियोजन पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और इसके प्रवर्तन में कठिनाई का सामना न करना पड़े। यह निवेदन है कि यह प्रस्ताव नियोक्ता को महिला को नियोजित करने के लिए हतोत्साहित कर सकता है। अत:, अभी इस सिफारिश को स्वीकार नहीं किया गया है।

मैं आशा करता हूं कि वर्तमान संशोधन कामकाजी महिलाओं को तत्काल आवश्यक सहायता प्रदान करने में कारगर होंगे।

सभापति महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

अपराह्न 2.32 बजे

अध्यक्षपीठ द्वारा घोषणा

सभा की बैठक रद्द किए जाने के बारे में

[अनुवाद]

सभापति महोदय: माननीय सदस्यो, मुझे सभा को यह सूचित करना है कि आज (19.3.2008) को कार्य मंत्रणा समिति की हुई बैठक में सर्वसम्मति से लिये गये निर्णय के अनुसार गुरुवार, 20 मार्च, 2008 के लिए निर्धारित सभा की बैठक रद्द की जाती है।

मैं उम्मीद करता हूं कि सभा इस बात से सहमत है।

कतिपय माननीय सदस्य: जी हां।

अपराह्न 2.33 बजे

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008—*जारी*

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): सभापति जी, यहां मेटरनिटी बैनीफिट बिल में जो अमैंडमैंट लाया गया है, मैं उसका स्वागत करती हूं और करना ही पड़ेगा। लेकिन मैं थोड़े भारी मन से स्वागत की बात इसलिए कर रही हूं कि हम किसको क्या दे रहे हैं। जब भी सरकार किसी के बारे में सोचती है, तब मन में यह भी रखना चाहिए कि हम किसको क्या देने जा रहे हैं, सामने वाला व्यक्ति कौन है। मैं यह इशारा कर रही हूं कि हम जो बैनीफिट देने जा रहे हैं या जो बोनस थोड़ा सा बढ़ाकर दे रहे हैं, मैं उसका स्वागत करती हूं और अपर लिमिट के बारे में आपने जो कहा है कि हम सोचेंगे, मैं उससे सहमत हूं। लेकिन हम उन महिलाओं, मैं केवल महिला नहीं कहूंगी, इस देश के मातृत्व को कुछ देने जा रहे हैं, उस माता को जो आपके देश का भविष्य बनाने वाली है। यदि आज हम हिन्दुस्तान की स्थिति देखें, हम देखते हैं कि महिलाओं में जो कुपोषण है, यदि महिला में कुपोषण है तो वह बच्चे में आएगा, अगर महिला एनीमिक है तो बच्चा भी एनीमिक होगा।

मराठी में एक कहावत है—"शुद्ध बीजा पोटी, फले रसाल गोमटी"—बीज शुद्ध भी होना चाहिए, बीज सशक्त भी होना चाहिए, तभी आने वाली प्रजाति उसी तरह होगी। माननीय भूरिया जी यहां बैठे हुए हैं। हम जानते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में महिलाएं छोटे-छोटे काम करने के लिए जाती हैं, आज उनकी क्या स्थिति है। क्या हम ऐसी महिलाओं के लिए कुछ दे रहे हैं? केवल फैक्ट्रीज में काम करने वाली महिलाएं ही नहीं, माइन्स में काम करने वाली महिलाओं को भी जिस तरह से काम करना पड़ता है, वहां प्रदूषण से उनको मुक्ति नहीं मिलती है। वहां उनके काम करने की क्या स्थिति है, वहां पर किस प्रकार की सुविधाएं हैं, किस प्रकार से उनको वहां काम करना पड़ रहा है, यह सब चीजें देखने की जरूरत है। अन्य जिस जगहों के बारे में आपने बताया है कि वहां काम करने वाली महिलाओं को बोनस देने पर विचार कर रहे हैं, वहां की क्या स्थिति है? आज बार-बार रिपोर्ट्स छापी जाती हैं, विदेशों से आने वाले बड़े-बड़े एनजीओ के द्वारा यह रिपोर्ट्स छापी जाती हैं कि भारत में इतने प्रतिशत महिलाएं एनीमिया और कुपोषण से प्रभावित हैं। पूरे विश्व के सामने जब ये रिपोर्ट्स आती हैं तो क्या यह हमारे लिए गौरव की बात है? मैं यहां महिला के बदले माता शब्द प्रयोग करूंगी। जब हम माता के लिए कुछ कहना चाहेंगे तो हमें इन सभी बातों पर ध्यान देना होगा, जिनका मुझे लगता है कि मंत्री जी ने और सरकार ने ध्यान नहीं रखा है। केवल देना है और इसीलिए यह अमेंडमेंट लाया गया है, जो दिया जा रहा है उसे अगर हम इनफ्लेशन से जोड़कर देखें तो वह भी गलत हो जाएगा। केवल आंकड़ों का खेल मत कीजिए। पहले वर्ष 1961 में यह बोनस 25 रुपए था, धीरे-धीरे इसे बढ़ाकर 250 रुपए किया गया और अब इसे आप एक हजार रुपए करने जा रहे हैं। मैं कहूंगी कि इसके साथ ही बाकी सुविधाओं के बारे में भी विचार करना चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि मजदूर महिलाएं जिनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए, जैसे आपने कहा कि छः सप्ताह की सवैतनिक छुट्टी मिलेगी, लेकिन क्या यह छुट्टी उसे वास्तव में मिल रही है? इसके लिए हमने क्या किया है? फिर यह छः सप्ताह की छुट्टी भी बहुत कम होती है। प्राविजन है कि तीन सप्ताह की छुट्टी पहले और तीन सप्ताह की छुट्टी डिलिवरी के बाद ली जा सकती है। लेकिन जब हम देखते हैं कि कोई महिला माइन्स में काम करती है तो क्या वह तीन सप्ताह या इतने समय में वहां काम करने के लायक हो सकती है? थोड़ा मानवता के आधार पर सोचने की जरूरत है।

इसी तरह सर्कस में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति देखिए। वहां जो करतब दिखाने वाली महिलाएं होती हैं, जो रस्सी पर चलती हैं, कभी-कभी घरों के सामने मैदान में भी करतब दिखाने आती हैं। मैं अपना अनुभव आपके सामने बता रही हूं। इस तरह की एक महिला जो करतब दिखा रही थी, उसे देखने से लग रहा था कि उसका नवां महीना चल रहा होगा, मैंने उसे रोककर कहा कि यह क्या कर रही हो, उसने कहा कि पेट का सवाल है। फिर 15 दिन बाद मैंने उसी महिला को देखा कि वह अपने 15 दिन के बच्चे को टोकरी में रखकर करतब दिखा रही है। इसलिए अगर हम कुछ कर सकते हैं तो हमें ऐसी महिलाओं के बारे में सोचना चाहिए। मैं कहना चाहूंगी कि वह छुट्टी उनको मिल रही है या नहीं मिल रही है, इसके लिए निगरानी की जरूरत है। इसके लिए फैक्टरी इंसपेक्टर्स हैं, उनके बारे में मुझे बोलना नहीं चाहिए, उद्योगपति उनसे कहते हैं कि मेरी फैक्टरी से दूर रहने का क्या चाहिए। यह हो रहा है। फैक्टरी के लिए यह होता है, तो खदानों और ईंट भट्ठों की स्थिति का अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरीके से वहां अत्याचार होते हैं, सभी परिचित हैं। वहां ये इंसपेक्टर्स क्या देखेंगे और क्या बोलेंगे? कैसे आप इसे मानीटर करेंगे? इसीलिए मैं कह रही हूं कि इसमें मातृत्व के प्रति सरकार की नान सीरियसनेस दिखती है। आपने इस एक्ट में छोटा सा अमेंडमेंट करके छोड़ दिया, इस पर समग्र विचार होना चाहिए

था। पहले भी बीच-बीच में छोटे-छोटे अमेंडमेंट्स आते रहे हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि समय की आवश्यकताओं के अनुसार इस पूरे एक्ट पर विचार किया जाए। आपने एक हजार रुपए बोनस देने की बात कही है, लेकिन अगर इसे इनफ्लेशन से जोड़कर देखा जाए तो यह कुछ भी नहीं है। ऐसी महिलाओं को यह बोनस इसलिए दिया जाता है कि इससे वह कुछ अच्छा खा-पी सकेगी, क्योंकि यह माना जाता है कि उसे 6 सप्ताह की सवैतनिक छुट्टी मिल रही है। इस पैसे से वह मेडिकेशन ले सकेगी। लेकिन आज बाजार में दवाईयों के प्राइसेज क्या हैं? एक डिलीवरी के लिए अगर वह हास्पिटल में जाती हैं तो वहां कितना खर्च आज आता है। कुछ राज्य इसके बारे में सहायता दे रहे हैं। आज हमारे मध्य प्रदेश में सरकार ने इसे समझा है। वहां जननी सुरक्षा योजना चल रही है। अगर वह महिला अस्पताल में जाती है, वहां उसकी डिलीवरी होती है तो उसे वहीं 1,400 रुपए प्रदान किए जाते हैं, चाहे वह कहीं नौकरी करती हो या नहीं। यही नहीं, इससे पहले भी गरीब महिलाओं को आंगनवाड़ी में गोदभराई की रस्म करके दवाएं और खाने-पीने की चीजें दी जाती हैं। इसके साथ ही मैं कहना चाहूंगी कि आप इसे भी देखिए कि जब मध्य प्रदेश सरकार ने यह शुरू किया है, जो मजदूर हैं, उनके लिए कुछ कीजिए, क्योंकि आपने कहा है कि अनआर्गनाइज्ड सेक्टर के लिए आपने कुछ योजनाएं शुरू की हैं, लेकिन मैं जो बात कह रही हूं, वह इसमें कहीं नहीं है कि मध्य प्रदेश सरकार आज उस महिला का कार्ड बनने के बाद उसे 90 दिन की सवैतनिक छुट्टी दे रही है।

सभापति महोदय: आप अभी और कितना समय लेंगी। आपकी पार्टी के कई अन्य माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन: महोदय, अगर मैं विषय से हटकर बोलूं तो आप कहिए। राज्य सभा में इस विधेयक पर चर्चा नहीं हो पाई थी, इसलिए भी यह बिल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। मैं अपने प्वाइंट्स को रिपीट नहीं करूंगी।

मेरा कहना है कि मजदूरी करने वाली महिला को 90 दिन का सवैतनिक अवकाश मिलेगा, उसको घर में ही मजदूरी मिलेगी। इसके साथ ही उसके पति को 15 दिन का सवेतन अवकाश मिलेगा। यह हम दे रहे हैं। आपने यह प्रावधान रखा है कि जहां पर दस या दस से ज्यादा लोग काम करते हैं, वे इसमें कवर होंगे। अगर केवल मजदूरी और खदान की बात छोड़कर भी देखें, तो आजकल छोटे-छोटे काल सेंटर्स चलते हैं, वहां पर लड़कियां और महिलाएं काम करती हैं। उसमें दस से कम इम्प्लाइज भी होते हैं और ये सेंटर्स रात में चलते हैं, इसलिए आपको यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि ऐसी छोटी-छोटी जगहों के लिए भी प्रावधान हो। जब हम अनआर्गनाइज्ड सेक्टर की बात कहते हैं, तो बहुत सी महिलाओं को कंपनियां इस तरह एम्प्लाय करती हैं, वे कंपनी का सामान हाथ में लेकर दरवाजे-दरवाजे घर बेचती हैं। वे किलो-किलो माल उठाकर जाती हैं, उनके लिए यह कानून कहीं से भी लागू नहीं होता है। यह बात भी ध्यान में रखनी होगी। आपने पितृत्व अवकाश की बात भी कही है। मैं कहना चाहूंगी कि चिकित्सा सेवा में आपने जो 1000 रुपए देने की बात कही है, उसमें और थोड़ी वृद्धि करनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में देखा जाए तो इस रकम से कुछ नहीं होता, मेडिकेशन भी नहीं हो सकेगा। जब खाने-पीने की बात आती है, तो वह भी नहीं हो सकेगा।

आपने इस एक्ट में नर्सिंग की बात कही है कि जो महिलाएं अवकाश के बाद वापस काम पर आती हैं, उन्हें शुरू में एक दिन में दो बार 15 दिन तक अपने शिशु को फीड करने की अनुमति होगी। आपको भी मालूम है कि आज उद्योगों, फैक्टरीज और कारखानों में शिशु गृह कहां होते हैं, जहां वह अपना बच्चा रख सके। मैं मंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि क्या इसके लिए आपने निगरानी समितियां बनाई हैं, अगर नहीं बनाई हैं तो बनाएं। वे वहां जाकर देखें और नर्सिंग की व्यवस्था करें। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर प्रजनन के बाद जो छः सप्ताह के अवकाश की बात है, उसे और बढ़ाना चाहिए। आपकी सिफारिश में एक यह भी है, इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए और अवकाश की सीमा 12 सप्ताह से ज्यादा होनी चाहिए।

आपने इस संशोधन बिल में जो पेनल्टी का प्रावधान किया है, वह बहुत कम है। आपने कहा है कि कोई फैक्टरी मालिक या अन्य एम्प्लायर यदि ऐसी सुविधा नहीं देगा तो उसे 500 रुपए का दंड देना होगा या तीन महीने की कैद होगी, जो कि कभी होती नहीं है। अगर फैक्टरी इंस्पेक्टर इस चीज का निरीक्षण करने जाएगा तो उसकी क्या हिम्मत है कि वह मालिकों के खिलाफ बोले। मालिक भी इस 500 रुपए के मामूली दंड को एक बार तो क्या दस बार देने को तैयार होंगे। यह भी हो सकता है कि वे महिलाओं को काम पर ही न लें। इसलिए इस पर भी ध्यान देना होगा।

आपके कानून की अनुपालना हो रही है या नहीं, यह भी देखना चाहिए। अगर देखा जाए तो इस कानून पर ठीक से अमल नहीं हो रहा है और महिलाओं को वे सारी सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं जो कानून में उल्लिखित हैं। इस बारे में स्टेंडिंग कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी है। उसमें प्रदेशों की लिस्ट बताई है कि किसी भी प्रदेश में 100, 200 या 300 से ज्यादा महिलाओं को इस तरह की सुविधाएं नहीं मिली हैं। एकाध प्रदेश में ही इस बारे में अच्छी स्थिति है। बाकी के राज्यों में कहीं तो 72, 73 या कहीं पर तो केवल 23 महिलाओं को ही इस प्रकार की सुविधाएं दी गई हैं। इसलिए आपको देखना चाहिए कि आपके कानून के

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

अंतर्गत जो लाभ महिलाओं को मिलना चाहिए, वह मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। पहले 200 रुपए जब बोनस था, तब भी यही व्यवस्था थी और आज भी यही है। इस व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे कि राज्य ठीक तरीके से महिलाओं को सुविधाएं प्रदान करें, इसके लिए आपको जागरूकता अभियान चलाना चाहिए और निगरानी समितियां बनानी चाहिए। इसके लिए विभिन्न संगठनों से मदद भी ली जा सकती है। यदि समग्र रूप से इस कानून में संशोधन किया जाता, तो मैं मानती कि आप वास्तव में इस देश के मातृत्व के लिए गम्भीर हैं। लेकिन मैं बड़े भारी मन से कहना चाहती हूं कि वह गम्भीरता इस बिल में नहीं दिखाई दे रही है। बाकी जैसे कहा जाता है कि भागते भूत की लंगोटी ही सही, तो इसे भी कोई छोड़ना नहीं चाहेगा, लेकिन आपको अन्य बातों पर भी ध्यान देना चाहिए, जिनका मैंने उल्लेख किया है।

श्रीमती कृष्णा तीरथ (करोलबाग): सभापति जी, आज हम प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 पर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ी हुई हूं। यह बिल मंत्री जी की संवेदनशीलता को दर्शाता है कि वह इस मुद्दे पर कितने संवेदनशील हैं, जिन्होंने ऐसी महिलाओं को, जैसे सुमित्रा महाजन जी ने कहा कि ऐसी माताओं को जो मजदूरी करती हैं, चाहे खान में हो या फैक्टरी में हों या अन्य किसी जगह पर हो। उन सबको ईएसआई के तहत कवर किए जाने की बात इसमें कही गई है, भले ही उनकी सैलरी इतनी कम हो कि वे इसमें न कवर होती हों। मैं मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहती हूं कि उन्होंने इसके लिए कुछ सोचा। जैसा अभी सुमित्रा महाजन जी ने बताया कि एक मां को इतना स्वस्थ होना चाहिए कि उसके जो बच्चा हो, वह सशक्त और अच्छा हो। इसके लिए उसे पोषक आहार और बैलेंस्ड डाइट मिलनी चाहिए। इस काम के लिए आंगनवाड़ी भी है। लेकिन प्रश्न यह है कि जो महिला मां बनने जा रही है, क्या उसको वहां इतनी बैलेंस्ड डाइट मिलती है। इस संशोधन विधेयक में यह भी कहा गया है कि चाहे संगठित क्षेत्र की महिला हो या असंगठित क्षेत्र की, दोनों जो काम करती हैं, उन्हें तीन महीने की छुट्टी देने की बात कही है। मैं समझती हूं कि ये तीन महीने कम हैं, इस अविध को और बढ़ाना चाहिए। एक विज्ञापन मैं पढ़ रही थी, उसमें ऐसी व्यवस्था थी कि कुछ महिलाओं को डिलीवरी के वक्त तीन साल तक वापस काम पर आने की अनुमति होगी, शायद ऐसी बात सरकारी नौकरियों में होने जा रही है। इस बिल में भी यह व्यवस्था है कि बच्चा पैदा होने के कम से कम छः महीने बाद वापस काम पर आए, जिससे वह अपने बच्चे को छः महीने तक दूध पिला सके, जो कि बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। आपने बोनस की राशि 250 रुपए को बढ़ाकर 1000 रुपए किया है, यह एक स्वागत योग्य कदम है। मैं कहना चाहती हूं कि हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, वे भी अपने-अपने इलाकों में जाकर ऐसी फैक्टरीज, कारखानों और अन्य जगहों को देखें, जहां महिलाएं काम करती हैं। चाहे वे संगठित क्षेत्र में काम करती हैं या असंगठित क्षेत्र में काम करती हैं। वहां जाकर वे उन्हें जागरूक करें कि ये-ये सुविधाएं आपके लिए हैं।

यह बात भी ठीक है कि महिला मजदूरों को इन सुविधाओं के बारे में जानकारी नहीं होती कि कितनी छुट्टियां उन्हें विद पे मिलती हैं। लेबर एक्ट में प्रावधान है कि 15 दिन की छुट्टी विद पे प्राप्त की जा सकती है, लेकिन आज तक किसी महिला को यह मालूम नहीं है। हम भी समाज का एक अंग हैं और सारे समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसलिए हम भी उसमें जागरूकता लाएं और कारखानों, उद्योगों आदि में अवेयरनैस के कार्यक्रम चलाएं। इसके अलावा साल में दो-तीन या छः मीटिंग इस बारे में होनी चाहिए, जिसमें इन सुविधाओं के बारे में उन्हें बताया जाए। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 8 यह उपबंध करती है कि प्रत्येक महिला जो इस अधिनियम के अंतर्गत प्रसूति प्रसुविधा की हकदार है वह अपने नियोक्ता से 1000 रुपये का चिकित्सीय बोनस प्राप्त करने की भी हकदार होगी। आपने 250 रुपए से बढ़ाकर 1000 रुपए तक बोनस किया है, यह अच्छी बात है। लेकिन इसे थोड़ा और बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मालिकों के पास पैसे की कमी नहीं है। आप भी जानते हैं कि इतने पैसे में दवाएं खाने की चीजें कैसे प्राप्त की जा सकती हैं, जिनमें ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन्स, मिनरल्स और आयरन हों। इसलिए इस राशि को और बढ़ाए जाने की जरूरत है। अगर ऐसा किया जाता है तो यह संशोधन और अधिक ठीक रहेगा।

इस बिल में कहा गया है कि मैटरनिटी लीव के अलावा उस महिला का पति पैटरनिटी लीव भी ले सकता है, जिसकी अवधि 15 दिन होगी। इससे यह होगा कि जब वह महिला काम पर जाएगी, तो उसका पति यह छुट्टी लेकर अपने बच्चे की देखरेख कर सकेगा। मैं कहना चाहती हूं कि उस मां को आहार का पूरा पैकेज दिया जाना चाहिए, जिसमें सारे पौष्टिक तत्व हों ताकि वह जब अपने बच्चे को दूध पिलाए तो उसे भी पौष्टिक आहार मिल सके। इसलिए ऐसी माताओं के लिए अलग से पैकेज दें, जिससे वे संपूर्ण आहार ले सकें और बच्चे की परवरिश अच्छी तरह कर सकें। यदि मां का स्वास्थ्य अच्छा होगा तो बच्चे का भी होगा। आज हम देखते हैं कि कई महिलाएं कारखानों में, उद्योगों में तो काम करती ही हैं, उसके अलावा इमारतों के निर्माण में भी सीमेंट, रोड़ी, लोहा और ईंटें उठाने जैसा काम करती हैं। लेकिन उन्हें पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता है इसलिए आहार के संबंध में एक पैकेज अलग से महिला मजदूरों को दिया जाए।

इस संशोधन बिल में अन्य बातें भी कही गई हैं, जिनका मैं समर्थन करती हूं और मंत्री जी को बधाई देती हूं कि उन्होंने जो संवेदनशीलता दिखाई है, वह सही है। इसके अलावा सुमित्रा महाजन जी ने भी जैसा कहा है, उन्हें भी इसमें जोड़ दिया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं और आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): माननीय सभापति महोदय, प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 1961 में प्रस्तावित संशोधन वास्तव में स्वागत योग्य कदम है और मैं इन संशोधनों का समर्थन करती हूं। इस विधेयक पर चर्चा करते समय हमें अपने देश में महिलाओं के लिए इस समय उपलब्ध प्रसूति प्रसुविधा पर विचार करना होगा। यह गम्भीर चिंता का विषय है कि आज स्थिति ऐसी है जहां महिलाओं को मूल अधिकार भी प्राप्त नहीं हैं। कामकाजी महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में आता है। हालांकि, अधिनियम में भी यह कहा गया है कि वे भी प्रसूति प्रसुविधा की हकदार हैं, लेकिन वास्तव में ज्यादातर महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता है। बहुत से मामलों में प्रसूति के कारण गरीब महिलाओं को इस विधान का संरक्षण नहीं मिल पाता और रोजगार बाजार में महिलाओं की स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है। इसलिए श्रम मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह है कि वह यह सुनिश्चित करे कि महिलाओं को जब प्रसूति प्रसुविधाओं की अत्यंत आवश्यकता हो तो वे उन्हें अवश्य उपलब्ध हो सके। प्रसुविधाएं बढ़ाने के साथ-साथ यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि नियोक्ताओं द्वारा अपनाई जाने वाली महिलाओं के रोजगार में अनुचित कटौती की प्रक्रिया को दूर किया जाए। जिसे वे इसलिए करते हैं ताकि वे प्रसूति प्रसुविधाएं प्रदान करने से बच सके। लेकिन दुर्भाग्यवश जिनके लिए यह कानूनी प्रावधान किया गया है वे ऐसे हथकंडे अपनाते हैं कि कानून तोड़ने के बावजूद उनका कुछ नहीं होता। इन खामियों को दूर करने के लिए गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए।

मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित वर्तमान संशोधन, जो नियोक्ता द्वारा दिए जाने वाले बोनस को बढ़ाने के बारे में है, एक स्वागत योग्य कदम है, विशेषकर उस स्थिति में जब प्रसव-पूर्व और प्रसव-पश्चात् कोई सुविधा प्रदान नहीं की गई हो।

महोदय, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों, विशेषकर चिकित्सा खर्चों में यह वृद्धि बहुत कम है। मेरा निवेदन है कि इसे बढ़ाकर 5000 रुपये किया जाए, जैसा कि स्थायी समिति ने सुझाव दिया था। स्थायी समिति में विस्तृत चर्चा के दौरान एक सुझाव दिया गया था कि गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कुछ राहत प्रदान करने के लिए इसे 5,000 रुपये तक बढ़ाया जाना चाहिए। इसका भुगतान तीन किस्तों में किया जाना चाहिए, दो किस्तें प्रसव-पूर्व और तीसरी किस्त प्रसव पश्चात स्तर पर दी जाए। इसका आशय यह भी है कि जननी सुरक्षा योजना का लाभ कम से कम प्रसव के दौरान तो मिलना ही चाहिए।

दूसरे संशोधन में सुझाव दिया गया है कि जब कभी आवश्यकता हो तो प्रसूति बोनस की राशि की अधिसूचना द्वारा बढ़ायी जा सके। यह स्वीकार्य है। तथापि, दिए जाने वाले चिकित्सा बोनस की राशि की ऊपरी सीमा निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं।

प्रसूति प्रसुविधाओं को बढ़ाया जाए तथा उन्हें लागू करने में ऐसी स्थिति में सुधार किया जाना चाहिए, जहां हाल ही में किए गए परिवार स्वास्थ्य के सर्वे की स्थिति में दर्शाया गया है कि महिलाओं में अस्वीकार्य स्तर का कुपोषण है और अत्यधिक एमएमआर है-इस देश की एक-तिहाई महिलाएं कुपोषित हैं और आधी महिलाएं खून की कमी का शिकार हैं। इसके मुकाबले पुरुषों में यह आंकड़ा 28 प्रतिशत है, जो यह दर्शाता है कि गरीब महिलाओं में निश्चित रूप से इसकी प्रधानता है। इस स्थिति में इन विषयों का समाधान किया जाना चाहिए और देश की महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाये गये वर्तमान कानूनों को लागू करने के लिए कारगर निगरानी व्यवस्था होनी चाहिए। अत: मंत्रालय द्वारा प्रसूति प्रसुविधाओं के बारे में बड़े पैमाने पर पुनरीक्षा की जानी चाहिए, जिसमें अधिनियम के दायरे को बढ़ाना और इस महत्वपूर्ण विधान के कार्यान्वयन में सुधार करना, जैसे मुद्दों को लिया जाए ताकि अधिकारिक कामकाजी महिलाओं को इसका लाभ मिल सके और मां तथा बच्चे के स्वास्थ्य अधिकारों को कानूनी तौर पर संरक्षण प्राप्त हो सके।

मेरे पास कुछ और भी सुझाव हैं इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए किसी प्रतिष्ठान में 10 या उससे ज्यादा व्यक्तियों की वर्तमान सीमा को हटाया जाना चाहिए। अधिनियम को सर्व व्यापक रूप से लागू किया जाना चाहिए यथा सभी असंगठित क्षेत्रों में कार्य कर रही महिलाओं को इसमें शामिल किया जाए। चिकित्सा बोनस का वितरण इएसआईसी नेटवर्क के माध्यम से किया जाना चाहिए ताकि यह राशि लक्षित समूह तक पहुंच सके। इन खर्चों को पूरा करने के लिए एक ऐसा राष्ट्रीय कोष बनाया जाये जिसमें नियोक्ताओं, कर्मचारियों, राज्य सरकारों और केन्द्रीय सरकार का योगदान हो। प्रसूति अवकाश कम से कम 135 दिन का होना चाहिए, जैसा कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को उपलब्ध है, पितृत्व अवकाश के प्रावधान में कम से कम 15 दिन का अवकाश होना चाहिए। इन सब बातों को शामिल किया जाना चाहिए।

[श्रीमती पी. सतीदेवी]

अपराह्न 3.00 बजे

इन सब के लिए कारगर निगरानी व्यवस्था की जानी चाहिए। वर्तमान प्रसूति प्रसुविधाओं की उपलब्धता बहुत कम है। इस पर विचार करते हुए और देश की महिलाओं की रक्षा के लिए श्रम मंत्रालय को ठोस कदम उठाने जाने चाहिए। हमने स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ पूरी कर ली है। यूपीए सरकार ने अधिकारों के संरक्षण का आश्वासन दिया है। असंगठित क्षेत्र की बहुत सी गतिविधियों में ज्यादा से ज्यादा महिलाएं कार्य कर रही हैं, उनके मातृत्व के अधिकार की रक्षा की जानी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने संशोधन में, तमाम सुविधाओं के बारे में बताया और हमारी बहन सुमित्रा महाजन जी ने, बहन कृष्णा तीरथ जी ने, बड़े विस्तार से बताया कि मातृत्व का कष्ट क्या होता है? यह बात सत्य है कि देश की जननी मां का समाज में बहुत महत्व है और इस विधेयक में मैं यह देख रहा था कि जन्म-पूर्व और उसके पश्चात जो सीजीएचएस कार्ड धारक हैं, उनके लिए सुविधाओं की बात कही गयी है।

सभापति महोदय, चाहे कारखाने में, खानों में, सर्कस उद्योगों में, बागानों में या विभिन्न प्रतिष्ठानों या दुकानों में काम करने वाली दस या दस से अधिक महिलाएं हैं, उनके लिए, समय-समय पर, हमने इसी सदन में अपने विचार व्यक्त किये हैं। क्या कारण है कि हमारी महिलाओं में खून की कमी है, होम्योग्लोबिन की कमी है, और जो बच्चे हैं वे कुपोषण के शिकार हैं? इसके विषय में बराबर प्रश्न काल में भी चर्चा हुई है। महिलाओं और बच्चों के लिए बहुत सारी सुविधाएं स्वास्थ्य से संबंधित हैं, लेकिन कारखानों में, खानों में, सर्कसों में, बागानों में और विभिन्न प्रतिष्ठानों में काम करने वाली जो महिलाएं हैं या संगठित, गैर-संगठित तमाम तरह की महिलाओं के बारे में जो विधेयक आप लाए हैं, उसमें ज्यादा से ज्यादा इन महिलाओं को सुविधा देने की जरूरत थी। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 और प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 के अंतर्गत आपने जो छुट्टी के संबंध में सुविधा दी है कि 12 सप्ताह तक के लिए या दैनिक मजदूरी के जो हकदार हैं, गर्भावस्था या बीमारी में वे एक माह छुट्टी के हकदार हैं, इस तरह की तमाम बातें आपने बताई हैं। यह तो एक मां का दर्द है जो एक मां ही समझ सकती हैं। लेकिन इस सीमा को आपको बढ़ाना चाहिए था।

जहां तक चिकित्सा बोनस की बात है, आपने कहा कि 250 रुपए से बढ़ा कर इसे आपने 1000 रुपये किया, जो बहुत कम है। अगर आज की महंगाई के समय में देखा जाए, तो महिला जब गर्भवती होती है, तो उसे हर महीने डाक्टर के पास चैकअप के लिए जाना पड़ता है। समय-समय पर इंजेक्शन और दवाइयां खानी पड़ती हैं। उसके खान-पान के लिए फल इत्यादि भी चाहिए, उसे विटामिंस मिलने चाहिए। प्रसव के बाद कई प्रकार की खुशियां मनाई जाती हैं, जैसे बच्चा होने के बात छठी समारोह होता है। उसमें भी काफी खर्चा होता है। आप देख सकते हैं कि एक गरीब कामगार महिला कैसे यह सारा खर्च वहन कर पाएगी। इस राशि को बढ़ाकर कम से कम 5000 रुपए करना चाहिए। आप सिर हिला रहे हैं, लेकिन आप इस राशि को जरूर बढ़ाइए। इसे लागू करने की जरूरत है। आप लागू करेंगे, तभी इस विधेयक की मंशा पूरी होगी। जहां तक केंद्रीय सरकार को बीस हजार या उसके अधीन समय-समय पर चिकित्सा बोनस बढ़ाने की बात कही है, यह ठीक है, लेकिन यह एक प्रकार की कमी है। जैसे कुछ महिलाएं अच्छे ओहदों पर काम कर रही हैं। वह ज्यादातर नर्सिंग होम या अस्पतालों में जाती हैं, तो प्राइवेट कमरों में दाखिल होना पसंद करती हैं। चूंकि बच्चों में, प्रसूति के समय इंफेक्शन होने का बहुत डर रहता है।

दूसरी बात सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पहले कुछ जिलों में थी, अब आपने उसे सारे देश में लागू कर दिया है। खास कर गांव में काम करने वाली महिलाएं, जिनका जाब कार्ड बना हुआ है, उसमें प्रावधान है कि अगर वे महिलाएं इस योजना के तहत कहीं भी काम करने के लिए जाएंगी, तो वहां जो कच्ची मिट्टी का काम होता है जैसे तालाब की खुदाई, नाले की खुदाई, खडंजा बिछ रहा है, वहां उनके लिए सुविधा है, अगर उनकी गोद में बच्चा है, उसके लिए टेम्परेरी शिशु पालन गृह बनाने की बात है कि वहां गांव का प्रधान, ठेकेदार, सैक्रेट्री है, वह शिशु पालन गृह बनाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। इस योजना के तहत जो ज्यादातर महिलाएं काम करने के लिए जा रही हैं, उनके लिए प्रावधान तो किए हैं, लेकिन उनकी व्यवस्था नहीं है। अब आप कहेंगे कि यह आपके विभाग का काम नहीं है। इस बात से आप कम से कम ग्रामीण विकास मंत्रालय को अवगत कराएं। हमारी

स्वास्थ्य राज्य मंत्री उठ कर जा रही हैं, इन्हें बैठना चाहिए और सुनना चाहिए, क्योंकि ये महिला हैं और उनका दर्द ज्यादा समझती हैं। आपको चाहिए कि मंत्री जी को और ग्रामीण विकास मंत्रालय को आप लिखिए कि महिलाओं को बच्चों के लिए कुछ विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए।

इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और इस बिल पर बल देता हूं और बल तभी दूंगा जब मंत्री जी इस धनराशि को बढ़ा कर पांच हजार रुपए करें।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): सभापति महोदय, मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण बिल पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 2008, यह 1961 का बिल है, जिसे माननीय मंत्री जी संशोधन करके सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस धनराशि को 250 रुपए से 1000 रुपए करने का प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। निश्चित तौर पर यह स्वागत योग्य कदम है। मैं मंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मैटरनिटी बोनस बढ़ाने का उचित कदम उठाया है।

हम मंत्री जी के आभारी हैं कि उन्होंने महिलाओं की पीड़ा को समझा, जो प्राइवेट क्षेत्र में संगठित मजदूर के रूप में काम कर रही हैं, महिलाएं विभिन्न कार्यों में अपना सहयोग देकर देश के निर्माण में भागीदार बन रही हैं। देश की आधी आबादी महिलाओं की है और मैं समझता हूं कि देश तब तक तरक्की नहीं कर सकता है, जब तक देश की आधी आबादी यानी महिलाओं की आर्थिक स्थिति को मजबूत न किया जाए। विगत कुछ दिनों में खास तौर पर देखा गया है कि काम करने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है। विकास की दर बढ़ रही है, हमारी विदेशी मुद्रा का भंडार बढ़ रहा है, यह अलग बात है कि हम धनवान हो रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहूंगा कि हमारी तिजोरी बढ़ रही है और उतनी ही हमारी गरीबी भी बढ़ रही है। देश में आज भी काम करने वाले लोगों को पूरी मजदूरी न मिलने के कारण दो वक्त का खाना नहीं मिल रहा है। लगभग 30 प्रतिशत ऐसी आबादी है, जो बहुत ही परेशानी से गुजर रही है और इसी तीस प्रतिशत आबादी में घर परिवार की महिलाएं हैं। महिला सशक्तिकरण की बात कही जा रही है और कई प्रकार के कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं। मैं समझता हूं कि महिलाएं आज भी बड़े पैमाने पर बदहाली और फटेहाली में हैं। ...*(व्यवधान)* हम लोग रिजर्वेशन के खिलाफ नहीं हैं। हमारी शर्तों के अनुसार आप आइए और रिजर्वेशन ले लीजिए और कुछ संशोधन करने की जरूरत है।

महोदय, मैं कामकाजी महिलाओं की स्थिति के संबंध में एक छोटा सा आंकड़ा प्रस्तुत करना चाहता हूं कि वर्ष 2004 में प्राइवेट सेक्टर में पुरुषों की संख्या 62 लाख थी और महिलाओं की संख्या 20.44 लाख है। पब्लिक सेक्टर में पुरुषों की संख्या वर्ष 2004 में 153.60 और महिलाओं की संख्या 28.90 थी।

महोदय, महिला जननी है, माता है। यदि मां न रहे तो दुनिया का सृजन बंद हो जाएगा। इसलिए महिलाओं की एक अलग भूमिका है और मैं समझता हूं कि हमने इनकी तरफ ध्यान नहीं दिया है। आज इनका जो शोषण हो रहा है, वह भी अपने आप में देखने योग्य है। आप चूंकि गांव से आते हैं और मैं समझता हूं कि सदन भी इस बात को समझता होगा कि वे महिलाएं जो ईंट भट्टों में, खेतों में, मकान बनाने में इत्यादि में दिनभर खटने का काम करती हैं, उनकी स्थिति आप देखिए। वे अपने खून-मसीने से कमा तो लेती हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वे अपने बच्चों को ठीक ढंग से खिला नहीं पाती हैं। यह स्थिति है। खास तौर पर गर्भवती महिलाओं को स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के लिए 2700 कैलोरी की आवश्यकता होती है। लेकिन वह मिल नहीं पाती है और बच्चे पेट पसारे घूमते रहते हैं। वे देश का भविष्य हैं। देश को अगर मजबूती प्रदान करनी है तो उन बच्चों को जो कुपोषण के शिकार हो रहे हैं, एनिमिक हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं, उनको इससे बचाएं। अगर बच्चे बीमार हो जाएंगे तो हमारा भारत भी बीमार हो जाएगा। देश में अगर कोई आर्थिक संसाधन है तो मानव संसाधन है। मानव संसाधन के बल पर ही भारत टिका है। अगर मानव संसाधन बीमार, कमजोर हो जाएगा तो भारत बीमार हो जाएगा। इस पर विशेष तौर पर गौर करने की जरूरत है। गरीब घर का जो बच्चा पैदा होता है, आप उसके शरीर को जाकर देखिए। कोई लूला, लंगड़ा होता है, भगवान की कृपा से ये सब हो रहा है, वे कुपोषण के शिकार हो रहे हैं। जब मां के पेट में बच्चा पल रहा हो, उसे 2700 कैलोरी जितनी अनिवार्यता है, वे देने की व्यवस्था करें। माननीय मंत्री जी ने एक प्रयास करके उचित कदम उठाया है। महंगाई को देखते हुए जो स्थिति उत्पन्न हो गई है, उसे आप देखें। मां जब गर्भवती होती है तो उसका कई तरीके से ध्यान रखना पड़ता है। उसका समय-समय पर चैक-अप कराना पड़ता है। उसे प्रसव के समय कई तरह की आवश्यकताएं होती हैं। मैं समझता हूं कि एक हजार रुपया नाकाफी है। सरकार इस पर विचार करके इस राशि को इतना बढ़ाए कि मां अपने बच्चे का सही ढंग से पालन कर सके, उसे कुपोषण से बचा सके जिससे आने वाला भारत मजबूत हो सके।

[श्री रामकृपाल यादव]

अब नई आर्थिक नीति आ गई है जिससे बड़ी मल्टीनेशनल कम्पनियां आ गई हैं। दुख के साथ आपका ध्यान आकर्षित करना पड़ रहा है कि उन मल्टीनेशनल कम्पनियों में काम करने वाली महिला कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार होता है। जब उनका बच्चा पैदा करने का समय आता है तो उन्हें अपमानित किया जाता है। कहा जाता है कि या तो बच्चा पैदा करके आओ या काम करो। इस पर गौर करने की जरूरत है। कानून बन रहा है जो अच्छी बात है और बनना भी चाहिए। कानून का सही ढंग से पालन हो, उसकी तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। केन्द्र सरकार इसके लिए एक संशोधन विधेयक लाए जिससे कमजोर तबके की महिलाओं का शोषण करने वाले लोग उनके दायरे में आएं और वे ऐसी हरकत न करें जिससे उन्हें ठेस पहुंचे। आज 93 परसेंट वर्क फोर्स असंगठित क्षेत्र में है और वह श्रम दान देती है। उसी के बल पर देश तरक्की कर रहा है। अगर हम उसकी तरफ ध्यान देने का काम नहीं करेंगे तो वह और पिछड़ जाएगी।

आज खेत-खलिहानों में कौन लोग काम कर रहे हैं? वही तबके के लोग काम कर रहे हैं। हमारा देश गांवों और किसानों का देश है। देश की अर्थव्यवस्था खेत-खलिहानों पर ही टिकी है। इसलिए हम वहां काम करने वाले लोगों की तरफ ध्यान देने का काम नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर देश तरक्की नहीं कर सकेगा। आज असंगठित क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है। उनकी तरफ विशेष ध्यान देना पड़ेगा। हम कुछ सैक्टर्स में इस कानून के माध्यम से उनकी सहायता करना चाहते हैं लेकिन अभी भी बड़े पैमाने पर कई महिलाएं इससे अछूती रह जाएंगी। महिलाओं को आपकी सहायता की आवश्यकता है। आप उनकी तरफ ध्यान दें। पढ़ी-लिखी कितनी महिलाएं हैं? महिलाएं टीचर या नर्स होती हैं लेकिन ऐसी महिलाएं केवल दो परसेंट हैं। अन्य 98 परसेंट महिलाओं की तरफ ध्यान देना होगा। इसके लिए ठोस उपाय करके राशि को बढ़ाने की आवश्यकता है।

श्रीमती सुमित्रा महाजन जी ने जो कहा है, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं कि प्रसव के समय छुट्टी का समय बढ़ाने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करिए।

श्री राम कृपाल यादव: आप निश्चित रूप से इस राशि को बढ़ाएंगे। देश का भविष्य अंधकारमय न हो जाए, बच्चे कुपोषण के शिकार न हो जाएं जो देश की ताकत, शक्ति और ऊर्जा हैं, इसके लिए अगर कानून में संशोधन करना पड़े तो करना चाहिए। अगर हमें कुछ काम करना है तो गरीबों और मजदूरों के लिए करना है। देश मजदूरों और किसानों का देश है।

सभापति महोदय: मैं आपका भाषण यहीं से समाप्त कर रहा हूं।

श्री राम कृपाल यादव: मैं खत्म कर रहा हूं। आपको जितनी अधिक जरूरत लगे, देने का काम करें। आपने पिछले दिनों जो कदम उठाए हैं वे काफी हैं चाहे संगठित क्षेत्र के मजदूरों का बीमा करने की बात हो। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया अपने स्थान पर बैठिये। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती कृष्णा तीरथ: मैं दो बातें जोड़ना चाहती हूं। लीव बैनिफिट कितने बच्चों तक दिया जाता है और मिसकैरिज होने पर कितनी बार यह बैनिफिट लिया जा सकता है।

सभापति महोदय: आप बोल चुकी हैं। आपको दोबारा बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती है।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: आप लिखित में अपनी राय दे दीजिए। आपका रिकार्ड में नहीं जाएगा।

*...(व्यवधान)**

सभापति महोदय: आप लिख कर दे दीजिए। माननीय मंत्री जी उस पर विचार करेंगे।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरुम्बुदूर): माननीय सभापति महोदय, इस विधेयक पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

मैं डी.एम.के. दल की ओर से इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विषय पर बोलने के लिए मैं बाध्य

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

हूं। यह विधेयक प्रसूति प्रसुविधा राशि को बढ़ाने के बारे में है। माननीय मंत्री द्वारा लाए गए इस संशोधन का मैं स्वागत करता हूं। मुझे लगता है कि इस राशि को 250 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये करना अपर्याप्त है। इस बढ़त से मैं खुश नहीं हूं। अत: मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इस राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये किया जाये। यही सही है।

आज के परिप्रेक्ष्य में बोनस का अर्थ है ऐसी राशि जो किसी को एकमुश्त मिलती है। बोनस लोगों को प्रोत्साहित करता है। क्या यह बोनस मां को प्रोत्साहित करेगा या यह बच्चे को प्रोत्साहित करेगा? यह दोनों को ही प्रोत्साहित करेगा।

1961 के अधिनियम के अनुसार जब यह योजना लागू की गई थी तब 250 रुपये की राशि एक अच्छा बोनस था। उस समय 250 रुपये की राशि का मूल्य अच्छा खास था। 37 वर्षों के पश्चात आज के परिप्रेक्ष्य में 1000 रुपये की राशि उस समय के 250 रुपये की राशि का मुकाबला नहीं कर सकती, जो उन दिनों दिए जाते थे। अगर आप 25,000 दे सकते हैं, तो वह बोनस हो सकता है, जो मां और बच्चे को प्रोत्साहन देगा। अत: मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि वह इस राशि को 1000 रुपये से बढ़ाकर 6000 रुपये करे। स्थायी समिति पहले ही सिफारिश कर चुकी है कि इसे 5000 रुपये किया जाये। यह सरकार स्थायी समिति की सिफारिश पर विचार क्यों नहीं कर रही है? वह क्यों केवल 1000 रुपये ही दे रही है?

जैसा कि श्री राम कृपाल यादव ने कहा है कि हमारे देश में बहुत सारी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां आ रही हैं। वास्तव में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 100 से अधिक बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हैं। वे बहुराष्ट्रीय कम्पनियां इस अधिनियम को जाने बिना प्रसूति प्रसुविधा के रूप में 3000 से 5000 रुपये दे रही है और यह केवल पाकेट मनी के रूप में होता है। वे 5000 रुपये दे रहे हैं। लेकिन आज इस अधिनियम से देश भर में उन्हें एक संदेश जाएगा, विशेषकर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को कि सरकार ने इस अधिनियम में संशोधन किया और राशि बढ़ा कर केवल 1000 रुपये की है।

इसका प्रभाव उन सभी महिलाओं पर पड़ेगा जो बहुराष्ट्रीय कंपनियों में कार्यरत हैं। आज तक, उन कंपनियों को यह नहीं पता है कि इस तरह का कोई अधिनियम देश में विद्यमान है और उन्हें अपने महिला कर्मचारियों को उनके गर्भावस्था के समय 250 रुपए का भुगतान करना है। इससे उन कंपनियों को गलत संदेश जाएगा इसलिए मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक की आज ही वापस ले लें और इस बोनस धनराशि को बढ़ाकर एक नया विधेयक लाएं। यह उन महिलाओं के लिए लाभकारी होगा जो निजी कंपनियों में कार्यरत है। जिन सदस्यों ने इस विधेयक पर अब तक बोला है, उन सभी ने बोनस धनराशि को बढ़ाने की मांग की है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस मांग से सहमत होंगे।

मैं अब इस महान सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं जो तमिलनाडु सरकार असंगठित क्षेत्र के कामगारों और गरीबी रेखा से नीचे की महिलाओं के कल्याण हेतु कर रही हैं। तमिलनाडु में सरकार गरीबी रेखा से नीचे गुजर-बसर कर रही महिलाओं को प्रसव पूर्व प्रति माह 1000 रुपए और प्रसव के बाद प्रतिमाह 3000 रुपए का भुगतान कर रही है। ताकि मां एवं बच्चा दोनों के लिए बेहतर पोषण सुनिश्चित हो सके। यह महिलाओं को बच्चे का पालन पोषण करने के लिए प्रोत्साहित करने में सहायता करेगा ताकि हमें देश में मानव संसाधन प्राप्त हो।

इसके बाद, जब कोई गर्भवती महिला चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल जाती हैं तो संपूर्ण चिकित्सा जांच में लगभग चार से पांच घंटा लगता है जिसके दौरान गर्भवती महिला को अच्छे भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए कल तमिलनाडु के माननीय मुख्यमंत्री ने एक आदेश जारी किया है कि तमिलनाडु सरकार चिकित्सा जांच के लिए अस्पताल जाने वाली गरीब महिलाओं को अच्छा भोजन देगी। इसके अतिरिक्त, तमिलनाडु में सरकार गरीब गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक अल्ट्रासाउंड जांच और अन्य सुविधाओं सहित नि:शुल्क चिकित्सा जांच उपलब्ध करा रही है।

अत: मैं माननीय मंत्री जी से एक बार पुन: अनुरोध करता हूं कि वे इस विधेयक को वापस लें और इस बोनस धनराशि को 6000 रुपए बढ़ाकर करने वाला एक नया विधेयक लाएं जो निजी प्रतिष्ठानों में कार्यरत महिलाओं के लिए लाभदायक होगा। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस मांग से सहमत होगी क्योंकि इस संप्रग सरकार का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी कर रही है जिसने भारत माता को आजादी दिलाई और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व एक माता अन्नाई सोनियाजी के हाथों में है और मुझे उम्मीद है कि यह सरकार इस देश में इस प्रकार की गरीब माताओं पर ध्यान देगी। इसलिए, मैं सरकार से इस धनराशि को बढ़ाने का अनुरोध करता हूं।

*श्री सुग्रीव सिंह (फुलबनी): माननीय सभापति महोदय, प्रसूति प्रसुविधा संशोधन विधेयक, 2008 पर बोलने के लिए मुझे अवसर प्रदान करने हेतु मैं आपको धन्यवाद देता हूं। महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। माननीय मंत्री जी यहां बैठे हैं। इस विधेयक का उद्देश्य महिलाओं को उन्हें प्रसूति लाभ देकर सशक्त करने का है जो एक स्वागत योग्य कदम है। अनेक माननीय सदस्यों और मेरे महिला सहयोगियों ने इस महान सभा में अपने महत्वपूर्ण विचार, टिप्पणी और सुझाव रखे हैं। उन्होंने महिलाओं के समक्ष आने वाली समस्याओं को उजागर किया है और उनके कल्याण के लिए ईमानदारी से चिंता व्यक्त की है। मैं उनके विचारों का आदर करता हूं और उनका पूरे मन से समर्थन करता हूं। लेकिन मैं विधेयक की कुछ खामियों के प्रति माननीय मंत्री का ध्यान भी आकृष्ट करना चाहता हूं।

चूंकि मैं उड़िया में बोल रहा हूं, इसलिए मैं समझता हूं कि पश्चिम बंगाल के मेरे साथी मुझे समझने में सक्षम हैं। महोदय, मैं कर्मचारी राज्य बीमा कंपनी के बारे में बोलना चाहता हूं जिसका प्रबंधन भारत सरकार द्वारा किया जा रहा है। गर्भवती महिला कर्मचारियों को लाभ पहुंचने के लिए सरकार ने कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। लेकिन संशोधन विधेयक जिस पर आज चर्चा की जा रही है, में कुछ परिवर्तन किये जाने की आवश्यकता है। मुझसे पहले अनेक माननीय सदस्यों ने महिलाओं को दिए जाने वाले लाभ में कमी के बारे में बोला है। अनेक प्रावधान वास्तव में निरर्थक हैं। महोदय, निजी क्षेत्र के कर्मचारी भविष्य निधि में वेतन का 6.5 प्रतिशत अंशदान देते हैं, कर्मचारियों का अंशदान 4.75 प्रतिशत है तथा सरकार 1.75 प्रतिशत दे रही है। यह धनराशि सरकार के पास जमा की जाती है। लेकिन सरकार हमारे महिला वर्ग—हमारी मातृशक्ति की रक्षा करने के लिए क्या कर रही है?

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सरकार का हमारे महिला वर्ग के प्रति क्या योगदान है। उन सभी धनराशि का क्या होता है जो पिछले कई वर्षों से कर्मचारियों के अंशदान से इकट्ठी होती रहती है। क्या सरकार के पास कोई सुस्पष्ट पारदर्शी वित्तीय प्रबंधन नीति है? मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य 1951 से विद्यमान विधेयक में परिवर्तन लाने का है। लेकिन प्रावधान अपर्याप्त है। 250 रुपए की वित्तीय सहायता को बढ़ाकर 1000 रुपए करना पर्याप्त नहीं है। मैं महसूस करता हूं कि इस धनराशि को बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों के मामले में अधिकतम सीमा को 20000 रुपए से बढ़ाकर 100000 रुपए किया जाना चाहिए। महोदय, मातृत्व अवकाश के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि अवकाश अवधि को बढ़ाकर छह महीने किया जाना चाहिए।

जब तक महिला मजबूत और स्वस्थ नहीं होगी, तब तक वह स्वस्थ बच्चे को कैसे जन्म दे सकती है और पालन-पोषण कर सकती हैं? सरकार को गर्भवती माताओं को हर प्रकार की सहायता देनी चाहिए। प्रसव पश्चात माताओं के पतियों को भी उनकी सहायता करने के लिए पर्याप्त पितृत्व अवकाश मिलना चाहिए। महोदय, यह विधेयक जल्दबाजी में लाया गया और इसे जल्दी पारित किया जाना है। लेकिन मुझे लगता है कि इस पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है। इस विधेयक का दूरगामी प्रभाव है और यह इस देश की लाखों महिलाओं के जीवन को प्रभावित करेगा। महोदय, हमारे संविधान में "संरक्षा विभेद" का उल्लेख किया गया है और यदि हम अपनी 'मातृशक्ति' की रक्षा नहीं करेंगे, तो कौन करेगा?

महोदय, इन दिनों हमारे देश में बहुराष्ट्रीय निगमों की भरमार है जहां वे महिलाओं को ठेके आधार पर नौकरी देते हैं। उनकी नौकरी की इस 'ठेका' प्रवृत्ति के कारण, महिला कर्मचारी, कर्मचारी राज्य बीमा योजना के क्षेत्राधिकार से बाहर रह जाते हैं। महोदय, यह बिल्कुल अनुचित है। मैं महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री को इसकी जांच करनी चाहिए और गैर-सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना की परिधि के अंतर्गत लाकर लाभ पहुंचाने हेतु प्रभावी कदम उठाना चाहिए। मुझे लगता है कि माननीय मंत्री अभी पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं क्योंकि मैं उड़िया में बोल रहा हूं।

मैं माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि हमारे देश में अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं और वे सभी कर्मचारी ठेका आधार पर कार्यरत हैं और इसलिए उन्हें मातृत्व अवकाश एवं कर्मचारी राज्य बीमा योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इस मामले पर ध्यान दें और आवश्यक कार्रवाई करें।

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर): सभापति महोदय, मैं प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 का स्वागत करती हूं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधान है और लैंगिक रूप से संवेदनशील विधान है।

किसी महिला के जीवन में सर्वाधिक फलदायी वर्ष उसके अपने जीवन के फलदायी वर्ष भी होते हैं और आज, हम अधिक से अधिक महिलाओं को रोजगार पाते और काम के लिए घर से बाहर जाते देखते हैं, देश में कार्यरत कुल 460 मिलीयन श्रमिकों

*मूलतः उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

में से महिलाओं की संख्या 26 प्रतिशत है। महिला श्रमिकों की प्रसूति का संरक्षण एक मूलभूत मानवाधिकार है तथा यह लैंगिक समानता का प्रमुख बिन्दु है।

यह सुनिश्चित करने के लिए प्रसूति संरक्षण आवश्यक है कि गर्भावस्था और शिशु जन्म के दौरान महिलाओं के कार्य से उसका स्वास्थ्य प्रभावित न हो। इससे महिलाओं को शिशु जन्म और प्रसूति अवकाश के बाद कार्य पर लौटने में सहायता मिलती है। प्रसूति अवकाश और प्रसुविधा का उद्देश्य महिला और शिशु के पूर्ण एवं स्वस्थ रक्षण की सुविधा प्रदान कर मातृत्व की महत्ता की रक्षा करना है। हम यह अवश्य सुनिश्चित करें कि महिलाओं को आर्थिक विकास की मुख्य धारा में उनका उचित स्थान मिले।

हमारे जैसे प्रजातांत्रिक कल्याणकारी राज्य में, हमारे संविधान की प्रस्तावना से लेकर, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों तक सरकार महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए प्रतिबद्ध है।

मैंने स्थायी समिति के प्रतिवेदन पर नजर डाली है और मैं थोड़ा चकित थी कि प्रारूप विधेयक को अंतिम रूप देने से पूर्व मंत्रालय ने विभिन्न महिला संगठनों, मजदूर संघों और सामाजिक कार्यकर्ताओं के विचारों को आमंत्रित तक नहीं किया। उस कार्य को स्थायी समिति ने किया और विडंबना यह है कि स्थायी समिति द्वारा सभी दुरूह कार्यों को किए जाने के बाद, उसकी किसी भी सिफारिश को कार्यान्वित नहीं किया गया। उन्होंने इस संशोधन विधेयक में समिति के सुझावों को अंतर्विष्ट नहीं किया। इस प्रसूति प्रसुविधा विधेयक में हमें जो भी दिया जा रहा है, मैं तो कहूंगी, वह बहुत जल्दी में और बिना सोच-समझकर दिया जा रहा है, शिकायत के अंदाज में बोलने के लिए मुझे माफ करें।

अब, मैं विधेयक पर आती हूं। जहां तक विधेयक की बात है, मैं संशोधन विधेयक के जो भी प्रावधान हैं उनको नहीं दुहराऊंगी, मैं यहां सिर्फ यह उल्लेख करना चाहती हूं कि मेडिकल बोनस के रूप में दिए जाने वाले 1000 रुपए के इस आंकड़े का जिसने भी प्रस्ताव किया है, उसने या तो इसे भुगता नहीं है अथवा लंबे समय तक अपने परिवार में गर्भावस्था का अनुभव नहीं किया है क्योंकि हम सभी जानते हैं कि गर्भावस्था के दौरान भी यदि कोई महिला किसी डाक्टर के पास जाती है, तो उसका न्यूनतम शुल्क 250 रु. से 300 रु. तक होता है और यदि वह मैक्स जैसे अस्पताल में अल्ट्रासाउंड के लिए जाती है, मैक्स जैसे उत्कृष्ट अस्पताल में सभी नहीं जा पाते, पर साधारण अस्पताल में भी, यह राशि काफी ज्यादा होती है। इसलिए, इस 1000 रु. का आंकड़ा कहां औचित्यपूर्ण लगता है? यह स्पष्टीकरण दिया गया कि यह गणना उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के माध्यम से की गई है। मैं बहुत चतुर वित्तीय व्यक्ति नहीं हूं, लेकिन एक महिला के रूप में और एक मां के रूप में मैं माननीय मंत्री से निवेदन करना चाहती हूं कि यह अधिक नहीं है। इसे बढ़ाए जाने की आवश्यकता है। समिति की 5000 करोड़ रु. की सिफारिश बहुत कम है जिस पर हम विचार कर सकते हैं। उन्होंने 20,000 रु. की इस सीमा को हटाने का भी अनुरोध किया था जिसे रखा गया है और इसे भी प्रत्येक तीन वर्ष के अन्तराल पर संशोधित किए जाने की आवश्यकता है जिसे समाप्त किया जाना चाहिए। दूसरी बात, कम से कम पांच व्यक्तियों को रोजगार देने वाले प्रतिष्ठानों को शामिल करने हेतु मूल अधिनियम में संशोधन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि अब इस कम्प्यूटर युग में और सूचना प्रौद्योगिकी के विस्तार से कई कार्यालयों और कई कार्यस्थलों में ज्यादा व्यक्तियों को काम पर नहीं रखा जाता है। वे सभी प्रौद्योगिकी पर निर्भर हैं। इसलिए, इस 10 व्यक्तियों के प्रावधान के बदले, मैं समझती हूं, इसे घटाकर पांच कर देना चाहिए।

इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय और राज्य सरकारों तथा कर्मचारियों के योगदान से एक राष्ट्रीय कोष गठित करने की सिफारिश की गई थी, किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया गया।

समिति ने सिफारिश की है कि मूल अधिनियम की जांच की जानी चाहिए और प्रसूति अवकाश को बढ़ाकर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर अर्थात् 135 दिन किया जाना चाहिए। यह समुचित जान पड़ता है। भेदभाव वाला व्यवहार क्यों किया जाना चाहिए? आखिर इस देश में सभी को बराबर समझा गया है।

अंतिम बात के रूप में मैं यह कहना चाहती हूं कि अधिनियम को और व्यापक बनाया जाए। सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र को शामिल करने वाले विधान लाने तक मूल अधिनियम को संगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी महिलाओं के लिए लागू किया जाना चाहिए। यदि मैं सही समझती हूं, तो माननीय मंत्री ने अभी-अभी उल्लेख किया कि सामाजिक सुरक्षा विधेयक में यह पक्ष शामिल है, लेकिन यह अच्छा होगा यदि हम इस विधेयक के अंतर्गत इसे शामिल करें क्योंकि कई बार मुद्दे एक-दूसरे पर प्रत्यारोपित हो जाते हैं, जिससे काफी संदिग्धता हो जाती है।

यहां मैं माननीय मंत्री का ध्यान वर्ष 2000 के एमसीडी बनाम महिला कर्मियों के मामले में उच्चतम न्यायालय के निर्णय की ओर भी आकर्षित करना चाहती हूं, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम के प्रावधानों की जांच की और पाया कि प्रस्तावना के संदर्भ में, जिसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय का वायदा किया गया है, मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 14 जिसमें कानून के समक्ष समानता का प्रावधान है, आदि, मौलिक अधिकारों का अनुच्छेद 15 जिसमें विभिन्न आधारों पर भेदभाव का निषेध है,

[श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव]

के अतिरिक्त राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान करने की अनुमति देता है।

इसके बाद, अनुच्छेद 39 के अंतर्गत नीति निदेशक सिद्धांत हैं, जिसमें राज्य को पुरुषों और महिलाओं के जीविकोपार्जन के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना, समान कार्य के लिए समान वेतन और कामगारों के स्वास्थ्य और क्षमता सुनिश्चित करने की बात है, नीति निदेशक सिद्धांतों के अनुच्छेद 42 राज्य को काम के लिए न्यायपूर्ण और मानवीय स्थिति सुनिश्चित करने तथा विशेष रूप से प्रसूति राहत के लिए प्रावधान करने का निर्देश देता है। ये सभी संविधान के प्रावधान हैं जो सामाजिक न्याय को लागू करने तथा महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत ने वर्ष 1993 में सीईडीएडब्ल्यू जैसे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों और मानवाधिकार उपकरणों का अनुसमर्थन किया, जिसमें राज्य को रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं के साथ भेदभाव समाप्त करने और विशेष रूप से प्रजनन में सुरक्षा प्रदान करने सहित कार्य स्थिति में स्वास्थ्य संरक्षण एवं सुरक्षा के अधिकार प्रदान करने हेतु सभी उपाय करने का निर्देश दिया गया है। हम सभी जानते हैं कि संविधान, विधान, नीतियों, योजनाओं, कार्यक्रमों में अन्तर्निहित लक्ष्यों तथा भारत में महिलाओं की वास्तविक स्थिति में काफी अंतर है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 61 वर्षों के पश्चात्, क्या दो छोटे संशोधनों के साथ यही संशोधन विधेयक लाया जा सकता था।

हम सब जानते हैं कि जच्चा मृत्यु दर में हमारे देश का स्थान पूरे विश्व में दूसरा है। जैसा कि मेरे साथियों ने उल्लेख किया है, अनुमानत: यह प्रति 1,00,000 शिशु जन्म पर 540 है। प्रत्येक वर्ष गर्भावस्था और इससे जुड़ी अन्य समस्याओं जैसे गरीबी और कुपोषण के कारण लगभग 1,25,000 महिलाओं की मृत्यु हो जाती है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने यह रिपोर्ट दी है कि एक-तिहाई भारतीय महिलाएं कुपोषित हैं, जबकि आधे से अधिक भारतीय महिलाओं में खून की कमी है। गर्भावस्था के दौरान स्वास्थ्य की पर्याप्त देख-रेख के अभाव के कारण भी उनकी मृत्यु होती है।

यह देखा गया है कि जिन राज्यों में प्रसव अस्पतालों में होता है वहां शिशु जन्म का प्रतिशत अधिक है तथा जच्चा मृत्यु दर कम है। आईएलओ रिपोर्ट के अनुसार, विकासशील देशों में केवल 48 प्रतिशत महिलाएं अस्पतालों अथवा स्वास्थ्य केन्द्रों में बच्चे को जन्म देती हैं। इसलिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों में भी कुशल स्वास्थ्य कर्मियों के लिए बेहतर प्रशिक्षण प्रणाली विकसित करनी चाहिए।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का लक्ष्य दो वर्ष बाद अर्थात् 2010 तक एमएमआर को घटाकर प्रति 1,00,000 शिशु जन्म पर 100 करने का है, जो कमी हमने हाल ही में देखी है उस दर के हिसाब से जो कि 1973 से 2003 की अवधि के दौरान 16 प्वाइंट प्रति वर्ष है, क्या यह संभव जान पड़ता है? हमें आमूलचूक परिवर्तन लाने होंगे। हमें वांछनीय क्षेत्रों में भारी मात्रा में निवेश करना होगा।

देश में महिला कर्मचारियों को दिए जाने वाले मातृत्व बोनस के भुगतान से संबंधित आंकड़ों के अनुसार, यदि आप महाराष्ट्र में देखें, जो कि देश की एक बड़ी जनसंख्या वाला राज्य है, तो आंकड़े यह दर्शाते हैं कि 2003 में, केवल 545 महिलाओं को मेडिकल बोनस स्कीम का लाभ मिला था। 2004 में, 410 महिलाओं को लाभ मिला था, 2005 में, 353 महिला कर्मचारियों को लाभ मिला था। पंजाब की स्थिति तो बहुत कमाल की तथा विचित्र रही। यहां 2004 में, लाभार्थी महिला कर्मचारियों की संख्या शून्य रही; 2005 में 1 और 2006 में यह संख्या 3 थी। यह आंकड़े किस प्रकार तैयार किए गए, कोई भी समझ सकता है।

इसलिए, मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि वह स्थायी समिति तथा हमारे द्वारा दिए गए सुझावों को भी इस विधेयक में सम्मिलित करें तथा पूर्णरूपेण एक सार्थक विधेयक प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे (उस्मानाबाद): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं इस बिल का समर्थन करते हुए अपने कुछ विचार व्यक्त करना चाहती हूं। इसमें बताया गया है कि प्रसूति सुविधा अधिनियम 1961 के अधीन सभी महिला कर्मचारी प्रसूति की अवधि के लिए, प्रसव के कारण 12 सप्ताह तक की औसत दैनिक मजदूरी की दर पर प्रसूति टाइम की हकदार है और गर्भावस्था आदि के कारण रुग्णता की दशा में वह एक मास की अवधि की मजदूरी सहित अतिरिक्त छुट्टी की हकदार है। गर्भापात की दशा में वह 6 सप्ताह की छुट्टी की हकदार है। इस प्रकार का जो प्रावधान आपने इसमें किया है, यह तो बहुत अच्छा है। मराठी में कहावत है कि "जिच्चा हाती पालण्याची दोरी ती जगाला उद्धारी" ऐसी स्थिति में महिलाओं के लिए इस बिल में जो सुविधा दी है उसमें बोनस के रूप में उन्हें 1000 रुपए देने वाले हैं, लेकिन यह कम है। इसलिए सभी बहनों ने यहां कहा कि उसे बढ़ाया जाए। मेरी भी मांग है कि बोनस 5000 रुपए देनी चाहिए।

महोदय, हम देखते हैं कि इस देश में जब बच्चे जन्म लेते हैं, तो बहुत सारे उनमें ऐसे होते हैं जो मुंह में सोने की चम्मच लेकर पैदा होते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सड़कों पर ही जन्म लेते हैं। उन्हें कोई सुविधा नहीं मिलती है। उसकी मां को नौ माह की गर्भवती होने पर भी रोजनदारी पर जाना पड़ता है और पूरे दिन काम कर के, जब वह घर लौटती

है, तो उसे इतनी रोजनदारी नहीं मिलती कि उसे प्रिगनैंसी में जो आहार और दवाएं मिलनी चाहिए, वे मिल सकें। इसलिए उन्हें बहुत परेशानी होती है। इसी कारण जब ऐसी महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, तो वह बच्चा कुपोषण का शिकार होता है। इसी कारण जब ऐसी महिला किसी बच्चे को जन्म देती है, तो वह बच्चा कुपोषण का शिकार होता है और इसीलिए भारत में कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है। मेरा निवेदन है कि इस हेतु इस बिल में कोई ऐसा प्रावधान करना चाहिए, जिससे गरीब गर्भवती महिलाओं को प्रिग्नेंसी के दौरान उचित आहार और दवाएं उपलब्ध कराई जा सकें। गर्भवती महिलाओं को सहायता देने के लिए इस बिल में जो भी हम प्रावधान करने वाले हैं उनसे ज्यादा से ज्यादा सहायता गर्भवती महिलाओं को मिलनी चाहिए।

सभापति महोदय, हमारे देश में ऐसी महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में हैं, जो गर्भवती होते हुए भी प्रत्येक दिन काम पर जाती हैं और रोजनदारी से वापस आने पर उन्हें उनका पूरक आहार नहीं मिलता है। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इस बिल में ऐसी व्यवस्था की जाए, ताकि उन्हें गर्भ के समय जिस पूरक आहार और दवाओं की आवश्यकता है, वे मिल सकें। इस बिल को यहां लाने का आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें किए गए प्राविजनों से महिला कर्मचारियों को लाभ होता है या नहीं, यह भी देखना चाहिए। हमने देखा है कि बहुत अच्छा उद्देश्य लेकर हम कोई बिल यहां से पारित कराते हैं, लेकिन उसका लाभ उन महिलाओं को नहीं मिलता, जिनके लाभ के लिए यह बिल लाया गया होता है। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूं कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो महिलाएं रहती हैं, उन्हें वैद्य की सुविधा मिलती है, लेकिन उसके बच्चे के लिए खाने के लिए कोई पौष्टिक आहार नहीं मिलता। इसलिए मेरा निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, ऐसी व्यवस्था इस बिल के माध्यम से होनी चाहिए। जिस मां ने हमें जन्म दिया, उसके स्वास्थ्य का ख्याल हमें रखना चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): सभापति महोदय, सर्वप्रथम, मैं इस प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 का स्वागत करता हूं। इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय, मंत्री जी ने स्वयं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक व्यापक विधान की आवश्यकता का हवाला दिया था, लेकिन मैं नहीं जानता कि इस प्रकार का विधान कब बनेगा। यह हमारी ऊपेक्षा थी कि यह बहुत जल्द ही आएगा। लेकिन, यूपीए सरकार के गठन के बाद से अभी तक कुछ नहीं किया गया है। अब समय तेजी से भाग रहा है। पता नहीं यह इस महान सभा में कब पेश होगा।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों से संबंधित बहुत से पहलुओं का उल्लेख यहां किया गया। कई माननीय सदस्यों ने बहुत प्रभावशाली ढंग से उनका उल्लेख किया है। मैं केवल कामकाजी महिलाओं की समस्या के बारे में बोल रहा हूं। अभी भी असंगठित क्षेत्र में अधिकतर श्रमिकों, विशेष रूप से महिला श्रमिकों के संबंध में सामाजिक सुरक्षा का अभाव है। सामाजिक सुरक्षा की अनेक योजनाएं विद्यमान हैं लेकिन ये योजनाएं केवल संगठित क्षेत्र, जो कि कुल श्रमिकों का 10 प्रतिशत नियोजित करता है, तक ही सीमित हैं। इस प्रकार कुल श्रमिकों का 90 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है और अधिकतर खेतों में काम करते हैं। लेकिन असंगठित क्षेत्र में करोड़ों श्रमिकों के लिए कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। महिला श्रमिकों के साथ तो और भी समस्याएं हैं क्योंकि वे केवल श्रमिक नहीं है, वे हमारे समाज में तिहरी भूमिका निभाती हैं। वे न केवल श्रमिकों की भूमिका निभाती हैं बल्कि उन्हें मां और पत्नी के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वहन करना होता है। अत: महिलाओं, विशेषरूप से कामकाजी महिलाओं के लिए विशेष सुरक्षा उपबन्ध होने चाहिए। मातृत्व अवकाश और शिशु की देख-भाल के लिए किसी उपबंध की अनुपस्थिति में, महिला श्रमिकों जिनके बच्चे हैं को अपने बच्चों की देखभाल करने के लिए अक्सर नौकरी छोड़नी पड़ती है। यही परिस्थिति है। इस प्रकार की परिस्थिति में, स्थायी समिति ने समस्याओं को गहराई से समझा है।

माननीय मंत्री जी ने स्थायी समिति की सिफारिशों का संदर्भ दिया। लेकिन, मैं यह समझने में असमर्थ हूं कि माननीय मंत्री जी ने स्थायी समिति की सिफारिशों पर गौर क्यों नहीं किया?

जो कुछ उन्होंने किया है वह बहुत कम है। ऐसा लगता है जैसे कि वह बच्चों को बहला-फुसला रहे हों। स्थायी समिति द्वारा की गई मुख्य सिफारिशें उपेक्षित कर दी गई हैं।

स्थायी समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं? स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि मातृत्व बोनस को बढ़ाकर 5000 रुपए किया जाना चाहिए। अनेक सदस्यों ने भी इसका उल्लेख किया। इसमें यह भी कहा गया कि इसकी अधिकतम सीमा निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है और केन्द्र सरकार जितना चाहे बोनस बढ़ा सकती है। इसमें सीमा का उल्लेख किया गया है। यहां तक कि उस सिफारिश पर भी ठीक से गौर नहीं किया गया। पांच व्यक्ति अथवा उससे अधिक व्यक्तियों को नियोजित करने वाले प्रतिष्ठानों को शामिल करने के लिए मूल अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए लेकिन यहां दस व्यक्तियों का उल्लेख है। इस प्रकार, यह पांच या अधिक व्यक्ति होना चाहिए। यही सिफारिश थी। यह असंगठित क्षेत्र में कार्यरत सभी महिलाओं के संबंध में तब तक लागू होना चाहिए, जब तक कि सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र को शामिल करने वाला बिधान लागू न कर दिया

[श्री प्रबोध पाण्डा]

जाए। हमें यह नहीं पता है कि इसे कब लाया जाया जाएगा और कब लागू किया जाएगा। तब तक, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का भाग्य क्या होगा? यहां इसका कोई उल्लेख नहीं है, तथा इस संशोधित विधेयक में भी इस पर गौर नहीं किया गया है।

महोदय, केवल स्थायी समिति ही नहीं बल्कि कई एजेंसियों की रिपोर्टों में यह उल्लेख किया गया है कि 80 प्रतिशत भारतीय महिलाएं अपोषित हैं तथा रक्ताल्पता से पीड़ित हैं तथा भारत में विश्व की मातृ मृत्यु दर सबसे ज्यादा है। हमारा देश इस तरह से चल रहा है। इस प्रकार भारत में मातृ-मृत्यु दर सबसे अधिक है। समस्या से निपटने हेतु एक राष्ट्रीय कार्पस फंड बनाने की सिफारिश की है जिसमें केन्द्र और राज्य सरकारों का अंशदान होना चाहिए। इसके बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

इस सम्माननीय सभा में, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर से हमें आश्वस्त करें कि सरकार इस प्रकार का कार्पस फंड बनाने के बारे में विचार कर रही है। इस संबंध में मूल अधिनियम में संशोधन किया जाना चाहिए। यह केवल एक संशोधन के बारे में नहीं है। मूल अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है। सिफारिश यह थी कि मातृ अवकाश 12 सप्ताह से बढ़ाकर 135 दिन करने के संबंध में संशोधन किया जाना चाहिए। इस बात का उल्लेख इस सम्माननीय सभा में पहले ही अन्य माननीय सदस्यों द्वारा, विशेषकर महिला सदस्यों द्वारा बहुत स्पष्ट तथा प्रभावी रूप से किया गया है। केवल यही नहीं, पितृ अवकाश का भी उल्लेख किया गया है। स्थायी समिति की सिफारिश थी कि केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को मिलने वाले अवकाश की तरह ही 15 दिन का पितृ अवकाश इन्हें भी मिलना चाहिए। यह उस सीमा तक औरों को क्यों नहीं दिया जा रहा है?

महोदय, मैं अन्य बिंदुओं पर बात नहीं करूंगा। इस विधेयक का समर्थन व स्वागत करते समय, मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि वह स्थायी समिति की अन्य सिफारिशों पर प्रकाश डालें तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक व्यापक विधान इस सभा में बजट सत्र के अवकाश (विश्रांति काल) के पश्चात् लाएं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार फिर इस विधेयक का स्वागत व समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम कार्य की अनुपूरक सूची लेंगे। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र।

अपराह्न 4.00 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र—*जारी*

प्रवासी भारतीय कार्य मंत्री (श्री वायालार रवि): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8479/08]

(2) प्रवासी भारतीय कार्य मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8480/08]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8481/08]

(2) विधि और न्याय मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8482/08]

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:

(1) निम्नलिखित मंत्रालयों की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2008-2009.

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8483/08]

(दो) संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2008-2009.

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8484/08]

(2) निम्नलिखित मंत्रालयों की परिणामी बजट की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):

(एक) पर्यटन मंत्रालय की वर्ष 2008-2009.

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8485/08]

(दो) संस्कृति मंत्रालय की वर्ष 2008-2009.

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8486/08]

विधि और न्याय मंत्री (श्री हंस राज भारद्वाज): महोदय, मैं श्री प्रेमचंद गुप्ता की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8487/08]

(2) कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8488/08]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8489/08]

(2) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8490/08]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं श्री प्रफुल पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) नागर विमानन मंत्रालय की वर्ष 2008-2009 की अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8491/08]

(2) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) वायुदूत लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां। *

(3) उपर्युक्त (49) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8492/08]

(4) नागरिक उड्डयन मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8493/08]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं नेशनल इंस्टिट्यूट आफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एण्ड रिसर्च, एस.ए.एस. नगर के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-8494/08]

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.एस. पलानीमणिक्कम): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 की धारा 48 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर रहने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 29 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 737(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 7 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 760(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में रहने वाले व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 19 दिसम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 778(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(चार) विदेशी मुद्रा प्रबंध (किसी विदेशी प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 5 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 13(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) विदेशी मुद्रा प्रबंध (परिसम्पत्तियों का प्रेषण) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 90(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(छह) विदेशी मुद्रा प्रबंध (निक्षेप) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2007 जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 91(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(सात) विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत में रहने वाले व्यक्ति का विदेशी मुद्रा खाता) (संशोधन) विनियम, 2008 जो 15 फरवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 92(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (अनुमत्य पूंजीगत खाता संव्यवहार) (संशोधन) विनियम, 2007 जो 5 जनवरी, 2008 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 14(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-8495/08]

(2) सिक्का निर्माण अधिनियम, 1906 की धारा 21 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) "खादी और ग्रामोद्योग आयोग का स्वर्ण जयंती समारोह" के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित पचास रुपए एवं पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2007 जो 5 जुलाई, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 470(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) "खादी और ग्रामोद्योग आयोग का स्वर्ण जयंती समारोह" के अवसर के स्मरण हेतु निर्मित फेरेटिक स्टेनलेस स्टील के पांच रुपए के सिक्कों का निर्माण नियम, 2007 जो 15 अक्तूबर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 660(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-8496/08]

अपराह्न 4.02 बजे

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008—*जारी*

[हिन्दी]

श्रीमती रूपाताई डी. पाटील (लातूर): सभापति महोदय, महिलाओं से संबंधित प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करती हूं।

महोदय, सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्रों की महिलाएं जो अधिकतर निजी क्षेत्रों में काम कर रही हैं, उन्हें प्रसूति की अवस्था में अवकाश तथा प्रसव और प्रसव पश्चात् बोनस देने के लिए विशेष उपबंध करने हेतु यह विधेयक लाया गया है।

महोदय, देश में कामकाजी महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा असंगठित क्षेत्र में है। देश के लगभग 460 मिलीयन कार्यबल में से केवल 24 मिलीयन व्यक्तियों के अतिरिक्त शेष सभी असंगठित क्षेत्र में आते हैं। कुल कार्यबल में महिलाओं की संख्या 26 प्रातेशत है। महिला कार्यबल मुख्यत: काल सेंटर, खुदरा व्यापार, माल सड़कों, भवन और पुलों के निर्माण, घरेलू कार्य, खेती मजदूरी आदि क्षेत्र में है। इन्हें भी इस सुविधा के दायरे में लाने की आवश्यकता है। असंगठित क्षेत्र की परिभाषा भी स्पष्ट होनी चाहिए। हमारे यहां गन्ना तोड़ने के लिए भारी संख्या में मजदूर आते हैं, उनमें महिलाओं की संख्या भी बराबर होती है। उन्हें ठीक से

मजदूरी ही नहीं दी जाती है, फिर प्रसव सुविधा, अवकाश और बोनस की बात तो दूर है। सरकार को सभी नियोक्ताओं को इस संशोधन के दायरे में शामिल करने की आवश्यकता है।

महोदय, सरकार द्वारा इस संशोधन के धारा 8 के अंतर्गत नियोजक को प्रसवार्थ व्यवस्था के लिए अधिकतम एक हजार रुपये देने का प्रावधान किया गया है। लेकिन आज की महंगाई की स्थिति में हजार रुपये का बोनस बहुत कम है। आज देश में चिकित्सा की स्थिति को देखते हुए तो निजी क्षेत्रों के साथ सरकारी अस्पतालों में भी दवाइयों आदि का खर्च बढ़ रहा है। निजी क्षेत्र की सुविधा तो आम आदमी के बूते से बाहर हो रही है।

अपराह्न 4.04 बजे

[डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय *पीठासीन* हुए]

ऐसी स्थिति में एक हजार रुपये क्या मायने रखते हैं? अगर महिला का सिजेरियन हो गया तो भारी खर्च आता है, उसकी प्रतिपूर्ति कौन करेगा? सरकार इसका विचार करे और प्रसवार्थ बोनस को कम से कम पांच हजार करने का संशोधन करे और आगे मुद्रास्फीति की बढ़ती दरों के आधार पर नियोक्ता द्वारा इसमें बढ़ोत्तरी करने का प्रावधान करे।

महोदय, सरकार ने इस अधिनियम की धारा 8(2) के अंतर्गत 20 हजार रुपये की ऊपरी सीमा का निर्धारण किया है। मैं इस पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहना चाहती हूं कि सरकार अगर महिला मजदूरों के हक में है तो इस पर ऊपरी सीमा तय करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

सरकार द्वारा असंगठित क्षेत्र की महिलाओं के लिए लाया गया यह विधेयक तभी लाभकारी हो सकता है, जब इसे सही मायने में खेतीहर किसान महिला, घरेलू काम करने वाली महिला तथा सरकार की परिभाषा के अनुसार जहां 10 से अधिक मजदूर हैं, में लाभ मिलना सुनिश्चित हो। देखने में आया है कि कई नियोक्ता अपने यहां रिकार्ड नहीं रखते, वे महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी देते हैं। फिर प्रसव अवकाश और प्रसवार्थ बोनस कैसे देंगे। सरकार इसे कैसे बाध्य कर सकती है? देश की नौकरशाही का आचरण देखकर इसे बाध्यकारी करने के लिए इसमें दंड का भी उल्लेख होना चाहिए।

मैं सरकार से मांग करती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए लाये गये इस संशोधन विधेयक के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसके क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जाना चाहिए तथा इसमें बोनस की मर्यादा को भी बढ़ाना चाहिए।

[अनुवाद]

**श्री एम. शिवन्ना* (चामराजनगर): महोदय, प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2007 संसद में पेश किया गया है और मैं पूरे मन से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री महोदय श्री ऑस्कर फर्नांडीस जी को इस विधेयक को पेश करने के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

महोदय, हमारी भारतीय संस्कृति में महिलाओं को काफी सम्मान दिया जाता है। हम एक महिला को मां के रूप में, बहन और बेटी के रूप में सम्मान देते हैं। हम महिलाओं को 'मातृश्री' की संज्ञा देते हैं। सदियों से हम इस बात में विश्वास करते हैं कि "जहां नारी की पूजा होती है, वहां भगवान बसते हैं।" हमारा यह परम कर्त्तव्य है कि हम महिलाओं को आदर के साथ खुशी और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए प्रोत्साहन दें। हमें महिलाओं को उचित शिक्षा देनी चाहिए। केवल एक शिक्षित महिला ही हमारे बच्चों के भविष्य को उज्जवल बना सकती है। आजकल महिलाएं अपनी आजीविका कमाने के लिए असंगठित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में काम कर रही हैं। मध्य वर्गीय तथा निम्न वर्गीय महिलाओं की स्थिति बहुत दयनीय है।

महोदय, इस विधेयक में प्रसूति बोनस की राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने का प्रावधान है। मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि यह अपर्याप्त है। इस छोटी सी राशि से न तो मां को, न ही बच्चे को लाभ होगा। इसलिए आपके माध्यम से मैं माननीय मंत्री जी, जो बहुत ही उदार हैं और जो गरीब महिलाओं की दिक्कतों को समझने में सक्षम हैं, से इस राशि को बढ़ाकर 5000 करने का अनुरोध करता हूं।

दूसरी बात कि यह बोनस की राशि असंगठित क्षेत्र, कृषि क्षेत्र और वस्त्र उद्योग आदि में कार्यरत सभी महिलाओं को दिया जाना चाहिए। 80 प्रतिशत से ज्यादा भारतीय महिलाएं कुपोषित हैं। यह सरकार का कर्त्तव्य है कि वह सामान्य रूप से महिलाओं विशेषकर गर्भवती और दूध पिलाती महिलाओं के लिए पर्याप्त भोजन सुनिश्चित करे।

आजकल अस्पतालों में डाक्टर और नर्सिंग स्टाफ चिकित्सा और अन्य सेवाओं के लिए रिश्वत मांगते हैं। इसलिए, 1000 रु. के प्रसूति बोनस से गरीब महिलाओं को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 135 दिन किया जाए। हम सभी जानते हैं कि मौजूदा कानून का कार्यान्वयन सही ढंग से नहीं हो रहा है। इसलिए, कार्यान्वयन मशीनरी को मजबूत किया जाना चाहिए।

---

*कन्नड में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री एम. शिवन्ना]

कर्नाटक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं, गर्भवती महिलाओं और दूध पिलाती माताओं और बच्चों को भी प्रदान की जा रही हैं। यह गंभीर चिंता का विषय है कि भारत के उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त किया जा रहा है।

महोदय, मैं एक बार पुन: माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं और अपनी पार्टी जे.डी.(एस.) और अपनी ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इन्हीं चन्द शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 4.08 बजे

[**उपाध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्री राधाकृष्णन जी से बोलने के लिए अनुरोध करता हूं। आपसे अनुरोध है कि आप बहुत संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं लेकिन इसके साथ ही मैं इससे बहुत संतुष्ट नहीं हूं। इसके कई कारण हैं।

अपने देश में दो अधिनियम हैं। पहला कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है। इसे हम ई.एस.आई. एक्ट कहते हैं। यह कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 का है। यह अधिनियम प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 है। ये दोनों अधिनियम कमोबेश एक ही क्षेत्र से संबंधित हैं। प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम इस तथ्य पर बगैर विचार किये कि यह कारखाना है अथवा नहीं, सभी प्रकार की संस्थाओं पर लागू है। अब ई.एस.आई. एक्ट के अनुप्रयोग को केवल कारखानों तथा कुछ अन्य विशिष्ट संस्थापनों तक सीमित कर दिया गया है। किसी तरह इन दोनों संविधियों में माताओं को विशेष संरक्षण प्रदान किया गया है।

अब यह संशोधन चिकित्सीय लाभ राशि को 250 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने के उद्देश्य से लाया गया है। इस संशोधन पर एक सांविधिक प्रतिबंध भी लगाया गया है कि यह राशि 20,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। इस वृद्धि पर विचार करते हुए, हमें कुछ बातों का ध्यान रखना होगा जिसके बारे में मैं सभा में निवेदन करना चाहूंगा।

पहली बात यह है कि अपने देश में पूर्व में कोई परिवार नियोजन योजना नहीं थी। परिवारों में किसी माता-पिता के छह या अधिक या आधे दर्जन या अधिक, या यहां तक की एक दर्ज या इससे भी अधिक, यहां तक कि 14, 15 या 16 बच्चे भी हो सकते थे। इसलिए स्वाभाविक प्रवृत्ति यह होगी कि इन बच्चों को स्तन-पान कराकर पालन-पोषण किया जाए। इसलिए, आज जब मां का 12वां प्रसव ा है तो उसके बाद माता का स्वास्थ्य बिल्कुल ही खराब हो है।

पहले मातायें 13 या 14 बच्चों तक को स्तन-पान कराती थी। अब एक प्रवृत्ति विकसित हो गई है। आजकल हम टी.वी. पर ब्रेसियर्स के बारे में विज्ञापन देखते हैं। अधिकांश युवा औरतें उससे आकर्षित होती हैं। वे अपने स्तन को बचाना चाहती हैं। जैसे ही प्रसव खत्म होता है, वे कभी भी स्तन-पान कराने का प्रयास नहीं करती है। हमें यह अवश्य पता होना चाहिए कि मां के दूध का कोई विकल्प नहीं है। यह बच्चे के लिए अपने आप में पर्याप्त है। अब तक विज्ञान मां के दूध का कोई विकल्प नहीं ढूंढ पाया है। यही एकमात्र संपूर्ण आहार है। जो जन्म के समय बच्चे को मिल सकता है। लेकिन दुर्भाग्यवश माताएं बच्चों को इस अधिकार से वंचित रख रही हैं। एक प्रकार से यह भी एक मानवाधिकारों का उल्लंघन है। आज की सभी युवा माताएं केवल दो बच्चों को जन्म देती हैं। वे तत्काल बच्चे को स्तन-पान कराना बंद कर देती हैं और बच्चों को स्तन-पान द्वारा उनके विकास के उचित अधिकार से वंचित कर देती हैं। इस अधिकार को कड़ाई से अवश्य लागू किया जाना चाहिए।

यहां एक बात पर हमें जोर देना चाहिए कि स्तानपान, स्तन-कैंसर के लिए रोग निरोधक का काम भी करता है। यदि आप स्तन-पान नहीं कराते हैं और प्रसव के तुरंत बाद ब्रेसियर्स पहनना शुरू कर देती हैं तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह होगी कि इससे कैंसर ही होगा। इसलिए हमारी युवा माताओं को यह समझना चाहिए कि प्रसव के तुरंत बाद ब्रेसियर्स के उपयोग से वे न केवल बच्चे का बल्कि पूरे समाज का नुकसान कर रही हैं। आखिर उनके केवल दो ही प्रसव होते हैं। वे बच्चों को स्तन-पान क्यों नहीं कराती हैं। पहले, हमारी माताएं 12 या 14 बच्चों तक को स्तन-पान करा कर पालती थी। आज हमारी युवा माताओं को दो ही बच्चों को स्तन-पान कराना है क्योंकि परिवार नियोजन इस देश में लागू है। वे यह अवश्य सुनिश्चित करें या इस संविधि में अवश्य ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि उन्हें स्तन-पान के लिए कुछ प्रोत्साहन दिया जाए। इसके लिए कोई प्रावधान होना चाहिए। जब आप चिकित्सा प्रतिपूर्ति का भुगतान करते हैं तो स्तन-पान का प्रावधान भी अवश्य होना चाहिए।

इस अधिनियम में प्रस्तावित 1000 रुपये की राशि कुछ भी नहीं है। उन्हें सभी प्रकार के लाभ मिलने चाहिए। वे देश के कार्यबल हैं। सम्पन्न घरों की महिलाओं को कोई परेशानी नहीं है। वे इसे तत्काल बंद कर सकती हैं। इसे अन्य माताओं के लिए लागू किया जाएगा। लेकिन हमारे श्रमिक वर्ग कार्यरत कर्मचारियों

के बीच यह प्रवृत्ति होनी चाहिए जैसे ही बच्चा जन्म ले वे उसे स्तन-पान कराएं।

इस उद्देश्य के लिए मैं सुझाव देना चाहूंगा कि इस संविधि में स्तन-पान का प्रावधान होना चाहिए और इस संबंध में राशि में भी बढ़ोत्तरी की जानी चाहिए जिससे कि स्तन-पान कराने वाली माताओं को बढ़ावा या प्रोत्साहन राशि मिले। यह कामगार माताओं के लिए है। एक ट्रेड यूनियन के रूप में समाज के प्रति हमारा यह परम कर्त्तव्य है। इसलिए ट्रेड यूनियनों को चाहिए कि वे इसके लिए प्रोत्साहित करें और कामगार माताओं को स्तन-पान कराने की सलाह दें।

श्रमिक वर्ग भी प्रसव के तत्काल पश्चात ब्रेसरी पहनते हैं। श्रमिक वर्ग की यह प्रवृत्ति है। इस प्रवृत्ति को रोका जाना चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री वरकला राधाकृष्णन: श्रमिक वर्ग को ब्रेसरी नहीं पहननी चाहिए। उन्हें पौष्टिक भोजन अवश्य दिया जाना चाहिए। हम सीधे-सीधे यह नहीं कह सकते कि आप लोगों को स्तन-पान अवश्य ही कराना चाहिए। श्रमिकों को गर्भावस्था और प्रसव काल के दौरान पर्याप्त पौष्टिक भोजन दिया जाना चाहिए। इस प्रयोजन हेतु न केवल इस प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम परन्तु ई.एस.आई. अधिनियम में भी केन्द्रीय प्रतिष्ठानों तथा अन्य प्रतिष्ठानों में कार्यरत श्रमिकों को लाभ देने हेतु विशिष्ट प्रावधान अवश्य होने चाहिए। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

[हिन्दी]

आठवले जी, आप बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री वरकला राधाकृष्णन: उन्हें स्तन-पान हेतु प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।

महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को एक सुझाव दूंगा। हम सब मजदूर संघों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मजदूर संघों को पहल कर कार्य करने वाली महिलाओं को बताना चाहिए कि स्तन-पान न कराना मानवाधिकार का उल्लंघन होगा क्योंकि शिशु को स्तन-पान का अधिकार है। युवा माताओं द्वारा शिशु को इस अधिकार से वंचित रखा जाता है। यह भी मानवाधिकार का उल्लंघन है।

अत: इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री जी से एक ऐसा संशोधन पेश करने का अनुरोध करता हूं, जिसमें स्तन-पान को बढ़ावा दिए जाने का प्रावधान हो। हमें यह स्वास्थ्य विभाग पर नहीं छोड़ देना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग का ऐसा करने का कर्त्तव्य बनता ही है। परन्तु यह मात्र स्वास्थ्य विभाग पर ही नहीं छोड़ा जाना चाहिए। अपितु श्रम विभाग तथा श्रमिक बल को भी यह सुनिश्चित करने की पहल करनी चाहिए कि कार्यरत महिलाएं प्रसव के तत्काल बाद स्तन-पान कराएं। इसके लिए इस अधिनियम तथा ई.एस.आई. अधिनियम में कुछ धनराशि का प्रावधान करें ताकि हमारा समाज और समुदाय विकसित हो सके।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 4.21 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र—*जारी*

[अनुवाद]

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): महोदय, मैं अपने सहयोगी श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8497/08]

(2) (एक) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, नोएडा के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8498/08]

(3) (एक) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कारपेट टेक्नालाजी, भदोही के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टीट्यूट आफ कारपेट टेक्नालाजी, भदोही के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8499/08]

(4) (एक) मैन-मेड टेक्सटाईल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2006-2007 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मैन-मेड टेक्सटाईल्स रिसर्च एसोसिएशन, सूरत के वर्ष 2006-2007 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8500/08]

(6) वस्त्र मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8501/08]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): मैं अपने सहयोगी श्री दिनशा जे. पटेल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड अधिनियम, 2006 की धारा 62 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (बोर्ड की बैठकें) विनियम, 2007 जो 26 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 731(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (शुल्क तथा अन्य प्रभारों को लगाना) विनियम, 2007 जो 26 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 732(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (व्यवसाय संचालन, शिकायतों की प्राप्ति और उनकी जांच) विनियम, 2007 जो 30 नवम्बर, 2007 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 744(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एलटी-8502/08]

(2) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एलटी-8503/08]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं अपने सहयोगी डा. अखिलेश दास की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) इस्पात मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के परिणामी बजट की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-8504/08]

(2) इस्पात मंत्रालय के वर्ष 2008-2009 के अनुदानों की विस्तृत मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी-8505/08]

अपराह्न 4.22 बजे

प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008—*जारी*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब मैं श्रीमती किरण माहेश्वरी से बोलने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी (उदयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री आस्कर फर्नांडीज जी द्वारा जो मेटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट बिल लाया गया है, मैं उसका स्वागत करती हूं। मुझे खुशी है कि वह यह बिल लेकर आए। मेरे कुछ सजेशंस हैं, मैं चाहती हूं कि इन्हें इसके अंदर इनकारपोरेट करें। आपके इस बिल पर बोलते हुए छोटी सी भूमिका के रूप में जरूर कहूंगी कि प्रकृति ने एक महिला को मां बनने का अवसर दिया है और इसलिए इस देश के ही नहीं, विश्व के अंदर भी मां की अपनी पहचान है, उसे पूजा जाता है, उसे सोसाइटी में आदर और सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। ऐसी स्थिति में हम जब मैटरनिटी बिल की बात करते हैं, तो वह उस मांग को सुविधाएं देने के संदर्भ में है, यानी वह महिला जो मां बनती है, उस महिला को मां बनने के पश्चात क्या सुविधा दी जाएगी? इस बिल के अंदर बहुत सारी बातों को लिया है, जैसे कि हम लोग कौन-कौन से सैक्टर के अंदर किस तरह से मां को सुविधायें देंगे, लेकिन सही मायने में जो सुविधायें उसे देनी चाहिए, वैसे तो उसका कोई कंपैरिजन नहीं है, उसको बहुत सारी सुविधायें देनी चाहिये, जो सोसाइटी की रचनाकार है, वह बच्चे को जन्म देती है, उसे तो बहुत कुछ मिलना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने कुछ नियम बनाये हैं कि हम ये सुविधायें उनको देंगे। उन सुविधाओं के संदर्भ में यह दुर्भाग्य रहा है कि वे सुविधायें मां को नहीं मिल पाती हैं, जिस तरह का वर्णन किया जाता है, उसको वे सुविधायें नहीं दी जा सकी हैं। यह बहुत कटु-सत्य है। हमारे पूर्व में भी बहुत से साथियों ने जो बात कही है, वह सही है कि हम लोग किसी स्तर तक मां को देना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन दे नहीं पाते हैं, क्योंकि हमारे सामने लिमिटेशंस आ जाती हैं या देते हुए कहीं न कहीं संकोच करते हैं कि इतना नहीं इतना देना चाहिए। पहले उसे 25 रुपए मेडिकल बोनस दिया जाता था, उसको फिर 250 रुपए तक बढ़ाया गया और आज आपने कहा है कि एक हजार रुपए तक मेडिकल बोनस दिया जाएगा। इसी बिल के अंदर जो स्टेटमेंट आप आब्जेक्शन एंड रीजन्स हैं, उसमें चौथे नंबर पर जो आपने दिया है, मैं उसके बारे में बताती हूं।

इसका पाठ इस प्रकार है:-

"प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 की धारा 8 में यह उपबंध है कि यदि नियोजक द्वारा प्रसवार्थ व्यवस्था और प्रसवोत्तर देखरेख का कोई उपबंध नि:शुल्क न किया गया हो तो प्रसूति प्रसुविधा की हकदारहर स्त्री, अपने नियोजक से दो सौ पचास रुपए का चिकित्सीय बोनस भी पाने की हकदार होगी।"

आपने यह जो कंडीशन लगाई है, मेरा सुझाव इसी बारे में है कि इस तरह की कंडीशन लगाकर आप ढाई सौ रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये कर देंगे, लेकिन दूसरी तरफ यह कहेंगे कि यदि एम्प्लायर फ्री में उसे और सुविधाएं दे रहा है तो उसे यह पैसे न दिए जाएं। आप भी इन सारी चीजों से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि माइन्स में काम करने वाली महिलाएं, सर्कस इंडस्ट्री में काम करने वाली महिलाएं या चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं को उनके एम्प्लायर क्या सुविधाएं दे रहे हैं। उन्हें कोई सुविधा नहीं दी जाती, बल्कि प्रिगनैन्सी पीरियड में भी उनका शोषण किया जाता है, उस पीरियड में भी उन्हें कोई हल्का काम नहीं दिया जाता। आपने कहा कि यदि एम्प्लायर इस परपज के लिए उसे किसी तरह की कोई सुविधा देता है तो उसे एक हजार रुपये को देने की आवश्यकता नहीं होगी। मैं कहना चाहती हूं कि इस तरह की कंडीशन निकाल दी जाए, कोई कंडीशन न लगाई जाए, क्योंकि यदि एम्प्लायर उसे प्रिगनैन्सी पीरियड में कोई सुविधा देता है या मेटरनिटी पीरियड यानी डिलीवरी के बाद कोई सुविधा देता है, तो उन दोनों सुविधाओं को एडीशनल सुविधा के रूप में रखा जाए। एम्प्लायर के बारे में यह नहीं होना चाहिए कि यदि उसे उसने सुविधा दे दी है और आप नहीं देंगे, तब भी चलेगा।

जैसे मैंने पूर्व में कहा, सुविधाएं आप देना चाहते हैं लेकिन उनका पूरा उपयोग उन महिलाओं तक पहुंच नहीं पाता। इसके लिए जरूरी होगा कि स्टेट लैवल की एक निगरानी समिति हो जो इस बात की निगरानी करे कि मेटरनिटी बैनीफिट एक्ट पर सही मायने में अमल हो रहा है या नहीं, उसका फायदा उन महिलाओं को मिल रहा है या नहीं। जब तक आप इस बारे में असेस नहीं करेंगे, जैसे मेरे पूर्व बहन संगीता सिंह ने कहा था कि यदि महाराष्ट्र में देखें कि उसका लाभ कितना मिला है, पंजाब में कितना लाभ मिला है, तो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। यदि मेटरनिटी बिल का लाभ संबंधित महिलाओं को नहीं मिलता तो हमारा संसद में बैठकर मेटरनिटी बिल के बारे में लम्बी चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है। हम निगरानी समिति बनाकर इस बात की पुख्ता निगरानी करें कि वास्तव में उन महिलाओं को फायदा मिल रहा है या नहीं। स्टेट लैवल की कमेटी बने, इस बिल में संशोधन के साथ ही इसे अनिवार्य कीजिए।

इतना कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त करती हूं।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्रीमती प्रतिभा सिंह।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, सरकार की तरफ से इतने सारे अनुपूरक मदें सभा पटल पर रखी गई हैं। इस बारे में हमें कोई परिपत्र या जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। हमें पता नहीं सभा पटल पर कौन-कौन सी मदें रखी गई हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कहां बांट दिया हमें कुछ नहीं मिला। ...*(व्यवधान)* किसी के पास कुछ नहीं है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं: हमें पता नहीं है कि सरकार ने सभा पटल पर कौन-कौन सी मदें रखी हैं। हमें मात्र यह बताया गया है कि एक अनुपूरक कार्य सूची है, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है। हमें पता नहीं इसमें कौन-कौन सी मदें हैं। ...*(व्यवधान)* सभा का संचालन इस प्रकार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि आज सभा स्थगित हो जाएगी और हमें कुछ भी नहीं दिया जाएगा तथा हमें यह पता नहीं चलेगा कि सभा पटल पर कौन-कौन सी मदों को रखा गया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): महोदय, नियमों को अनदेखा करके सप्लीमैंट्री आइटम्स ले कर दिए जाते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री पाण्डेय, कृपया मेरी बात सुनिए।

...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, उन्होंने इन्हें अचानक ही प्रस्तुत किया है। ...*(व्यवधान)* हमें अनुपूरक कार्य सूची प्राप्त हुई है, जिसमें मात्र श्री किन्डिया जी की मद का उल्लेख है ...*(व्यवधान)* हमें और कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ है। यह क्या हो रहा है? ...*(व्यवधान)* महोदय, हमें आपका संरक्षण चाहिए। कम-से-कम प्रतिपक्ष के सदस्यों के रूप में हमें जानने का अधिकार है कि कौन-कौन सी मदों को प्रस्तुत किया गया है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आपको अभी मिल जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): महोदय, संसदीय कार्य मंत्रालय में माननीय राज्य मंत्री यहां विराजमान हैं ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैंने कह दिया है कि आपको अभी मिल जाएंगे।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे मेटरनिटी बैनीफिट बिल, 2008 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद देती हूं। जैसा हम सब जानते हैं कि यहां इस विषय पर काफी चर्चा हुई और सब महिलाओं ने अपने-अपने व्यक्त किए। मैं श्री फर्नान्डीज का आभार प्रकट करना चाहती हूं जिन्होंने इस बिल में संशोधन लाकर कुछ महिलाओं को रिलीफ देने की बात कही है। आपने मेडिकल बोनस को ढाई सौ रुपये से बढ़ाकर एक हजार रुपये देने की बात कही है। हमारी महिला साथियों ने सही कहा कि आज की महंगाई को देखते हुए, आज के हालात और परिस्थिति को देखते हुए, उसे एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये से अधिक किए जाने चाहिए, क्योंकि प्रसूता महिला को केवल अपना ही पेट नहीं पालना होता बल्कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा होता है, उसकी देख-रेख भी करनी होती है। जब महिला प्रसूता होती है, उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, उसकी भलाई की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना है कि जब बच्चा पैदा होगा तब उसकी हैल्थ अच्छी होनी चाहिए। जब बच्चा महिला के पेट में होता है, यदि उस वक्त उसे ठीक आहार दें, दवाइयां दें, ठीक तरह से उसकी देख-रेख करें, तभी हम कह सकते हैं कि हम आने वाले बच्चे की हैल्थ के बारे में चिन्तित हैं। इसलिए आपको इस बारे में भी चिंतन-मनन करना चाहिए।

हमारी बहुत सी महिलाएं, चाहे वे फैक्ट्री में काम कर रही हैं, या अन्य संस्थाओं में काम कर रही हैं, उन्हें मेटरनिटी लीव देने की बात भी यहां कही गई। आप सब जानते हैं कि कई

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

परिवार ऐसे हैं जिनके घर के मुखिया नहीं कमाते और बच्चों का बोझ, घर की परवरिश माताओं पर निर्भर होती है। इसीलिए वे बाहर जाकर काम करती हैं, ऐसी परिस्थिति में भी काम करती हैं जब वह प्रसूता होती हैं।

अभी सुमित्रा बहन ने कहा कि चाहे उसका आठवां महीना है, नौवां महीना है, तब भी वह काफी जोखिम भरे काम करती है, चाहे सर्कस में रस्सी पर चढ़कर काम करती है या कोई और काम करती है, वह अपनी और अपने बच्चे की जान को इसलिए जोखिम में डालती है क्योंकि वह जानती है कि उसे केवल अपना पोषण ही नहीं बल्कि अपने परिवार का पोषण भी करना है। मैं मंत्री जी से आग्रह करना चाहती हूं कि आपको इन बातों की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। हमें इन बातों से हटकर उसके और उसके बच्चे के भविष्य के लिए भी सोचना है। आपने इस संशोधन में मेटरनिटी लीव का प्रावधान लाने की बात की है, मैं उसे भी बढ़ाने के बारे में कहना चाहती हूं ताकि जब महिला नाजुक स्थिति में हो, हम उसका सही तरह से पोषण कर सकें, उसकी देख-रेख कर सकें। उसके काम करने का समय भी सीमित होना चाहिए। यदि वह मजदूरी में कहीं काम करने जाए तो उसका शोषण नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए।

बहुत कुछ बोलना बाकी है, लेकिन समय का अभाव है, इसलिए मैं संक्षेप में बता रही हूं। पोलियो आदि बीमारी बच्चों पर आघात करती हैं। जब बच्चा पेट में पल रहा हो, यदि उस समय हम इन बातों का ध्यान नहीं रखेंगे तो आने वाली पीढ़ी प्रभावित होती है। मैं आग्रह करूंगी कि हमने महिलाओं के बारे में यहां अपने जो विचार रखे हैं, जो सुझाव दिए हैं, उन पर आप गौर करेंगे, तभी हम प्रसूता महिलाओं के बारे में कुछ कर सकते हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं बिल का स्वागत करती हूं, आपका धन्यवाद करती हूं और विश्वास करती हूं कि हमने जो सुझाव दिए हैं, आप उन पर ध्यान देंगे।

श्रीमती करुणा शुक्ला (जांजगीर): उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने यहां जो प्रसूति प्रसुविधा (संशोधन) विधेयक, 2008 प्रस्तुत किया है, मैं इसका आधे-अधूरे मन से समर्थन करती हूं। आधा-अधूरा मन इसलिए कि आपने इस बिल में अपना पूरा मन नहीं दिखाया। जो बच्ची विवाह के बाद मातृत्व सुख प्राप्त करती है, उसका अंदाजा शायद आप लोगों को नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे गांव क्षेत्र में एक कहावत है—'बांझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा'। प्रसव की पीड़ा वही स्त्री बता सकती है जिसने मातृत्व सुख प्राप्त किया है और बच्चे को जन्म दिया है। आपने आधे-अधूरे मन से दो सौ पचास रुपये को एक हजार रुपये किया है जिससे आज के समय में बढ़ती हुई महंगाई में वह न अच्छी दवा ले सकती है, न अच्छे डाक्टर को दिखा सकती है। साथ ही साथ प्रसव के बाद उसके भोजन का ध्यान रखा जाना भी जरूरी है। उस पर भी खर्च नहीं किया जा सकता, क्योंकि मां के स्तन में यदि दूध नहीं आएगा तो वह बच्चे को अच्छी तरह से पाल नहीं सकती है और उसके स्तन में दूध आने के लिए उसका पेट भरा होना चाहिए। इसके लिए एक हजार रुपए ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। इसे कम से कम 5,000 रुपए किया जाना चाहिए। यदि आप समाज को स्वस्थ बनाना चाहते हैं, स्वस्थ बच्चे और स्वस्थ भारत की चाह रखते हैं तो इस संशोधन बिल में उसके लिए 1,000 रुपए के बजाए 5,000 रुपए का प्रावधान किया जाना चाहिए। वह मां नौ माह तक बच्चे को अपने गर्भ में रखती है, तो उसे तीन माह की छुट्टी देना पर्याप्त नहीं है। यदि वह इससे पहले बीमार हो जाए, उसका ब्लड प्रेशर या शुगर बढ़ जाए तो एक महीना डिलवरी के पहले ही उसे आराम करना पड़ेगा। इसके बाद उसके पास केवल दो महीने का समय बचेगा। इसलिए इसे बढ़ाकर छः महीने किया जाना चाहिए ताकि उसका शरीर काम करने के लिए स्वस्थ हो। अगर उसका शरीर पूर्णरूपेण स्वस्थ होगा तो वह बागानों, माइन्स या कारखानों में काम कर सकेगी।

आज गांवों में स्थिति यह है कि वहां रिक्शा चलाने वाला उसका पति रात में शराब पीकर धुत हो जाता है और अपनी पूरी कमाई शराब में खत्म कर देता है। पत्नी को, उस मां को यह चिन्ता होती है कि मेरे गर्भ में जो बच्चा है और हर मां चाहती है कि उसका बच्चा स्वस्थ, सुंदर और अच्छा बने। इसके लिए वह कुछ भी परिश्रम करने का तैयार रहती है। इस आनंद और सुख की कल्पना अगर करनी है तो आप मां के बीच बैठिए। आपके परिवार में भी मां और पत्नी होंगी। इन भावों को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आप अगर इनका चित्रण ठीक से देखकर करेंगे तो निश्चित रूप से उनके लिए इस बिल में प्रावधान करेंगे। बच्चे को जन्म देना जितना कठिन है, उतना ही कष्ट निश्चित रूप से उन महिलाओं को भी सहन करना पड़ता है जिनका एबार्शन हो जाता है। उनको जो छुट्टी देते हैं वह कम है। उनके लिए भी ज्यादा पैसे का प्रावधान होना चाहिए। केरल में इस पैसे का सबसे ज्यादा आवंटन हुआ है—वर्ष 2004-05 में 3128, 2005-06 में 3282 और 2006-07 में 3404। जिन राज्यों में इसे लागू नहीं किया है, उनके प्रति सख्ती बरतें कि वे राज्य भी इसे लागू करें और जो राज्य थोड़ा धीमी गति से चल रहे हैं, उनको भी बताएं। अगर आप महिलाओं और मातृत्व का भला चाहते हैं तो यहां सदन में माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उनको इसमें शामिल कीजिए। मैं राधाकृष्णन जी के सुझाव से सहमत नहीं हूं। वे जो बोल रहे थे, वह ठीक नहीं था। हमें उस समय भी यह अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन किसी को बोलते

[श्रीमती करुणा शुक्ला]

हुए रोकना हमने ठीक नहीं समझा। राधाकृष्णन जी बहुत सीनियर सदस्य हैं, हम बहनें उनका सम्मान करती हैं, लेकिन उन्होंने माताओं के लिए जो कहा, वह उचित नहीं है। हम हमेशा अपने समाज, अपने संस्कार का खयाल रखकर जीवन में आगे बढ़ते हैं और उन्होंने जो विचार प्रकट किए हैं, मैं उनसे असहमत हूं और मेरा निवेदन है कि सभी माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिए हैं, उन पर गंभीरतापूर्वक विचार करके, इस बिल में शामिल किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करती हूं।

श्रम और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ऑस्कर फर्नांडीस): महोदय, मैं सदन के सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं और खासकर सभी 18 सदस्यों को, जिनमें से ज्यादातर महिला सदस्य हैं, धन्यवाद देता हूं।

महोदय, हमारे देश की परंपरा में हम मां को भगवान के समकक्ष स्थान देते हैं और मां को भगवान के समान देखते हैं। एक श्लोक में कहा गया है कि मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव अर्थात् गुरू से बड़ा पिता और पिता से ज्यादा महान स्थान मां को दिया गया है। मां का स्थान भगवान के बराबर दिया गया है। यहां महिला सदस्यों ने महिला के बारे में अपने जो उद्गार व्यक्त किए, मैं उनसे सहमत हूं। जब मैं खेतों में काम करता था, उस समय से मुझे जानकारी है। उस समय एक महिला अचानक एक दिन काम पर नहीं आई। जब मैंने उसके बारे में पूछा तो लोगों ने बताया कि उसी रात में उसकी डिलीवरी हुई है। इसका मतलब यह है कि डिलीवरी के दिन तक वह महिला खेतों में काम करती रही। उसी दिन मुझे समझ में आया कि हमारे देश में महिलाओं की क्या समस्या है। इसलिए हमने कुछ सुधार करने की कोशिश की है। मैं सभी माननीय सदस्यों से सहमत हूं कि जितने रुपए बढ़ाने का हमने निर्णय किया है, वह आज के दिन बहुत कम है, लेकिन हमने तीन-तीन साल में इसे 20,000 तक बढ़ाने के लिए प्रावधान किया है। राज्य सभा में इस बिल पर चर्चा नहीं हो पाई। सभा में शोर-गुल हुआ था। वहां से भी हमें कुछ अच्छे सुझाव मिलने की संभावना थी, लेकिन वहां इस पर डिस्कशन नहीं हुआ। इस सदन में माननीय सदस्यों ने बहुत से सुझाव दिए हैं, मेरे ख्याल से सरकार उन पर ध्यान देगी। 1,000 रुपए तक बढ़ाने का प्रावधान इसमें किया गया है। मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं कि हम लोग जरूर बैठेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। उसके मुताबिक दूसरे प्वाइंट्स और ईएसआई के माध्यम से भी हम जो कुछ दे रहे हैं, उसको साथ-साथ इसमें एनहांसमेंट करने के लिए क्या करना है, हम वह जरूर करेंगे। कंप्रिहेंसिव बिल लाने की बात कही गयी है, उसे भी मानने के लिए हम तैयार हैं। मिनिस्ट्री में भी यह फीलिंग्स थीं, हमें इसको बारीकी से देखना है। लेकिन लेबर कमीशन के कुछ सुझाव थे, उनको जल्दी से जल्दी लागू करने के लिए हम इस बिल को लाए हैं। मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि हम मामले पर विचार करके व्यापक विधेयक लाएंगे। हमारी स्टैंडिंग कमेटी ने काफी अच्छे सुझाव दिए हैं। एक मुद्दा यह है कि लेबर डिपार्टमेंट में हम जब कुछ भी निर्णय लेते हैं, तो उसके पहले ट्रिपार्टाइट मीटिंग बुलाते हैं। हम, प्रबंधन, कर्मचारियों, राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार से चर्चा करते हैं। एक प्रोसेस हम लोगों को अवश्य करनी है। हम प्रबंधन को विश्वास में लेंगे। हमारी चिन्ता यह है कि अगर हम इन सुविधाओं को ज्यादा बढ़ाते हैं तो इससे नियोजक, महिला कामगारों के प्रति उदासीन न हो जाएं। इसके अलावा कोई दूसरी चिन्ता नहीं है। लेडी मेंबर्स ने बताया है कि एक-एक स्टेट में कितने लोगों को इसका फायदा मिला है। इसके इंप्लीमेंटेशन को देखने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। इसके लिए एक मैकेनिज्म हम अवश्य लाएंगे। इस बहस में भाग लेने वाले सभी माननीय सदस्यों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

राधाकृष्णन जी, किरण माहेश्वरी जी, प्रतिभा सिंह जी, करुणा शुक्ला जी आदि सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया और भी सदस्य भाग लेना चाहते थे। लेकिन हमें टाइम फ्रेम में जाना है इसलिए इसे समाप्त करना जरूरी है। इस बिल पर असंगठित क्षेत्र के बारे में भी चर्चा हुई। यह संगठित क्षेत्र के लिए है। प्रोविडेंट फंड के मुताबिक चार करोड़ लोग इसमें कवर हैं। ईएसआई में एक करोड़ लोग कवर हैं और तीन करोड़ लोगों को और कवर करना है। उसमें महिलाएं भी फायदा ले सकती हैं। हम चाहते हैं कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा ईएसआई में कवर हों। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। जहां भी संभव हो, हम उन्हें ईएसआई में कवर करने की कोशिश करेंगे। यह सिर्फ कार्यक्रम नहीं है। इसके अलावा केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की अलग-अलग योजनाएं जारी होती हैं। जैसे आईसीडीएस है, वह ज्यादातर महिलाओं के लिए, गर्भवती महिलाओं के लिए, बच्चों को कैसे पौष्टिक आहार देना है, उसके लिए है। इसलिए मैं कुछ पढ़ना चाहता हूं।

[अनुवाद]

सरकार निर्धन गर्भवती महिलाओं को मातृत्व लाभ अन्य योजनाओं के द्वारा भी दे रही है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत जननी सुरक्षा योजना कार्यान्वित की जा रही है जिसका उद्देश्य निर्धन गर्भवती महिलाओं को संस्थानिक प्रसव की सुविधा उपलब्ध कर मातृत्व और शिशु-मृत्यु दर में कमी लाना है। योजना सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में लागू की जा रही है तथा उन राज्यों में विशेष ध्यान दिया जा रहा है जहां इसका प्रदर्शन अच्छा नहीं है तथा मातृ पैकेज के तहत 'आशा' नामक स्वास्थ्य सुविधा सहित नकद सहायता भी दी जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को 2000 रुपये दिए जा रहे हैं तथा शहरी क्षेत्रों में 1200 रुपये दिए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

इस तरह की काफी योजनाएं हैं और इन सबको ध्यान में रखते हुए हम एक व्यापक विधेयक लाने का प्रयास करेंगे। तब आप जरूर उस पर बोलिए। उस वक्त आपसे सुझाव भी लिए जाएंगे। एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस पर सभी लेडी मेम्बर्स को बोलना था। समय कम होने के कारण ऐसा नहीं हो सका। हम उस वक्त जरूर सभी को मौका देंगे। इसके अलावा सामाजिक संस्थाओं को भी हम कहेंगे कि वे भी इस पर अपनी राय दें। हम आपके सामने एक नई सोच शीघ्र ही लाएंगे।

मैं सदन से निवेदन करता हूं कि वह इस बिल को पास करने की अनुमति प्रदान करे।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि राज्य सभा द्वारा यथापारित प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम 1961 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंड-वार विचार आरंभ करेगी। श्री प्रबोध पाण्डा क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

श्री प्रबोध पाण्डा (मिदनापुर): मैं संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री ऑस्कर फर्नांडीस: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 4.49 बजे

राज्य सभा से संदेश और राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 186 के उप-नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में मुझे चीनी विकास निधि (संशोधन) विधेयक, 2008 जिसे लोक सभा द्वारा अपनी 17 मार्च 2008 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिश नहीं करनी है।"

अपराह्न 4.50 बजे

संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश संशोधन विधेयक, 2008

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा बुधवार, 19 मार्च, 2008 की दूसरी अनुपूरक कार्य सूची पर विचार करेगी।

जनजातीय कार्य मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची उपांतरण करने हेतु राज्य सभा द्वारा यथा पारित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि अरुणाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची उपांतरण करने हेतु राज्य सभा द्वारा यथा पारित संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू (अरुणाचल पश्चिम): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस संविधान संशोधन (अनुसूचित जनजाति) विधेयक, 2008 पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मैं इस बिल पर कुछ कहूं, उससे पहले मैं सरकार को, खासकर मंत्री किंडिया जी को, दासमुंशी जी को और हांडिक जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बिल को यहां उन्होंने रखा है, उसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से और अरुणाचल प्रदेश की जनता की तरफ से, खास तौर से वहां के निशि समुदाय की ओर से भी उन्हें बधाई देता हूं।

मैं सबसे पहले इससे संबंधित जो बैकग्राउंड है, वह बताना चाहता हूं। अरुणाचल प्रदेश के बारे में जो संवेदनशीलता सरकार ने दिखाई है, उसे देखते हुए मैं दो-चार बातों का उल्लेख करना चाहूंगा। अरुणाचल प्रदेश भारत के ताज का हीरा है। अरुणाचल प्रदेश के इतिहास को आप देखें तो वहां पर जितनी भी जनजातियां हैं, उनके मन में देश के प्रति बड़ा मान और प्रेम हमेशा से रहा है। यही बात सरकार की ओर भी बार-बार दर्शाई जाती है। इस बात से हमें और भी गर्व होता है कि भारत का हिस्सा हैं और हमेशा भारत में ही रहेंगे। निशि समाज वहां की सबसे बड़ी जनजाति है। निशि शब्द वर्षों से उनकी पहचान है। लेकिन अंग्रेजों ने इस निशि शब्द को तोड़कर दफला शब्द में बदल दिया था। यह दफला शब्द बहुत ही घटिया है और बड़ा डेरोगेटिव भी है।

श्री तथागत सत्पथी (ढेंकानाल): इसका क्या अर्थ होता है?

श्री कीरेन रिजीजू: इस शब्द की मान्यता आज तक वहां नहीं है। इसका अर्थ यह है कि लोगों को मारने वाला, जबर्दस्ती करने वाला और पहाड़ों-जंगलों में रहने वाला। लोग इस शब्द को भूल जाना चाहते हैं। इसीलिए इस ऐतिहासिक मौके पर मैं इस बात को कह रहा हूं कि इस बिल के द्वारा वहां की जनजाति के लोगों को एक नया जीवन और नया अध्याय मिलेगा। निशि समुदाय के लोग अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। इसलिए उन्हें जो रिकोग्निशन मिलनी चाहिए थी, वह नहीं मिली है। वे भी एक प्रकार से स्वतंत्रता सेनानी थे।

सन् 1956 में इस क्षेत्र को नेफा नाम दिया गया था। उसके बाद इंदिरा जी द्वारा 1972 में इसे अरुणाचल प्रदेश और यूनियन टैरीटरी का स्टेटस मिला और फिर 1987 में इसे राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। लेकिन अब भी जो लिस्ट है, संविधान के आर्डर 18 में आप देखेंगे कि उसमें वहां की बहुत सारी जनजातियों के नाम नहीं हैं, यह बहुत दुख की बात है। मैं आज इसलिए भी खुश हूं कि मैं न केवल निशि समुदाय का प्रतिनिधित्व करता हूं, बल्कि उस समुदाय का दामाद भी हूं। इसलिए मेरी खुशी दोगुनी है। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि इस सूची में वहां की और भी जनजातियों का नाम जोड़ना चाहिए। मैंने जैसा कहा कि आज मैं काफी खुश हूं, इसलिए ज्यादा बात नहीं कहूंगा। मैं कुछ ट्राइब्स का नाम आपको बताना चाहूंगा जो इस लिस्ट में नहीं हैं। इन जनजातियों में गालो है, जिसे गालोन कहना चाहिए। इसी तरह खबा है, जिसे बूगोन कहना चाहिए। इसके अलावा सजलोन मोनपा और अन्य जनजातियों का नाम भी इस सूची में नहीं है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है इसलिए सरकार आने वाले समय में इसे भी कार्यान्वित करेगी, ऐसा मैं मानता हूं।

वर्ष 2005 में मैं प्राइवेट मैम्बर बिल लाया था, लेकिन यह अमेंडमेंट बिल सरकार की तरफ से आया है, इसलिए मेरे बिल का अब काम नहीं है। इसके अलावा, मैंने जीरो-आवर में इसे मैंशन किया था, स्पेशल-मैंशन और कालिंग-अटेंशन भी इस पर दिया था, लेकिन आज मैं बहुत खुश हूं और अरुणाचल के मुख्य मंत्री श्री दोरजी खांडू, निशि समाज के इलेक्टेड मैम्बर्स, निशि स्टूडेंट यूनियन, निशि-एलाइड सोसाइटी, यूथ-आर्गेनाइजेशन और वहां के तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने इस महत्वपूर्ण काम में योगदान दिया है। साथ ही साथ कांग्रेस, बीजेपी और जिन अन्य दलों ने इसमें साथ दिया और ज्यादा चर्चा न करते हुए इसे पास करने के लिए कहा है, उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूं। एक महत्वपूर्ण बात मैं और कहना चाहूंगा कि संविधान में "आल नागा ट्राइब्स" शब्द दिया है, वह गलत है। अरुणाचल में कोई नागा ट्राइब्स नहीं है लेकिन संविधान में अभी भी लिखा हुआ है कि "आल द नागा ट्राइब्स इन अरुणाचल प्रदेश"। आप जो आर्डर है उसके 18 क्रमांक पर देखेंगे तो आल नागा ट्राइब्स आपको मिलेंगे। मैं एक चीज की तरफ सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एंट्री में पहला शब्द "आल द ट्राइब्स इंक्लूडिंग फोलोविंग" यानी कि फोलोविंग में 16 जनजातियों का नाम है। यानी कि जो जनजातीय नाम नहीं हैं वे भी अरुणाचल में ट्राइब्स हैं, एससी सर्टिफिकेट उनको भी देते हैं। लेकिन बीच में राज्य सरकार ने कहा कि जिसका नाम नहीं है, उसको एसटी सर्टिफिकेट नहीं मिलेंगे—ऐसा एक आर्डर निकला था। मैंने माननीय मंत्री जी से भी बात की थी, राज्य सरकार से भी बात की थी और उसके लिए मैं जनजातीय कल्याण मंत्री श्री किन्डिया जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप अपनी तरफ से एक क्लेरिफिकेशन इश्यु कर दीजिए क्योंकि संविधान का पालन करना हम सभी का कर्त्तव्य है। ऐसे ट्राइब्स हैं जिनकी संख्या 400 है और ऐसे भी ट्राइब्स हैं जिनकी संख्या 500-600 है, उनको संरक्षण देना भी हमारा दायित्व है। आखिर में मैं आपको, सरकार को और पूरे हाउस को धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): महोदय, श्री किन्डिया इस विधेयक को पास कराने के संबंध में कार्यवाही कर रहे हैं। श्री मुरली देवरा ने कुछ प्रस्तुत किया। श्री शंकर सिंह वाघेला ने कुछ प्रस्तुत किया। हम नहीं जानते कि ये सब बातें क्या हैं।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं इसे स्पष्ट करना चाहता हूं। पार्टी का मुख्य सचेतक उपस्थित नहीं था। हमने कार्य मंत्रणा समिति में इस पर चर्चा की थी। हमने कुछ मांगों, जिन्हें सुबह सभा पटल पर रखा नहीं जा सका था, को विशेष अनुपूरक कार्य सूची में शामिल करने की अनुमति मांगी थी।

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कह रहा हूं कि कागजात को परिचालित किया जाना चाहिए था।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अंतिम समय में इस बात पर सहमति हुई थी। हमने सभी सूचियां प्रस्तुत कर दी थी। कागजातों का परिचालन सचिवालय द्वारा किया जाता है। ऐसा हो सकता है कि सचिवालय उन्हें तत्काल परिचालित न कर सका हो। सचिवालय पर आरोप न लगाएं। हम हर समय सहयोग कर रहे थे। यह निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक स्थगित हो जाने से पांच मिनट पहले ही लिया गया था। इसलिए आपके आने से पहले, मैंने पीठ की सहमति ली और मांगों की इस अनुपूरक सूची के बारे में सदन को सूचित किया। प्रभुनाथ जी और प्रत्येक सदन ने इसे स्वीकार किया है। यह स्थिति है।

श्री खारबेल स्वाईं: मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं केवल यह कहा रहा हूं कि यदि ये कागजात परिचालित किये जाते तो हम इनके बारे में जान सकते थे।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मैं निशि समुदाय का नाम आदेश में प्रतिस्थापित करने के लिए यह संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 प्रस्तुत करने हेतु जनजातीय कार्य मंत्री को बधाई देता हूं। जो कुछ श्री कीरेन रिजीजू ने जो कुछ कहा है मैं उससे खुश हूं। हालांकि, मैं अनुसूचित जनजाति से संबंध नहीं रखता हूं, फिर भी मैंने उनके लिए कई वर्षों तक कार्य किया है और मैं अच्छी तरह समझ सकता हूं कि अब कुछ समुदाय यह चाहते हैं कि उन्हें एक अलग नाम से जाना जाए। उनमें से कुछ समुदाय गुजरात में हैं और मुझे यकीन है कि ये समुदाय देश के अन्य भागों में भी होंगे। इसलिए, मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे देश की समग्र स्थिति पर एक व्यापक नजर डालें। यदि इस प्रकृति के मामले हैं जहां समुदाय यह चाहते हैं कि उन्हें अलग नाम से जाना जाए तो संभवत: मंत्री महोदय बाद में एक व्यापक विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं।

मैं एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश से अपने दोनों मित्रों की खुशी में शामिल होता हूं और मैं अपनी पार्टी की ओर से मंत्री महोदय को बधाई देता हूं।

अपराह्न 5.00 बजे

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): महोदय, यह हानि न पहुंचाने वाला विधेयक है। मैं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के निशि समुदाय को संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश में प्रतिस्थापित करना है।

हमें अनेक बार आश्वासन दिया गया है कि सरकार कुछ समुदायों, जिन्हें अनुसूचित जनजातियों में शामिल किये जाने की आवश्यकता है, को शामिल करने हेतु एक व्यापक विधेयक लाएगी। पश्चिम बंगाल में एक ऐसा समुदाय है देसवाली माझी जो कि मुख्यत: तीन जिलों पुरूलिया, बांकुरा और पश्चिम मिदनापुर में रहता है। 1952 से पूर्व वे अनुसूचित जनजाति से संबंधित थे। उनकी संस्कृति, उनका खान-पान और हर चीज संथाल समुदाय से मिलती-जुलती है। विगत में उन्होंने संथाल समुदाय में शामिल किये जाने की मांग की थी। अब वे उन्हें अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने के लिए कह रहे हैं। इन तीन जिलों में इनकी कुल संख्या लगभग 2.5 लाख है। पश्चिम बंगाल सरकार ने उन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल करने की सिफारिश पहले ही कर दी थी। पश्चिम बंगाल ने पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय के तहत सांस्कृतिक संस्थान ने शोध कार्य भी किया है और इसने भी इन्हें अनुसूचित जनजातियों में शामिल करने की सिफारिश की है। अत: मैं मंत्री महोदय से आग्रह करता हूं कि वे पश्चिम बंगाल के देसवाली माझी जैसे समुदायों, जिन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किये जाने की आवश्यकता है, को शामिल करने हेतु बजट सत्र के अगले चरण में एक व्यापक विधान लाए।

श्री ब्रज किशोर त्रिपाठी (पुरी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2008 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश राज्य में अनुसूचित जनजातियों की सूची में संशोधन करने हेतु संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950 में संशोधन करने के लिए है। यह विधेयक दाफ्ला के स्थान पर निशि के नाम

[श्री बृज किशोर त्रिपाठी]

को शामिल करने के लिए है। इसलिए, इस पर कोई आपत्ति नहीं है।

तथापि, मंत्री महोदय ने इसे खण्डशः प्रस्तुत किया है। इसी प्रकार के संशोधनों के लिए अन्य राज्यों ने भी सिफारिशें की हैं। उड़ीसा राज्य द्वारा की गई इसी प्रकृति की सिफारिशों को शामिल नहीं किया गया है। देश के अन्य राज्यों ने भी ऐसी सिफारिशें की हैं जिन्हें शामिल नहीं किया गया है।

मैं अपने राज्य उड़ीसा का एक उदाहरण देना चाहता हूं। उड़ीसा में 'कांधा' को पहले से ही अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया है। 'उड़ीया कांधा' अथवा 'ओडिया कांधा' के रीति-रिवाज और आदतें 'कंध' जनजाति से मिलते-जुलते हैं। पूर्व में इन लोगों को अनुसूचित जनजातियों का दर्जा मिला हुआ था। तथापि, उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय के कारण उन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची से निकाल दिया गया है और उन्हें अब अनुसूचित जनजाति को मिलने वाले लाभ नहीं मिल रहे हैं। लाभ न मिल पाने के कारण उनके परिवार दुखी हो रहे हैं। वे इंदिरा आवास योजना और अन्य जनजातीय योजनाओं का लाभ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा होने के कारण विद्यार्थी भी बहुत सारी कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं। उड़ीसा राज्य के कुछ भागों में ये लोग बड़ी कठिनाई में हैं। राज्य सरकार ने इन्हें अनुसूचित जातियों में शामिल करने की सिफारिश की है। मंत्रालय तथा केंद्रीय जनजातीय आयोग से संबद्ध सलाहकारी समिति ने इन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की सिफारिश भी की है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इन सभी विसंगतियों, इनमें सुधार करने, परिवर्तन करने और इन्हें सूचीबद्ध करने के बारे में विचार कर रही है ताकि ये लोग वे सभी लाभ प्राप्त कर सकें जो कि उन्हें विगत में मिल रहे थे।

हमने सदन में भी अन्य राज्यों में कुछ जनजातियों के संबंध में चर्चा की है, जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है। कुछ जनजातियां हैं जिन्हें अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल किया गया था परन्तु दुर्भाग्यवश वे अन्य राज्यों में प्रवास कर गई थी और वे अन्य राज्यों में रह रही हैं और उन्हें अनुसूचित जनजातियों को मिलने वाले लाभ नहीं मिल रहे हैं। इस प्रकार, उन राज्यों में उन्हें अनुसूचित जनजातियां नहीं माना जा रहा है। केंद्रीय सरकार एक है और राष्ट्र एक है। कुछ अनुसूचित जनजातियां राज्य के अन्य भागों यथा देश के अन्य भागों में रह रही हैं, उन्हें अनुसूचित जनजातियों को प्राप्त सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इस पहलू पर भी विचार किया जाए। यह मेरा निजी अनुरोध है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः यह केवल अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठीः उनकी परम्परा और रीति-रिवाज एक से हैं। अतः उन्हें भी अनुसूचित जनजातियों में शामिल किया जाना चाहिए। सरकार इस बारे में विचार करे, एक व्यापक विधेयक लाए ताकि सभी अनुसूचित जनजातियों को एक विधेयक में शामिल किया जा सके।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री तापिर गाव, यदि आपका कोई सुझाव है तो आप दे सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री तापिर गाव (अरुणाचल पूर्व): आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। इसे निशि बनाने में मेरी जिंदगी का इतिहास जुड़ा है। मैं संसद सदस्य बनने से पहले नेशनल कमीशन फार शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में मेम्बर था। वहीं से आगे बढ़ते हुए, मैं आज इस सदन में किन्डिया साहब, मुंशी साहब और आपको भी अपने निशि भाई बहनों की तरफ से जो अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में रहते हैं, धन्यवाद देता हूं। मैं प्रार्थना करूंगा कि अरुणाचल प्रदेश असम स्टेट बिल से लिया गया है। जैसा खीरेन भाई ने बताया कि इसमें बहुत से ऐसी ट्राइब्स हैं, जो अरुणाचल प्रदेश में नहीं हैं। इसके कम्प्रिहेंसिव बिल लाने की जरूरत है। मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, किन्डिया साहब को मालूम है, सोनिया गांधी जी को भी मालूम है और मुंशी साहब को भी मालूम है कि अरुणाचल प्रदेश में दो-तीन ट्राइब्स हैं, जैसे देवरी, मिशिंग और लिसु। जब से अरुणाचल प्रदेश बना, नार्थ-ईस्ट फ्रन्टीयर एजेंसी से लेकर 1992 तक अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट इन लोगों को दिया गया है। लेकिन कुछ राजनीतिक कारणों की वजह से देवरी, मिशिंग और लिसु अनुसूचित जनजातियों को सर्टिफिकेट देना बंद कर दिया। मां-बाप के पास एसटी सर्टिफिकेट है, लेकिन उनके बच्चों को एस.टी. सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है। इन लोगों को लेन्ड पोजेशन राइट है, इनमें पंचायत लीडर भी हैं, लेकिन इन्हें एमएलए, एमपी के लिए कंटेस्ट करने का कोई दर्जा नहीं दिया जा रहा है। यह अरुणाचल प्रदेश का बिल है, इसलिए मैं किन्डिया साहब से और यूपीए सरकार से कहूंगा कि अगले सत्र में आप एक कम्प्रिहेंसिव बिल लाइए, जिसमें अन्य राज्यों के एसटी लोगों को जोड़ें। इस अरुणाचल बिल में भी बहुत डिसिक्रमिनेशन्स हैं, लेकिन फिर भी मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और किन्डिया जी को निमंत्रण देता हूं कि वे अरुणाचल प्रदेश जरूर आएं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदयः यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित बिल है, आपके राज्य से संबंधित नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: विधेयक अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है।

अब माननीय मंत्री।

कृपया बैठ जाइए।

कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभी सदस्यों को अपनी बात कहने का अधिकार है। परन्तु यह निर्णय कार्य मंत्रणा समिति की बैठक में लिया गया था। हमने राज्य सभा में इसे कुशलता से बिना वाद-विवाद पारित कराया था।

राज्य सभा में इस संबंध में वाद-विवाद नहीं किया गया था। *...(व्यवधान)* सभा की बैठक रात एक बजे तक चलने दीजिए। मुझे आपत्ति नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आपने कार्य मंत्रणा समिति में सहमति क्यों दी थी? *...(व्यवधान)*

श्री पी.आर. किन्डिया: उपाध्यक्ष महोदय, इस वाद-विवाद में शामिल सदस्यों का मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। अरुणाचल प्रदेश के दो सदस्यों ने भाग लिया। जैसा कि सदस्यों को ज्ञात है इस विधेयक को राज्य सभा द्वारा पारित किया जा चुका है। अरुणाचल प्रदेश के दो सदस्य श्री तापीर गाव और श्री कीरेन रिजीजू ने भारत सरकार द्वारा इस बारे में लिए गए कदमों की विस्तार से जानकारी दी है। मैं, अरुणाचल प्रदेश के लोगों द्वारा औपनिवेशिक शासकों द्वारा उन पर लगाए गए दाग को धोने हेतु दर्शाई गई राष्ट्रीय भावना का पूरा सम्मान करते हुए अपनी बात रिकार्ड में रखता हूं। यह एक महान बात है।

व्यक्तिगत रूप से अरुणाचल प्रदेश के साथ मेरा लंबा रिश्ता है। 1955 में मैं वहां गया था। वहां रसद डकोटा विमान से गिराया जाता था। हम अधिकतर समय पैदल ही चलते थे, हालांकि, कुछ जीप भी वहां थी। मैं लोगों को अच्छी तरह से जानता हूं। मुझे पता है उन्हें उनकी संस्कृति, उनकी कला, उनके नृत्य और उनके सौंदर्य पर बहुत गर्व है। आज अरुणाचल प्रदेश मात्र उगते सूर्य का देश नहीं रह गया है। मेरा यह स्वप्न है कि यह एक दिन अपने विपुल संसाधनों, जैव विविधता के कारण न केवल पूर्वोत्तर का अपितु समस्त देश का चमकता हुआ तारा बनेगा।

इसकी अपार क्षमता है जिसे शायद कोई सोच भी नहीं सकता है चाहे वो जल-विद्युत हो, जैव-विविधता या लोगों की समृद्ध संस्कृति हो। वहां 16 जनजातियां हैं। उनकी अलग पहचान है। दाफ्ला के स्थान पर निशि को लाने के मुद्दे पर न सिर्फ अपने आप में बल्कि दलगत राजनीति, सांस्कृतिक पहचान से ऊपर उठकर एक उग्र और स्वाभाविक जन आंदोलन हुआ था। मुझे यह उल्लेख करते हुए प्रसन्नता है कि इस विधेयक को काफी चर्चा के बाद लाया गया है। मैंने अपने सचिव को अरुणाचल प्रदेश भेजा है और आवश्यकता पड़ने पर सच्चाई जानने के लिए पैदल जाने के लिए कहा और सच्चाई यही है कि यह सही है। हमें भारत के महारजिस्ट्रार और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, जिसके स्वयं श्री तापिर गाव स्वयं पहले एक सदस्य थे, की सिफारिशें प्राप्त हुई हैं। ये सब बातें अति महत्वपूर्ण हैं। मुझे यहां उपस्थित होकर और यह कार्य करके व्यक्तिगत रूप से बहुत गर्व है। कल ही अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अरुणाचल प्रदेश की जनता के लिए इस विधेयक के महत्व के बारे में सूचित करने हेतु मुझे फोन किया था। मैंने उनका दर्द समझा। इन वर्षों से हम इस अवसर की प्रतीक्षा करते रहे हैं। मेरे विचार से यह दिन कुल मिलाकर पूरे देश के लिए महान दिन है और अरुणाचल प्रदेश के मामले में हमें इस क्षेत्र से संबंधित मामलों पर संवेदनशीलता के साथ विचार करना होगा। हमें जनता की गहरी भावनाओं को समझना होगा और यहां यह एक प्रकार से राष्ट्रवादी चरित्र को सामने लाना होगा।

जहां तक अन्य विषय का संबंध है तो श्री आचार्य ने सुझाव दिया है; वास्तव में, मैं उस समिति का सदस्य था और मैं भी इसके बारे में भली भांति जानता हूं। श्री मिस्त्री ने कुछ बोला है, उसके बाद, उड़ीसा के श्री त्रिपाठी बोले हैं, यह मैं जानता हूं। इसे मैं आपको बता सकता हूं—पहले और सबसे पहले-एक राज्य में मान्यता प्राप्त किसी जनजातीय समुदाय को अन्य राज्य में अनिवार्य रूप से मान्यता दिए जाने की आवश्यकता नहीं है। संविधान में इसके बारे में स्थिति स्पष्ट है। यह राज्य-प्रासंगिक विषय है, यह राज्य विशेष का विषय है। दूसरे, वर्ष 1999 में, भारत सरकार ने एक समुदाय को कैसे अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित किया जाये इस अपनाये जाने वाली प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट कर दी है।

सर्वप्रथम, राज्य सरकार को सिफारिश करनी चाहिए कि यह न्यायसंगत है कि जनजातियों की जनजातीय विशेषताएं हैं। इस मानदंड की काफी समय पूर्व वर्ष 1965 में लोकुर समिति द्वारा निर्धारित किया गया है। दूसरे, इसे आरजीआई, भारत के रजिस्ट्रार जनरल से अनुमति लेनी होगी। तीसरे, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग इसकी जांच करता है। तत्पश्चात्, यह हमारे पास आता है। इसके बाद हम इसे मंत्रिमंडल के पास ले जाते हैं और उसके बाद यह सभा में आता है। हम इसे इसी तरह से करेंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री पी.आर. किन्डिया]

परंतु मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन ही दे सकता हूं कि हमारी मानसिकता उदार है, हमारी मानसिकता संकीर्ण नहीं है। आप कोई सुझाव दे सकते हैं, परंतु याद रहे कि यह कोई नहीं कह सकता कि एक जनजाति को एक राज्य में मान्यता दी गई है और इसी प्रकार इसे देश के अन्य राज्य में भी मान्यता दी जानी चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता और संविधान में इसके बारे में स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है।

परंतु ऐसे में, मेरे खुले विचार हैं और जो कुछ मेरे मित्रों ने कहा है—श्री त्रिपाठी और अन्य—मैंने सुना है। ...*(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: राज्य सरकार और जनजाति आयोग ने इसकी सिफारिश की है। आप विचार कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री पी.आर. किन्डिया: निश्चित रूप से हम खुले विचारों वाले हैं। किसी भी समय, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: जो कोई मेरी अनुमति के बिना बोलता है उसके भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

*...(व्यवधान)**

श्री पी.आर. किन्डिया: मैं एक बार और बता सकता हूं, मुझे संदेह दूर करने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री पी.आर. किन्डिया: आज देश में दो विचारधाराएं हैं। हमारी विचारधारा है कि कई समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में सम्मिलित होना चाहते हैं। अन्य विचारधारा यह है—लगभग 8.2 करोड़ जनजातीय व्यक्ति जो इसमें पहले से सम्मिलित हैं वे कहते हैं कि वे इसमें पहले से हैं। हमें इतने अधिक समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की श्रेणी में आने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मेरा इन दो विचारधाराओं से सामना है। परंतु ऐसे में मैं खुले विचार रखता हूं। मैं जो कहना चाहता था वह कह दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची को उपांतरित करने के लिए संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश, 1950; राज्य सभा द्वारा यथापारित में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा इस विधेयक पर खंड-वार विचार करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खंड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी.आर. किन्डिया: मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

[हिन्दी]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन की तरफ से सब को होली की मुबारकबाद देना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: स्पीकर साहब और चेयर की तरफ से आप सब को भी होली की मुबारकबाद।

[अनुवाद]

लोक सभा दिनांक 15 अप्रैल, 2008 को पूर्वाह्न 11 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 5.19 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मंगलवार, 15 अप्रैल, 2008/26 चैत्र, 1930 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील	281
2.	श्री आनंदराव विठोबा अडसूल श्री हरिन पाठक	282
3.	श्री पी.सी. थामस श्री मिलिन्द देवरा	283
4.	श्री एम. अप्पादुरई श्री एम. शिवन्ना	284
5.	श्री रामजीलाल सुमन श्री आलोक कुमार मेहता	285
6.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी	286
7.	श्रीमती मनोरमा माधवराज श्री रमेश दूबे	287
8.	श्री विजय बहुगुणा श्री अर्जुन सेठी	288
9.	श्री नन्द कुमार साय श्री सुग्रीव सिंह	289
10.	श्री सर्वे सत्यनारायण	290
11.	श्री छेवांग थुपस्तन	291
12.	डा. अरुण कुमार शर्मा	292
13.	श्री ए. साई प्रताप	293
14.	श्री मोहन सिंह	294
15.	श्री प्रबोध पाण्डा श्री किन्जरपु येरननायडु	295
16.	प्रो. रासा सिंह रावत श्री सी. कुप्पुसामी	296
17.	श्रीमती किरण माहेश्वरी श्री गिरधारी लाल भार्गव	297
18.	श्री मधु गौड यास्खी श्रीमती निवेदिता माने	298
19.	श्री काशीराम राणा डा. धीरेंद्र अग्रवाल	299
20.	श्री अबू अयीश मंडल	300

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2796, 2815, 2838, 2927
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2844, 2882, 2930
3.	अहीर, श्री हंसराज गं.	2747
4.	अजय कुमार, श्री एस.	2870
5.	अनंत कुमार, श्री	2882
6.	अप्पादुरई, श्री एम.	2821, 2886
7.	आठवले, श्री रामदास	2733, 2834, 2900
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2776, 2788, 2845, 2848, 2890
9.	बर्मन, श्री हितेन	2737
10.	बर्मन, श्री रनेन	2765, 2872
11.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	2813
12.	भगोरा, श्री महावीर	2770
13.	भक्त, श्री मनोरंजन	2793, 2856, 2895, 2921
14.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	2851
15.	बोस, श्री सुव्रत	2742
16.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2735, 2806, 2873
17.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2805
18.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2763
19.	चारेनामी, श्री मणि	2752
20.	चौरे, श्री बापू हरी	2757
21.	चिन्ता मोहन, डा.	2836
22.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2757, 2780
23.	चौधरी, श्री पंकज	2806, 2913
24.	चौधरी, श्री अधीर	2769, 2861

1	2	3
25.	दासगुप्त, श्री गुरुदास	2781
26.	देवरा, श्री मिलिन्द	2748, 2751, 2829
27.	धनराजू, डा. के.	2811, 2863
28.	धोत्रे, श्री संजय	2757
29.	दूबे, श्री रमेश	2835
30.	दत्त, श्रीमती प्रिया	2777
31.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2788
32.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2843, 2888, 2932
33.	गांधी, श्रीमती मेनका	2756, 2852, 2893, 2914
34.	गंगवार, श्री संतोष	2799
35.	गुप्त, श्री श्यामा चरण	2789
36.	हसन, चौ. मुनव्वर	2820, 2871
37.	हुसैन, श्री सैयद शाहनवाज	2757, 2807
38.	जैन, श्री पुष्प	2769
39.	जटिया, डा. सत्यनारायण	2738, 2854
40.	जयाप्रदा, श्रीमती	2779
41.	झा, श्री रघुनाथ	2760, 2877, 2906, 2922, 2936
42.	जिन्दल, श्री नवीन	2744
43.	जोगी, श्री अजीत	2766, 2833, 2903, 2918
44.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2759
45.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2780, 2846
46.	खां, श्री सुनील	2736, 2756, 2857
47.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2800
48.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2745, 2824, 2847, 2881, 2909
49.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2732, 2755, 2826, 2882
50.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	2931
51.	कृष्ण, श्री विजय	2755, 2878, 2907
52.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2767, 2929
53.	कुलस्ते, श्री फग्गन सिंह	2804, 2866
54.	कुप्पुसामी, श्री सी.	2859, 2916
55.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	2786
56.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2783, 2888
57.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2817, 2880, 2937
58.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2841
59.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2795
60.	महरिया, श्री सुभाष	2769, 2771
61.	महतो, श्री नरहरि	2740
62.	महताब, श्री भर्तृहरि	2769
63.	महतो, श्री टेक लाल	2890
64.	मंडल, श्री सनत कुमार	2791
65.	माने, श्रीमती निवेदिता	2832, 2888, 2908, 2932
66.	मनोज, डा. के.एस.	2750, 2828, 2884, 2910, 2923
67.	मिडियम, डा. बाबू राव	2785, 2853
68.	मैन्या, डा. टोकचोम	2925
69.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	2768
70.	मोहन, श्री पी.	2762, 2769
71.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2763
72.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2802, 2809, 2868, 2890, 2901
73.	नन्दी, श्री अमिताभ	2764, 2862, 2897
74.	ओराम, श्री जुएल	2798, 2860, 2905, 2920
75.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2759, 2879, 2928

1	2	3
76.	पल्लामी शम्मी, श्री के.सी.	2831
77.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2739, 2823
78.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2748
79.	पासवान, श्री रामचन्द्र	2769
80.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2858, 2882, 2896
81.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2830, 2885
82.	पाठक, श्री हरिन	2768
83.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2822
84.	पटले, श्री शिशुपाल एन.	2819
85.	पिंगले, श्री देविदास	2819
86.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	2770
87.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2774
88.	राजगोपाल, श्री एल.	2754, 2757
89.	रामदास, प्रो. एम.	2772, 2800
90.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2778, 2784, 2935
91.	राणा, श्री काशीराम	2844
92.	राव, श्री के.एस.	2780, 2782, 2849
93.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2802, 2865, 2890, 2898, 2916
94.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2769, 2840, 2889, 2912
95.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	2769, 2773
96.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	2778
97.	रेड्डी, श्री एन. जनार्दन	2856
98.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2782, 2814
99.	रिजीजू, श्री कीरेन	2742, 2823, 2934
100.	साई प्रताप, श्री ए.	2784
101.	साय, श्री नन्द कुमार	2775, 2830, 2885
102.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2743, 2791, 2836, 2899
103.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2827
104.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2837
105.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2810, 2869, 2902, 2917, 2925
106.	सिंधिया, श्रीमती यशोधरा राजे	2786, 2818
107.	सेनथिल, डा. आर.	2814
108.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2802, 2803
109.	शर्मा, श्री मदन लाल	2779, 2792, 2821
110.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2796, 2815, 2816, 2838, 2875
111.	शिवन्ना, श्री एम.	2841
112.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2772, 2800
113.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2734, 2850
114.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2930
115.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2796
116.	सिंह, श्री मोहन	2842
117.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2757, 2787, 2933
118.	सिंह, श्री राकेश	2769, 2801, 2864
119.	सिंह, श्री रेवती रमन	2812, 2871
120.	सिंह, श्री सुग्रीव	2830, 2885
121.	सिंह, श्री सूरज	2783, 2832
122.	सिंह, श्री उदय	2790
123.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	2749, 2779
124.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2788
125.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	2794
126.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2746, 2776, 2825, 2883

1	2	3
127.	सुब्बारायण, श्री के.	2761, 2863
128.	सुजाता, श्रीमती सी.सी.	2887
129.	सुमन, श्री रामजीलाल	2832, 2836, 2888
130.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2808, 2867
131.	थामस, श्री पी.सी.	2839, 2887, 2911
132.	तुम्मर, श्री वी.के.	2741, 2858, 2896
133.	त्रिपाठी, श्री चन्द्र मणि	2739
134.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2775, 2855, 2894, 2915
135.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2758, 2847, 2891
136.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2797, 2859, 2876
137.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2815, 2875, 2904, 2919, 2926
138.	वाघमेर, श्री सुरेश	2913
139.	यादव, श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु	2843, 2888, 2908, 2932
140.	यादव, श्री गिरिधारी	2774
141.	यादव, श्री मित्रसेन	2753, 2874
142.	यास्खी, श्री मधु गौड	2843, 2888, 2908, 2932
143.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	2831, 2892, 2913, 2924

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	295
कोयला	:	
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
पर्यावरण और वन	:	283, 294
विदेश	:	
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	284, 288, 289, 297
प्रवासी भारतीय कार्य	:	
पंचायती राज	:	286, 290
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	
योजना	:	291, 298
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	281, 282, 285, 287, 292, 293, 300
अंतरिक्ष	:	
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	
युवक कार्यक्रम और खेल	:	296, 299

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

प्रधानमंत्री	:	
परमाणु ऊर्जा	:	2826, 2842, 2873, 2925
कोयला	:	2733, 2738, 2747, 2756, 2759, 2766, 2785, 2804, 2820, 2833, 2846, 2866, 2879, 2897
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	2737, 2740, 2742
पर्यावरण और वन	:	2743, 2748, 2760, 2761, 2768, 2774, 2792, 2793, 2796, 2803, 2808, 2812, 2818, 2819, 2822, 2825, 2828, 2848, 2852, 2855, 2858, 2859, 2860, 2868, 2882, 2885, 2889, 2892, 2893, 2895, 2901, 2914, 2918, 2923, 2927, 2933
विदेश	:	2739, 2751, 2755, 2758, 2781, 2801, 2810, 2829, 2843, 2851, 2876, 2916, 2928, 2931, 2935

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	:	2732, 2734, 2744, 2745, 2771, 2775, 2776, 2779, 2782, 2783, 2790, 2795, 2798, 2802, 2806, 2807, 2809, 2813, 2814, 2816, 2821, 2823, 2830, 2835, 2837, 2838, 2840, 2841, 2845, 2847, 2850, 2853, 2856, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2867, 2870, 2872, 2874, 2875, 2878, 2884, 2886, 2891, 2894, 2900, 2904, 2907, 2908, 2909, 2910, 2912, 2913, 2915, 2924, 2930, 2934
प्रवासी भारतीय कार्य	:	2754, 2757, 2763, 2767, 2786, 2831, 2917
पंचायती राज	:	2770, 2773, 2888, 2919
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन	:	2741, 2764, 2789, 2815, 2834, 2877, 2936
योजना	:	2746, 2750, 2769, 2772, 2827, 2832, 2836, 2849, 2869, 2883, 2902, 2921, 2926
पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग	:	2735, 2736, 2749, 2762, 2765, 2777, 2778, 2780, 2784, 2787, 2788, 2791, 2794, 2797, 2799, 2800, 2805, 2811, 2824, 2839, 2844, 2854, 2857, 2871, 2880, 2881, 2887, 2890, 2896, 2898, 2899, 2903, 2905, 2911, 2920
अंतरिक्ष	:	2752, 2817, 2929, 2937
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन	:	2932
युवक कार्यक्रम और खेल	:	2753, 2906, 2922.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस.–48/33/16/2008 (एन०)
232

© 2008 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (बारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और मैसर्स धनराज एसोसिएट्स प्रा.लि., नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।